

अनुक्रमणिका

भाग – 1

क्र०सं०	शीर्षक	विषय	पेज संख्या
1	प्रस्तावना	संक्षिप्त विवरण	1 – 3
2	अध्याय – 1	आयोग का गठन	4 – 5
3	अध्याय – 2	24 नवम्बर, 2024 की घटना का पृष्ठभूमि तथ्य	6 – 9
4	अध्याय – 3	संभल में हिंसा का इतिहास और शाही जामा मस्जिद का इतिहास	10 – 25
5	अध्याय – 4	आयोग की कार्यवाही	26 – 39
6	अध्याय – 5	मुकदमेबाजी	40 – 44
7	अध्याय – 6	साक्षियों का साक्ष्य	45 – 241

भाग – 2

1	अध्याय – 7	साक्ष्य के अनुसरण में निर्धारण के बिन्दु	1 – 47
2	अध्याय – 8	साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन संदर्भ बिन्दुओं के संदर्भ में	48 – 110
3	अध्याय – 9	उपसंहार	111 – 125

प्रस्तावना

1. दिनांक 19.11.2024 को, एक मूल वाद संख्या 182/2024 न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), चंदौसी, जिला संभल में दायर किया गया था। वादी हरि शंकर जैन और 6 अन्यो द्वारा प्रतिवादी भारत संघ और 5 अन्य के खिलाफ, जिसमें जामा मस्जिद संभल की इंतजामिया कमेटी उसके सचिव के माध्यम से शामिल कर, संक्षेप में न्यायालय से यह प्रार्थना करते हुए एक घोषणात्मक डिक्री और स्थायी निषेधाज्ञा मांगते हुए, जो प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वादी और आम जनता को हरि हर मंदिर/जामी मस्जिद में प्रवेश करने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई शर्तों, स्थितियों और विनियमों के अनुसार प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 18 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, किसी को बाधा या रुकावट पैदा करने से रोकती है, जैसा कि वाद के पैरा 1 और 2 में पूर्ण रूप से वर्णित है। जामा मस्जिद मोहल्ला कोट पूर्वी वार्ड नंबर 11, थाना कोतवाली शहर संभल में स्थित है।
2. उसी दिन वादियों द्वारा सर्वे कमीशन जारी करने के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। माननीय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, चंदौसी ने आवेदन पर सुनवाई के बाद फोटो और वीडियोग्राफी के साथ सर्वे के संबंध में आदेश पारित किया, जिसके लिए सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की गई।
3. अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री रमेश चंद्र राघव, अधिवक्ता को सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया गया। श्री राघव ने अदालत से परवाना प्राप्त करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट, संभल से संपर्क किया और उन्हें कमीशन के निष्पादन के बारे में सूचित किया।
4. जिला मजिस्ट्रेट ने एसपी संभल से पुलिस बल प्रदान करने के लिए कहा। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट संभल, एसपी संभल कुछ पुलिस कर्मियों के साथ साथ

काल जामा मस्जिद पहुंचे, ताकि कमीशन के निष्पादन के समय कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

5. श्री रमेश सिंह राघव, अधिवक्ता ने वादी के वकील श्री विष्णु शंकर जैन, अधिवक्ता, श्री गोपाल शर्मा, अधिवक्ता, श्री प्रिंस शर्मा और श्री जफर अली अधिवक्ता (जामा मस्जिद समिति के सदर) की उपस्थिति में आयोग का निष्पादन शुरू किया लेकिन कम उजाला और श्री जिया-उर-रहमान बर्क, श्री सुहैल इकबाल और उनके समर्थकों के हस्तक्षेप के कारण सर्वे पूर्ण नहीं किया जा सका।

6. दिनांक 24.11.2024 को जब शेष सर्वे अधिवक्ता कमिश्नर श्री रमेश सिंह राघव की उपस्थिति में वादी के वकील श्री विष्णु शंकर जैन, प्रतिवादी के वकील श्री जफर अली और उनके सहयोगियों तथा डीएम व एसपी संभल सहित कई पुलिस कर्मियों के साथ किया जा रहा था तभी मुस्लिम समुदाय से संबंधित भारी संख्या में लोग मस्जिद के चारों ओर सर्वे का विरोध करने के लिए एकत्र हो गए। उन्होंने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए जैसे अल्लाह हू अकबर, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा।

7. भीड़ से कुछ लोग सर्वे की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए जामा मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सीओ संभल ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया कि सर्वे, अदालत के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस पर गोली चलाई। उन्होंने पुलिस और निजी व्यक्तियों से संबंधित कुछ वाहनों को जला दिया। पुलिस बल ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, मिर्च बम, रबर बुलेट, पंप एक्शन गन आदि का उपयोग किया। हालांकि, कुछ समय बाद पुलिस बल दंगे को नियंत्रित करने में सफल रहा।

8. इस घटना में कई पुलिस कर्मियों सहित एसपी संभल को गंभीर चोटें आईं, चार व्यक्ति मारे गए, और विभिन्न संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। इस घटना ने पूरे यूपी राज्य को हिला दिया। इस घटना को घटनास्थल पर मौजूद कई मीडिया

कर्मियों द्वारा वीडियोग्राफी किया गया जिसे प्रमुखता से स्थानीय एवं राष्ट्रीय चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया।

9. दिनांक 24.11.2024 की घटना के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन दिनांक 28.11.2024 को घटना की जांच करने के लिए किया।

10. आयोग ने अधिसूचना दिनांकित 28.11.2024 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित संदर्भ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच की।

11. आयोग गहन जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है जो दिनांक 24.11.2024 की घटना से संबंधित है। घटना की सभी संभावित कोणों से जांच की गई है।

12. आयोग ने जांच करते हुए जांच आयोग (यूपी) नियम 1985 में उल्लिखित उचित प्रक्रिया का पालन किया और ऐसा करते हुए अन्य बातों के साथ बीएनएसएस, बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखा।

13. आयोग ने पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वादियों, प्रतिवादियों के साथ-साथ उनके विद्वान अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों (प्रत्यक्षदर्शी), जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों, अन्य प्रत्यक्षदर्शियों, एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक (एफएसएल) की रिपोर्ट, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट, और अन्य रिकॉर्ड आदि के साक्ष्यों सहित उनके साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की और 2 भागों में संकलित की।

शपथपत्र, मौखिक गवाहियां और अन्य रिकॉर्ड Vol.1 से Vol.6 तक अलग-अलग संकलित हैं।

अध्याय-1

आयोग का गठन

यह आयोग अधिसूचना संख्या-यूओ-87/छहा-पू-12-2024 दिनांक 28-11-2024 के माध्यम से गठित किया गया है, ताकि दिनांक 24-11-2024 को संभल थाना कोतवाली में स्थित विवादित जामा मस्जिद-हरि हर मंदिर स्थल पर सर्वे के दौरान हुई घटना की जांच की जा सके। जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हुए, चार लोगों की जान गई और विभिन्न संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुईं।

अधिसूचना जांच अधिनियम, 1952 की धारा-3 के तहत जारी की गई थी, जिसमें तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:-

- (1) न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र कुमार अरोड़ा, पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय- अध्यक्ष
- (2) श्री अमित मोहन प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस- सदस्य
- (3) श्री अरविंद कुमार जैन, सेवानिवृत्त आईपीएस- सदस्य

1. संदर्भ बिंदु:-

(क) जांच करना कि क्या घटना अचानक थी या अच्छी तरह से योजनाबद्ध और एक आपराधिक साजिश का परिणाम;

(ख) जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटना के दौरान और अन्य पहलुओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच करना;

(ग) यह पता लगाना कि कारण और परिस्थितियां क्या थीं जिनके कारण उक्त घटना हुई;

(घ) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके संबंध में सुझाव देना।

2. उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की प्रकृति और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच अधिनियम, 1952 की धारा-5(1) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए, उप-धारा (2) (3) (4) और (5) के प्रावधान को आयोग पर लागू किया।

3. आयोग की अवधि शुरू में दो महीने के लिए थी जो समय-समय पर 31.08.2025 तक आयोग की आवश्यकता को दृष्टिगत बढ़ाई गई।

अध्याय-2

24 नवंबर 2024 की घटना का पृष्ठभूमि तथ्य

1. 19 नवंबर 2024 को चंदौसी सिविल कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया। विवाद का मुख्य बिंदु यह था कि क्या यह जामा मस्जिद है या हिंदुओं के दावे के अनुसार हरि हर मंदिर, नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने डीएम संभल से पर्याप्त पुलिस बल प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि सर्वेक्षण का कार्य बिना किसी बाधा के किया जा सके। उसी शाम वरिष्ठ प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सर्वेक्षण शुरू हुआ। मस्जिद की प्रबंध समिति/सदर को पहले से सूचित किया गया ताकि वे जामा मस्जिद परिसर में मौजूद रहें। सर्वेक्षण की खबर जंगल की आग की तरह फैली और मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मस्जिद के आसपास एकत्र हो गए। वे सर्वेक्षण को रोकने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उन्हें नियंत्रित किया। संभल के सांसद, जो उस समय जिले में थे, को इसकी जानकारी मिली और वे अपने समर्थकों के साथ मस्जिद पहुंचे। श्री इकबाल महमूद, विधायक संभल के बेटे सुहेल इकबाल भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। माहौल तनावपूर्ण हो गया और नमाजियों की भीड़ शाम की नमाज के लिए जमा होने लगी। नमाज का समय बढ़ाया गया ताकि सर्वेक्षण पूरा हो सके, लेकिन रोशनी की कमी और नमाजियों के भारी दबाव के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।
2. कुल मिलाकर, मुस्लिम समुदाय सर्वेक्षण को लेकर काफी उत्तेजित था। अगले शुक्रवार की नमाज, 22 नवंबर को अत्यधिक सावधानी बरती गई और अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए असामान्य रूप से बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। संभल के सांसद भी मौजूद थे। नमाज के बाद जब सांसद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तो वहां मौजूद

इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया ने उनसे सवाल पूछे। सांसद ने मस्जिद की सीढ़ियों से जवाब देते हुए, स्थानीय मुस्लिम जो कि बड़ी संख्या में मौजूद थे, को भी सम्बोधित किया। सांसद ने यह भी कहा कि "यहां मस्जिद थी, है और रहेगी।" (भीड़ धीरे-धीरे वापस हो गई) लेकिन यह स्पष्ट था कि जब भी शेष सर्वेक्षण किया जाएगा, माहौल बहुत तनावपूर्ण होगा और इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।

3. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कुंदरकी, मुरादाबाद में उपचुनाव हुआ क्योंकि विधायक श्री जिया-उर-रहमान संभल से सांसद चुने गए थे। 23 नवंबर 2024 को मतगणना हुई, जिसमें सपा उम्मीदवार को भाजपा के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। यह सांसद और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका था।
4. नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को डीएम संभल से संपर्क कर 24 नवंबर की सुबह शेष सर्वेक्षण करने की अनुमति मांगी। उन्होंने बिना किसी व्यवधान के सर्वेक्षण करने के लिए उचित पुलिस व्यवस्था का अनुरोध किया। जामा मस्जिद के सदर, श्री जफर अली एडवोकेट को रात में ही एसडीएम/सीओ संभल ने सूचित कर दिया था ताकि वे प्रबंध समिति के साथ मौजूद रहें और भीड़ को नियंत्रित करें। सदर ने संभल के सांसद को सूचित किया, जो उस समय बंगलुरु में किसी बैठक में थे। उन्होंने सुहेल इकबाल और समिति के सदस्यों को भी अगली सुबह होने वाले सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया।
5. पुलिस/प्रशासन ने युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कीं। संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जोन/रेंज स्तर से अतिरिक्त बल और पैरा-मिलिट्री कंपनियों को तैनात किया गया। सर्वेक्षण टीम को विष्णु शंकर जैन एडवोकेट के साथ सुबह पुलिस स्टेशन संभल से मस्जिद तक सुरक्षित पहुंचाया गया और डीएम/एसपी की मौजूदगी में सुबह जल्दी सर्वेक्षण शुरू हुआ। इस बीच, मस्जिद के आसपास भीड़ जमा होने लगी और धार्मिक नारे लगाने लगी। वे किसी तरह मस्जिद में प्रवेश करना चाहते थे ताकि सर्वेक्षण को

रोका जा सके। धीरे-धीरे भीड़ बढ़ती गई और हिंसक हो गई। कई लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे थे और उन्होंने भारी पथराव शुरू कर दिया। गोली चलने की आवाजें भी सुनी गईं और उन्होंने कई वाहनों, आम लोगों और पुलिसकर्मियों की दोपहिया गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मस्जिद के आसपास धुआं दिखाई दे रहा था। पुलिस/प्रशासन के अधिकारियों ने उग्र भीड़ से शांति की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पथराव में कई वरिष्ठ अधिकारी और जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और जब यह विफल रहा, तो उन्होंने आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां, मिर्च बम और यहां तक कि पंप एक्शन गन का उपयोग किया ताकि हिंसक भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। कुछ स्थानों पर पुलिस दल पर हमला किया गया और 9 एमएम पिस्तौल की मैगजीन/कारतूस आदि को दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों से लूट लिया। भीड़ की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी/पथराव के कारण घायल लोगों को तुरंत मेडिको-लीगल जांच और उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उस दिन चार लोगों की चोट के कारण मृत्यु हो गई।

6. इस दौरान सर्वेक्षण टीम को सर्वेक्षण पूरा होने के बाद पुलिस स्टेशन संभल तक सुरक्षित पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। भीड़ में कई लोग सर्वेक्षण टीम को निशाना बनाना चाहते थे। बहुत चतुराई से उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा में मस्जिद से बाहर निकाला गया और हिंदू मोहल्लों के रास्ते सुरक्षित पुलिस स्टेशन संभल ले जाया गया।
7. संभल एक अत्यंत संवेदनशील सांप्रदायिक शहर है, जहां कई बड़े दंगों और भारी जान-माल के नुकसान का इतिहास रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों/पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिक विवादों को किसी भी कीमत पर रोकना था। मुस्लिमों को हिंदू मोहल्लों में प्रवेश करने से रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई। झड़पें केवल पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच सीमित रहीं, जिन्हें जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया। शहर में

गश्त जारी रही और पथराव करने वालों की कई निवारक गिरफ्तारियां की गईं ताकि स्थिति सामान्य हो सके।

8. 24 नवंबर की संभल की घटना ने देश भर में सुर्खियां बटोरीं और राज्य सरकार ने इस घटना के कारणों की जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाने के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) डी.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित करने का निर्णय लिया। आयोग का गठन 28 नवंबर 2024 को अधिसूचना संख्या यूओ-87/छ-पु-12-2024 के तहत किया गया।
9. घटना से संबंधित कोतवाली संभल/नखासा पुलिस स्टेशन में 12 प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिनमें से सात पुलिस की ओर से और शेष पांच निजी व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गईं। यह उल्लेखनीय है कि ग्यारह मामलों में चार्जशीट पहले ही कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है।

अध्याय-3

संभल में हिंसा का इतिहास और शाही जामा मस्जिद का इतिहास

चूँकि जबकि यह आयोग दिनांक 24.11.2024 की घटना के कारणों की जांच कर रहा है, संभल का इतिहास और विवादित स्थान जामा मस्जिद, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का केंद्र है, को जानना प्रासंगिक होगा।

क. संभल का इतिहास

(i) संभल उत्तर प्रदेश, भारत के संभल जिले में स्थित एक शहर है। यह शहर नई दिल्ली से लगभग 158 किमी पूर्व और राज्य की राजधानी लखनऊ से 355 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह मुरादाबाद मंडल के रुहेलखंड क्षेत्र में आता है, जो मुरादाबाद शहर से लगभग 32 किमी दूर है।

(ii) संभल को शंभाला के रूप में पहचाना जाता है, जो एक गांव है और जिसे महाभारत और स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और बाद में कल्कि पुराण जैसे हिंदू पुराणों में विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार कल्कि के जन्मस्थान के रूप में उल्लेखित किया गया है। (शहर में "श्री कल्कि विष्णु मंदिर" भी है।) इसे तिब्बती बौद्ध धर्म की बौद्ध पौराणिक कथाओं से लिया गया, जहां इसे हिमालय के पार एक पौराणिक साम्राज्य और शुद्ध भूमि के रूप में वर्णित किया गया है, जहां से भविष्य में मैत्रेयणी संहिता का प्रकटीकरण होगा।

इब्न बतूता के अनुसार, चीन के अंतिम युआन वंश के सम्राट तोगोन तेमुर ने दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को एक राजदूत भेजा था, जिसमें संभल में एक बौद्ध मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति मांगी गई थी, जो उस समय तिब्बत से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था।

(iii) संभल सैकड़ों वर्षों से एक शहरी केंद्र रहा है और मध्यकाल में एक प्रमुख शहर था। पृथ्वीराज चौहान और गाजी सैय्यद सलार मसूद के बीच दो प्रसिद्ध युद्ध यहां

होने का दावा किया जाता है। उस समय स्थानीय शासकों के अधीन, 13वीं और 14वीं शताब्दी में यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया, जो पहले कुतुब-उद-दीन ऐबक और बाद में फिरोज शाह तुगलक के अधीन था।

(iv) बाद में यह 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश की राजधानी थी, जब सिकंदर लोदी इसके शासक थे। बाबरनामा के एक पन्ने में सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में संभल के लिए हमला अभियान से पहले एक पुरस्कार समारोह को दर्शाया गया है। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद, यह शहर बाबर के अधीन मुगलों के नियंत्रण में आया और नए साम्राज्य की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित की गई। ऐसा दावा किया जाता है कि बाबर ने यहां एक मस्जिद बनवाई थी, जो अभी भी मौजूद है। बाद में इस शहर पर उनके बेटे हुमायूं ने शासन किया। अकबर, हुमायूं के बेटे के शासनकाल में संभल समृद्ध हुआ लेकिन जब अकबर के पोते शाहजहां को शहर का प्रभारी बनाया गया, तब इसकी लोकप्रियता कम हो गई और स्थानीय (सरकार) राजधानी मुरादाबाद स्थानांतरित कर दी गई।

(v) इसे जिला 28 सितंबर 2011 को घोषित किया गया और 23 जुलाई 2012 को मुरादाबाद जिले से अलग कर राज्य सरकार द्वारा तीन नए जिलों में से एक के रूप में बनाया गया। उस समय राज्य सरकार ने नए जिले का नाम सामाजिक सुधारक भीमराव अंबेडकर के सम्मान में "भीमनगर" रखने का फैसला किया। हालांकि, संभल शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नाम बदलने के इस कदम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। संभल 500 से अधिक वर्षों से इसी नाम से जाना जाता था, यह मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहर था, और इसका भीमराव अंबेडकर, एक दलित प्रतीक से कोई संबंध नहीं था। विरोध प्रदर्शन सफल रहे और सरकार ने संभल का नाम बरकरार रखा।

ख. संभल की जनसांख्यिकी

(i) भारत की 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, 2011 में संभल शहर की जनसंख्या 221,334 थी, जिसमें 116,008 पुरुष और 105,326

महिलाएं थीं। संभल में कुल साक्षर लोग 92,608 हैं, जिनमें 51,382 पुरुष और 41,226 महिलाएं हैं। संभल शहर में औसत साक्षरता दर 49.51% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 52.27% और महिला साक्षरता 46.45% है। संभल शहर का लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 908 है और बाल लिंग अनुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 936 है। जनगणना भारत 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार संभल शहर में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 34,279 थी। इनमें 17,702 लड़के और 16,577 लड़कियां थीं। बच्चे कुल जनसंख्या का 15.49% हिस्सा बनाते हैं।

(ii) संभल भारत में एक मुस्लिम-बहुल्य शहर है, जहां लगभग 77.67% जनसंख्या इस्लाम धर्म का पालन करती है। हिंदू धर्म शहर में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, जिसे लगभग 22.00% लोग मानते हैं, इसके बाद ईसाई धर्म (0.12%), सिख धर्म (0.06%), बौद्ध धर्म (0.03%) और जैन धर्म (0.02%) हैं।

ग. संभल में हिंसा का इतिहास

(i) आयोग की कार्यवाही के दौरान, आयोग ने यह उचित समझा कि संभल में बार-बार होने वाली हिंसक घटनाओं का अध्ययन किया जाए, जिनमें से अधिकांश हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़पों से संबंधित हैं। इस उद्देश्य के लिए, आयोग ने विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

(ii) संभल हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि इसे विभिन्न पुराणों और हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि का जन्मस्थान माना जाता है। शाही जामा मस्जिद को मुगल शासक बाबर द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हरि मंदिर के खंडहरों पर बनाया गया माना जाता है, जो मंदिर-मस्जिद विवाद को बढ़ाता है।

(iii) 24 नवंबर की घटना संभल में हिंसा का कोई अकेला मामला नहीं थी। शहर का एक लंबा और अशांत इतिहास है, जिसमें बार-बार सांप्रदायिक अशांति की घटनाएं हुई हैं, जिनमें सबसे विनाशकारी 1978 का नरसंहार था, जिसमें कथित तौर पर 183 से अधिक हिंदुओं की जान चली गई थी। यह रिपोर्ट 1936 से लेकर

वर्तमान तक संभल में दर्ज सभी हिंसक घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

(iv) 1936-37 की हिंसा

एसपी संभल ने अपने हलफनामे में आयोग के समक्ष बताया कि एसपी संभल के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संभल में कुछ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, लेकिन वे तारीख और स्थान का विवरण नहीं दे सके।

(v) 1947 की हिंसा

विभाजन के समय पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, और संभल भी इससे अछूता नहीं रहा। हातिमसराय और आसपास के क्षेत्रों के लोग संभल पुलिस स्टेशन पर शरण लेने के लिए भागे। दंगे शांत होने के बाद, हातिमसराय के एक कमीशन एजेंट जगदीश शरण, 20-25 अन्य लोगों और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ अपने घर की ओर रवाना हुए। जब वे हिलाली सराय में कुरैशी वाली गली में पहुंचे, जो उनके घरों से केवल 50 मीटर दूर थी, उन्होंने पुलिसकर्मी को वापस लौटने के लिए कहा, यह सोचकर कि वे सुरक्षित हैं। कुछ ही क्षणों बाद, कुरैशी समुदाय सहित मुसलमानों ने समूह पर हमला कर दिया। अन्य लोग भागने में सफल रहे, लेकिन जगदीश शरण को पकड़ लिया गया और मार डाला गया। आधिकारिक रिकॉर्ड में इस घटना में एक हिंदू की मृत्यु दर्ज की गई।

(vi) 1948 की हिंसा

दंगों के बाद 20 दिनों से अधिक समय तक कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें छह हिंदुओं की मृत्यु हुई। दंगे बड़े नवाब महमूद हसन खान (वर्तमान विधायक इकबाल महमूद के पिता) द्वारा भड़काए गए, जिन्होंने गोलीबारी शुरू की। हाकिम सराय में कटरा के गॉड में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जहां छह हिंदुओं की जान चली गई। नवाब महमूद ने अनवर मिस्त्री (जिनके बेटे मुख्तियार अब हिंद इंटर कॉलेज के पास एक वर्कशॉप चलाते हैं) से एक अस्थायी तोप बनवाई। वे इस हथियार को अगेनती

तिराहा लाये ताकि हिंदुओं पर हमला किया जा सके, लेकिन हिंदू प्रतिरोध के कारण वे रुक गए।

(vii) 1953 की हिंसा

संभल में शिया-सुन्नी संघर्ष भड़क उठा, जिसके परिणामस्वरूप काफी हताहत हुए। इसके अलावा, 1958, 1959 और 1966 में भी सांप्रदायिक दंगे सामने आए।

(viii) 1958-59 की हिंसा

कई सांप्रदायिक दंगे दर्ज किए गए। 1958 में, हिंद इंटर कॉलेज में हिंदू और मुस्लिम छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद दो दिन का कर्फ्यू लगाया गया। 'बेरा के कारखाना' से आए मुस्लिम लड़कों ने लोहे के पंजों सहित हथियारों से हमला किया, जिसमें 10-12 हिंदू छात्र घायल हो गए।

(ix) 1962 की हिंसा

अमरोहा और संभल लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव के दौरान, जिसमें जेपी कृपलानी ने भाग लिया, सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रचार किया। पूर्व जनसंघ विधायक महेश गुप्ता पर रुक्नुद्दीन सराय में एक बीज गोदाम के पास मुसलमानों ने हमला कर चाकू मार दिया। उन्हें गंभीर चोटें आईं।

(x) 1976 की हिंसा

29 फरवरी 1976 को, यह अफवाह फैली कि पेटिया गांव के एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति राजकुमार सैनी ने एक मौलवी की हत्या कर दी। हालांकि, बाद में जांच से पता चला कि मस्जिद समिति के भीतर विवाद के कारण मौलवी की हत्या एक अन्य मुस्लिम द्वारा की गई थी। फिर भी, मंजर शफी और अताउल्लाह ततारी (जब डॉ. शफीकुर रहमान बर्क का प्रभाव बढ़ रहा था) के नेतृत्व में एक भीड़ ने सूरजकुंड मंदिर और मानस मंदिर सहित हिंदू धार्मिक स्थलों

पर हमला किया। भीड़ ने सस्थल चौकी पर भी हमला किया, जिसमें किशनलाल के घर को जलाने की कोशिश की गई। जब हिंदुओं ने प्रतिरोध किया, तो पथराव शुरू हुआ और भीड़ भाग गई। इस अवधि के दौरान दो हत्याएं दर्ज की गईं: सोटीपुरा के निवासी सुखा सिंह के बेटे हरिसिंह और मोहल्ला कोटपूर्वी के निवासी रमेश्वर प्रसाद के बेटे राकेश वैश्य की हत्या। 24 अप्रैल 1976 को, कोटपूर्वी मोहल्ले के नचवां में कल्लू के घर पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। उनके बेटे सलाम को गंभीर चोटें आईं और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। जवाबी कार्रवाई में, लाल मस्जिद सरायतरिन में एक बुजुर्ग हिंदू कमता प्रसाद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारों को जल्दी पकड़ लिया और विस्फोट का कारण पहचान लिया, जिससे शांति बहाल हुई। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में जयचंद रस्तोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संतुलन बनाए रखने के लिए, अधिकारियों ने लगभग 20-22 दोषी मुसलमानों और उतने ही निर्दोष हिंदुओं को गिरफ्तार किया, जिससे हिंदुओं में असंतोष पैदा हुआ। इस अशांति के दौरान शहर के बाहर एक हिंदू की भी हत्या हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सात दिन का कर्फ्यू लगाया गया।

(xi) 1978 का संभल दंगा

वर्ष 1978 में संभल में सबसे विनाशकारी सांप्रदायिक दंगा होली उत्सव के बाद भड़क उठा। होली 25 मार्च 1978 को मनाई गई थी, लेकिन दोनों समुदायों के बीच उत्सव से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर तनाव बना रहा। एक स्थान पर, एक मुस्लिम दुकानदार ने उस स्थान पर एक लकड़ी का स्टॉल स्थापित किया था जहां होली की चिता जलाई जानी थी, जबकि एक अन्य स्थान पर एक मंच बनाया गया था। तनाव के बावजूद, लकड़ी का स्टॉल समय पर हटा दिया गया और होली शांति से मनाई गई।

उपरोक्त संभल में हिंसा का इतिहास यह दर्शाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई हिंसक घटनाएं हुईं और कई लोग, विशेष रूप से हिंदू, मारे गए। परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि संभल कोई साधारण शहर नहीं है।

(xii) 1980 का संभल दंगा

वर्ष 1980 में मुरादाबाद में एक सुअर के ईदगाह में प्रवेश करने के कारण बड़ा दंगा हुआ। इसकी लपटें संभल तक पहुंचीं। इस घटना में प्रजापति समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या हुई और विजय त्यागी नामक व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया। उस समय, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि तस्दीक इलाही को बंद करना पड़ा और संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें भी बंद किया गया। यह उल्लेखनीय है कि जब मुसलमानों ने सांप्रदायिक दंगे फैलाए, तो हिंदुओं को भी उनके साथ बंद किया गया।

(xiii) 1982 का संभल दंगा

वर्ष 1982 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, तो संभल शहर के मुसलमानों ने इसका जोरदार विरोध किया। शुक्रवार को, विरोध के प्रतीक के रूप में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगभग दस से पंद्रह हजार मुसलमानों ने जामा मस्जिद में काली पट्टियां बांधकर नमाज अदा की। नमाजी टंडन तिराहा तक आए थे। नमाजियों की बड़ी संख्या के कारण, हिंदुओं ने अपनी दुकानें बंद रखीं और भय का माहौल बना रहा। इस दौरान, गुइया वाली गली, मो. थेर में दीपासराय के एक मुस्लिम ने पैसे के लेन-देन को लेकर हरीशंकर रस्तोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। हिंदुओं ने हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन आदि किए। इससे संभल में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। हिंदुओं के दबाव के कारण, डॉ. शफीकुर रहमान बर्क ने हत्यारे को आत्मसमर्पण करवाया, लेकिन बाद में हत्यारा बरी हो गया।

(xiv) 1986 का संभल दंगा

श्री राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद मुक्ति आंदोलन विवाद ने गति पकड़ी और श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलने और बाबरी मस्जिद विवाद के मुद्दे पर पूरे राज्य में हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिकता शुरू से ही विस्फोटक रूप ले रही थी। इस संदर्भ में, 14 फरवरी 1986 को, मुसलमानों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, घरों और अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांधकर और काले झंडे लगाकर एक आयोजन किया।

मुसलमानों ने विवादित जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा की, जिसमें अभूतपूर्व संख्या में मुसलमानों ने भाग लिया। दिल्ली से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ कि कुंभ मेले हरिद्वार जा रहे नागा साधु महाशिवरात्रि के दिन संभल आएंगे और हरि हर मंदिर में जल चढ़ाएंगे, इस खबर ने संभल में तनाव बढ़ा दिया। इसके कारण, संभल में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं को घृणा की नजर से देखने लगे। 8 मार्च 1986 को, शिवरात्रि जुलूस निकाला गया। उस समय, मेन्था व्यापारी प्रदीप रस्तोगी पर ट्यूबवेल ऑपरेटर रहीसुरहमान का पैसा बकाया था। उसी दिन, किसी ने यह अफवाह फैलाई कि शिव तेरस पर हरि हर मंदिर में जल चढ़ाया जा रहा है। इस अवसर का लाभ उठाकर, रहीसुरहमान ने प्रदीप रस्तोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। रास्ते में एक अन्य हिंदू की भी हत्या हुई। टंडन तिराहा के पास खेरु हलवाई की दुकान से चीनी खरीदने गए भगवत शरण रस्तोगी को दुकान के अंदर खींचकर मार डाला गया। उनका शव मौ. नई सराय पुलिस स्टेशन नखासा के परिसर में एक बोरे में मिला। मनोकामना मंदिर के पास एक अन्य हिंदू की हत्या हुई। इस दंगे में दुकानों को लूटा गया और जलाया गया। 8 मार्च 1986 से 6 जून 1986 के बीच, सांप्रदायिक आधार पर मोतीराम के पुत्र सीताराम, छेदलाल के पुत्र ओमिशंकर, भगवत शरण रस्तोगी और मास्टर कृपाल सिंह की अलग-अलग तारीखों पर हत्या की गई। इस दंगे के संबंध में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 250 लोगों को निवारक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, विजय प्रकाश त्यागी, रहीसुरहमान और तस्दीक इलाही के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया।

(xv) 1990 का संभल दंगा - बाबरी मस्जिद आंदोलन के बाद

अक्टूबर 1990 में पूर्व विधायक महेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन में एक जुलूस निकाला। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी ने तनाव को और बढ़ा दिया। 2 नवंबर 1990 को, नखासा क्रॉसिंग पर बड़ी संख्या में सशस्त्र मुसलमान एकत्र हुए,

जो "नारा-ए-तकबीर", "अल्लाह हू अकबर" और "हिंदुओं को मारो" जैसे नारे लगा रहे थे। धारा 144 लागू होने के बावजूद, हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें दो सिपाही घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। 9 नवंबर 1990 को, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में नींव रखने के समारोह के साथ, सांप्रदायिक विभाजन और बढ़ गया।

(xvi) 1992 का दंगा - बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद

6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने संभल में हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काईं। लगभग 20,000 मुसलमान नखासा तिराहा और छगगल की कोठी पर एकत्र हुए, जो आगजनी और लूटपाट के लिए शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। 7 दिसंबर को, मुस्लिम भीड़ ने पक्का बाग पुलिस चौकी पर हमला किया, पुलिस पर हिंदुओं का समर्थन करने का आरोप लगाया। भीड़ ने पथराव किया और गोलीबारी की, जिसमें चार पीएसी सिपाही घायल हो गए। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें दो लोग मारे गए और भीड़ तितर-बितर हो गई। हालांकि, जवाबी हिंसा शुरू हुई: 8 दिसंबर को, चौधरी सराय के पास दो हिंदुओं की हत्या हुई और 22 दिसंबर को, हयातनगर में तीन अन्य हिंदू पीड़ितों के शव बरामद हुए।

(xvii) 1995 का सांप्रदायिक दंगा

2 मार्च 1995 को संभल में सांप्रदायिक झड़पें फिर से भड़क उठीं। रुक्नुद्दीन सराय या मंडीसराय में दो बाहरी हिंदुओं की हत्या हुई। व्यवस्था बहाल करने के लिए आठ दिनों का कर्फ्यू लगाया गया।

(xviii) 2019 में CAA/NRC के खिलाफ संभल में दंगा

वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ संभल में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सरायतरिन और दीपा सराय जैसे इलाकों से हजारों मुसलमान नगर पालिका मैदान पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने पथराव किया, दो रोडवेज बसों को आग लगा दी और गोलीबारी की।

हिंसा में दो मुसलमानों की मृत्यु हुई। इसके बाद, डॉ. शफीकुर रहमान बर्क के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने पक्का बाग, थाना नखासा में दो महीने तक धरना दिया। बाहर से विभिन्न मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इसमें भाग लिया। COVID-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के साथ यह विरोध समाप्त हुआ। ये घटनाएं संभल में बार-बार होने वाले सांप्रदायिक तनावों को दर्शाती हैं, जो अक्सर स्थानीय विवादों या बड़े राष्ट्रीय घटनाक्रमों से शुरू होती हैं। 1930 के दशक से 2024 तक, इस क्षेत्र में कई दंगे हुए, जिनके परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान हुआ और सामाजिक विभाजन और गहरा हो गया।

उपरोक्त संभल में हिंसा का इतिहास यह दर्शाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई हिंसक घटनाएं हुईं और कई लोग, विशेष रूप से हिंदू, मारे गए। यह संकेत देता है कि संभल कोई साधारण शहर नहीं है। संभल के साहित्य का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय पर हावी है।

आयोग को संभल शहर में मुस्लिम समुदाय के दो संप्रदायों, तुर्क और पठान, के बीच आपराधिक पृष्ठभूमि और शत्रुता का रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि तुर्कों का नेता शुरू में डॉ. शफीकुर रहमान बर्क था और पठानों का नेता इकबाल महमूद के पिता नवाब महमूद हसन खान थे और दोनों संप्रदायों के बीच अपनी प्रमुखता और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राजनीतिक लड़ाइयां हुई हैं और यह विरासत अभी भी जारी है।

घ. शाही जामा मस्जिद का इतिहास और इसकी स्थलाकृति

दिनांक 24.11.2024 की घटना के स्थान अब विवादित स्थान जामा मस्जिद के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए, आयोग ने मुरादाबाद के गजेटियर और इस संबंध में उपलब्ध विभिन्न रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया।

इतिहासकारों के अनुसार, संभल प्राचीन काल में हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान माना जाता था और पुराने शहर के केंद्र में कोट के नाम से प्रसिद्ध बड़े टीले पर विष्णु जी का एक प्रसिद्ध मंदिर (हरि मंदिर) था। इसका निर्माण विभिन्न रूप से

पृथ्वी राज, राजा जगत सिंह और बरन के डोरों में से एक राजा विक्रम सेन के परपोते नाहर सिंह को श्रेय दिया जाता है। यह मंदिर अब मौजूद नहीं है और इसकी जगह एक बहुत ही प्रभावशाली मस्जिद ने ले ली है, जो आसपास के परिदृश्य में मीलों तक एक प्रमुख विशेषता बन गई है। भवन मुख्य रूप से पत्थर का है, जो निश्चित रूप से केंद्रीय गुंबद, बाहरी दीवारों और पोर्च और विशाल आंगन के फर्श के लिए उपयोग किया गया है। 1874 में श्री कार्लाइल ने मस्जिद का निरीक्षण किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गुंबद हिंदू कारीगरी का है, लेकिन पंख छोटी मुसलमान ईंटों के हैं। मस्जिद का पूरा हिस्सा प्लास्टर से ढका हुआ है, इसलिए सामग्री का पता लगाना असंभव है। पंखों को एक पार्श्व स्तंभों की पंक्ति द्वारा दो गलियारों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक में आंगन की ओर तीन मेहराबदार खुलने हैं। दोनों तरफ पत्थर की सीढ़ियां मस्जिद की छत तक पहुंच प्रदान करती हैं, जहां से शहर और आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। श्री कार्लाइल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मंदिर को मस्जिद में परिवर्तन हाल ही का था। उन्होंने अपना निर्णय इस तथ्य पर आधारित किया कि साइट के अधिकारों को लेकर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच हाल ही में मुकदमेबाजी हुई थी और वह हिंदुओं के तर्कों से प्रभावित हुए थे कि मस्जिद की दीवारों पर पुराने शिलालेख धोखाधड़ी थे। हिंदुओं का दावा निश्चित रूप से सिविल कोर्ट में खारिज कर दिया गया था और यह स्पष्ट है कि श्री कार्लाइल ने जहांगीर के दिनों के बहुत ही रोचक दस्तावेज नहीं देखे थे, जो अब मस्जिद के संरक्षकों के पास हैं। जनरल कनिंग ने सुझाव को खारिज किया कि शिलालेख वास्तविक नहीं थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह बताता है कि मस्जिद को वर्ष 1526 में बाबर के आदेश पर हिंदू बेग ने बनवाया था। यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है कि मंदिर उस तारीख तक भी बना रहा, क्योंकि संभल लंबे समय से एक मुस्लिम गवर्नर का केंद्र था और यह और भी आश्चर्यजनक है कि सिकंदर लोदी जैसे प्रसिद्ध मूर्तिभंजक ने अपनी अस्थायी राजधानी में इतने पवित्र भवन को खड़ा रहने दिया। शायद अयोध्या में एक समानांतर उदाहरण मिल सकता है, जहां प्रसिद्ध जन्मस्थान मंदिर बाबर के समय तक बना रहा, हालांकि यह स्थान दो सौ से अधिक वर्षों तक अवध के

मुस्लिम प्रांत की राजधानी रहा था। लेकिन संभल की मस्जिद बाबर से भी पुरानी हो सकती है, जैसा कि इसके स्वरूप से पता चलता है। वास्तुकला पठान इमारतों, जैसे कि बुदायूं की महान मस्जिद से मिलती-जुलती है और पश्चिम में सड़क के स्तर तक नीचे जाने वाली विशाल ढलान वाली दीवारें तुरंत जौनपुर की इमारतों से तुलना को प्रेरित करती हैं। पूरी संरचना बहुत सादी, गंभीर और भारी है और यदि हिंदू सामग्री का उपयोग किया गया है, तो सजावट को बहुत प्रभावी ढंग से छिपाया गया है, क्योंकि हिंदू नक्काशी के केवल दो गुलाबी निशान पूर्वी प्रवेश द्वार से चतुर्भुज तक जाने वाली सीढ़ियों के पत्थर की स्लैब पर दिखाई देते हैं। चतुर्भुज के बीच में एक सादा टैंक और फव्वारा है, जो प्रवेश द्वार के बाहर एक बहुत बड़े कुएं से भरा जाता है। चाहे बाबर ने मस्जिद बनाई हो या केवल उसकी मरम्मत की हो, यह निश्चित रूप से उत्सुकता की बात है कि ऐन-ए-अकबरी में संभल में विष्णु के एक प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है। इस संदर्भ को इस तर्क के समर्थन में लाया गया है कि हरि मंदिर अभी भी मौजूद था, हालांकि यह आवश्यक रूप से नहीं है; और वास्तव में मस्जिद की वास्तुकला पूरी तरह से यह धारणा खारिज करती है कि इसे अकबर के समय के बाद बनाया गया था। दक्षिणी पंख में एक शिलालेख में कहा गया है कि रुस्तम खान दखनी ने वर्ष 1657 में मस्जिद की मरम्मत की, जबकि उत्तरी पंख में एक समान पट्टिका सैयद कुतब द्वारा वर्ष 1626 में बनाई गई थी। केंद्रीय कक्ष के बाहरी और आंतरिक मेहराबों के ऊपर दो शिलालेख वर्ष 1845 के आसपास शहर और जिले के मुसलमानों द्वारा किए गए पुनर्स्थापन को दर्ज करते हैं। चतुर्भुज के दक्षिण-पूर्व कोने में मस्जिद के वंशानुगत मुज्ताहिदों की कब्रें हैं, जो लगभग तीन सौ वर्षों तक एक ही परिवार में रहा है। उनके रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1689 में मुफ्ती और प्रमुख निवासियों द्वारा मुहम्मद अफजल को इमाम के पद पर पुष्टि की गई थी, जबकि उप-गवर्नर दया नाथ सिंह ने शहर के जागीरदारों द्वारा कुछ बकाया राशि के भुगतान को मंजूरी दी थी, जिसका उदाहरण कुछ वर्षों तक जुल्फिकार खान बहादुर ने भी अनुसरण किया। वर्ष 1707 में अमीर-उल-उमरा नसरत जंग बहादुर, फर्रुखसियार के शासनकाल में अबू जफर, वर्ष 1723 में महान कमर-उद-दीन खान इत्माद-उद-दौला और वर्ष 1777 में राय दौलत सिंह सहित

कई अन्य लोगों द्वारा इसी तरह के आदेश दिए गए थे। मस्जिद का इतिहास जो भी हो, पूर्व हिंदू अधिग्रहण के निशान कई हैं। कथित तौर पर शहर के संस्थापक राजा जगत सिंह ने तीर्थयात्रियों के लिए 68 तीर्थ स्थल या पवित्र मंदिर और 19 कुएं या स्नान स्थल स्थापित किए थे, जो अभी भी मान्यता प्राप्त हैं।

हिंदू परंपरा के अनुसार, पृथ्वी राज के दिनों में उनकी बेटी बेला ने अपने पति, महोबा के परमाल की मृत्यु के बाद सती हुयी थी, जिसके आत्मदाह का स्थान शहर के दक्षिण-पश्चिम कोने में भगंगा में बताया जाता है। भालोस्वर और बिकटेश्वर नामक दो टीले संभवतः पुरानी शहर की दीवार के हिस्से को दर्शाते हैं और दक्षिण-पूर्व में सुरथल का टीला उस नाम के राजा के किले को दर्शाता है। अन्य पुराने टीले, जिनमें से किसी की भी खोज नहीं की गई है, सडंगैह, अमरमापटे खेड़ा, चंद्रेश्वर खेड़ा और गुमथल खेड़ा हैं, जो संभल से दो मील दूर हैं। तीर्थ स्थलों को कार्तिक में फेरी मेले के अवसर पर प्रतिवर्ष देखा जाता है, जब तीर्थयात्री पवित्र परिसरों की परिक्रमा करते हैं, जो अनूपशहर रोड के पास बंसगोपाल, एक टैंक से शुरू होती है और पहले दिन चंदौसी रोड पर निम्सार पर समाप्त होती है, जब दूसरे दिन वे कोट वार्ड में मनोकामना की ओर बढ़ते हैं। तीर्थ स्थलों और स्नान स्थलों की सूची संभल महात्म्य में संरक्षित है। अन्य मेले हैं छरियां या धजा, जो होली के दौरान राय सत्ती ओकट्रॉय बैरियर पर आयोजित होता है, चैत में थेर में मंधिया मंदिर में रामनवमी, जेठ में मनोकामना टैंक में दशहरा, भादों में जन्माष्टमी और क्वार में दशहरा।

जामा मस्जिद, जो मुकदमा संख्या 182/2024 का विषय संपत्ति है, एक संरक्षित स्मारक है, जिसे दिनांक 22.12.1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 उप-धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया था। उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और यह एएसआई, आगरा सर्कल, मुरादाबाद मंडल की वेबसाइट पर केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की सूची में क्रमांक N-UP-A-250 पर अंकित है।

(i) जामा मस्जिद की सीमाएं निम्नलिखित हैं-

पूर्व- सड़क

पश्चिम- सड़क

उत्तर- कब्रिस्तान

दक्षिण- सड़क

(ii) दिनांक 25.06.2024 को श्रीमती नीति अनिल कुमार, सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद् के नेतृत्व में एसआई की एक टीम ने जामा मस्जिद का निरीक्षण किया। रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा निम्नलिखित है-

"केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक जामी मस्जिद संभल में स्थित है, जो मुरादाबाद से 33 किमी दूर है। यह दक्षिण-पश्चिम में है। मस्जिद एक पुराने किले की साइट पर स्थित है। यह एक बड़े टीले पर खड़ी है। योजना के अनुसार, मस्जिद में एक केंद्रीय गुंबद संरचना है, जिसके चारों ओर दो असमान गलियारे हैं। उत्तरी गलियारा 15.39 वर्ग मीटर और दक्षिणी गलियारा 11.61 वर्ग मीटर है। मस्जिद पर एक शिलालेख में दर्ज है कि इसका निर्माण मीर हिंदूबेग ने 933 हिजरी या 1526 ईस्वी में किया था। मस्जिद की मरम्मत सैयद कुतब ने 1030 हिजरी या 1620 ईस्वी में और रुस्तम खान ने 1067 हिजरी या 1656 ईस्वी में की थी, जैसा कि शिलालेख में उल्लेखित है। अंडाकार गुंबद मुख्य पत्थर से जमीन तक एक शेल के रूप में है। गुंबद ईंटों से बना है और एक अष्टकोणीय संरचना पर खड़ा है जो एक वर्ग के ऊपर है।"

एसआई की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मस्जिद समिति द्वारा सीढ़ियों के दोनों तरफ स्टील की रेलिंग स्थापित की गई है, जिसके खिलाफ कोतवाली संभल पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद जामा मस्जिद समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद, अतिरिक्त

आयुक्त प्रशासन ने 16 फरवरी 2018 को स्टील रेलिंग को हटाने का आदेश पारित किया लेकिन रेलिंग अभी भी मौजूद है।

यह निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 13.8.2024 को श्रीमती नीति अनिल कुमार, सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद् द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि समिति द्वारा विवादित जामा मस्जिद की मूल संरचना को छिपाने के इरादे से कुछ संशोधन किए गए हैं, जो अवैध है।

श्रीमती नीति अनिल कुमार को इस आयोग द्वारा परीक्षित किया गया है, जिन्होंने दिनांक 25.06.2024 की निरीक्षण रिपोर्ट को सिद्ध किया है।

उपरोक्त जामा मस्जिद और संभल का इतिहास, जो पुराने मुरादाबाद जिले के गजेटियर में उल्लिखित है, यह सुझाव देता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में संभल पर हिंदू राजाओं का शासन था। इसके बाद पंद्रहवीं शताब्दी से मुगल शासन शुरू हुआ। यह भी संकेत देता है कि विवादित जामा मस्जिद को वर्ष 1526 में बाबर के आदेश पर हिंदू बेग द्वारा बनाया गया था।

(iii) श्री सतीश मदन, उम्र 73 वर्ष, पुत्र श्री मोहन लाल मदन का एक हलफनामा भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि श्री सतीश मदन के साथ श्री राधा रमण उपाध्याय, श्री राजकुमार संखधर, श्री गोपी संखधर, श्री महावीर प्रसाद खत्री उर्फ पहलवान, श्री हाई गुरु, श्री शिव कुमार शुक्ला, श्री बाबू राम शुक्ला (फरसेवाले), श्री नन्नूमल हलवाई, श्री जय जय ढोलकवाले, श्री राम रंग भजनानंदी और श्री कुलजस राय सहित कई अन्य लोग वर्ष 1973-74 तक हर सोमवार को हरि हर मंदिर/जामा मस्जिद में भजन और कीर्तन में नियमित रूप से भाग लेते थे। यह भी कहा गया है कि वर्ष 1976 तक हिंदू भक्त नियमित रूप से हरि हर मंदिर/जामा मस्जिद में हवन कुंड के पास भजन-कीर्तन में भाग लेते थे।

इस बयान को अन्य गवाहों के साक्ष्य द्वारा भी पुष्टि की गई है। इसलिए यह प्रतीत होता है कि वर्ष 1976 तक हिंदू समुदाय के लोगों को विवादित स्थान तक पहुंच थी, जो वास्तव में एएसआई के नियंत्रण में है।

(iv) मस्जिद को किसने बनाया, यह कहाँ बनाई गई थी और क्या यह हरि हर मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी, यह मुकदमा संख्या 182/2024 का विषय है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की अदालत में लंबित है। इसलिए, आयोग इस विषय पर कोई निष्कर्ष नहीं दे सकता।

अध्याय-4

आयोग की कार्यवाही

1. आयोग ने अपने कार्य को कई बैठकों में व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। इसकी पहली बैठक अध्यक्ष के निवास पर आयोजित की गई, क्योंकि आयोग को आवंटित कार्यालय अभी तैयार नहीं था। 29 नवंबर 2024 को हुई पहली बैठक में, घटनाओं की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, तत्काल संभल का दौरा करने का निर्णय लिया गया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और जामा मस्जिद तथा 24 नवंबर 2024 को हुई घटनाओं के स्थानों का दौरा करने की व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया।
2. 30 नवंबर की सुबह, आयोग सड़क मार्ग से मुरादाबाद सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ। मुरादाबाद (MBD) जाते समय, बरेली जोन के एडीजी ने शाहजहांपुर में आयोग का स्वागत किया और हिंसा के स्थानों का दौरा करने के आधार पर संभल की घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आयोग ने मुरादाबाद में रात्रि विश्राम किया, जहां आयुक्त/डीआईजी, मुरादाबाद ने घटना की जानकारी दी। वे 1 दिसंबर की सुबह आयोग के साथ संभल गए। आयोग का स्वागत डीएम और एसपी संभल ने अन्य अधिकारियों के साथ कोतवाली संभल पुलिस स्टेशन पर किया, जहां से यह निर्णय लिया गया कि जामा मस्जिद तक पैदल जाया जाए ताकि जमीनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। रास्ते में अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई, उन स्थानों को देखा गया जहां पुलिस पर पथराव हुआ था और वाहनों को जलाया गया था, साथ ही जामा मस्जिद तक जाने वाली शहर की संकरी गलियों को भी देखा गया। रास्ते में कई स्थानीय लोगों ने भी आयोग से मुलाकात की और 24 नवंबर की घटनाओं के बारे में जानकारी दी।
3. आयोग ने जामा मस्जिद का दौरा किया, जहां सर्वे कमिश्नर ने दिनांक 19.11.2024 के अदालत के आदेश के अनुपालन में सर्वेक्षण किया था। जामा मस्जिद की प्रबंध समिति अपने सदर के साथ मौजूद थी और उसने आयोग को विवरण प्रदान किया।

अधिकारियों ने भी घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया। आयोग ने उन स्थानों का दौरा किया जहां घटनाएं हुई थीं और स्थानीय लोगों से बातचीत की। आयोग के सवालों का अधिकारियों ने जवाब दिया। घटनाएं कैसे हुईं, इसे नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, इसका स्पष्टीकरण दिया गया। राष्ट्रीय/स्थानीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, बड़ी संख्या में मौजूद था। शहर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। आयोग के दौरे के संबंध में विस्तृत नोट तैयार किया गया और इसे रिपोर्ट के एक अलग खंड में रखा गया है। इसके बाद आयोग 2 दिसंबर को लखनऊ लौट आया।

4. 6 दिसंबर को श्री बृजेश कुमार, सेवानिवृत्त जिला जज, आयोग में कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल हुए।
5. 9 दिसंबर 2024 को आयोग ने अपनी पहली बैठक विकास भवन, जनपथ मार्केट की दूसरी मंजिल पर आयोजित की, जो आयोग के कार्यालय परिसर के रूप में आवंटित की गई थी। अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और भविष्य की कार्यवाही के बारे में चर्चा की गई। कानूनी सलाहकार की सलाह पर, यह निर्णय लिया गया कि एसपी संभल के कार्यालय से घटनाओं से संबंधित 15 दस्तावेज मंगवाए जाएं। सचिव को पत्राचार करने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यालय में सभी कार्यदिवसों पर दैनिक बैठकें होंगी।
6. 10 दिसंबर को हुई बैठक में आयोग ने नियम 5(2)(b) के तहत नोटिस को हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में सूचना विभाग के माध्यम से प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। आयोग के सचिव को निदेशक सूचना को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। यह अनुरोध किया गया कि इसे संभल और मुरादाबाद क्षेत्रों में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए ताकि क्षेत्रों में उचित प्रचार हो और संचार अंतराल न रहे।
7. आयोग की अगली बैठक 16 दिसंबर को हुई और यह निर्णय लिया गया कि एसपी संभल के कार्यालय से कुछ और प्रासंगिक दस्तावेज मंगवाए जाएं, जिसके लिए एक

पत्र जारी किया गया। 9 दिसंबर के पत्र के जवाब में एसपी संभल द्वारा भेजे गए रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। एसपी को निर्देश दिया गया कि 19 नवंबर से उत्पन्न होने वाली घटनाओं से संबंधित प्रासंगिक मीडिया रिपोर्ट्स/बाइट्स/सीसीटीवी फुटेज/व्हाट्सएप चैट को जल्द से जल्द आयोग के कार्यालय में भेजा जाए।

8. 18 दिसंबर को यह निर्णय लिया गया कि 24 नवंबर को हुई घटनाओं में घायल हुए पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किए जाएं। सचिव को नियम 5(2)(a) के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि डीएम संभल के कार्यालय से उन अधिकारियों की सूची प्राप्त की जाए जो 24 नवंबर की घटनाओं के दौरान मौजूद थे।
9. आयोग की अगली बैठक 19 दिसंबर को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मियों/मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए जाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि उन डॉक्टरों की सूची प्राप्त की जाए जिन्होंने 24 नवंबर को मरने वाले 4 लोगों का पोस्टमॉर्टम किया था। सचिव को तदनुसार निर्देश दिया गया।
10. 20 दिसंबर को आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए जाएं जो तैनात थे, लेकिन जिन्हें अभी तक नोटिस जारी नहीं किए गए थे, ताकि वे डीएम के माध्यम से आयोग को हलफनामा प्रस्तुत करें।
11. 24 दिसंबर को डीएम द्वारा भेजी गई डॉक्टरों की सूची आयोग के समक्ष रखी गई, जो संतोषजनक नहीं पाई गई। सचिव को डीएम को निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर जानकारी प्रदान करने के लिए पत्र लिखने का निर्देश दिया गया:

(क) उन डॉक्टरों और उनके सहायकों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर जो घायलों का इलाज करने और उनके मेडिको-लीगल रिपोर्ट तैयार करने में शामिल थे।

(ख) निजी अस्पतालों के उन डॉक्टरों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर जिन्होंने घायलों का इलाज किया और उनकी चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की।

(ग) उन डॉक्टरों और उनके सहायकों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया।

12. 26 दिसंबर को आयोग की बैठक में डीएम संभल का 24 दिसंबर का पत्र, जो 26 दिसंबर को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ था, का अवलोकन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उन डॉक्टरों/उनके सहायकों/फार्मासिस्ट/एक्स-रे तकनीशियनों/वार्ड बॉय/क्लीनर को नियम 5(2)(a) के तहत नोटिस जारी किए जाएं जिन्हें अभी तक नोटिस जारी नहीं किए गए थे। सचिव को तदनुसार निर्देश दिया गया।
13. 30 दिसंबर को हुई आयोग की अगली बैठक में यह देखा गया कि नियम 5(2)(b) के तहत प्रकाशित नोटिस के जवाब में अभी तक कोई हलफनामा प्राप्त नहीं हुआ था।
14. 2 जनवरी को आयोग की बैठक हुई। श्री रमेश बाबू, डिप्टी कलेक्टर संभल, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और कुछ निवेदन किये।
15. 3 जनवरी 2025 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सोमवार को आयोग के कर्मचारियों की बैठक आयोजित की जाए ताकि उन्हें महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएं और फीडबैक लिया जाए। आयोग ने एसपी संभल के पत्र पर भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय देने की प्रार्थना की थी। विचार-विमर्श के बाद, 10 जनवरी तक का समय दिया गया।
16. 6 जनवरी 2025 को, आयोग से जुड़े सभी कर्मचारियों की बैठक हुई। उन्हें अध्यक्ष, सदस्यों/कानूनी सलाहकार द्वारा विस्तार से संबोधित किया गया। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि आयोग के कार्य की संवेदनशील प्रकृति के कारण गोपनीयता बनाए रखें। उन्हें व्यक्तिगत पेन ड्राइव के साथ कार्यालय न आने का भी निर्देश दिया गया। नियम तोड़ने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

गई। बैठक के बाद, निधि पटेल का हलफनामा आयोग के समक्ष रखा गया। जिसमें कहा गया था कि वह 24 नवंबर की घटनाओं के समय मौजूद नहीं थीं। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि उनके साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

17. 7 जनवरी को राम आशीष का हलफनामा रखा गया, जिसमें उन्होंने भी यही दलील दी। यह निर्णय लिया गया कि उन्हें साक्ष्य दर्ज करने से मुक्त किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि एसपी संभल के कार्यालय से निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाए:

(क) उन व्यक्तियों की सूची जो 19 नवंबर और 24 नवंबर को सर्वे के दौरान एडवोकेट कमिश्नर, श्री रमेश राघव के साथ मौजूद थे।

(ख) घटनाओं के दौरान संभल में लागू बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पारित आदेश की प्रति।

(ग) 24 नवंबर 2024 की घटनाओं से संबंधित दर्ज मामलों की स्थिति।

18. 13 जनवरी 2025 को, 23 पुलिस कर्मियों और 18 डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के हलफनामे आयोग के समक्ष रखे गए और उन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया।

19. 15 जनवरी को हुई आयोग की बैठक में, प्राप्त हलफनामों की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि 21 पुलिस कर्मियों के साक्ष्य दर्ज किए जाएं, जो 21 जनवरी 2025 को संभल के पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में दर्ज किये जायेंगे।

20. 16 और 17 जनवरी को आयोग ने नियमित कार्य किया और हलफनामों की जांच की गई और पुलिस कर्मियों के हलफनामों के आधार पर क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए प्रश्नावली तैयार की गई।

21. 20 जनवरी को, आयोग कानूनी सलाहकार के साथ शाम को मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचा और वहां रुका।

22. योजना के अनुसार, आयोग 21 जनवरी की सुबह कानूनी सलाहकार के साथ संभल पहुंचा। डीएम/एसपी संभल और अन्य अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस स्टेशन पर इसका स्वागत किया। आयोग पुलिस स्टेशन से पैदल जामा मस्जिद के लिए रवाना हुआ। यह श्री अमित मोहन प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएस सदस्य के लिए पहला दौरा था, क्योंकि वह 1 दिसंबर के पिछले दौरे के दौरान मौजूद नहीं थे। आयोग ने जामा मस्जिद और उन स्थानों का दौरा किया जहां घटनाएं हुई थीं/जहां से मृतकों के शव बरामद किए गए थे। आयोग ने कई लोगों से भी बातचीत की।
23. इसके बाद आयोग ने 18 पुलिस गवाहों- ICW 01 से ICW 18 के साक्ष्य दर्ज किए। आयोग से जुड़ा पीओ भी संभल में टीम के साथ मौजूद था ताकि शपथ लेने/साक्ष्य दर्ज करने आदि में मदद की जा सके। गवाहों का आयोग/कानूनी सलाहकार द्वारा विधिवत क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया। आयोग रात को सर्किट हाउस में रुकने के बाद अगले दिन लखनऊ पहुंचा।
24. 24 जनवरी को हुई आयोग की अगली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संभल जिले के उन प्रशासनिक अधिकारियों को नियम 5(2)(a) के तहत नोटिस जारी किए जाएं जो 19 से 24 नवंबर तक कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए तैनात थे।
25. आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि 24 नवंबर की घटनाओं से संबंधित मुरादाबाद जेल में बंद बड़ी संख्या में बंदियों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए जाएं। बंदियों की सूची और विवरण एसपी संभल से मंगवाया गया ताकि बयान विधिवत दर्ज किए जा सकें। आयोग के कार्यालय और जिला जेल में सभी व्यवस्थाएं की गईं।
26. यह भी निर्णय लिया गया कि 30 जनवरी को संभल के निरीक्षण भवन में अन्य सार्वजनिक गवाहों, वहां आ रहे थे, के साक्ष्य दर्ज किए जाएं। उसी दिन, आयोग ने कार्यालय में 24 नवंबर की घटनाओं से संबंधित कुछ वीडियो क्लिप भी देखे।

27. 27 जनवरी को हुई आयोग की बैठक में साक्ष्य दर्ज करने से संबंधित विवरणों पर चर्चा की गई। पीओ के नेतृत्व में टीम को फिर से संभल में पहले से पहुंचने के लिए कहा गया। आयोग ने घटनाओं की वीडियो क्लिप भी देखीं।
28. 29 जनवरी को, आयोग मुरादाबाद के रास्ते संभल के लिए रवाना हुआ। रात को मुरादाबाद सर्किट हाउस में विश्राम किया गया। आयोग 30 जनवरी की सुबह संभल के निरीक्षण भवन पहुंचा और गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया उन्हें शपथ दिलाकर की गई, जो शपथ के बाद की गई। ICW 19 से ICW 39 के साक्ष्य नियमों के अनुसार दर्ज किए गए। गवाहों द्वारा प्रस्तुत किये गये या उन्हें दिखाए गए दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया।
29. आयोग की अगली बैठक 3 फरवरी को हुई और यह निर्णय लिया गया कि 24 नवंबर की घटनाओं के 72 अभियुक्तों के बयान, जो मुरादाबाद जेल में बंद हैं, दर्ज किए जाएं। डीएम मुरादाबाद/एसपी संभल/जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया। कार्यालय में एक हॉल को सभी उपकरणों/कर्मचारियों/कंप्यूटर ऑपरेटर/टाइपिस्ट/पीओ के साथ तैयार किया गया और आयोग ने मुरादाबाद जेल में बंद 71 अभियुक्तों, ICW 40 से ICW 110, के बयान एक-एक करके दर्ज किए। उनके लिए प्रश्नावली तैयार की गई थी, जिसमें उनकी प्राथमिकी में भूमिका को ध्यान में रखा गया था। उन्हें एक-एक करके बुलाया गया और गोपनीयता बनाए रखी गई। बयान देने से पहले उन्हें शपथ लेने के लिए कहा गया। यह प्रक्रिया 4 से 7 फरवरी तक चली।
30. 10 फरवरी को, डॉ. शोभित, डॉ. विश्वास अग्रवाल और डॉ. देवेश प्रताप सिंह के हलफनामे, जो 7 फरवरी को कार्यालय में प्राप्त हुए थे, आयोग के समक्ष रखे गए। हलफनामों की जांच की गई और उन्हें साक्ष्य के लिए बुलाने का निर्णय लिया गया। आयोग ने 21 जनवरी को संभल में प्रस्तुत 62 व्यक्तियों के बयानों की भी जांच की। उनकी सूक्ष्म जांच के बाद, यह निर्णय लिया गया कि 28 गवाहों के साक्ष्य 28 फरवरी 2025 को संभल में दर्ज किए जाएं। आयोग के सचिव को उपरोक्त 31

गवाहों को समन जारी करने और एसपी संभल को इसकी प्रति भेजने का निर्देश दिया गया ताकि उन्हें तामील कराया जा सके।

31. 13 फरवरी को हुई बैठक में, विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि श्री अक्षय शर्मा, मोहम्मद करीम, श्रीमती तुरैया और श्री जमाल पुत्र जमालुद्दीन, जिन्होंने 1 दिसंबर को संभल में निरीक्षण के दौरान 24 नवंबर की घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी, को 1 मार्च को संभल निरीक्षण भवन में साक्ष्य दर्ज करने के लिए बुलाया जाए। तदनुसार, कार्यालय को समन जारी करने का निर्देश दिया गया।

32. 17 फरवरी को, आयोग ने अब तक दर्ज किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और यह निर्णय लिया कि डीएम/एसपी/एडीएम/अतिरिक्त एसपी/सीओ/एसडीएम और 19 और 24 नवंबर की घटनाओं को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, के बयान दर्ज किए जाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि एडवोकेट कमिश्नर और 19 नवंबर, 24 नवंबर को सर्वे के दौरान उनके साथ मौजूद सभी व्यक्तियों के साक्ष्य दर्ज किए जाएं। आयोग ने उन्हें 28 फरवरी और 1 मार्च को संभल के निर्धारित दौरे के दौरान बुलाने का निर्णय लिया। 20 फरवरी को यह निर्णय लिया गया कि एसपी संभल के कार्यालय से निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज प्राप्त किए जाएं:

(क) जामा मस्जिद, संभल की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों की सूची।

(ख) बीएनएसएस की धारा 223 के तहत दायर शिकायत की प्रति, यदि कोई हो।

(ग) 24 नवंबर को दंगे से संबंधित दर्ज मामलों में अदालत में दायर चार्जशीट की प्रतियां। इसके लिए एसपी संभल के कार्यालय को 24 फरवरी तक उपरोक्त जानकारी प्रदान करने के लिए एक पत्र भेजा गया।

33. 21 फरवरी को हुई अगली बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि उन अधिकारियों को रिमाइंडर जारी किए जाएं जिन्होंने अभी तक अपने हलफनामे प्रस्तुत नहीं किए थे। 24 फरवरी को, आयोग ने मुरादाबाद जेल में बंद ICW 111 से ICW 115 के साक्ष्य दर्ज किए, जो 24 नवंबर को दर्ज मामलों से संबंधित थे।

34. आयोग ने 28 फरवरी और 1 मार्च को संभल के पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में सुबह से शाम तक अपनी बैठकें आयोजित कीं। 28 फरवरी को ICW 116 से ICW 143 और अगले दिन ICW 144 से ICW 160 के साक्ष्य दर्ज किए गए। दौरे का विस्तृत विवरण 3 मार्च के मिनट्स में दिया गया है। 3 मार्च को यह भी निर्णय लिया गया कि दो वकील, अर्थात् कासिम जमाल और मशहूद अली फारुकी, जिन्होंने 1 मार्च को देर शाम अपने हलफनामे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए थे, को रिकॉर्ड पर लिया जाए और उनके साक्ष्य दर्ज करने के लिए 11 मार्च को लखनऊ कार्यालय में समन जारी किया जाए।
35. 4 मार्च को हुई अगली बैठक में, आयोग ने जामा मस्जिद की प्रबंध समिति के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट के हलफनामे पर विस्तार से चर्चा की। उन्हें 1 मार्च को हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए नियम 5(2)(a) के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने में विफल रहे। विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने उन्हें 11 मार्च को साक्ष्य दर्ज करने और हलफनामा भेजने के लिए बुलाने का निर्णय लिया।
36. आयोग ने 10 मार्च 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ICW 161 श्री दीपक कुमार चौधरी, डिप्टी कलेक्टर, मुख्यालय, ICW 162 श्री धीरेंद्र सिंह, तहसीलदार, चंदौसी, ICW 163 श्री सत्येंद्र कुमार, एनटी, संभल, ICW 164 श्री मणि भूषण तिवारी, ईओ नगर पालिका, संभल, ICW 165 श्री रवि सोनकर, तहसीलदार, संभल, ICW 166 श्री अरविंद सिंह, एनटी, संभल, ICW 167 श्री अनुज कुमार, एनटी, संभल के साक्ष्य दर्ज किए।
37. 12 मार्च को हुई आयोग की बैठक में कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि जफर अली एडवोकेट ने अभी तक अपना हलफनामा जमा नहीं किया था। कासिम जमाल और मशहूद अली फारुकी के आवेदनों को आयोग के समक्ष रखा गया और विचार-विमर्श के बाद, उन्हें अनुमति दी गई और दोनों को 24 मार्च को बुलाया गया। आयोग ने जफर अली, एडवोकेट द्वारा अनुपालन न करने पर गंभीर नोटिस

लिया, लेकिन न्याय के हित में, उन्हें 24 मार्च को उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया।

38. 17 मार्च की बैठक में, यह देखा गया कि संभल की घटनाओं को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों ने न तो उपस्थित हुए और न ही स्थगन आवेदन जमा किए। इस पर गंभीर नोटिस लिया गया और उन्हें 25 मार्च को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। आयोग ने वीडियो क्लिप की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि एसपी के माध्यम से मीडिया कर्मियों द्वारा भेजे गए क्लिप संपादित थे, इसलिए एसपी को निर्देश दिया गया कि मीडिया कर्मी 24 मार्च तक असंपादित वीडियो क्लिप भेजें।
39. 18 मार्च को, आयोग ने यह निर्णय लिया कि एसपी संभल को अभी तक परीक्षित नहीं गया था और उन्हें 27 मार्च को अपने साक्ष्य दर्ज करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए। यह भी चर्चा हुई कि क्या मेरठ के अधीक्षक एसआई या जामा मस्जिद से परिचित किसी अधिकारी को बुलाया जाए। यह निर्णय लिया गया कि श्री विनोद एस रावत, अधीक्षक, को स्वयं उपस्थित होने या जामा मस्जिद का सर्वे करने वाले अधिकारी को हलफनामा प्रस्तुत करने और साक्ष्य दर्ज करने के लिए भेजने का समन जारी किया जाए।
40. 21 मार्च को, जफर अली एडवोकेट का हलफनामा आयोग के कार्यालय में प्राप्त हुआ और इसे रिकॉर्ड पर रखने के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एसआई का एक पत्र भी रखा गया जिसमें आयोग को सूचित किया गया कि श्रीमती नीति अनिल कुमार ने जून 2024 में जामा मस्जिद का सर्वे किया था। उन्हें 25 मार्च को साक्ष्य के लिए बुलाने का निर्णय लिया गया।
41. 24 मार्च को, जफर अली के पुत्र हैदर अली द्वारा जफर अली की ओर से स्थगन के लिए एक आवेदन ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें 15 दिन का समय मांगा गया क्योंकि उन्हें क्राइम नंबर 335/24 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आवेदन को स्वीकार किया गया, लेकिन साक्ष्य के लिए तारीख तय

नहीं की गई। ICW 168 कासिम जमाल और ICW 169 मशहूद अली के साक्ष्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए।

42. 25 मार्च को, नीति अनिल कुमार आयोग के समक्ष उपस्थित हुईं। उनके साक्ष्य दर्ज किए गए। समन किए गए मीडिया कर्मी उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने उन्हें 3 अप्रैल को उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्हें 2 अप्रैल तक असंपादित वीडियो क्लिप जमा करने का भी निर्देश दिया गया। आयोग ने श्री जिया-उर-रहमान सांसद और सुहेल इकबाल पुत्र इकबाल महमूद विधायक को 5 अप्रैल को उनके साक्ष्य दर्ज करने के लिए बुलाने का निर्णय लिया।
43. 27 मार्च को आयोग की बैठक हुई, जिसमें एसपी संभल की प्रार्थना को स्वीकार किया गया और उन्हें साक्ष्य दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया।
44. 1 अप्रैल को, 24 नवंबर की घटनाओं के संबंध में दर्ज मामलों की स्थिति पर विचार किया गया और एसपी संभल को 11 अप्रैल को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि एसपी संभल को और कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।
45. 3 अप्रैल को, श्री भीष्म सिंह देवल, श्री ओमवीर सिंह, श्री अभिनव माथुर, श्री अरुण कुमार और श्री सनी गुप्ता, संभल द्वारा भेजा गया ई-मेल आयोग के समक्ष रखा गया, जिसमें उन्होंने अपने साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की प्रार्थना की थी। मीडिया कर्मियों के बारे में चर्चा के दौरान यह पता चला कि सुश्री कोमल, सुश्री अनामिका गौड़, स्वयं राजा, प्रमोद कुमार शर्मा, संतोष शर्मा, हिमांशु मिश्रा को अभी तक समन जारी नहीं किए गए थे, हालांकि उन्होंने 24 नवंबर की घटनाओं को कवर किया था। यह निर्णय लिया गया कि उन्हें 15 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने के लिए बुलाया जाए। उन्हें एनआईसी कॉन्फ्रेंस रूम, संभल में कैमरा कर्मियों, यदि कोई हों, के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। उन्हें 12 अप्रैल तक कवरेज की असंपादित फुटेज जमा करने का भी निर्देश दिया गया।

46. 5 अप्रैल को, श्री जिया-उर-रहमान सांसद और सुहेल इकबाल उपस्थित नहीं हुए। सुहेल इकबाल का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि वह अपने रिश्तेदार के एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए उनके साक्ष्य के लिए अगली तारीख तय की जाए। आयोग ने विचार-विमर्श के बाद श्री जिया-उर-रहमान सांसद और सुहेल इकबाल के बयान 16 अप्रैल को आयोग के लखनऊ कार्यालय में दर्ज करने का निर्णय लिया। उन्हें 11 अप्रैल तक अपने हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
47. 11 अप्रैल को, आयोग बैठक हॉल में एकत्र हुआ, एसपी संभल श्री कृष्ण कुमार बिश्रोई उपस्थित हुए और एक अतिरिक्त हलफनामा जमा किया। हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया गया और साक्ष्य दर्ज किया गया। आयोग ने लखनऊ में एसपी संभल श्री कृष्ण कुमार बिश्रोई के साक्ष्य दर्ज किए।
48. आयोग ने 15 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री सनी गुप्ता ICW 172, श्री अरुण कुमार ICW 173, श्री भीष्म सिंह ICW 174, श्री ओमवीर सिंह ICW 175, श्री अभिनव माथुर ICW 176, श्री धर्मेन्द्र सिंह ICW 177, मोहम्मद मुजम्मिल ICW 178 और श्री प्रदीप ICW 179 के साक्ष्य दर्ज किए।
49. 16 अप्रैल को, लखनऊ कार्यालय में श्री जिया-उर-रहमान सांसद ICW 180 और श्री सुहेल इकबाल ICW 181 के साक्ष्य दर्ज किए गए। यह भी निर्णय लिया गया कि मुरादाबाद जेल में बंद श्री जफर अली एडवोकेट के साक्ष्य केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए जाएं। इसके लिए 17 अप्रैल को सभी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया गया।
50. 17 अप्रैल को ICW 182 कमरान, ICW 183 मोहम्मद कमाल और ICW 184 श्री जफर अली के साक्ष्य दर्ज किए गए। ये सभी संभल के मामलों में मुरादाबाद जेल में बंद थे।
51. 21 अप्रैल को हुई आयोग की अगली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उन शिकायतकर्ताओं के साक्ष्य दर्ज किए जाएं जिन्होंने 24 नवंबर को अपने रिश्तेदारों

की हत्या के मामलों को दर्ज किया था, जो 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे। कार्यालय को संभल के एनआईसी कार्यालय में इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया। तदनुसार समन जारी किए गए।

52. 22 अप्रैल को, आयोग ने टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता श्री गौरव श्रीवास्तव के साक्ष्य दर्ज किए, जिन्होंने संभल की घटनाओं का व्यापक कवरेज किया था। यह भी निर्णय लिया गया कि उन पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य दर्ज किए जाएं जिनके साक्ष्य अभी तक दर्ज नहीं किए गए थे। उन्हें 25 अप्रैल को एनआईसी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
53. 24 अप्रैल को, श्री सलमान ICW 187, मोहम्मद हुसैन ICW 188, श्री तसलीम ICW 189, श्री कमाल ICW 190, श्री वसीम ICW 191 के साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए। ये सभी हत्या के मामलों के शिकायतकर्ता थे। साक्ष्य दर्ज करने से पहले यह सुनिश्चित किया गया कि साक्ष्य दर्ज करने के समय कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति वहां मौजूद न रहे। उन्हें उचित शपथ आदि दिलाई गई।
54. 25 अप्रैल को हुई आयोग की अगली बैठक में, श्री अनुज कुमार तोमर, एसएचओ कोतवाली संभल ICW 192, श्री कपिल कुमार, कांस्टेबल, पीएस संभल ICW 193, श्री विनोद कुमार, एसआई, पीएस राजपुरा ICW 194, श्री दीपक राठी, एसआई, पीएस कुड फतेहगढ़, संभल ICW 195, श्री संदीप कुमार, एसआई, पीएस साइबर क्राइम संभल ICW 196, श्री राजपाल सिंह, कांस्टेबल, पीएस कोतवाली संभल ICW 197 और पंकज कुमार, कांस्टेबल, पीएस संभल ICW 198 के साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए।
55. 18 जून 2025 को आयोग ने यह निर्णय लिया कि श्री विष्णु शर्मा, वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर, जो 19 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को सर्वे

कार्यवाही के दौरान मौजूद थे, और श्री रमेश राघव, सर्वे कमिश्नर, के साथ जामा मस्जिद के अंदर थे, को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाए।

56. 20 जून 2025 को, आयोग ने श्री विष्णु शर्मा के विस्तृत बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए। वह संभल के एनआईसी में मौजूद थे।
57. साक्ष्य दर्ज करने का कार्य समाप्त होने के बाद, आयोग सभी कार्यदिवसों पर बैठक करता रहा है ताकि एकत्र किए गए और उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच की जा सके।

अध्याय-5

मुकदमेबाजी

वर्ष 2024 में हरि हर मंदिर/जामा मस्जिद में प्रवेश के अधिकार के संबंध में घोषणा की मांग करने वाला वाद,

1. दिनांक 19.11.2024 को, चंदौसी, जिला संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में मूल वाद संख्या 182/2024 दायर किया गया। यह वाद वादीगण (i) श्री हरि शंकर जैन, (ii) पार्थ यादव, (iii) महंत ऋषि राज गिरी, (iv) राकेश कुमार, (v) जीतपाल यादव, (vi) मदन पाल, (vii) वेद पाल सिंह, (viii) दीनानाथ द्वारा प्रतिवादियों (i) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के सचिव के माध्यम से, (ii) भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के सचिव के माध्यम से, (iii) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धरोहर भवन, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली, (iv) अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मेरठ सर्कल, प्लॉट नंबर 121, शास्त्री नगर, मेरठ, (v) जिला मजिस्ट्रेट, संभल, (vi) जामा मस्जिद संभल की प्रबंध समिति, इसके प्रबंधक के माध्यम से, के खिलाफ दायर किया गया। वाद में मांगी गई राहत निम्नलिखित है:

(क) वाद को इस घोषणा के लिए डिक्री किया जाए कि वादीगण को मोहल्ला कोट पूर्वी, वार्ड नंबर 11, पी.एस. कोतवाली शहर संभल में स्थित हरि हर मंदिर/कथित जामा मस्जिद में प्रवेश का अधिकार है, जैसा कि वाद के पैरा 1 और 2 में पूर्ण रूप से वर्णित है और दिनांक 18.11.1920 की अधिसूचना के तहत प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 3 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है और यह राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों की सूची में आगरा सर्कल, मुरादाबाद मंडल में क्रमांक N-UP-A-250 पर अंकित है।

(ख) वाद को इस घोषणा के लिए डिक्री किया जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हरि हर मंदिर/कथित जामा मस्जिद, जो मोहल्ला कोट पूर्वी, वार्ड नंबर 11, पी.एस. कोतवाली शहर संभल में स्थित है, जैसा कि वाद के पैरा 1 और 2 में पूर्ण रूप से वर्णित है और दिनांक 18.11.1920 की अधिसूचना के तहत प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 3 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, का प्रबंधन और पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

(ग) वाद को आदेशात्मक निषेधाज्ञा के लिए डिक्री किया जाए, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 से 5 को यह आदेश दिया जाए कि वे "प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 18 के साथ प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष नियम, 1959" के अनुसार मोहल्ला कोट पूर्वी, वार्ड नंबर 11, पी.एस. कोतवाली शहर संभल में स्थित हरि हर मंदिर/जामा मस्जिद में आम जनता के सदस्यों को प्रवेश देने के लिए उचित प्रावधान करें।

(घ) स्थायी निषेधाज्ञा के रूप में डिक्री पारित की जाए, जिसमें प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वादीगण और आम जनता को मोहल्ला कोट पूर्वी, वार्ड नंबर 11, पी.एस. कोतवाली शहर संभल में स्थित हरि हर मंदिर/जामा मस्जिद में प्रवेश करने में कोई बाधा या रुकावट पैदा करने से रोका जाए, जैसा कि वाद के पैरा 1 और 2 में पूर्ण रूप से वर्णित है, और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 18 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों और विनियमों के अनुसार।

(ड.) इस माननीय न्यायालय द्वारा न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य डिक्री अनुतोष हेतु पारित किया जाए।

(च) वाद को लागत के साथ डिक्री किया जाए।

2. उसी दिन दो आवेदन-पत्र, अर्थात् 6C (अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए) और 8C (एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए), दोपहर बाद के सत्र में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु लिए गए। आवेदन 6C पर, माननीय न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और आगे के विचार के लिए 29-11-2024 की तारीख तय की।
3. आवेदन 8C पर आदेश का अवलोकन करने से पता चलता है कि माननीय न्यायालय ने वादीगण द्वारा आवेदन 8C में दिए गए तर्कों पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी हिंदू मंदिर के अवशेषों, चिह्नों और प्रतीकों को जल्दबाजी में हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्थलीय जांच आवश्यक थी। इसके बाद, अपने निष्कर्ष दर्ज करने के बाद, न्यायालय ने इसे स्वीकार किया और एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया, साथ ही निर्देश दिया कि वह कमीशन का कार्यान्वयन करे तथा उस स्थान का फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करे और निर्धारित तिथि, अर्थात् 29.11.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
4. आवेदन 8C पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नलिखित है:

'वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 8ग अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्तकर मौके की आख्या मय फोटो एवं वीडियोग्राफी तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को सर्वे के समय पर्याप्त पुलिसबल उपलब्ध कराने हेतु दिया गया है। मौके की आख्या आने से न्यायालय को बाद के न्याय-निर्णयन में सुविधा होना सम्भाव्य है। अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र 8ग इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि सर्वे के समय नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की मौके पर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराये। अधिवक्ता आयुक्त नियमानुसार सूची से जारी हो। अधिवक्ता आयुक्त को रिट जारी हो। वादीगण आवश्यक पैरवी करें। अधिवक्ता आयुक्त को आदेशित किया जाता

है कि यह प्रार्थना-पत्र 8ग के प्रकाश में मौके की आख्या तैयार कर नियत दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।'

5. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, श्री रमेश चंद्र राघव, अधिवक्ता को सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया गया। श्री राघव ने अदालत से परवाना प्राप्त करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट, संभल से संपर्क किया और उन्हें कमीशन के कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया। जिला मजिस्ट्रेट ने एसपी संभल को पुलिस बल प्रदान करने के लिए कहा। इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट संभल, एसपी संभल और कुछ पुलिस कर्मियों के साथ कमीशन के कार्यान्वयन के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाम को जामा मस्जिद पहुंचे।
6. श्री रमेश चंद्र राघव, अधिवक्ता ने वादीगण के वकील श्री विष्णु शंकर जैन, अधिवक्ता, श्री गोपाल शर्मा, अधिवक्ता, श्री प्रिंस शर्मा, अधिवक्ता और श्री जफर अली, अधिवक्ता (जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष) की उपस्थिति में कमीशन का कार्यान्वयन शुरू किया, लेकिन अंधेरे और स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि और उनके समर्थकों के हस्तक्षेप के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो सका।
7. दिनांक 24.11.2024 को जब शेष सर्वे श्री रमेश चंद्र राघव द्वारा वादीगण के वकील श्री विष्णु शंकर जैन, आधिकारिक और निजी प्रतिवादियों के वकीलों, जिसमें एडवोकेट श्री जफर अली, सदर और मस्जिद की प्रबंध समिति के अन्य सदस्य, डीएम, एसपी संभल और कई पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में किया जा रहा था। तब मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के आसपास सर्वे का विरोध करने के लिए एकत्र हो गए। उन्होंने "अल्लाह हू अकबर", "गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा" जैसे धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए।
8. भीड़ में से कुछ लोग सर्वे की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए जामा मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्थिति को

समझाया कि सर्वे अदालत के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया और गोलीबारी की। उन्होंने पुलिस और प्राइवेट व्यक्तियों के कुछ वाहनों को भी जलाया। पुलिस बल ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, चिली ग्रेनेड, रबर बुलेट, पंप एक्शन गन आदि का उपयोग किया। हालांकि, कुछ समय बाद पुलिस बल दंगे को रोकने में सफल रहा।

9. इस घटना में कई पुलिस कर्मियों, जिसमें एसपी, संभल भी शामिल हैं, को गंभीर चोटें आईं, चार लोगों की मृत्यु हुई और विभिन्न संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को हिलाकर रख दिया। इसे कई मीडिया कर्मियों द्वारा वीडियोग्राफ किया गया, जो घटनास्थल पर पहले से ही मौजूद थे। इस समाचार को कई स्थानीय और राष्ट्रीय चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया।
10. दिनांक 24.11.2024 की घटना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने दिनांक 28.11.2024 को इस घटना की जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया।
11. आयोग ने दिनांक 28.11.2024 की अधिसूचना के पैरा 3 में उल्लिखित संदर्भ की शर्तों को ध्यान में रखते हुए गहन जांच की।
12. आयोग ने जांच करते समय उत्तर प्रदेश जांच आयोग नियम, 1985 में उल्लिखित उचित प्रक्रिया का पालन किया और इस दौरान बीएनएसएस, बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों को भी ध्यान में रखा।

अध्याय-6

साक्षियों का साक्ष्य

कमीशन ने जांच के दौरान कुल 199 साक्षियों से पूछताछ की। इनमें 29 पुलिस साक्षी, 12 प्रशासनिक साक्षी, 19 चिकित्सा दल के साक्षी, 34 निजी साक्षी, घटना से संबंधित 78 हिरासत में लिए गए साक्षी, शिकायतकर्ता पक्ष से 3 साक्षी, सरकारी प्रतिवादी पक्ष से 2 साक्षी, जामा मस्जिद प्रबंधन समिति से 5 साक्षी, घटना को कवर करने वाले 10 मीडियाकर्मी और कोर्ट कमिश्नर के साथ गए वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, 5 साक्षी जो हिंसा से संबंधित दर्ज मामलों से जुड़े थे, स्थानीय सांसद का बयान और स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि का बयान दर्ज किया गया। इनमें से 106 साक्षियों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए, 84 साक्षियों के बयान संभल में डाक बंगले पर और 8 साक्षियों के बयान लखनऊ में जांच आयोग के कार्यालय में दर्ज किए गए। कमीशन ने संभल के विभिन्न जिला प्रशासन और उन व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए हलफनामों की गहन जांच की, जिन्हें आयोग की जांच (उत्तर प्रदेश) नियम, 1985 के नियम 5(2)(a) और 5(2)(b) के तहत नोटिस जारी किया गया था, साथ ही आयोग के समक्ष मौखिक गवाही की भी जांच की। कमीशन ने उचित समझा कि दिनांक 19.11.2024 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन और संबंधित व्यक्तियों द्वारा उठाए गए कदमों के बयानों का सार, प्रेस/मीडिया कर्मियों के बयान जो दिनांक 19.11.2024 को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को कवर करने वाले थे, दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर शुक्रवार की नमाज के बाद स्थानीय सांसद के संबोधन और दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद के शेष सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा और दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक की घटनाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े या जानकार अन्य व्यक्तियों के बयानों को रिकॉर्ड में रखा जाए।

1. संभल जिला प्रशासनिक प्राधिकारियों की गवाही:

A. ICW-144 डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जिला मजिस्ट्रेट, संभल ने कमीशन के समक्ष शपथ-पत्र के माध्यम से बताया कि दिनांक 01.10.2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के विचारोपरान्त, आगामी त्योहारों और प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं/प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति में व्यवधान की आशंका के कारण, धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई, जो दिनांक 30.11.2024 तक प्रभावी थी। दिनांक 19.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने एक नोटिस के माध्यम से सूचित किया कि मूल वाद संख्या 182/24, हरिशंकर जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, जो संभल के सिविल जज, सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया गया था, जिसमें जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश पारित किया गया था, जो एक मुस्लिम-बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है। इसलिए शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ सर्वेक्षण करना उचित होगा। दिनांक 19.11.2024 को 03:45 बजे दूसरी नोटिस में अधिवक्ता आयुक्त ने कहा कि उन्हें जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि सर्वेक्षण उस दिन नहीं किया गया, तो प्रतिवादी पक्ष जामा मस्जिद की भौतिक संरचना को बदल सकता है और महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट कर सकता है। इसलिए दिनांक 19.11.2024 को प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति और सहमति के साथ सर्वेक्षण करने से सामंजस्यपूर्ण वातावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के लिए आवश्यक पुलिस बल और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया। न्यायालय के आदेश और अधिवक्ता आयुक्त के अनुरोध के अनुपालन में, विवादित स्थल पर आवश्यक प्रशासनिक सहायता और पर्याप्त पुलिस बल प्रदान किया गया। आदेश की प्रतियां सूचना के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, आयुक्त, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद और उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद रेंज, मुरादाबाद को भेजी गईं। संभल के पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल सुनिश्चित

करने और विवादित स्थल पर उनकी उपस्थिति के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया। उप-जिलाधिकारी, संभल, सर्किल ऑफिसर, संभल और कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संभल की एक समिति गठित की गई थी ताकि कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त की सहायता की जा सके। न्यायालय के आदेश और अधिवक्ता आयुक्त के अनुरोध के अनुपालन में समिति, श्री प्रिंस शर्मा (डीजीसी सिविल), लद्दन खान (नायब सदर, जामा मस्जिद), अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव, अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा (वादी पक्ष के वकील), वादी महंत श्री ऋषिराज गिरी कैलादेवी, अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन (वादी पक्ष के वकील), विष्णु शर्मा (भारत सरकार के स्थायी वकील), अधिवक्ता जफर अली (सदर, जामा मस्जिद) और अधिवक्ता मशहूद अली फारूकी कोर्ट के आदेश के अनुसार फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए विवादित स्थल पर उपस्थित थे। उनके साथ शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली के एसएचओ अनुज कुमार तोमर पुलिस बल के साथ मौजूद थे। अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवादित संरचना के बाहर एक बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी, जो धार्मिक नारे लगाकर विरोध कर रही थी। हालांकि, प्रवेश द्वार पर पुलिस कर्मी तैनात थे, फिर भी स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे के नेतृत्व में लगभग 200 लोगों ने पुलिस को धक्का देकर जबरन परिसर में प्रवेश किया। इससे सर्वेक्षण प्रक्रिया बाधित हुई और मस्जिद समिति के सदर और नायब सदर ने अधिवक्ता आयुक्त और वादी पक्ष के वकील को सर्वेक्षण जल्दी समाप्त करने के लिए कहा, अन्यथा भीड़ अनियंत्रित हो सकती है। इस स्थिति में अधिवक्ता आयुक्त ने तुरंत सर्वेक्षण रोक दिया, यह कहते हुए कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दिन के उजाले में की जाएगी। दिनांक 19.11.2024 को पहले दिन का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, अधिवक्ता आयुक्त ने डीएम और एसपी संभल को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सूचित किया गया कि सर्वेक्षण दिनांक 20.11.2024 को जारी रहेगा। पत्र में कहा गया कि “सूचित किया जाता है कि दिनांक 19.11.2024 को शाम 06:00 बजे, वादी और प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सर्वेक्षण शुरू हुआ। सर्वेक्षण के दौरान सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल मस्जिद के अंदर लगभग 200 अन्य

व्यक्तियों के साथ मौजूद थे। चूंकि यह शाम का समय था और इतने सारे लोगों की उपस्थिति के कारण सर्वेक्षण सुचारु रूप से नहीं हो सका, सार्वजनिक प्रतिनिधियों और अन्य उपस्थित लोगों ने बार-बार सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाली और धमकियां दीं। इसलिए सर्वेक्षण भविष्य में फिर से आयोजित किया जाएगा और सभी पक्षों को कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अलग से नोटिस प्रदान किए जाएंगे।” दिनांक 20.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने शेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक पुलिस बल और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा। जवाब में एसपी संभल ने दिनांक 20.11.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उप-चुनाव के कारण पुलिस बल प्रदान करना संभव नहीं था। इसलिए सर्वेक्षण को बाद की तारीख के लिए निर्धारित करना उचित होगा। यह अधिवक्ता आयुक्त को सूचित किया गया। डीएम और एसपी संभल ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। विवादित धार्मिक स्थल के पास की कैमरों को ठीक करवाया गया और शहर काजी अलाउद्दीन, जामा मस्जिद के सदर जफर अली, और जामा मस्जिद के खादिम मशहूद अली फारूकी के वीडियो संदेशों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को संदेश दिया गया कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू है, जो पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाती है। उन्हें अपनी-अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करने, अफवाहों से बचने, भ्रामक संदेशों को अग्रेषित न करने और अपने शहर की समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया गया। धारा 163 बीएनएसएस के निषेधाज्ञा आदेश जिले में प्रकाशित किए गए और दैनिक समाचार पत्रों में भी छपे। दिनांक 22.11.2024 को संभल लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने बिना प्रशासनिक अनुमति के धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करते हुए विवादित धार्मिक स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, भीड़ एकत्र की, कोर्ट के आदेश से असहमति व्यक्त की और एक विशेष समुदाय को एकजुट होने और विवादित स्थल की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने का आह्वान किया, जो राजनीतिक लाभ के लिए था। यह संवेदनशील वातावरण में भड़काऊ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन्होंने जिला पुलिस और प्रशासन की भूमिका और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किए जा रहे

सर्वेक्षण का कड़ा विरोध किया। इस कार्य के लिए दिनांक 23.11.2024 को उनके खिलाफ धारा 168 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी किया गया और तामील किया गया। दिनांक 23.11.2024 को कुंदरकी उप-चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, जहां पहले जिया-उर-रहमान बर्क विधायक थे। समाजवादी पार्टी इस सीट पर हार गई। चूंकि चुनाव परिणाम अपेक्षित नहीं थे, उन्होंने पुलिस और प्रशासन को हार के लिए दोषी ठहराया, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से “उत्तर प्रदेश में संविधान की हत्या” जैसे शब्दों का उपयोग किया तथा जनता को पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भड़काया गया और हिंसा के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया। दिनांक 23.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि शेष सर्वेक्षण दिनांक 24.11.2024 को सुबह 07:00 बजे से लगभग 11:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा और सभी पक्षों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया। यह नोटिस दिनांक 23.11.2024 को जामा मस्जिद के सदर जफर अली को प्रदान किया गया। डीएम संभल के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया गया कि दिनांक 24.11.2024 को सुबह 07:00 बजे से सर्वेक्षण बिना किसी बाधा के आयोजित किया जाए और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस थानों/चौकियों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। उन्हें पुलिस अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखने, सतर्क रहने और किसी विशेष स्थिति में अपने विवेक से तुरंत हल करने का निर्देश दिया गया। तैनात मजिस्ट्रेटों को सुबह 06:00 बजे तक स्थल पर उपस्थित होने की आवश्यक दिशा-निर्देश थे। जिस संपत्ति के लिए कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, उसे हिंदुओं द्वारा पूर्व हरि हर मंदिर के रूप में दावा किया जाता है, जिसे मुगल शासक बाबर ने ध्वस्त करके मस्जिद बनाई थी। मुस्लिम पक्ष इसे जामा मस्जिद के रूप में दावा करता है। यह विवादित संरचना कोटगर्वी और कोटपुर्वी मोहल्लों के बीच स्थित है। विवादित स्थल के दक्षिण में एक सड़क है, जो पश्चिम से स्थल के पीछे दक्षिण की ओर और फिर पूर्व की ओर प्रवेश द्वार तक फैली हुई है, जो विवादित स्थल के तीन तरफ यू-आकार बनाती है। विवादित धार्मिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत एक संरक्षित स्मारक है और राजस्व रिकॉर्ड में शाही मिल्कियत जामा मस्जिद के रूप में पंजीकृत

है। दिनांक 23.11.2024 को सभी तैनात मजिस्ट्रेटों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि धारा 163 बीएनएसएस लागू थी और सर्वेक्षण कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोजित किया जा रहा था। यदि विवादित संरचना के पास भीड़ एकत्र होती है, तो उन्हें शांतिपूर्वक वापस होने के लिए मनाया जाए। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रशासन और पुलिस को समन्वय में काम करना है और विवादित संरचना की सीढ़ियों, उत्तरी दिशा में बाजार की ओर और हिंदू आबादी की ओर सतर्कता बनाए रखनी है। उन्हें किसी भी स्थिति में घातक बल का उपयोग करने से बचने और यदि भीड़ हिंसक हो जाए, तो प्रभारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना बल का उपयोग न करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 23.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को पुलिस अधीक्षक और स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू)/साइबर सेल/एसओजी/निगरानी सेल के सहयोग से मोबाइल निगरानी के माध्यम से सूचना संग्रह की व्यवस्था की गई। दिनांक 24.11.2024 को शेष सर्वेक्षण आयोजित किया जाना था। डीएम सुबह 06:00 बजे से एसपी संभल के साथ व्यक्तिगत रूप से शहर में गश्त कर रहे थे, ताकि सतर्कता सुनिश्चित की जाए। जैसे ही सर्वेक्षण टीम विवादित धार्मिक स्थल में प्रवेश किया, मस्जिद के पश्चिमी हिस्से के पीछे की गलियों से धीरे-धीरे एक पूर्व-नियोजित भीड़ एकत्र होने लगी। यह जानकारी सर्किल ऑफिसर, संभल द्वारा सुबह लगभग 08:30 बजे वायरलेस सेट के माध्यम से प्रसारित की गई, जिसमें कहा गया कि विवादित स्थल के पीछे भीड़ बढ़ रही थी और सभी बलों को सतर्क रहने और भीड़ को वापस जाने के लिए मनाने का निर्देश दिया गया। स्थिति का आकलन करने के बाद, एसपी संभल ने अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के साथ परामर्श किया और विधि-विरुद्ध रूप से एकत्रित भीड़, जो हिंसा में संलग्न थी, पुलिस कर्मियों पर हमला कर रही थी और सरकारी संपत्ति की लूटपाट कर रही थी, को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग के आदेश देना आवश्यक समझा। उप-जिलाधिकारी, संभल ने स्थिति का आकलन करने के बाद आवश्यक बल प्रयोग की अनुमति दी। सर्वेक्षण के पूरा होने की घोषणा लाउडस्पीकर के माध्यम से करने के बाद भी, सर्वेक्षण टीम के निकलने की सूचना पर भीड़ अचानक बढ़ गई क्योंकि गलियों से निकलकर लोग पहले से एकत्रित भीड़ में शामिल हो गए, जिससे संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। उत्तेजित भीड़ उत्तेजक

नारे लगा रही थी। यह जानकारी सर्किल ऑफिसर, असमौली द्वारा वायरलेस के माध्यम से दी गई कि भीड़ सर्वेक्षण टीम के सदस्यों पर हिंसक हमला करने के इरादे से थी और धीरे-धीरे मजिस्ट्रेट और पुलिस की स्थिति की ओर बढ़ रही थी तथा घेरने की कोशिश कर रही थी। इससे सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाना मुश्किल और जटिल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने स्थिति की संवेदनशीलता का आकलन किया और उप-जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद, वायरलेस के माध्यम से चिली ग्रेनेड, रबर बुलेट और वार्निंग शॉट्स का क्रमिक उपयोग करने का निर्देश दिया। पुलिस स्टेशन पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले और उसके बाद हुए दंगों के संबंध में सात मामले दर्ज किए गए। मृत व्यक्तियों के परिवारों द्वारा चार मामले दर्ज किए गए, जिसमें दंगाइयों और हिंसा में शामिल लोगों द्वारा गोलीबारी/पत्थरबाजी के कारण मौतों का आरोप लगाया गया। दंगों के दौरान 25 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए और निजी और सरकारी संपत्ति, जिसमें सरकारी और निजी वाहन, जामा मस्जिद के पीछे की दीवार, बिजली के तार, सीसीटीवी कैमरे और घरों और दुकानों के कांच क्षतिग्रस्त हुए या दंगाइयों द्वारा आग लगा दी गई। तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा सरकारी हथियारों, जिसमें कांस्टेबल अमृत सिंह, नवीन कुमार, सचिन कुमार और राजपाल द्वारा 12-बोर पंप-एक्शन गन और एसएचओ कोतवाली अनुज कुमार तोमर द्वारा 9 एमएम पिस्तौल से दो राउंड चेतावनी शॉट्स हवा में चलाए गए। घटना के दौरान किसी अन्य पुलिस कर्मी ने घातक हथियारों का उपयोग नहीं किया। लगभग दोपहर 02:00 बजे तक स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई थी। जिले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 कंपनियां पीएससी और एक कंपनी आरएफ को तुरंत तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त बरेली और मुरादाबाद रेंज से 395 कांस्टेबल, 135 उप-निरीक्षक, 38 निरीक्षक, 30 एसएचओ, 07 सीओ और 04 एसपी को शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया। रात में गश्त और अन्य उपाय लागू किए गए और व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान खोले। यह भी सूचित किया गया कि दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 21.11.2024 को एलआईयू द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर शुक्रवार की नमाज के लिए पर्याप्त पुलिस बल

तैनात किया गया था और दिनांक 22.11.2024 को यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई। दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद में नमाज के दौरान लगभग 4000 लोग मौजूद थे, जिससे परिसर पूरी तरह भर गया था। इसी तरह दिनांक 24.11.2024 को पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे।

डीएम ने कमीशन के समक्ष कहा कि दिनांक 19.11.2024 को कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त ने दो लिखित नोटिस प्रदान किए। पहला नोटिस में कहा गया कि कोर्ट ने सर्वेक्षण आयोग का आदेश दिया था, जिसे लागू करने की आवश्यकता थी। दूसरा नोटिस में कहा गया कि सर्वेक्षण उसी दिन आयोजित किया जाएगा और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल प्रदान किया जाए। डीजीसी (सिविल) प्रिंस शर्मा कोर्ट कमिश्नर राघव के साथ थे। डीएम और एसपी संभल लगभग एक घंटे पैंतालीस मिनट बाद कोतवाली पहुंचे। जफर अली (अधिवक्ता), जामा मस्जिद समिति के सदर, लद्दन खान और मशहूद अली को वहां बुलाया गया और जनरल डायरी (जीडी) में प्रविष्टियां की गईं। दिनांक 19.11.2024 को लगभग 05:45 बजे डीएम/एसपी के साथ जफर अली, सदर जामा मस्जिद, मशहूद अली, लद्दन खान, गोपाल शर्मा, अधिवक्ता आयुक्त रमेश राघव, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, एसडीएम, सर्किल ऑफिसर और कार्यकारी अधिकारी मणिभूषण तिवारी मौजूद थे। मस्जिद में प्रवेश करने वालों के नाम जीडी में दर्ज किए गए और जफर अली से मौखिक रूप से पूछा गया कि क्या किसी और को बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि बाद में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके प्रवेश के लगभग आधे घंटे बाद स्थानीय सांसद और विधायक के बेटे, सोहेल इकबाल ने पुलिस को धक्का देकर लगभग 200 लोगों के साथ जबरन मस्जिद में प्रवेश किया, हालांकि सदर ने घोषणा की थी कि नमाज एक घंटे देरी से होगी और बाद में इसे 07:00 बजे से 07:30 बजे तक पुनर्निर्धारित किया गया। सांसद और सोहेल इकबाल ने बार-बार सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाली, टीम को काम जल्दी खत्म करने और छोड़ने के लिए कहा, यह चेतावनी देते हुए कि भीड़ अनियंत्रित हो सकती है। सर्वेक्षण टीम को 40-50 लोगों ने घेर लिया, जिससे सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न हुई। अंधेरा हो रहा था और भारी भीड़ ने

सर्वेक्षण कार्य को प्रभावित किया, जिससे संघर्ष बढ़ने का डर था, अधिवक्ता आयुक्त ने सर्वेक्षण निलंबित कर दिया। दिनांक 22.11.2024 को डीएम को मीडिया और एलआईयू के माध्यम से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सांसद के भाषण की जानकारी मिली। धारा 163 बीएनएसएस की घोषणा पहले से ही प्रभावी थी और दिनांक 19.11.2024 को आंशिक सर्वेक्षण के बाद प्रेस के माध्यम से फिर से विज्ञापित की गई थी। जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति और स्थानीय नेताओं को कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश से असंतोष था, क्योंकि वे मस्जिद में अपनी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण में बाधा डाली, इसलिए सर्वेक्षण जारी रहना था। दिनांक 24.11.2024 को इसे रोकने की योजना बनाई, भारी भीड़ एकत्र की, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। जब जफर अली ने सर्वेक्षण के पूरा होने की घोषणा की तो भीड़ हिंसक हो गई। एहतियात के तौर पर, डीएम ने पुलिस अधीक्षक, संभल के साथ समन्वय में एलआईयू की रिपोर्ट और जनता से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी भी स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की। बैरिकेडिंग की गई, जिसने दंगे को बढ़ने से रोका और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। दंगाइयों द्वारा पत्थरबाजी और गोलीबारी के कारण कई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी और मजिस्ट्रेट घायल हो गए और चार नागरिकों की मृत्यु हो गई।

B. ICW-127 श्री प्रदीप वर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि उन्होंने दिनांक 07.11.2022 को एडीएम (वित्त/राजस्व), संभल का कार्यभार संभाला। सर्वेक्षण कार्यवाही सिविल वाद संख्या 182/2024, हरिशंकर जैन और अन्य बनाम भारत सरकार, के आदेश दिनांक 19.11.2024 के अनुपालन में की गई थी, जो संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत द्वारा पारित किया गया था। सर्वेक्षण को माननीय कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त के पत्र दिनांक 19.11.2024, दिनांक 20.11.2024 और दिनांक 23.11.2024 के अनुरोध और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया गया। अधिवक्ता आयुक्त ने अपने पहले पत्र दिनांक 19.11.2024 को 3:45 बजे जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि उन्हें जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त

किया गया है। दूसरे पत्र के माध्यम से, यह बताया गया कि जामा मस्जिद, संभल का सर्वेक्षण उसी दिन वादी और प्रतिवादी पक्षों की उपस्थिति में किया जाएगा। चूंकि जामा मस्जिद मुस्लिम-बहुल क्षेत्र में स्थित है, इसलिए शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक सुरक्षा के तहत सर्वेक्षण करना उचित समझा गया। इस उद्देश्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक समिति गठित की गई थी, जिसमें उप-जिलाधिकारी संभल, सर्किल ऑफिसर संभल और कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद संभल शामिल थे, ताकि स्थल पर सहायता प्रदान की जाए और शांति और व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एडीएम को दिनांक 19.11.2024 को किसी भी स्थान पर कोई ड्यूटी सौंपी नहीं गई थी। दिनांक 19.11.2024 को पहले दिन के सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, अधिवक्ता आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण दिनांक 20.11.2024 को जारी रहेगा। यह उल्लेख किया गया कि “दिनांक 19.11.2024 को शाम 6:00 बजे, वादी और प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू हुई। सर्वेक्षण के दौरान, सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और संभल के विधायक श्री महमूद इकबाल के बेटे श्री सुहेल इकबाल लगभग 200 अन्य व्यक्तियों के साथ जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थे। चूंकि यह शाम का समय था और इतने सारे लोगों की उपस्थिति के कारण सर्वेक्षण सुचारु रूप से नहीं हो सका। जन प्रतिनिधियों और अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने बार-बार सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाली और धमकियां दीं। इसलिए सर्वेक्षण कार्यवाही भविष्य में फिर से आयोजित की जाएगी और सभी पक्षों को माननीय कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अलग से सूचित किया जाएगा।” दिनांक 20.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने एक सूचना पत्र के माध्यम से शेष सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए आवश्यक पुलिस बल और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अनुरोध किया। पुलिस अधीक्षक संभल ने जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि दिनांक 20.11.2024 को मुरादाबाद जिले में कुंदरकी विधानसभा के उप-चुनाव के कारण जहां जिला पुलिस बल तैनात था, उस तारीख को सर्वेक्षण के लिए पुलिस बल प्रदान करना संभव नहीं था। इसलिए सर्वेक्षण के लिए एक और तारीख उचित समझी जाएगी। दिनांक 23.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त

ने एक और पत्र जारी किया, जिसमें सर्वेक्षण को दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से लगभग 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया और इसे जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया। इस पत्र की एक प्रति दिनांक 23.11.2024 को उप-जिलाधिकारी श्रीमती वंदना मिश्रा और सर्किल ऑफिसर, श्री अनुज चौधरी द्वारा मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली को भी तामील की गई। इसके अतिरिक्त दिनांक 23.11.2024 के आदेश के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न पुलिस चौकियों/थानों पर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया। एडीएम को किसी भी स्थान पर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अनुसार वह दिनांक 24.11.2024 को विवादित धार्मिक स्थल के बाहर शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद थे। सुबह लगभग 8:30 बजे से जामा मस्जिद के ढलान के पास भीड़ एकत्रित होकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने लगी। वह जिला मजिस्ट्रेट के साथ, भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 10:15 बजे जामा मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली ने लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा की कि सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। भीड़ तुरंत आक्रामक हो गई और हिंसक कृत्यों में संलग्न हो गई। घटना में शामिल व्यक्तियों ने अपने चेहरों/पहचान को छिपाने के लिए मास्क का उपयोग किया। भीड़ ने जामा मस्जिद के पीछे की गलियों से पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी शुरू कर दी। लगभग 11:00 बजे तक जामा मस्जिद के पीछे शांति बहाल हो गई। लगभग 11:15 बजे एकता चौकी, तुर्तीपुर तिराहा और हिंदुपुरखेड़ा क्षेत्रों में पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं शुरू हुईं, जो लगभग 2:00 बजे तक नियंत्रण में लाई गईं। एडीएम पुलिस अधीक्षक के साथ शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए मौजूद थे। एसपी संभल के अनुरोध पर उप-जिलाधिकारी संभल, जो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत प्रभारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त थी, ने स्थिति का आकलन किया और पुलिस अधीक्षक संभल को आवश्यक बल प्रयोग की अनुमति दी। पुलिस ने हिंसा और अशांति को समाप्त करने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग किया। शांति बहाल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने एडीएम को विभिन्न प्रशासनिक

आदेश तैयार करने का निर्देश दिया, जैसे कि धारा 163 बीएनएसएस की घोषणा, इंटरनेट शटडाउन, जिले में शांति बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की ड्यूटी और सरकार को भेजे जाने वाले विभिन्न पत्राचार। इन आदेशों के अनुपालन में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पत्राचार तैयार किए और भेजे।

उन्होंने आगे कमीशन के समक्ष कहा कि एलआईयू की रिपोर्ट के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की गई थीं, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए गए थे, जिसने एक बड़ी घटना को रोकने में मदद की। वह जामा मस्जिद के सामने खुले मैदान में बल के साथ लगभग 10:15 बजे मौजूद थे। जब भीड़ श्री जफर अली द्वारा मस्जिद से सर्वेक्षण कार्यवाही पूरी होने की घोषणा के बाद एकत्र हुई, भीड़ आक्रामक होकर नारेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी में संलग्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों को चोटें आईं। लगभग 11:00 बजे जानकारी मिली कि भीड़ एकता चौकी को जलाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह पुलिस अधीक्षक के साथ वहां गए, चौकी को सुरक्षित किया और आक्रामक भीड़ को तितर-बितर किया। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, सर्वेक्षण टीम को सरथल खेड़ा चौकी के माध्यम से हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित रूप से संभल कोतवाली तक पहुंचाया गया।

C. ICW-158 डॉ. श्रीमती वंदना मिश्रा, उप-जिलाधिकारी, संभल ने कमीशन के समक्ष अपने बयान में कहा कि संभल में अब तक कुल 16 बड़े सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। परिणामस्वरूप जबकि बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय संभल में रहता है, अन्य धर्मों/समुदायों के लोग बड़ी संख्या में संभल शहर से पलायन कर गए हैं। संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की माननीय अदालत के आदेश दिनांक 19.11.2024 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, संभल ने उनके सर्किल ऑफिसर, संभल और नगर पालिका परिषद, संभल के कार्यकारी अधिकारी की एक समिति गठित की थी ताकि नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त की सहायता की जाए और स्थल पर कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए। दिनांक 19.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त, वादी और प्रतिवादी पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में सर्वेक्षण कार्यवाही शाम तक की

गई, जब अंधेरा हो गया। माननीय कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार स्थल पर प्रशासनिक सहायता प्रदान की गई। दिनांक 19.11.2024 को पहले दिन के सर्वेक्षण के बाद अधिवक्ता आयुक्त, रमेश सिंह राघव ने दिनांक 20.11.2024 को एक नोटिस भेजा, जिसमें सूचित किया गया कि सर्वेक्षण दिनांक 20.11.2024 को जारी रहेगा। नोटिस में कहा गया कि दिनांक 19.11.2024 को शाम 6:00 बजे वादी और प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ताओं और अधिवक्ता आयुक्त की उपस्थिति में सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू हुई। सर्वेक्षण के दौरान सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल लगभग 200 अन्य व्यक्तियों/समर्थकों के साथ मस्जिद के अंदर मौजूद थे। चूंकि यह शाम का समय था और इतने सारे लोगों की उपस्थिति के कारण सर्वेक्षण सुचारु रूप से पूरा नहीं हो सका, इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों ने बार-बार सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाली और धमकियां दीं। इसलिए सर्वेक्षण कार्यवाही भविष्य में फिर से आयोजित की जाएगी और सभी पक्षों को अलग से नोटिस प्रदान किए जाएंगे। अधिवक्ता आयुक्त के दिनांक 20.11.2024 के नोटिस के जवाब में पुलिस अधीक्षक, संभल ने जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 20.11.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मुरादाबाद जिले में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उप-चुनाव के कारण जिला पुलिस बल को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। इसलिए उस तारीख को सर्वेक्षण के लिए पुलिस बल उपलब्ध हो पाना सम्भव नहीं है। यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट, संभल द्वारा अधिवक्ता आयुक्त को भी दी गई। संभल तहसील के पुलिस स्टेशनों से प्राप्त चालान रिपोर्टों के आधार पर शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत निवारक कार्रवाइयां की गईं। दिनांक 22.11.2024 को श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करते हुए विवादित धार्मिक स्थल पर भीड़ एकत्र की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें माननीय कोर्ट के आदेश से असहमति व्यक्त की गई, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। उन्होंने एक विशेष समुदाय को एकजुट होने और विवादित धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने का आह्वान किया, जो उत्तेजक था और वातावरण को

अत्यधिक संवेदनशील बना दिया। सर्वेक्षण को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा की गई अत्यधिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए। इस कार्य के लिए, उनके खिलाफ दिनांक 23.11.2024 को धारा 168 बीएनएसएस के तहत एक नोटिस जारी किया गया और तामील किया गया। अधिवक्ता आयुक्त ने दिनांक 23.11.2024 को फिर से एक नोटिस भेजा, जिसमें शेष सर्वेक्षण कार्यवाही को दिनांक 24.11.2024 को सुबह 07:00 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया। यह नोटिस केवल दिनांक 23.11.2024 को जामा मस्जिद के सदर श्री जफर अली को प्रदान किया गया। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण बिना किसी बाधा के आयोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, संभल ने पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया। दिनांक 24.11.2024 को जब सर्वेक्षण टीम विवादित धार्मिक स्थल में प्रवेश किया, तो मस्जिद के पश्चिमी हिस्से के पीछे की गलियों से धीरे-धीरे एक पूर्व-नियोजित भीड़ एकत्र होने लगी। यह जानकारी सर्किल ऑफिसर, संभल द्वारा सुबह लगभग 08:30 बजे वायरलेस सेट के माध्यम से दी गई, जिसमें सभी कर्मियों को सतर्क रहने और भीड़ को वापस जाने के लिए मनाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, लगभग 08:50 बजे, पुलिस अधीक्षक, संभल ने उप-जिलाधिकारी को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद भीड़ को शांतिपूर्वक मनाने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ अनियंत्रित थी और परेशानी पैदा करने पर तुली थी। ऐसी स्थिति में जान-माल के नुकसान को रोकने, मौजूद पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए बल प्रयोग की अनुमति का अनुरोध किया गया। उन्होंने स्थल पर स्थिति का आकलन किया और मौजूद जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक संभल को शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बल प्रयोग की अनुमति दी। लाउडस्पीकर के माध्यम से यह घोषणा होने पर कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण टीम जा रही है, गलियों से अचानक भीड़ निकली और पहले से एकत्रित भीड़ में शामिल हो गई, जिससे भीड़ का आकार

गुणात्मक रूप से अचानक बढ़ गया। आक्रामक भीड़ उत्तेजक और उन्मादी नारे लगा रही थी। यह जानकारी सर्किल ऑफिसर, असमौली द्वारा वायरलेस के माध्यम से दी गई, जिसमें कहा गया कि भीड़ धीरे-धीरे पुलिस की स्थिति की ओर बढ़ रही थी, पुलिस कर्मियों को घेरने की कोशिश कर रही थी, जिससे सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण और जटिल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने स्थिति की संवेदनशीलता का आकलन किया और वायरलेस सेट के माध्यम से बढ़ती भीड़ को रोकने और तितर-बितर करने के निर्देश जारी किए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मिर्ची ग्रेनेड, रबर बुलेट और चेतावनी शॉट्स चलाए गए। वह अपने सहयोगियों के साथ क्षेत्र का दौरा करती रही तथा व्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों को सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में आश्वस्त किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपने प्रतिष्ठान खोले और यातायात व्यवस्था पहले की तरह बनाए रखी गई, जिससे सामान्य जनजीवन सुचारु रूप से चला। दिनांक 24.11.2024 के बाद, शुक्रवार की नमाज 29.11.2024, 06.12.2024, 13.12.2024, 20.12.2024, 27.12.2024, 03.01.2025, 10.01.2025, 17.01.2025, 24.01.2025, 31.01.2025, 07.02.2025, 14.02.2025, और 21.02.2025 को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यह आगे कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट, संभल के आदेश दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से उन्हें जामा मस्जिद, संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम के साथ मौजूद रहने और पूरी कार्यवाही को शांतिपूर्वक संपन्न कराने का निर्देश दिया गया था, जो किया गया।

कमीशन के समक्ष डॉ. श्रीमती वंदना मिश्रा ने कहा कि दिनांक 23.11.2024 को जब कोर्ट कमिश्नर ने जफर अली को टेलीफोन के माध्यम से दिनांक 24.11.2024 को निर्धारित सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया और नोटिस लेने के लिए आने को कहा, तो उन्होंने अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर वह, सर्किल ऑफिसर संभल के साथ, लगभग 06:30 बजे उनके निवास पर नोटिस देने गईं। उस समय वह नोटिस में उल्लिखित आयोग की कार्यवाही के समय के साथ पूरी तरह सहमत थे। दिनांक

24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान, कोर्ट कमिश्नर ने वजू टैंक के मापन और उसकी वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी और आगे के मापन के बारे में कहा कि जब तक पानी नहीं निकाला जाता, तब तक यह संभव नहीं था। कोर्ट कमिश्नर ने यह भी कहा कि वह वजू टैंक में एक छड़ी डालकर गहराई को माप सकते हैं लेकिन सदर श्री जफर अली और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों ने सहमति नहीं दी। कोर्ट कमिश्नर ने तब पूछा कि वजू टैंक का पानी कब निकाला जाता है, जिस पर जफर अली ने जवाब दिया कि हर शुक्रवार को नमाज से पहले पानी निकाला और साफ किया जाता है। इसके बाद उन्होंने स्वयं पानी निकालने की सहमति दी और प्रक्रिया शुरू की। उसी बीच जफर अली पान-मसाला खाने के बहाने मस्जिद छोड़कर मस्जिद के बाईं ओर पीछे की ओर चले गए, जहां भीड़ एकत्र थी और लगभग आधे घंटे से पैंतीस मिनट बाद लौटे। जफर अली के मस्जिद छोड़ने के बाद मशहूद अली और कासिम जमाल अधिवक्ता भी मस्जिद के बाईं ओर से निकले और लगभग आधे घंटे बाद लौटे। मस्जिद में लौटने पर जफर अली ने मस्जिद के लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को संबोधित किया, जिसमें कहा गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उस समय भीड़ नारे लगा रही थी, “नारा-ए-तकबीर अल्लाह-हु-अकबर” चिल्ला रही थी। उन्होंने जफर अली से भीड़ को शांत करने का अनुरोध किया। फिर वह जामा मस्जिद की छत पर गए, भीड़ की ओर हाथ उठाया, मुस्कुराए और लौट आए। शेष सर्वेक्षण कार्यवाही की गई और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सुबह लगभग 10:00-10:30 बजे उन्होंने मस्जिद के लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा की कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं है और लोगों को चले जाना चाहिए। हालांकि, उनके संबोधन ने भीड़ को और भड़का दिया, नारे तेज हो गए, पत्थरबाजी बढ़ गई, आगजनी और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं तथा आगे कहा गया कि दिनांक 19.11.2024 को नायब तहसीलदार जो मस्जिद के बाहर तैनात थे, को भी मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा नारेबाजी का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कमीशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद कोतवाली की ओर जाते समय उनकी जीप पर प्रहार किया। दिनांक 24.11.2024 को दंगाइयों ने उन पर पत्थर फेंके और सर्वेक्षण टीम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया और अपशब्द कहे। भीड़ ने मस्जिद तक पहुंचने की हर संभव

कोशिश की। पुलिस की सतर्कता और दक्षता के कारण, भीड़ मस्जिद के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंच सकी। शुरुआत में दिनांक 19.11.2024 को जिला मजिस्ट्रेट ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समिति गठित की थी। जिसमें वह, सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी और अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी शामिल थे। दिनांक 22.11.2024 को एक अलग प्रशासनिक आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्हें जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। जब वह जामा मस्जिद में मौजूद थीं, तो शुक्रवार की नमाज के बाद उन्होंने देखा कि माननीय सांसद श्री बर्क मस्जिद की सीढ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का संक्षिप्त प्रतिलेख उनके शपथ-पत्र में उल्लिखित है। जब माननीय सांसद श्री बर्क सीढ़ियों पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार उनसे कहा कि भीड़ ज्यादा है और मामला अदालत में लंबित है, इसलिए और टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ बोल दिया था। फिर कुएं के पास, सीढ़ियों के निकट उन्होंने माननीय सांसद श्री बर्क से अनुरोध किया कि विवाद के संबंध में प्रेस को बयान न दें, क्योंकि इससे शहर के कानून और व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और कहा, “मैं बोलूंगा, यह मेरा अधिकार है।” तीसरी बार, जब वह अपनी गाड़ी तक पहुंचे और फिर से प्रेस को संबोधित करने लगे, तो उन्होंने दोहराया कि मामला माननीय अदालत में विचाराधीन है और कोई बयान नहीं देना चाहिए। माननीय सांसद श्री बर्क के साथ श्री जफर अली और फिरोज खान जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, वह भी मौजूद थे। दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वह कह सकती हैं कि पूरी घटना पूर्व-नियोजित थी, जिसका उद्देश्य शहर में भय का माहौल बनाना और सर्वेक्षण टीम को अपना काम पूरा करने से रोकना था, साथ ही भविष्य में ऐसी किसी टीम को सर्वेक्षण करने से रोकना था।

D. ICW-24 श्री रमेश बाबू, एसडीएम ज्यूडिशियल, चंदौसी, जिला संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, संभल के आदेश दिनांक दिनांक 23.11.2024 के अनुसार, और संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के आदेश

और अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव के पत्र दिनांक 23.11.2024 के अनुपालन में उन्हें दिनांक 24.11.2024 को सुबह 06:00 बजे से जामा मस्जिद के बाहरी परिसर के पास अन्य मजिस्ट्रेटों/अधिकारियों के साथ एक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था ताकि सर्वेक्षण बिना किसी बाधा के आयोजित हो और जिला संभल में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए। सुबह लगभग 08:30 बजे, लोग जामा मस्जिद के बाहरी परिसर के पास घूमने लगे। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्वक मनाकर वापस भेज दिया। सुबह लगभग 09:30 बजे, जब जामा मस्जिद में सर्वेक्षण चल रहा था, अचानक लगभग 800-900 लोगों की भीड़ आ गई। भीड़ को मनाने की कोशिशों के बावजूद, यह अनियंत्रित हो गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के कारण उन्हें भी चोटें आईं। इस घटना के संबंध में, उन्होंने संभल पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 336/24 दर्ज किया।

उन्होंने आगे कमीशन के समक्ष कहा कि उनकी ड्यूटी जामा मस्जिद के बाहरी परिसर में, ढलान से सड़क तक, सुबह 06:00 बजे से थी। सर्वेक्षण टीम सुबह लगभग 07:00 बजे आई। सुबह 08:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था, जिसके बाद कुछ लोग इधर-उधर घूमने लगे और उन्हें मनाकर वापस भेजा गया। सुबह लगभग 09:30 बजे, अचानक लगभग 800-900 लोगों की भीड़ आई, जो ईंटों और पत्थरों के साथ थी, कुछ ने अपने चेहरों को ढक रखा था। शांति के लिए मनाने और अपील करने की कोशिशों के बावजूद, भीड़ अनियंत्रित हो गई और ईंटों और पत्थरों की बौछार शुरू कर दी, जिससे उनकी बायीं बांह और बाएं घुटने में चोटें आईं। इन चोटों के लिए उन्होंने संभल के जिला संयुक्त अस्पताल में चिकित्सा जांच कराई। इन चोटों के आधार पर, उन्होंने कोतवाली संभल पुलिस स्टेशन में 800-900 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध संख्या 336/24 दर्ज किया। जब भीड़ एकत्र हुई, तब न तो बाजार का समय था, न ही नमाज का समय, न ही स्कूल का समय, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह भीड़ एक नियोजित साजिश का हिस्सा थी।

E. ICW-161 श्री दीपक कुमार चौधरी, एसडीएम मुख्यालय, संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के

अनुसार, उन्हें संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित मामले संख्या 182/24 (हरिशंकर जैन और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य) के कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रात 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक कोतवाली संभल में एक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। दिनांक 24.11.2024 को, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 23.11.2024 के अनुसार, उन्हें सुबह 7:00 बजे से जामा मस्जिद के बाहरी परिसर में, श्रीमती वंदना मिश्रा (एसडीएम संभल), श्री रमेश बाबू (उप कलेक्टर, मुख्यालय), श्री धीरेंद्र सिंह (तहसीलदार चंदौसी), श्री सत्येंद्र कुमार (नायब तहसीलदार संभल) और श्री बबलू कुमार (नायब तहसीलदार गुल्लौर) के साथ सर्वेक्षण के सुचारु संचालन के लिए शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। मुस्लिम समुदाय ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी और आगजनी का सहारा लिया, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उन्हें इन मौतों की मजिस्ट्रियल जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और इस संबंध में आगे की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने आगे कमीशन के समक्ष कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार, वह तीन व्यक्तियों की मृत्यु की जांच कर रहे हैं। तीन मृतकों का विवरण क्रमिक रूप से बयानों के लिए भेजा जा रहा है और सर्किल ऑफिसर संभल का बयान भी दर्ज किया गया है। घटना के दिन, जहां वह तैनात थे, वहां हंगामे की आवाजें सुनाई दे रही थीं।

F. ICW-164 श्री मणिभूषण तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि वह दिनांक 04.07.2024 से संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित मामले संख्या 182/24 (हरिशंकर जैन और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य) के कोर्ट के आदेश दिनांक 19.11.2024 के अनुपालन में जामा मस्जिद, संभल का सर्वेक्षण वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की उपस्थिति में आयोजित किया जाना था। संभल एक अत्यधिक संवेदनशील जिले की श्रेणी में आता है और जामा मस्जिद मुस्लिम-बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है। इसलिए सर्वेक्षण के लिए शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक

19.11.2024 द्वारा तीन सदस्यीय समिति के हिस्से के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 19.11.2024 को पहले दिन का सर्वेक्षण अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव द्वारा पूरा होने के बाद, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को एक नोटिस भेजा, जिसमें सूचित किया गया कि सर्वेक्षण दिनांक 20.11.2024 को जारी रहेगा। दिनांक 23.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट, संभल को एक सूचना पत्र भेजा, जिसमें सर्वेक्षण को दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया। दिनांक 24.11.2024 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, उन्हें चौधरी सराय चौकी पर शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, जामा मस्जिद के पास की घटना स्थलों, जैसे हिंदुपुरखेड़ा, एकता/नखासा पुलिस चौकी, अंजुमन तिराहा और तुर्तीपुर तिराहा, पर दंगाइयों द्वारा उपयोग किए गए ईंटों, पत्थरों, मलबे और जले हुए वाहनों को उनकी उपस्थिति में हटाया गया। दिनांक 24.11.2024 को लगभग छह ट्रॉली मलबा, ईंटें और पत्थर घटना स्थलों से नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों, वाहनों के माध्यम से हटाए गए और नगर पालिका के स्टोर में रखे गए। पूरे शहर में मलबा हटाने का कार्य उनकी देखरेख में चार से पांच दिनों में पूरा हुआ और स्थिति को लिखित में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, संबंधित स्थलों पर नालियों और सीवर की सफाई के लिए नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मचारी प्रदान किए गए। दिनांक 19.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने प्रशासन को सूचित किया कि भारी भीड़ और माननीय सांसद और विधायक के बेटे की उपस्थिति के कारण सर्वेक्षण कार्य बाधित हुआ। अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण के पुनर्निर्धारण के संबंध में एक सूचना पत्र भेजा गया। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान, मुस्लिम समुदाय के दंगाइयों की एक भारी भीड़ एकत्र हुई, जो सर्वेक्षण टीम/प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रही थी, पत्थरबाजी और गोलीबारी कर रही थी। दंगाइयों ने स्थल पर मौजूद वाहनों को आग लगा दी और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया। उन्होंने आगे कमीशन के समक्ष कहा कि वह डीएम संभल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के सदस्यों में से एक थे। दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के

दौरान, वह मौजूद थे और शाम का समय था जिसमें रोशनी कम थी। जन प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिसके कारण सर्वेक्षण में बाधाएं आईं। इसलिए सर्वेक्षण को फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। घटना के दिन उनकी ड्यूटी सराय पुलिस चौकी पर थी। घटना के बाद उन्होंने छह ट्रॉली ईंटों, पत्थरों और मलबे को हटवाया। इसका फोटोग्राफ उनके शपथ-पत्र में संलग्न किया गया और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने पूरे शहर में चार से पांच दिनों तक मलबा हटाने का अभियान चलाया। दिनांक 19.11.2024 को सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे सहित सार्वजनिक प्रतिनिधि, अन्य लोगों के साथ सर्वेक्षण के दौरान मौजूद थे, जिससे सर्वेक्षण टीम के कार्य में बाधाएं आईं।

G. ICW-162 श्री धीरेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार चंदौसी, संभल जिला ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 23.11.2024 के अनुसार, दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से, उन्हें जामा मस्जिद के बाहरी परिसर में श्रीमती वंदना मिश्रा (एसडीएम, संभल), श्री रमेश बाबू (उप कलेक्टर, मुख्यालय), श्री दीपक कुमार चौधरी (उप कलेक्टर, मुख्यालय), श्री सत्येंद्र कुमार (नायब तहसीलदार, संभल) और श्री बबलू कुमार (नायब तहसीलदार, गुल्लौर) के साथ सर्वेक्षण के सुचारु संचालन के लिए शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने आगे कमीशन के समक्ष कहा कि दिनांक 24.11.2024 को उनकी ड्यूटी जामा मस्जिद के वाह्य परिसर में थी, जहां कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जामा मस्जिद के पीछे के हिस्से में घटना हुई और उन्हें केवल हंगामे की आवाजें सुनाई दीं।

H. ICW-163 श्री सत्येंद्र कुमार, नायब तहसीलदार, संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 23.11.2024 के अनुसार, दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से उन्हें जामा मस्जिद के वाह्य परिसर में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सर्वेक्षण के सुचारु संचालन के लिए तैनात किया गया था। सुबह लगभग 7:00 बजे सर्वेक्षण टीम जामा मस्जिद में प्रवेश कर गई। वह डाक घर चौराहा से जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग के अंदर

पुलिस बल के साथ मौजूद थे जब तक कि सर्वेक्षण पूरा नहीं हो गया। सुबह लगभग 10:00 बजे मस्जिद के लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा की गई कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अचानक एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और जामा मस्जिद के पास पहुंच गई, आगजनी शुरू कर दी। स्थिति को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुबह लगभग 11:00 बजे नियंत्रण में लाया गया। सुबह लगभग 10:30 बजे, पत्थरबाजी इतनी तीव्र थी कि चारों ओर केवल ईंटें और पत्थर दिखाई दे रहे थे, साथ में नारों की आवाजें थीं। उन्होंने आगे कमीशन के समक्ष कहा कि पत्थरबाजी और आगजनी के दौरान, वह उसी स्थान पर पुलिस बल के साथ तैनात थे। पत्थरबाजी और आगजनी जामा मस्जिद के पीछे के हिस्से में हुई और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का उपयोग किया गया, जिसके कारण आंसू गैस के धुएं से उनकी आंखों में जलन हुई। सड़कें पत्थरों की एक परत से ढकी हुई थीं।

I. ICW-165 श्री रवि सोनकर, तहसीलदार संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 23.11.2024 के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से उन्हें कोतवाली संभल में अन्य मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ एक मजिस्ट्रेट के रूप में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सर्वेक्षण के सुचारु संचालन के लिए तैनात किया गया था। सुबह 6:30 बजे से वह शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ मौजूद थे। सुबह लगभग 7:00 बजे सर्वेक्षण टीम सर्वेक्षण कार्य के लिए कोतवाली संभल से जामा मस्जिद गई। कोतवाली संभल में वायरलेस के माध्यम से जानकारी मिली कि सुबह लगभग 8:30 बजे, भीड़ ने विरोध शुरू कर दिया और सुबह लगभग 10:30 बजे आगजनी, गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटनाएं शुरू हुईं। उन्होंने यह भी देखा कि कोतवाली संभल में रिजर्व पुलिस बल को सुबह लगभग 9:00 बजे दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्रों में बुलाया गया था। उनकी ड्यूटी के स्थान पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और उनकी ड्यूटी के दौरान शांति, कानून और व्यवस्था बनी रही। उन्होंने आगे कमीशन के समक्ष कहा

कि दिनांक 24.11.2024 को उनकी ड्यूटी कोतवाली संभल में रिजर्व में थी। वायरलेस के माध्यम से लगातार संदेश मिल रहे थे कि शहर में पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोतवाली संभल से पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर भेजा गया। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को सुबह लगभग 11:00–11:30 बजे नियंत्रित कर लिया गया।

J. ICW-166 श्री अरविंद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 23.11.2024 के अनुसार, दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से उन्हें नखासा पुलिस स्टेशन पर अन्य मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ एक मजिस्ट्रेट के रूप में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सर्वेक्षण के सुचारु संचालन के लिए तैनात किया गया था। सुबह लगभग 11:00 बजे नखासा पुलिस स्टेशन के तहत एकता पुलिस चौकी पर दंगाइयों ने सड़क को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। यह जानकारी उन्हें एसएचओ के वायरलेस पर भी सुनाई दी। उन्होंने और एसएचओ ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और स्थल पर स्थिति को सामान्य किया। इसके अतिरिक्त नखासा पुलिस स्टेशन के तहत हिंदुपुरा खेड़ा और दीपासराय से पत्थरबाजी और आगजनी की जानकारी मिली, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया गया। दोपहर 2:00 बजे तक नखासा पुलिस स्टेशन के तहत शांति और व्यवस्था बहाल हो गई थी।

K. ICW-167 श्री अनुज कुमार, नायब तहसीलदार संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 23.11.2024 के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से उन्हें हयातनगर पुलिस स्टेशन पर अन्य मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ एक मजिस्ट्रेट के रूप में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सर्वेक्षण के सुचारु संचालन के लिए तैनात किया गया था। सुबह 6:30 बजे से वह शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ मौजूद थे। उनकी ड्यूटी के स्थान पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और उनकी ड्यूटी के दौरान शांति, कानून और व्यवस्था बनी रही। उन्होंने आगे कमीशन के समक्ष कहा कि वह अगस्त 2023 से तहसील संभल में तैनात हैं।

दिनांक 24.11.2024 को उनकी ड्यूटी हयातनगर पुलिस स्टेशन पर रिजर्व में थी और वह वहां शाम तक रहे। वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्हें एसएचओ के वायरलेस पर सुना कि जामा मस्जिद के पास भीड़ एकत्र हो रही थी। उन्हें समाचारों के माध्यम से आगजनी और पत्थरबाजी की जानकारी मिली। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को दोपहर 2:00–3:00 बजे के आसपास नियंत्रित कर लिया।

2. जिला संभल के पुलिस अधिकारियों के बयान

A. ICW-171 श्री कृष्ण कुमार, पुलिस अधीक्षक, संभल ने आयोग के समक्ष अपने बयान में कहा कि संभल का सांप्रदायिक दंगों और हिंसक गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा है। संभल शहर में हिंदू आबादी लगातार घट रही है और अब यह लगभग 20 प्रतिशत से कम रह गई है। दंगों और हिंसा के माहौल और पृष्ठभूमि में संभल शहर में मुस्लिमों में धार्मिक उग्रवाद बढ़ा और धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देने और उकसाने वाले तत्वों को बल मिला। इससे आतंकवादी संगठनों के लिए अपनी पैठ बनाने का उपजाऊ आधार तैयार हुआ। जिनमें अल-कायदा (इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट), हरकत-उल-मुजाहिदीन, एसोसिएशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (SAMU) और प्रतिबंधित संगठन सिमी जैसे प्रमुख संगठन शामिल हैं, जिनके संभल जिले में सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है।

विवादित शाही जामा मस्जिद जो कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोटपूर्वी मोहल्ला के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसका सदियों पुराना विवाद है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि इस मस्जिद को मुगल शासक बाबर ने अतीत में हरि हर मंदिर को तोड़कर बनवाया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इस मुद्दे पर अपने-अपने दावे प्रस्तुत करते हैं और यह संरचना दोनों समुदायों के बीच विवाद का केन्द्र रही है।

दिनांक 29.05.2024 को जिला मजिस्ट्रेट संभल के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मेरठ सर्किल के अंतर्गत केंद्र संरक्षित स्मारक जामा मस्जिद, संभल के

नियमित निरीक्षण और सर्वेक्षण के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में पत्राचार किया गया। तदनुसार, निरीक्षण और सर्वेक्षण दिनांक 12.06.2024 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि विवादित स्थल का निरीक्षण और सर्वेक्षण पहले भी किया जा चुका था।

दिनांक 01.10.2024 को आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के कारण जिला मजिस्ट्रेट ने शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश लागू किए, जो दिनांक 30.11.2024 तक प्रभावी थे।

दिनांक 19.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने दोपहर 03:45 बजे एक नोटिस के माध्यम से सूचित किया कि सिविल वाद संख्या 182/24, हरिशंकर जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, जो चंदौसी में स्थित सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल की अदालत में दायर किया गया था, जिसमें एक आदेश जारी किया गया था कि दिनांक 29.11.2024 तक जामा मस्जिद सर्वेक्षण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस को सर्वेक्षण के दौरान पर्याप्त पुलिस बल प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया। अधिवक्ता आयुक्त ने आगे कहा कि यदि सर्वेक्षण कार्यवाही तुरंत नहीं की गई तो प्रतिवादी पक्ष जामा मस्जिद की भौतिक संरचना को बदल सकता है और महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट कर सकता है। इसलिए प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति और सहमति के साथ सर्वेक्षण आज ही किया जाना चाहिए ताकि इसे सामंजस्यपूर्ण वातावरण में किया जा सके। अतः दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के लिए आवश्यक पुलिस बल और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।

अधिवक्ता आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए नोटिस के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट संभल ने सर्वेक्षण कार्यवाही आयोजित करने के आदेश जारी किए और उप-जिला मजिस्ट्रेट संभल, सर्किल अधिकारी संभल और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी की एक टीम गठित की, जो नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त की सहायता करेगी। उक्त आदेश की प्रतियां उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, उत्तर प्रदेश

सरकार के प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुरादाबाद मंडल के आयुक्त, मुरादाबाद और उप महानिरीक्षक मुरादाबाद रेंज, मुरादाबाद को सूचनार्थ भेजी गईं जिसमें निर्देश दिए गए कि सर्वेक्षण के दौरान पर्याप्त पुलिस बल सुनिश्चित किया जाए और संबंधित अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाए।

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अधिवक्ता आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम, श्री प्रिंस शर्मा, डीजीसी सिविल, श्री लड्डन खान, नायब सदर जामा मस्जिद, अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा, अधिवक्ता श्री विष्णु शर्मा भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता, वादी महंत श्री ऋषिराज गिरी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, अधिवक्ता जफर अली और अधिवक्ता मशहूद अली फारुकी सर्वेक्षण के लिए संभल पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। इंस्पेक्टर-इन-चार्ज श्री अनुज कुमार तोमर, पुलिस बल के साथ शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए थे।

दिनांक 19.11.2024 को वादी और प्रतिवादी पक्ष, अधिवक्ता आयुक्त के साथ विवादित धार्मिक स्थल पर लगभग डेढ़ घंटे तक सर्वेक्षण के लिए मौजूद रहे।

परिसर के अंदर अपर्याप्त रोशनी के कारण आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। सर्वेक्षण के दौरान महत्वपूर्ण व्यवधान हुए, जिसमें परिसर के अंदर और बाहर भारी भीड़ एकत्रित हुई, जो नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रही थी। मस्जिद समिति ने कहा कि नमाज का समय हो गया है और भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण सर्वेक्षण कार्यवाही को निलंबित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सर्वेक्षण को दिन के उजाले में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ पूरा किया जा सकता है।

दिनांक 19.11.2024 को पहले दिन का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद अधिवक्ता आयुक्त ने उन्हें एक नोटिस प्रदान किया जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण दिनांक 20.11.2024 को जारी रहेगा। नोटिस में उल्लेख किया गया कि “दिनांक 19.11.2024 को शाम 06:00 बजे वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं और अधिवक्ता आयुक्त की उपस्थिति में सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू हुई। सर्वेक्षण के दौरान

सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और संभल विधायक के बेटे सुहेल इकबाल मस्जिद के अंदर लगभग 200 अन्य व्यक्तियों के साथ मौजूद थे। चूंकि यह शाम का समय था और इतने सारे लोग मौजूद थे, सर्वेक्षण सुचारु रूप से नहीं हो सका। जनप्रतिनिधियों और अन्य मौजूद व्यक्तियों ने बार-बार सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाली और धमकियां दीं। अतः सर्वेक्षण कार्यवाही भविष्य में फिर से आयोजित की जाएगी और सभी पक्षों को माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए अलग से नोटिस प्रदान किए जाएंगे। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 20.11.2024 को शेष सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए आवश्यक पुलिस बल और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएं।”

जिला मजिस्ट्रेट, संभल को सूचित किया गया कि मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के कारण जिला पुलिस बल चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात था। इसलिए दिनांक 20.11.2024 को सर्वेक्षण के लिए पुलिस बल प्रदान करना संभव नहीं था। अतः सर्वेक्षण को बाद की तारीख के लिए निर्धारित करना उचित समझा गया और यह अधिवक्ता आयुक्त को सूचित किया गया। दिनांक 21.11.2024 को उन्होंने कोतवाली संभल में मुस्लिम धर्मगुरुओं, मस्जिद समिति के सभी सदस्यों और शांति समिति के साथ एक बैठक आयोजित की जिसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया गया और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मस्जिद समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता जफर अली से अपील जारी करने का अनुरोध किया गया और जिले में लागू धारा 163 BNSS का अनुपालन करने पर जोर दिया गया।

दिनांक 22.11.2024 को एक विवादास्पद पोस्ट में अधिक से अधिक लोगों को शुक्रवार की नमाज में भाग लेने का आह्वान करने के मद्देनजर पुलिस बल को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। विवादित धार्मिक स्थल के पास लगे कैमरों को ठीक करवाया गया और शहर के काजी अलाउद्दीन, सदर जामा मस्जिद जफर अली और खादिम जामा मस्जिद, मशहूद अली फारुकी के वीडियो संदेशों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय से धारा 163 BNSS का पालन करने, जो पांच से अधिक लोगों के एकत्र

होने पर रोक लगाता है, अपनी-अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करने, अफवाहों से बचने, झूठे संदेशों को अग्रेषित न करने और अपने शहर और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया गया।

दिनांक 22.11.2024 को माननीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के धारा 163 BNSS का उल्लंघन करते हुए, जामा मस्जिद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें भीड़ एकत्रित की और माननीय न्यायालय के आदेश से असहमति व्यक्त की। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के इरादे से उन्होंने एक विशेष समुदाय को एकजुट होने और विवादित धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए भारी संख्या में एकत्र होने का आह्वान किया, जो उकसाने वाला था और संवेदनशील माहौल को अत्यधिक अस्थिर बना दिया। इस भाषण के संबंध में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें निम्नलिखित अंश शामिल था: **“हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म का पालन करें और अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा करें। जिस तरह से यहां संविधान का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सरकार संविधान को तार-तार कर रही है; हम इस मस्जिद के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह, हम हमेशा जामा मस्जिद की हर तरह से रक्षा करने के लिए मौजूद रहेंगे। हम 1947 से पहले हमारे राज्य और देश में मौजूद धार्मिक स्थलों और मस्जिदों को किसी को लेने नहीं देंगे।”** इस भाषण ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि सर्वेक्षण के माध्यम से कोई जामा मस्जिद को हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान हिंसक घटनाएं हुईं। माननीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क के दिनांक 22.11.2024 के कार्यों के संबंध में दिनांक 23.11.2024 को धारा 168 BNSS के तहत एक नोटिस जारी किया गया और 500 पहचान किए गए व्यक्तियों के खिलाफ धारा 126/135 BNSS के तहत निवारक कार्रवाई की गई। दिनांक 23.11.2024 को कुंदरकी उपचुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जहां से श्री जिया-उर-रहमान बर्क पहले विधायक थे। समाजवादी पार्टी इस सीट पर हार गई और चुनाव परिणाम श्री बर्क की

अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को हार के लिए दोषी ठहराया और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

अधिवक्ता आयुक्त ने दिनांक 23.11.2024 को एक नोटिस के माध्यम से शेष सर्वेक्षण कार्यवाही को दिनांक 24.11.2024 को सुबह 07:00 बजे से लगभग 11:00 बजे तक निर्धारित किया, जैसा कि नोटिस में उल्लेख किया गया था। नोटिस को दिनांक 23.11.2024 को श्री जफर अली, सदर जामा मस्जिद को प्रदान किया गया। सर्वेक्षण को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को ड्यूटी सौंपी और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय किया। उनके निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की और उन्होंने सभी जोनल प्रभारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि भीड़ को एकत्र होने से रोका जाए। जनता की भीड़ को कोर्ट द्वारा आदेशित सर्वेक्षण और धारा 163 BNSS के लागू होने के बारे में सूचित किया गया और उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। दिनांक 23.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को मोबाइल निगरानी के माध्यम से सूचना संग्रह की व्यवस्था की गई और LIU को सक्रिय किया गया।

दिनांक 24.11.2024 को उन्होंने सुबह जल्दी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण के दौरान केवल अधिकृत व्यक्ति ही मौजूद रहें ताकि व्यवधान से बचा जा सके। जैसे ही सर्वेक्षण दल विवादित धार्मिक स्थल में प्रवेश किया एक पूर्व नियोजित भीड़ स्थल के पीछे की ओर कुछ दूरी पर गलियों से निकलकर एकत्र होने लगी। यह जानकारी सर्किल अधिकारी संभल ने सुबह लगभग 08:30 बजे वायरलेस सेट के माध्यम से दी। उसी समय विवादित स्थल के पश्चिमी हिस्से से उकसाने वाले नारे सुनाई दिए। वायरलेस के माध्यम से पूछताछ करने पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भीड़ उकसाने वाले नारे लगा रही थी और कुछ व्यक्तियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। सर्किल अधिकारी, संभल ने बताया कि भीड़ हथियार लहरा रही थी, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता था। सुबह 08:45 बजे एकता चौकी के प्रभारी ने वायरलेस के माध्यम से बताया कि कोतवाली के SHO के साथ मौजूद एक कांस्टेबल का हथियार छीनने की कोशिश की गई और पथराव किया

जा रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने वायरलेस के माध्यम से बताया कि विवादित स्थल के गेट और हिंदू-प्रधान क्षेत्रों में सभी ड्यूटियों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हिंदू क्षेत्रों में निवासियों ने हंगामे की आवाज सुनकर छतों पर एकत्र होना शुरू कर दिया था। उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कहा गया था। चंदौसी और संभल के सर्किल अधिकारियों ने वायरलेस के माध्यम से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने SDM संभल को स्थिति के बारे में सूचित किया और बल प्रयोग की अनुमति मांगी। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के साथ परामर्श करने और स्थिति का आकलन करने के बाद हिंसा में शामिल विधि-विरुद्ध एकत्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी गई, जो पुलिस कर्मियों पर हमला कर रही थी और सरकारी संपत्ति की लूटपाट कर रही थी। सर्किल अधिकारी, संभल ने बताया कि कुछ व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे थे, ट्रांसफार्मर में आग लगा दी गई थी और वाहनों को जलाया जा रहा था, जो एक बड़ी योजना का संकेत देता था। अपर पुलिस अधीक्षक ने वायरलेस के माध्यम से बताया कि छतों से पथराव बढ़ रहा था और पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। सर्किल अधिकारी, चंदौसी ने बताया कि उनका वाहन क्षतिग्रस्त किया जा रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने वायरलेस के माध्यम से तत्काल बिजली आपूर्ति काटने का निर्देश दिया। यह भी बताया गया कि भीड़ में कुछ लोग विवादित स्थल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और कोर्ट कमिश्नर तथा दिल्ली से आए वकील को मारने की बात कर रहे थे। उन्होंने सभी पुलिस बलों को वायरलेस के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी दंगाई को विवादित स्थल या हिंदू आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश न करने दिया जाए। दंगाई भीड़ द्वारा आगजनी और हिंसा को देखते हुए उन्होंने पुलिस बल को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, चिली ग्रेनेड और खबर बुलेट का उपयोग करने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने बताया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और अपनी आँखें मलते हुए अंधाधुंध गोलीबारी कर रही थी तथा विस्फोट हो रहे थे। सभी बलों को निर्देश दिया गया कि वे कवर लें। सर्किल अधिकारी, संभल ने बताया कि भीड़ से निकली एक गोली उनके पैर में लगी और उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को निर्देश दिया कि एक एम्बुलेंस भेजी जाए। वे व्यक्तिगत रूप से विवादित स्थल

की उत्तरी और दक्षिणी सीढ़ियों पर पहुंचे, पुलिस की स्थिति को मजबूत किया और ऊंचाई से स्थिति का आकलन किया। यह देखा गया कि भीड़ अंधाधुंध गोलीबारी कर रही थी, अपनी आंखें मल रही थी और भीड़ पुलिस से थोड़ी दूरी पर एकत्र थी। विवादित स्थल से लाउडस्पीकर के माध्यम से SDM, संभल ने घोषणा की कि पत्थर न फेंके जाएं, यह कहते हुए कि मस्जिद सबकी है और इसकी पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। सुबह लगभग 10:00 बजे यह घोषणा की गई कि सर्वेक्षण कार्यवाही पूरी हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें सूचित किया कि कोर्ट आयुक्त और उनकी टीम की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। भीड़ को भी लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचित किया गया कि सर्वेक्षण दल जा रहा है, जिसके कारण गलियों से लोगों का अचानक आगमन हुआ और पहले से एकत्र भीड़ में शामिल होकर इसकी संख्या में काफी वृद्धि हुई। यह भीड़ धीरे-धीरे पुलिस के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए बढ़ रही थी, जिससे सर्वेक्षण दल को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना चुनौतीपूर्ण और जटिल हो गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, चिली ग्रेनेड, रबर बुलेट और चेतावनी शॉट्स फायर किए गए ताकि उन्हें भगाया जा सके। सुबह लगभग 10:20 बजे तक भीड़ को गलियों में काफी दूर तक खदेड़ दिया गया और पुलिस बलों को गलियों में तैनात किया गया। पुलिस ने सर्वेक्षण दल को हिंदू-प्रधान क्षेत्र से सरथल चौकी की ओर सुरक्षित रूप से पहुंचाया। इस बीच वायरलेस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ घायल दंगाई पानी की टंकी के पास पड़े हैं और उन्होंने निर्देश दिया कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाए ताकि उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया जाए। जब वे भीड़ को तितर-बितर करते हुए अंजुमन चौक पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि हिंदूपुराखेड़ा में भीड़ एकत्र हो रही थी। वे बल के साथ हिंदूपुराखेड़ा पहुंचे, जहां एक चार मंजिला इमारत की छत से गोली चलाई गई, जिससे उन्हें और उनके PRO को चोटें आईं। उन्होंने छत की ओर देखा और एक युवक को बंदूक तानते हुए दिखा, जो फिर से गोली चलाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने अपने साथी से MP-05 लिया लेकिन तब तक वह युवक गायब हो चुका था। हिंदूपुराखेड़ा में खतरे को भांपते हुए और पहले पुलिस पर हुई गोलीबारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने साथी और साथ आए बल को वापस

लेने का निर्देश दिया। उन्होंने नखासा के SHO को निर्देश दिया कि मौके पर एक वाहन भेजा जाए और PRO को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाए। फिर जानकारी मिली कि कुछ दंगाई एकता पुलिस चौकी पर एकत्र हैं जो आग लगा सकते थे। दीपा सराय चौकी के प्रभारी ने बताया कि दंगाइयों ने उनकी बुलेट मोटरसाइकिल छीन ली थी और उनकी पिस्तौल छीनने की कोशिश की थी, जिस दौरान मैगजीन निकल गई और दंगाइयों ने उसे ले लिया। उन्होंने एक लेपर्ड पुलिस मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी और दो अन्य वाहनों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। वे तुरंत मौके पर पहुंचे जहां वाहन के हूटर की आवाज सुनकर दंगाई गलियों में भाग गए। दो मोटरसाइकिलों को जलने से बचाया गया। सभी पुलिस कर्मियों को उचित साधनों के माध्यम से दिल्ली दरवाजा पहुंचने का आदेश दिया गया। अनुपालन के बाद उन्होंने सभी मौजूद अधिकारियों और पुलिस कर्मियों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की। इसके बाद घटनास्थल से 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और घायल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को जांच और उपचार के लिए जिला अस्पताल, संभल भेजा गया। यह भी उल्लेख किया गया कि पूरी घटना शुरू से अंत तक सुबह 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कई साहसी पत्रकारों और उनके सहायक फोटोग्राफरों द्वारा कवर की गई।

दंगा के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। नगर निगम की सहायता से LIU और फील्ड यूनिट की उपस्थिति में साक्ष्य संग्रह के लिए घटनास्थल के आसपास की नालियों को साफ किया गया, जिसके दौरान 19 खोखा कारतूस बरामद किए गए, जिनमें एक 9 एमएम कारतूस शामिल था, जिस पर POF (पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री) का चिह्न था। पुलिस पर हमले और दंगे के संबंध में 11 मामले दर्ज किए गए। दंगे के दौरान कुल 28 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घायल या जखमी हुए। आगजनी और तोड़फोड़ के कारण निजी और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान का मूल्यांकन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा कुल ₹1,15,68,000 आंका गया।

दंगे के दौरान घटनास्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों ने चेतावनी शॉट्स फायर किए जिसमें कांस्टेबल अमृत सिंह ने 12-बोर पंप-एक्शन गन से दो चेतावनी शॉट्स फायर किए, कांस्टेबल नवीन कुमार ने चार शॉट्स फायर किए, कांस्टेबल सचिन कुमार ने तीन चेतावनी शॉट्स फायर किए, इंस्पेक्टर-इन-चार्ज अनुज तोमर ने 9-एमएम पिस्तौल से हवा में दो राउंड फायर किए और उनके साथी राजपाल ने 12-बोर पंप-एक्शन गन से दो चेतावनी शॉट्स फायर किए। घटना के दौरान किसी अन्य पुलिस कर्मी ने घातक हथियारों का उपयोग नहीं किया। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सामाजिक सौहार्द और शांति को प्राथमिकता दी, संयम बरता और घातक हथियारों का उपयोग करने से बचे। इसके बजाय आत्मरक्षा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गैर-घातक दंगा नियंत्रण उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, जिससे कुछ घंटों में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। परिणामस्वरूप पुलिस के हथियारों से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, जिससे उपद्रवियों को राज्य और देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़काने से रोका गया और उनकी योजनाओं को विफल कर दिया गया। पुलिस ने हिंदू आबादी की जान और माल की रक्षा करने में भी सफलता प्राप्त की, जिससे हिंसा केवल पुलिस और दंगाइयों के बीच सीमित रही।

पूरक शपथ-पत्र में SP ने आगे कहा कि दिनांक 19.11.2024 की शाम को भीड़ एकत्र करके सर्वेक्षण में बाधा डालने के बाद दिनांक 21.11.2024 को संभल सांसद के नाम से बने एक व्हाट्सएप ग्रुप में अब्दुल्ला और कासिफ हुसैन नाम के दो व्यक्तियों ने एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया, **“संभल के सभी लोग शुक्रवार की नमाज शाही जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में अदा करें और शाही जामा मस्जिद के पास की मस्जिदों में नहीं। केवल शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करें, और इस संदेश को यथासंभव साझा करें।”** इसी तरह का आह्वान मन्नत नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया गया ताकि शुक्रवार की नमाज के लिए शाही जामा मस्जिद में बड़ी भीड़ एकत्र हो।

दिनांक 22.11.2024 को भीड़ को सुनियोजित रूप से एकत्र किया गया और स्थानीय सांसद ने धार्मिक भावनाओं को भड़काकर भीड़ को उकसाया, मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, **“यह मस्जिद है, मस्जिद थी, और मस्जिद रहेगी। कोई भी हमारी मस्जिद हमसे नहीं ले सकता।”** इन उकसाने वाले बयानों को समर्थकों ने व्हाट्सएप ग्रुपों और अन्य माध्यमों से प्रसारित किया ताकि लोगों को भड़काया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि यदि सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ तो इसे किसी भी कीमत पर रोका जाए। दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण पूरा न होने के कारण कोर्ट कमिश्नर ने दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का पत्र दिया और इस पत्र की एक प्रति दिनांक 23.11.2024 की शाम को जफर अली, मस्जिद के सदर को उनके निवास पर दी गई। अगले दिन दिनांक 24.11.2024 को शेष सर्वेक्षण के लिए सुबह 07:00 बजे से विस्तृत व्यवस्थाएं की गईं। इसके बाद जफर अली ने दिनांक 23.11.2024 को रात 10:01 बजे 38 सेकंड की कॉल के माध्यम से माननीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क को सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया, जैसा कि जफर अली के CDR में दर्ज है। बाद में रात 11:04 बजे श्री बर्क ने जफर अली को कॉल किया, जैसा कि CDR में दर्ज है। चूंकि श्री बर्क संभल में मौजूद नहीं थे, उन्होंने और जफर अली ने भीड़ एकत्र करने की योजना बनाई, जिसमें जफर अली, जामा मस्जिद के सदर को जिम्मेदारी सौंपी गई, जो अपनी स्थिति के कारण कम समय में बड़ी भीड़ जुटा सकते थे। श्री बर्क के निर्देशों का पालन करते हुए जफर अली ने आधी रात को सुहेल खान (जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के कैशियर) के निवास पर अन्य कमेटी सदस्यों के साथ एक बैठक की, जिसमें सर्वेक्षण और श्री बर्क के निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। श्री बर्क से जफर अली को दिनांक 24.11.2024 को रात 12:32 बजे और 01:48 बजे कॉल प्राप्त हुईं, जिनमें भीड़ एकत्र करने और सर्वेक्षण को हर हाल में रोकने की योजना बनाई गई, किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की गई। व्हाट्सएप कॉल इंटरैक्शन भी CDR में दर्ज किए गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक शपथ-पत्र में श्री बर्क ने झूठा दावा किया कि उन्हें दिनांक 24.11.2024 को निर्धारित सर्वेक्षण की कोई जानकारी नहीं थी, जो पूरी तरह से असत्य है। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही नियमों के

अनुसार शुरू हुई और सुचारु रूप से चल रही थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदस्य जिनमें सदर जफर अली शामिल थे, अंदर मौजूद थे। सुबह लगभग 08:30 बजे जफर अली ने एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद छोड़ दी, 2-3 व्यक्तियों को इशारा किया, उनसे फुसफुसाकर बात की और उन्हें मस्जिद के पीछे की ओर भेजा। इसके तुरंत बाद एक आक्रामक भीड़ गलियों से निकलकर आई, जो अवैध हथियारों से लैस थी, चेहरे ढके हुए थे, नारे लगा रहे थे, और सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे थे। भीड़ ने दावा किया कि जफर अली ने कहा था कि वजू के टैंक का पानी निकाला जा रहा है और मस्जिद की खुदाई की जा रही है, जिसने घटना को हिंसक बना दिया। दिनांक 25.11.2024 को जफर अली ने पुलिस पर दबाव डालने और उनके खिलाफ झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें गंभीर और झूठे आरोप लगाए गए। यह घटना जफर अली द्वारा श्री जिया-उर-रहमान बर्क के साथ मिलकर सर्वेक्षण को रोकने के लिए रची गई थी, जिसके लिए कोतवाली पुलिस स्टेशन, संभल में श्री जिया-उर-रहमान बर्क और सुहेल इकबाल के खिलाफ क्राइम नंबर 335/24 दर्ज किया गया। आरोपी जफर अली को इस मामले में दिनांक 23.03.2025 को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया।

दिनांक 24.11.2024 को निर्धारित सर्वेक्षण की जानकारी दिनांक 23.11.2024 तक सभी को थी, जिसके दौरान पहले संभल में सक्रिय शारिक साठा गिरोह ने अपनी प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। शारिक साठा जो 2020 में नकली पासपोर्ट बनाकर दुबई भाग गया था, वहां से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा था। सर्वेक्षण को अपने और अपने गिरोह के लिए एक अवसर के रूप में देखते हुए शारिक साठा ने अपने प्रमुख सदस्य गुलाम नवी को प्रतिबंधित जंगी ऐप के माध्यम से निर्देश दिए कि भीड़ में सशस्त्र सदस्यों को शामिल करें तथा अपने 2-4 लोगों और 2-4 पुलिसकर्मियों को मारें ताकि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाए और संभल में अपनी प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया जाए। इन निर्देशों का पालन करते हुए गुलाम नवी ने अपने सहयोगियों मुल्ला अफरोज और वारीश को अवैध

हथियार प्रदान किए, जिन्होंने धुएं और अराजकता का फायदा उठाकर नियोजित गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हुई, एक व्यक्ति घायल हुआ और 28 पुलिस अधिकारी और कर्मी घायल हुए। गुलाम को दिनांक 20.02.2025 को दो मोबाइल फोनों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक शारिक साठा की पत्नी रोशन जहां का था, जिसमें एक विदेशी नंबर था। उनकी जानकारी के आधार पर तीन पिस्तौल और एक देसी हथियार के साथ कारतूस (विदेशी/घरेलू) बरामद किए गए, जिसके लिए कोतवाली पुलिस स्टेशन में गुलाम के खिलाफ धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत क्राइम नंबर 34/25 दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान गुलाम ने शारिक साठा के निर्देशों पर घटना को अंजाम देने और मुल्ला अफरोज और वारीश को हथियार प्रदान करने की बात कबूल की। मुल्ला अफरोज को दिनांक 19.01.2025 को एक 0.32-बोर पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने मृतक अयान और बिलाल को गोली मारने की बात कबूल की। घटनास्थल से बरामद तीन प्रयोग किए गए कारतूस मुल्ला अफरोज से बरामद पिस्तौल से निकले थे जैसा कि FSL आगरा की बैलिस्टिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई। वारीश को दिनांक 24.11.2025 को एक 315-बोर देसी हथियार, दो जिंदा कारतूस, दो प्रयोग किए गए 315-बोर कारतूस और दो मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। एक मोबाइल में एक रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल थी जिसमें वारीश एक अन्य आरोपी समीर (दिनांक 24.11.2024 को गिरफ्तार) को जामा मस्जिद के पीछे हथियार लाने के लिए कह रहा था। वारीश ने मृतक नईम और मोहम्मद कैफ को गोली मारने और वसीम को घायल करने की बात कबूल की। उससे बरामद दो 315-बोर प्रयोग किए गए कारतूसों की FSL आगरा की रिपोर्ट के अनुसार उसके हथियार से निकले थे। पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी याकूब के पास एक 12-बोर देसी हथियार, तहजीब के पास एक 315-बोर देसी हथियार, आफताब के पास एक 12-बोर देसी हथियार, सलीम के पास एक 12-बोर देसी हथियार और साजेब उर्फ तिल्लन के पास एक 12-बोर देसी हथियार बरामद हुआ। बैलिस्टिक परीक्षण और फील्ड यूनिट द्वारा बरामद प्रयोग किए गए कारतूसों के मिलान पर याकूब के हथियार से दो प्रयोग किए गए

कारतूस और तहजीब, आफताब, सलीम और साजेब उर्फ तिल्लन के हथियारों से एक-एक प्रयोग किया गया कारतूस पाया गया।

पूरी घटना को FSL आगरा के बैलिस्टिक विशेषज्ञों द्वारा अपराध स्थल पुनर्निर्माण के माध्यम से पुनः नियोजित किया गया। विशेषज्ञ टीम ने स्थल का भौतिक निरीक्षण किया, FIR, मृतकों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घायलों की चोट रिपोर्ट, नक्शा नजरी, विवेचक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच की और स्थल से बरामद वस्तुओं का परीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि मृतक अयान के शरीर पर बंदूक की चोट संभवतः नजदीकी दूरी से की गई गोलीबारी के कारण थी। मृतक नईम, कैफ और बिलाल के शरीर पर बंदूक की चोटें नजदीकी दूरी से परे की गई गोलीबारी के कारण थीं। मृतकों पर चोटें 315-बोर जैसे बुलेट कारतूसों के कारण थीं। सर्किल अधिकारी, संभल और SI संजीव कुमार के पैर पर चोटें संभवतः 12-बोर जैसे हथियारों से नजदीकी दूरी से परे की गई गोलीबारी के कारण थीं। मृतकों/घायलों के स्थान और पुलिस पिकेट के स्थान एक-दूसरे के अनुरूप नहीं थे। बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस पिकेट के स्थानों से निकली गोलियां मृतकों के स्थानों तक पहुंचना संभव नहीं था। इस हिंसक घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन, संभल में क्राइम नंबर 333/24 में 39 आरोपियों, क्राइम नंबर 334/24 में 38 आरोपियों, क्राइम नंबर 336/24 में 37 आरोपियों, क्राइम नंबर 337/24 में 53 आरोपियों और नखासा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 304/24 में 25 आरोपियों और क्राइम नंबर 305/24 में 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई हैं। शेष वांछित आरोपियों के विरुद्ध विवेचना जारी है।

इस घटना में दिनांक 19.11.2024 को भीड़ एकत्र करके सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक बाधित करने के बाद सांसद और मस्जिद समिति का आत्मविश्वास बढ़ा। दिनांक 21.11.2024 को व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लोगों को जामा मस्जिद में बुलाया गया और दिनांक 22.11.2024 को भीड़ को उकसाया गया, जिससे माहौल अत्यधिक अस्थिर हो गया। दिनांक 23.11.2024 की शाम को सर्वेक्षण की जानकारी प्राप्त होने के बाद श्री बर्क और जफर अली ने विभिन्न स्तरों पर योजना बनाई, बैठकों

का आयोजन किया और माहौल को अत्यंत संवेदनशील बना दिया। इस अत्यधिक अस्थिर वातावरण में शारिक साठा ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक नापाक प्रयास किया, जिसे उसके गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया। भीड़ द्वारा पुलिस के हथियार लूटने और पुलिस पर जानलेवा हमले करने के बावजूद पुलिस ने संयम बरता और घातक हथियारों का उपयोग नहीं किया, जैसा कि FSL आगरा की बैलिस्टिक विशेषज्ञ टीम की अपराध स्थल पुनर्निर्माण रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई। पुलिस और प्रशासन की समझदारी से उपद्रवियों को राज्य और देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़काने से रोका गया और उनकी योजनाएं विफल हो गईं।

आयोग के समक्ष यह कहा गया कि इस घटना से पहले संभल जिले में 15 हिंसक घटनाएं हो चुकी थीं। दिनांक 19.11.2024 को जिला मजिस्ट्रेट ने दोपहर 03:45 बजे कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से उन्हें माननीय न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित किया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने तीन सदस्यीय समिति गठित की। जब सर्वेक्षण दल और वे शाम लगभग 06:00 बजे मस्जिद पहुंचे, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल 200 समर्थकों के साथ जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थे। लगभग 30 मिनट बाद माननीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्हें धारा 163 BNSS के बारे में सूचित किया गया लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और 10-15 समर्थकों के साथ जबरन मस्जिद में प्रवेश किया। प्रवेश करने पर उन्होंने सर्वेक्षण समिति के सदस्यों से कहा, **“आप बाहरी लोग, मस्जिद के अंदर कैसे आए? आप संभल का माहौल खराब करना चाहते हैं।”** इस बीच, मस्जिद के बाहर और छतों पर एकत्र भीड़ ने धार्मिक उन्मादपूर्ण नारे लगाने शुरू कर दिए। SP ने माननीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और सुहेल इकबाल के समर्थकों को लाउडस्पीकर के माध्यम से समझाया, उन्हें घर लौटने और न्यायालय की कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया। शाम लगभग 07:00–07:15 बजे तक अंधेरा हो गया था और सदर ने कहा कि यह नमाज का समय था। भीड़ द्वारा निरंतर व्यवधान के कारण सर्वेक्षण कार्यवाही को रोक दिया गया और उस दिन इसे पूरा नहीं किया जा सका। सर्वेक्षण आयुक्त ने उनकी उपस्थिति में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं

को सूचित किया कि शेष सर्वेक्षण बाद में आयोजित किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्यवाही समाप्त होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने पत्रकारों को सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी और माननीय सांसद श्री बर्क ने भी मीडिया को बाइट दी। दिनांक 19.11.2024 की शाम को एकत्र भीड़ और घटित घटनाओं को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि शेष सर्वेक्षण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर सकता है। स्थिति का अनुमान लगाते हुए SP ने पांच PAC कंपनियों का अनुरोध किया, जो उन्हें शुक्रवार की नमाज से पहले प्रदान की गईं। LIU ने भी शुक्रवार की नमाज के दिन जामा मस्जिद में भारी भीड़ एकत्र होने की आशंका व्यक्त की। विभिन्न धार्मिक नेताओं द्वारा जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को एक विस्तृत ड्यूटी चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। दिनांक 21.11.2024 की शाम को उन्होंने प्रभावशाली व्यक्तियों (सदर जामा मस्जिद, शहर काजी, आदि) की व्यवस्था की ताकि वे घोषणा करें कि नमाज अपनी-अपनी मस्जिदों में अदा की जाए और अनावश्यक अफवाहों या बयानों से बचा जाए। माननीय सांसद श्री बर्क और स्थानीय विधायक के निवास जामा मस्जिद से लगभग 2 किमी दूर हैं, और वे आमतौर पर अपनी-अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। शुक्रवार को माननीय सांसद श्री बर्क और विधायक के बेटे श्री सुहेल इकबाल ने अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में नमाज अदा करने के बजाय जामा मस्जिद में नमाज अदा की। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों (संभल सांसद, मन्नत, आदि) के माध्यम से भेजे गए संदेशों और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों ने अपने समुदाय को भड़काने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों को जामा मस्जिद में लाया, मस्जिद की सीढ़ियों से भीड़ और मीडिया को संबोधित किया, जिसने संभल का माहौल अत्यधिक संवेदनशील बना दिया। दिनांक 23.11.2024 की शाम को कोर्ट कमिश्नर ने दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र भेजा। जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त जानकारी के आधार पर SP ने अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के लिए पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया। SDM और सर्किल अधिकारी संभल ने दिनांक 23.11.2024 की देर शाम को सदर जामा मस्जिद जफर अली के निवास पर सर्वेक्षण नोटिस पहुंचाया। दिनांक

23.11.2024 को ड्यूटी चार्ट तैयार करने के बाद SP ने शाम को सभी जोनल और सेक्टर पुलिस अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से एक ब्रीफिंग आयोजित की, जिसमें उन्हें दिनांक 24.11.2024 को सुबह 06:00 बजे तक अपने निर्धारित ड्यूटी पॉइंट्स पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ पहुंचने का निर्देश दिया, दिनांक 19.11.2024 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए। दिनांक 24.11.2024 की घटना के संबंध में यह कहा गया कि वे संतुष्ट हैं कि संभल पुलिस ने संयम और बहादुरी के साथ एक नियोजित साजिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जिसके दौरान उन्हें और 28 पुलिस कर्मियों को मामूली और गंभीर चोटें आईं।

घटना के दिन SP ने हजारों की भीड़ को उन्मादपूर्ण नारे लगाते हुए देखा, जो मस्जिद के पीछे तीन तरफ से एकत्र थी, सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही थी। कई लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे थे और वे खतरनाक हथियारों जैसे देसी बंदूकों से लैस थे। उन्होंने यह भी देखा कि वे निर्माण के लिए रखी गई ईंटों को तोड़कर टुकड़े कर रहे थे, उन्हें बोरे में भर रहे थे और दूसरों को पथराव के लिए बांट रहे थे। जब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए तो कुछ चालाक दंगाइयों ने जिनके चेहरे ढके हुए थे, पुलिस द्वारा फेंके गए आंसू गैस के गोलों को उठाकर पुलिस की ओर वापस फेंक दिया। घटना के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पूरी घटना के दौरान संभल पुलिस की स्थिति को भीड़ द्वारा भेदा नहीं जा सका और उन्हें हिंदू-प्रधान मोहल्लों या बाजारों में प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिससे घटना को सांप्रदायिक रूप लेने से रोका गया। सर्वेक्षण दल को पुलिस सुरक्षा में सरथल चौकी के माध्यम से सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया, जिससे हिंसा को सांप्रदायिक होने से रोका गया। इस घटना में कुल 12 मामले दर्ज किए गए, और लगभग छह चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें बाद में पूरक चार्जशीट प्रस्तुत की जाएंगी। अब तक की जांच से साक्ष्य मिले हैं कि दिनांक 24.11.2024 की हिंसक घटना मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वेक्षण को रोकने के लिए एक नियोजित साजिश का परिणाम थी। सभी चार मृतकों की हत्याएं एक नियोजित साजिश का परिणाम थीं और मुस्लिम पक्ष द्वारा देशी बंदूकों का उपयोग करके दंगे

भड़काने के लिए गोलीबारी की गई। मृतकों के पक्ष से किसी भी व्यक्ति ने यह दावा करते हुए कोई FIR दर्ज नहीं की कि उनके परिजनों की मृत्यु पुलिस की गोलीबारी के कारण हुई, जैसा कि FSL, आगरा के बैलिस्टिक विशेषज्ञों और अपराध स्थल पुनर्निर्माण द्वारा पुष्टि की गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद पहले आंसू गैस के गोले दागे, जो बहुत प्रभावी नहीं थे। इसके बाद चिली ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड और अमिटस्याही गोले का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त 12-बोर पंप-एक्शन बंदूकें उपयोग की गईं और SHO कोतवाली ने अपनी सर्विस 9-एमएम पिस्तौल से दो हवाई शॉट्स फायर किए। पूरी घटना के दौरान पुलिस ने समझदारी और संयम का प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया। घायलों के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से तुरंत अस्पतालों को सूचित किया गया और उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत अस्पतालों में पहुंचाया गया, SP को भी चोटें आईं।

B. ICW-19 श्रीश्रंद, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), संभल जिला ने आयोग के समक्ष अपने बयान में कहा कि संभल कस्बे की आबादी 80% मुस्लिम और 20% हिंदू है। इस कस्बे का सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास रहा है। दंगों और हिंसा के माहौल और पृष्ठभूमि के कारण, संभल कस्बे में मुस्लिम धार्मिक उग्रवाद बढ़ा है और धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देने और उकसाने वाले तत्वों को भी बल मिला है, जिससे धार्मिक उग्रवाद के लिए उपजाऊ आधार तैयार हुआ है। आतंकवादी संगठनों ने भी अपनी जड़ें फैलाई हैं, जिनमें अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS), हरकत-उल-मुजाहिदीन, यूनियन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (SAMU-ISIS) और प्रतिबंधित संगठन सिमी जैसे प्रमुख संगठन संभल में सक्रिय पाए गए हैं।

दिनांक 19 नवंबर, 2024 को माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने सिविल वाद संख्या 182/24, हरिशंकर जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और विवादित संपत्ति के सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसमें कार्यवाही की पूर्ण वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ 29 नवंबर, 2024 तक माननीय न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

दिनांक 19.11.2024 के माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सर्वेक्षण लगभग डेढ़ घंटे तक सभी संबंधितों की उपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारियों और कर्मियों, वादी के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा, विष्णु शंकर जैन और प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विष्णु शर्मा (भारत सरकार का प्रतिनिधित्व), श्री प्रिंस शर्मा (DGC, सिविल) और मस्जिद समिति के अधिवक्ता के साथ-साथ जामा मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली, अधिवक्ता की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान महत्वपूर्ण व्यवधान हुए। सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और अन्य राजनीतिक हस्तियों के समर्थकों सहित भीड़ जामा मस्जिद के परिसर के अंदर और बाहर एकत्र हुई और सर्वेक्षण के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मस्जिद समिति ने कहा कि नमाज होने वाली थी और भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सर्वेक्षण कार्यवाही को रोक देना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक हस्तियों द्वारा सक्रिय विरोध और हस्तक्षेप के कारण 19 नवंबर, 2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी।

दिनांक 22 नवंबर, 2024 को संभल के माननीय सांसद ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के और पहले से लागू धारा 163 BNSS का उल्लंघन करते हुए जामा मस्जिद में नमाजियों की बड़ी सभा के सामने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस संबोधन के दौरान सांसद ने न्यायालय के आदेश से अपनी असहमति व्यक्त की और एक विशेष समुदाय को जामा मस्जिद की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया, साथ ही राजनीतिक लाभ के लिए सभा को उकसाया जो संवेदनशील माहौल में उकसाने वाला था। परिणामस्वरूप संभल कस्बे का माहौल संवेदनशील से अत्यधिक संवेदनशील हो गया। 22 नवंबर, 2024 को माननीय सांसद के कृत्य को ध्यान में रखते हुए 23 नवंबर, 2024 को धारा 168 BNSS के तहत एक नोटिस जारी किया गया और लगभग 500 पहचान किए गए व्यक्तियों के खिलाफ धारा 126/135 BNSS के तहत निवारक कार्रवाई शुरू की गई। शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुसार बिंदुवार ड्यूटियां सौंपी गईं।

दूसरे सर्वेक्षण की जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक और उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों जिनमें सर्किल अधिकारी संभल, प्रभारी कोतवाली संभल, प्रभारी नखासा पुलिस स्टेशन और थाना प्रभारी हयात नगर साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदायों के सम्मानित व्यक्तियों के साथ चर्चा की। स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं और सर्वेक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई, यह बताते हुए कि सर्वेक्षण न्यायालय के आदेशों के तहत किया जा रहा है और यह कब्जे की प्रक्रिया नहीं है। जनता से भी अनुरोध किया गया कि वे दूसरों को सूचित करें और अफवाहों से सावधान रहें। 23 नवंबर, 2024 को कुंदरकी उपचुनाव का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी ने वह सीट खो दी जो पहले जिया-उर-रहमान बर्क के पास थी। उपचुनाव की हार के जवाब में संभल के माननीय सांसद ने पुलिस और प्रशासन को दोष देना और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना जारी रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, “उत्तर प्रदेश में संविधान की हत्या कर दी गई है” जैसे बयानों का उपयोग किया गया, जिसने जनता को पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भड़काकर हिंसा के लिए अनुकूल माहौल बनाया।

उन्होंने आगे कहा कि 24 नवंबर, 2024 को शेष सर्वेक्षण की जानकारी प्राप्त होने पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गईं और पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुसार, विस्तृत ड्यूटी चार्ट के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुबह 6:00 बजे से साथी पुलिस बलों के साथ गश्त शुरू की। सभी सर्किल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी-अपनी ड्यूटियों की जांच करें। सर्किल अधिकारियों ने बताया कि सभी अधिकारी और कर्मी अपने निर्धारित ड्यूटी स्थानों पर मौजूद थे और उन्होंने इस रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक को सूचित किया। सुबह लगभग 8:00 बजे जानकारी प्राप्त हुई कि जामा मस्जिद के गेट और हिंदू निवासों के पास भीड़ एकत्र हो रही थी, लोग छतों पर जमा हो रहे थे। इस जानकारी के प्राप्त होने पर उन्होंने सभी सर्किल अधिकारियों को वायरलेस के माध्यम से निर्देश दिया कि सभी ड्यूटियां सतर्क रहें और शांति और व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने जामा मस्जिद के पास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को प्रोत्साहित किया कि वे भीड़ को

समझाएं और शांत करें। कुछ महिलाओं और युवाओं ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की लेकिन उत्तेजित भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी।

सुबह लगभग 9:00 बजे जानकारी प्राप्त हुई कि भीड़ में कुछ लोग पेट्रोल बम फेंक रहे थे। इस दौरान सर्किल अधिकारी संभल ने बताया कि उनके सामने वाली गली में एक निर्माणाधीन मकान के पास भीड़ ईंटें तोड़ रही थी और पथराव कर रही थी। वे बल के साथ ढालान तिराहा पहुंचे और देखा कि एकरात की मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर भीड़ एकत्र थी। भीड़ में कुछ व्यक्तियों ने अपने चेहरे मास्क, रुमाल एवं कपड़ों से ढक रखे थे। कुछ लोग हथियार लिए हुए थे और उन्हें पुलिस की ओर लहरा रहे थे। उन्होंने लाउडहेलर का उपयोग करके भीड़ को संबोधित करने की कोशिश की तथा उन्हें अपने घरों में लौटने का आग्रह किया। शांति बनाए रखने के लिए बार-बार अपील की गई, लेकिन भीड़ ने अनुपालन नहीं किया और पुलिस पर ईंटें और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। भीड़ ने पुलिस बलों पर पेट्रोल बम भी फेंके। पथराव में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। उनके साथी कांस्टेबल यशपाल, सौरभ प्रताप और कई अन्य घायल हुए। स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके निर्देश पर कांस्टेबल विकास कुमार ने दंगा नियंत्रक उपकरण से तीन राउंड फायर किए और कांस्टेबल सोमवीर ने चार आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ पीछे हटने से इनकार कर रही थी और उत्तेजित ढंग से नारे लगा रही थी। मौके पर मौजूद वाहनों में आग लगा दी गई। उन्होंने RT सेट के माध्यम से बताया कि भीड़ हथियारों से लैस थी और धुएं में अंधाधुंध गोलीबारी कर रही थी, अपनी आंखें मल रही थी, विस्फोट हो रहे थे। उन्होंने सभी बलों को कवर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने मौजूद पुलिस बलों को एकत्र किया और वारसी जिम गली की ओर बढ़े, जहां पथराव सबसे अधिक था। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कांस्टेबल विकास कुमार ने दंगा नियंत्रक उपकरण से दो राउंड फायर किए और कांस्टेबल सोमवीर ने दो आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ ने पथराव जारी रखा जिससे पुलिस बलों को आगे बढ़ने से रोका गया। इस स्थान पर उनके साथी कांस्टेबल दीपक कुमार और नवदीप चौधरी घायल हुए। स्थिति काफी बिगड़

गई, जिसमें जामा मस्जिद की पीछे की सड़क, वारसी जिम गली और सामने की गली से एक साथ भीड़ ने पुलिस बलों पर पथराव किया। उनके निर्देश पर कांस्टेबल विकास कुमार ने दंगा नियंत्रक उपकरण से चार राउंड फायर किए और कांस्टेबल सोमवीर ने पांच आंसू धुआं गोले दागे। आंसू गैस दागने के बाद क्षेत्र में भारी धुआं छा गया और भीड़ अंधाधुंध गोलीबारी कर रही थी। घटना के दौरान वे और उनके साथी कांस्टेबल सोमवीर सिंह घायल हुए। सुबह लगभग 9:45 बजे उन्होंने रिजर्व पुलिस बल और प्रभारी QRT चौधरी सराय को RT सेट के माध्यम से तुरंत जामा मस्जिद पहुंचने का निर्देश दिया और पुलिस अधीक्षक को स्थिति की जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस बलों के पहुंचने पर कांस्टेबल विकास कुमार ने दंगा नियंत्रक उपकरण से एक राउंड फायर किया और कांस्टेबल सोमवीर ने एक आंसू धुआं गोला दागा ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जाए। दंगाई सकरी गलियों में छिप गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान टैंक के पास एक घायल दंगाई मिला और उन्होंने प्रभारी इंस्पेक्टर, संभल को निर्देश दिया कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करें ताकि उसे अस्पताल भेजा जाए। दंगाइयों ने सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त किए निजी और सार्वजनिक मोटरसाइकिलों, कारों, बिजली ट्रांसफार्मर और तारों में आग लगा दी। इस बीच यह जानकारी मिली कि सर्किल अधिकारी संभल और प्रभारी इंस्पेक्टर संभल घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल भेजा गया। जानकारी मिली कि कुछ दंगाई एकता पुलिस पोस्ट पर एकत्र हुए थे और वहाँ आग लगा सकते थे। उप-निरीक्षक शाह फैसल, प्रभारी दीपा सराय पोस्ट ने बताया कि अंजुमन से कुछ दंगाइयों ने उनकी बुलेट मोटरसाइकिल छीन ली, उनकी पिस्तौल छीनने की कोशिश की और झड़प के दौरान भीड़ ने मैगजीन छीन ली। उन्होंने एक लेपर्ड मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी और दो अन्य वाहनों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर पहुंचने पर भीड़ तितर-बितर हो गई और दो मोटरसाइकिलों को जलने से बचाया गया। आगे जानकारी मिली कि कुछ दंगाई नखासा पुलिस स्टेशन के हिंदूपुरा क्षेत्र में पहुंच गए थे और पुलिस बलों पर पथराव कर रहे थे। हिंदूपुराखेड़ा पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पुरुष और महिलाएं गलियों और छतों से पुलिस पर पथराव कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भीड़ से अपने घरों में लौटने की अपील की लेकिन भीड़ ने अनुपालन नहीं

किया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। महिला पुलिस बल को बुलाया गया। हिंसक भीड़ ने पुलिस अधीक्षक और उनके PRO पर हमला किया। अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिस के पहुंचने पर भीड़ तितर-बितर हो गई। दोपहर लगभग 1:30 बजे वे साथी बलों और QRT चौधरी सराय के साथ अंजुमन चौराहा पहुंचे और दूसरा QRT दिल्ली दरवाजा भेजा गया। भीड़ को गैर-घातक प्लास्टिक पैलेट, डंडों और बैटन का उपयोग करके तितर-बितर किया गया। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद दोपहर लगभग 2:00 बजे वे और घायल साथी कर्मी चिकित्सा जांच के लिए जिला अस्पताल, संभल पहुंचे और फिर क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लौट आए। पुलिस पर हमले और दंगों के संबंध में कुल 11 मामले दर्ज किए गए और दंगों के दौरान 25 पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मी घायल हुए। दंगाइयों ने कुल 12 निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की।

यह भी कहा गया कि 24 नवंबर, 2024 को दंगाई भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पूर्व नियोजित घातक गोलीबारी की। 19 नवंबर, 2024 के बाद दंगों की तैयारी एक नियोजित तरीके से की गई थी और स्थानीय विघटनकारी तत्वों को जामा मस्जिद में हिंसा भड़काने के लिए उकसाया गया था। यह घटना पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के समन्वय के कारण दंगे में तब्दील हो गई। दंगों के दौरान दंगाइयों में से एक कैफ घायल पाया गया, जहां 9 एमएम कैलिबर के पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री (POF) के प्रयोग किए गए कारतूस मिले, जिससे इस तथ्य को बल मिलता है कि विदेशी तत्व या उनसे जुड़े लोग दंगों में शामिल थे। अवैध हथियारों से लैस दंगाई जानबूझकर अन्य दंगाइयों की दिशा में गोलीबारी कर रहे थे ताकि संभल में घटना को बढ़ाया जाए, जिसका प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो। स्थानीय नेताओं ने दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जामा मस्जिद में उकसाने वाले भाषणों के माध्यम से दंगाइयों को भड़काया और मोबाइल फोनों के माध्यम से संदेश फैलाकर भीड़ एकत्र करने और दंगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का काम किया। न तो उन्होंने और न ही उनके साथी कर्मियों ने दंगों के दौरान घातक हथियारों का

उपयोग किया; केवल आंसू गैस गोले और दंगा नियंत्रक उपकरण आवश्यकतानुसार दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए उपयोग किये गए।

आयोग के समक्ष यह कहा गया कि सर्वेक्षण 24 नवंबर, 2024 को निर्धारित था और स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) ने संवेदनशीलता के संबंध में जानकारी प्रदान की थी। तदनुसार मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में बल तैनात किए गए थे। 22 नवंबर, 2024 को शुक्रवार की नमाज के दौरान स्थानीय सांसद दोपहर लगभग 1:00 बजे बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे। सामान्य रूप से सांसद जामा मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते और अपने क्षेत्र दीपा सराय में नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद उन्होंने जामा मस्जिद के मुख्य गेट की सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रेस/मीडिया व्यक्तियों को संबोधित किया, प्रशासन के अनुरोध के बावजूद उन्होंने अपना संबोधन जारी रखा, जिसमें कहा गया कि पुलिस कितने ही ड्रोन तैनात कर ले, **“मस्जिद थी, है, और रहेगी, और हमें इसे हर हाल में बचाना है।”** इसके माध्यम से उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश दिया, यह जोड़ते हुए कि सर्वेक्षण में मस्जिद के अलावा कुछ नहीं मिला। अधिकारियों ने फिर से अनावश्यक भीड़ जमा करने से बचने का अनुरोध किया क्योंकि धारा 163 BNSS लागू थी, जिसके बाद वे पास के एक मैदान में चले गए और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) ने जानकारी दी थी कि सर्वेक्षण के दौरान भारी भीड़ एकत्र हो सकती है। उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ चर्चा की और यह स्पष्ट हुआ कि सांसद बर्क, विधायक इकबाल महमूद और मस्जिद समिति के अधिकारी जफर अली, लड्डन और आपराधिक तत्व इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल थे और बाहरी लोगों को आश्रय दे रहे थे। 24 नवंबर, 2024 को हुई घटना के बाद उन्होंने स्थिति का आकलन किया और कई व्यक्तियों के साथ चर्चा की। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि संभल में सांप्रदायिक घटनाओं में हमेशा चार समूह प्रभावशाली रहे हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं: पहला, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं; दूसरा, संभल शहर में मुस्लिम समुदाय में धार्मिक उन्माद; तीसरा, मस्जिद समिति के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं; और चौथा, आपराधिक गिरोहों की

सक्रिय भूमिका। इन महत्वाकांक्षाओं के कारण वर्तमान सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और विधायक श्री इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने इस घटना में सक्रिय भूमिका निभाई और लोगों को उकसाया।

दिनांक 23 नवंबर, 2024 की रात को सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क दिल्ली और बाद में बंगलुरु पहुंचे लेकिन अपने समर्थकों और जामा मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली के साथ देर रात तक मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रहे। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय में दायर एक रिट में उन्होंने दावा किया कि उन्हें 24 नवंबर, 2024 को निर्धारित दूसरे सर्वेक्षण की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की थी, जबकि 23/24 नवंबर, 2024 को लगभग 12:00 बजे जामा मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली के साथ व्हाट्सएप और नियमित कॉल्स हुई थीं। इससे पहले 23 नवंबर, 2024 को लगभग 9:00 बजे रात को सर्किल अधिकारी संभल और उप-मंडल मजिस्ट्रेट संभल ने जफर अली के निवास पर जाकर दूसरे सर्वेक्षण के संबंध में नोटिस दिया और उनकी सहमति से सर्वेक्षण का समय 24 नवंबर, 2024 को सुबह 7:00 बजे तय किया गया। वर्तमान संभल विधायक श्री इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल जो जामा मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते, दूसरे सर्वेक्षण के दिन 24 नवंबर, 2024 को सुबह 5:00-5:30 बजे मस्जिद पहुंचे और पास में रहने वाले अधिवक्ता श्री मशहूद अली के निवास पर गए, जहां उन्होंने लोगों के साथ चर्चा की। सुबह लगभग 6:30 बजे ड्यूटी की जांच के दौरान उन्हें अधिवक्ता मशहूद अली के निवास पर कई लोगों के साथ देखा गया। वरिष्ठ अधिकारियों और उनके द्वारा उन्हें संवेदनशील मामले के कारण अपने निवास पर लौटने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही चले जाएंगे लेकिन नहीं गए। बाद में पता चला कि उन्होंने नमाज से पहले कई लोगों से मुलाकात की और नमाज के बाद अधिवक्ता मशहूद अली के निवास से हिंसक घटना में सक्रिय भूमिका निभाई। LIU की जानकारी से यह भी पता चला कि लोकसभा चुनावों के दौरान दोनों पक्षों ने अपने विवादों को सुलझा लिया था लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने सतही रूप से सुलह की जबकि जामा मस्जिद के मामले में अपनी-अपनी समूहों को

उकसाकर मुस्लिम हितों के बड़े रक्षक के रूप में खुद को चित्रित किया। जामा मस्जिद समिति के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं भी इस घटना में स्पष्ट थीं, जिसमें वर्तमान जामा मस्जिद अध्यक्ष अधिवक्ता जफर अली और अधिवक्ता श्री मशहूद अली फारूकी दो गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे। मशहूद अली फारूकी जो सैयद समुदाय से हैं, सामान्य रूप से दावा करते हैं कि जामा मस्जिद के पास और इसके परिसर में मौजूद कब्रें उनके पूर्वजों की हैं और मस्जिद और आसपास की जमीन उनकी है। दोनों ने हिंसक घटना में सक्रिय भूमिका निभाई।

पहले बाहरी लोगों के हिंसक घटना में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि रामपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, कानपुर देहात, और अमरोहा से आए लोग भी सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके अतिरिक्त संभल क्षेत्र में मस्जिदों और मदरसों में रहने वाले लोग भी सक्रिय रूप से शामिल थे। गिरफ्तार लोगों में सराय मुस्तफा, नखासा कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, हैदर और रुकनुद्दीन मस्जिद में मुअज्जिम थे। पूरी घटना की समीक्षा से पता चला कि जब भी संभल में दंगे होते हैं, जामा मस्जिद केंद्र में रहती है। शहरी क्षेत्र में दंगों के दौरान सिरसी रोड, चंदौसी रोड, गवां रोड, हसनपुर रोड और असमौली-जोया रोड के साथ गांवों से अचानक भीड़ आती है, जो लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी से संबंधित गतिविधियों में शामिल होती है।

दिनांक 24 नवंबर, 2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही सुबह लगभग 7:15 बजे शुरू हुई और 10:30 बजे समाप्त हुई। सुबह लगभग 9:00 बजे वह मस्जिद में मौजूद थे और जामा मस्जिद के अध्यक्ष ने माइक्रोफोन पर घोषणा की कि सर्वेक्षण चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, लोगों को एकत्र नहीं होना चाहिए और उनको चले जाना चाहिए। इस दौरान मस्जिद के वजू खाना (अब्लूशन क्षेत्र) से पानी निकाला गया, जो मस्जिद की नाली से बहा। वह उस दिन बैरियर पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, जिसमें जामा मस्जिद समिति के सदस्य ऊपर मौजूद थे और सामने एक हिंसक भीड़ थी। हालांकि न तो जामा मस्जिद के अध्यक्ष और न ही किसी अन्य समिति के सदस्य ने यह स्पष्ट

करने का प्रयास किया कि यह वजू खाना को खाली करने की साप्ताहिक प्रक्रिया थी। इसके बजाय जैसे ही भीड़ उत्तेजित हुई, वे बिना कुछ कहे अंदर चले गए।

जामा मस्जिद के पास का बाजार सुबह 10:00 बजे के बाद खुलता है और रात 9:00 बजे के आसपास बंद होता है। जामा मस्जिद के पीछे की दुकानें अवैध रूप से निर्मित हैं, जो संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण करती हैं और उनमें बड़ी मात्रा में लकड़ी भरी हुई है। भीड़ का प्राथमिक उद्देश्य माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण कार्यवाही को रोकना था इसलिए वे इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए एवं विधि-विरुद्ध जमाव द्वारा हथियारों से हमला किया। भीड़ का इरादा आगजनी और तोड़फोड़ करके विवादित स्थल तक पहुंचना, पुलिस को नुकसान पहुंचाना और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और सर्वेक्षण टीम के अन्य सदस्यों पर हमला करके सर्वेक्षण को रोकना था। सर्वेक्षण के बाद पुलिस ने सर्वेक्षण टीम की सुरक्षा की और उन्हें हिंदू-प्रधान मोहल्लो से सरथल की ओर सुरक्षित रूप से ले गई। इस दौरान सरथल में हिंदू समुदाय के कुछ सदस्यों ने “जय श्री राम” नारे लगाकर उनका स्वागत किया।

जामा मस्जिद में सुबह की नमाज सुबह 6:00 बजे होती है, इसके बाद दूसरी नमाज दोपहर लगभग 1:30 बजे होती है, जिसमें नमाजी दोपहर 12:00 बजे से आने शुरू होते हैं। इसलिए जामा मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली की सहमति से सर्वेक्षण का समय सुबह 7:00 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। मस्जिद के आसपास की दुकानें सुबह 10:00 बजे के बाद खुलती हैं और सामान्य रूप से जामा मस्जिद के पास इतनी बड़ी भीड़ कभी एकत्र नहीं होती। सुबह लगभग 7:30 बजे वारसी जिम के पास हजारों लोग एकत्र हुए और एकरात की मस्जिद की दिशा से हजारों और आए। गिरफ्तार आरोपियों और मृतकों में असमौली और हयातनगर क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल थे। तलाशी के दौरान मामले से संबंधित वस्तुओं के अलावा कुछ और नहीं मिला, जो दर्शाता है कि वे खरीदारी के लिए नहीं आए थे, न ही यह मस्जिद में नमाज का समय था। तीन-स्तरीय बैरिकेडिंग के बावजूद वे गलियों के माध्यम से चुपके से आए। घटनास्थल पर 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य

आरोपियों की पहचान सीसीटीवी वीडियो फुटेज, गवाहों के बयानों, तस्वीरों और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से की गई।

C. ICW-1 श्री अनुज कुमार चौधरी, सर्किल अधिकारी, संभल ने अपने बयान में कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के तहत वह श्रीमती वंदना मिश्रा (उपजिलाधिकारी, संभल), श्री मणिभूषण तिवारी (अधिशासी अधिकारी, नगर निगम), वादी और प्रतिवादी पक्षों के साथ उनके अधिवक्ताओं के साथ शाम 5:30 बजे शाही जामा मस्जिद पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। सर्वेक्षण लगभग डेढ़ घंटे तक चला। सर्वेक्षण के दौरान जामा मस्जिद परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भीड़ एकत्र हुई। भीड़ जिसमें सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और अन्य राजनीतिक हस्तियों के समर्थक शामिल थे, जिन्होंने सर्वेक्षण के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ को शांत करने के प्रयासों के बावजूद यह पूर्व नियोजित प्रतीत हुआ, जिसमें विघटनकारी तत्व भीड़ को उकसा रहे थे, यह कहते हुए कि सर्वेक्षण टीम मस्जिद से नहीं हटेगी तो भीड़ वापस नहीं होगी। सर्वेक्षण में कई बार व्यवधान हुआ और मस्जिद समिति ने अनुरोध किया कि निर्धारित नमाज के समय के कारण और भीड़ को नियंत्रित करने में कठिनाई के कारण सर्वेक्षण को रोक दिया जाए। परिणामस्वरूप राजनीतिक हस्तियों के हस्तक्षेप और विरोध के कारण सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका।

दिनांक 22 नवंबर, 2024 को सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने जिला प्रशासन की अनुमति के बिना और धारा 163 BNSS का उल्लंघन करते हुए मस्जिद में भीड़ एकत्र की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने न्यायालय के आदेश से असहमति व्यक्त की। उन्होंने एक विशेष समुदाय को जामा मस्जिद की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया, भीड़ को उकसाया, जो राजनीतिक लाभ के लिए उकसाने वाला था। उन्होंने जिला पुलिस और प्रशासन की भूमिका और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।

दूसरे सर्वेक्षण की घोषणा के बाद पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के सम्मानित व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं ताकि सर्वेक्षण के मुद्दे को समझाया जा सके। 23 नवंबर, 2024 को कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित किए गए जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हार गए। सांसद और समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने हार के लिए पुलिस और प्रशासन को दोषी ठहराया और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। चुनावी हार और जामा मस्जिद सर्वेक्षण के चल रहे मुद्दे से नाराज समाजवादी पार्टी के समर्थकों और विघटनकारी तत्वों ने सर्वेक्षण को बाधित करने और इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की योजना बनाई और संभल और अन्य क्षेत्रों से एक विशेष समुदाय के सदस्यों को नियोजित तरीके से आगामी सर्वेक्षण के दौरान जामा मस्जिद में एकत्र होने और अशांति पैदा करने के लिए बुलाया। सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने पूर्व नियोजित तरीके से क्षेत्र छोड़ दिया।

दिनांक 24 नवंबर, 2024 को शेष सर्वेक्षण निर्धारित था। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया गया और व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गईं। उन्हें शाही जामा मस्जिद में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर (प्रभारी, कोतवाली संभल) उनकी सहायता के लिए तैनात थे। जब सर्वेक्षण टीम मस्जिद में प्रवेश कर रही थी तब वह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे और पाया कि जामा मस्जिद की ढलान वाली गली के पास भीड़ एकत्र हो गई थी। मजिस्ट्रेट श्री रमेश बाबू (उप-कलेक्टर) भी मौजूद थे, जिन्होंने भीड़ को समझाया कि धारा 163 BNSS लागू है और सर्वेक्षण न्यायालय के आदेश के तहत हो रहा है, जिसमें मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद हैं। भीड़ को शांत करने के बार-बार प्रयासों के बावजूद पूर्व नियोजित भीड़ नहीं मानी। जामा मस्जिद के पीछे की ओर दिल्ली दरवाजा, हिंदूपुराखेड़ा और हकीमों वाली मस्जिद की गलियों से भीड़ एकत्र हुई। उप-निरीक्षक संजीव कुमार और इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर जो मस्जिद की

सीढ़ियों पर तैनात थे, उन्होंने लाउडहेलर का उपयोग करके भीड़ को न्यायालय का आदेश समझाने की कोशिश की। हजारों अज्ञात व्यक्तियों की भीड़ ने उप-निरीक्षक संजीव कुमार की पिस्तौल की मैगजीन जिसमें कारतूस थे, छीन ली और दोनों अधिकारियों पर हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं। भीड़ हिंसक हो गई, ने घरों और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए, बिजली के तारों और एक ट्रांसफार्मर में आग लगा दी। उप-निरीक्षक संजीव कुमार ने वायरलेस के माध्यम से कंट्रोल रूम को सूचित किया और सभी अधिकारी जिनमें पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य पुलिस और प्रशासनिक कर्मी दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों के भीड़ को शांत करने के प्रयासों के बावजूद, भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और नारे लगाए। कुछ व्यक्तियों ने जिनके चेहरे ढके हुए थे, धार्मिक नारे जैसे “नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर” और “गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा” चिल्लाए। कुछ ने अवैध हथियार, चाकू और तलवारें लहराईं धमकी दी कि जो भी मस्जिद में प्रवेश करेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा। छतों से पुलिस पर पत्थर फेंके गए और मस्जिद के पीछे सड़क पर खड़ी चार मोटरसाइकिलों, तीन कारों में दंगाइयों ने आग लगा दी। भीड़ ने पथराव और गोलीबारी की जिसका इरादा हत्या करना था, जिससे भय और आतंक का माहौल बन गया। कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग किया गया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अशांति के दौरान चंदौसी के सर्किल अधिकारी और उपजिलाधिकारी घायल हो गए और सर्किल अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह के आधिकारिक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लगभग 9:00 बजे उन्हें दाहिनी पैर में गोली लगी और इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर भी घायल हो गए। पुलिस और PAC ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का उपयोग किया जिससे धुआं और जलन हुई, जिसने भीड़ को और भड़का दिया। भीड़ ने अंधाधुंध गोलीबारी की, सर्वेक्षण टीम और हस्तक्षेप करने वालों के गले काटने की धमकी दी। उन्होंने आंसू गैस के गोले पुलिस की ओर वापस फेंके। यदि भीड़ मस्जिद में प्रवेश कर जाती तो सर्वेक्षण टीम की रक्षा करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता और यदि वे मस्जिद के मुख्य द्वार के पास हिंदू-प्रधान क्षेत्र में प्रवेश कर जाते तो नरसंहार संभव था। पुलिस ने एक बफर

जोन बनाया जिससे दंगाइयों को हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका गया, जिससे एक बड़े हिंसक घटना को टालने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सर्वेक्षण टीम के कार्य पूरा करने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में धीमरों वाली गली के माध्यम से सरथल चौकी की ओर सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने कोतवाली संभल में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR नंबर 334/24 दर्ज की और चिकित्सा उपचार कराया, जिसमें उनकी दाहिने पैर से दो छर्रे निकाले गए। स्थिति नियंत्रित होने के बाद स्थानीय फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जहां मृतक मोहम्मद कैफ घायल पाया गया, वहां दो मिसफायर कारतूस बरामद किए गए—एक पर “FNN” और दूसरे पर “POF 9mm 68-26” अंकित था। विदेशी कारतूसों की बरामदगी से संगठित अपराधियों या दंगाइयों की एक बड़ी साजिश में शामिल होने का संकेत मिलता है।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि 19 और 24 नवंबर, 2024 को सुहेल इकबाल विधायक इकबाल महमूद के बेटे असामाजिक तत्वों के साथ मौजूद थे, जिनका इरादा सर्वेक्षण में हस्तक्षेप करना था। 24 नवंबर, 2024 को सुहेल इकबाल मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य मशहूद अधिवक्ता के निवास पर सर्वेक्षण शुरू होने से पहले मौजूद थे, जो जामा मस्जिद से केवल 20 मीटर दूर है।

दिनांक 22 नवंबर, 2024 को शुक्रवार की नमाज के बाद सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने मस्जिद की सीढ़ियों से सभा और प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के आदेश से असहमत हैं और सभी को मस्जिद की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया, यह कहते हुए, **“मस्जिद थी, मस्जिद है, और मस्जिद रहेगी, कयामत तक।”** सर्किल अधिकारी ने इस बयान को टीवी चैनलों पर प्रसारित होते देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि दंगा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और अन्य लोगों द्वारा 19 नवंबर, 2024 के न्यायालय के आदेश से नाराज होकर उकसाया गया था ताकि सर्वेक्षण को पूरा होने से रोका जाए। सर्वेक्षण का समय मस्जिद समिति के साथ परामर्श के बाद सुबह 7:00 बजे निर्धारित किया गया था क्योंकि नमाज सुबह 6:00 बजे और इसके बाद दोपहर 1:00 बजे होती है। 23 नवंबर, 2024 को शाम 6:00 बजे वह और उपजिलाधिकारी मस्जिद समिति के

अध्यक्ष के घर गए, जहां सुबह 7:00 बजे सर्वेक्षण का समय उनकी सहमति से अंतिम रूप दिया गया। 22 नवंबर, 2024 को बर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह स्पष्ट था कि राजनीतिक लाभ के लिए एक अस्थिर माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा था। यह घटना मस्जिद समिति, सांसद बर्क, सुहेल इकबाल और असामाजिक तत्वों की साजिश का परिणाम थी। सर्वेक्षण टीम को कोटपूर्वी मोहल्ला जो हिंदू-प्रधान क्षेत्र है, के माध्यम से निकाला गया, जहां स्थानीय निवासियों ने टीम को देखकर “जय श्री राम” नारे लगाए। उन्होंने नोट किया कि दंगाइयों ने सुहेल इकबाल के वाहन को नुकसान नहीं पहुंचाया जबकि अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया।

D. ICW-192 श्री अनुज कुमार तोमर, प्रभारी, कोतवाली संभल ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि दिनांक 01.10.2024 को जिला मजिस्ट्रेट संभल ने, आगामी आयोजनों, परीक्षाओं, त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए सार्वजनिक शांति में संभावित कटुता और व्यवधान को रोकने के लिए धारा 163 BNSS को 30.11.2024 तक लागू किया। दिनांक 19.11.2024 को न्यायालय के आदेश के तहत शांतिपूर्ण सर्वेक्षण के लिए पुलिस बल प्रदान किया गया। नियुक्त कोर्ट आयुक्त ने जामा मस्जिद परिसर में लगभग डेढ़ घंटे तक विद्वान अधिवक्ताओं और अन्य लोगों, जिनमें जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल थे, की उपस्थिति में सर्वेक्षण किया। कई व्यवधान हुआ क्योंकि सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और अन्य राजनीतिक हस्तियों के समर्थकों सहित भारी भीड़, जामा मस्जिद के अंदर और बाहर एकत्र हुई और सर्वेक्षण के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिये। मस्जिद समिति ने कहा कि यह निर्धारित नमाज का समय है और भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होगा जिसके कारण सर्वेक्षण को निलंबित कर दिया गया। राजनीतिक हस्तियों की सक्रिय भागीदारी और विरोध के कारण दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनांक 20.11.2024 को जामा मस्जिद समिति और कासिफ, सुहेल इकबाल, राशिद अली, अब्दुल वदूद खान, आकाश रुहेला, शादाब वारसी, काजी मुमताज और इफ्तिखार के खिलाफ धारा 126/135 BNSS के तहत चालान जारी किए गए।

दिनांक 21.11.2024 को पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), सर्किल अधिकारी ने धर्मगुरुओं, प्रमुख व्यक्तियों और जामा मस्जिद समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें सर्वेक्षण के दौरान सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की गई। अनीस के बेटे बिलाल ने सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक लोगों को शुक्रवार को जामा मस्जिद में एकत्र होने के लिए पोस्ट किया। संभल सांसद व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश भेजे गए कि जामा मस्जिद में एकत्र हों (व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट संलग्न)। दिनांक 22.11.2024 को मुरादाबाद रेंज के सभी जिलों की पुलिस को शुक्रवार की नमाज के लिए तैनात किया गया। नमाज के बाद संभल के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने प्रशासनिक अनुमति के बिना जामा मस्जिद के गेट पर भीड़ एकत्र कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए न्यायालय के आदेश से असहमति व्यक्त करते हुए भाषण दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को इसके संरक्षण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया, यह कहते हुए, **“जामा मस्जिद हमारी है, हमारी रहेगी, कोई इसे छीन नहीं सकता, हम इसे बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं,”** और धारा 163 BNSS लागू होने के बावजूद सर्वेक्षण का विरोध करने का आह्वान किया, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 23.11.2024 को सांसद जिया-उर-रहमान बर्क को धारा 168 BNSS के तहत नोटिस जारी किया गया। दिनांक 23.11.2024 को जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 24.11.2024 को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा करने का आदेश दिया। दिनांक 23.11.2024 को पुलिस तैनाती के लिए ड्यूटी पॉइंट्स निर्धारित किए गए, आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई और अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) द्वारा ड्यूटियां सौंपी गईं। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण टीम और दोनों पक्षों के सदस्यों को सुबह 7:30 बजे जामा मस्जिद में प्रवेश की अनुमति दी गई। उसी समय संभल विधायक महमूद इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ता मशहूद फारूकी के घर के पास मौजूद थे जो मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोका गया और बताया गया कि सर्वेक्षण न्यायालय के आदेश के तहत हो रहा है और उन्हें शांतिपूर्वक जाने के लिए कहा गया। घर जाने के बजाय सुहेल इकबाल, मशहूद फारूकी के घर में चले गए, जो मस्जिद के

केयरटेकर भी हैं। इसके बाद प्रभारी ने जामा मस्जिद के पीछे के क्षेत्रों में पुलिस के साथ गश्त की। सुबह लगभग 8:45 बजे दिल्ली दरवाजा, हिंदूपुर खेड़ा और हकीमों वाली मस्जिद की गलियों से हजारों की भीड़ धीरे-धीरे एकत्र होने लगी, जिनमें से अधिकांश के चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को समझाने की कोशिश की, बार-बार न्यायालय का आदेश पढ़कर उन्हें घर लौटने का आग्रह किया। भीड़ में कुछ लोग जोर-जोर से धार्मिक नारे (**“नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हु-अकबर, गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा”**) चिल्लाने लगे। उन्होंने ईंटें और पत्थर उठाए, भारी पथराव किया और जामा मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। पथराव से पुलिस को चोटें आईं और भीड़ ने नियोजित तरीके से पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की। लूटपाट के दौरान उप-निरीक्षक संजीव कुमार की 9 एमएम पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 कारतूस थे और कांस्टेबल कपिल कुमार के दो बॉक्स जिनमें 24 आंसू गैस के गोले और 5 रबर बुलेट थे, लूट लिए गए। झड़प के दौरान कपिल कुमार की गैस गन की बैरल से एक आंसू गैस का गोला हवा में दागा गया। भीड़ ने सड़क पर खड़े पुलिस और सार्वजनिक चार और दोपहिया वाहनों में आग लगा दी, बिजली के ट्रांसफार्मर और केबलों को जला दिया और सीसीटीवी कैमरे, आसपास के घरों के बाहर कांच तोड़ दिए। आक्रामक भीड़ ने पथराव और गोलीबारी की जिससे प्रभारी, कांस्टेबल कपिल कुमार, पंकज कुमार, राजपाल सिंह, शेर सिंह और उप-निरीक्षक संजीव कुमार घायल हो गए। घटना को वरिष्ठ अधिकारियों को RT सेट के माध्यम से सूचित किया गया। अतिरिक्त पुलिस और PAC बल दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ पहुंचे। हिंसक घटना में 26 पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी/कर्मि घायल हुए और चार दंगाई मारे गए। इस मामले में सरकारी दंगा नियंत्रण उपकरण जिनमें 14 केन शील्ड, 21 बॉडी प्रोटेक्टर, 17 लाठी और 19 हेलमेट शामिल थे, दंगाइयों के पथराव से क्षतिग्रस्त हो गए। दंगाइयों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस से 10, 9 एमएम कारतूस के साथ एक मैगजीन, 24 आंसू गैस के गोले, 5 रबर बुलेट गोले, 25 खाली कारतूस, 25 प्लास्टिक पैलेट और 15, 12-बोर कारतूस लूट लिए। उप-निरीक्षक संजीव कुमार ने हसन और अन्य के खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 333/24 दर्ज की। इस गंभीर स्थिति में उन्होंने

और साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले, चिली ग्रेनेड, रबर बुलेट और रबर पैलेट दागे। भीड़ ने अंधाधुंध गोलीबारी की और दोनों टांगों में पैलेट लगने से पुलिस और सर्वेक्षण टीम की जान और संपत्ति को खतरा होने तथा स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी पिस्तौल से हवा में दो चेतावनी शॉट्स फायर किए। यदि आवश्यक बल का उपयोग नहीं किया जाता तो दंगाई शहर को आग के हवाले कर देते, जैसा कि पिछले दंगों में हुआ था। यदि दंगाई मस्जिद में प्रवेश कर जाते तो सर्वेक्षण टीम की जान की रक्षा करना अत्यंत कठिन होता और मस्जिद के मुख्य द्वार के पास हिंदू आबादी में प्रवेश करने से नरसंहार हो सकता था। पुलिस ने एक बफर जोन बनाया जिससे दंगाइयों को हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका गया जिससे एक बड़े हिंसक घटना को टालने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अराजकता के बीच सर्वेक्षण टीम के सर्वेक्षण पूरा करने के बाद पुलिस ने उन्हें शाही जामा मस्जिद से धीमरों वाली गली के माध्यम से सरथल चौकी तक सुरक्षित निकाला। पुलिस की सहायता से भागते हुए 21 दंगाइयों को पकड़ा गया। तलाशी में कुछ दंगाइयों से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और लूटे गए प्लास्टिक पैलेट और खाली कारतूस बरामद किए गए। दंगाइयों का पीछा करते समय चार घायल व्यक्ति मोहम्मद कैफ, मोहम्मद हसन, नईम और मोहम्मद अजीम मिले, जिन्हे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आरोपी समीर के मोबाइल से एक ऑडियो मिला, जिसमें वह वारिस के साथ घटना के दौरान “सामान” लाने की बात कर रहा था। संभल में “सामान” आमतौर पर अवैध हथियारों को संदर्भित करता है (ऑडियो पेन ड्राइव में संलग्न)। दंगे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पास की नालियों को मेटल डिटेक्टर (HHMD) के साथ साफ किया गया, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों ने LIU और फील्ड यूनिट की उपस्थिति में साक्ष्य संग्रह के लिए मदद की, जिसमें एक विदेशी 12-बोर कारतूस “Made in USA” अंकित मिला, जिसके लिए एक जब्ती मेमो तैयार किया गया। विशेष रूप से सार्वजनिक प्रतिनिधियों/जिम्मेदार व्यक्तियों के उकसाने वाले, भड़काऊ और भ्रामक बयानों ने असामाजिक तत्वों को दिनांक 24.11.2024 को हिंसा आयोजित करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें गैर-स्थानीय दंगाइयों ने आगजनी, गोलीबारी और पथराव में भाग लिया।

आयोग के समक्ष प्रभारी ने कहा कि यह क्रम दिनांक 19.11.2024 से शुरू हुआ, जो दिनांक 24.11.2024 को दंगे में परिणत हुआ। दिनांक 22.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। दिनांक 22.11.2024 को जब बर्क साहब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बात की, तब वह वहां थे। दिनांक 23.11.2024 को धारा 168 BNSS का नोटिस बर्क साहब के पिता को दिया गया क्योंकि वह उपलब्ध नहीं थे। दिनांक 24.11.2024 को लगभग 4,000-4,500 लोग मस्जिद को घेरकर 100-150 मीटर की दूरी पर थे। उन्होंने FIR नंबर 337/24 दर्ज की जिसमें 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 के बीच प्रत्याशित थी और पूर्व नियोजित थी। उनके दृष्टिकोण से मुख्य आयोजक जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष जफर अली, अन्य सदस्य और स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भीड़ को उकसाया और एकत्र किया। दिनांक 24.11.2024 को सुहेल इकबाल बार-बार भीड़ में शामिल हुए जो कि उक्त समय में मशहूद अली फारूकी के घर में मौजूद थे और मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर रहे थे। सुबह लगभग 9:30 बजे भीड़ आक्रामक हो गई, ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कोई गुप्त संदेश प्राप्त हुआ। घटना का मुख्य कारण जामा मस्जिद का सर्वेक्षण था।

E. ICW-2 श्री राजीव कुमार मलिक, इंस्पेक्टर-इन-चार्ज, कैला देवी पुलिस स्टेशन, संभल जिला

श्री राजीव कुमार मलिक ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शक-2 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि केस नंबर 182/2024, हरिशंकर जैन आदि बनाम भारत सरकार आदि, जो माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट, संभल में दायर किया गया था, में माननीय कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। दिनांक 19.11.2024 को, सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची। उनकी ड्यूटी मस्जिद के पास ढलान वाले बैरियर चौराहे पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त की गई थी। मस्जिद में प्रवेश

करने से पहले सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने अपनी गाड़ी मस्जिद के पीछे ढलान वाले बैरियर चौराहे की सड़क पर पार्क की। उन्होंने श्री बर्क को सूचित किया कि सर्वे माननीय कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा है और उनकी उपस्थिति सर्वे के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जबरदस्ती मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की। जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो श्री बर्क और उनके समर्थकों ने नारे लगाए और जबरदस्ती शाही जामा मस्जिद में प्रवेश कर गए। उन्होंने सर्वे टीम को सर्वे पूरा करने नहीं दिया। सांसद के विरोध के कारण सर्वे पूरा नहीं हो सका। सर्वे टीम ने कहा कि सर्वे फिर से किया जाएगा।

दिनांक 23.11.2024 के आदेश के अनुसार उनकी ड्यूटी सेक्टर-2 में मस्जिद के पीछे ढलान और सीढ़ियों पर ढलान वाले चौराहे के ऊपर नियुक्त की गई थी। दिनांक 24.11.2024 को वे अपने साथी कर्मियों के साथ ड्यूटी पर मौजूद थे। उनके और उनके साथी कर्मियों के अलावा डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय, सर्किल ऑफिसर चंदौसी और अन्य पुलिस कर्मी भी ड्यूटी पर तैनात थे। सुबह लगभग 08:50 बजे मस्जिद के पीछे भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ में कुछ युवा अपने चेहरों को कपड़ों और मास्क से ढके हुए थे ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच भीड़ में कुछ व्यक्तियों ने धार्मिक और उत्तेजक नारे लगाने शुरू कर दिए, भीड़ ने पुलिस बल पर भारी पथराव शुरू कर दिया और मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की। मस्जिद के पीछे खड़ी चार मोटरसाइकिलें और तीन कारें आग के हवाले कर दी गईं और पास के सीसीटीवी कैमरे, बिजली के तार और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त कर दिए गए। हिंसक भीड़ के पथराव से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी घायल हो गए। इस दौरान जिला नियंत्रण कक्ष से भीड़ पर आंसू गैस का उपयोग करने का संदेश प्रसारित हुआ। इसके अनुपालन में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हिंसक भीड़ पर कुछ आंसू गैस के गोले दागे जिससे भीड़ और भड़क गई। धार्मिक नारे लगाते हुए, उन्होंने पास की गलियों से पुलिस बल पर भारी पथराव शुरू कर दिया। जब

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दंगाइयों को समझाने की और कोशिश की तो भीड़ से पुलिस बल की ओर गोलीबारी भी शुरू हुई। इससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों को चोटें आईं। पथराव के दौरान वे भी घायल हो गए। इसके बाद अधिकारियों ने न्यूनतम बल प्रयोग का आदेश दिया और इसके अनुपालन में पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया। हिंसक भीड़ तितर-बितर हो गई और भागती भीड़ से 21 व्यक्तियों को जो पथराव और गोलीबारी कर रहे थे, गिरफ्तार किया गया। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद वे चिकित्सा उपचार के लिए जिला संयुक्त अस्पताल गए। भीड़ के पथराव के कारण उनकी बाईं कलाई टूट गई थी। वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शपथ-पत्र में घटना का वर्णन वैसे ही किया जैसा उन्होंने देखा और सुना। उनकी ड्यूटी दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद में कानून और व्यवस्था के लिए नियुक्त की गई थी। दिनांक 19.11.2024 को सर्वे के दौरान सांसद और उनके 25-26 समर्थकों ने सर्वे के दौरान जबरदस्ती मस्जिद में प्रवेश किया, सर्वे में बाधा डाली। जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने “अल्लाह-हु-अकबर” और “नारा-ए-तकबीर” जैसे धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने यह भी कहा, **“जैसे अयोध्या में हमारी मस्जिद छीनी गई, वैसे ही इसे नहीं छीनने देंगे।”** दंगा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और उनके समर्थकों द्वारा लोगों को उकसाने के कारण हुआ। उन्होंने दिनांक 24.11.2024 को दंगे की साजिश रची। दंगाइयों का मुख्य लक्ष्य सर्वे टीम को निशाना बनाना था। अपने 30 वर्षों की सेवा में उन्होंने कई दंगे देखे हैं लेकिन ऐसी भयावह स्थिति पहले कभी नहीं देखी। दंगे के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों में एक शाहजहांपुर से था।

F. ICW-3 श्री हरीश कुमार, इंस्पेक्टर-इन-चार्ज, राजपुरा पुलिस स्टेशन, संभल जिला

श्री हरीश कुमार ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शक-3 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23.11.2024 के आदेश के अनुसार, उनकी ड्यूटी सेक्टर-16 में ढलान वाले चौराहे बैरियर पर नियुक्त की गई थी। इसके अनुपालन में वे दिनांक 24.11.2024 को अपने साथी कर्मियों के साथ ड्यूटी पर मौजूद थे। उनके और उनके साथी कर्मियों के अलावा डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय, सर्किल ऑफिसर चंदौसी और अन्य पुलिस बल भी ड्यूटी पर तैनात थे। सुबह लगभग 08:50 बजे मस्जिद के पीछे भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ में कुछ युवा अपने चेहरों को कपड़ों और मास्क से ढके हुए थे ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच भीड़ में कुछ व्यक्तियों ने धार्मिक और उत्तेजक नारे लगाने शुरू कर दिए और भीड़ ने पुलिस बल पर भारी पथराव शुरू कर दिया और मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की। मस्जिद के पीछे खड़ी चार मोटरसाइकिलें और तीन कारें आग के हवाले कर दी गईं और पास के सीसीटीवी कैमरे, बिजली के तार और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त कर दिए गए। हिंसक भीड़ के पथराव से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी घायल हो गए। इस दौरान जिला नियंत्रण कक्ष से भीड़ पर आंसू गैस का उपयोग करने का संदेश प्रसारित हुआ। इसके अनुपालन में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हिंसक भीड़ पर कुछ आंसू गैस के गोले दागे, जिससे भीड़ और भड़क गई। धार्मिक नारे लगाते हुए, उन्होंने पास की गलियों से पुलिस बल पर भारी पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दंगाइयों को समझाने की और कोशिश की तो भीड़ से पुलिस बल की ओर गोलीबारी भी शुरू हुई। इससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों को चोटें आईं। पथराव के दौरान वे भी घायल हो गए। उनकी बाईं कोहनी में चोट लगी। इसके बाद अधिकारियों ने न्यूनतम बल प्रयोग का आदेश दिया और इसके अनुपालन

में पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया। हिंसक भीड़ तितर-बितर हो गई और भागती भीड़ से 21 व्यक्तियों को जो पथराव और गोलीबारी कर रहे थे, गिरफ्तार किया गया। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद वे चिकित्सा उपचार के लिए जिला संयुक्त अस्पताल गए। वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शपथ-पत्र में सभी बयान लिखे हैं। इसके अलावा, उन्हें और कुछ नहीं कहना है। भीड़ “अल्लाह-हु-अकबर” जैसे उत्तेजक नारे लगा रही थी।

G. ICW-4 श्री मेघपाल सिंह, इंस्पेक्टर-इन-चार्ज, एएचटी, संभल जिला

श्री मेघपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शक-4 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे दिनांक 19.11.2023 से संभल में इंस्पेक्टर-इन-चार्ज, एएचटी के रूप में तैनात हैं। पुलिस अधीक्षक के दिनांक 26.11.2024 के आदेश के अनुसार, उन्हें केस क्राइम नंबर 339/24 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 125, 103(1) बीएनएस के तहत विवेचक नियुक्त किया गया था। दिनांक 26.11.2024 को शिकायतकर्ता श्री कमिल, हनीफ के पुत्र ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ उपरोक्त केस दर्ज किया। जांच के दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता और अन्य परिस्थितिजन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। शिकायतकर्ता ने धारा 180 बीएनएस के तहत अपने बयान में एफआईआर का समर्थन किया और कहा कि दिनांक 24.11.2024 को रविवार को वे घर पर नाश्ता कर रहे थे। उनका छोटा भाई अयान सुबह 10:00 से 10:30 के बीच घर से निकला, यह कहकर कि वह शाने दरबार होटल में काम करने जा रहा है। लगभग 11:00 बजे कुछ लोगों ने उनके भाई अयान को घायल अवस्था में उनके घर के सामने लाया, यह कहते हुए कि अयान भीड़ में गिर गया था और घायल हो गया था। उन्होंने देखा कि अयान की छाती से खून बह रहा था। पड़ोस के लोगों ने उसे मुरादाबाद अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उन्होंने

उसे मुरादाबाद ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति के कारण उसे रेफर कर दिया। फिर वे अपने भाई को टीएमयू पकबारा ले गए। जब उन्होंने अपने भाई अयान से पूछा कि यह कैसे हुआ तो उसने कहा कि वह कुछ लड़कों के साथ जामा मस्जिद के पास गया था, जहां झगड़ा हो रहा था। वहां वह गिर गया और जब वह उठा तो उसे गोली लगी और वह फिर से गिर गया। उपचार के दौरान अयान की मृत्यु हो गई। मृतक अयान की जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की गई। पोस्टमार्टम में गोली की चोट के कारण कालापन दिखाई दिया जो इस तथ्य का समर्थन करता है कि अयान को 2-3 फीट की दूरी से गोली मारी गई थी। मृतक अयान के कपड़े फोरेंसिक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए और परीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साक्ष्य संग्रह जारी है।

माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट, संभल ने केस नंबर 182/24, हरिशंकर जैन आदि बनाम भारत सरकार आदि में दिनांक 19.11.2024 को एक आदेश पारित किया, जिसमें शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया। आदेश के अनुपालन में शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। भीड़ बढ़ने और अंधेरे के कारण सर्वे अधूरा रहा। दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद का सर्वे सुबह 07:00 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित था। दोनों पक्षों को दिनांक 23.11.2024 को सूचित किया गया था। दिनांक 24.11.2024 को सर्वे सुबह 07:30 बजे शुरू हुआ। मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी और लगभग 08:45 बजे भीड़ हिंसक हो गई पथराव, गोलीबारी और आगजनी शुरू कर दी, सरकारी गोला-बारूद लूट लिया। जामा मस्जिद के पीछे दंगे के दौरान दंगाइयों की अंधाधुंध गोलीबारी से पुलिस अधिकारी / कर्मी और कुछ दंगाई घायल हो गए। बिना अपनी जान की परवाह किए पुलिस ने दंगे को नियंत्रित किया और 21 व्यक्तियों को दंगे में शामिल होने के लिए मौके पर गिरफ्तार किया। उनमें से कुछ के पास पुलिस से लूटे गए कारतूस और अवैध हथियार और कारतूस मिले, जो घटना में दंगाइयों द्वारा उपयोग किए गए थे। इस दंगे में हनीफ के पुत्र अयान सहित कई अन्य दंगाई, हिंसक

भीड़ में शामिल बदमाशों की गोलीबारी और पथराव से घायल हो गए। उपचार के दौरान अयान की मृत्यु हो गई।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि जिस केस की वे विवेचना कर रहे हैं, उसमें एक गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम मुल्ला अफरोज है, जो अन्य मामलों से भी संबंधित है।

H. ICW-5 श्री संत कुमार, क्राइम ब्रांच, बहजोई, संभल जिला

श्री संत कुमार ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शक-5 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे संभल जिला में क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के रूप में तैनात हैं। पुलिस अधीक्षक, संभल के दिनांक 26.11.2024 के आदेश के अनुसार, उन्हें केस क्राइम नंबर 338/24 के तहत धारा 103(1) बीएनएस के तहत विशेष जांच टीम के मुख्य जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो संभल पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया था। इस केस की जांच शुरू में इंस्पेक्टर-इन-चार्ज, श्री अनुज कुमार तोमर द्वारा की गई थी।

यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 19.11.2024 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के अंदर भीड़ बढ़ने और उनके द्वारा बाधा डालने के कारण, सर्वे पूरा नहीं हो सका। दिनांक 24.11.2024 को शाही जामा मस्जिद का सर्वे सुबह 07:00 बजे शुरू होने वाला था और दोनों पक्षों को दिनांक 23.11.2024 को सूचित किया गया था। सर्वे सुबह 07:30 बजे मस्जिद परिसर में शांतिपूर्वक शुरू हुआ। इस बीच जामा मस्जिद के आसपास धीरे-धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। सर्वे की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की और उन्हें अपने घरों को लौटने के लिए कहा। लगभग 08:45 बजे भीड़ हिंसक हो गई पथराव, गोलीबारी और आगजनी शुरू कर दी, सरकारी गोला-बारूद लूट लिया। जामा मस्जिद के पीछे दंगे के दौरान, दंगाइयों की अंधाधुंध गोलीबारी से पुलिस अधिकारी / कर्मियों

और कुछ दंगाई घायल हो गए। उपचार के दौरान चार दंगाइयों की मृत्यु हो गई। दंगाइयों में शिकायतकर्ता का भाई नईम, लगभग 35 वर्ष की आयु, मृत्यु हो गई। लिखित शिकायत के आधार पर केस क्राइम नंबर 338/24 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया। जांच के दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता श्री तस्लीम के धारा 180 बीएनएस के तहत बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि दिनांक 24.11.2024 को उनका भाई नईम बाजार में सामान खरीदने जा रहा था। सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के पीछे एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उनका भाई वहां चला गया। हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे बहुत सारा धुआं हुआ। उस धुएं में भीड़ में गोलीबारी हुई और उनके भाई नईम को गोली लगी। उन्होंने उसे अस्पताल ले गए जहां उनके भाई को मृत घोषित किया गया। शिकायतकर्ता का धारा 183 बीएनएस के तहत बयान माननीय कोर्ट में दर्ज किया गया जहां उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के पीछे अत्यधिक आंसू गैस के धुएं के बीच भीड़ में नईम को गोली लगी थी। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मिस्ड कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए गए। मृतक की तहकीकात और पोस्टमार्टम की जांच के दौरान नईम के शरीर पर पांच चोटें पाई गईं और मृत्यु का समय लगभग आधा दिन पहले निर्धारित किया गया। फोरेंसिक प्रयोगशाला टीम ने घटनास्थल का पुनर्निर्माण किया और मृतक नईम के कपड़े फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे गए, विवेचना जारी है। यह भी सूचित किया गया है कि घटना के दिन दिनांक 24.11.2024 को उनकी ड्यूटी पोस्ट ऑफिस चौराहे पर जामा मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर थी।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि जिस केस की वे विवेचना कर रहे हैं, उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिनांक 24.11.2024 की घटना कोर्ट के आदेश को लागू करने में बाधा डालने की एक सुनियोजित साजिश थी। मृतक नईम दंगाइयों में शामिल था।

I. ICW-6 श्री रजनीश कुमार, क्राइम ब्रांच, बहजोई, संभल जिला

श्री रजनीश कुमार ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शक-6 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे वर्तमान में संभल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम ब्रांच में तैनात हैं। पुलिस अधीक्षक के दिनांक 26.11.2024 के आदेश के अनुसार वे कोतवाली संभल पुलिस स्टेशन पर केस क्राइम नंबर 140/24 के तहत धारा 103(1) बीएनएस के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विवेचना अधिकारी हैं। एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया जिसमें वे मुख्य विवेचना अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर विनोद कुमार, सहायक विवेचना अधिकारी और कॉन्स्टेबल अंकित कुमार सहायक के रूप में थे। दिनांक 26.11.2024 को शिकायतकर्ता श्री सलमान ने अपने भाई बिलाल की मृत्यु के संबंध में उपरोक्त केस दर्ज किया जो दिनांक 24.11.2024 को शाही जामा मस्जिद, संभल के सर्वे का विरोध करने वाले दंगाइयों द्वारा हिंसा के दौरान हुआ था। जांच शुरू में इंस्पेक्टर-इन-चार्ज श्री अनुज कुमार तोमर द्वारा शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में उन्होंने दिनांक 28.11.2024 को जांच शुरू की। जांच के दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता, गवाहों, तहकीकात गवाहों और प्रत्यक्षदर्शी पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके आधार पर यह पाया गया कि मृतक बिलाल की मृत्यु दिनांक 24.11.2024 को संभल में मस्जिद के पीछे कोटगर्वी मोहल्ले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध करने वाले दंगाइयों द्वारा हिंसा के दौरान हुई, विवेचना जारी है।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि विवेचना के दौरान एक आरोपी मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने घटना को स्वीकार किया, यह कहते हुए कि बिलाल और अयान उनकी गोलियों से मारे गये और उनके अनुसार दिनांक 24.11.2024 की घटना एक सुनियोजित घटना थी।

J. ICW-7 श्री सत्यविजय सिंह, इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच, संभल जिला

श्री सत्यविजय सिंह ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्श क-7 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे वर्तमान में संभल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम ब्रांच में तैनात हैं। पुलिस अधीक्षक, संभल के दिनांक 26.11.2024 के आदेश के अनुसार, नखासा पुलिस स्टेशन पर केस क्राइम नंबर 306/24 के तहत धारा 103(1) बीएनएस के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जांच एक विशेष जांच टीम को सौंपी गई थी और उन्होंने दिनांक 29.11.2024 को जांच शुरू की। केस दिनांक 25.11.2024 को शिकायतकर्ता श्री मोहम्मद हुसैन द्वारा अपने बेटे मोहम्मद कैफ की हत्या के संबंध में दर्ज किया गया था, जो खगुसराय से आते समय दरियासिर के पास हुआ था, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। विवेचना शुरू में इंस्पेक्टर-इन-चार्ज श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा शुरू की गई थी और बाद में उन्होंने दिनांक 29.11.2024 को विवेचना शुरू की। विवेचना शुरू करने के बाद उन्होंने शिकायतकर्ता, गवाहों, तहकीकात गवाहों और प्रत्यक्षदर्शी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। उस स्थान पर जहां मृतक मोहम्मद कैफ घायल अवस्था में पाया गया था, एक खाली कारतूस और एक मिसफायर कारतूस बरामद किया गया। इसके आधार पर यह पाया गया कि मृतक मोहम्मद कैफ की मृत्यु दिनांक 24.11.2024 को संभल में मस्जिद के पीछे कोटगर्वी मोहल्ले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध करने वाले दंगाइयों द्वारा हिंसा के दौरान हुई, विवेचना जारी है।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि अब तक की विवेचना से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मृतक मोहम्मद कैफ दंगाइयों में शामिल था।

K. ICW-8 श्री अमरपाल सिंह, क्राइम ब्रांच, संभल जिला

श्री अमरपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्श क-8 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे वर्तमान में संभल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम ब्रांच में तैनात हैं। पुलिस अधीक्षक के दिनांक 26.11.2024 के आदेश के अनुसार, उन्होंने दिनांक 30.11.2024 को विशेष जांच टीम के गठन के बाद केस क्राइम नंबर 333/24 के तहत धारा 191(1), 190, 115(2), 352, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 310(2), 311, 317(3), 223(B), 191(3) बीएनएस और 25(1A)/(AB) आर्म्स एक्ट के तहत हसन और सात अन्य नामित व्यक्तियों और 800-900 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू की। केस सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार द्वारा दर्ज किया गया था और जांच शुरू में सब-इंस्पेक्टर श्री दीपक राठी द्वारा शुरू की गई थी। दिनांक 30.11.2024 से दिनांक 06.01.2025 तक उन्होंने शिकायतकर्ता का विस्तृत बयान घटना से संबंधित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए, आरोपियों को गिरफ्तार किया और नाबालिग अपराधी अमन, मोहम्मद हुसैन और जैद के कब्जे से पुलिस से लूटे गए कारतूस बरामद किए, उनके रिमांड के दौरान धारा 309(4) और 25(1AAA)(1B)(A) आर्म्स एक्ट को हटा दिया गया और धारा 310(2), 311, 317(3) बीएनएस और 25(1A)/(AB) आर्म्स एक्ट जोड़े गए।

दिनांक 19.11.2024 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर भीड़ बढ़ने और अंधेरे के कारण सर्वे कार्य में बाधा आई और सर्वे पूरा नहीं हो सका। दिनांक 24.11.2024 को सर्वे सुबह 07:00 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित था और दोनों पक्षों को दिनांक 23.11.2024 को सूचित किया गया था। सर्वे सुबह 07:30 बजे शुरू हुआ और मस्जिद परिसर में कार्य शांतिपूर्वक चल रहा था। इस बीच मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन लगभग 08:45 बजे भीड़ हिंसक हो गई पथराव, गोलीबारी और आगजनी शुरू कर दी, सरकारी गोला-बारूद लूट लिया। जामा मस्जिद के पीछे दंगे के दौरान दंगाइयों की अंधाधुंध गोलीबारी से कुछ पुलिस अधिकारी / कर्मी और कुछ दंगाई घायल हो गए। उपचार के दौरान चार दंगाइयों की मृत्यु हो गई। सब-इंस्पेक्टर

संजीव कुमार ने हसन और सात अन्य नामित व्यक्तियों और 800-900 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस क्राइम नंबर 333/24 दर्ज किया। उनकी जांच में अब तक कुल 87 आरोपी सामने आए हैं और नामित आरोपियों सहित कुल 94 आरोपी हैं, जिनमें से 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि शपथ-पत्र जमा करने के बाद एक आरोपी मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया गया और उनकी पहचान पर घटना के दौरान पुलिस से लूटे गए 15 खाली कारतूस बरामद किए गए।

L. ICW-9 श्री अमित कुमार, इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच, संभल जिला

श्री अमित कुमार ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शक-9 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे केस क्राइम नंबर 337/24 के तहत धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(A), 125(B), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(B), 326(F) बीएनएस, धारा 7 सीएलए एक्ट, धारा 3/4 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट और धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत शादाब और अन्य के खिलाफ जांच अधिकारी हैं।

दिनांक 19.11.2024 को माननीय कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन में कार्यवाही शुरू की गई लेकिन स्थानीय सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल द्वारा व्यवधान के कारण कमिशन का कार्य स्थगित करना पड़ा। दिनांक 24.11.2024 को कमिशन ने सुबह 07:00 बजे से कार्य फिर से शुरू किया। कमिशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के आसपास की गलियों से भीड़ इकट्ठा हुई और यह भीड़ हिंसक भीड़ में बदल गई, शोर मचाने और नारे लगाने लगी। कमिशन का विरोध करते हुए उन्होंने पुलिस बल पर भारी पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी और पास में खड़ी तीन कारों और चार मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। इस घटना से पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने पर भीड़

तितर-बितर हो गई। घटना के बाद साइट विजिट के दौरान हिंसक भीड़ से चार व्यक्ति घायल पाए गए। इंस्पेक्टर-इन-चार्ज, संभल, अनुज कुमार तोमर ने कोतवाली संभल पुलिस स्टेशन पर उपरोक्त केस दर्ज किया। विवेचना शुरू में इंस्पेक्टर श्री हारून खान द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने अपनी विवेचना के दौरान 61 अन्य व्यक्तियों को सामने लाया। दिनांक 26.11.2024 को पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष जांच टीम बनाई और जांच उन्हें सौंपी। उन्होंने दिनांक 30.11.2024 को विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता का विस्तृत बयान दर्ज किया, फील्ड यूनिट, स्थानीय खुफिया इकाई और नगर परिषद टीम के सदस्यों के साथ घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता की पहचान पर एक आंसू गैस गोला, दो 0.32 बोर खाली कारतूस, दो 12 बोर खाली कारतूस, एक 9 एमएम खाली कारतूस और एक मिसफायर कारतूस बरामद किया और घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। बरामद कारतूसों में एक 9 एमएम खाली कारतूस पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री (पीओएफ) द्वारा निर्मित था और एक 12 बोर खाली कारतूस यूएसए में बना था। तस्वीरों के माध्यम से घटना में शामिल दो युवकों तनवीर और शारिक की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया। घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने घटना का पूरी तरह समर्थन किया। घायलों की मेडिकल जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई, समीक्षा की गई और मेडिकल ऑफिसर का बयान दर्ज किया गया, जिन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) श्रीश्रंद, सर्किल ऑफिसर श्री अनुज कुमार चौधरी और इंस्पेक्टर-इन-चार्ज श्री अनुज कुमार तोमर के शरीर पर गोली की चोटों की पुष्टि की। विशेषज्ञों की मदद से घटनास्थल का पुनर्निर्माण किया गया। घटना से संबंधित वीडियो साक्ष्य के आधार पर आरोपी आजम खान, शाहद और जावेश अख्तर की पहचान की गई, गिरफ्तार किया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया। नखासा क्षेत्र में घटना के संबंध में नखासा पुलिस स्टेशन पर दर्ज केस क्राइम नंबर 305/24 में आरोपी रेहान को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर-इन-चार्ज श्री राधेश्याम ने उनका बयान दर्ज किया, जिन्होंने कहा कि घटना के दौरान संभल विधायक महमूद इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल मस्जिद के पास एक वकील फारूकी के घर पर मौजूद थे। घटना की वीडियोग्राफी और तस्वीरों के आधार

पर सलीम, अरशद और दिलनवाज को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जांच के दौरान 21 नामित आरोपियों के अलावा 73 अन्य आरोपी सामने आए हैं और कुल 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, विवेचना जारी है।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि शपथ-पत्र जमा करने के समय जांच के तहत केस में 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो अब बढ़कर 51 हो गया है। पहले से नामित 21 आरोपियों के अलावा 73 अन्य सामने आए थे और अब सामने आए आरोपियों की संख्या 86 है, जिससे कुल आरोपियों की संख्या 107 हो गई है।

M. ICW-10 श्री सत्येंद्र सिंह पवार, इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच, बहजोई, संभल जिला

श्री सत्येंद्र सिंह पवार ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शक-10 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि केस क्राइम नंबर 305/24 के तहत धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 324(5), 326(G), 309(4), 223, 132 बीएनएस, धारा 7 सीएलए एक्ट और धारा 2/3 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गुलुबुद्दीन हिकमतयार और पांच अन्य और 150-200 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नखासा पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया था। विवेचना शुरू में सब-इंस्पेक्टर श्री नितिन गौतम द्वारा शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक के दिनांक 28.11.2024 के आदेश के अनुसार उपरोक्त केस की विवेचना के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई गई थी और विवेचना उन्हें सौंपी गई थी। उन्होंने दिनांक 30.11.2024 से विवेचना शुरू की है।

दिनांक 19.11.2024 को माननीय कोर्ट ने जामा मस्जिद, संभल के सर्वे के लिए एक अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया था। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार दिनांक 19.11.2024 को सर्वे के दौरान मस्जिद पर पुलिस बल तैनात किए गए थे और सर्वे टीम ने सर्वे किया। इसके बाद सर्वे को पूरा करने के लिए इसे दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने मस्जिद के

आसपास और कोतवाली संभल और नखासा पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए। जिला मजिस्ट्रेट ने पहले ही दिनांक 01.10.2024 को धारा 163 बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। उस दिन सुबह से जामा मस्जिद पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। जामा मस्जिद में खुदाई की अफवाहों के कारण नाराज भीड़ ने मस्जिद के आसपास तैनात पुलिस बलों पर पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी और पुलिस वाहनों में आग लगा दी। उसी दिन लगभग 12:35 बजे लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ अंजुमन तिराहा, पक्का बाग और एकता चौकी से नखासा चौराहा की ओर आई और नखासा चौराहा पर गली के सामने बिजली के खंभों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। पुलिस ने दंगाइयों को समझाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सभी ने एकजुट होकर पुलिस पर हॉकी स्टिक, डंडों और ईंटों और पत्थरों से हमला किया, जिसका इरादा हत्या करना था, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई। इस घटना के दौरान भीड़ ने नखासा चौराहा पर सब-इंस्पेक्टर श्री मोहम्मद शाह फैसल की सरकारी 9 एमएम पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 कारतूस थे, छीन लिए उन्होंने उनकी निजी बुलेट मोटरसाइकिल और नखासा पुलिस स्टेशन की सरकारी लेपर्ड मोटरसाइकिल को तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इस घटना में सब-इंस्पेक्टर शाह फैसल, कॉन्स्टेबल गोपाल और कॉन्स्टेबल निशांत मलिक भी घायल हो गए। सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैसल की लिखित शिकायत के आधार पर उपरोक्त केस क्राइम नंबर 305/24 नखासा पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया। घायलों की मेडिकल जांच जिला अस्पताल में की गई। अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर विवेचना धारा 309(4), 223 बीएनएस और धारा 2/3 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट को संशोधित करके धारा 310(2), 223(B) बीएनएस और धारा 3/4 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट के तहत की जा रही है। उपरोक्त केस में छह आरोपियों के अलावा 31 अन्य सामने आए हैं, जिनमें से 13 आरोपी मुरादाबाद जिला जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और गवाहों के बयानों के आधार पर की गई थी, विवेचना जारी है।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि शपथ-पत्र दाखिल करने के बाद उनके द्वारा विवेचना किए जा रहे केस में मोहसिन और हसनैन को भी गिरफ्तार किया गया है।

N. ICW-11 श्री मोहम्मद शाह फैसल, सब-इंस्पेक्टर, नखासा पुलिस स्टेशन, संभल जिला

श्री मोहम्मद शाह फैसल ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शक-11 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे दिनांक 14.03.2023 से संभल जिला के नखासा पुलिस स्टेशन में दीपासराय चौकी इंचार्ज के रूप में तैनात हैं। यह चौकी राजनीतिक, सांप्रदायिक और आपराधिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील है। चौकी क्षेत्र में अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के सदस्य रहते हैं। वर्ष 1976 की घटना के बाद से संभल क्षेत्र लगातार तनावपूर्ण रहा है।

दिनांक 24.11.2024 को माननीय कोर्ट के आदेश के तहत सर्वे कार्यवाही के दृष्टिगत, शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे सब-इंस्पेक्टर के रूप में स्थानीय पुलिस स्टेशन से सुबह 08:24 बजे रिपोर्ट नंबर 22 के अनुसार, 9 एमएम पिस्तौल (नंबर 18210520) जिसमें दस 9 एमएम कारतूस थे, अपनी निजी बुलेट मोटरसाइकिल (यूपी 38 एम 8166) पर कॉन्स्टेबल गोपाल सिंह के साथ जिनके पास एक आंसू गैस गन और दस आंसू गैस गोले थे व कॉन्स्टेबल निशांत मलिक के साथ जिनके पास एक दंगा नियंत्रण गन जिसमें 15 खाली कारतूस, 15 प्लास्टिक पेलेट्स, दंगा नियंत्रण उपकरण और एक वायरलेस सेट था, दीपासराय चौकी की सरकारी लेपर्ड मोटरसाइकिल अपाचे (नंबर यूपी 38 एजी 0168) पर गश्त करने और नखासा चौराहा पहुंचने के लिए निकले। सुबह लगभग 08:30 बजे वायरलेस सेट के माध्यम से जानकारी मिलने लगी कि जामा मस्जिद पर भीड़ इकट्ठा होने लगी है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार सभी ड्यूटियों को सतर्क कर दिया गया। सुबह लगभग 09:00 बजे यह पता चला कि भीड़ जामा मस्जिद के आसपास पुलिस बलों पर पथराव, आगजनी और हमला कर रही थी। वे नखासा चौराहा पर साथी पुलिस

बल और नखासा चौराहा बैरियर पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ शांति और व्यवस्था बनाए रखने में लगे रहे। सुबह लगभग 11:00 बजे जानकारी मिली कि पक्का बाग चौराहा पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो जामा मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पुलिस पर ईंटें और पत्थर फेंक रही थी, हत्या के इरादे से डंडों और लाठियों से हमला कर रही थी और अवैध हथियारों से गोलीबारी कर रही थी। दोपहर लगभग 12:35 बजे लगभग 150-200 लोगों की भीड़ अंजुमन तिराहा और एकता चौकी से नखासा चौराहा की ओर आई और नखासा चौराहा पर गली के सामने बिजली के खंभों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया, पुलिस कर्मियों पर हॉकी स्टिक, डंडों, ईंटों और पत्थरों से हत्या के इरादे से हमला किया। सार्वजनिक व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई। उन्होंने और साथी पुलिस बल ने भीड़ को समझाने और रोकने की व्यापक कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। फिर उन्होंने नखासा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज और अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी। भीड़ हत्या के इरादे से ईंटें और पत्थर फेंकती रही थी व सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। पुलिस कर्मियों ने न्यूनतम पुलिस बल का उपयोग करके दंगाइयों को पीछे हटाने की कोशिश की। भीड़ बार-बार आक्रामक रूप से लौट रही थी, एकजुट होकर ईंटों और पत्थरों के साथ और उन पर पथराव जारी रखा। पुलिस कर्मी भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश करते रहे। इस बीच पक्का बाग चौराहा से दंगाइयों की भीड़ नखासा चौराहा पहुंची और उन पर हत्या के इरादे से पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी निजी बुलेट मोटरसाइकिल (नंबर यूपी 38 एम 8166) और सड़क किनारे खड़ी सरकारी लेपर्ड अपाचे (नंबर यूपी 38 एजी 0168) को तोड़फोड़ कर आग लगा दी। जब पुलिस ने दंगाइयों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो उनमें से कुछ ने उन्हें घेर लिया और उनकी सरकारी 9 एमएम पिस्तौल छीनने की कोशिश की। उन्होंने पिस्तौल को मजबूती से पकड़ रखा लेकिन संघर्ष में दंगाइयों ने पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 राउंड थे, छीन ली। बचाव के दौरान पत्थरों से दो केन शील्ड और एक हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस बल के पहुंचने पर उन्होंने आवश्यक पुलिस बल का उपयोग करके दंगाइयों को खदेड़ दिया। दंगाइयों द्वारा इस्तेमाल किए गए ईंटों, पत्थरों, डंडों और लाठियों से उन्हें और उनके साथियों

गोपाल सिंह और निशांत मलिक को गंभीर चोटें आईं इसके बाद वे पुलिस स्टेशन गए, घटना के संबंध में लिखित शिकायत दी, केस दर्ज किया और उन तीनों ने संभल जिला अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त किया।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि वे शारिक उर्फ साठा को जानते हैं, हालांकि उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, वह उनकी चौकी क्षेत्र में रहता है और उसका हिस्ट्री शीट पुलिस स्टेशन पर खुला है। भीड़ में जिन लोगों को वे पहचानते थे, उनमें समद, हसन, सुभान उर्फ मुन्ना जो भीड़ का नेतृत्व कर रहा था तथा गुलाबदीन, सुल्तान, फैजान और अन्य शामिल थे। दंगाइयों द्वारा छीनी गई मैगजीन अभी तक बरामद नहीं हुई है। दिनांक 24.11.2024 की पूरी घटना पहले से नियोजित और संगठित थी, जिसका लक्ष्य पुलिस को निशाना बनाना था।

O. ICW-194 विनोद कुमार, सब-इंस्पेक्टर, कोतवाली संभल

विनोद कुमार ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि वे पंजूसराय पुलिस चौकी के इंचार्ज के रूप में तैनात हैं। शांतिपूर्ण सर्वे के लिए दिनांक 21.11.2024 को एसपी, सीओ संभल और इंस्पेक्टर इंचार्ज ने धार्मिक नेताओं, प्रमुख व्यक्तियों और जामा मस्जिद समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की जिसमें सर्वे के दौरान शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। पंजूसराय, एकता और नखासा चौकियों में प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठकों में भी शांति के लिए सहयोग की अपील की गई। दिनांक 24.11.2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान वे मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान की सीढ़ियों पर ड्यूटी पर थे। सुबह लगभग 8:45 बजे दिल्ली दरवाजा और हकीमों वाली मस्जिद की गलियों से भीड़ इकट्ठा होने लगी, जो सर्वे का विरोध कर रही थी और धार्मिक नारे “नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हु-अकबर, गुस्साख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा” लगा रही थी। भीड़ ने मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर ईंटें और पत्थर फेंके, पेट्रोल बम से हमला किया, जिसका इरादा हत्या करना था। कुछ दंगाइयों के पास अवैध हथियार थे, जो पुलिस पार्टी पर हत्या के इरादे से गोलीबारी कर रहे थे। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। डिप्टी कलेक्टर श्री रमेश बाबू का पैर टूट गया। उन्होंने

कोतवाली संभल में एफआईआर नंबर 336/24 दर्ज की और इसकी विवेचना शुरू की। दिनांक 28.11.2024 को जांच विशेष जांच टीम को हस्तांतरित कर दी गई।

आयोग के समक्ष उन्होंने आगे कहा कि भीड़ पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, धार्मिक नारे लगा रही थी, सर्वे को रोकने और सर्वे टीम पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पहले नारे लगाए, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और जब पुलिस ने समझाने और रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, तो उन्होंने आगजनी और गोलीबारी शुरू कर दी। कई पुलिस और सार्वजनिक वाहनों में आग लगा दी गई और उन्होंने पुलिस पर हत्या के इरादे से गोलीबारी की। यदि आक्रामक भीड़ जामा मस्जिद में प्रवेश कर जाती, तो सर्वे टीम के सदस्यों की हत्या हो सकती थी।

P. ICW-195 श्री दीपक राठी, सब-इंस्पेक्टर, संभल कोतवाली पुलिस स्टेशन

श्री दीपक राठी ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि वे दिनांक 30.11.2023 से संभल कोतवाली पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर के रूप में तैनात हैं और वर्तमान में सरथल पुलिस चौकी के इंचार्ज नियुक्त हैं। विवादित स्थल, जामा मस्जिद, उनकी चौकी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। दिनांक 19.11.2024 को माननीय कोर्ट द्वारा गठित सर्वे टीम, जिसका नेतृत्व अधिवक्ता श्री रमेश सिंह राघव कोर्ट कमिश्नर के रूप में कर रहे थे, जिन्होंने संभल शहर में स्थित शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया। उस दिन सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के कारण उत्पन्न व्यवधान और अपर्याप्त प्रकाश के कारण सर्वे कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। सांसद अपने समर्थकों, जिनमें पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान, अधिवक्ता जफर अली और कई अन्य शामिल थे, के साथ मस्जिद में मौजूद थे। सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने सर्वे टीम को बताया कि यह नमाज का समय है, भीड़ अनियंत्रित हो रही है और बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, उन्होंने टीम से जाने का आग्रह किया। उन्होंने मस्जिद में अपने समर्थकों को उकसाया और उत्तेजक बयान दिए जिसके परिणामस्वरूप वहां नमाज अदा की गई। सांसद ने जानबूझकर सर्वे में बाधा डाली, जिसके कारण यह पूरा नहीं हो सका। मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते समय मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, सांसद

ने कहा कि बाहरी लोगों ने सर्वे के लिए याचिका दायर की थी और कोर्ट ने आदेश पारित किया था। उन्होंने टिप्पणी की, “यह हमारा अधिकार है कि हम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट हैं या इसका विरोध करते हैं। लाखों मुस्लिम वहां इकट्ठा होना चाहते थे। मैं सर्वे के खिलाफ हूं। यह मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी।”

दिनांक 21.11.2024 को संभल पुलिस स्टेशन पर धर्मगुरुओं, मौलानाओं, मस्जिद समिति के सदस्यों, अधिवक्ता जफर अली और अन्य की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में शांति बनाए रखने और धारा 163 बीएनएस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इसके बावजूद सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, संभल क्षेत्र में धारा 163 बीएनएस लागू होने के बारे में जागरूक होने के बावजूद, दिनांक 22.11.2024 को शुक्रवार की नमाज के दौरान शाही जामा मस्जिद पर बिना प्रशासनिक अनुमति के भीड़ इकट्ठा की और उत्तेजक बयान दिए। उन्होंने एक विशेष समुदाय को एकजुट होने और जामा मस्जिद की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य संवेदनशील माहौल को भड़काना था। सांसद ने कहा, “जिन लोगों ने सर्वे याचिका दायर की, वे शरारती तत्व हैं। मैं कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं हूं। मैं खुलकर पुलिस प्रशासन को बताता हूं कि भले ही वे यहां दस ड्रोन कैमरे लाएं, यह मस्जिद है, मस्जिद थी और कयामत के दिन तक मस्जिद रहेगी। यह मस्जिद किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। इस्लाम सिखाता है कि किसी मुस्लिम की सहमति के बिना भी उसकी जमीन पर जबरदस्ती धार्मिक स्थान नहीं बनाया जा सकता, किसी अन्य धार्मिक स्थल की तो बात ही छोड़ दें। हम पुलिस प्रशासन या सरकार द्वारा दबाए नहीं जाएंगे। हम इस देश के मालिक हैं, गुलाम या नौकर नहीं। संविधान का गला घोंटा जा रहा है; इसकी पवित्रता को तार-तार किया जा रहा है। हम अपनी जामा मस्जिद को कानूनी रूप से बचाएंगे और इंशा अल्लाह, इसे सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी काम करेंगे। हम सभी हमेशा जामा मस्जिद की रक्षा के लिए हर तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं और रहेंगे। यह मस्जिद 1947 से पहले की है और हम

इसे किसी को छीनने नहीं देंगे।” इन कार्यों के माध्यम से, सांसद ने न्यायिक प्रक्रिया में अविश्वास पैदा किया।

दिनांक 24.11.2024 को शेष सर्वे कार्यवाही के दौरान वे जामा मस्जिद के गेट पर तैनात थे। सुबह लगभग 06:00 बजे उन्होंने सुहेल इकबाल को देखा, जिन्हें वे अच्छी तरह जानते हैं और जो नियमित रूप से इस मस्जिद में नहीं आते और न ही वहां नमाज अदा करते हैं, क्योंकि उनका निवास मियांसराय में है जो मस्जिद से काफी दूर है। वे दिनांक 19.11.2024 को भी यहां मौजूद थे। दिनांक 24.11.2024 को वे आए अपनी गाड़ी मस्जिद के पास खुले मैदान में पार्क करके मस्जिद में प्रवेश किया, लगभग 40-45 मिनट तक रुके और फिर बाहर आए। उन्होंने उत्तेजक बयान दिए, **“यह सर्वे क्यों हो रहा है? वे अपने लोगों को अपने तरीके से बुलाएंगे। वे इस सर्वे को नहीं होने देंगे। अगर यह जगह आग की चपेट में आ जाए या कुछ भी हो जाए, अगर सर्वे हुआ, तो अच्छा नहीं होगा।”** उन्होंने आगे कहा, **“हम बर्क के साथ हैं,”** और इन भड़काऊ टिप्पणियों के बाद वे मैदान के पास मशहूद अली फारूकी के घर चले गए। मशहूद फारूकी एक सैयद होने के नाते मस्जिद के पास अपने परिवार की कब्रों के कारण जामा मस्जिद पर प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए मशहूद फारूकी ने सुहेल इकबाल को अपने घर पर रहने की अनुमति दी, जहां उन्होंने फोन के माध्यम से लोगों से संपर्क शुरू किया ताकि भीड़ को उकसाया जा सके। इसके तुरंत बाद जब सर्वे चल रहा था, मस्जिद के पीछे भीड़ इकट्ठा होने लगी, नारे लगाने और हंगामा होने लगा। जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब वे मस्जिद के पीछे दिल्ली गेट चौराहे के पास गए तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को पुलिस पर पथराव करते, निजी और सरकारी पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाते और आग लगाते देखा। भीड़ डंडों, लाठियों और अवैध हथियारों से लैस थी, कुछ ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरों को ढक रखा था। भीड़ के पथराव और गोलीबारी के दौरान सीओ अनुज चौधरी को पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए और कई अन्य पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। यह हिंसा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहने, मस्जिद

में उत्तेजक भाषण देने और संभल में लोगों को उकसाने के परिणामस्वरूप हुई, जिसके कारण भीड़ ने हिंसक कृत्य किए। उन्होंने जिया-उर-रहमान बर्क, सुहेल इकबाल और 700-800 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ संभल कोतवाली पुलिस स्टेशन पर एफआईआर नंबर 335/24 दर्ज की। एफआईआर नंबर 333/24 की विवेचना उन्हें सौंपी गई थी और दिनांक 28.11.2024 को यह विवेचना विशेष जांच टीम को हस्तांतरित कर दी गई।

आयोग के समक्ष कहा कि दिनांक 24.11.2024 को उनकी ड्यूटी जामा मस्जिद के मुख्य गेट पर सीढ़ियों पर थी। दिनांक 19.11.2024 को पहले सर्वे के दौरान वे मस्जिद के बाहर थे। जामा मस्जिद के पीछे हजारों लोग इकट्ठा थे। उन्होंने सुहेल इकबाल को 40-45 लोगों के साथ मस्जिद में प्रवेश करते देखा; कुछ अंदर गए, जबकि अन्य बाहर रहे। सर्वे के दौरान सांसद कई लोगों के साथ पहुंचे। दिनांक 19.11.2024 को सांसद ने मीडिया बाइट दी। दिनांक 22.11.2024 को वे जामा मस्जिद पर ड्यूटी पर थे और उनकी उपस्थिति में सांसद ने मस्जिद की सीढ़ियों पर भाषण दिया। दिनांक 24.11.2024 की घटना एक अच्छी तरह से नियोजित साजिश थी और उनका मानना है कि सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और सुहेल इकबाल इसके मास्टरमाइंड थे। जामा मस्जिद सदर ने सर्वे की सूचना आम जन तक पहुंचाने का काम किया। यदि भीड़ ने पुलिस घेरा तोड़कर मस्जिद में प्रवेश किया होता तो एक अप्रिय घटना हो सकती थी, जिससे सर्वे समिति के सदस्यों को गंभीर नुकसान हो सकता था।

Q. ICW-196 श्री संजीव कुमार, सब-इंस्पेक्टर, कोतवाली संभल

श्री संजीव कुमार ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि वे कोतवाली संभल में एकता चौकी के इंचार्ज के रूप में तैनात हैं। दिनांक 19.11.2024 को कोर्ट कमिश्नर ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में सर्वे किया। रात में बड़ी भीड़ इकट्ठा होने और अंधेरे के कारण, सर्वे पूरा नहीं हो सका और दिनांक 24.11.2024 को सुबह लगभग 6:30 बजे वे हेड कॉन्स्टेबल संतोष कुमार के साथ, दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ सर्वे सुरक्षा ड्यूटी के लिए शाही जामा मस्जिद पहुंचे, मस्जिद के पीछे सीढ़ियों पर तैनात थे। सर्वे सुरक्षा

ड्यूटी के दौरान सुबह लगभग 8:45 बजे हकीमों वाली मस्जिद, हिंदूपुरा खेड़ा और फतेहुल्लाह सराय की गलियों से लगभग 800-900 दंगाइयों की भीड़ धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगी, जो शाही जामा मस्जिद ढलान से 100 कदम पहले सर्वे टीम को खदेड़ने के इरादे से थी। कोतवाली संभल के इंस्पेक्टर इंचार्ज ने लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें घर जाने के लिए कहा। हालांकि दंगाइयों ने एक सुनियोजित साजिश में अपने चेहरों को कपड़ों और मास्क से ढक लिया अपनी पहचान छिपाते हुए और जोर-जोर से धार्मिक नारे “नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हु-अकबर, गुस्साख-ए-रसूल की यही सजा, सर तन से जुदा” लगाने लगे। वे अवैध हथियारों से लैस थे, पिस्तौल, चाकू और खंजर लहराते हुए, ईंटें और पत्थर उठाकर भारी पथराव करते हुए और पुलिस की ओर बढ़ते हुए गालियां दे रहे थे। लगभग 40-50 लोग आए चिल्लाते हुए, **“हसन, अजीम, सलीम, रेहान अली, मोहम्मद हैदर, वसीम, अयान, पुलिस से सभी हथियार और कारतूस लूट लो, उन्हें आग लगा दो और मार डालो।”** उन्होंने हत्या के इरादे से पथराव और गोलीबारी की, उनके हथियार और कारतूस लूट लिए। झड़प में, उनकी 9 एमएम पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 कारतूस थे, कॉन्स्टेबल कपिल कुमार के दो डिब्बे जिनमें 29 आंसू गैस गोले थे, पंकज कुमार के 25 खाली कारतूस और 25 प्लास्टिक पेलेट्स, और कॉन्स्टेबल राजपाल सिंह का छोटा बैग जिसमें 15, 12-बोर पंप गन कारतूस थे, हमले के माध्यम से जबरदस्ती लूट लिए गए। उन्होंने कोतवाली संभल में हसन और 7 अन्य, साथ ही 800-900 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 335/24 दर्ज की। दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया और पुलिस कर्मियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों के पूर्व आदेशों और निर्देशों का पालन करते हुए, आक्रामक भीड़ पर कोई घातक हथियारों का उपयोग नहीं किया।

आयोग के समक्ष, उन्होंने आगे कहा कि वे दिनांक 19.11.2024, दिनांक 22.11.2024, और दिनांक 24.11.2024 को संभल में ड्यूटी पर थे। दिनांक 24.11.2024 की घटना में वे घायल हो गए। भीड़ के पास हथियार थे। उन्होंने अपने

शपथ-पत्र में सब कुछ विस्तार से बताया है। यदि आक्रामक भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर जामा मस्जिद में प्रवेश कर जाती, तो अप्रिय घटना हो सकती थी।

R. ICW-12 श्री गोपाल सिंह, कॉन्स्टेबल, नखासा पुलिस स्टेशन, संभल जिला

श्री गोपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शनी के-12 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे 29.09.2023 से नखासा पुलिस स्टेशन, दीपासराय चौकी में कॉन्स्टेबल के रूप में तैनात हैं। दिनांक 24.11.2024 को माननीय कोर्ट के आदेश के तहत सर्वे कार्यवाही के दृष्टिगत, शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वे सुबह 08:24 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन से, रिपोर्ट नंबर 22 के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैसल के साथ, एक आंसू गैस गन और दस आंसू गैस गोलों सहित, कॉन्स्टेबल निशांत मलिक के साथ, जिनके पास एक दंगा रोधी गन थी जिसमें 15 खाली कारतूस, 15 प्लास्टिक पेलेट्स, दंगा नियंत्रण उपकरण और एक वायरलेस सेट था, दीपासराय चौकी की सरकारी लेपर्ड मोटरसाइकिल अपाचे (नंबर यूपी 38 एजी 0168) पर गश्त करने और नखासा चौराहा पहुंचने के लिए निकले। सुबह लगभग 08:30 बजे, वायरलेस सेट के माध्यम से जानकारी मिलने लगी कि जामा मस्जिद पर भीड़ इकट्ठा होने लगी है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार, सभी ड्यूटियों को सतर्क कर दिया गया। सुबह लगभग 09:00 बजे, यह पता चला कि भीड़ जामा मस्जिद के आसपास पुलिस बलों पर पथराव, आगजनी और हमला कर रही थी। वे नखासा चौराहा पर साथी पुलिस बल और नखासा चौराहा बैरियर पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ शांति और व्यवस्था बनाए रखने में लगे रहे। सुबह लगभग 11:00 बजे, जानकारी मिली कि पक्का बाग चौराहा पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो जामा मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पुलिस पर ईंटें और पत्थर फेंक रही थी, हत्या के इरादे से डंडों और लाठियों से हमला कर रही थी, और अवैध हथियारों से गोलीबारी कर रही थी। दोपहर लगभग 12:35 बजे, लगभग 150-200 लोगों की भीड़ अंजुमन तिराहा और एकता चौकी से नखासा चौराहा की ओर आई और नखासा चौराहा पर गली के सामने बिजली के

खंभों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया, पुलिस कर्मियों पर हॉकी स्टिक, डंडों, ईंटों और पत्थरों से हत्या के इरादे से हमला किया। सार्वजनिक व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई। पुलिस बल ने भीड़ को समझाने और रोकने की व्यापक कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर, सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैसल ने नखासा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज और अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी। भीड़, हत्या के इरादे से, ईंटें और पत्थर फेंकते हुये, सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। पुलिस कर्मियों ने न्यूनतम पुलिस बल का उपयोग करके दंगाइयों को पीछे हटाने की कोशिश की। भीड़ बार-बार आक्रामक रूप से लौट रही थी, एकजुट होकर, ईंटों और पत्थरों के साथ और उन पर पथराव जारी रखा। पुलिस कर्मी भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश करते रहे। इस बीच, पक्का बाग चौराहा से दंगाइयों की भीड़ नखासा चौराहा पहुंची और उन पर हत्या के इरादे से पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने चौकी इंचार्ज, सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैसल की निजी बुलेट मोटरसाइकिल (नंबर यूपी 38 एम 8166) और सड़क किनारे खड़ी सरकारी लेपर्ड अपाचे (नंबर यूपी 38 एजी 0168) को तोड़फोड़ कर आग लगा दी। जब पुलिस ने दंगाइयों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, तो उनमें से कुछ ने सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैसल को घेर लिया और उनकी सरकारी 9 एमएम पिस्तौल छीनने की कोशिश की। उन्होंने पिस्तौल को मजबूती से पकड़ रखा, लेकिन संघर्ष में, दंगाइयों ने पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 राउंड थे, छीन ली। दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए, अपने चौकी इंचार्ज के निर्देश पर, उन्होंने आंसू गैस गन से पांच आंसू गैस गोले दागे, और उनके साथी निशांत मलिक ने दंगा रोधी गन से 10 खाली कारतूस और 10 प्लास्टिक पेलेट्स दागे, मुश्किल से अपनी रक्षा की। साथ में, पुलिस कर्मियों ने आवश्यक पुलिस बल का उपयोग करके दंगाइयों को खदेड़ दिया। दंगाइयों द्वारा इस्तेमाल किए गए ईंटों, पत्थरों, डंडों और लाठियों से सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैसल, उनके साथी निशांत मलिक और उन्हें गंभीर चोटें आईं। दंगाइयों के हमले से उनका केन शील्ड, निशांत मलिक का केन शील्ड और हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गया। चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैसल पुलिस

स्टेशन गए, घटना के संबंध में लिखित शिकायत दी, केस दर्ज किया और उन तीनों ने संभल जिला अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त किया।

आयोग के समक्ष, उन्होंने कहा कि भीड़ “गुस्साख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा” जैसे नारे लगा रही थी। भीड़ द्वारा फेंके गए पत्थर उन पर निशाना बनाकर फेंके गए थे। दंगाइयों द्वारा फेंके गए पत्थरों से उनकी दाहिनी टांग पर चोटें आईं, जिसके लिए उन्होंने चिकित्सा उपचार लिया।

S. ICW-13 श्री नितिन कुमार सिरौही, कॉन्स्टेबल, कैला देवी पुलिस स्टेशन, संभल जिला

श्री नितिन कुमार सिरौही ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शनी के-13 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे वर्तमान में कैला देवी पुलिस स्टेशन, संभल जिला में कॉन्स्टेबल के रूप में तैनात हैं। दिनांक 24.11.2024 को, उनकी ड्यूटी कैला देवी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज के साथ नियुक्त की गई थी। इंस्पेक्टर-इन-चार्ज की ड्यूटी ढलान तिराहा के पास नियुक्त की गई थी। उनके अलावा, कॉन्स्टेबल नीरज पाल भी उनके साथ ड्यूटी पर थे। उनके आसपास सर्किल ऑफिसर, चंदौसी, अपने साथी बल के साथ, डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय अपने साथियों के साथ, और अन्य पुलिस बल भी ड्यूटी पर तैनात थे। सुबह लगभग 08:50 बजे, मस्जिद के पीछे की ओर भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ में कुछ युवा अपने चेहरों को कपड़ों और मास्क से ढके हुए थे ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके। भीड़ को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच, भीड़ में कुछ व्यक्तियों ने धार्मिक/उत्तेजक नारे लगाने शुरू कर दिए और भीड़ ने पुलिस बल पर भारी पथराव शुरू कर दिया और मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की। मस्जिद के पीछे खड़ी चार मोटरसाइकिलें और तीन कारें आग के हवाले कर दी गईं और पास के सीसीटीवी कैमरे, बिजली के तार और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त कर दिए गए। भीड़ के

पथराव से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी घायल हो गए। इस दौरान, जिला नियंत्रण कक्ष से भीड़ पर आंसू गैस का उपयोग करने का संदेश प्रसारित हुआ। इसके अनुपालन में, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भीड़ पर कुछ आंसू गैस के गोले दागे, जिससे भीड़ और भड़क गई। धार्मिक नारे लगाते हुए, उन्होंने पास की गलियों से पुलिस बल पर भारी पथराव शुरू कर दिया। पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की व्यापक कोशिश की, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार पथराव करती रही। इस बीच, भीड़ से पुलिस बल की ओर गोलीबारी भी शुरू हुई, जिससे पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को चोटें आईं। पथराव के दौरान, वे और उनके एसएचओ श्री राजीव मलिक भी घायल हो गए। एसएचओ की बाईं कलाई सूज गई थी, उनके दाहिने अंगूठे का नाखून उखड़ गया था, और बाईं टांग भी घायल हो गई थी। इसके बाद, अधिकारियों ने न्यूनतम बल प्रयोग का आदेश दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया गया। कुछ समय बाद, हिंसक भीड़ तितर-बितर हो गई। भागती भीड़ से 21 व्यक्तियों को, जो पथराव और गोलीबारी कर रहे थे, गिरफ्तार किया गया। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद, वे और उनके एसएचओ चिकित्सा उपचार के लिए जिला संयुक्त अस्पताल गए। यह पाया गया कि एसएचओ के हाथ में क्रैक्चर था। वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं।

आयोग के समक्ष, उन्होंने कहा कि भीड़ में लोग हथियार लिए हुए थे, कई ने अपने चेहरों को ढक रखा था, और ऐसा प्रतीत होता था कि वे सर्वे को रोकने के लिए पहले से नियोजित रणनीति के तहत इकट्ठा हुआ था। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। एक पत्थर उनके दाहिने अंगूठे पर लगा, जिससे नाखून टूट गया। भीड़ धार्मिक नारे जैसे “अल्लाह-हु-अकबर” आदि लगा रही थी।

T. ICW-14 श्री दीपक कुमार, कॉन्स्टेबल, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) का कार्यालय, संभल जिला

श्री दीपक कुमार ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शनी के-14 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे 16.06.2022 से पुलिस लाइन, बहजोई से अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), संभल जिला के कार्यालय में तैनात हैं। दिनांक 23.11.2024 को, लगभग 22:00 बजे, कार्यालय से सूचना मिली कि सभी कार्यालय कर्मियों को सुबह 05:00 बजे तक दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ कार्यालय में मौजूद रहना चाहिए। वे, एक कॉन्स्टेबल के रूप में, निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद थे। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस कर्मियों को जानकारी दी कि माननीय कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, माननीय कोर्ट द्वारा गठित सर्वे टीम दिनांक 24.11.2024 को शाही जामा मस्जिद, संभल का शेष सर्वे करेगी। सभी कर्मी उनके साथ रहेंगे, अपने दंगा नियंत्रण उपकरण पहनेंगे और किसी भी प्रतिकूल स्थिति में उनके आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। इसके बाद, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ कार्यालय से शाही जामा मस्जिद की ओर बढ़े और अपनी ड्यूटी निभाई।

दिनांक 24.11.2024 को, सुबह लगभग 08:00 बजे, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को सूचना मिली कि जामा मस्जिद के पीछे और हिंदू आवासीय क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है और लोग छतों पर इकट्ठा हो रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने ड्यूटी पर तैनात सर्किल ऑफिसरों को वायरलेस के माध्यम से सतर्क रहने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भीड़ को समझाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ महिलाओं और युवाओं ने भीड़ को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उत्तेजित भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। सुबह लगभग 09:00 बजे, वे और अन्य पुलिस कर्मी, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के साथ, ढलान तिराहा पहुंचे और देखा कि एक बड़ी भीड़ एकरा मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोगों ने अपने चेहरों को मास्क, रुमाल और कपड़ों से ढक रखा था। उनमें से कुछ डंडे, लाठियां, लोहे की छड़ें, ईंटें और पत्थर लिए हुए थे, जो पुलिस कर्मियों की ओर लहरा रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने लाउडहेलर का उपयोग किया और वे भी बार-बार चिल्लाए, भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें अपने घरों को लौटने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी। हिंसक भीड़,

धार्मिक नारे लगाते हुए, कह रही थी कि सर्वे टीम को वहां से खदेड़ दो, नहीं तो वे आज उनकी जान ले लेंगे। भीड़ ने पुलिस पर ईंटें, पत्थर और पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ के पथराव से कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। एक पत्थर उनकी दाहिनी टांग पर लगा, जिससे चोट लगी। पुलिस बल ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा रोधी और आंसू गैस गन दागी, लेकिन आक्रामक भीड़ पीछे नहीं हट रही थी और आसमान छूते नारे लगा रही थी, “गुर्रसाख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा – सर तन से जुदा” (पैगंबर के अपमानकर्ता की एकमात्र सजा सिर को धड़ से अलग करना है) और पथराव कर रही थी। हवा पुलिस की ओर बह रही थी और दंगाई आंसू धुआं गोले उठाकर पुलिस पर वापस फेंक रहे थे, जिससे दंगाइयों की ओर बढ़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। कुछ समय बाद, हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद वाहनों में आग लगा दी। वे, सभी साथी कर्मियों के साथ, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ वारसी जिम के पास वाली गली की ओर बढ़े, जहां भीड़ भारी पथराव कर रही थी। पुलिस ने वहां भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा रोधी और आंसू गैस गन दागी। हिंसक भीड़ पुलिस बल पर पेट्रोल बम भी फेंक रही थी, और इस घटना में कई अन्य साथी कर्मी भी घायल हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि भीड़ को कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया गया था। जब गैस गन से गोलीबारी के कारण बहुत सारा धुआं था, तब हिंसक भीड़ पुलिस बल की ओर गोलीबारी भी कर रही थी। इस दौरान, मस्जिद से लोगों को समझाने के लिए घोषणाएं की गईं। सुबह लगभग 09:45 बजे तक, अतिरिक्त पुलिस बल आ गए। दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करके, पुलिस बल ने हिंसक भीड़ को पीछे धकेल दिया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बताया कि टैंक के पास एक दंगाई घायल अवस्था में पड़ा था, उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजी गई। इस घटना के दौरान, दंगाइयों ने बिजली के तारों में आग लगा दी, सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए और पुलिस और अन्य वाहनों में आग लगा दी। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि हिंसक भीड़ ने एकता चौकी की ओर दंगा शुरू कर दिया था। वे, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ, नखासा चौराहा पहुंचे, जहां हिंसक भीड़ नखासा चौराहा, अंजुमन तिराहा, और

दीपासराय क्षेत्रों में पथराव कर रही थी। दंगाइयों ने एक लेपर्ड मोटरसाइकिल और दो अन्य वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और दो मोटरसाइकिलों को जलने से बचाया। कुछ समय बाद, वे हिंदूपुरा खेड़ा पहुंचे, जहां पुरुष और महिलाएं गलियों और छतों से पुलिस बल पर पथराव कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपने घरों को लौटने की अपील की, लेकिन भीड़ ने नहीं सुना और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। महिला पुलिस को भी बुलाया गया, और अतिरिक्त पुलिस बलों के आगमन के साथ, भीड़ तितर-बितर हो गई। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद, लगभग 15:00 बजे, वे घायल कर्मियों के साथ संभल जिला अस्पताल चिकित्सा जांच के लिए पहुंचे और फिर अपर पुलिस अधीक्षक के साथ फिर से शामिल हो गए। पूरी घटना के दौरान, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ रहे। दंगे के दौरान, संयम और पूर्ण सतर्कता बनाए रखी गई और भीड़ को समझाने की बार-बार कोशिश की गई, जिससे हिंसक घटना को और फैलने से रोका गया और इसे सीमित रखा गया।

आयोग के समक्ष, उन्होंने कहा कि वे मस्जिद के बाहर थे, और अचानक भीड़ इकट्ठा होने लगी। उनके अपर पुलिस अधीक्षक सर्वे टीम के साथ मस्जिद परिसर के अंदर थे। भीड़ इकट्ठा हुई, नारे लगाते हुए कि वे सर्वे नहीं होने देंगे और मस्जिद में प्रवेश करके सर्वे में बाधा डालना चाहते थे।

U. ICW-15 श्री नवदीप चौधरी, कॉन्स्टेबल, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) का कार्यालय, संभल जिला

श्री नवदीप चौधरी ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शनी के-15 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे अगस्त 2021 से पुलिस लाइन, बहजोई से अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। दिनांक 23.11.2024 को, लगभग 22:00 बजे, कार्यालय से सूचना मिली कि सभी कार्यालय कर्मियों को सुबह 05:00 बजे तक दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ कार्यालय में मौजूद रहना

चाहिए। वे, एक कॉन्स्टेबल के रूप में, निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद थे। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस कर्मियों को जानकारी दी कि माननीय कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, माननीय कोर्ट द्वारा गठित सर्वे टीम दिनांक 24.11.2024 को शाही जामा मस्जिद, संभल का शेष सर्वे करेगी। सभी कर्मी उनके साथ रहेंगे, अपने दंगा नियंत्रण उपकरण पहनेंगे और किसी भी प्रतिकूल स्थिति में उनके आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। इसके बाद, वे और अन्य पुलिस कर्मी, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ, कार्यालय से शाही जामा मस्जिद की ओर बढ़े और अपनी ड्यूटी निभाई।

दिनांक 24.11.2024 को, सुबह लगभग 08:00 बजे, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को सूचना मिली कि जामा मस्जिद के पीछे और हिंदू आवासीय क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है, और लोग छतों पर इकट्ठा हो रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने ड्यूटी पर तैनात सर्किल ऑफिसरों को वायरलेस के माध्यम से सतर्क रहने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भीड़ को समझाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ महिलाओं और युवाओं ने भीड़ को समझाने की ईमानदार कोशिश की, लेकिन उत्तेजित भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। सुबह लगभग 09:00 बजे, वे, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के साथ, ढलान तिराहा पहुंचे और देखा कि भारी भीड़ एकरा मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोगों ने अपने चेहरों को मास्क, रुमाल और कपड़ों से ढक रखा था। उनमें से कुछ डंडे, लाठियां, लोहे की छड़ें, ईंटें और पत्थर लिए हुए थे, जो पुलिस कर्मियों की ओर लहरा रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने लाउडहेलर का उपयोग किया और वे भी बार-बार चिल्लाए, भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें अपने घरों को लौटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी। हिंसक भीड़, धार्मिक नारे लगाते हुए, कह रही थी कि सर्वे टीम को वहां से खदेड़ दो, नहीं तो वे आज उनकी जान ले लेंगे। भीड़ ने पुलिस पर ईंटें, पत्थर और पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ के पथराव से कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। एक पत्थर उनकी बाईं टांग

पर लगा, जिससे उन्हें चोटें आईं। पुलिस बल ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा रोधी और आंसू गैस गन दागी, लेकिन आक्रामक भीड़ पीछे नहीं हट रही थी और आसमान छूते नारे लगा रही थी, “गुस्साख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा – सर तन से जुदा” (पैगंबर के अपमानकर्ता की एकमात्र सजा सिर को धड़ से अलग करना है) और पथराव कर रही थी। हवा पुलिस कर्मियों की ओर बह रही थी, दंगाई आंसू धुआं गोले उठाकर पुलिस पर वापस फेंक रहे थे, जिससे दंगाइयों की ओर बढ़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। कुछ समय बाद, हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद वाहनों में आग लगा दी। वे, सभी साथी कर्मियों के साथ, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ वारसी जिम के पास वाली गली की ओर बढ़े, जहां भीड़ भारी पथराव कर रही थी। पुलिस ने वहां से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा रोधी और आंसू गैस गन दागी। हिंसक भीड़ पुलिस बल पर पेट्रोल बम भी फेंक रही थी। इस घटना में कई अन्य साथी कर्मी भी घायल हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि भीड़ को कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया गया था। जब गैस गन से गोलीबारी के कारण बहुत सारा धुआं था, तब हिंसक भीड़ पुलिस बल की ओर गोलीबारी भी करने लगी। इस दौरान, मस्जिद से लोगों को समझाने के लिए घोषणाएं की गईं। सुबह लगभग 09:45 बजे तक, अतिरिक्त पुलिस बल आ गए। दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करके, पुलिस बल ने हिंसक भीड़ को पीछे धकेल दिया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बताया कि टैंक के पास एक दंगाई घायल अवस्था में पड़ा था, उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजी गई। इस घटना के दौरान, दंगाइयों ने बिजली के तारों में आग लगा दी, सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए, पुलिस और अन्य वाहनों में आग लगा दी। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि हिंसक भीड़ ने एकता चौकी की ओर दंगा शुरू कर दिया था। वे, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ, नखासा चौराहा पहुंचे, जहां हिंसक भीड़ नखासा चौराहा, अंजुमन तिराहा, और दीपासराय क्षेत्रों में पथराव कर रही थी। दंगाइयों ने एक लेपर्ड मोटरसाइकिल और दो अन्य वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और दो मोटरसाइकिलों को जलने से बचाया। कुछ समय बाद, वे हिंदूपुरा खेड़ा पहुंचे, जहां पुरुष और महिलाएं गलियों और छतों से

पुलिस बल पर पथराव कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपने घरों को लौटने की अपील की, लेकिन भीड़ ने नहीं सुना और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। महिला पुलिस को भी बुलाया गया और अतिरिक्त पुलिस बलों के आगमन के साथ, भीड़ तितर-बितर हो गई। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद, लगभग 15:00 बजे, वे घायल कर्मियों के साथ संभल जिला अस्पताल चिकित्सा जांच के लिए पहुंचे और फिर अपर पुलिस अधीक्षक के साथ फिर से शामिल हो गए। पूरी घटना के दौरान, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ रहे। दंगे के दौरान, संयम और पूर्ण सतर्कता बनाए रखी गई और भीड़ को समझाने की बार-बार कोशिश की गई, जिससे हिंसक घटना को और फैलने से रोका गया और इसे सीमित रखा गया।

V. ICW-16 श्री यशपाल सिंह, कॉन्स्टेबल, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) का कार्यालय, संभल जिला

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शनी के-16 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे 12.12.2021 से अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), संभल जिला के कार्यालय में रीडर के रूप में तैनात हैं। दिनांक 23.11.2024 को, लगभग 22:00 बजे, कार्यालय से सूचना मिली कि सभी कार्यालय कर्मियों को सुबह 05:00 बजे तक दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ कार्यालय में मौजूद रहना चाहिए। वे, एक कॉन्स्टेबल के रूप में, निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद थे। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस कर्मियों को जानकारी दी कि माननीय कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, माननीय कोर्ट द्वारा गठित सर्वे टीम दिनांक 24.11.2024 को शाही जामा मस्जिद, संभल का शेष सर्वे करेगी। सभी कर्मी उनके साथ रहेंगे, अपने दंगा नियंत्रण उपकरण पहनेंगे और किसी भी प्रतिकूल स्थिति में उनके आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। इसके बाद, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ कार्यालय से शाही जामा मस्जिद की ओर बढ़े और अपनी ड्यूटी निभाई।

दिनांक 24.11.2024 को, सुबह लगभग 08:00 बजे, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को सूचना मिली कि जामा मस्जिद के पीछे और हिंदू आवासीय क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है। लोग छतों पर इकट्ठा होने लगे। इस जानकारी के आधार पर, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने ड्यूटी पर तैनात सर्किल ऑफिसरों को वायरलेस के माध्यम से सतर्क रहने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भीड़ को समझाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ महिलाओं और युवाओं ने भीड़ को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उत्तेजित भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। सुबह लगभग 09:00 बजे, वे अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के साथ ढलान तिराहा पहुंचे और देखा कि भीड़ एकरा मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोगों ने अपने चेहरों को मास्क, रुमाल और कपड़ों से ढक रखा था। उनमें से कुछ डंडे, लाठियां, लोहे की छड़ें, ईंटें और पत्थर लिए हुए थे, जो पुलिस कर्मियों की ओर लहरा रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने लाउडहेलर का उपयोग किया और वे भी बार-बार चिल्लाए, भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें अपने घरों को लौटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी। हिंसक भीड़, धार्मिक नारे लगाते हुए, कह रही थी कि सर्वे टीम को वहां से खदेड़ दो, नहीं तो वे आज उनकी जान ले लेंगे। भीड़ ने ईंटें, पत्थर और पेट्रोल बम पुलिस की ओर फेंकना शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ के पथराव से कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। एक पत्थर उनकी बाईं टांग पर लगा, जिससे उन्हें चोटें आईं। पुलिस बल ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा रोधी और आंसू गैस गन दागी, लेकिन आक्रामक भीड़ पीछे नहीं हट रही थी और आसमान छूते नारे लगा रही थी, “गुस्साख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा – सर तन से जुदा” (पैगंबर के अपमानकर्ता की एकमात्र सजा सिर को धड़ से अलग करना है) और पथराव कर रही थी। हवा पुलिस की ओर बह रही थी। दंगाई आंसू धुआं गोले उठाकर पुलिस पर वापस फेंक रहे थे, जिससे दंगाइयों की ओर बढ़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। कुछ समय बाद, हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद वाहनों में आग लगा दी। वे, सभी साथी कर्मियों के साथ, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ वारसी जिम के पास वाली गली की ओर बढ़े, जहां भीड़ भारी पथराव कर रही थी। पुलिस ने वहां भीड़ को

तितर-बितर करने के लिए दंगा रोधी और आंसू गैस गन दागी। हिंसक भीड़ पुलिस बल पर पेट्रोल बम भी फेंक रही थी, इस घटना में कई अन्य साथी कर्मी घायल हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि भीड़ को कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया गया था। जब गैस गन से गोलीबारी के कारण बहुत सारा धुआं था, तब हिंसक भीड़ पुलिस बल की ओर गोलीबारी करने लगी। इस दौरान, मस्जिद से लोगों को समझाने के लिए घोषणाएं की गईं। सुबह लगभग 09:45 बजे तक, अतिरिक्त पुलिस बल आ गए। दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करके, पुलिस बल ने हिंसक भीड़ को पीछे धकेल दिया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बताया कि टैंक के पास एक दंगाई घायल अवस्था में पड़ा था, उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजी गई। इस घटना के दौरान, दंगाइयों ने बिजली के तारों में आग लगा दी, सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए और पुलिस और अन्य वाहनों में आग लगा दी। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि हिंसक भीड़ ने एकता चौकी की ओर दंगा शुरू कर दिया था। वे, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ, नखासा चौराहा पहुंचे, जहां हिंसक भीड़ नखासा चौराहा, अंजुमन तिराहा, और दीपासराय क्षेत्रों में पथराव कर रही थी। दंगाइयों ने एक लेपर्ड मोटरसाइकिल और दो अन्य वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और दो मोटरसाइकिलों को जलने से बचाया। कुछ समय बाद, वे हिंदूपुरा खेड़ा पहुंचे, जहां पुरुष और महिलाएं गलियों और छतों से पुलिस बल पर पथराव कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपने घरों को लौटने की अपील की, लेकिन भीड़ ने नहीं सुना और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। महिला पुलिस को भी बुलाया गया और अतिरिक्त पुलिस बलों के आगमन के साथ, भीड़ तितर-बितर हो गई। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद, लगभग 15:00 बजे, वे घायल कर्मियों के साथ संभल जिला अस्पताल चिकित्सा जांच के लिए पहुंचे और फिर अपर पुलिस अधीक्षक के साथ पुनः शामिल हो गए। पूरी घटना के दौरान, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ रहे। दंगे के दौरान, संयम और पूर्ण सतर्कता बनाए रखी गई और भीड़ को समझाने की बार-बार कोशिश की गई, जिससे हिंसक घटना को और फैलने से रोका गया और इसे सीमित रखा गया।

W. ICW-17 श्री सोनवीर सिंह, कॉन्स्टेबल, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) का कार्यालय, संभल जिला

श्री सोनवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शनी के-17 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे फरवरी 2023 से अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), संभल जिला के कार्यालय में साथी कॉन्स्टेबल के रूप में तैनात हैं। दिनांक 23.11.2024 को, अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधितों को सूचित किया कि माननीय कोर्ट द्वारा गठित सर्वे टीम सुबह शाही जामा मस्जिद, संभल का शेष सर्वे करेगी। इसलिए सभी को सुबह 05:00 बजे तक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ कार्यालय में मौजूद रहना चाहिए। दिनांक 24.11.2024 को, वे सुबह लगभग 05:00 बजे कार्यालय में मौजूद थे। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने सभी साथी कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। सुबह लगभग 05:30 बजे, वे, सभी अन्य साथी कर्मियों के साथ, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ बढ़े और अपनी ड्यूटी निभाई। सुबह लगभग 06:00 बजे, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ जामा मस्जिद पहुंचे। सुबह लगभग 08:00 बजे, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को सूचना मिली कि जामा मस्जिद के पीछे और हिंदू आवासीय क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है। लोग छतों पर इकट्ठा होने लगे। इस जानकारी के आधार पर, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने ड्यूटी पर तैनात सर्किल ऑफिसरों को वायरलेस के माध्यम से सतर्क रहने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भीड़ को समझाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ महिलाओं और युवाओं ने भीड़ को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उत्तेजित भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। सुबह लगभग 09:00 बजे, वे अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के साथ ढलान तिराहा पहुंचे और देखा कि भीड़ एकरा मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोगों ने अपने चेहरों को मास्क, रुमाल और कपड़ों से ढक रखा था। उनमें से कुछ डंडे, लाठियां, लोहे की छड़ें, ईंटें और पत्थर लिए हुए थे, जो पुलिस की ओर लहरा रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने लाउडहेलर का उपयोग

किया और वे भी बार-बार चिल्लाए, भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें अपने घरों को लौटने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी। हिंसक भीड़, धार्मिक नारे लगाते हुए, कह रही थी कि सर्वे टीम को वहां से खदेड़ दो, नहीं तो वे आज उनकी जान ले लेंगे। भीड़ ने ईंटें, पत्थर और पेट्रोल बम पुलिस की ओर फेंकना शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ के पथराव से कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। एक ईंट उनकी टांग पर लगी, जिससे सूजन हो गई, और अपर पुलिस अधीक्षक भी घायल हो गए। पुलिस कर्मियों को घेरा जाता देख, अपर पुलिस अधीक्षक ने नियमानुसार गोलीबारी करने का आदेश दिया ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। फिर, उन्होंने अपनी आंसू गैस गन से चार राउंड दागे और एक अन्य साथी कॉन्स्टेबल विकेश ने भी दंगा रोधी गन से गोलीबारी की। हालांकि, आक्रामक भीड़ पीछे नहीं हट रही थी और आसमान छूते नारे लगा रही थी, “मार दो साले को” (इन बदमाशों को मार डालो)। हिंसक भीड़ ने गलियों में खड़े वाहनों में आग लगा दी। वे, सभी साथी कर्मियों के साथ, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ वारसी जिम के पास वाली गली की ओर बढ़े, जहां भीड़ भारी पथराव कर रही थी और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, उन्होंने आंसू धुआं गैस गन से दो राउंड दागे। हालांकि, हवा उनकी ओर बह रही थी, दंगाई पुलिस द्वारा दागे गए आंसू धुआं गोले उठाकर पुलिस पर वापस फेंक रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि दंगाई आंसू धुआं गोलों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उनके पास दंगों का पूर्व अनुभव था। पुलिस बल के पास पानी या कपड़ा जैसे संसाधन नहीं थे, जिसके कारण पुलिस को दंगाइयों की ओर बढ़ने में असुविधा हो रही थी, दंगाई पथराव करते रहे। इस बीच, कई दंगाई अचानक पास के घरों से गलियों में निकल आए और पुलिस पर ईंटें, पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने लगे। इस घटना में कई अन्य साथी घायल हो गए। दंगाइयों ने लंबे समय तक पुलिस पर ईंटें और पत्थर फेंके और अपर पुलिस अधीक्षक ने बार-बार दंगाइयों से अपने घरों को लौटने की अपील की, लेकिन दंगाई पीछे नहीं हटे। ऐसा प्रतीत होता था कि भीड़ को कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उन्होंने निर्देशानुसार पांच राउंड आंसू गैस के गोले दागे। बहुत सारा धुआं था और हिंसक भीड़ से अंधाधुंध

गोलीबारी की आवाज आ रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली पुलिस स्टेशन से अतिरिक्त बल की मांग वायरलेस के माध्यम से की, अतिरिक्त बल के आगमन पर, भीड़ संकरी गलियों में छिप गई और छिपकर पुलिस पार्टी पर पथराव शुरू कर दिया। फिर, उन्होंने आंसू धुआं गैस गन से एक राउंड दागा। जैसे ही वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ टैंक के पास वाली गली की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने टैंक के पास एक दंगाई को घायल अवस्था में पड़ा देखा, तुरंत एक एम्बुलेंस भेजी गई ताकि घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा सके। इस घटना के दौरान, दंगाइयों ने बिजली के तारों में आग लगा दी और सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए। इसके बाद, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ अंजुमन चौराहा पहुंचे। वहां, दंगाइयों ने एक लेपर्ड मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी और दो अन्य मोटरसाइकिलों को जलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें डंडों से मारकर बचाया गया। कुछ समय बाद, वे हिंदूपुरा खेड़ा पहुंचे, जहां पुरुष और महिलाएं गलियों और छतों से पुलिस बल पर पथराव कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपने घरों को लौटने की अपील की, लेकिन भीड़ ने नहीं सुना और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। महिला पुलिस को भी बुलाया गया और अतिरिक्त पुलिस बलों के आगमन के साथ, भीड़ तितर-बितर हो गई। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद, लगभग 14:00 बजे, वे घायल कर्मियों के साथ संभल जिला अस्पताल चिकित्सा जांच और एक्स-रे के लिए पहुंचे और फिर अपर पुलिस अधीक्षक के साथ पुनः शामिल हो गए। पूरी घटना के दौरान, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ रहे। दंगे के दौरान, संयम और पूर्ण सतर्कता बनाए रखी गई और उन्होंने दंगा रोधी गन से कुल 12 राउंड दागे। दागे गए सभी खाली गोले उनके पास थे और बाद में उन्हें रिजर्व पुलिस लाइन, बहजोई, संभल जिला में जमा कर दिया गया।

आयोग के समक्ष कहा कि उन्होंने अपने शपथ-पत्र में घटना का विवरण लिखा है। इसके अतिरिक्त, वे कहना चाहते हैं कि दिनांक 24.11.2024 की घटना के दौरान, जब वे वारसी जिम के पास पहुंचे, तो उन्होंने दंगाइयों को गोलीबारी करते और धार्मिक नारे लगाते देखा। इस गोलीबारी में सर्किल ऑफिसर को छर्रे लगे। दंगाई सर्वे को रोकना चाहते थे और यह घटना सुनियोजित तरीके से की गई थी।

X. ICW-18 श्री सौरभ प्रताप सिंह, कॉन्स्टेबल, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) का कार्यालय, संभल जिला

श्री सौरभ प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने आयोग को अपना शपथ-पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने सत्यापित किया, जिसे प्रदर्शनी के-18 के रूप में चिह्नित किया गया।

शपथ-पत्र में कहा गया है कि वे 11.01.2022 से अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), संभल जिला के कार्यालय में रीडर के रूप में तैनात हैं। दिनांक 23.11.2024 को, लगभग 22:00 बजे, कार्यालय से सूचना मिली कि सभी कार्यालय कर्मियों को सुबह 05:00 बजे तक दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ कार्यालय में मौजूद रहना चाहिए। वे, एक कॉन्स्टेबल के रूप में, निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद थे। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस कर्मियों को जानकारी दी कि माननीय कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, माननीय कोर्ट द्वारा गठित सर्वे टीम दिनांक 24.11.2024 को शाही जामा मस्जिद, संभल का शेष सर्वे करेगी। सभी कर्मी उनके साथ रहेंगे, अपने दंगा नियंत्रण उपकरण पहनेंगे और किसी भी प्रतिकूल स्थिति में उनके आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। इसके बाद, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ कार्यालय से शाही जामा मस्जिद की ओर बढ़े और अपनी ड्यूटी निभाई।

दिनांक 24.11.2024 को सुबह लगभग 08:00 बजे, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) को सूचना मिली कि जामा मस्जिद के पीछे और हिंदू आवासीय क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है। लोग छतों पर इकट्ठा होने लगे। इस जानकारी के आधार पर, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) ने ड्यूटी पर तैनात सर्किल ऑफिसरों को वायरलेस के माध्यम से सतर्क रहने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भीड़ को समझाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ महिलाओं और युवाओं ने भीड़ को समझाने की ईमानदार कोशिश की, लेकिन उत्तेजित भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। सुबह लगभग 09:00 बजे, वे अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के साथ ढलान तिराहा पहुंचे और देखा कि एक बड़ी भीड़ एकरा मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोगों ने अपने चेहरों को मास्क, रुमाल और कपड़ों से ढक रखा था। उनमें से कुछ डंडे, लाठियां, लोहे की

छड़ें, ईंटें और पत्थर लिए हुए थे, जो पुलिस कर्मियों की ओर लहरा रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने लाउडहेलर का उपयोग किया और वे भी बार-बार चिल्लाए, भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें अपने घरों को लौटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी। हिंसक भीड़, धार्मिक नारे लगाते हुए, कह रही थी कि सर्वे टीम को वहां से खदेड़ दो, नहीं तो वे आज उनकी जान ले लेंगे। भीड़ ने ईंटें, पत्थर और पेट्रोल बम पुलिस की ओर फेंकना शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ के पथराव से कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। एक पत्थर उनके बाएँ जबड़े पर लगा, एक और उनकी बाईं टांग पर, कंधे पर पीछे से और एक पत्थर उनके अंगूठे पर लगा, जिससे खून बहने लगा। पुलिस बल ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा रोधी और आंसू गैस गन दागी, लेकिन आक्रामक भीड़ पीछे नहीं हट रही थी और आसमान छूते नारे लगा रही थी, “गुस्साख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा – सर तन से जुदा” (पैगंबर के अपमानकर्ता की एकमात्र सजा सिर को धड़ से अलग करना है) और पथराव कर रही थी। हवा पुलिस कर्मियों की ओर बह रही थी, दंगाई आंसू धुआं गोले उठाकर पुलिस पर वापस फेंक रहे थे, जिससे दंगाइयों की ओर बढ़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। कुछ समय बाद, हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद वाहनों में आग लगा दी। वे, सभी साथी कर्मियों के साथ, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ वारसी जिम के पास वाली गली की ओर बढ़े, जहां भीड़ भारी पथराव कर रही थी। पुलिस ने वहां से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दंगा रोधी और आंसू गैस गन दागी। हिंसक भीड़ पुलिस बल पर पेट्रोल बम भी फेंक रही थी, इस घटना में कई अन्य साथी कर्मी घायल हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि भीड़ को कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया गया था। जब गैस गन से गोलीबारी के कारण बहुत सारा धुआं उठा, तब हिंसक भीड़ पुलिस बल की ओर गोलीबारी करने लगी। इस दौरान, मस्जिद से लोगों को समझाने के लिए घोषणाएं की गईं। सुबह लगभग 09:45 बजे तक, अतिरिक्त पुलिस बल आ गया। दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करके, पुलिस बल ने हिंसक भीड़ को पीछे धकेल दिया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बताया कि टैंक के पास एक दंगाई घायल अवस्था में पड़ा था, उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस

भेजी गई। इस घटना के दौरान, दंगाइयों ने बिजली के तारों में आग लगा दी, सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए और पुलिस और अन्य वाहनों में आग लगा दी। इसके बाद, अपर पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि हिंसक भीड़ ने एकता चौकी की ओर दंगा शुरू कर दिया था। वे, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ, नखासा चौराहा पहुंचे, जहां हिंसक भीड़ नखासा चौराहा, अंजुमन तिराहा, और दीपासराय क्षेत्रों में पथराव कर रही थी। दंगाइयों ने एक लेपर्ड मोटरसाइकिल और दो अन्य वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और दो मोटरसाइकिलों को जलने से बचाया। कुछ समय बाद, वे हिंदूपुरा खेड़ा पहुंचे, जहां पुरुष और महिलाएं गलियों और छतों से पुलिस बल पर पथराव कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपने घरों को लौटने की अपील की, लेकिन भीड़ ने नहीं सुना और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। महिला पुलिस को भी बुलाया गया और अतिरिक्त पुलिस बल के आगमन के साथ, भीड़ तितर-बितर हो गई। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद, लगभग 15:00 बजे, वे घायल कर्मियों के साथ संभल जिला अस्पताल चिकित्सा जांच के लिए पहुंचे और फिर अपर पुलिस अधीक्षक के साथ पुनः से शामिल हो गए। पूरी घटना के दौरान, वे अपर पुलिस अधीक्षक के साथ रहे। दंगे के दौरान, संयम और पूर्ण सतर्कता बनाए रखी गई और भीड़ को समझाने की बार-बार कोशिश की गई, जिससे हिंसक घटना को और फैलने से रोका गया और इसे सीमित रखा गया।

आयोग के समक्ष कहा कि दंगाई डंडे, लाठियां, तेज पत्थर और देसी पिस्तौल (कट्टा) और रिवॉल्वर (तमंचा) लिए हुए थे। वे गोलीबारी भी कर रहे थे और जहां निर्माणाधीन घर थे, वहां से निर्माण सामग्री से पत्थर उठाकर पुलिस कर्मियों पर फेंक रहे थे। भीड़ “नारा-ए-तकबीर,” “अल्लाह-हु-अकबर,” और “गुस्साख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा – सर तन से जुदा” (पैगंबर के अपमानकर्ता की एकमात्र सजा सिर को धड़ से अलग करना है) जैसे नारे लगा रही थी। ये लोग कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किए जा रहे सर्वे को रोकना चाहते थे और ड्रोन से निगरानी करने से पुलिस को रोकना चाहते थे। कई दंगाई अनुभवी अपराधी थे और वे आंसू गैस के गोले

पुलिस कर्मियों पर वापस फेंक रहे थे, जो दर्शाता है कि वे इन गतिविधियों में प्रशिक्षित थे।

Y. ICW-193 कपिल कुमार, कॉन्स्टेबल, कोतवाली संभल

कपिल कुमार ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को, कोर्ट कमिश्नर द्वारा कोर्ट के आदेश के तहत दोनों पक्षों की उपस्थिति में सर्वे किया गया। रात में पूजा करने वालों की भीड़ और अंधेरे के कारण उचित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं हो सकी, जिसके कारण दिनांक 24.11.2024 को सर्वे की आवश्यकता पड़ी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में, वे सुबह 6:31 बजे इंस्पेक्टर इंचार्ज के साथ कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए पहुंचे। सुबह लगभग 8:45 बजे, हकीमों वाली मस्जिद, हिंदूपुरा खेड़ा गलियों और फतेहुल्लाह सराय से लगभग 800-900 दंगाई धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगे, शाही जामा मस्जिद ढलान से 100 कदम पहले। जब इंस्पेक्टर इंचार्ज ने लाउडस्पीकर के माध्यम से घर लौटने को कहा तो दंगाइयों ने एक सुनियोजित साजिश में, अपने चेहरों को कपड़ों और मास्क से ढक लिया, जोर-जोर से धार्मिक नारे ("नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हु-अकबर, गुस्साख-ए-रसूल की यही सजा, सर तन से जुदा") लगाने लगे। उनके पास अवैध हथियार थे, पिस्तौल, चाकू और खंजर लहराते हुए, पास के पत्थर उठाकर, भारी पथराव करते हुए और पुलिस की ओर बढ़ते हुए, गालियां दे रहे थे। लगभग 40-50 लोग आए, चिल्लाते हुए, "हसन, अजीम, सलीम, रेहान अली, मोहम्मद हैदर, वसीम, अयान, पुलिस से सभी हथियार और कारतूस लूट लो, उन्हें आग लगा दो और मार डालो, कोई नहीं बचना चाहिए। वे अपनी शाही जामा मस्जिद पर सर्वे नहीं होने देंगे।" आक्रामक भीड़ ने हत्या के इरादे से पथराव और गोलीबारी की, हथियार और कारतूस लूटने के लिए हमला किया। झड़प में, सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार की 9 एमएम पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 कारतूस थे और उनके दो डिब्बे जिनमें 24 आंसू धुआं गोले और 5 रबर बुलेट थे, लूट लिए गए। उनके गैस गन बैरल से एक आंसू धुआं गोला झड़प के दौरान दागा गया। कॉन्स्टेबल पंकज कुमार से 25 खाली कारतूस और 25 प्लास्टिक पेलेट्स, और कॉन्स्टेबल राजपाल सिंह से एक छोटा बैग जिसमें 15,

12-बोर पंप गन कारतूस थे, हमले के माध्यम से जबरदस्ती लूट लिया गया। पथराव से वे, इंस्पेक्टर इंचार्ज, कॉन्स्टेबल पंकज कुमार, राजपाल सिंह और शेर सिंह घायल हो गए। घटना की तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी गई। एसपी संभल, डीएम संभल और अन्य अधिकारी जामा मस्जिद के पीछे दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ पहुंचे। सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने कोतवाली संभल में हसन और 7 अन्य, साथ ही 800-900 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 333/24 दर्ज की। इंस्पेक्टर इंचार्ज ने अन्य पुलिस की सहायता से मौके पर 21 दंगाइयों को गिरफ्तार किया। इस घटना के दौरान, उन्होंने देखा कि आक्रामक भीड़ का दंगा पहले से नियोजित था, क्योंकि कुछ दंगाइयों ने अपने चेहरों को कपड़ों और मास्क से छिपा रखा था। झड़प में, उनके चेहरे उजागर हो गए, और पुलिस ने उनकी पहचान की; उनके पास अवैध हथियार थे।

आयोग के समक्ष, यह और कहा गया कि वे दिनांक 19.11.2024, दिनांक 22.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को संभल जिला में थे। इस घटना में, उनकी गर्दन के नीचे चोट लगी। भीड़ के पास हथियार थे; बाकी उनके शपथ-पत्र में कहा गया है।

Z. ICW-197 श्री राजपाल सिंह, कॉन्स्टेबल, कोतवाली संभल

श्री राजपाल सिंह ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि वे वर्तमान में कोतवाली संभल में कॉन्स्टेबल के रूप में तैनात हैं। दिनांक 19.11.2024 को, कोर्ट कमिश्नर ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में शाही जामा मस्जिद में सर्वे किया। कुछ कमियों के कारण, सर्वे दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित किया गया था। वे सुबह 6:31 बजे इंस्पेक्टर इंचार्ज, कोतवाली संभल के साथ, दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस होकर निकले। इंस्पेक्टर इंचार्ज के साथ, उन्होंने दोनों पक्षों की सर्वे टीम को शाही जामा मस्जिद में प्रवेश करने में सुविधा प्रदान की और कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए गश्त की और मस्जिद के पीछे सीढ़ियों पर पहुंचे, जहां सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार तैनात थे। सुबह लगभग 8:45 बजे, हकीमों वाली मस्जिद, हिंदूपुरा खेड़ा गलियों और फतेहुल्लाह सराय से लगभग 800-900 दंगाई धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगे, शाही जामा मस्जिद

ढलान से लगभग 100 कदम पहले, सर्वे टीम को घेरने के इरादे से। इंस्पेक्टर इंचार्ज, कोतवाली संभल ने लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें घर जाने के लिए कहा। हालांकि, दंगाइयों ने, एक सुनियोजित साजिश में, अपने चेहरों को कपड़ों और मास्क से ढक लिया, अपनी पहचान छिपाते हुए और जोर-जोर से धार्मिक नारे (“नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हु-अकबर, गुस्साख-ए-रसूल की यही सजा, सर तन से जुदा”) लगाने लगे। उनके पास अवैध हथियार थे, पिस्तौल, चाकू और खंजर लहराते हुए, ईंटें और पत्थर उठाकर, भारी पथराव करते हुए, पुलिस की ओर बढ़ते हुए, गालियां दे रहे थे। लगभग 40-50 लोग आए, चिल्लाते हुए, “हसन, अजीम, सलीम, रेहान अली, मोहम्मद हैदर, वसीम, अयान, पुलिस से सभी हथियार और कारतूस लूट लो, उन्हें आग लगा दो और मार डालो। वे शाही जामा मस्जिद पर सर्वे नहीं होने देंगे।” उन्होंने हत्या के इरादे से पथराव और गोलीबारी की, पुलिस के हथियार और कारतूस लूट लिए। झड़प में, सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार की 9 एमएम पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 कारतूस थे, कॉन्स्टेबल कपिल कुमार के दो डिब्बे जिनमें 29 आंसू गैस गोले थे, पंकज कुमार के 25 खाली कारतूस और 25 प्लास्टिक पेलेट्स और उनके छोटे बैग में 15, 12-बोर पंप गन कारतूस हमला कर जबरदस्ती लूट लिए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर पंप-एक्शन गन की मैगजीन में लोड किए गए पांच कारतूसों में से दो चेतावनी शॉट्स दागे गए। वे घायल हो गए, और घटना की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को दी गई। सूचना मिलने पर, अधिकारी मौके पर पहुंचे। सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने हसन और 7 अन्य, साथ ही 800-900 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 333/24 दर्ज की। इंस्पेक्टर इंचार्ज ने पुलिस की सहायता से मौके पर 21 दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ लूटे गए सरकारी कारतूस, एक पिस्तौल और घटना में इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद किए गए। इस घटना के दौरान, उन्होंने देखा कि आक्रामक भीड़ का दंगा पहले से नियोजित था, क्योंकि कुछ दंगाइयों ने अपनी पहचान कपड़ों और मास्क से छिपाई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि संभल में दंगा पहले से नियोजित था।

आयोग के समक्ष, यह और कहा गया कि वे फरवरी 2023 से कोतवाली संभल में तैनात हैं। दिनांक 24.11.2024 को, उनके सीने पर एक पत्थर लगा। यह घटना एक सुनियोजित साजिश थी। उनके पास एक पंप-एक्शन गन थी और उनसे 15 कारतूस लूट लिए गए, जिनमें से कुछ बरामद किए गए। यदि भीड़ ने पुलिस घेरा तोड़कर जामा मस्जिद में प्रवेश किया होता, तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी।

AA. ICW-198 श्री पंकज कुमार, कॉन्स्टेबल, कोतवाली संभल

श्री पंकज कुमार ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि वे कोतवाली संभल में कॉन्स्टेबल के रूप में तैनात हैं। कोर्ट कमिश्नर ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में जामा मस्जिद में सर्वे किया। कुछ कमियों के कारण, सर्वे दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित किया गया था। वे सुबह 6:31 बजे इंस्पेक्टर इंचार्ज के साथ, सशस्त्र दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस होकर निकले। इंस्पेक्टर इंचार्ज के साथ, उन्होंने दोनों पक्षों की सर्वे टीम को शाही जामा मस्जिद में प्रवेश करने में सुविधा प्रदान की और कानून और व्यवस्था ड्यूटी के लिए गश्त की और मस्जिद के पीछे सीढ़ियों पर पहुंचे, जहां सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार तैनात थे। सुबह लगभग 8:45 बजे, हकीमों वाली मस्जिद, हिंदूपुरा खेड़ा गलियों और फतेहुल्लाह सराय से लगभग 800-900 दंगाई धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगे, शाही जामा मस्जिद ढलान से लगभग 100 कदम पहले, सर्वे टीम को घेरने के इरादे से। इंस्पेक्टर इंचार्ज, कोतवाली संभल, और उन्होंने लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को समझाने की कोशिश की, उन्हें घर जाने के लिए कहा। हालांकि, दंगाइयों ने, एक सुनियोजित साजिश में, अपने चेहरों को कपड़ों और मास्क से ढक लिया, अपनी पहचान छिपाते हुए और जोर-जोर से धार्मिक नारे (“नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हु-अकबर, गुर-साख-ए-रसूल की यही सजा, सर तन से जुदा”) लगाने लगे। उनके पास अवैध हथियार थे, पिस्तौल, चाकू और खंजर लहराते हुए, ईंटें और पत्थर उठाकर, भारी पथराव करते हुए और पुलिस की ओर बढ़ते हुए, गालियां दे रहे थे। लगभग 40-50 लोग आए, चिल्लाते हुए, “हसन, अजीम, सलीम, रेहान अली, मोहम्मद हैदर, वसीम, अयान, पुलिस से सभी हथियार और कारतूस लूट लो, उन्हें आग लगा दो और मार डालो। वे शाही जामा मस्जिद पर सर्वे नहीं होने

देंगे।” उन्होंने हत्या के इरादे से पथराव और गोलीबारी की, उनके हथियार और कारतूस लूट लिए। झड़प में, सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार की 9 एमएम पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 कारतूस थे, कॉन्स्टेबल कपिल कुमार के दो डिब्बे जिनमें 29 आंसू धुआं गोले थे, उनके 25 खाली कारतूस और 25 प्लास्टिक पेलेट्स, और कॉन्स्टेबल राजपाल सिंह के छोटे बैग में 15, 12-बोर पंप गन कारतूस हमला कर जबरदस्ती लूट लिए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर पंप-एक्शन गन की मैगजीन में लोड किए गए पांच कारतूसों में से दो चेतावनी शॉट्स दागे गए। वे घायल हो गए, और घटना की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को दी गई। सूचना मिलने पर, अधिकारी मौके पर पहुंचे। सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने हसन और 7 अन्य, साथ ही 800-900 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 333/24 दर्ज की। इंस्पेक्टर इंचार्ज ने पुलिस की सहायता से मौके पर 21 दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ लूटे गए सरकारी कारतूस, एक पिस्तौल और घटना में इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद किए गए। इस घटना के दौरान, पुलिस ने देखा कि आक्रामक भीड़ का दंगा पहले से नियोजित था, क्योंकि कुछ दंगाइयों ने अपनी पहचान कपड़ों और मास्क से छिपाई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि संभल में दंगा पहले से नियोजित था।

आयोग के समक्ष, यह और कहा गया कि वे अक्टूबर 2022 से कोतवाली संभल में तैनात हैं। यदि भीड़ ने पुलिस घेरा तोड़कर जामा मस्जिद में प्रवेश किया होता, तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता था, क्योंकि सर्वे टीम और पुलिस दोनों भीड़ के निशाने पर थे।

3. चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों की गवाही घायलों के उपचार, मेडिको-लीगल रिपोर्ट तैयार करने और घटना में मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में

A. ICW-20 डॉ. मुजीबुल्लाह, जिला महिला अस्पताल, मुरादाबाद

डॉ. मुजीबुल्लाह ने आयोग के समक्ष कहा कि दिनांक 25.11.2024 को उन्होंने और डॉ. शोभित सहित दो डॉक्टरों के एक पैनल ने दोपहर 03:00 बजे से 04:20 बजे तक मृतक अयान का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 पुलिस दस्तावेजों और एक पेन ड्राइव के साथ उसी दिन फार्मासिस्ट श्री हरी सिंह के माध्यम से सीपी श्री अमित कुमार के जरिए भेजी गई। मृतक अयान के शरीर पर चोट नंबर 1 पर कालापन और जलन के निशान थे, उनकी राय में यह चोट संभवतः नजदीक से की गई गोलीबारी के कारण थी।

B. ICW-21 डॉ. विरास, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहजोई, संभल

डॉ. विरास ने कहा कि उन्होंने और डॉ. विश्वास अग्रवाल सहित दो डॉक्टरों के एक पैनल ने दिनांक 24.11.2024 को रात 08:00 बजे से 09:20 बजे तक मृतक मोहम्मद कैफ और नईम का पोस्टमार्टम किया। दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 11 पुलिस दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में सीपी आदेश कुमार और सीपी अनुज कुमार के माध्यम से भेजी गई। उनकी राय में नईम की मृत्यु चोट नंबर 3 और 4 जो गोली लगने के कारण हुई और मोहम्मद कैफ की मृत्यु चोट नंबर 6 और 7 जो गोली लगने के कारण हुई।

C. ICW-22 डॉ. सचिन वर्मा, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहजोई, संभल

डॉ. सचिन वर्मा ने कहा कि उन्होंने आपातकाल में आए घायलों का उपचार किया और मेडिको-लीगल परीक्षण किए। एसपी श्री कृष्ण कुमार के शरीर पर कुल पांच चोटें थीं। उनकी चोटों की गंभीरता के कारण उन्हें जिला अस्पताल संभल रेफर किया गया। चोटें पत्थरों के कारण हो सकती थीं।

D. ICW-23 डॉ. राजेश कुमार, वरिष्ठ सलाहकार (सर्जन), जिला अस्पताल, संभल

डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि उन्होंने दिनांक 24.11.2024 को मेडिकल ऑफिसर द्वारा भर्ती किए गए मरीजों और इमरजेन्सी में आए अन्य घायल व्यक्तियों का उपचार किया। कॉन्स्टेबल आशीष वर्मा, श्री रमेश बाबू (एसडीएम), हसन और अजीम जो इस घटना में घायल हुए थे, जिनको मेडिको-लीगल परीक्षण के बाद भर्ती कर उपचार किया गया। कॉन्स्टेबल आशीष वर्मा को गंभीर चोटों के कारण मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर किया गया।

E. ICW-116 डॉ. शोभित अग्रवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल, मुरादाबाद

डॉ. शोभित अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने डॉ. मुजीबुल्लाह के साथ दिनांक 25.11.2024 को दोपहर 03:00 बजे से 04:20 बजे तक मृतक अयान का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 10 पुलिस दस्तावेजों और एक पेन ड्राइव के साथ उसी दिन फार्मासिस्ट श्री हरी सिंह के माध्यम से सीपी श्री अमित कुमार के जरिए भेजी गई। अयान के शरीर पर चोट नंबर 1 के आसपास कालापन तब संभव है जब नजदीक से गोली मारी और मृतक बिलाल के शरीर पर चोट भी गोली की चोट थी।

F. ICW-145 डॉ. विश्वास अग्रवाल, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, संभल जिला

डॉ. विश्वास अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने डॉ. विरास के साथ दो डॉक्टरों के एक पैनल में दिनांक 24.11.2024 को रात 08:00 बजे से 09:20 बजे तक मृतक नईम और मोहम्मद कैफ का पोस्टमार्टम किया। दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 11 पुलिस दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में सीपी आदेश कुमार और सीपी अनुज कुमार के माध्यम से भेजी गई।

G. ICW-28 डॉ. निर्मल सिंह, वरिष्ठ सलाहकार, जिला अस्पताल, संभल

डॉ. निर्मल सिंह ने कहा कि दिनांक 24.11.2024 को उन्होंने इस घटना से संबंधित घायल व्यक्तियों का परीक्षण किया, जिनमें सब-इंस्पेक्टर श्री संजीव कुमार, सीपी श्री आशीष वर्मा, सीपी श्री कपिल कुमार, एचसी श्री रुचिन कुमार, एसडीएम

श्री रमेश बाबू, सीओ श्री अनुज चौधरी, एसएचओ श्री अनुज कुमार तोमर, सीपी श्री शेर सिंह, सीपी श्री विनीत कुमार, एसपी श्री शिरीष चंद्र, सीपी श्री सोनवीर सिंह, सीपी श्री सौरभ प्रताप, सीपी श्री चंद्रपाल, सीपी श्री नवदीप, सीपी श्री दीपक, एसएचओ श्री राधेश्याम, एसएचओ श्री हरीश कुमार, श्री राजीव कुमार मलिक, सीपी श्री नितिन सिरौहा, सीपी श्री निशांत मलिक, सब-इंस्पेक्टर श्री मोहम्मद शम्साद, सीपी श्री गोपाल, सब-इंस्पेक्टर श्री राजीव कुमार, एपी श्री सुमित कुमार, एचसी श्री विवेक कुमार, सीपी श्री पंकज कुमार और सीपी श्री राजपाल सिंह शामिल थे। सभी के लिए मेडिको-लीगल परीक्षण किए गए और सब-इंस्पेक्टर श्री संजीव कुमार, श्री रमेश बाबू, श्री शिरीष चंद्र, श्री अनुज चौधरी, श्री अनुज कुमार तोमर, श्री कृष्ण कुमार, श्री संजीव कुमार, श्री सुमित कुमार, श्री विवेक कुमार, श्री नितिन सिरौहा, श्री राजीव कुमार मलिक, श्री दीपक, श्री हरीश कुमार और श्री सोमवीर सिंह को एक्स-रे कराने की सलाह दी गई, जो उनके द्वारा ही किए गए।

H. ICW-27 श्री सतीश तिवारी, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहजोई, संभल जिला

श्री सतीश तिवारी ने आयोग के समक्ष कहा कि उन्होंने मृतक मोहम्मद कैफ और नईम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की और पोस्टमार्टम के दौरान डॉ. विरास और डॉ. विश्वास अग्रवाल के पैनल की सहायता की।

I. ICW-29 श्री कृष्ण कांत हटवाल और आईसीडब्ल्यू-30 श्री सुरेश पाल सिंह, फार्मासिस्ट, जिला अस्पताल, संभल जिला

श्री कृष्ण कांत हटवाल और श्री सुरेश पाल सिंह ने आयोग के समक्ष कहा कि उन्होंने आपातकाल रजिस्टर में घायलों की उपस्थिति दर्ज की और घायलों को दवाइयां प्रदान कीं।

J. ICW-31 श्री भुजवीर सिंह, एक्स-रे तकनीशियन, जिला अस्पताल, संभल जिला

श्री भुजवीर सिंह ने आयोग के समक्ष कहा कि वे घटना के दिन जिला अस्पताल के एक्स-रे विभाग में मौजूद थे और उन्होंने घायल व्यक्तियों के एक्स-रे किए।

वार्ड बॉयज़ - ICW-32 श्री अशोक कुमार, ICW-33 श्री विपिन कुमार भटनागर, ICW-34 श्री गुलशन कुमार, ICW-35 श्री राजेश मुल्तानी और ICW-36 श्री विमल कुमार, जिला अस्पताल, संभल जिला

इन वार्ड बॉयज़ ने आयोग के समक्ष कहा कि वे घटना के दिन आपातकाल वार्ड में मौजूद थे। उन्होंने घायलों को आपातकाल वार्ड में लाया और यदि घायल चलने में असमर्थ थे, तो उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया। उन्होंने देखा कि अधिकांश घायल पुलिस कर्मी थे।

स्वीपर - ICW-37 श्री मुकेश कुमार, ICW-38 श्री अमन कुमार और ICW-39 श्री सचिन कुमार, जिला अस्पताल, संभल जिला

इन स्वीपर्स ने आयोग के समक्ष कहा कि उन्होंने आपातकाल वार्ड की सफाई की।

4. गवाहों के नाम, पदनाम, संबंधित प्रदर्श और सामग्री प्रदर्श

S.N	ICW	Name	Designation/Description	Material Exhibits
1	1	Mr.Anuj Kumar Chaudhary	Circle Officer, Sambhal	Exhibit K-1 has been placed in the provided pen drive. (in which the Circle Officer is seen addressing the agitated crowd.)

2	171	Mr. Krishna Kumar	Superintendent of Police, Sambhal	Exhibit K-2 and K-3 have been placed in the two provided pen drives. (Recording of the main parts of the incident.)
3	174	Mr. Bhishm Singh Dewar	Correspondent, News18 India Channel	Exhibit K-4 has been placed in the provided pen drive. (Recording of the incident made by the correspondent.)
4	175	Mr. Omveer Singh	Photographer, Hindustan Newspaper, Sambhal	Exhibit K-5 has been placed in the provided pen drive. (Recording of the incident made by the photographer.)
5	178	Mr. Mohammad Muzammil	Stringer, TV9 Bharatvarsh, Sambhal	Exhibit K-6 has been placed in the provided pen drive. (Recording of the incident made by the stringer.)
6	185	Mr.Gaurav Shrivastava	Senior Correspondent, Times Now Navbharat, Noida	Exhibit-7 has been placed in the provided pen drive. (Recording of the incident made by the photographer.)
7	192	Mr.Anuj Kumar Tomar	Station House Officer, Kotwali Police Station, Sambhal	Exhibit K-8 Has been placed in the provided pen drive. (Audio pen drive of a conversation between two individuals

				on the day of the incident.)

5. दिनांक 24 नवंबर, 2024 को संभल जिले में हिंसा की घटना के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का विवरण

S.No.	Name	Designation	Firearm Used	Details
1	Inspector Anuj Tomar	In-Charge Inspector	09 mm Pistol	02 warning shots fired in the air
2	Constable Vikesh Kumar	Constable	Anti-Riot Gun	10 rounds fired
3	Constable Somvir	Constable	Tear Gas Gun	12 shells fired
4	Constable 506 Amrit Singh	Constable	12 Bore Pump Action Gun	02 warning shots fired
5	Constable 681 Naveen Kumar	Constable	12 Bore Pump Action Gun	04 warning shots fired
6	Constable 743 Sachin Kumar	Constable	12 Bore Pump Action Gun	03 warning shots fired
7	Constable 08 Rajpal	Constable	12 Bore Pump Action Gun	02 warning shots fired in the air
8	Constable Kapil kumar	Constable	Tear Gas Gun	01 shell fired

6. दिनांक 24.11.2024 को संभल में दंगे में मृत व्यक्तियों का विवरण

S.No.	Name of Deceased	Incident Location	Related Registered Case
1	Mohd. Kaif s/o Mohd. Hussain	Near Dariyasir	Case No. 306/24, Section 103(1) BNS
2	Naeem s/o Khurshid Dulha	Behind Jama Masjid	Case No. 338/24, Section 103(1) BNS
3	Ayaan s/o Hanif	Approximately 100 meters from Jama Masjid	Case No. 339/24, Section 103(1) BNS
4	Bilal s/o Hanif	Approximately 100 meters from JamaMasjid	Case No. 340/24, Section 103(1) BNS

7. दिनांक 24.11.2024 को संभल में दंगे में घायल हुए व्यक्तियों का विवरण

S.No	Name of Injured	Incident Location	Related Registered Case
1	Waseem s/o Naeem	Mohalla Kotgarvi, near Maulvi Sahab's Mosque	Case No. 342/24, Sections 109, 125, 190, 191(2), 191(3) BNS
2	Mohd. Hasans/o Irfan	Near Education Institute Center in an empty block	-
3	Mohd. Azeem s/o Khalil Ahmad	Near Neem ki Jaratin the empty space of the graveyard	-

8. दिनांक 24.11.2024 को हुई घटना से संबंधित दर्ज किए गए आपराधिक मामले

दिनांक 24.11.2024 को संभल जिले में हुई घटना के संदर्भ में कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 7 मामले पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के रूप में दर्ज किए गए और शेष 5 मामले निजी व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए गए। विवरण निम्नलिखित हैं:

A. अ0 सं0 333/2024

- धारा: 191(2), 190, 115(2), 352, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 309(4), 223(b), 191(3) बीएनएस और 25(1-एए), 25(1बी)(ए) आर्म्स एक्ट
- थाना: कोतवाली संभल
- घटना की तारीख: दिनांक 24.11.2024
- समय: सुबह 08:45 बजे
- घटना स्थल: जामा मस्जिद के ढलान के पास
- शिकायतकर्ता: सब-इंस्पेक्टर श्री संजीव कुमार, थाना कोतवाली संभल
- मामला: स्टेट बनाम हसन और 6 अन्य नामजद, साथ ही 800-900 अज्ञात व्यक्ति
- चार्ज-शीट: चार्ज-शीट नंबर 32/2025 दिनांक 17.02.2025 को माननीय न्यायालय में 39 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

B. अ0 सं0 334/2024

- धारा: 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 223(b) बीएनएस

- घटना की तारीख: दिनांक 24.11.2024
- समय: सुबह 09:00 बजे
- घटना स्थल: जामा मस्जिद के पास
- शिकायतकर्ता: श्री अनुज कुमार चौधरी, सर्किल ऑफिसर, संभल सर्किल
- मामला: स्टेट बनाम 700-800 अज्ञात व्यक्ति
- चार्ज-शीट: चार्ज-शीट नंबर 29/2025 दिनांक 16.02.2025 को माननीय न्यायालय में 38 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

C. अ0 सं0 335/2024

- धारा: 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 121(1), 125, 223(b), 324(5), 196, 326(f) बीएनएस और 3/5 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट
- थाना: संभल, जिला संभल
- घटना की तारीख: दिनांक 24.11.2024
- समय: सुबह 09:00 बजे के आसपास
- घटना स्थल: जामा मस्जिद के पास
- शिकायतकर्ता: सब-इंस्पेक्टर श्री दीपक राठी, थाना कोतवाली संभल, जिला संभल
- मामला: स्टेट बनाम श्री जियाउर रहमान बर्क और एक अन्य नामजद, साथ ही 700-800 अज्ञात व्यक्ति

- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 96/2025 दिनांक 12.06.2025 को माननीय न्यायालय में 23 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

D. अ0 सं0 336/2024

- **धारा:** 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 223(b) बीएनएस और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट
- **घटना की तारीख:** दिनांक 24.11.2024
- **समय:** सुबह 09:00/10:00 बजे
- **घटना स्थल:** जामा मस्जिद के पास
- **शिकायतकर्ता:** श्री रमेश बाबू, डिप्टी कलेक्टर, संभल जिला
- **मामला:** स्टेट बनाम 800-900 अज्ञात व्यक्ति
- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 31/2025 दिनांक 17.02.2025 और चार्ज-शीट नंबर 31ए/2025 दिनांक 02.06.2025 को माननीय न्यायालय में 38 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

E. अ0 सं0 337/2024

- **धारा:** 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(ए), 125(बी), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(b), 326(f), 317(3) बीएनएस और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 3/5 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट, और 3/25/27 आर्म्स एक्ट
- **घटना की तारीख:** दिनांक 24.11.2024
- **समय:** सुबह 08:45 बजे से शाम 05:10 बजे तक
- **घटना स्थल:** विवादित धार्मिक स्थल के पास

- **शिकायतकर्ता:** श्री अनुज कुमार तोमर, प्रभारी इंस्पेक्टर, थाना कोतवाली संभल
- **मामला:** स्टेट बनाम मोहम्मद शादाब और 30 अन्य नामजद, साथ ही 800-900 अज्ञात व्यक्ति
- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 30/2025 दिनांक 17.02.2025 को माननीय न्यायालय में 53 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

F. अ0 सं0 304/2024

- **धारा:** 191(2), 191(3), 190, 109(1), 132, 121(1), 223 बीएनएस और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट
- **थाना:** नखासा, जिला संभल
- **शिकायतकर्ता:** सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार, पीआरओ, पुलिस अधीक्षक, संभल जिला
- **घटना स्थल:** हिंदूपुरा खेड़ा पक्काबाग
- **घटना का समय:** सुबह 11:00 बजे के आसपास
- **मामला:** स्टेट बनाम 100-150 अज्ञात व्यक्ति
- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 30/2025 दिनांक 18.02.2025 को माननीय न्यायालय में 25 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

G. अ0 सं0 305/2024

- **धारा:** 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 324(5), 326(जी), 309(4), 223, 132 बीएनएस और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 2/3 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट

- **थाना:** नखासा, जिला संभल
- **शिकायतकर्ता:** सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैसल, थाना नखासा संभल
- **घटना स्थल:** नखासा तिराहा
- **घटना का समय:** दोपहर 02:45 बजे के आसपास
- **मामला:** स्टेट बनाम गुलबुद्दीन हिकमतयार और अन्य
- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 29/2025 दिनांक 18.02.2025 को माननीय न्यायालय में 23 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

9. निजी व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए गए मामले

A. अ0 सं0 338/2024

- **मामला:** स्टेट बनाम अज्ञात, थाना नखासा संभल
- **धारा:** 103(1) बीएनएस
- **घटना की तारीख:** दिनांक 24.11.2024
- **समय:** सुबह 10:20 बजे
- **घटना स्थल:** विवादित धार्मिक स्थल के पीछे
- **शिकायतकर्ता:** श्री तसलीम, पुत्र खुरशीद, निवासी मोहल्ला कोट गारवी, कस्बा थाना संभल
- **मृतक:** नईम, शिकायतकर्ता का भाई
- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 60/2025 दिनांक 18.04.2025 को माननीय न्यायालय में 03 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

B. अ0 सं0 339/2024

- **मामला:** स्टेट बनाम अज्ञात, थाना संभल
- **धारा:** 125, 103(1) बीएनएस
- **घटना की तारीख:** दिनांक 24.11.2024
- **समय:** सुबह 11:00 बजे के आसपास
- **घटना स्थल:** जामा मस्जिद के पीछे
- **शिकायतकर्ता:** श्री कामिल, पुत्र हनीफ, निवासी कोट गारवी, कस्बा थाना संभल
- **मृतक:** अयान, शिकायतकर्ता का भाई
- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 58/2025 दिनांक 14.04.2025 को माननीय न्यायालय में 02 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

C. अ0 सं0 340/2024

- **मामला:** स्टेट बनाम अज्ञात पत्थरबाज, थाना संभल
- **धारा:** 103(1) बीएनएस
- **घटना की तारीख:** दिनांक 24.11.2024
- **समय:** सुबह 09:30 बजे
- **घटना स्थल:** जामा मस्जिद
- **शिकायतकर्ता:** श्री सलमान, पुत्र हनीफ, निवासी झालरी जमुन सराय पीर, थाना हयात नगर संभल
- **मृतक:** बिलाल, शिकायतकर्ता का भाई

- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 59/2025 दिनांक 15.04.2025 को माननीय न्यायालय में 02 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

D. अ0 सं0 306/2024

- **मामला:** स्टेट बनाम अज्ञात, थाना नखासा
- **धारा:** 103(1) बीएनएस
- **घटना की तारीख:** दिनांक 24.11.2024
- **समय:** शिकायत में निर्दिष्ट नहीं
- **घटना स्थल:** दरियासर के पास
- **शिकायतकर्ता:** श्री मोहम्मद हुसैन, पुत्र बटूल शाह, निवासी तूतीपुर इल्हा, थाना नखासा संभल
- **मृतक:** मोहम्मद कैफ, शिकायतकर्ता का पुत्र
- **चार्ज-शीट:** चार्ज-शीट नंबर 73/2025 दिनांक 18.04.2025 को माननीय न्यायालय में 03 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और शेष आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

E. अ0 सं0 342/2024

- **मामला:** स्टेट बनाम तुर्क समुदाय के अज्ञात व्यक्ति, थाना कोतवाली संभल
- **धारा:** 109, 125, 190, 191(2), 191(3) बीएनएस
- **घटना की तारीख:** दिनांक 24.11.2024
- **समय:** दोपहर 01:00 बजे के आसपास
- **घटना स्थल:** मोहल्ला कोट गारवी, मौलवी साहब वाली मस्जिद

- **शिकायतकर्ता:** श्री नसीम, पुत्र शरीफ, मोहल्ला कोट गारवी, मौलवी साहब वाली मस्जिद, संभल
- **घायल:** वसीम, शिकायतकर्ता का भतीजा

उपरोक्त अ0 सं0 337/2024 में, धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(ए), 125(बी), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(b), 326(f), 317(3) बीएनएस और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 3/5 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट, और 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत, घटना स्थल से 21 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम हैं: मोहम्मद शादाब, मोहम्मद रेहान, गुलफाम, अमन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सलीम, समीर, याकूब, सलमान, रेहान अली, जैद, मोहम्मद बाबू, मोहम्मद हैदर, यामिन, सलीम, आफताब, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद फिरोज, फरदीन, मोहम्मद तहजीब और नईम।

इस मामले और अन्य उपरोक्त मामलों में अब तक कुल 79 आरोपियों को जेल में बंद किया गया है और उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के समक्ष दर्ज की गई है।

10. सर्वे कमिश्नर और उनके फोटोग्राफर की गवाही

A. ICW-125 श्री रमेश सिंह राघव पुत्र श्री दरियाब सिंह, कोर्ट कमिश्नर

श्री रमेश सिंह राघव ने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को सिविल सूट नंबर 180/2024, हरि शंकर जैन व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य, माननीय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, संभल के समक्ष दायर किया गया था। माननीय न्यायालय ने उन्हें संभल में जामा मस्जिद का निरीक्षण करने और दिनांक 29.11.2024 तक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद उन्होंने संभल के जिला मजिस्ट्रेट को तथ्यों की जानकारी दी और मस्जिद परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का अनुरोध किया। जिला मजिस्ट्रेट ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और मस्जिद परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के लिए आदेश जारी किए। चूंकि उन्हें माननीय न्यायालय

द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, उन्होंने दिनांक 19.11.2024 को शाम 6:04 बजे मस्जिद समिति के अध्यक्ष और वकील श्री जफर अली को नोटिस दिया।

जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी सहायता के लिए एक टीम गठित की, जिसमें उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) संभल, सर्किल ऑफिसर (सीओ) संभल और संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शामिल थे। इस टीम के साथ याचिकाकर्ताओं के वकील श्री विष्णु शंकर जैन और गोपाल शर्मा, भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सरकारी वकील विष्णु शंकर शर्मा और डीजीसी सिविल प्रिंस शर्मा, साथ ही जामा मस्जिद प्रबंध समिति के वकील और इसके सदर, एडवोकेट जफर अली भी सर्वे में शामिल हुए।

निरीक्षण के दौरान स्थानीय सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और वर्तमान विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल लगभग 200-300 समर्थकों के साथ पहुंचे और धमकी भरे लहजे में उनसे कहा, **“जो भी तमाशा करना चाहते हो, दस मिनट में खत्म करो, वरना स्थिति ऐसी हो जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे।”**

मस्जिद के बाहर जमा भीड़ ने विरोध शुरू कर दिया, धार्मिक और उत्तेजक नारे लगाए। इसके अतिरिक्त रोशनी की समस्या थी। इसलिए उन्होंने निरीक्षण को स्थगित करना उचित समझा और प्रशासन को लिखित में कारण बताते हुए निरीक्षण कार्यवाही को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया।

दिनांक 20.11.2024 को उन्होंने जिला प्रशासन से शेष सर्वे कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने उसी दिन एक पत्र के माध्यम से कुंदरकी विधानसभा उप-चुनाव के कारण पुलिस बल प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की जिसके कारण दिनांक 20.11.2024 को निरीक्षण संभव नहीं हो सका। उप-चुनाव समाप्त होने के बाद उन्होंने दिनांक 23.11.2024 को फिर से अनुरोध किया कि शेष निरीक्षण दिनांक 24.11.2024 को किया जाए और प्रशासन को पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक और पत्र प्रस्तुत किया। उसी पत्र के माध्यम से उन्होंने दोनों पक्षों अर्थात् याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के वकीलों को

सूचित किया। प्रशासन ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए।

दिनांक 24.11.2024 को वे याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के वकीलों, मस्जिद समिति के अध्यक्ष एडवोकेट श्री जफर अली, लद्दन खान, आफताब वारसी और मशहूद अली फारूकी के साथ सुबह लगभग 6:30 बजे संभल कोतवाली में एकत्र हुए। पुलिस स्टेशन पर एकत्र होने के बाद कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर ने निरीक्षण टीम के सभी सदस्यों को पुलिस सुरक्षा में जामा मस्जिद ले गए। सर्वे टीम और पुलिस के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति उनके साथ नहीं था। जामा मस्जिद पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके मोबाइल फोन एकत्र/जमा किए और सुबह लगभग 7:00 बजे उन्हें एक वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर के साथ मस्जिद में प्रवेश की अनुमति दी गई।

दोनों पक्षों की उपस्थिति में उन्होंने निरीक्षण कार्यवाही शुरू की। सुबह 7:30-7:45 बजे के आसपास मस्जिद के बाहर से हल्की हलचल की आवाजें सुनाई दीं। सुबह 8:30 बजे तक बाहर से तेज आवाजें और उत्तेजक नारे सुनाई देने लगे, इसके तुरंत बाद विस्फोटों की आवाजें आईं। जल्द ही उनकी आंखों में जलन और आंसू आने लगे और हलचल की आवाजें और तेज हो गईं, जो मस्जिद के अंदर स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। मस्जिद के पीछे से काला धुआं उठने लगा, जो दर्शाता था कि दंगा शुरू हो गया था। बाहरी हलचल और विस्फोटों के बावजूद उन्होंने निरीक्षण जारी रखा और इसे सुबह 10:15–10:30 बजे तक पूरा किया। निरीक्षण पूरा करने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के सामने वाली गली से बाहर निकाला गया और सुरक्षित रूप से पुलिस स्टेशन लाया गया।

सर्वे के दौरान प्रबंध समिति के अध्यक्ष जफर अली, लद्दन खान, आफताब वारसी और अन्य ने सुझाव दिया कि यदि चाहें तो वजूखाना (अब्लूशन टैंक) का पानी निकाला जा सकता है और पानी निकाल दिया गया। इस समय के आसपास बाहर से हलचल की आवाजें सुनाई दीं। जफर अली ने कहा कि वह भीड़ को शांत करेंगे और गुटखा (तंबाकू) लाने जाएंगे। उनके लौटने के तुरंत बाद, शोर बढ़ गया,

इसके बाद आगजनी से धुआं उठने की और गोलीबारी की आवाजें आईं, जो उन्होंने मस्जिद के ऊपरी भाग से देखा और लगभग 2,500–3,000 लोगों की भीड़ को पत्थरबाजी और नारे लगाते देखा।

उनकी राय में यह घटना स्थानीय सांसद विधायक के पुत्र और जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष श्री जफर अली की दुर्भावनापूर्ण मंशा के साथ एक पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम थी। जब वजूखाना का पानी निकाला जा रहा था, जफर अली बाहर गए और उनके लौटने के बाद हलचल और नारेबाजी तेज हो गई। एक वकील के रूप में श्री जफर अली को पूरी तरह से पता था कि सर्वे कार्यवाही में क्या करना है और मस्जिद की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मामला विचाराधीन है।

B. ICW-199. श्री विष्णु शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन, कोर्ट कमिश्नर

श्री विष्णु शर्मा ने आयोग के समक्ष कहा कि उन्होंने दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को संभल में जामा मस्जिद में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की।

दिनांक 19.11.2024 को जामा मस्जिद में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते समय, उनके साथ दो या तीन अन्य सहायक थे, जिन्हें उन्होंने सहायता के लिए लाया था। हालांकि जामा मस्जिद प्रबंध समिति के सदस्यों ने उन्हें मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया और इसलिए उन्होंने अकेले वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। वे कोर्ट कमिश्नर के साथ शाम लगभग 5:30 बजे जामा मस्जिद पहुंचे।

डीएम और एसपी साहब पहले से ही मस्जिद में मौजूद थे। प्रबंध समिति के सदस्य और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्ति मस्जिद के अंदर थे। कुछ लोग कमरों में बैठे थे, जिन्हें बाद में पुलिस प्रशासन ने हटा दिया।

दिनांक 19.11.2024 को उनके पहुंचने के तुरंत बाद आयोग की कार्यवाही शुरू हुई और मस्जिद के अंदर और बाहर भीड़ धीरे-धीरे बढ़ने लगी, जिसमें भीड़ “अल्लाह-हु-अकबर” के नारे लगा रही थी। एसपी साहब ने समझाया कि वे केवल सर्वे

करने आए हैं और जल्द ही चले जाएंगे, लेकिन नारेबाजी जारी रही। डीएम साहब मस्जिद के अंदर सभी को समझा रहे थे, जबकि बाहर एसपी साहब भीड़ से सहयोग करने का आग्रह कर रहे थे क्योंकि यह केवल एक सर्वे था।

मस्जिद के बाहर लगभग 1800-2000 लोग थे और अंदर लगभग 300-400 लोग थे। वे सुहेल इकबाल को जानते हैं, जो संभल के विधायक श्री महमूद इकबाल के पुत्र हैं और संभल में रहते हैं।

उनके पहुंचने से पहले सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क, सुहेल इकबाल और प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद थे, भीड़ इकट्ठा कर रहे थे और ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे जो वे दोहरा भी नहीं सकते।

सर्वे कार्यवाही लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चली और इन व्यक्तियों के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण काम ठीक से नहीं हो सका। कोर्ट कमिश्नर भी बहुत डरे हुए थे और मस्जिद के सभी ओर से सर्वे का विरोध करने वाली नारेबाजी और आवाजें आ रही थीं। सर्वे कमिश्नर ने कहा कि या तो भीड़ को हटाया जाए अन्यथा सर्वे कार्यवाही जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसी परिस्थितियों में सर्वे को ठीक से करना संभव नहीं था और अंधेरा भी हो रहा था। यह तय किया गया कि शेष सर्वे कार्य भविष्य में प्रशासन/पुलिस के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने घटनाओं के वीडियो और फोटो कोर्ट कमिश्नर को सौंप दिए थे, जो उनके पास होने चाहिए और यदि उन्होंने उन्हें किसी और को दिया है, तो वे नहीं कह सकते। यदि उन वीडियो और फोटो की समीक्षा की जाए तो मस्जिद के अंदर की स्थिति और माहौल साथ ही किस तरह की नारेबाजी हो रही थी, कौन क्या कह रहा था और कौन किसे उकसा रहा था, स्पष्ट हो जाएगा।

यदि सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और सुहेल इकबाल चाहते तो स्थिति नहीं बिगड़ती और सर्वे प्रक्रिया दिनांक 19.11.2024 को पूरी हो सकती थी। हालांकि उन्होंने माहौल खराब कर दिया और सर्वे में बाधा डाली, जिसके कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

कोर्ट कमिश्नर ने जामा मस्जिद प्रबंध समिति के सदस्यों और डीएम व एसपी साहब को सूचित किया था कि सर्वे केवल पर्याप्त पुलिस बल के साथ किया जा सकता है और तारीख बाद में तय की जाएगी।

दिनांक 19.11.2024 को मस्जिद की सीढ़ियों पर नेताओं द्वारा भाषण दिए जा रहे थे और माहौल तनावपूर्ण था। प्रबंध समिति लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी से शांत रहने और सहयोग करने की अपील कर रही थी, लेकिन चुपके से भीड़ को उकसा रही थी।

दिनांक 19.11.2024 को एक बड़ी पुलिस फोर्स ने उन्हें सुरक्षित रूप से कोतवाली संभल पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया, जहां से वे अपने-अपने घर चले गए। वे 19 तारीख की घटनाओं के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता के कारण वे खुलकर नहीं बोल सकते।

दिनांक 24.11.2024 को उन्हें सुबह 4:00 बजे संभल की एसडीएम से फोन आया, जिसमें उन्हें तुरंत उनके कार्यालय में कुछ जरूरी काम के लिए आने को कहा गया। दिनांक 24.11.2024 को वे सर्वे टीम के साथ पुलिस वाहन में जामा मस्जिद गए। डीएम, एसपी, कोर्ट कमिश्नर और अन्य लोग उनके आगे की गाड़ियों में थे। जांच और अन्य प्रक्रियाओं के बाद वे सुबह 7:30-8:00 बजे मस्जिद पहुंचे। डीएम और एसपी साहब ने मस्जिद के कमरों से अनावश्यक लोगों को हटवाया और लगभग 20 मिनट बाद सर्वे कार्यवाही शुरू हुई। उन्होंने अकेले फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जिसमें लगभग 1300-1400 फोटो और लगभग 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो लिया, जिसे उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को प्रदान किया। इसमें ड्रोन कैमरा फुटेज भी शामिल थी, जिसे उनके सहायक ने मस्जिद के बाहर से संचालित किया था जबकि उन्होंने अंदर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की।

मस्जिद के बाहर भारी भीड़ थी, जैसे कि पूरा संभल और आसपास के गांवों के लोग इकट्ठा हो गए हों। दिनांक 24.11.2024 को सर्वे कार्यवाही लगभग 3 घंटे तक

चली, जिस दौरान भीड़ ने समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को परेशान किया।

प्रबंध समिति के सदस्य मस्जिद के अंदर बाधाएं पैदा कर रहे थे, जबकि बाहर भारी नारेबाजी, आगजनी और देशी हथियारों से गोलीबारी हो रही थी।

मस्जिद की छत से जहां एसडीएम साहिबा भी मौजूद थीं, उन्होंने पूरी स्थिति देखी। कई लोगों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, वाहनों और बाइकों में आग लगा रहे थे और माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो गया था।

एडवोकेट कमिश्नर श्री रमेश सिंह राघव ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि पानी के टैंक (हौज) को खाली किया जाए ताकि उसकी भी फोटोग्राफी की जा सके। यह अनुरोध प्रबंध समिति को बताया गया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से टैंक खाली करना शुरू किया। टैंक का निरीक्षण किया गया लेकिन अत्यधिक काई और कीचड़ के कारण उचित माप, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं हो सकी। जो भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वे कर पाए, उसे कोर्ट कमिश्नर को सौंप दिया गया।

जब टैंक खाली किया जा रहा था, प्रबंध समिति ने अफवाहें फैलाईं कि मस्जिद को खोदा और तोड़ा जा रहा है। एक वकील और प्रबंध समिति के सदस्य अंदर-बाहर आ-जा रहे थे, संभवतः ये अफवाहें फैला रहे थे। भीड़ बहुत हिंसक हो गई, पुलिस/प्रशासन पर पत्थरबाजी और गोलीबारी कर रही थी, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो गई और आगजनी हो रही थी। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और शांत करने की कोशिश कर रही थी, कई जगहों पर लाठी चार्ज का उपयोग किया गया, भीड़ को पीछे धकेलने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस का धुआं मस्जिद में भर गया और जलते हुए वाहनों से भी धुआं उठ रहा था।

उनकी राय में पूरी घटना पूर्व नियोजित थी, जिसमें संभल के बाहर से बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। उनका मानना है कि मुस्लिम समुदाय को 24 तारीख के सर्वे के बारे में पहले से सूचित किया गया था और वे इसे रोकने के लिए पूरी तरह

तैयार थे। सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क, सुहेल इकबाल और प्रबंध समिति के सदस्य पूरी घटना के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और उकसाया। प्रबंध समिति ने प्रचार के माध्यम से माहौल बनाया, जबकि मस्जिद को खोदने या तोड़ने का कोई इरादा नहीं था।

11. वादी के अधिवक्ताओं की गवाही

A. ICW-119 श्री विष्णु शंकर जैन, वादी के वकील सिविल वाद संख्या 182/2024, हरि शंकर जैन और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, जो सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चंदौसी के समक्ष दिनांक 19.11.2024 को दायर किया गया था, के लिए अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन ने गवाही दी कि उनके द्वारा सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत एक अधिवक्ता आयोग के माध्यम से सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया गया था। माननीय सिविल जज, चंदौसी ने सुनवाई के बाद आवेदन को स्वीकार किया और एक अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति का निर्देश दिया, जो दिनांक 29.11.2024 तक सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। श्री रमेश राघव को अधिवक्ता-आयुक्त नियुक्त किया गया और उन्होंने सूचित किया कि वे उसी दिन शाम लगभग 5:30 से 6:00 बजे के बीच आयोग की कार्यवाही अर्थात् स्थल निरीक्षण करेंगे। वे स्थानीय वकील श्री गोपाल शर्मा (जो कुछ वादियों के लिए भी वकील हैं) के साथ शाम लगभग 5:00 बजे कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे श्री गोपाल शर्मा, डीजीसी (सिविल) श्री प्रिंस शर्मा, एसआई के वकील श्री विष्णु शर्मा और जिला प्रशासन (जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, एसपी संभल, सर्किल ऑफिसर संभल और एसडीएम संभल शामिल थे) के साथ कथित जामा मस्जिद स्थल पर लगभग 6:00 बजे पहुंचे। जैसे ही अधिवक्ता आयुक्त की कार्यवाही शुरू हुई, लगभग 200-300 अज्ञात लोग मुस्लिम समुदाय से मस्जिद परिसर में प्रवेश कर गए। ये अज्ञात लोग आयोग की कार्यवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। 15 मिनट बाद परिसर के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और नारे लगाने लगी (नारा-ए-तकबीर, अल्ला-हु-अकबर आदि) और कथित मस्जिद में प्रवेश करने लगी। लगभग 6:45-7:00 बजे कथित मस्जिद के अंदर एक हजार लोग मौजूद थे और कई लोग बाहर से मस्जिद को घेरे हुए थे। स्थिति

तब और बिगड़ने लगी जब स्थानीय विधायक का बेटा और क्षेत्र का सांसद कथित मस्जिद में प्रवेश कर गए और अधिवक्ता-आयुक्त और वादी के वकील को शर्तें तय करने लगे। उन्हें, श्री गोपाल शर्मा, अधिवक्ता और अधिवक्ता-आयुक्त को विशेष रूप से बताया गया कि नमाज का समय हो गया है, इसलिए उन्हें तुरंत परिसर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और कोई भी भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में अधिवक्ता-आयुक्त ने उन्हें सूचित किया कि आयोग का कार्य आज के लिए स्थगित कर दिया गया है और सर्वेक्षण के लिए अगली तारीख जल्द ही पक्षकारों को सूचित की जाएगी। दिनांक 23.11.2024 को शाम लगभग 7:00 बजे उन्हें अधिवक्ता-आयुक्त से एक नोटिस प्राप्त हुआ कि दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक अधिवक्ता-आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही की जाएगी। नोटिस के अनुपालन में, वे अपने रजिस्टर्ड क्लर्क श्री सौरभ सिंह के साथ सुबह 6:00 बजे सड़क मार्ग से संभल पहुंचे और सुबह लगभग 6:45 बजे कोतवाली पुलिस स्टेशन संभल पहुंच गए। श्री रमेश राघव-अधिवक्ता आयुक्त, श्री गोपाल शर्मा (वादी के स्थानीय वकील), डीजीसी (सिविल) श्री प्रिंस शर्मा, एसआई के वकील श्री विष्णु शर्मा और जिला प्रशासन (जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, एसपी संभल, सर्किल ऑफिसर संभल और एसडीएम संभल शामिल थे) सुबह 6:30 से 7:00 बजे के बीच कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे। जामा मस्जिद समिति के वकील श्री जफर अली सुबह लगभग 7:00 बजे आए और कहा कि दो अन्य वकील भी आ रहे हैं और थोड़ा इंतजार करने का अनुरोध किया। लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद अधिवक्ता-आयुक्त ने विवादित स्थल पर जाने का फैसला किया और प्रशासन की उपस्थिति में सभी वकील पैदल विवादित स्थल पर पहुंचे। अधिवक्ता-आयुक्त की कार्यवाही सुबह लगभग 7:30 बजे शुरू हुई और 45 मिनट के भीतर परिसर के आसपास एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। उन्होंने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद उन्हें क्षेत्र के चारों ओर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। मस्जिद के पीछे कुछ कारें और मोटरसाइकिलें जला दी गईं। सुबह लगभग 8:30 बजे अधिवक्ता-आयुक्त ने मस्जिद के मुतवल्ली को वजू टैंक से पानी निकालने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद सुबह लगभग 9:00 बजे इस तनावपूर्ण स्थिति में श्री जफर अली बाहर गए और बताया कि

वे 'दिलबाग पान मसाला' लेने जा रहे हैं और कुछ समय बाद वापस आएंगे। लगभग 30 मिनट बाद वे वापस आए। जैसे ही वे वापस आए, बाहर की भीड़ अत्यधिक हिंसक हो गई और उन्होंने पुलिस कर्मियों और जिला प्रशासन पर बहुतायत में पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने लगी और पुलिस बल की ताकत कम हो रही थी। क्षेत्र में पूरी तरह से अराजकता थी। उनके अनुमान के अनुसार विवादित स्थल के आसपास 25,000 से अधिक लोग मौजूद थे। वजू टैंक का सर्वेक्षण नहीं हो सका। श्री जफर अली, जो मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं, ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से घोषणाएं शुरू कीं और भीड़ से शांत रहने का अनुरोध किया लेकिन जितना अधिक वे अनुरोध करते भीड़ उतनी ही अधिक हिंसक होती गई। उन्हें लगा कि यह हिंसा को तेज करने का कोई संकेत था। सुबह 9:30 बजे से लगभग 10:45 बजे तक पत्थरबाजी, गोलीबारी, आंसू गैस, नारेबाजी विवादित स्थल के आसपास हो रही थी। स्थिति ऐसी थी कि किसी भी समय भीड़ विवादित स्थल में प्रवेश कर सकती थी लेकिन इन सभी स्थिति में निर्भीक होकर वे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। विवादित स्थल के सभी प्रवेश मार्ग पूरी तरह से बंद और अवरुद्ध थे। जब उन्होंने विवादित स्थल से स्थिति देखी तो यह भीड़ द्वारा हिंसा का स्पष्ट चित्र था। भीड़ लगातार पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी कर रही थी और विवादित स्थल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस कर्मी और स्थानीय प्रशासन उन्हें प्रवेश करने से रोक रहे थे। वे विवादित स्थल से घटना को देख सकते थे, जो जमीन से थोड़ा ऊंचा है। जब वे सुबह लगभग 10:30 से 10:45 बजे बाहर आए तो कोतवाली के SHO ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा और एक गली से जिसे उनके द्वारा सुरक्षित मार्ग माना गया था, वे अन्य अधिवक्ताओं (श्री जफर अली और मस्जिद समिति के अन्य वकीलों को छोड़कर) के साथ कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे।

श्री जैन ने यह भी कहा कि दिनांक 19.11.2024 को मस्जिद पहुंचने पर अधिवक्ता जफर अली, अधिवक्ता कासिम जमाल और कुछ अन्य लोग मस्जिद के गेट पर उनसे मिले और उनके प्रवेश का विरोध किया। श्री रमेश राघव ने उन्हें सूचित किया कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए आए हैं और श्री जफर साहब को

नोटिस दिया। जब प्रबंधन समिति के सदस्यों ने आपत्ति जताई तो डीएम और एसपी ने समझाया और फिर उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी गई। प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर लगभग 300 लोग पहले से मौजूद थे। आयोग की कार्यवाही शुरू होने से पहले उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से क्षेत्र को सैनिटाइज करने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और सर्वेक्षण की कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा। विवादित स्थल के केंद्रीय गुंबद पर पहुंचने पर, जहां दोनों दरवाजों पर ताले लटके हुए थे, उन्होंने अधिवक्ता आयुक्त से ताले खोलने का अनुरोध किया, जिस पर मस्जिद समिति और मौजूद लगभग 300 लोग विरोध करने और हंगामा करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने मस्जिद के दरवाजों पर लगे तालों की चाबियां लाईं। इस दौरान मौजूद लोग शोर मचाते रहे और वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। स्थानीय विधायक का बेटा श्री सुहेल इकबाल, अपने सहयोगियों के साथ वहां मौजूद था और वीडियो बना रहा था। डीएम ने उन्हें रोकने के लिए कहा। इस समय उन्होंने मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोगों को "नारा-ए-तकबीर, अल्ला-हु-अकबर" जैसे नारे लगाते और मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करते देखा। एसपी और सीओ अनुज चौधरी ने उन्हें प्रवेश करने से रोका। लगभग 6:45-7:00 बजे स्थानीय सांसद मस्जिद में प्रवेश कर गए। उन्होंने पहले पूछा कि हम किसके आदेश पर आए हैं, जिस पर मस्जिद समिति के सदस्यों ने उन्हें सूचित किया कि हमें कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके बाद बर्क साहब ने सर्वेक्षण कार्यवाही में बाधा डालना शुरू किया और पूछा, "आप यहां क्या देखना चाहते हैं?" उसी समय प्रबंधन समिति और सांसद ने हमें आयोग की कार्यवाही रोकने के लिए कहा क्योंकि नमाज अदा की जानी थी और वे बाहर के लोगों को और अधिक रोक नहीं सकते थे। अंधेरे और गड़बड़ी को देखते हुए स्थिति को भांपकर अधिवक्ता आयुक्त ने आयोग की कार्यवाही रोक दी। इसके बाद वे कोतवाली पुलिस की सुरक्षा में लौट आए। श्री राघव ने बाद में उन्हें सूचित किया कि शेष आयोग की कार्यवाही के बारे में सूचित किया जाएगा। उन्हें दिनांक 23.11.2024 को शाम 7:00 बजे श्री रमेश राघव द्वारा व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से दिनांक 24.11.2024 के सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया गया। वे अपने सहयोगी सौरभ सिंह

के साथ सुबह 6:45 बजे निर्धारित समय पर पहुंचे। कोतवाली पहुंचने पर 2-4 मिनट के भीतर डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, सीओ, सर्वे आयुक्त और अन्य लोग पहुंच गए। लगभग 15 मिनट बाद श्री जफर अली भी पहुंचे। जफर अली ने उनसे, प्रशासनिक अधिकारियों और अधिवक्ता आयुक्त से बहस की कि आयोग की कार्यवाही इस तरह से नहीं हो सकती और जब तक उनके तीन वकील नहीं आ जाते तब तक कुछ समय दिया जाना चाहिए। श्री राघव ने पूछा कि क्या किसी के पास मापने का टेप है, जिस पर जफर अली ने जवाब दिया कि सर्वेक्षण आयोग की कार्यवाही में माप का कोई उल्लेख नहीं है। राघव ने तब स्पष्ट किया कि माप सर्वेक्षण का हिस्सा है और आवश्यक होगा। मस्जिद समिति के अन्य वकीलों के लिए सुबह लगभग 7:30 बजे तक इंतजार करने के बाद जब वे नहीं आए तो सभी लोग पैदल मस्जिद की ओर बढ़े। श्री राघव ने जफर साहब को बताया कि हम मस्जिद जा रहे हैं और उनके वकीलों को वहां पहुंचना चाहिए। अधिवक्ता आयुक्त ने सुबह लगभग 7:45 बजे मस्जिद के बाहरी गेट से सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू की। इसके बाद अधिवक्ता आयुक्त और सभी लोग मस्जिद में प्रवेश कर गए। तब तक अधिवक्ता जफर साहब जामा मस्जिद के अन्य वकीलों का इंतजार कर रहे थे, जो भी पहुंच चुके थे। मस्जिद में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि आसपास के घरों की छतों पर खड़े लोग उनकी कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर रहे थे। इस बीच मस्जिद के पीछे और तीनों तरफ की गलियां "अल्ला-हु-अकबर" चिल्लाते हुए लोगों से भर गई थीं और वे पत्थरबाजी कर रहे थे, मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हिंसक रूप से पत्थरबाजी की। आयोग की कार्यवाही के दौरान आयुक्त ने वजूखाना (वजू टैंक) का पानी निकालने का आदेश दिया और इसे खाली कर दिया गया, जिससे नीचे काई और कीचड़ दिखाई दिया। सुबह लगभग 8:30-8:45 बजे श्री जफर अली ने कहा कि उन्हें बाहर जाकर दिलबाग पान-मसाला खाना है और वे चले गए। आधे घंटे बाद वे लौटे। उनके लौटने पर बाहर की हजारों लोगों की भीड़ और अधिक आक्रामक हो गई और आगजनी हुई, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उपद्रवियों ने कारों और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और उन्हें गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी। जफर साहब ने मस्जिद के लाउडस्पीकर पर घोषणा की, जिसमें लोगों

से शांत रहने के लिए कहा गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और वे वहां मौजूद हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए, उनके विचार में श्री जफर अली द्वारा आयोग की कार्यवाही में देरी करना, पान-मसाला खाने के बहाने बाहर जाना, आधे घंटे बाद लौटना, तत्काल घोषणा करना और अधिवक्ता कमिश्नर के आदेश के बिना वजूखाना को फिर से भरना यह दर्शाता है कि उन्होंने जनता को इकट्ठा करने और अशांति पैदा करने के लिए उकसाया। सुबह लगभग 10:30-10:45 बजे वहां मौजूद लोगों ने उन्हें सूचित किया कि स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, भीड़ करीब आ रही है और किसी भी क्षण मस्जिद में प्रवेश कर सकती है इसलिए सर्वेक्षण कार्यवाही को रोक दिया गया। उन्हें कोतवाली इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में मस्जिद के सामने हिंदू मोहल्ले की ओर जाने वाली गली के माध्यम से बाहर निकाला गया। उन्हें देखकर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने "जय श्री राम" के नारे लगाए। इसके बाद वे कोतवाली वापस आए और तीन घंटे तक वहां इंतजार किया क्योंकि उनका फोन एसपी के पीआरओ के पास था, जिसे गोली लग गई थी। फोन वापस लेने के बाद वे चले गए। दिनांक 24.11.2024 की घटना को दिनांक 19.11.2024 को पारित कोर्ट के आदेश को लागू करने से रोकने और सर्वेक्षण आयोग के दौरान मौजूद वादियों को डराने के लिए किया गया था, जो एक साजिश का हिस्सा था। यदि पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं होता, तो अधिवक्ता आयुक्त और वे बच नहीं पाते।

B. ICW-147 श्री गोपाल शर्मा पुत्र स्व० श्री सीताराम शर्मा, वादी के अधिवक्ता उन्होंने अपने शपथ-पत्र में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को सिविल वाद संख्या 182/24, हरि शंकर जैन और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य में, माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल ने श्री रमेश सिंह राघव, अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया ताकि जामा मस्जिद का निरीक्षण किया जाए और दिनांक 29.11.2024 तक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अधिवक्ता आयुक्त ने मस्जिद समिति के अध्यक्ष और अधिवक्ता श्री जफर अली को दिनांक 19.11.2024 को शाम 6:04 बजे मस्जिद पर नोटिस दिया। जिला मजिस्ट्रेट संभल ने उप-जिला मजिस्ट्रेट संभल, सर्किल ऑफिसर संभल और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका

परिषद की एक टीम गठित की ताकि अधिवक्ता आयुक्त की सहायता की जाए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम के साथ वे, अधिवक्ता आयुक्त, अन्य वादी के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन और प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार शर्मा और श्री प्रिंस शर्मा मस्जिद के निरीक्षण के लिए मौजूद थे। निरीक्षण कार्यवाही के दौरान स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और श्री सुहेल इकबाल (वर्तमान विधायक के पुत्र) लगभग 200-300 समर्थकों के साथ पहुंचे और धमकी भरे लहजे में कहा, **“जो कुछ भी करना है, 10 मिनट में खत्म करो, वरना स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे।”** भीड़ ने धार्मिक और उन्मादी नारे लगाने शुरू किए और विरोध प्रदर्शन किया। शाम के समय और प्रकाश की समस्या के कारण अधिवक्ता आयुक्त ने निरीक्षण को स्थगित करना उचित समझा और प्रशासन को लिखित में कार्यवाही को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करने के कारणों की सूचना दी। दिनांक 23.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने उन्हें एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि शेष निरीक्षण कार्यवाही दिनांक 24.11.2024 को की जाएगी। दिनांक 24.11.2024 को वे, अधिवक्ता आयुक्त, वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता और मस्जिद समिति के सदस्य श्री जफर अली, लद्दन खान, आफताब वारसी और मशहूद अली फारूकी सुबह लगभग 6:30 बजे संभल कोतवाली पर एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद निरीक्षण टीम के सभी सदस्यों को संभल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक द्वारा पुलिस सुरक्षा में जामा मस्जिद ले जाया गया। जामा मस्जिद पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके मोबाइल फोन ले लिए और सुबह लगभग 7:00 बजे, उन्हें वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर के साथ मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। अधिवक्ता आयुक्त ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में निरीक्षण कार्यवाही शुरू की। सुबह लगभग 7:30-7:45 बजे मस्जिद के बाहर से हल्की आवाजें सुनाई दीं और सुबह 8:30 बजे तक तेज आवाजें और उत्तेजक नारे सुनाई देने लगे। इसके तुरंत बाद विस्फोटों की आवाज शुरू हुई और उनकी आंखों में जलन होने लगी और आंसू बहने लगे। शोर तेज हो गया, जो मस्जिद के अंदर स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था और मस्जिद के पीछे से काला धुआं उठने लगा, जिससे उन्हें लगा कि बाहर पीछे की ओर दंगा शुरू हो गया है। अधिवक्ता आयुक्त ने विस्फोटों के बीच निरीक्षण जारी रखा और

सुबह 10:15-10:30 बजे तक इसे पूरा किया। निरीक्षण पूरा होने के बाद, उन्हें पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के मुख्य द्वार से बाहर निकाला गया और पुलिस स्टेशन तक सुरक्षित ले जाया गया। यह आयोग के समक्ष और कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान वजूखाना (वजू टैंक) पानी से भरा हुआ था। उन्होंने लद्दन और जफर से पूछा कि क्या पानी हमेशा भरा रहता है या कभी-कभी खाली किया जाता है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसे हर शुक्रवार को खाली और साफ किया जाता है। उन्होंने कहा कि पानी होने के कारण वजूखाना की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, इसलिए पानी निकालने पर सहमति बनी। जब पानी निकाला जा रहा था, जफर अली बाहर गए और लगभग 35 मिनट बाद लौटे और लौटने पर लाउडस्पीकर पर घोषणा की, “अल्लाह के लिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, शांत रहें।” हालांकि, ऐसी घोषणाओं के बाद भीड़ और अधिक उत्तेजित हो गई, नारे लगाने लगी और पत्थरबाजी करने लगी। उन्होंने जफर अली, जो उनके साथ चंदौसी कोर्ट में वकालत करते हैं, से अनुरोध किया कि वे बाहर जाकर भीड़ को शांत करें और कोर्ट के आदेश को लागू करने दें, जिस पर जफर ने जवाब दिया कि वे यहीं से कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि जफर अली की घोषणाएं उपद्रवियों को और उकसा रही थीं। दिनांक 19.11.2024 को स्थानीय सांसद और सुहेल इकबाल 200-250 लोगों के साथ मस्जिद में घुसे जिससे सर्वेक्षण कार्यवाही में बाधा पड़ी। उनके अनुसार यह घटना सांसद श्री जिया-उर-रहमान, विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल और पूरी प्रबंधन समिति द्वारा माननीय कोर्ट के आदेश को लागू करने में बाधा डालने के लिए एक सुनियोजित साजिश का परिणाम थी, जिसमें हजारों लोग मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वादियों और उनके अधिवक्ताओं, सर्वे आयुक्त को सबक सिखाया जाए। प्रबंधन समिति, जिसके अध्यक्ष श्री जफर अली, सचिव अधिवक्ता फारूकी और अधिवक्ता कासिम जमाल जिन्हें अध्यक्ष ने बुलाया था, को पता था कि कोर्ट का आदेश रिवीजन योग्य था और जिला जज के समक्ष रिवीजन दायर करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने भीड़ इकट्ठा करना चुना। जफर अली का लाउडस्पीकर के माध्यम से संकेत देना दर्शाता है कि यह घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी।

12. वादी नंबर-3 की गवाही

ICW-197 महंत श्री ऋषिराज गिरी, महंत कैलादेवी उन्होंने अपने शपथ-पत्र में कहा कि प्राचीन मान्यताओं, स्कंद पुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण और संभल महात्म्य के अनुसार हरि हर मंदिर का उल्लेख है और यह माना जाता है कि भगवान विष्णु का अंतिम और दसवां अवतार इस विष्णु हरि हर मंदिर में होगा, जैसा कि कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेखित है। बाबरनामा, जो मुगल सम्राट बाबर की जीवनी के बारे में लिखा गया है, में कहा गया है कि इस स्थल पर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर था, जिसे बाबर ने ध्वस्त करके मस्जिद बनाई थी। इस संबंध में उन्होंने सिविल वाद संख्या 182/2024 माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल में दायर किया, जिसमें दिनांक 19.11.2024 को विवादित स्थल के सर्वेक्षण का आदेश पारित किया गया और श्री रमेश सिंह राघव को कोर्ट आयुक्त नियुक्त किया गया। दिनांक 19.11.2024 के आदेश के अनुपालन में वे, श्री अनुज कुमार चौधरी, सर्किल ऑफिसर, संभल, श्रीमती वंदना मिश्रा, एसडीएम, संभल, श्री मणिभूषण तिवारी, कार्यकारी अधिकारी, श्री प्रिंस शर्मा, डीजीसी (सिविल), श्री लदन खान, जामा मस्जिद के उपाध्यक्ष, अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा, अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर शर्मा, अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन, अधिवक्ता श्री जफर अली, जामा मस्जिद के अध्यक्ष, श्री मशहूद अली फारूकी और अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव जामा मस्जिद पहुंचे। सर्वेक्षण टीम मस्जिद परिसर में प्रवेश कर गई। उन्होंने गेट के बाहर रहना चुना और जामा मस्जिद परिसर में प्रवेश नहीं किया। इस बीच मुस्लिम समुदाय के कई लोग जामा मस्जिद के पीछे और ढलान वाली सड़क पर इकट्ठा होने लगे। उस समय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और इकबाल महमूद के पुत्र श्री सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ जामा मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ की आक्रामकता और विरोध को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने उन्हें बाजार मार्ग के माध्यम से संभल कोतवाली तक सुरक्षित पहुंचाया। रास्ते में कई मुस्लिम व्यक्ति विरोध में खड़े थे और धार्मिक नारे लगा रहे थे। कुछ समय बाद सर्वेक्षण टीम भी संभल कोतवाली पहुंची। टीम ने उन्हें सूचित किया कि मस्जिद में भीड़ के प्रवेश के कारण सर्वेक्षण कार्यवाही बाधित हो गई थी और इसे पूरा नहीं किया जा सका

और सर्वेक्षण किसी अन्य दिन पूरा किया जाएगा। यह आयोग के समक्ष और कहा गया कि वे इस मुकदमे में वादी हैं। दिनांक 19.11.2024 को शाम लगभग 7:30 बजे वे पुलिस प्रशासन, अधिवक्ता आयुक्त और अन्य अधिवक्ताओं के साथ मस्जिद के गेट पर पहुंचे। वे सीढ़ियां चढ़े लेकिन गेट के बाहर रहे। उन्होंने देखा कि मुस्लिम समुदाय के कई लोग अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे कि वे सीढ़ियों से नीचे आएंगे। पुलिस द्वारा उन्हें जीप में सुरक्षित रूप से ले जाया गया। उनके अनुसार, मुस्लिम समुदाय ने सर्वेक्षण में बाधा डालने और हिंसा भड़काने के लिए भीड़ इकट्ठा की थी। यदि पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं होता तो हिंसा और बढ़ सकती थी। यह घटना एक पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम थी।

13. आधिकारिक प्रतिवादी के अधिवक्ताओं की गवाही

A. ICW-126 श्री प्रिंस शर्मा पुत्र श्री उमेश कुमार शर्मा, संभल जिले के जिला सरकारी अधिवक्ता (सिविल) उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल ने वाद संख्या 182/2024, हरि शंकर जैन और अन्य बनाम भारत सरकार के संबंध में जामा मस्जिद संभल के लिए अधिवक्ता आयोग का आदेश जारी किया। इस वाद में वे जिला मजिस्ट्रेट संभल की ओर से आयोग टीम के साथ शामिल हुए। शाम लगभग 6:00 बजे सभी लोग जामा मस्जिद में प्रवेश कर गए और आयोग की कार्यवाही शुरू की। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था जब तक कि शाम लगभग 6:30 बजे सांसद जिया-उर-रहमान बर्क लगभग 200-300 समर्थकों के साथ मस्जिद परिसर में प्रवेश नहीं कर गए। मुस्लिम पक्ष के कई लोग भी विवादित संरचना के बाहर इकट्ठा हो गए, जो धार्मिक नारे लगा रहे थे जो मस्जिद परिसर के अंदर सुनाई दे रहे थे। शाम लगभग 7:00 बजे अधिवक्ता श्री जफर अली जो मस्जिद समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने अधिवक्ता आयुक्त को बताया कि अंधेरा हो रहा है और नमाज का समय है, इसलिए आयोग की कार्यवाही जल्दी पूरी की जानी चाहिए। परिसर के अंदर सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और उनके समर्थकों ने इकट्ठा होकर निरीक्षण में बाधा डाली। इस कारण, आयोग की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दिनांक 23.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश राघव ने उन्हें सूचित किया कि

सर्वेक्षण आयोग दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आयोग की कार्यवाही शुरू होने के लगभग 35-40 मिनट बाद बाहर से हंगामे की तेज आवाजें मस्जिद के अंदर सुनाई दीं, जो मस्जिद के पश्चिमी हिस्से से विरोध का संकेत दे रही थीं। हंगामा तेज हो गया, जो मस्जिद के अंदर स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। सुबह लगभग 9:30 बजे मस्जिद के हौज (वजू टैंक) से पानी निकाला गया और इसके तुरंत बाद, मस्जिद के पीछे से विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं, जो यह संकेत दे रही थीं कि बाहर दंगा शुरू हो गया है। इसके तुरंत बाद उनकी आंखों में जलन होने लगी और आंसू बहने लगे, जैसे कि मिर्च पाउडर से। बाहर से लगातार विस्फोटों की आवाजें आ रही थीं। सुबह लगभग 10:15 बजे तक आयोग की कार्यवाही पूरी हो गई और उन्हें पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के सामने वाली गली के माध्यम से पुलिस स्टेशन तक सुरक्षित ले जाया गया। आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को जब आदेश पारित किया जा रहा था, अधिवक्ता कासिम जमाल अहलमद के कमरे में श्री विष्णु शंकर जैन के साथ बहस कर रहे थे। इस घटना के पूर्व नियोजित न होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ का इतनी दूर से और इतनी संख्या में आना संभव नहीं है। प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त थी; यदि भीड़ उत्तर की ओर बढ़ती तो हिंदू मोहल्ले में कई लोग मारे जाते। सर्वेक्षण के बाद जब वे जा रहे थे, पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की और उन्हें हिंदू मोहल्ले के माध्यम से सुरक्षित निकाला, यदि उन्हें किसी अन्य मार्ग से निकाला जाता तो उनकी हत्या हो जाती।

B. ICW-128 श्री विष्णु कुमार शर्मा, भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता उन्होंने अपने शपथ-पत्र में कहा कि वे संभल जिला कोर्ट में भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता हैं। दिनांक 19.11.2024 को सिविल वाद संख्या 182/2024, हरि शंकर जैन और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल जो चंदौसी में स्थित है, के समक्ष दायर किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा सूट की प्रतियां उन्हें प्रदान की गईं, इसलिए उन्होंने भारत सरकार और प्रतिवादी नंबर 2 से 4 की ओर से माननीय कोर्ट में उपस्थिति दर्ज की। माननीय

कोर्ट ने श्री रमेश सिंह राघव, अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया ताकि संभल में जामा मस्जिद का निरीक्षण किया जाए और दिनांक 29.11.2024 तक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कोर्ट के आदेश प्राप्त होने पर वे संभल में जामा मस्जिद पहुंचे। अधिवक्ता आयुक्त ने मस्जिद समिति के अध्यक्ष और अधिवक्ता श्री जफर अली को दिनांक 19.11.2024 को शाम 6:04 बजे मस्जिद के गेट पर नोटिस दिया। जिला मजिस्ट्रेट, संभल ने उप-जिला मजिस्ट्रेट संभल, सर्किल ऑफिसर संभल और अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संभल की एक टीम गठित की ताकि अधिवक्ता आयुक्त की सहायता की जाए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम के साथ वे, अधिवक्ता आयुक्त, वादी के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन और श्री गोपाल शर्मा और श्री प्रिंस शर्मा डीजीसी (सिविल) मस्जिद के निरीक्षण के लिए पहुंचे। अधिवक्ता आयुक्त ने निरीक्षण कार्यवाही शुरू की। निरीक्षण के दौरान स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और श्री सुहेल इकबाल (वर्तमान विधायक के पुत्र) लगभग 200-300 समर्थकों के साथ मस्जिद परिसर में प्रवेश कर गए और कहा, **“जो कुछ भी करना है, 10 मिनट में खत्म करो, वरना स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे।”** भीड़ ने निरीक्षण का विरोध शुरू किया, धार्मिक और उन्मादी नारे लगाए। शाम के समय और प्रकाश की समस्या के कारण, अधिवक्ता आयुक्त ने निरीक्षण को स्थगित करना उचित समझा और प्रशासन को लिखित में कार्यवाही को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करने के कारणों की सूचना दी। अधिवक्ता आयुक्त ने उन्हें दिनांक 23.11.2024 को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि शेष निरीक्षण कार्यवाही दिनांक 24.11.2024 को की जाएगी। दिनांक 24.11.2024 को वे, अधिवक्ता आयुक्त, श्री प्रिंस शर्मा (प्रतिवादी नंबर 5 के अधिवक्ता), और मस्जिद समिति के सदस्य श्री जफर अली, लद्दन खान, आफताब वारसी और मशहूद अली फारूकी सुबह लगभग 6:30 बजे संभल कोतवाली पर एकत्र हुए। पुलिस स्टेशन पर एकत्र होने के बाद निरीक्षण टीम के सभी सदस्यों को संभल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक द्वारा पुलिस सुरक्षा में जामा मस्जिद ले जाया गया। कोई बाहरी व्यक्ति उनके साथ या पुलिस टीम के साथ नहीं गया। जामा मस्जिद पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके मोबाइल फोन ले लिए और सुबह लगभग

7:00 बजे उन्हें वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर के साथ मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। मस्जिद में प्रवेश करने के बाद अधिवक्ता आयुक्त ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में निरीक्षण कार्यवाही शुरू की। सुबह लगभग 7:30-7:45 बजे मस्जिद के बाहर से हल्की आवाजें सुनाई दीं और सुबह लगभग 8:30 बजे तक तेज आवाजें और उत्तेजक नारे सुनाई देने लगे, इसके तुरंत बाद विस्फोटों की आवाज भी सुनाई दी। विस्फोटों के बाद उनकी आंखों में जलन होने लगी और आंसू बहने लगे। शोर तेज हो गया, जो मस्जिद के अंदर स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था और विस्फोटों की आवाज बढ़ गई। मस्जिद के पीछे से काला धुआं उठने लगा, जिससे उन्हें लगा कि बाहर पीछे की ओर दंगा शुरू हो गया है। अधिवक्ता आयुक्त ने बाहरी शोर और विस्फोटों के बीच निरीक्षण जारी रखा। सुबह 10:15-10:30 बजे तक अधिवक्ता आयुक्त ने निरीक्षण पूरा किया। निरीक्षण पूरा होने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के मुख्य द्वार से बाहर निकाला गया और पुलिस स्टेशन तक सुरक्षित ले जाया गया। यह आयोग के समक्ष और कहा गया कि कोर्ट का आदेश और सूट की प्रतियां मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली को प्रदान की गई थीं। दिनांक 19.11.2024 को श्री जफर अली, मशहूद अली फारूकी और पांच से छह अन्य लोग मस्जिद में मौजूद थे। श्री जफर अली ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की लेकिन इसका दूसरा प्रभाव पड़ा। दिनांक 24.11.2024 को सैकड़ों से हजारों लोगों की उपस्थिति जिसमें दूर-दराज से आए लोग भी शामिल थे, यह पुष्टि करता है कि यह घटना पूर्व नियोजित थी। भीड़ ने कोर्ट के आदेश में बाधा डालने और उन पर हमला करने के लिए इकट्ठा किया था।

14. जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अधिवक्ताओं की गवाही

A. ICW-168 श्री कासिम जमाल पुत्र श्री मुंतजिर हुसैन उन्होंने अपने शपथ-पत्र में कहा कि उन्हें शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में बुलाया गया था। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 7:20 बजे जामा मस्जिद पहुंचे। जब उन्होंने सर्वे आयुक्त से सर्वेक्षण आदेश के बारे में पूछा, तो उन्हें सूचित किया गया कि दिनांक 19.11.2024 को किया गया सर्वेक्षण अधूरा था, जिसके कारण दूसरा सर्वेक्षण आवश्यक था। सर्वेक्षण के दौरान एक प्रशासनिक अधिकारी के निर्देश पर

पानी का टैंक (हौज) खाली किया गया, जिसके कारण पानी तेजी से नीचे बह गया, इससे भ्रम पैदा हुआ कि मस्जिद में खुदाई का काम चल रहा है, नीचे से धुआं उठता दिखाई दिया, साथ ही गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं। एक से दो घंटे बाद, जब स्थिति शांत हुई, वे एक साथी के साथ घर के लिए रवाना हो गए।

आयोग के समक्ष यह कहा कि वे दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान मौजूद थे। दोपहर लगभग 3:30-3:45 बजे कोर्ट कार्यालय में एक फाइल से आदेश पढ़ने की कोशिश करते समय उनकी वादी के अधिवक्ता के साथ तीखी बहस हुई। उन्हें जफर साहब द्वारा शाम 6:00 बजे के लिए निर्धारित सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया गया और वहां मौजूद रहने के लिए कहा गया। जब वे शाम 6:00-6:15 बजे के बीच जामा मस्जिद पहुंचे, स्थानीय सांसद पहले से ही वहां थे और विधायक का बेटा सुहेल इकबाल भी मौजूद था। उन्होंने कोर्ट में वकालतनामा दायर नहीं किया था और केवल समिति के अध्यक्ष के अनुरोध पर मौजूद थे। उन्हें दिनांक 24.11.2024 के सर्वेक्षण की जानकारी जफर साहब से दिनांक 23.11.2024 की मध्यरात्रि को मिली और वे दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:25 बजे मस्जिद पहुंचे। सर्वेक्षण के दौरान वादी का अधिवक्ता और कोर्ट आयुक्त कुछ व्यक्तियों को नोट्स लिखा रहे थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे प्रशासनिक अधिकारी थे या आयुक्त के साथ थे। बाहर से भीड़ और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं और बाद में उन्हें पता चला कि पत्थर भी फेंके गए थे। उन्होंने टैंक के पानी को निकालते नहीं देखा लेकिन बाद में पता चला कि इससे भ्रम पैदा हुआ, जिसके कारण नारेबाजी हुई। उन्होंने कहा कि दिनांक 24.11.2024 को भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई क्योंकि उन्हें डर था कि मस्जिद का अस्तित्व खतरे में है। आगजनी के दौरान कुछ कारें और मोटरसाइकिलें जला दी गईं।

B. ICW-169 श्री मशहूद अली फारूकी पुत्र श्री मकसूद अली फारूकी उन्होंने अपने शपथ-पत्र में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को आयोग की कार्यवाही रात में दो से ढाई घंटे तक चली और वे अन्य लोगों के साथ मौजूद थे। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 7:00 बजे मस्जिद में थे, जब सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ। इस दौरान टैंक का पानी निकाला गया, जिससे भ्रम पैदा हुआ कि टैंक क्षतिग्रस्त हो गया है। टैंक के

पास से उन्होंने बाहर भारी धुआं उठता देखा, साथ ही गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं। मस्जिद से लगातार शांति की अपील की घोषणाएं की गईं लेकिन बाहर पुलिस और जनता के बीच झड़प हो गई।

आयोग के समक्ष यह कहा गया कि वे दिनांक 19.11.2024 को शाम लगभग 6:00 बजे सर्वेक्षण के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, जहां स्थानीय सांसद बर्क और विधायक का बेटा सोहेल इकबाल मौजूद थे। दिनांक 22.11.2024 को जुमे की नमाज के बाद सांसद ने मस्जिद की सीढ़ियों पर मीडिया को संबोधित किया। उन्हें दिनांक 24.11.2024 के सर्वेक्षण की जानकारी समिति के अध्यक्ष से दिनांक 23.11.2024 की रात 10:00-11:00 बजे के बीच मिली। सर्वेक्षण टीम सुबह 7:00-7:15 बजे के बीच पहुंची और सर्वेक्षण सुबह लगभग 7:30 बजे शुरू हुआ। मस्जिद की छत से उन्होंने नीचे 1,000-1,500 लोगों को “अल्ला-हु-अकबर” जैसे नारे लगाते देखा। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। मस्जिद के अध्यक्ष ने भी लाउडस्पीकर का उपयोग करके शांति की अपील की। एसडीएम ने माप के लिए टैंक का पानी निकालने का निर्देश दिया, जिसे मस्जिद समिति के कर्मचारियों ने किया। उन्हें पता था कि दिनांक 19.11.2024 का सर्वेक्षण अधूरा था लेकिन आयोग के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि सर्वेक्षण पूरी तरह से पूरा हो गया था। उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को बड़ी भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई क्योंकि जनता को यह आशंका थी कि दूसरा सर्वेक्षण क्यों आवश्यक था। भीड़ ने नारेबाजी, पत्थरबाजी, सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया और कारों और बाइकों सहित सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी। पुलिस पोस्ट प्रभारी, शाह फैसल की मैगजीन को दंगाइयों ने छीन लिया और उनकी निजी मोटरसाइकिल जला दी गई। उन्होंने उल्लेख किया कि भारी पुलिस उपस्थिति ने भीड़ को मस्जिद में प्रवेश करने से रोका, जिससे संभावित हिंसा टल गई। उन्होंने सहमति जताई कि मस्जिद की सीढ़ियों पर राजनीतिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुचित था।

15. जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की गवाही

ICW-164 श्री जफर अली पुत्र श्री हामिद अली उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि वे दिनांक 24.11.2024 को संभल की जामा मस्जिद में हुई हिंसा के प्रत्यक्षदर्शी हैं। दिनांक 24.11.2024 को किया गया दूसरा सर्वेक्षण किसी कोर्ट के आदेश के तहत नहीं था, बल्कि केवल डीएम संभल के आदेश पर किया गया था। दिनांक 24.11.2024 को सुबह 6:00 बजे से प्रशासन और पुलिस ने शाही जामा मस्जिद, संभल के आसपास अत्यधिक भारी पुलिस बल तैनात किया था। इस स्थिति को समझने के लिए लोग शाही जामा मस्जिद के आसपास इकट्ठा होने लगे। वे सर्वेक्षण टीम के साथ शाही जामा मस्जिद के परिसर में मौजूद थे और सुबह लगभग 8:30 बजे तक सर्वेक्षण शांतिपूर्वक चल रहा था। इस बीच भीड़ काफी बढ़ गई। जब एसडीएम संभल ने मस्जिद परिसर के अंदर पानी के टैंक (हौज) को खाली करने का आदेश दिया, तो नालियों से पानी तेजी से नीचे की ओर बहने लगा, जिससे जनता अत्यधिक भ्रमित और उत्तेजित हो गई, यह मानते हुए कि मस्जिद पर कब्जा करने के लिए खुदाई के लिए पानी निकाला जा रहा है। भीड़ ने सीओ संभल से स्पष्टीकरण मांगा लेकिन उन्होंने गंदी भाषा में गाली दी और लाठीचार्ज का आदेश दिया। आत्मरक्षा में भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सुबह लगभग 9:30 बजे पुलिस ने आंसू गैस और हवा में गोलीबारी शुरू की। जब भीड़ मस्जिद के आसपास से नहीं हटी तो पुलिस ने भीड़ पर सीधे गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के कारण कुछ पुलिस कर्मी और भीड़ के सदस्य घायल हो गए। पुलिस की गोलीबारी के दौरान वे, डीएम और एसपी संभल के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे और पूरी घटना को देखा। वे लगभग 20-25 मिनट तक घटनास्थल पर रहे और उन्होंने भीड़ की ओर से कोई गोलीबारी नहीं देखी। उन्होंने भीड़ में किसी के पास अवैध हथियार, जैसे देशी तमंचा नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जो कुछ व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर देखा, वही बताया है।

आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि वे लगभग सात वर्षों से जामा मस्जिद के अध्यक्ष हैं। यह जामा मस्जिद एक एसआई-संरक्षित स्मारक है। जुमे की नमाज इमाम

आफताब द्वारा पढ़ाई जाती है। दिनांक 19.11.2024 को वे चंदौसी कोर्ट में थे, जहां लोग चर्चा कर रहे थे कि जामा मस्जिद से संबंधित एक मामला दायर किया गया है। वे दोपहर लगभग 4:00 बजे कोर्ट गए और कोर्ट क्लर्क से पूछताछ की, जिन्होंने उन्हें बताया कि एक मामला दायर किया गया है लेकिन उन्होंने वाद पत्र की प्रति नहीं दिखाई। जामा मस्जिद की ओर से अधिवक्ता शकील वारसी और अमीर हुसैन हैं और कई अन्य भी हैं लेकिन उन्हें अन्यों के बारे में जानकारी नहीं है। ये दोनों अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं थे। जब आयोग ने पूछा कि क्या कासिम जमाल और फारुकी अधिवक्ता भी जामा मस्जिद के मामले को देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, "हां।" उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने फारुकी और कासिम जमाल को कोर्ट कार्यालय भेजा था या नहीं तथा वहां क्या हुआ। दोपहर लगभग 4:00-5:00 बजे कासिम जमाल और फारुकी ने उन्हें सर्वेक्षण आयोग के बारे में सूचित किया, यह बताते हुए कि आयोग के लिए आदेश जारी किया गया था लेकिन यह नहीं बताया कि अधिवक्ता आयुक्त कौन था। वे चंदौसी कोर्ट परिसर में अपने चैंबर में थे जब शाम 5:15 बजे कोतवाली संभल से एक फोन आया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि जामा मस्जिद का सर्वेक्षण होने वाला है और उन्हें मस्जिद पहुंचने के लिए कहा गया। इस जानकारी के बाद वे 2-3 अधिवक्ताओं और अपने बेटे के साथ शाम लगभग 5:25 बजे जामा मस्जिद के लिए रवाना हुए और लगभग 6:00 बजे पहुंचे। उनका बेटा हैदर अली वाहन चला रहा था। उनके साथ दो अधिवक्ता कासिम जमाल और आफताब अहमद थे। इस दौरान उन्होंने प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री लद्दन को सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया और उन्हें जामा मस्जिद पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वे पहले से ही वहां मौजूद थे। जब वे जामा मस्जिद पहुंचे सचिव श्री मशहूद अली फारुकी, हाजी लद्दन और कोषाध्यक्ष महमूद खान मौजूद थे। विधायक का बेटा सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद में मौजूद नहीं था। उन्होंने उसे शाम लगभग 6:45 बजे 4-5 लोगों के साथ मस्जिद के अंदर देखा। वे जामा मस्जिद में लगभग 6:05 बजे पहुंचे और उसी समय सर्वेक्षण आयोग, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, गोपाल शर्मा, विष्णु शर्मा और डीजीसी (सिविल) प्रिंस शर्मा सहित अन्य लोग पहुंचे। जब वे पहुंचे तो मस्जिद के बाहर कोई जनता नहीं थी क्योंकि किसी को सर्वेक्षण की

जानकारी नहीं थी। आयुक्त ने उन्हें सर्वेक्षण नोटिस सौंपा, जिसे उन्होंने प्राप्त किया और हस्ताक्षर किया और सर्वेक्षण शुरू हुआ। सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने नहीं देखा कि मस्जिद के अंदर या बाहर कितने लोग इकट्ठा हुए। (आयोग ने हिंदुस्तान चैनल का एक वीडियो क्लिप दिखाया।) इसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने उन्हें सूचित किया कि मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं इसलिए वे नीचे गए और लोगों से जाने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि वे मौजूद हैं और उन्हें चले जाना चाहिए। उन्हें दिखाए गए वीडियो क्लिप में वे काला कोट पहने हुए हैं, जो जनता को संबोधित कर रहे हैं। माननीय सांसद लगभग 6:30 बजे 8-10 समर्थकों के साथ जामा मस्जिद पहुंचे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने सर्वेक्षण को रोकने या बाधित करने के बारे में कुछ नहीं कहा। सर्वेक्षण कार्यवाही लगभग 7:30-7:45 बजे तक चली। उन्होंने और माननीय सांसद ने प्रेस और इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित किया। उस दिन सर्वेक्षण पूरा हो गया था। (आयोग ने गवाह को दिनांक 19.11.2024 का हिंदुस्तान चैनल का एक वीडियो क्लिप दिखाया, जिसमें अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को यह कहते हुए देखा गया कि सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है और प्रशासन को सूचित करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।) वीडियो क्लिप देखने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी राय में सर्वेक्षण पूरा हो गया था लेकिन अधिवक्ता आयुक्त ने कहा था कि इसे फिर से करना पड़ सकता है और उन्हें सूचित किया जाएगा। दिनांक 22.11.2024 को जो जुमे की नमाज का दिन था, वे कोर्ट नहीं गए और संभल की जामा मस्जिद में नमाज अदा की। सामान्य रूप से जुमे की नमाज में लगभग 1,000 लोग शामिल होते हैं लेकिन दिनांक 22.11.2024 को लगभग 2,000 लोग थे। उन्हें नहीं पता कि अचानक 2,000 लोग कैसे इकट्ठा हुए। जब आयोग ने पूछा कि क्या दिनांक 22.11.2024 को लोगों को सूचित किया गया और बड़ी संख्या में बुलाया गया था तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। आयोग ने फिर संभल सांसद व्हाट्सएप ग्रुप में अब्दुल्ला और कासिम हुसैन के संदेश दिखाए। उन्होंने कहा कि वे अब्दुल्ला को नहीं जानते लेकिन कासिम हुसैन को जानते हैं, जो संभवतः एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। संदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक से अधिक लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करने का आह्वान किया गया था। दिनांक 22.11.2024 को जुमे की नमाज के बाद

उन्होंने और श्री बर्क ने मीडिया और उपस्थित नमाजियों को संबोधित किया। उन्होंने श्री बर्क को उनके संबोधन के दौरान रोकने की कोशिश की, यह कहते हुए, "बस, कृपया रुकें," लेकिन उन्होंने नहीं सुना और बोलते रहे। दिनांक 23.11.2024 को शाम लगभग 6:45 बजे एडीएम ने फोन किया और कहा कि डीएम उन्हें बुला रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे नहीं आ सकते। रात 8:30 बजे से 8:45 बजे के बीच एसडीएम और सीओ संभल उनके घर आए और उन्हें एक नोटिस सौंपा, जिसमें कहा गया था कि सर्वेक्षण टीम फिर से सर्वेक्षण करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि डीएम अनुमति देते हैं तो सर्वेक्षण होगा और उन्हें उस रात 11:00 बजे तक समय के बारे में सूचित किया जाएगा। बाद में एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर ने फोन किया और बताया कि शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण सुबह 7:00 बजे निर्धारित है। उन्होंने फिर एसडीएम को फोन किया और कहा, "आपने मुझे नहीं बताया कि सर्वेक्षण कल हो रहा है; एक रिपोर्टर ने मुझे बताया।" एसडीएम ने पुष्टि की कि सर्वेक्षण वास्तव में अगली सुबह होने वाला है। उन्होंने शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्यों और संभल के सांसद श्री बर्क को फोन पर सूचित किया लेकिन जनता को नहीं बताया। **उन्होंने दिनांक 23.11.2024 को रात लगभग 11:00-11:30 बजे श्री बर्क से बात की और फिर 23-24 की रात को दोबारा।** उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि रात 11:00-11:30 बजे उन्होंने उनके पीआरओ से उनके मोबाइल पर बात की और दूसरी बार उन्होंने श्री बर्क से बात की, उन्हें सूचित करते हुए कि अगले दिन फिर से सर्वेक्षण हो रहा है। उन्होंने पूछा कि जब एक बार सर्वेक्षण हो चुका है तो फिर से क्यों हो रहा है। उन्होंने उन्हें बताया कि सर्वेक्षण डीएम के आदेश पर हो रहा है। उन्होंने उनसे कहा कि डीएम और एसपी से इसे रोकने के लिए कहें, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह मुश्किल होगा और वे इसे रोक नहीं पाएंगे। जब आयोग ने पूछा कि क्या दिनांक 24.11.2024 को लोग कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सर्वेक्षण को रोकने या बाधित करने के लिए इकट्ठा हुए थे तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई संभावना नहीं थी लेकिन अत्यधिक पुलिस उपस्थिति के कारण भीड़ इकट्ठा होने लगी। जब आयोग ने आगे पूछा पिछले गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कि दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान

संभल के बाहर से आए लोगों की भीड़, जिनमें से कुछ ने चेहरा ढका हुआ था, ने इकट्ठा होकर अशांति पैदा की तो उन्होंने जवाब दिया कि वे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वे लगातार डीएम और एसपी के साथ जामा मस्जिद के अंदर थे। आयोग ने फिर उनके शपथ-पत्र का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि भीड़ ने पानी के बहाव के बारे में सीओ संभल से स्पष्टीकरण मांगा लेकिन उन्होंने गंदी भाषा में गाली दी और लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसके कारण भीड़ ने आत्मरक्षा में पत्थरबाजी शुरू की, जिससे हिंसा शुरू हुई। इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, "हां, सर, मैंने इसे लिखा था, और मैं इससे सहमत हूँ।" हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके शपथ-पत्र में सीओ संभल के बारे में जो लिखा था, वह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी पर आधारित नहीं था, बल्कि लोगों ने उन्हें जो बताया उसके आधार पर उन्होंने शपथ-पत्र में शामिल किया। जब उनके शपथ-पत्र के पैराग्राफ 5 और 6 के बारे में पूछा गया कि क्यों न यह माना जाए कि एक अधिवक्ता के रूप में उन्होंने पक्षपात के कारण शपथ-पत्र में झूठे बयान दिए और आयोग को गुमराह करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया कि यह सच है कि वे प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। हिंसा खत्म होने के बाद वहां मौजूद जनता के लोगों ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। पैराग्राफ-6 के बयान के बारे में उन्होंने कहा कि वे उसका प्रत्यक्षदर्शी थे; उन्होंने पुलिस को भीड़ पर गोली चलाते देखा। वे पूरी तरह से हथियारों से परिचित नहीं हैं। वे केवल देसी पिस्तौल (कट्टा) को पहचानते हैं। आंसू गैस बंदूकों के अलावा उन्हें पुलिस द्वारा उपयोग किए गए अन्य हथियारों की जानकारी नहीं है। कट्टा की गोलीबारी की रेंज लगभग 15-20 फीट है और पुलिस और भीड़ के बीच की दूरी लगभग 15-20 फीट थी। वे 15-20 फीट की दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उन्हें मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पर्याप्त ज्ञान है और वे जानते हैं कि जब नजदीक से गोली चलाई जाती है तो घाव के आसपास कालापन दिखाई देता है। मुरादाबाद में जिस लड़के का पोस्टमॉर्टम हुआ, उसके भाई ने एफआईआर में उल्लेख किया कि उसके भाई की मृत्यु भीड़ के कारण हुई थी लेकिन जफर अली ने कहा कि वे इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण वीडियोग्राफी के साथ शुरू हुआ। जब एसडीएम ने टैंक से पानी निकालने का निर्देश दिया तो डीएम और

एसपी ने कहा कि टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को छड़ी से मापा जा सकती है और पानी निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि एसडीएम के आग्रह पर उन्होंने टैंक का पानी निकालवाया। पानी को तेजी से बहते देख जनता को यह गलतफहमी हुई कि मस्जिद में खुदाई शुरू हो गई है, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई। भीड़ लगभग 500 लोगों की थी। हालांकि वे ज्यादातर मस्जिद के अंदर थे, वे एक या दो मिनट के लिए पान-मसाला लेने के लिए बाहर गए, पास में कोई पान-मसाला की दुकान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को पान-मसाला के लिए पैसे दिए, जिसका नाम वे नहीं बता सकते। एक या दो मिनट बाद वे मस्जिद में लौट आए। जिस व्यक्ति को उन्होंने पैसे दिए थे, वह मसाला लेकर आया, मस्जिद के अंदर आया क्योंकि वे नीचे गए और पुलिस से अनुरोध किया कि मसाला लाने वाले व्यक्ति को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। वे किसी अन्य इरादे से या जनता या दंगाइयों को उत्तेजक संदेश देने के लिए नीचे नहीं गए। वास्तव में, उन्होंने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को बताया था कि वे अपने लिए और उनके लिए पान-मसाला लेने जा रहे हैं। यह कहना गलत है कि अधिवक्ता कासिम जमाल और फारूकी भी नीचे गए; वे अकेले मस्जिद के दक्षिणी गेट से गए और एक या दो मिनट में लौट आए, न कि आधे घंटे में। यदि उस समय इकट्ठा हुई जनता मस्जिद में प्रवेश करने में सफल हो जाती, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती थी। दिनांक 19.11.2024 के माननीय कोर्ट के आदेश को रिवीजन या रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब आयोग ने पूछा कि क्या यह पूरी तरह सच है कि वे पूरी घटना के दौरान केवल एक या दो मिनट के लिए नीचे गए थे तो उन्होंने जवाब दिया कि यह पूरी तरह सच नहीं है। एक समय पर सुबह लगभग 9:15-9:30 बजे डीएम और एसपी उन्हें मस्जिद के बाहर ले गए। उन्होंने उन्हें एक हेलमेट दिया और भीड़ को शांत करने के लिए कहा ताकि वे वापस हो जाएं। वे लगभग 20-25 मिनट तक रहे, लोगों से अपील की और फिर ऊपर लौट आए। घटना के दिन आगजनी, पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई, लोग घायल हुए, चार लोग मारे गए और सड़कें पत्थरों से भरी थीं क्योंकि भारी पत्थरबाजी हुई थी। ये सभी तथ्य सत्य हैं। उन्हें नहीं पता कि यह घटना पूर्व नियोजित थी या भीड़ को सर्वेक्षण रोकने के लिए इकट्ठा किया गया था। चार मृतकों के अलावा, 8-10

अन्य लोग भी गोलीबारी में घायल हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कोई मामला दर्ज किया या नहीं।

16. जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य की गवाही

ICW-159 श्री लद्दन खान, जामा मस्जिद प्रबंधन समिति उन्होंने अपने शपथ-पत्र में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को शाम 6:00 बजे वे कोर्ट के आदेशानुसार सर्वेक्षण के दौरान शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण आयोग और प्रशासन के साथ मौजूद थे। सर्वेक्षण टीम ने सर्वेक्षण पूरा किया और चली गई। उस दिन सर्वेक्षण लगभग ढाई घंटे तक चला। दिनांक 24.11.2024 को सुबह सर्वेक्षण सुबह 7:00 बजे फिर से शुरू हुआ, जिसमें मस्जिद समिति का वकील, मस्जिद समिति के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी और सर्वे आयुक्त वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए मस्जिद के अंदर मौजूद थे। मस्जिद समिति ने सर्वेक्षण आयोग के साथ पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से सहयोग किया। इस बीच प्रशासन और एसडीएम ने वजू टैंक का पानी उसकी गहराई मापने के लिए निकाला लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण बाहर की जनता में भ्रम पैदा हुआ कि वजू टैंक को तोड़ा जा रहा है। इसे देखकर बाहर की जनता को लगा कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है और मस्जिद के बाहर से हंगामे की आवाजें आने लगीं। आंसू गैस के गोलों के कारण लोगों की आंखों में पानी आने लगा और रसायनों के कारण जलन हुई। जामा मस्जिद समिति ने मस्जिद के लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार शांति और सौहार्द की अपील की। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सर्वेक्षण आयोग प्रशासन के साथ सरथल चौकी की ओर चला गया। बाद में पता चला कि बाहर पुलिस और जनता के बीच विवाद हुआ था। सर्वेक्षण लगभग तीन घंटे तक चला। यह आयोग के समक्ष और कहा गया कि वजू टैंक का पानी एसडीएम के निर्देश पर निकाला गया था। पानी उनके कर्मचारी ने उनके आदेश पर निकाला था और शोर और नारों के कारण उन्हें मस्जिद के अंदर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था।

17. संभल के सांसद की गवाही

ICW-180 श्री जिया-उर-रहमान बर्क, माननीय सांसद, संभल आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि संभल में जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है और उनका घर इससे 300-400 मीटर की दूरी पर स्थित है। सामान्य रूप से जब वे संभल में अपने घर पर होते हैं तो वे पास की मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। अन्यथा, जहां भी होते हैं वहां पास की मस्जिद में या कभी-कभी किसी के घर पर नमाज अदा करते हैं। दिनांक 19.11.2024 को वे संभल क्षेत्र में थे और शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सूचित किया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शाम को जामा मस्जिद पहुंचे हैं। उन्होंने कारण जानने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद वे जानकारी इकट्ठा करने के लिए जामा मस्जिद गए। सर्वेक्षण की जानकारी उन्हें नदीम नामक व्यक्ति, जो कोट गर्वी का निवासी है, ने दी थी। उनके साथ उनका ड्राइवर, एक गनर और फरीद साहब नामक एक व्यक्ति था, जिन्हें मस्जिद से लगभग 150 मीटर पहले पुलिस ने बैरिकेड पर रोक दिया था। जब वे मस्जिद पहुंचे, सड़क पर लगभग 300 लोग थे और मस्जिद के अंदर 20 लोग थे, जिनमें सर्वेक्षण समिति के सदस्य, डीएम, एसपी और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल थे। पुलिस ने उन्हें नहीं रोका लेकिन उनके साथ प्रवेश करने वालों को रोक दिया गया और वे पीछे रह गए। वे अकेले मस्जिद में प्रवेश कर गए और डीएम और एसपी संभल से उनके वहां होने का कारण पूछा। उन्होंने माननीय कोर्ट के आदेश की प्रति देखने का अनुरोध किया लेकिन उनके पास उस समय वह नहीं थी। कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सर्वेक्षण कार्यवाही सुचारू रूप से चली और वे डीएम और एसपी के साथ खड़े रहे। उस दिन सर्वेक्षण कार्यवाही पूरी हो गई थी। उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने दिनांक 19.11.2024 को मीडिया को बाइट दिया था। वीडियो क्लिप दिखाए जाने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि यह सच है कि उन्होंने वहां बाइट दिया था लेकिन उन्हें यह क्लिप देखने के बाद ही याद आया। उन्हें नहीं पता था कि धारा 163 बीएनएसएस लागू थी और यदि लागू थी तो उन्होंने इसे किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया। दिनांक 19.11.2024 को उन्होंने मस्जिद के बाहर मौजूद मीडिया को

नहीं बुलाया; वे पहले से ही वहां थे। उनके द्वारा मीडिया को दिया गया बयान संपादित किया गया था और इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि यदि माननीय कोर्ट का आदेश है तो वे इसका सम्मान करते हैं और कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कोई अनुचित शब्दों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने बयान को धार्मिक स्थल अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित किया, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल को अपरिवर्तित रखा जाएगा और इसके संबंध में कोई रिट दायर नहीं की जा सकती। यदि कोई रिट मौजूद है तो उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने दिनांक 19.11.2024 को दिया गया बाइट आज तक नहीं देखा था जब तक कि आयोग ने उन्हें दिखाया। इसलिए कानूनी नोटिस जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। जब वे दिनांक 19.11.2024 को मस्जिद पहुंचे, सुहेल इकबाल पहले से ही वहां मौजूद थे लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके साथ कितने लोग थे। दिनांक 22.11.2024 को शुक्रवार था और उन्होंने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। सामान्य रूप से जुमे पर मस्जिद पूरी तरह से नमाजियों से भरी होती है और उस दिन भी यह पूरी तरह से भरी हुई थी। वे लोगों की संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते। जब उन्हें मन्नत व्हाट्सएप ग्रुप का ट्रांसक्रिप्ट दिखाया गया और इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। एक सांसद के रूप में उन्हें इस ग्रुप के अलावा 100-150 अन्य ग्रुपों में लोगों द्वारा जोड़ा गया है। हालांकि वे कहेंगे कि एक सांसद के रूप में वे इन ग्रुपों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वे जनप्रतिनिधि हैं और इन्हें छोड़ने से लोग नाराज होंगे। उन्हें नहीं पता कि इस ग्रुप का एडमिन कौन है। वे इन ग्रुपों में कभी जवाब नहीं देते और उन्होंने कभी ग्रुप एडमिन या उनके कंटेंट की जांच नहीं की। वे अब्दुल्ला या कासिफ हुसैन को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। जब आयोग ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में अब्दुल्ला और कासिफ हुसैन के संदेश दिखाए, जिनमें दिनांक 22.11.2024 को जुमे की नमाज के लिए अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने और धन जुटाने का आह्वान किया गया था तो उन्होंने कहा कि ऐसे संदेश उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आए हो सकते हैं लेकिन उन्होंने इन्हें नहीं पढ़ा। दिखाया गया व्हाट्सएप ट्रांसक्रिप्ट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कुछ व्यक्तियों ने दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद में जुमे

की नमाज के लिए अधिक से अधिक लोगों/नमाजियों को इकट्ठा करने का आह्वान किया था। दिनांक 22.11.2024 को नमाज अदा करने के बाद उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जहां तक उन्हें याद है सुहेल इकबाल भी नमाजियों में मौजूद थे। दिनांक 22.11.2024 को उन्होंने जुमे की नमाज से पहले या बाद में मस्जिद के अंदर या बाहर कोई भाषण नहीं दिया; उन्होंने केवल मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, **“धार्मिक स्थल अधिनियम के अनुसार, जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद द्वारा पारित किया गया है, न केवल मस्जिदें बल्कि 1947 से पहले मौजूद सभी धर्मों के धार्मिक स्थल जैसी हैं वैसी ही रहेंगी और उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी धार्मिक स्थल के संबंध में कोई विवाद चल रहा है, तो वे मामले कानून के अनुसार बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए, हमारी जामा मस्जिद थी और रहेगी।”** एक सांसद के रूप में, उन्हें मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ हिंदू समुदाय के लोगों ने भी वोट दिया है। वे सभी के लिए कार्य करते हैं और वे देश के माहौल में कोई अशांति नहीं चाहते। देश को कानून और संविधान के अनुसार चलना चाहिए और वे इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ेंगे और कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। चूंकि वे कानूनी रूप से बोल रहे थे और पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रहा था, इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि वे इससे डरते नहीं हैं और वे कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं में विश्वास करते हैं। वे चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करें। मीडिया के सवालों का जवाब देना जरूरी था क्योंकि अफवाहें फैल रही थीं कि वादी पक्ष ने पहले देश की अन्य मस्जिदों पर दावा किया था और हमारी मस्जिद के साथ भी ऐसा करना चाहता था। उनका इरादा लोगों की गलतफहमियों को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना था कि वे इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ेंगे। (दिनांक 22.11.2024 को इंडिया टीवी द्वारा प्रसारित एक वीडियो क्लिप दिखाया गया, जिसमें मीडिया के सवाल पूछते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे और केवल सांसद बोल रहे थे।) आयोग के सवाल के जवाब में, जिसमें उनके बयान का उल्लेख किया गया, जहां वे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, **“हम पुलिस, प्रशासन या सरकार से डरने वाले नहीं हैं। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर या गुलाम नहीं,”** कृपया स्पष्ट करें:

1) पुलिस और प्रशासन की किन कार्रवाइयों ने आपको यह बयान देने के लिए प्रेरित किया?

2) आप स्वयं को इस देश का मालिक कैसे मानते हैं?

सामान्य रूप से सामंतवाद या राजशाही के संदर्भ में राजा स्वयं को प्रजा का मालिक मानता है और प्रजा उसके अधीन होती है। आप एक माननीय सांसद और कानून स्नातक हैं और आपकी भूमिका कानून निर्माता की भी है। सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्दों का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े विरोध को भड़काने का आह्वान करता है। एक तरफ आप संविधान और कोर्ट में लड़ाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं, **“हमारी जामा मस्जिद के लिए, हम कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और इंशाल्लाह, जो भी जरूरी होगा, हम, और न केवल मैं बल्कि सभी, हमेशा जामा मस्जिद की रक्षा के लिए मौजूद रहेंगे।”** संविधान के किस प्रावधान में **“मालिक”, “नौकर” और “गुलाम”** शब्दों का उल्लेख है? कृपया स्पष्ट करें। माननीय सांसद ने जवाब दिया कि उनका संबोधन जनता के लिए नहीं था, बल्कि मीडिया के सवालियों के जवाब में था। वे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि वीडियो क्लिप में मीडिया के सवाल क्यों नहीं दिखाए गए। पुलिस और प्रशासन से डरने वाला बयान इस तथ्य पर आधारित था कि जुमे के दिन जब लोग जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आ रहे थे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, उन्हें मस्जिद से 150-200 मीटर पहले बैरिकेड पर रोका गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह घटना दोपहर लगभग 1:00 बजे के बाद हुई। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो उन्होंने लोगों को शांत किया और आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय कोर्ट के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने संभल के डीएम को मौखिक रूप से इसकी शिकायत की। **“मालिक”** शब्द के बारे में, उन्होंने इसका उपयोग इस आधार पर किया कि हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले हम अपने ही देश में गुलामों के रूप में रहते थे चाहे वह ब्रिटिश शासन के तहत हो या राजाओं और सम्राटों के शासन में। स्वतंत्रता और संविधान बनने के बाद हम गर्व से कहते हैं कि हम अब इस देश में ब्रिटिश या किसी राजा/सम्राट के गुलाम नहीं हैं। इसके बजाय हमें गर्व है कि हम

इस देश के मालिक हैं। जुमे की नमाज का समय दोपहर 1:30 बजे था और वे लगभग 1:00 बजे मस्जिद में पहुंचे। जब वे पहुंचे तो वे नमाजियों की संख्या का अनुमान नहीं लगा सके लेकिन कुछ जगह खाली थी जहां और लोग शामिल हो सकते थे। नमाज के समय तक जगह लगभग पूरी तरह से भरी हुई थी। पुलिस का हस्तक्षेप बिना कारण नहीं था लेकिन लोगों को रोकने का उनका तरीका गलत था। यह कहना सही नहीं होगा कि उनके संबोधन ने लोगों में गुस्सा भड़काया; यह कहना अधिक सटीक होगा कि लोग प्रभावित हुए। उनका इरादा अपने संबोधन के माध्यम से लोगों को समझाना था, न कि उन्हें भड़काना। वे इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ना चाहते हैं। यदि किसी गवाह ने आयोग के समक्ष कहा है कि दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 22.11.2024 को उनका संबोधन उत्तेजक था तो वे इसका खंडन करते हैं। उनका बयान किसी भी स्तर पर उत्तेजक नहीं था; बल्कि, यह लोगों को चीजें समझाने के लिए था। दिनांक 24.11.2024 के सर्वेक्षण के बारे में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री जफर साहब ने उन्हें दिनांक 23.11.2024 की रात को सूचित किया, हालांकि उन्हें सटीक समय याद नहीं है। श्री जफर ने कहा कि एक और सर्वेक्षण होने वाला है लेकिन तारीख या समय का उल्लेख नहीं किया। उस समय वे बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक पूर्व निर्धारित बैठक में भाग लेने के लिए थे, जिसके लिए उन्हें दिनांक 13.11.2024 को निमंत्रण मिला था। उनका पीआरओ अब्दुल रहमान उनके साथ बेंगलोर नहीं गया था और दिल्ली में था। जहां तक उन्हें याद है श्री जफर ने दिनांक 23.11.2024 की रात को उन्हें दो बार फोन किया। उन्होंने बेंगलोर पहुंचने के बाद मिसड कॉल देखे और उनसे बात की। जब आयोग ने पूछा कि सबूतों से पता चलता है कि आपने दिनांक 23.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 की रात को श्री जफर और अन्य लोगों से कई बार बात की, उन्हें निर्देश देते हुए कि सर्वेक्षण को किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देना है और जनता को सुबह जामा मस्जिद में सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए इकट्ठा होने की सूचना देना है तो माननीय सांसद ने जवाब दिया कि यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा, न ही ऐसी कोई बातचीत फोन पर हुई, न ही वे चाहते थे कि सर्वेक्षण का विरोध किया जाए। सर्वेक्षण के आदेश से वे परेशान नहीं थे लेकिन वे चाहते थे कि माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी

बात रखने का अवसर मिले। जामा मस्जिद एक एएसआई-संरक्षित स्मारक है। उनके ज्ञान के अनुसार दिनांक 24.11.2024 को इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में लोग पूर्व नियोजित साजिश के तहत संगठित नहीं थे। लोग सर्वेक्षण शुरू होने के लगभग एक घंटे बाद जानकारी मिलने पर इकट्ठा होने लगे। वे केवल यह जानना चाहते थे कि पुलिस और प्रशासन मस्जिद में क्यों लौटे जब सर्वेक्षण एक बार पहले ही हो चुका था। उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया; इसके बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। जब मस्जिद के टैंक का पानी बाहर निकला तो लोगों में यह गलतफहमी फैल गई कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां बनीं। लोग मस्जिद में प्रवेश नहीं करना चाहते थे; वे केवल अपने सवालों के जवाब चाहते थे। हालांकि यदि वे मस्जिद में प्रवेश कर जाते, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती थी। वे इस घटना से बहुत दुखी और दुखी हैं और नहीं चाहते कि भविष्य में राज्य या देश में कहीं भी ऐसी घटना हो। वे यह भी कहना चाहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि सीओ अनुज चौधरी उनसे क्यों नाराज हैं। अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि वे उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करेंगे। इस संबंध में, उन्होंने 10.10.2024 को माननीय लोकसभा अध्यक्ष को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था, जिसकी एक प्रति वे आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

18. संभल के स्थानीय विधायक श्री इकबाल महमूद के पुत्र/प्रतिनिधि की गवाही

ICW-181 श्री सुहेल इकबाल पुत्र श्री इकबाल महमूद (संभल के विधायक) उन्होंने अपने शपथ-पत्र में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को वे जामा मस्जिद संभल में सर्वेक्षण के दौरान मौजूद थे और प्रशासन के साथ रहे, उनके निर्देशों के अनुसार सहयोग करते हुए। सर्वेक्षण उस तारीख को रात लगभग 8:00 बजे तक चला। दिनांक 22.11.2024 को वे जुमे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद, संभल में मौजूद नहीं थे। जामा मस्जिद उनके घर से 1-1.5 किमी दूर है। उनके घर के पास एक मस्जिद है, जिसे किले वाली मस्जिद कहा जाता है। वे कभी-कभी जामा मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। दिनांक 19.11.2024 को वे अपने क्षेत्र में थे और यह शादियों का मौसम था। दोपहर में एक अधिवक्ता ने उन्हें फोन किया, जिनका नाम उन्हें इस समय

याद नहीं है और सर्वेक्षण आदेश के बारे में सूचित किया। बाद में शाम लगभग 5:30 बजे एक पत्रकार ने फोन किया और बताया कि डीएम और एसपी उस शाम जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के लिए आ सकते हैं। वे मग़रिब की नमाज के लिए पहले से ही जामा मस्जिद में थे, जब पत्रकार ने यह जानकारी दी। वे अकेले नमाज के लिए गए थे और 20-25 नमाजी पहले से मौजूद थे। मग़रिब की नमाज अदा करने के बाद जब वे मस्जिद से निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों का एक समूह देखा। थोड़ी देर बाद डीएम, एसपी, भारी पुलिस बल के साथ, अधिवक्ता आयुक्त और कुछ अधिवक्ता जामा मस्जिद में प्रवेश किए। उन्होंने डीएम और एसपी से बात की और उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “ठीक है, मैं सहयोग करूंगा।” वे एक आम नागरिक और अपने पिता स्थानीय विधायक श्री इकबाल महमूद के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे थे। सांसद श्री बर्क सर्वेक्षण शुरू होने के 15-20 मिनट बाद एक या दो लोगों के साथ मस्जिद पहुंचे और उस समय वे मस्जिद के अंदर टैंक (हौज) के पास थे। उन्होंने कभी भी सर्वेक्षण का विरोध या बाधा नहीं डाली; उन्होंने हमेशा सहयोग किया और पुलिस की उपस्थिति में लोगों से क्षेत्र छोड़ने का आग्रह किया, जिसके बाद सभी चले गए। माननीय सांसद ने केवल यह पूछा कि क्या हो रहा है। सर्वेक्षण कार्यवाही रात लगभग 8:30-9:00 बजे तक चली। सर्वेक्षण के कारण नमाज का समय एक घंटे तक बढ़ गया। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद डीएम ने अधिवक्ता आयुक्त से कहा, “सर्वेक्षण पूरा हो गया है; क्या और कुछ देखना है?” अधिवक्ता आयुक्त ने सिर हिलाकर कहा, “नहीं, सब कुछ हो गया।” उन्होंने उस दिन मीडिया से बात नहीं की। माननीय सांसद सीढ़ियों पर रुके लेकिन उन्हें नहीं पता कि माननीय सांसद ने क्या कहा। दिनांक 22.11.2024 को वे जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद नहीं गए। दिनांक 24.11.2024 के सर्वेक्षण के बारे में उन्हें दिनांक 23.11.2024 को रात 11:30 बजे से 12:00 बजे के बीच सूचित किया गया, जब उनकी मां ने उन्हें फोन सौंपा यह कहते हुए कि उनके पिता बात करना चाहते हैं। उनके पिता ने बताया कि दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण निर्धारित है और उन्हें सुबह मस्जिद जाने और प्रबंधन समिति से बात करने का निर्देश दिया ताकि सभी इस मामले में सहयोग करें। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 5:30 बजे जामा

मस्जिद के लिए निकले, लगभग 6:00 बजे पहुंचे और नमाज अदा की। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव मौजूद नहीं थे। जब वे सुबह लगभग 6:30-6:45 बजे मस्जिद से बाहर निकले तो मस्जिद के आसपास बैरिकेड लगाए जा रहे थे और भारी पुलिस उपस्थिति थी लेकिन जनता का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। वे जामा मस्जिद के सचिव श्री मशहूद अली फारूकी को सूचित करने के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एडिश्रल एसपी से मुलाकात की अभिवादन किया और पूछा कि इतना भारी पुलिस बल क्यों तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि उस दिन सर्वेक्षण निर्धारित है और डीएम और एसपी आने वाले हैं। फिर वे श्री फारूकी के घर पहुंचे और देखा कि उन्होंने मास्क पहना हुआ था क्योंकि उनके चेहरे और हाथों पर चोटें थीं। उन्होंने अपने पिता का संदेश दिया, उनकी कुशलता के बारे में पूछा और उनके बेटे के साथ चाय पी। श्री फारूकी तुरंत मस्जिद के लिए निकल गए। चाय पीने के बाद जब वे घर के लिए निकल रहे थे, जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने डीएम, एसपी और कोर्ट आयुक्त को आते देखा। जैसे ही वे बाहर निकले एक सिपाही उनके पास आया और कहा कि डीएम और एसपी उन्हें बुला रहे हैं। जब वे उनकी ओर चलने लगे तो डीएम और एसपी ने उन्हें दूर से पहचान लिया और कहा, “सुहेल अंदर रहो, सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू होने वाली है और सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं।” वे वापस श्री फारूकी के घर के अंदर चले गए और मग़रिब की नमाज के बाद लगभग 5:30-6:00 बजे तक वहां रहे। उस दिन जामा मस्जिद के आसपास आगजनी, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटनाएं हुईं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाहनों में आग लगा दी गई, कई पुलिस कर्मी घायल हुए और चार लोगों की जान चली गई। जो कुछ हुआ वह दुखद था लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा क्योंकि वे श्री फारूकी के घर के अंदर थे। जो कुछ भी उन्हें बाद में घटना के बारे में पता चला, वह टीवी चैनलों और मोबाइल फोन के माध्यम से था। उन्होंने मीडिया कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को इधर-उधर भागते देखा।

आयोग के सवाल के जवाब में कि कई लोगों ने सबूत दिए हैं कि आप घटना के दौरान मौके पर मौजूद थे और लोगों को भड़काया, जिसके कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ, उन्होंने जवाब दिया कि यह पूरी तरह से निराधार है और उन्होंने

किसी को भड़काया नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं है। उन्होंने घटनाओं को मीडिया और मोबाइल फोन के माध्यम से देखा। यदि इतने व्यापक पुलिस इंतजाम नहीं होते और इकट्ठा हुई भीड़ मस्जिद में प्रवेश कर जाती तो उनकी राय में सर्वेक्षण टीम और मौजूद अधिकारियों के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता था। श्री फारुकी का घर जामा मस्जिद से 100 मीटर दूर है। उन्होंने दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के बारे में किसी से चर्चा नहीं की।

19. प्रत्यक्षदर्शी (सार्वजनिक गवाहों) की गवाहियों का मूल्यांकन

संभल जिले के स्थानीय निवासियों, जिन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा, ने आयोग के समक्ष बयान दिए। उनका सार निम्नलिखित है:

A. ICW-121 श्रीमती सीमा आर्या पत्नी श्री चंद्रेश आर्या उन्होंने एक लिखित बयान प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि 24 नवंबर, 2024 को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे और संभल की ओर बढ़ रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे कि हमारी जामा मस्जिद में दोबारा क्यों सर्वेक्षण हो रहा है और सर्वेक्षण करने वालों या उनको सुरक्षा देने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सुबह लगभग 7:45 बजे ये बातचीत सुनी और भीड़ को देखने के बाद छत से नीचे उतर आईं। वे उन लोगों को नाम से नहीं जानतीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बचाया।

B. ICW-124 श्रीमती सुरैया खान पत्नी श्री अब्दुल सईद ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को उन्होंने सुबह लगभग 10:00 बजे जामा मस्जिद में अशांति देखी, जहां भीड़ में लोग पत्थर फेंक रहे थे और गोलीबारी की आवाज सुनी।

C. ICW-117 श्री तुफैल अहमद पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि जामा मस्जिद के आसपास की सड़कों पर भारी भीड़ थी और भीड़ ने सर्वेक्षण कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने बार-बार भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने न तो सुना और न ही चले गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी और गोलीबारी से हमला किया।

D. ICW-138 श्री मुकेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को मुस्लिम समुदाय के दंगाइयों ने पूरी योजना के साथ पहले से वहां पत्थर, ईंटें और अवैध हथियारों के साथ इकट्ठा कर रखा था। जब प्रशासन ने उन्हें घर जाने का अनुरोध किया तो उन्होंने पत्थरबाजी और गोलीबारी शुरू कर दी। सड़क पर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। चूंकि संभल में हिंदू समुदाय 15% है, ये लोग स्कूलों में लड़कियों और बाजार में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

E. ICW-140 श्री राहुल कुमार पुत्र श्री सदेश कुमार ने कहा कि 19 नवंबर, 2024 के सर्वेक्षण के बाद संभल में मुस्लिम समुदाय के बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ गई। वे पहली बार देखे गए और 24 नवंबर को उन्हें ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ संभल की ओर बढ़ते देखा गया, जिसके बाद संभल में पुलिस पर पत्थरबाजी की जानकारी मिली।

F. ICW-141 श्री विक्की पुत्र श्री सुरेश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को वे अपने घर पर हातिम सराय में थे और मुस्लिम समुदाय के लोग चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, जामा मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे, दूसरों को भड़का रहे थे और कह रहे थे कि आज पुलिस मस्जिद में प्रवेश करने वालों को नहीं बचा पाएगी।

G. ICW-142 श्री मितेश कुमार पुत्र श्री राजीव सिंह ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को सैकड़ों मुस्लिम लोग आते-जाते दिखे, पत्थर फेंकने और पुलिस को पीटने की बात कर रहे थे।

H. ICW-143 श्री शोभित कुमार पुत्र श्री किशन लाल ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को सुबह लगभग 9:00 बजे वे अपने घर से बाजार जा रहे थे और एजेंट्री चौराहे पर पहुंचने पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय की भीड़ को वहां इकट्ठा देखा, जो पुलिस प्रशासन और हिंदू समुदाय के प्रति अत्यधिक उत्तेजित और आक्रामक दिख रही थी और जामा मस्जिद की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने मस्जिद के पास पुलिस प्रशासन पर हमला किया था।

I. ICW-130 श्री अमन पुठिया पुत्र श्री सुधीर कुमार पुठिया ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को सुबह हंगामे की तेज आवाजें थीं। जब वे बाहर देखने गए तो पड़ोस में अराजक माहौल था। उन्हें बताया गया कि विवादित स्थल हरि हर मंदिर पर सर्वेक्षण टीम आई थी और सर्वेक्षण चल रहा था। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने उस स्थल को तीन ओर से घेर लिया था और सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे, जिनकी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें पता चला कि हजारों लोगों के पास पत्थर, लाठियां और देसी बंदूकें थीं। थोड़ी देर बाद वहां से भारी गोलीबारी की आवाज आई। थोड़ी देर बाद धुएं का एक बड़ा बादल दिखाई दिया। संभल तहसील में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय बहुत भयभीत स्थिति में है।

J. ICW-131 श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री राजेंद्र शर्मा ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को उनके घर के बाहर कुछ हिंदू बहुत डरे हुए थे, जामा मस्जिद की दिशा से धार्मिक नारों की आवाजें आ रही थीं और गोलीबारी भी सुनाई दे रही थी। उनका घर जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर है। सभी गलियां भरी हुई थीं; हजारों लोग “अल्लाह-हु-अकबर” के नारे लगा रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ ने सर्वेक्षण टीम के काम में बाधा डालने और उन पर घातक हमला करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठा किया था।

K. ICW-132 श्री अर्जुन पुत्र श्री ओमबाबू चंद्रा ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को वे अपने घर पर थे। मुस्लिम समुदाय के लोग चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, जामा मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे और दूसरों को बता रहे थे कि आज पुलिस मस्जिद में प्रवेश करने वालों को नहीं बचा पाएगी।

L. ICW-133 श्री आलोक भारती पुत्र श्री राकेश कुमार भारती ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को दंगे के दौरान वे सुबह पड़ोस में खड़े थे और 12-15 साल के मुस्लिम लड़कों को गुस्से में कहते सुना कि आज वे सर्वेक्षण नहीं होने देंगे और या तो वे रहेंगे या हिंदू संभल में रहेंगे। उन्होंने यह अपनी कानों से सुना। इन लड़कों ने थोड़ी देर बाद “अल्लाह-हु-अकबर” के नारे लगाना शुरू कर दिया।

M. ICW-137 श्री सौरभ गुप्ता पुत्र श्री अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सड़कों पर मुस्लिम युवा लड़कों को नंगी तलवारें और देसी बंदूकें लहराते देखा, जो लगातार हिंदू मोहल्लों में भीड़ के साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी की। इस दंगे के बाद कई मदरसों की जांच होनी चाहिए क्योंकि इससे पहले उक्त मदरसों में कई बच्चे थे और अब वे वहां नहीं हैं। इसमें अन्य राज्यों के बच्चे भी शामिल थे।

N. ICW-149 श्री कशीर कौशल पुत्र स्वर्गीय श्री कमल कौशल ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को संभल में सर्वेक्षण के दौरान मुस्लिम पक्ष द्वारा पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी को उन्होंने छत से देखा।

O. ICW-150 श्री सोनू पुत्र श्री राजपाल सिंह ने कहा कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में नए मुस्लिम चेहरों की आबादी बढ़ गई और 19 नवंबर के बाद लोग पहली बार क्षेत्र में घूमते हुए दिखे, जो संभल के पत्थरबाजों को पीड़ित और शहीद के रूप में बात कर रहे थे। 24 नवंबर, 2024 को जब वे सुबह 5:00-5:30 बजे खेतों की ओर टहलने गए तो उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में लोगों को शहर की ओर जाते देखा और उनमें से कई लोग सिंहपुर साहनी से असमौली मिल तक निर्माणाधीन सड़क से पत्थर इकट्ठा कर रहे थे।

P. ICW-191 श्री अर्पित सक्सेना पुत्र श्री राजबहादुर सक्सेना ने कहा कि 24 नवंबर को वे अपनी छत पर खड़े थे; उनका घर जामा मस्जिद से केवल 25 कदम दूर है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों को तलवारों और घरेलू बंदूकों के साथ आगे बढ़ते देखा, कुछ लोगों को पुलिस पर निशाना साधने के लिए उकसाते हुए।

Q. ICW-152 श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वेक्षण के दौरान मुस्लिमों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरों और देसी बंदूकों से हमला किया और उस समय वे बाजार से सब्जियां खरीदकर लौट रहे थे।

R. ICW-153 श्री प्रभात कुमार उर्फ राहुल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री चंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि 24 नवंबर, 2024 को सुबह जल्दी वे हंगामे की आवाज से जागे। जब वे बाहर देखने गए और वहां डरे हुए लोग खड़े थे। उन्हें पता चला कि विवादित स्थल पर दोबारा सर्वेक्षण हो रहा था और मुस्लिमों के हजारों लोग उस स्थल को पीछे से घेर रहे थे। सर्वेक्षण टीम फंस गई थी। उन्होंने पीछे से धुआं उठते भी देखा। फिर उन्हें पता चला कि भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके और गोलीबारी की और वाहनों में आग लगा दी।

S. ICW-154 श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह ने कहा कि घटना के दिन वे गंज मोहल्ले में जनता टेलर की दुकान पर सिलवाए कपड़े लेने गए थे। जैसे ही वे दुकान से नीचे उतरे हंगामा हुआ कि झगड़ा शुरू हो गया और वे डर के मारे नखासा की ओर भागे। नखासा चौराहे पर गंभीर हिंसा हो रही थी। उन्होंने नखासा पुलिस चौकी के पश्चिम में असमौली रोड पर एक घर में प्रवेश करके अपनी जान बचाई। शाम को पुलिस ने उन्हें वापस पहुंचाया।

संभल जिले के प्रत्यक्षदर्शियों की गवाहियों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि घटना के दिन जिले के बाहर से लोग आए थे और उन्हें सर्वेक्षण की पूर्व जानकारी थी। इसलिए वे सर्वेक्षण टीम, पुलिस और प्रशासनिक टीम जो सर्वेक्षण की सुरक्षा के लिए आए थे, पर हमला करने और विरोध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने सुबह सड़कों से ईंटें इकट्ठा करके और हथियारों से लैस होकर इसके लिए तैयारी की थी। उन्हें समूहों में यह कहते सुना गया कि सर्वेक्षण टीम को आज बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा उनके पास देखे गए हथियार भी भीड़ की मंशा को स्पष्ट करते हैं। आयोग को उपरोक्त सार्वजनिक गवाहों की गवाहियों में कोई विरोधाभास नहीं मिला, वे जिला अधिकारियों, पुलिस कर्मियों सहित अन्य स्वतंत्र गवाहों की गवाहियों की पुष्टि करते हैं इसलिए उनकी गवाहियों पर भरोसा किया जाना उचित है।

20. मीडिया कर्मियों की प्रत्यक्षदर्शी गवाही का मूल्यांकन

संभल जिले में दिनांक 24.11.2024 को हुई घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी मीडिया कर्मियों जो दिनांक 19.11.2024, दिनांक 22.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को मौके पर मौजूद थे, ने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग की। अधिकांश मीडिया कर्मियों ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए और आयोग के समन पर शपथ पर मौखिक गवाही दी, जो निम्नलिखित है:

A. ICW-172 श्री सनी गुप्ता, दैनिक भास्कर, संभल ने शपथ पर गवाही दी कि उन्होंने आयोग को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्शक-147 के रूप में सत्यापित किया गया। उनके शपथ-पत्र और गवाही में उन्होंने कहा कि वे दिनांक 21.09.2022 से दैनिक भास्कर के साथ काम कर रहे हैं। दिनांक 19.11.2024 को वे रात लगभग 7:30 बजे मस्जिद परिसर में पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ ने नारेबाजी शुरू की और मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की। सोहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहले से मौजूद थे और सांसद बर्क बाद में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उनका मानना है कि जामा मस्जिद समिति ने लोगों को सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया, जिसके कारण 3,000-5,000 की भीड़ इकट्ठा हुई, हालांकि यह नमाज का समय नहीं था। समिति के अध्यक्ष ने घोषणा की कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है, जबकि वादी के अधिवक्ता ने कहा कि भीड़ और नमाज के समय के कारण सर्वेक्षण रुक गया था और आगे की सूचना दी जाएगी। सांसद बर्क ने कहा, “मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, हमारा पूजा स्थल।” दिनांक 22.11.2024 को शुक्रवार की नमाज के दौरान सांसद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मस्जिद की सीढ़ियों पर लगभग नौ मिनट तक मीडिया से बात की, यह दोहराते हुए, “मस्जिद है और मस्जिद रहेगी।” समिति के अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 7:00-7:30 बजे मस्जिद पहुंचे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ घटना को कवर किया। सुबह 8:15 बजे पुलिस मस्जिद के पश्चिमी छोर की ओर बढ़ी और वे उनके पीछे गए। लोग एक रात की मस्जिद की दिशा से आ रहे थे और पुलिस ने उन्हें वापस जाने का आग्रह किया। भीड़ ने पूछा कि सर्वेक्षण क्यों

हो रहा है और कहा कि वे इसे होने नहीं देंगे। पुलिस और प्रशासन के कोर्ट के आदेशों का पालन करने और अफवाहों से प्रभावित न होने की अपील के बावजूद भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए, मस्जिद की ओर बढ़ी, पुलिस को धक्का दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और भीड़ के पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। कई पुलिस कर्मी घायल हुए और भीड़ मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही थी। लगभग 5,000 मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने मस्जिद को तीन ओर से घेर लिया था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी घटना को रोका। घायल पुलिस और अन्य लोगों को उपलब्ध वाहनों से अस्पताल भेजा गया। उनका मानना है कि दिनांक 19.11.2024 को अधूरा सर्वेक्षण दिनांक 22.11.2024 को सांसद का भाषण और दिनांक 24.11.2024 को भीड़ की कार्रवाइयां इस घटना के लिए ट्रिगर थीं, जो एक पूर्व नियोजित घटना का संकेत देती हैं।

B. ICW-173 श्री अरुण कुमार, जिला संवाददाता, हिंदी चैनल ने शपथ पर बयान दिया कि उन्होंने आयोग को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्शक-148 के रूप में सत्यापित किया गया। उनके शपथ-पत्र और गवाही में उन्होंने कहा कि वे 2017 से हिंदी चैनल के साथ काम कर रहे हैं। दिनांक 19.11.2024 को कोर्ट के आदेशानुसार सर्वेक्षण भीड़ के कारण बाधित हो गया था। दिनांक 22.11.2024 को नमाज के बाद जिया-उर-रहमान बर्क ने मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बाइट दिया। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 7:15 बजे मस्जिद पहुंचे और 7:35 बजे तक सर्वेक्षण टीम अंदर थी। वे बाहर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ घटना को कवर कर रहे थे। सुबह 8:15 बजे पुलिस मस्जिद के पश्चिमी छोर की ओर बढ़ी और वे उनके पीछे गए। लोग एक रात की मस्जिद से आ रहे थे और पुलिस ने उन्हें वापस जाने का आग्रह किया। मुस्लिम भीड़ मस्जिद के आसपास सभी मार्गों पर बढ़ गई। पुलिस के कोर्ट के आदेशों का पालन करने की अपील के बावजूद भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए, पुलिस को धक्का दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और भीड़ के पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और भीड़ मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख

रही थी। उन्होंने कहा कि सर्दियों में सुबह 7:00 बजे बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना, नारे लगाना और पत्थर फेंकना एक पूर्व नियोजित घटना का संकेत देता है। समय पर पुलिस की कार्रवाई के बिना हिंदू-मुस्लिम दंगा या सर्वेक्षण टीम को नुकसान हो सकता था। 28 से 29 पुलिस कर्मी घायल हुए और घायलों को उपलब्ध वाहनों से अस्पताल भेजा गया।

C. ICW-174 श्री भीष्म सिंह देवर, संवाददाता, न्यूज 18 इंडिया चैनल ने गवाही दी कि उन्होंने आयोग को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्शक-149 के रूप में सत्यापित किया गया, साथ में एक पेन ड्राइव जिसे ऑब्जेक्ट प्रदर्शक-4 के रूप में चिह्नित किया गया। उनके शपथ-पत्र में उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण भीड़ के कारण बाधित हो गया था। दिनांक 22.11.2024 को नमाज के बाद जिया-उर-रहमान बर्क ने कई समर्थकों के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिनांक 24.11.2024 को उन्हें सुबह 7:30 बजे कोर्ट के आदेशानुसार सर्वेक्षण के बारे में पता चला और वे मस्जिद पहुंचे। सर्वेक्षण टीम पहले से ही अंदर थी और वे बाहर घटना को कवर कर रहे थे। सुबह 8:15 बजे पुलिस पश्चिमी छोर की ओर बढ़ी और वे उनके पीछे गए। लोग एक रात की मस्जिद से आ रहे थे और पुलिस ने उन्हें वापस जाने का आग्रह किया। प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों ने उल्लेख किया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल सर्वेक्षण किया जा रहा है और उन्हें किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुस्लिम भीड़ बढ़ी, धार्मिक नारे लगाए, पुलिस को धक्का दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और भीड़ के पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। भीड़ मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही थी। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना एक पूर्व नियोजित घटना का संकेत देता है। पुलिस की त्वरित कार्रवाइयों ने एक बड़ी घटना को रोका, सांप्रदायिक दंगे को टाला और सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित निकाला। उन्होंने घटना की रिकॉर्डिंग प्रदान की।

D. ICW-175 श्री ओमवीर सिंह, फोटोग्राफर, हिंदुस्तान अखबार, संभल ने गवाही दी कि उन्होंने आयोग को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्शक-150 के रूप

में सत्यापित किया गया, साथ में एक पेन ड्राइव जिसे ऑब्जेक्ट प्रदर्श क-5 के रूप में चिह्नित किया गया। उनके शपथ-पत्र में उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण भीड़ के कारण बाधित हो गया था। दिनांक 22.11.2024 को श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने नमाज के बाद मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बाइट दिया। दिनांक 24.11.2024 को उन्हें सुबह 7:50 बजे सर्वेक्षण के बारे में पता चला और वे मस्जिद पहुंचे, बाहर घटना को कवर किया। सुबह 8:15 बजे पुलिस पश्चिमी छोर की ओर बढ़ी और वे उनके पीछे गए। लोग एक रात की मस्जिद से आ रहे थे और पुलिस ने उन्हें वापस जाने का आग्रह किया। मुस्लिम भीड़ बढ़ी, धार्मिक नारे लगाए, पुलिस को धक्का दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और भीड़ के पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। भीड़ मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही थी। वे दिनांक 19.11.2024, दिनांक 22.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को मौके पर मौजूद थे, घटनाओं की फोटोग्राफी किया। पुलिस ने बार-बार भीड़ से शांत रहने और कोर्ट के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया लेकिन भीड़ इकट्ठा होती रही। पुलिस की कार्रवाइयों ने एक बड़ी घटना को रोका, सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित निकाला और सांप्रदायिक दंगे को टाला। उनका मानना है कि दिनांक 24.11.2024 की घटना पूर्व नियोजित थी।

E. ICW-176 श्री अभिनव माथुर, स्ट्रिंगर, आज तक न्यूज चैनल, संभल ने गवाही दी कि उन्होंने आयोग को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्श क-151 के रूप में सत्यापित किया गया। उनके शपथ-पत्र में उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण भीड़ के कारण बाधित हो गया था। दिनांक 22.11.2024 को जिया-उर-रहमान बर्क ने नमाज के बाद कई समर्थकों के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिनांक 24.11.2024 को उन्हें सुबह 6:30 बजे सर्वेक्षण के बारे में पता चला और वे 7:15 बजे मस्जिद के मुख्य द्वार के पास पहुंचे। सुबह 7:30 बजे सर्वेक्षण टीम डीएम और एसपी के साथ डाक खाना तिराहा के रास्ते मस्जिद में प्रवेश कर गई। वे अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग करते रहे। सुबह 8:15 बजे पुलिस पश्चिमी छोर की ओर बढ़ी और वे उनके पीछे गए। लोग आ रहे थे और पुलिस ने उन्हें वापस जाने का

आग्रह किया। मुस्लिम भीड़ बढ़ी, धार्मिक नारे लगाए, पुलिस को धक्का दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और भीड़ के पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। भीड़ मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही थी। उन्होंने नोट किया कि केवल कुछ लोगों को सर्वेक्षण की जानकारी थी, फिर भी हजारों लोग इकट्ठा हुए, कई मास्क पहने हुए, पत्थर फेंक रहे थे और नारे लगा रहे थे, जो एक पूर्व नियोजित घटना का संकेत देता है। पुलिस के प्रभावी प्रबंधन ने सांप्रदायिक दंगे को रोका और सर्वेक्षण टीम को पुलिस स्टेशन तक सुरक्षित निकाला। अग्निशमन वाहनों और अन्य ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

F. ICW-177 श्री धर्मेन्द्र सिंह, रिट्रंगर, एनआई चैनल, संभल ने गवाही दी कि उन्होंने आयोग को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्शक-152 के रूप में सत्यापित किया गया। उनके शपथ-पत्र में उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण भीड़ के कारण बाधित हो गया था। दिनांक 22.11.2024 को जिया-उर-रहमान बर्क ने नमाज के बाद कई समर्थकों के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिनांक 24.11.2024 को उन्हें सुबह 7:40 बजे सर्वेक्षण के बारे में पता चला और वे मस्जिद पहुंचे, जहां सर्वेक्षण टीम पहले से मौजूद थी। डाक खाना में रिपोर्टिंग करते समय उन्होंने पुलिस की गतिविधि में वृद्धि देखी। पुलिस पश्चिमी छोर की ओर बढ़ी और उन्होंने एक बड़ी भीड़ देखी। एसपी, एसपी, सीओ और एसएचओ ने भीड़ से कोर्ट के आदेशों का पालन करने और घर लौटने का आग्रह किया। भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए, पुलिस को धक्का दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और भीड़ के पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और भीड़ मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही थी। उन्होंने कहा कि जब वे पहुंचे तब आगजनी हो चुकी थी, जो एक पूर्व नियोजित घटना का संकेत देता है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बिना एक बड़ी घटना, सांप्रदायिक दंगा, या सर्वेक्षण टीम को नुकसान हो सकता था। उन्होंने दिनांक 19.11.2024 के सर्वेक्षण को कवर किया लेकिन दिनांक 22.11.2024 को बर्क के भाषण के लिए मौजूद नहीं थे। दिनांक 24.11.2024 को भीड़ में कुछ अपरिचित चेहरों

से पता चलता है कि उन्हें पहले से बुलाया गया था, जो एक विशिष्ट समुदाय द्वारा नियोजित घटना का संकेत देता है।

G. ICW-178 श्री मोहम्मद मुजम्मिल, रिट्रंगर, टीवी9 भारतवर्ष, संभल ने गवाही दी कि उन्होंने आयोग को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्शक-153 के रूप में सत्यापित किया गया, साथ में एक पेन ड्राइव जिसे ऑब्जेक्ट प्रदर्शक-6 के रूप में चिह्नित किया गया। उनके शपथ-पत्र में उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण भीड़ के कारण बाधित हो गया था। दिनांक 22.11.2024 को जिया-उर-रहमान बर्क ने नमाज के बाद कई समर्थकों के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 8:00 बजे कवरेज के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, जहां सर्वेक्षण टीम काम कर रही थी। सुबह 8:30 बजे उन्हें पश्चिमी छोर से शोर सुनाई दिया और वे नगरपालिका टैंक रोड पर पहुंचे, जहां भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी और हंगामा कर रही थी। एसपी और सीओ संभल ने माइक्रोफोन का उपयोग करके भीड़ से उकसावे से बचने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया। भीड़ ने उनकी अनदेखी की, मस्जिद की ओर बढ़ी और पत्थरबाजी शुरू कर दी, ताकि पुलिस को आंसू गैस का उपयोग करने से रोका जा सके। भीड़ ने सड़क पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया और आग लगा दी। वे अराजकता से बच निकले। उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रयासों ने एक बड़ी घटना को रोका और सर्वेक्षण टीम को दूसरी राह से सुरक्षित निकाला गया, जिससे संभावित नुकसान टल गया।

H. ICW-179 श्री प्रदीप, रिट्रंगर, रिपब्लिक चैनल, संभल ने गवाही दी कि उन्होंने आयोग को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्शक-154 के रूप में सत्यापित किया गया। उनके शपथ-पत्र में उन्होंने कहा कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण भीड़ के कारण बाधित हो गया था। दिनांक 22.11.2024 को जिया-उर-रहमान बर्क ने नमाज के बाद कई समर्थकों के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 7:15 बजे मस्जिद पहुंचे और 7:35 बजे तक सर्वेक्षण टीम अंदर थी। वे बाहर घटना को कवर कर रहे थे। सुबह 8:15 बजे पुलिस पश्चिमी छोर की ओर बढ़ी और वे उनके पीछे गए। लोग एक रात की मस्जिद से आ

रहे थे और पुलिस ने उन्हें वापस जाने का आग्रह किया। मुस्लिम समुदाय की भीड़ बढ़ी, धार्मिक नारे लगाए, पुलिस को धक्का दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और भीड़ के पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और भीड़ मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही थी। उन्होंने कहा कि बड़ी भीड़ पत्थरबाजी, आगजनी में लिप्त थी और मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, पुलिस की अपीलों के बावजूद, जो एक पूर्व नियोजित घटना का संकेत देता है। पुलिस ने बार-बार शांत रहने और कोर्ट के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया और बिना अत्यधिक बल प्रयोग के उचित दंगा नियंत्रण उपायों का उपयोग किया। कुछ दंगाइयों के चेहरों पर स्याही थी।

I. ICW-185 श्री गौरव श्रीवास्तव, वरिष्ठ संवाददाता, टाइम्स नाउ नवभारत, नोएडा ने कहा कि आज आयोग के समन के जवाब में वे कैमरामैन अंकित कुमार के साथ घटना से संबंधित बिना संपादित रिकॉर्डिंग के साथ एक पेन ड्राइव प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे प्रदर्शक-07 के रूप में सत्यापित किया गया। वे 2021 से टाइम्स नाउ नवभारत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वरिष्ठ संवाददाता हैं और दिनांक 22.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को संभल जिले में मौजूद थे। दिनांक 22.11.2024 को शुक्रवार की नमाज के दौरान भारी भीड़ का दबाव था और कई नमाजियों को पुलिस ने जामा मस्जिद में जगह की कमी के कारण प्रवेश करने से रोका। उन्होंने जामा मस्जिद के आसपास छतों पर नमाज अदा करते हुए नमाजियों को देखा। नमाज के बाद संभल के सांसद अपने समर्थकों के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर पहुंचे और मीडिया को संबोधित किया, जैसा कि विभिन्न चैनलों पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। एक स्थानीय नेता के रूप में उनका उद्देश्य यह संदेश देना था कि सर्वेक्षण अन्यायपूर्ण था। दिनांक 24.11.2024 को वे कैमरामैन अंकित के साथ सुबह 5:45 बजे जामा मस्जिद पहुंचे। वे मुख्य द्वार की सीढ़ियों के सामने खड़े थे, तब वहां कोई भीड़ नहीं थी। सुबह लगभग 7:30 बजे सर्वेक्षण आयोग डीएम, एसपी और अन्य के साथ जामा मस्जिद के पास पहुंचा। सर्वेक्षण टीम के प्रवेश करने के बाद लोग मस्जिद के तीन ओर से इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन्हें पीछे जाने की

अनुमति दी और जब तक वे मस्जिद के पीछे पहुंचे तो देखा कि एक बड़ी गुस्साई भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी उन्हें समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ ने “नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हु-अकबर” जैसे धार्मिक नारे लगाने शुरू किए। भीड़ में कुछ लोगों ने चेहरा ढका हुआ था, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने आंसू गैस छोड़े जाने से पहले ही अपने चेहरों को ढक लिया था। पत्थरबाजी और नारेबाजी हुई, भीड़ मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बिना बल प्रयोग के लगातार भीड़ को वापस जाने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी राय में भीड़ में कोई संदेश पहुंचा जिसके कारण वह अचानक अत्यधिक आक्रामक हो गई और पुलिस, प्रशासन और मीडिया कर्मियों को पत्थरबाजी के साथ निशाना बनाना शुरू कर दिया ताकि लाइव कवरेज रोकी जा सके। कुछ पुलिसकर्मियों ने पत्थरबाजी करने वाली भीड़ से कहा कि कम से कम डीएम और एसपी की उपस्थिति का सम्मान करें, जिस पर भीड़ ने जवाब दिया कि लाइव कवरेज बंद करें क्योंकि कई चेहरों दिख रहे थे। पुलिस ने उन्हें हटने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। सार्वजनिक और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई, जिसे उन्होंने कवर किया। कवरेज सुबह से लगभग 11:30-12:00 बजे तक चली। कवरेज के दौरान उन्होंने एक लड़के को देखा जो भीड़ को अपनी मस्जिद समिति का आईडी कार्ड दिखा रहा था, यह कहते हुए कि वह समिति से है, मस्जिद में कुछ गलत नहीं हो रहा है और शांत रहें और वापस चले जाएं। भीड़ ने उस पर पत्थरों से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी मां जो पास में थी, उसके पास आई और पूछने पर आंसुओं के साथ कहा कि ये बाहरी लोग अशांति पैदा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त डीएम और एसपी की उपस्थिति में पत्थरबाजी ने उन्हें महसूस कराया कि भीड़ स्वतः प्रेरित नहीं थी बल्कि उकसावे के कारण इकट्ठा हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप यह हिंसक घटना हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि संभल में बाहरी लोगों को बुलाया गया था। भीड़ की हिंसा और पत्थरों का मस्जिद की परिधि तक पहुंचना यह सुझाव देता है कि उनकी मंशा मस्जिद परिसर में प्रवेश करने, कोर्ट के आदेशानुसार सर्वेक्षण को बाधित करने और सर्वेक्षण टीम को नुकसान पहुंचाने की

थी। पुलिस ने केवल भीड़ को रोकने और पुलिस के घायल होने के बाद उचित बल का उपयोग किया, जिससे उनकी मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिशों को विफल कर दिया गया और संभल में एक बड़ी घटना को प्रभावी नियंत्रण के माध्यम से रोका गया। सर्वेक्षण के बाद जब उन्होंने मस्जिद से सटी गलियों में रिपोर्टिंग की तो कई जगहों पर पत्थरों के ढेर मिले जो संभवतः पत्थरबाजी से बचे हुए थे। उन्होंने पुलिस द्वारा दागे गए आंसू गैस के गोले भी देखे और कवर किए, जिन्हें भीड़ ने उठाकर पुलिस पर वापस फेंक दिया था।

J. ICW-186 श्री अंकित कुमार, कैमरामैन, टाइम्स नाउ नवभारत, नोएडा ने कहा कि वे आयोग के समन के जवाब में साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने दिनांक 22.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 की घटनाओं को श्री गौरव श्रीवास्तव के साथ रिकॉर्ड किया। दिनांक 24.11.2024 को सुबह 5:45 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक उन्होंने श्री गौरव श्रीवास्तव के साथ घटना को रिकॉर्ड किया। वे सुबह 5:45 बजे मस्जिद के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद सर्वेक्षण आयोग की टीम और पुलिस अधिकारी आने लगे। सुबह लगभग 8:00 बजे एक समुदाय के बड़ी संख्या में लोग मस्जिद को घेरकर सर्वेक्षण के खिलाफ नारे लगा रहे थे। भीड़ धीरे-धीरे आक्रामक हो गई। उनकी आक्रामकता देखकर पुलिस अधिकारियों ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं सुना, धार्मिक नारे लगाए, पत्थरबाजी की और आगजनी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उचित बल का उपयोग किया।

मीडिया कर्मियों की प्रत्यक्षदर्शी गवाही का सार यह है कि मीडिया कर्मी दिनांक 19.11.2024 को शाम को मस्जिद परिसर में पहुंचे और हजारों की भीड़ को देखा। भीड़ नारे लगाते हुए मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के पुत्र श्री सुहेल इकबाल भी जामा मस्जिद में मौजूद थे। सर्वेक्षण कार्य माननीय कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा था। बड़ी भीड़ के कारण सर्वेक्षण कार्यवाही बाधित हो गई थी। भीड़ का अनुमान तीन से पांच हजार लोगों के बीच था और यह नमाज का समय नहीं था। जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष ने लोगों को सूचित किया कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है जबकि वादी

पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि भीड़ और नमाज के समय के कारण सर्वेक्षण रुक गया था और सर्वेक्षण के बारे में आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। सांसद श्री बर्क ने बयान दिया कि मस्जिद है और मस्जिद रहेगी और यह आगे कहा गया कि यह हमारा पूजा स्थल रहा है और रहेगा। दिनांक 22.11.2024 को जुमे की नमाज के दिन भीड़ का दबाव काफी था। जामा मस्जिद में सीमित स्थान के कारण पुलिस ने कई नमाजियों को प्रवेश करने से रोका। नमाजी जामा मस्जिद के आसपास की छतों पर नमाज अदा करते हुए भी देखे गए। नमाज समाप्त होने के बाद सांसद श्री बर्क ने मस्जिद की सीढ़ियों से प्रेस और इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित किया। उनका भाषण विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने दोहराया कि मस्जिद है, थी और रहेगी। ये बयान लोगों को प्रभावित कर रहे थे और मस्जिद समिति के अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन श्री बर्क ने उनके हाथ को झटक दिया। एक स्थानीय नेता के रूप में वे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि किया जा रहा सर्वेक्षण अन्यायपूर्ण था। दिनांक 24.11.2024 को सुबह लगभग 07:30 बजे सर्वेक्षण आयुक्त, डीएम, एसपी और अन्य जामा मस्जिद पहुंचे। सर्वेक्षण टीम के मस्जिद में प्रवेश करने के बाद लोग मस्जिद के चारों ओर तीन ओर से इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने मीडिया कर्मियों को मस्जिद के पीछे जाने की अनुमति दी। जब तक वे पीछे पहुंचे एक बड़ी उत्तेजित भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी भीड़ को समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ “अल्लाह-हु-अकबर” और “नारा-ए-तकबीर” जैसे धार्मिक नारे लगा रही थी। भीड़ में कुछ व्यक्तियों ने अपने चेहरों को ढक रखा था और उनमें छोटे बच्चे भी थे, जिन्होंने आंसू गैस छोड़े जाने से पहले ही अपने चेहरों को ढक लिया था। वे पत्थर फेंक रहे थे, नारे लगा रहे थे और बार-बार मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बिना बल प्रयोग के, बार-बार जनता को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ऐसा लगा कि भीड़ में कोई संदेश प्रसारित हुआ, जिसके कारण वह अत्यधिक आक्रामक हो गई। भीड़ ने पुलिस, प्रशासन और मीडिया कर्मियों को पत्थरबाजी के साथ निशाना बनाना शुरू कर दिया ताकि लाइव कवरेज रोकी जा सके। कुछ पुलिसकर्मियों ने पत्थरबाजी करने वाली भीड़ से अपील की कि डीएम और

एसपी मौजूद हैं और कम से कम उनका सम्मान करें। भीड़ ने जवाब दिया, लाइव कवरेज बंद करें क्योंकि कई चेहरों दिख रहे थे। पुलिस ने फिर मीडिया कर्मियों से हटने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। सार्वजनिक और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई और इसे मीडिया कर्मियों ने भी कवर किया। जब भीड़ आक्रामक होकर जामा मस्जिद की ओर बढ़ी, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की में 2-3 पुलिसकर्मी जमीन पर गिर गए। जैसे ही भीड़ जामा मस्जिद के करीब पहुंची, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ ने आंसू गैस के गोलों को उठाकर पुलिस पर वापस फेंक दिया। भीड़ के पीछे से लगातार गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई पुलिसकर्मी घायल दिखे और ऐसा प्रतीत हुआ कि भीड़ किसी भी कीमत पर जामा मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। कवरेज के दौरान यह देखा गया कि एक लड़का, भीड़ को अपनी मस्जिद समिति का आईडी कार्ड दिखाते हुए, कह रहा था, “मैं मस्जिद समिति से हूँ, मस्जिद में कुछ गलत नहीं हो रहा है, कृपया शांत रहें और वापस चले जाएं।” भीड़ ने उस पर पत्थरों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच, उसकी मां, जो पास में थी, उसके पास आई और पूछने पर आंसुओं के साथ कहा कि ये बाहरी लोग अशांति पैदा कर रहे थे। इससे पता चलता है कि संभल में बाहरी लोगों को भी बुलाया गया था। भीड़ की हिंसक प्रकृति, पत्थरबाजी और पत्थरों का मस्जिद की परिधि तक पहुंचना यह सुझाव देता है कि भीड़ की मंशा मस्जिद परिसर में प्रवेश करने, कोर्ट के आदेशानुसार सर्वेक्षण को बाधित करने और सर्वेक्षण टीम को नुकसान पहुंचाने की थी। पुलिस कर्मियों के घायल होने के बावजूद पुलिस ने भीड़ को मस्जिद में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित बल का उपयोग किया, जिससे उनकी कोशिशों को विफल कर दिया गया। इस घटना में, 28-29 पुलिस कर्मी घायल हुए। घटना के दिन घायलों को पुलिस और प्रशासन के लिए उपलब्ध किसी भी वाहन में अस्पताल भेजा जा रहा था। सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित निकाला गया और हिंदू-मुस्लिम दंगे को टाल दिया गया। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद मस्जिद से सटी गलियों में रिपोर्टिंग करते समय कई जगहों पर पत्थरों के ढेर मिले जो पत्थरबाजी से बचे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शी मीडिया कर्मियों ने घटना का वर्णन करते हुए कहा कि सर्दियों में सुबह 07:00 बजे दूर-दराज के स्थानों से हजारों

लोगों का इकट्ठा होना, नारे लगाना, पत्थर फेंकना और मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करना यह दर्शाता है कि यह एक पूर्व नियोजित घटना थी। यदि पुलिस ने इतनी सतर्कता और बुद्धिमानी से कार्रवाई नहीं की होती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। दिनांक 24.11.2024 को भीड़ में ऐसे व्यक्ति देखे गए जो पहले कभी संभल में नहीं देखे गए थे जो तभी संभव है जब उन्हें पहले से सूचित किया गया और बुलाया गया हो। घटनाओं का क्रम दिनांक 19.11.2024 को अधूरे सर्वेक्षण से शुरू हुआ, इसके बाद दिनांक 22.11.2024 को संभल के सांसद द्वारा मस्जिद की सीढ़ियों पर उत्तेजक भाषण दिया गया जो मुस्लिम पक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश दे रहा था, जो इस घटना का प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शी मीडिया कर्मियों की गवाही अन्य व्यक्तियों की गवाही की पुष्टि करती है और इसे भरोसेमंद माना जाना चाहिए।

21. आयोग के समक्ष हिरासत में लिए गए गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

संभल जिले में 12 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 79 हिरासत में लिए गए गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें से ICW 184 श्री जफर अली, अधिवक्ता, सदर जामा मस्जिद, शामिल हैं, जिनके शपथ-पत्र और मौखिक गवाही को जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों की गवाही के साथ रखा गया है। अन्य हिरासत में लिए गए गवाहों के बयान निम्नलिखित हैं:

A. ICW 40. श्री शादाब पुत्र श्री मोहम्मद तनवीर आलम ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि सुबह जब वे बाल विद्या मंदिर स्कूल के पास अपनी दुकान पर जा रहे थे, जहाँ वे लोअर और टी-शर्ट बेचते हैं, पुलिस ने सुबह लगभग 8:30 बजे उनसे पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया। दुकान सुबह 7:30 से 8:00 बजे के बीच खुलती है। उन्हें नहीं पता था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई थी। वे केवल व्हाट्सएप पर दोस्तों से जुड़े हैं और किसी अन्य समूह का हिस्सा नहीं हैं।

B. ICW 41. श्री मोहम्मद रेहान पुत्र श्री शमशाद मिस्त्री ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्हें सर्वेक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे घरेलू सामान खरीदने गए थे और बाजार की गली से लौटते समय पुलिस ने उन्हें घंटाघर के सामने गिरफ्तार कर लिया। वे एक दोस्त की दुकान पर लोअर और टी-शर्ट खरीदने गए थे, लेकिन उन्हें दोस्त का नाम या दुकान का नाम नहीं पता। उन्हें नहीं पता था कि शहर में BNSS की धारा 163 लागू थी।

C. ICW 42. श्री गुलफाम पुत्र श्री मोहम्मद चमन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे अपने घर के सामने गली में खड़े थे, जहाँ पास में एक बकरी चर रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब आयोग ने पूछा कि क्या वहाँ पुलिस मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं और यह भी कहा कि उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंका।

D. ICW 43. श्री सलीम पुत्र श्री यूसुफ ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे कढ़ाई का काम करते हैं। वे तहसील के पास मजदूरी के लिए खड़े थे जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि BNSS की धारा 163 लागू थी। उन्होंने कहा कि भीड़ में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी और उन्हें टीवी पर दिखाए गए पत्थरबाजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के लिए कोर्ट आयुक्त आएंगे।

E. ICW 44. श्री समीर पुत्र श्री लड्डन के पुत्र ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्हें मस्जिद सर्वेक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे अपने चाचा के घर दूध लेने स्कूटर से गए थे, तभी 100-200 लोगों की भीड़ उनकी ओर दौड़ती हुई आई, जिसके कारण वे स्कूटर से गिर गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके चाचा लाल बंदो मोहल्ला में रहते हैं, जो जामा मस्जिद से लगभग 1.5-2 किमी दूर है। उन्होंने किसी को पत्थर फेंकते या नारे लगाते नहीं देखा और उन्हें नहीं पता था कि शहर में BNSS की धारा 163 लागू थी।

F. ICW 45. श्री याकूब पुत्र श्री अच्छन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे दिल्ली में रहते हैं और अपनी पत्नी को उनके मायके से लेने आए थे। वे सर्वेक्षण से

संबंधित किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें पत्थरवाला बाग के पास गिरफ्तार किया गया, जो जामा मस्जिद से लगभग 1-1.5 किमी दूर है। घटना के समय उन्होंने अपनी मकान की तीसरी मंजिल से भीड़ को पत्थर फेंकते देखा। वे अपनी बहन के घर जाने के लिए निकले थे लेकिन भीड़ को देखकर अपनी साली के घर रुक गए। दोपहर लगभग 12:30 बजे पुलिस ने उन्हें चार अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया। वे जींस सिलाई का काम करते हैं। जब वे नीचे उतरे तब भीड़ “अल्लाह-हु-अकबर” के नारे लगा रही थी लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। उस स्थान पर घरों के निर्माण के कारण ईंटें और पत्थर पड़े थे। भीड़ ने अपने चेहरे नहीं ढके थे और उन्होंने किसी के हाथ में हथियार नहीं देखा। उन्हें BNSS की धारा 163 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे अपनी पत्नी और बच्चों को लेने आए थे और अगर उन्हें पता होता तो वे इसका पालन करते। जब वे घर से बाहर निकले तब वहाँ कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। उनकी साली का घर जामा मस्जिद से 1 किमी दूर है। अपनी बहन के घर जाते समय उन्होंने पुलिस और भीड़ को देखा इसलिए वे अपनी साली के घर रुक गए। दिनांक 22.11.2024 को, वे संभल में थे और जामा मस्जिद में नमाज अदा की। दिनांक 19.11.2024 को वे संभल में थे लेकिन शाम की नमाज नहीं पढ़ी। दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद में नमाज के बाद सांसद आए लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने फोन के इंटरनेट पर देखा कि मस्जिद की सीढ़ियों पर एक भाषण दिया गया और सर्वेक्षण होने वाला था।

G. ICW 46. श्री सलमान पुत्र श्री शाहिद हुसैन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे मोहल्ला कोटगर्वी में रहते हैं और नदीम के यहाँ जामा मस्जिद के पास दर्जी का काम करते हैं, कारखाने का कोई विशेष नाम नहीं है। उनकी गिरफ्तारी चक्की का पाट पर हुई, जो उनके घर से आधा किमी और जामा मस्जिद से 1.5 किमी दूर है। दिनांक 19.11.2024 को वे संभल में थे और उन्हें सर्वेक्षण की कोई जानकारी नहीं थी। वे अपने मोहल्ले की राजवाली मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और कभी-कभी शायद महीने में एक या दो बार जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। सुबह 9:00 बजे काम पर जाते समय पुलिस ने उन्हें सुबह 9:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।

H. ICW 47. श्री रेहान अली पुत्र श्री जुल्फिकार ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे रेडीमेड जींस सिलाई का काम करते हैं और उन्हें सांस की बीमारी है। सुबह 10:00 बजे वे फरहान मेडिकल स्टोर पर सांस की पंप लेने गए थे। जब वे निकले, तब कोई भीड़ नहीं थी लेकिन उनके पास एक आंसू गैस का गोला गिरा, जिसके कारण वे गिर गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 22.11.2024 को उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज अदा की। वे नहीं जानते कि संभल का सांसद कौन है। जब आयोग ने पूछा कि क्या उन्होंने उस समय जामा मस्जिद के सदर को देखा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आगे कहा कि 22 तारीख को उन्होंने सुना कि सर्वेक्षण गलत तरीके से हो रहा है और इसका विरोध करना चाहिए। दिनांक 24.11.2024 की घटनाओं का क्रम दिनांक 19.11.2024 से ही शुरू हुआ था।

I. ICW 48. श्री मोहम्मद बाबू पुत्र श्री नजीर के पुत्र ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे अबरार हुसैन के यहाँ किराए के मकान में रहते हैं और एक वाहन पर कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। वे बचपन से संभल में रह रहे हैं और उनकी पांच बेटियाँ हैं, जिनमें से चार की शादी हो चुकी है। वे अपने घर से आधा किमी दूर एक गली में खड़े थे जो जामा मस्जिद से भी आधा किमी दूर है जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। 19, 20 और 21 तारीख को वे रामनगर में एक वाहन में थे। वाहन एक दस टायर वाला ट्रक है, जो संभल और रामनगर के बीच चलता है, जिसका मालिक कपिल सिंघल है और ड्राइवर का नाम इसरार है। उनकी गिरफ्तारी के समय वहाँ एक बड़ी भीड़ थी, और उन्हें उस भीड़ से गिरफ्तार किया गया।

J. ICW 49. श्री मोहम्मद हैदर पुत्र श्री मोहम्मद शाकिर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनका निवास इनायतपुर, शाहजहाँपुर में है, लेकिन वे 3-4 साल से संभल में पढ़ाई के लिए रह रहे हैं। वे राजाये मुस्तफा मस्जिद, कंतोसाराय में रहते हैं और बाजार शाही शंकर चौराहे पर कोचिंग में इंटरमीडिएट और अंग्रेजी बोलने की पढ़ाई करते हैं, जहाँ जुनैद सर पढ़ाते हैं और 10-11 छात्र हैं। वे पढ़ने जा रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024

तक वे संभल में थे और राजाये मुस्तफा मस्जिद में नमाज अदा करते थे। उनके पिता शाहजहाँपुर में दर्जी का काम करते हैं। वे बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,000 रुपये कमाते हैं और कोचिंग के लिए 2,000 रुपये देते हैं। वे संभल में वोट नहीं देते लेकिन शाहजहाँपुर में मतदाता हैं। जब आयोग ने पूछा कि क्या उन्होंने शाहजहाँपुर में वोट दिया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास वोटर आईडी नहीं है।

K. ICW 50. श्री यामीन पुत्र श्री महमूद हसन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे ऑटो चलाते हैं लेकिन उन्हें ऑटो का नंबर याद नहीं है। वे कोटगर्वी में रहते हैं जो जामा मस्जिद से लगभग 1 किमी दूर है। उनका पूरा परिवार नमाज अदा करता है और वे पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं। वे शुक्रवार की नमाज जामा मस्जिद में अदा करते हैं। जब आयोग ने पूछा, “क्या आप 22 तारीख को जामा मस्जिद में नमाज के लिए गए थे और क्या आपको सांसद के आने और सीढ़ियों पर भाषण देने की जानकारी थी?” तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया लेकिन जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वे सीधे घर चले गए। उनकी गिरफ्तारी दोपहर 12:30 बजे उनके घर से हुई, उनके भाई और एक पड़ोसी के साथ।

L. ICW 51. श्री सलीम पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद इस्लाम ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे पेंटिंग का काम करते हैं। विवाद दिनांक 19.11.2024 को शुरू हुआ। उनकी गिरफ्तारी दिनांक 24.11.2024 को दोपहर 1:30 से 2:00 बजे के बीच उनके घर के दरवाजे से हुई। दिनांक 24.11.2024 को एक भीड़ इकट्ठा हुई थी लेकिन वे उसका हिस्सा नहीं थे। वे अपने घर के पास बगियावाली मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और कभी भी जामा मस्जिद में नमाज के लिए नहीं गए। वे अनपढ़ हैं और उन्हें BNSS की धारा 163 की कोई जानकारी नहीं थी। भीड़ और पत्थरबाजी के कारण उन्होंने ऑटो से घर के लिए लंबा रास्ता लिया, जिसमें 15-20 मिनट लगे।

M. ICW 52. श्री आफताब पुत्र श्री मोहम्मद शब्बीर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे एक परिवार की कार चलाते हैं, क्रेटा (पंजीकरण संख्या UP 38 S 1007), अपने नियोक्ता साजिद सैफी के लिए जो दिल्ली दरवाजा के पास रहते हैं, साथ ही अन्य वाहन जैसे इनोवा, बलेनो और फॉर्च्यूनर कुल सात कारें। उनके

नियोक्ता का मुरादाबाद रोड पर टाइल्स का शोरूम है। दिनांक 24.11.2024 को उन्होंने अपने जीवन में ऐसी भीड़ और विवाद कभी नहीं देखा। पुलिस ने उन्हें दोपहर 12:30 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया। वे दिनांक 19.11.2024 को भी संभल में थे।

N. ICW 53. श्री मोहम्मद नदीम पुत्र श्री रशीद ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्हें 25 साल से डायबिटीज और किडनी की समस्या है। उनका घर जामा मस्जिद से 2 किमी दूर है और वे अपने घर के पास हाजी सलीम अली मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। उन्हें सर्वेक्षण के बारे में तब पता चला जब वह हो चुका था। 22 तारीख की रात को उन्होंने सुना कि मस्जिद में सर्वेक्षण हो रहा है। उन्होंने यह भी सुना कि नखासा चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हुई थी और विवाद हुआ जो 19 तारीख से शुरू हुआ और 24 तारीख तक जारी रहा। उन्होंने सुबह 10:00 बजे टीवी पर देखा कि पत्थरबाजी हो रही थी।

O. ICW 54. श्री फिरोज पुत्र श्री वाहिद हुसैन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक वे संभल में थे। वे तहसील के पास राजवारी मस्जिद के पास जन सेवा केंद्र में काम करते हैं और राजवारी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, जामा मस्जिद में नहीं जाते क्योंकि यह दूर है। वे दोपहर 12:00 बजे चक्की पर नाश्ता लेने आए थे और वहाँ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 20 तारीख तक सर्वेक्षण की कोई जानकारी नहीं थी। उनके मोहल्ले का सलमान भी गिरफ्तार हुआ था। उन्होंने कहा कि 24 तारीख जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी।

P. ICW 55. श्री फरदीन पुत्र श्री सलाउद्दीन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्होंने 19 तारीख को नमाज अदा की और हमेशा शुक्रवार की नमाज पढ़ते हैं। वे तहसील पर एक गारमेंट्स की दुकान में काम करते हैं जो जामा मस्जिद से 2 किमी दूर है। दुकान सुबह 7:00 बजे खुलती है। घटना के दिन माहौल तनावपूर्ण था और भीड़ इकट्ठा हो रही थी इसलिए दुकानें बंद कर दी गईं।

Q. ICW 56. श्री मोहम्मद तहजीब पुत्र श्री शराफत ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनका भाई वाहन लेने के लिए मुजफ्फरनगर गया था इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके मोहल्ले का याकूब भी गिरफ्तार हुआ था। वे कभी-कभी जामा मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और अभी भी नहीं जानते कि सर्वेक्षण हुआ था।

R. ICW 57. श्री नईम पुत्र श्री पूतन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे दिल्ली में फल बेचते हैं और अपनी बहन और भाई की शादी के लिए संभल आए थे, जो 25.11.2024–26.11.2024 को निर्धारित थी। सर्वेक्षण के कारण भीड़ इकट्ठा हुई थी और पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 19.11.2024 को उन्होंने अपने मोहल्ले की हुसैनवाली मस्जिद में नमाज अदा की, जो जामा मस्जिद से 1.5 किमी दूर है। वे 28 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और वहाँ वोट देते हैं। वे दिनांक 19.11.2024 को अपनी पत्नी और छह बच्चों के साथ दिल्ली से संभल आए थे, तब तक सर्वेक्षण हो चुका था।

S. ICW 58. श्री फैजान पुत्र श्री इकबाल हुसैन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे चौधरी सराय, संभल में रहते हैं, जो जामा मस्जिद से 3 किमी दूर है। घटना के दौरान वे अपने गोदाम में थे और सुबह 8:00 बजे उन्हें पता चला कि एक घटना हुई थी। गोदाम उनके घर से 3 किमी दूर है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। वे पुलिया वाली मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा करते हैं। वे 19, 22, 24 और 28.11.2024 को संभल में थे। उन्होंने सुबह 6:30 बजे गोदाम का शटर खोला, वह नारियल बेचते हैं। जब सुबह 8:00 बजे स्थिति बिगड़ गई, तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। उन्हें BNSS की धारा 163 की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें बताया गया कि जामा मस्जिद के पास भीड़ थी और लोग गोदाम के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने अखबार में पढ़ा कि जामा मस्जिद पर भीड़ थी, दंगा हुआ और चार लोग मारे गए।

T. ICW 59. श्री आमिर पुत्र श्री इरफान ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे एक ट्रक पर कंडक्टर के रूप में काम करते हैं और उनके पिता ड्राइवर हैं। 19 से 24 तारीख तक वे संभल में अपने घर पर थे। घटना के दिन वे घर पर थे। उनकी माँ ने

उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। 19 तारीख से उनकी माँ ने उन्हें घर पर रखा था। वे एक मीनार वाली मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। उनका घर जामा मस्जिद से 1.5 किमी दूर है। दिनांक 19.11.2024 से शहर में डर था कि जामा मस्जिद पर दंगा होगा।

U. ICW 60. श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री अमानत हुसैन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि 19 तारीख को पहले सर्वेक्षण के दौरान वे जामा मस्जिद पर अपनी दुकान पर थे, जिसके लिए वे 2,000 रुपये प्रति माह किराया देते हैं। यह एक लकड़ी की दुकान है लेकिन उन्हें नहीं पता कि वारसी जिम पर लगे सीसीटीवी कैमरे भीड़ ने तोड़े या नहीं। वारसी जिम के सामने भारी अशांति थी लेकिन उन्हें पत्थरबाजी के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। उनकी माँ ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। उनकी शादी दिसंबर में थी और वे निमंत्रण पत्र बाँट रहे थे इसलिए उन्हें और विवरण नहीं पता।

V. ICW 61. श्री अजीम पुत्र श्री खलील अहमद ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनका घर जामा मस्जिद से लगभग 20 किमी दूर है। वे हाजी रजा के यहाँ चाँदी की पन्नी बनाने का काम करते हैं। दिनांक 24.11.2024 को वे दुकान जा रहे थे और एक गली में खड़े थे जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नहीं पता कि लोग ईंटें और पत्थर कहाँ से लाए। वे 24 तारीख की अशांति में घायल हो गए, पुलिस की गोली से उनकी जाँघ में एक छर्रा लगा, जब वे गली में अकेले खड़े थे। वहाँ एक बड़ी भीड़ थी लेकिन वे अकेले खड़े थे। भीड़ दूसरी दिशा से उनकी ओर दौड़ रही थी। उन्हें नहीं पता कि भीड़ ने देसी बम या पिस्तौल का उपयोग किया या नहीं। दिनांक 22.11.2024 को वे शुक्रवार की नमाज के लिए जामा मस्जिद गए थे। जब आयोग ने पूछा कि वहाँ क्या चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता, फिर स्पष्ट किया कि उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी बल्कि बाजार में एक अन्य मस्जिद में पढ़ी, जिसका नाम उन्हें नहीं पता।

W. ICW 62. श्री हसन पुत्र श्री इरफान ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे दिल्ली में साइनेज बोर्ड बनाते हैं। दिनांक 24.11.2024 को सुबह 10:00 बजे उनकी बांह में गोली लगी, जो आर-पार हो गई। उनके पिता का निधन हो चुका था और वे

20वें दिन की रस्म के लिए किसी को बुलाने जा रहे थे। भगदड़ के दौरान गोली लगी और उनका मानना है कि पुलिस ने उन्हें गोली मारी क्योंकि पुलिस 60 मीटर दूर थी। उन्होंने अपने सामने एक व्यक्ति को घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा देखा, जिसे पुलिस ने लात मारी और वह मर गया। वे गोली लगने से आधा घंटा पहले दिल्ली से आए थे। गोली उन्हें जामा मस्जिद से आधा किमी दूर लगी। पुलिस उन्हें टीएमयू अस्पताल ले गई और भर्ती कराया। दिनांक 13.12.2024 को असमौली के सीओ के साथ आए किसी व्यक्ति जिसका नाम उन्हें नहीं पता, ने उन्हें धमकी दी कि उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है और अगर वे जेल से बाहर आए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी लेकिन जेल में वे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने इसकी शिकायत किसी से नहीं की।

X. ICW 63. श्री शारिक पुत्र श्री मोहम्मद शाहिद ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्होंने जामा मस्जिद पर 400-500 लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देखी, इसलिए वे वहाँ गए। सर्वेक्षण के कारण भीड़ इकट्ठा हुई थी। वे लगभग पांच मिनट तक भीड़ में खड़े रहे। उस समय सीओ लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सीओ के समझाने के बाद, कुछ लोग चले गए जबकि अन्य रुक गए। उनका घर जामा मस्जिद से 1-1.5 किमी दूर है। वे प्लंबर के रूप में काम करते हैं और उनके पिता मजदूरी करते हैं।

Y. ICW 64. श्री तनवीर पुत्र श्री यासीन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे जींस सिलाई का काम करते हैं। 24 तारीख को जब पत्थरबाजी और दंगे हुए, वे घर पर थे। उन्हें नहीं पता कि पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। उन्हें जामा मस्जिद के सदर के बारे में नहीं पता और वे अपनी मस्जिद की देखभाल करते हैं।

Z. ICW 65. श्री अजहर पुत्र श्री सफीउद्दीन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे नोएडा में रहते हैं और वहाँ नमाज अदा करते हैं। वे एसी मरम्मत का काम करते हैं। सितंबर में एक बाइक दुर्घटना के कारण वे संभल आए थे। घटना के एक महीने बाद 40 पुलिसकर्मी उनके घर आए और उन्हें ले गए। वे दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में थे। जब दंगा हुआ, वे घर पर लेटे थे और वहीं से गिरफ्तार किए गए। उनका घर जामा मस्जिद से लगभग 1 किमी दूर है।

AA. ICW 66. श्री राजू उर्फ मुस्तफा हसन पुत्र श्री अकील ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनका घर जामा मस्जिद से लगभग 1-1.5 किमी दूर है। उनका मोबाइल नंबर 8449838371 है। वे राजमिस्त्री का काम करते हैं। वे चंदू भाई के घर पर काम कर रहे थे, जो उनके घर से 1 किमी दूर है, उन्हें सुबह 11:00 बजे पता चला कि विवाद हुआ था लेकिन उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शाम तक काम किया और फिर घर चले गए। दो दिन बाद वे फिर से काम पर गए। वे गौसिया मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, जो उनके घर से 150 कदम दूर है। दिनांक 23.12.2024 को 35-40 पुलिसकर्मी आए, दरवाजा खटखटाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नहीं पता कि सर्वेक्षण में किसने बाधा डाली। उनके क्षेत्र का सांसद बर्क साहब हैं।

BB. ICW 67. श्री सुजाउद्दीन उर्फ सज्जू पुत्र श्री शहाबुद्दीन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे एक प्लाइवुड शोरूम और फिटनेस पॉइंट जिम में काम करते हैं। 24 तारीख को सुबह 8:00 बजे वे अपने जिम में थे, जहाँ लड़के व्यायाम कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को देखा और वह बड़ी संख्या में थी। एसआई बाबू भाई ने दो कांस्टेबलों को छत पर जाने की अनुमति मांगी और यह भी अनुमति दी कि उनके साथ बैठे। उन्होंने कांस्टेबलों के साथ एक वीडियो क्लिप भी बनाया। एक बड़ी भीड़ थी, उनके जिम से थोड़ी दूरी पर जहाँ अशांति हुई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

CC. ICW 68. श्री मोहम्मद आजम पुत्र श्री मोहम्मद अतहर खान ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे सिविल इंजीनियर हैं और घरों के नक्शे बनाते हैं। उनका संभल में एक कार्यालय है। दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक वे संभल में अपने घर पर थे। दंगे के दौरान वे भीड़ में मौजूद थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उनके पास आई और उनसे पत्थर फेंकने वालों को रोकने के लिए कहा। उनका पत्थर फेंकने वालों को रोकने का वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद वे घर चले गए। भीड़ में लगभग 400 लोग थे। पत्थरबाजी पीछे से हो रही थी। “नारा-ए-तकबीर” और “अल्लाह-हु-अकबर” जैसे नारे लगाए जा रहे थे। सुबह 9:00-9:15 बजे तक सब कुछ सामान्य था। उन्हें सर्वेक्षण के विरोध के बारे में सटीक

जानकारी नहीं है। भीड़ जामा मस्जिद सर्वेक्षण के कारण इकट्ठा हो रही थी और मस्जिद को घेर रही थी।

DD. ICW 69. श्री जावेद अख्तर पुत्र श्री जाहिद हसन के पुत्र ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे एक डेयरी चलाते हैं, जो सुबह 11:00 बजे खुलती है और रात 11:00 बजे बंद होती है। घटना के दौरान वे दुकान पर गए, लोगों से घटना के बारे में पता चला, उन्होंने दुकान नहीं खोली और घर लौट आए। उन्होंने टीवी पर देखा कि चार लोग मारे गए। विवाद हरि मंदिर के दावे के कारण हुआ। वे अपने घर के पास कुरेशियान मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। दिनांक 19.11.2024 को वे दुकान पर थे और उस दिन सर्वेक्षण और इसके विरोध के बारे में पता चला। उनकी गिरफ्तारी के दिन उनके पिता पुलिस स्टेशन गए लेकिन किसी ने नहीं सुना।

EE. ICW 70. श्री शहाद पुत्र श्री नसीर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे अपनी टैक्सी चलाते हैं। दो महीने पहले उनका किसी के साथ विवाद हुआ था और इसके लिए वे जेल में थे। उन्हें दिनांक 22.11.2024 को रिहा किया गया। उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और सुबह उनका चालान किया गया। 22 से 24 तारीख तक वे जफराबाद में वाहन के साथ थे। यह उनकी दूसरी बार जेल थी।

FF. ICW 71. श्री शोएब पुत्र श्री सरफराज के पुत्र ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे कोटगर्वी में जामा मस्जिद से 20 मीटर दूर रहते हैं। उन्हें सर्वेक्षण के बारे में व्हाट्सएप के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिली लेकिन चूंकि वे पास में रहते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वे एक किराने की दुकान चलाते हैं। दिनांक 24.11.2024 को घटना के दौरान, पुलिस उनके घर के नीचे कैलादेवी रोड पर थी। सब-इंस्पेक्टर ने उन्हें अंदर जाने और वहाँ खड़े न होने के लिए कहा। सुबह 8:00-8:30 बजे पत्थरबाजी शुरू हो गई।

GG. ICW 72. श्री सलीम पुत्र स्वर्गीय श्री रफीक ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे अपनी अर्टिगा टैक्सी चलाते हैं, जो मेरठ से खरीदी गई है तथा संभल और

दिल्ली के बीच चलती है। जामा मस्जिद उनके घर से 1 किमी दूर है। वे वारसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। वे दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में थे। पुलिस ने उन्हें वाहन लोड करते समय गिरफ्तार किया लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्यों। उन्होंने स्वीकार किया कि दंगा हुआ और एक बड़ी भीड़ थी जिसे उन्होंने अपने मोबाइल पर देखा।

HH. ICW 73. श्री असद पुत्र श्री मोहम्मद नबी हसन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे नाई का काम करते हैं। वे दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में थे। उन्होंने सुना कि दिनांक 19.11.2024 को जामा मस्जिद में सर्वेक्षण हुआ था। विवाद दिनांक 19.11.2024 को शुरू नहीं हुआ बल्कि दिनांक 24.11.2024 को हुआ। उन्हें यह जानकारी समाचारों के माध्यम से मिली। उनकी दुकान जामा मस्जिद से लगभग 1,500 मीटर दूर है और विवाद के दौरान खुली थी।

II. ICW 74. श्री दिलनवाज पुत्र श्री शफीक ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनकी मोबाइल रिचार्ज की दुकान कल्कि मंदिर के पास है, जो उनके घर से 200 कदम और जामा मस्जिद से 200 कदम दूर है। उन्होंने दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा की। नमाज के बाद वे घर चले गए। बर्क साहब शायद बाद में मस्जिद आए हों लेकिन उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है कि घटना के दिन चार लोग मारे गए और कई घायल हुए।

JJ. ICW 75. श्री इमरान पुत्र श्री विरासत ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे मोहल्ला कोटगर्वी में एकरतवाली मस्जिद के पास रहते हैं, जो जामा मस्जिद के बगल में है। वे एक कारखाने में जींस सिलाई का काम करते हैं। जामा मस्जिद के पास 2-3 जगहों पर भीड़ इकट्ठा हुई, विवाद हुआ, कुछ वाहनों में आग लगाई गई, कुछ लोग घायल हुए और कुछ की मृत्यु हो गई। उन्होंने इसे नहीं देखा लेकिन इसके बारे में सुना। उन्होंने कहा कि यह घटना गलत थी।

KK. ICW 76. श्रीमती फरहाना पत्नी श्री सुभान ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि घटना के दौरान वे घर पर थीं और उन्हें पता चला कि जामा मस्जिद पर विवाद

हो रहा है और सड़क पर पत्थरबाजी हो रही है। उनके घर पर कैमरे लगे हैं लेकिन उन्होंने बाहर जाकर जाँच नहीं की। उन्हें नहीं पता कि उनके घर का कैमरा टूटा या बचा। वे जन्म से संभल में रह रही हैं। जब पूछा गया कि क्या उन्होंने दिनांक 24.11.2024 से पहले ऐसी कोई घटना देखी थी या नहीं तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता।

LL. ICW 77. श्रीमती रुकैया पत्नी श्री ताहिर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि फरहाना, जिक्रा और वे एक साथ गिरफ्तार की गईं। उनकी उम्र लगभग 50 साल है। उनके पति बीमार हैं और घटना के दिन अपने मोहल्ले में अपनी बहन के घर पर थे। दिनांक 24.11.2024 को पत्थरबाजी हुई लेकिन वे घर के अंदर थीं। पत्थरबाजी एक घर से हो रही थी और जिस घर से यह हो रही थी, वह हुस्ना और जिक्रा का था।

MM. ICW 78. श्रीमती जिक्रा पुत्री श्री सुहेब ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्होंने छत से पत्थर फेंके क्योंकि उनका बच्चा घायल हो गया था। उन्होंने केवल दो पत्थर फेंके। हुस्ना उनकी माँ हैं और वे खाना बना रही थीं। उन्हें नहीं पता कि कितने लोग उनकी छत पर चढ़े।

NN. ICW 79. कुमारी नजराना पुत्री श्री जाहिद ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि हुस्ना बाजी, जिक्रा बाजी, नूरबी भाभी और मरयम चार लोग छत पर थे। वे पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे।

OO. ICW 80. श्री मोहम्मद आमिर पुत्र श्री अंसार अहमद ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे कोटगर्वी में एक शोरूम के ऊपर रहते हैं और जामा मस्जिद के नीचे एक क्रॉकरी की दुकान चलाते हैं। दिनांक 11.01.2025 को पुलिस ने उन्हें शोरूम से गिरफ्तार किया। 19 तारीख की शाम को लोग इकट्ठा हो रहे थे। उनका शोरूम कांच का बना है इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया। दिनांक 24.11.2024 को तेज शोर हुआ। पुलिस और लगभग 2,000 लोग बात कर रहे थे, उन्हें नहीं पता कि इतने लोग कहाँ से आए। दिनांक 22.11.2024 को सांसद ने जामा मस्जिद में भाषण दिया। वे शुक्रवार को बोल रहे थे। उन्हें यह समाचारों से पता चला। उन्होंने कहा कि

यह घटना गलत थी। बहुत नुकसान हुआ और उनकी दुकान का कांच टूट गया, मीटर जल गया।

PP. ICW 81. श्री तहजीब पुत्र श्री समशीर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनके पास एक इस्लामिक समूह है। वे दिल्ली दरवाजा के पास रहते हैं और महताब के गोदाम में स्क्रेप के व्यापार में काम करते हैं। दिनांक 24.11.2024 को वे काम पर गए और पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, फिर चालान किया। घटना के दौरान एक भीड़ इकट्ठा हुई थी लेकिन वे 50 मीटर दूर थे। गोदाम बंद था और शोर और नारेबाजी हो रही थी।

QQ. ICW 82. श्री अजहर अली पुत्र श्री जफर अली ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्होंने घटना के बारे में समाचारों में देखा। घटना के दौरान वे घर पर थे, जहाँ विस्फोट हो रहा था। उनका घर दिल्ली दरवाजा पर है। वे जीस सिलाई का काम करते हैं। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया एक वीडियो दिखाया लेकिन वे किसी को पहचान नहीं सके और उन्हें जेल भेज दिया गया। वे दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में थे। इस घटना में उनका छोटा भाई भी गिरफ्तार हुआ जिसे उन्होंने गलत बताया। उन्होंने यूट्यूब पर लाइव देखा कि पुलिस और लोगों की भीड़ थी, शोर था, लेकिन उन्होंने नारेबाजी नहीं सुनी। उनका घर जामा मस्जिद से 500-600 मीटर दूर है इसलिए वे नहीं देख सके। वे तस्वीरों में नहीं हैं और उन्होंने किसी को पत्थर फेंकते नहीं देखा।

RR. ICW 83. श्री असद पुत्र श्री जफर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे दिल्ली दरवाजा पर रहते हैं और घर पर जीस सिलाई का काम करते हैं। उनका घर जामा मस्जिद से 1 किमी दूर है। 17 तारीख को दो कांस्टेबल उनके घर आए और उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए, फिर कोतवाली भेज दिया। उनका कोई वीडियो नहीं था; उन्होंने कहा कि वे भीड़ के पीछे थे, अपने भाई अजहर अली के साथ। वे दिनांक 19.11.2024 को संभल में थे।

SS. ICW 84. श्री दानिश पुत्र श्री असरार ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे एक होटल में काम करते हैं, जो जामा मस्जिद से 3 किमी दूर है। उनकी गिरफ्तारी संभल में हुई। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि संभल में जो हुआ वह गलत था। वे सुबह 9:00 बजे होटल जाते हैं और रात 12:00 बजे लौटते हैं। जब विवाद हुआ वे होटल में थे। विवाद से पहले होटल खुला था लेकिन इसके कारण बंद हो गया।

TT. ICW 85. श्री सुहेब पुत्र श्री मतलूब ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे मोहल्ला कागजी सराय में रहते हैं और कपड़ा काटने वाला वाहन चलाते हैं। उनका घर सराय मंडी में है, जो जामा मस्जिद से 3 किमी दूर है। 19 तारीख को वे वाहन में थे। दिनांक 24.11.2024 की रात 11:00 बजे वे घर पर सो रहे थे और उन्हें पता चला कि मस्जिद पर दंगा हो रहा है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और जेल भेज दिया।

UU. ICW 86. श्री आलम पुत्र श्री रशीद ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे दर्जी का काम करते हैं। जामा मस्जिद उनके घर से 2-3 किमी दूर है। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। उनका मानना है कि किसी ने उनका नाम लिया होगा, वे विवाद में नहीं थे। उन्होंने स्वीकार किया कि दिनांक 24.11.2024 को विवाद और पत्थरबाजी हुई जैसा कि उन्होंने लोगों से सुना।

VV. ICW 87. श्री मोहम्मद दानिश पुत्र श्री मोहम्मद असलम ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे अपनी ढाबा चलाते हैं, जो जामा मस्जिद से 4 किमी दूर है। 24 तारीख को उन्हें विवाद और दंगे के कारण गिरफ्तार किया गया। दिनांक 24.11.2024 को वे घर पर थे, जो जामा मस्जिद से 4 किमी दूर है, जहाँ पत्थरबाजी हुई।

WW. ICW 88. श्री शाने आलम पुत्र श्री मतलूब ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे ड्राइवर हैं और छह महीने से विजय सैनी के वाहन को उनके खानपान व्यवसाय के लिए चला रहे हैं। दिनांक 24.11.2024 को वे सरथल गाँव से सुबह 11:00 बजे

घर आए, जो संभल से 17 किमी दूर है। उनके बच्चे को गर्म पानी से जलन हुई थी, वे दवा लेने जा रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दवा लेने जाते समय कोई विवाद नहीं था, जो जामा मस्जिद से 1.5-2 किमी दूर था। उन्होंने सुना कि पत्थर फेंके गए। दंगे का स्थान दवा लेने की जगह से 1.5 किमी दूर था।

XX. ICW 89. श्री बाकिर पुत्र श्री शब्बीर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे मोहल्ला कोटगर्वी में रहते हैं, जो जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर है। विवाद के दौरान वे घर पर थे। उनका पूरा परिवार सुबह 10:00 बजे उठता है। उन्होंने कहा कि संभल में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जामा मस्जिद में दिनांक 22.11.2024 को नमाज अदा की। उन्होंने कुछ नहीं देखा और दंगे के बारे में समाचारों से पता चला। उनकी माँ ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया क्योंकि मस्जिद के पास विवाद था।

YY. ICW 90. श्री मुल्ला अफरोज पुत्र श्री असरफ ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि 2017 में नवाब इकबाल और बर्क साहब के बीच विवाद के कारण उन्हें 12 दिनों के लिए जेल में डाला गया था। शारिक साठा उनके मोहल्ले से हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा। गुलाम उनके घर से 500 मीटर दूर रहता है। उन्होंने अखबार से पता चला कि उन पर अयान और बिलाल की हत्या का आरोप है। 17 तारीख को उन्हें कैलादेवी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ उन्होंने एक नोट लिखा और पवन कुमार तथा राज कुमार को दिया, जिनका धारा 151 के तहत चालान हुआ था ताकि वे उनके परिवार को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करें। रात को पुलिस ने उन पर पिस्तौल रखी, सड़क पर कपड़े उतरवाए, दौड़ने को कहा और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। रात 11:00 बजे सीओ अनुज चौधरी ने उनसे पूछताछ की। उन्हें एक जंगल में ले जाया गया, जहाँ पहला वीडियो स्पष्ट न होने के कारण एक और वीडियो रिकॉर्ड किया गया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें नहीं पता कि गुलाम कहाँ है। वे 19 तारीख को संभल में थे। 2017 में उन्होंने इकबाल साहब का समर्थन किया था लेकिन अब वे किसी का समर्थन नहीं करते क्योंकि राजनीति ने उन्हें जेल में डाला। उन्होंने दिनांक 25.11.2024 को अखबार में पढ़ा कि दिनांक 24.11.2024 की हिंसक घटना हुई थी। दिनांक 24.11.2024 को वे एडीएम के घर से लौटने के बाद

घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि स्थिति खराब थी। वे धर्म का ज्यादा पालन नहीं करते और अपने जीवन में कभी जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। गौरव श्रीवास्तव जो क्रिकेट से संबंधित कुछ मामलों की पूछताछ कर रहे थे और खुद को डीएसपी बता रहे थे, ने उनसे पैसे मांगे और जब उन्होंने नहीं दिए, तो उन्हें परेशान किया। जब वे एडीएम के निवास से लौटे तब स्थिति सामान्य थी और कोई पुलिस नहीं थी। उन्हें कभी वाहन चोरी के आरोप में चार्ज नहीं किया गया और उन्हें नहीं पता कि उनका नाम कैसे आया। वे समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं और वे मोहल्ले के विवाद घर पर सुलझाते हैं। उन्होंने लोगों से सुना कि दिनांक 19.11.2024 का सर्वेक्षण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। उन्हें नहीं पता कि दिनांक 24.11.2024 को क्या हुआ। उन्होंने अखबारों के माध्यम से पता चला कि चार लोग मारे गए और दो मौतों का आरोप उन पर है हालांकि उनके परिवारों ने मीडिया में कहा कि पुलिस ने उन्हें मारा।

ZZ. ICW 91. श्री सुफियान पुत्र श्री तुझ्या बाबू ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे चंदौसी रोड पर वाहनों पर पेंटिंग का काम करते हैं। उनका घर जामा मस्जिद से 1.5-2 किमी दूर है। वे मक्का मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। दिनांक 24.11.2024 को दंगे के दौरान उन्होंने कुछ नहीं देखा, वे घर पर थे।

AAA. ICW 92. श्री अनस पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ के पुत्र ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि 02 से 05.11.2024 के बीच, दिल्ली में एक घटना हुई थी, और धनी पक्ष ने उनके बड़े भाई रहमान को गिरफ्तार करवाया। उनका नाम इसमें आया और 6 तारीख की रात को पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा लेकिन वे वहाँ नहीं थे। उन्होंने कहा कि दबाव था और वे एक छोटा मामला दर्ज करेंगे और एक महीने में वे जेल से बाहर होंगे फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में थे। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 9:30 बजे उठे, 9:45 या 10:00 बजे तक नाश्ता किया और दिल्ली रोड पर 8 किमी दूर एक दुकान पर गए। उन्होंने सुना कि विवाद हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि दंगा बड़ा था, चार लोग मारे गए और कई घायल हुए।

BBB. ICW 93. श्री शहबाज उर्फ साजेब उर्फ तिल्लन पुत्र श्री मोहम्मद इकराम ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे मोहल्ला दीपा सराय में रहते हैं और अपने घर के बगल में एक थोक किराने की दुकान पर काम करते हैं, जो जामा मस्जिद से 6 किमी दूर है। दिनांक 19.11.2024 को वे दुकान पर थे और रात को सर्वेक्षण के बारे में पता चला। उन्होंने 2-3 दिन बाद सुना कि सांसद ने दिनांक 22.11.2024 को मस्जिद में नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भाषण दिया था। दिनांक 24.11.2024 को हिंसा हुई, विवाद हुआ, चार लोग मारे गए और पुलिस व अन्य घायल हुए, यह उन्होंने अखबार से पता चला।

CCC. ICW 94. श्री गुलबुद्दीन हिकमतयार पुत्र श्री इकराम ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे मोहल्ला सरायटरीन में रहते हैं, जो जामा मस्जिद से 2-2.5 किमी दूर है और ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। दिनांक 24.11.2024 को दंगे के दौरान वे अपने मोहल्ले, रुकड़ी सराय में थे। उनकी गिरफ्तारी दिनांक 24.11.2024 को दोपहर 3:30 बजे हुई, जब वे नखासा खाने के लिए जा रहे थे। पुलिस समोसे खा रही थी और उन्होंने उन्हें खाने नहीं दिया। उन्होंने पुलिस से कम से कम एक समोसा देने को कहा लेकिन उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे पता था कि सर्वेक्षण के कारण दंगा और पत्थरबाजी हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि दंगा विशेष रूप से सर्वेक्षण के कारण था। उन्होंने अखबार में पढ़ा कि दंगे में चार लोग मारे गए।

DDD. ICW 95. श्री सुल्तान आरिफ पुत्र श्री शफीन अख्तर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे दर्जी का काम करते हैं। उनका घर जामा मस्जिद से 4 किमी दूर है। दिनांक 24.11.2024 को उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पास के ससुराल ले गए। वे घर पर थे और कहीं नहीं गए। उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा की और पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे दंगे में नहीं थे और उनकी कोई तस्वीर या वीडियो नहीं है। पुलिस ने उनके पैर पर डंडे से मारा और जब वे झुके, तो उनके सिर पर मारा। दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण हुआ लेकिन वे घर पर थे। उन्होंने स्वीकार किया कि दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद के पास एक हिंसक भीड़ ने अशांति पैदा की, पुलिस और अन्य लोग घायल हुए और चार लोग मारे गए।

EEE. ICW 96. श्री अलतमश पुत्र श्री जाकिर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उन्हें नहीं पता कि दंगा क्यों हुआ। एक सर्वेक्षण हुआ और वे अपनी बहन की सगाई के लिए सब्जियाँ खरीदने दोपहर 12:30-1:00 बजे सब्जी मंडी गए। उन्होंने अखबार से पता चला कि पत्थरबाजी हुई, चार लोग मारे गए और कई घायल हुए। उनका घर नखासा चौराहे से 2-3 किमी दूर है। उन्होंने हिंदूखेड़ा चौराहे पर भीड़ देखी। वे बाइक पर थे और भीड़ को देखकर रुक गए। पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 24.11.2024 का विवाद सर्वेक्षण के दौरान शुरू हुआ और उन्हें 24 तारीख को हिरासत में लिया गया।

FFF. ICW 97. श्री सुभान उर्फ मुनना पुत्र श्री अब्दुल जब्बार ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे हुसैनी रोड पर बाबुल खान साहब के कोल्ड स्टोरेज पर एक प्लाईवुड की दुकान पर काम करते हैं। उनका घर जामा मस्जिद से 6 किमी दूर है और दुकान उससे थोड़ा और दूर है। दोपहर 1:30 बजे वे अपनी बेटी के लिए दवा लेने गैरतपुरा में डॉ. बिलाल के पास से लौट रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें दिनांक 25.11.2024 को गिरफ्तार कर लिया। वे दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में थे। अफवाहें थीं कि विवाद हो रहा था। क्षेत्र छोड़ने वाले लोगों ने उन्हें बताया कि जामा मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हुई थी और विवाद हो रहा था।

GGG. ICW 98. श्री फैजान पुत्र श्री महफूज ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि दंगे के दौरान वे अपनी दुकान पर थे। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई वह गलत थी।

HHH. ICW 99. श्री रफीउज्जमा उर्फ रफी पुत्र श्री कमरुज्जमा ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनके पिता के पास एक ट्रक है, जिसे एक ड्राइवर चलाता है। उनका घर जामा मस्जिद से 2-2.5 किमी दूर है। दिनांक 19.11.2024 को वे संभल में थे। वे एक पेशेवर क्रिकेटर हैं और उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। वे 17 साल से नमाज अदा कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने घर के सामने मियाँ वाली मस्जिद में नमाज अदा की। दंगे के दिन दिनांक 24.11.2024 को वे अपने घर से 200-300 मीटर दूर अंजुमन चौराहे गए और लौट आए। वहाँ उनकी एक तरस्वीर है। शुरू में कुछ

नहीं था लेकिन फिर वे आगे गए और भीड़ दौड़ने लगी तो वे भी दौड़े। उन्होंने सुना कि अंजुमन चौराहे पर एक शव रखा था और उन्हें लगा कि यह कोई दोस्त या परिचित हो सकता है। वे वहाँ सादिब के साथ थे। उन्हें BNSS की धारा 163 की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर सर्वेक्षण नहीं हुआ होता तो कोई मामला या दंगा नहीं होता।

III. ICW 100. श्री मोहम्मद अकीब पुत्र श्री मोहम्मद मारुफ ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे गुरुग्राम, हरियाणा में बढ़ई का काम करते हैं। उनका घर जामा मस्जिद से लगभग 2 किमी दूर है। वे अपनी बहन की शादी के लिए दिनांक 14.12.2024 को संभल आए थे। दंगे के दिन वे घर पर थे और सुना कि दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद पर विवाद हुआ था। दिनांक 19.11.2024 का सर्वेक्षण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। उन्होंने सांसद का कोई बयान नहीं सुना। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 10:00 बजे उठे और सब्जियाँ खरीदने अंजुमन चौराहे गए। माहौल ठीक नहीं था, दुकानें बंद हो रही थीं और विवाद हो रहा था। इसे देखकर वे लौट आए। इस घटना का क्रम 19 तारीख से शुरू हुआ और 24 तारीख को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान दंगा हुआ, जिसमें चार लोग मारे गए और कई घायल हुए।

JJJ. ICW 101. श्री अदनान पुत्र श्री गुफरान ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे एमजीएम में बीए के छात्र हैं। तुर्क और पठान सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहते हैं। दिनांक 22.11.2024 को उन्होंने वाजिद वाली मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा की। घटना के दिन वे घर पर सो रहे थे और मोबाइल का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ होता तो दंगा नहीं होता।

KKK. ICW 102. श्री मोहसिन उर्फ मोहसीन पुत्र श्री हाजी खुर्शीद ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे चप्पल बेचते हैं। दिनांक 24.11.2024 को दंगे के दौरान वे सुबह 9:00 बजे सो रहे थे। उन्होंने सुबह 11:00 बजे अपनी दुकान लगाई। जब वे घर से निकले तब दंगा हो रहा था। वे खग्गू चौराहे पर सब्जियाँ खरीदने गए और अंजुमन चौराहे से भीड़ को दौड़ते देखा। कुछ ने अपने चेहरे ढके थे और कुछ ने नहीं। जहाँ वे थे, वहाँ कोई गोलीबारी नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों लोगों को दौड़ते देखा। वे 19 से 24

तारीख तक संभल में थे। वे केवल शुक्रवार की नमाज न्यारीयो वाली मस्जिद में अदा करते हैं। उन्हें दिनांक 24.11.2024 को विवाद के बाद सर्वेक्षण के बारे में पता चला। चार लोग मारे गए, लगभग 100 घायल हुए और पुलिस भी घायल हुई जैसा कि उन्होंने मीडिया में सुना।

LLL. ICW 103. श्री मोहम्मद हसनैन उर्फ रहमान नवाज पुत्र श्री अख्तर उर्फ अफसर अली ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनका घर जामा मस्जिद से लगभग 2 किमी दूर है और गोदाम 3 किमी दूर है। उन्होंने पास की मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा की। उन्हें सुबह 11:00 बजे जामा मस्जिद पर दंगे के बारे में पता चला। उन्हें किसी और की जगह गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि दंगाई फरार हैं और जो दंगे में शामिल नहीं थे, वे जेल में हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि दंगा हुआ, जिसे उन्होंने समाचारों में देखा।

MMM. ICW 104. श्री बिलाल उर्फ तप्पर पुत्र श्री हाजी मशरूर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनकी अजमल मदरसा के सामने, उनके घर के पास एक होटल है। दिनांक 24.11.2024 को वे घर पर थे। रात को पुलिस आई और उनके दोनों भाइयों को पुलिस स्टेशन ले गई।

NNN. ICW 105. श्री रेहान पुत्र श्री दूल्हा खान ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे अपने मोहल्ले में ठेले पर सब्जियाँ बेचते हैं। उनका घर जामा मस्जिद से लगभग 2 किमी दूर है। दंगे के दौरान वे बाजार में सब्जियाँ खरीदने गए थे लेकिन कुछ नहीं खरीदा और घर लौट आए। उन्हें दिनांक 19.11.2024 को दोस्तों से सर्वेक्षण के बारे में पता चला। उन्हें दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद के पास दंगे के बारे में बाजार में पता चला। अगले दिन अखबार से पता चला कि चार लोग मारे गए। उनकी गिरफ्तारी 26 तारीख को हुई।

OOO. ICW 106. श्री सुहैल पुत्र श्री छोटे उर्फ मशहूद हुसैन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे चंदौसी मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर में भारी वाहनों की मरम्मत सीख रहे हैं। कार्यस्थल उनके घर से 2 किमी दूर है। उन्हें दिनांक 19.11.2024 के सर्वेक्षण के

बारे में अगली सुबह दिनांक 20.11.2024 को पता चला। दिनांक 24.11.2024 को वे काम पर जा रहे थे, जब उनकी माँ ने उन्हें सुबह 9:30 बजे तहसील के पास डाकघर पर फोन किया, विवाद के बारे में बताया और घर लौटने को कहा। वे सुबह 9:30 बजे तक घर लौट आए। विवाद के बाद वे दोपहर 2:30 बजे नमाज के लिए गए। विवाद में चार लोग मारे गए और कई लोग पत्थरों से घायल हुए। उन्हें नहीं पता कि विवाद क्यों हुआ।

PPP. ICW 107. श्री निहाल पुत्र श्री बाबू उर्फ दिलदार ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनका घर जामा मस्जिद से लगभग 2 किमी दूर है। वे अपने घर से 40 कदम दूर कादरी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और कभी जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े। वे 24 तारीख की घटना में शामिल नहीं थे। वे रात 12:00 बजे तक जागे रहे और सुबह 10:00 बजे उठे। वे दंगे में नहीं थे लेकिन सुना कि हजारों लोग शामिल थे। उन्हें दिनांक 19.11.2024 को होटल पर सर्वेक्षण के बारे में पता चला।

QQQ. ICW 108. श्री वारिश पुत्र श्री फरमान ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे जींस सिलाई का काम करते हैं। वे दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में थे। दिनांक 19.11.2024 को वे दिन में कारखाने में थे और अगले दिन इंस्टाग्राम रील के माध्यम से जामा मस्जिद सर्वेक्षण के बारे में पता चला। दिनांक 24.11.2024 को दंगे में चार लोग मारे गए लेकिन उन्हें घायलों के बारे में नहीं पता। उस दिन वे सुबह 7:30 बजे आपूर्ति खरीदने के लिए ट्रांसपोर्ट गए। सुबह दिल्ली दरवाजा के पास कोई भीड़ नहीं थी। उन्होंने सुबह 6:15 बजे न्यारी वाली मस्जिद में नमाज अदा की और घर चले गए। वे अपनी साली के घर में एक कमरे में थे, विवाद की आवाजें सुन रहे थे और उन्होंने उन्हें डर के कारण अपने घर बुलाया। उन्हें केरी में अपनी मौसी के घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उनके पास उनका वीडियो और फोटो है और उन पर दो हत्याओं का आरोप लगाया। उन्होंने उन पर बंदूक रखी, पांच वीडियो बनाए, उन्हें चुपचाप चलते रहने को कहा और कहा कि वे उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा।

RRR. ICW 109. श्री अरशद पुत्र श्री अख्तर हुसैन ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे दर्जी और मजदूरी का काम करते हैं। उनका घर जामा मस्जिद से 3 किमी दूर है। वे न्यायीयो वाली मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। वे दिनांक 19.11.2024 को संभल में थे और अगली सुबह कारखाने में सर्वेक्षण के बारे में पता चला। दिनांक 24.11.2024 को उन्हें दोपहर 12:00 बजे कारखाने में पता चला कि जामा मस्जिद में सर्वेक्षण हो रहा है, विवाद हो रहा है, कारखाना बंद हो गया और वे घर चले गए।

SSS. ICW 110. श्री मोहम्मद आमिर पुत्र श्री मोहम्मद आसिफ के पुत्र ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे अपने घर के पास सम्मान सईद मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। वे दिनांक 19.11.2024 को घर पर थे। दिनांक 22.11.2024 को उन्होंने कादरी मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा की जो भरी हुई थी। दिनांक 24.11.2024 को वे सुबह 10:00 बजे तक घर पर सो रहे थे और जामा मस्जिद के दंगे में शामिल नहीं थे। उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया।

TTT. ICW 111. श्री अमन पुत्र श्री नशीद ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे 3-4 साल से दिल्ली में कांच का काम कर रहे हैं। उनका घर जामा मस्जिद से 5-6 किमी दूर है। वे अपनी बहन के ससुराल हिंदूपुरखेड़ा गए थे। उनकी तस्वीर दंगे के स्थान पर दिखाई दी, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। वे पत्थर नहीं फेंक रहे थे लेकिन अन्य लोग फेंक रहे थे। कुछ ने अपने चेहरे ढके थे। उनकी तस्वीर हिंदूपुरखेड़ा से है। दिनांक 24.11.2024 को पत्थर फेंके गए और भीड़ थी।

UUU. ICW 112. श्री मोहम्मद नजीर पुत्र श्री हाजी मोहम्मद कासिम ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे हिंदूपुरखेड़ा में रहते हैं और मोहम्मद बदर पाशा के पेट्रोल पंप पर ईंधन वितरण का काम करते हैं। वे पेट्रोल पंप के बगल की मस्जिद में नमाज और शुक्रवार की नमाज अदा करते हैं। वे दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी दिनांक 13.02.2025 को शाम 4:00 बजे एक तस्वीर के आधार पर हुई जिसमें उनका चेहरा मास्क से ढका हुआ दिखाया गया था। लोग अब पेट्रोल पंप से बोतलों में पेट्रोल नहीं लेते।

VVV. ICW 113. श्री समद पुत्र श्री मोहम्मद वसीम ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे नखासा चौराहे पर रहते हैं, जो जामा मस्जिद से 1-1.5 किमी दूर है। वे केरल में एक दुकान पर हेयर विग बनाते हैं। वे 2-3 दिन पहले संभल आए थे। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान नखासा चौराहे पर उनकी तस्वीर ली गई, जब एक भीड़ इकट्ठा हुई थी। वे भीड़ में थे लेकिन उन्हें नहीं पता कि पत्थर फेंके गए या नहीं। वे भीड़ को देखने के लिए नखासा चौराहे गए थे।

WWW. ICW 114. श्री मोहम्मद हसन पुत्र श्री शमीम अख्तर ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि उनका घर जामा मस्जिद से लगभग 5 किमी दूर है, और वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगता है। वे स्थानीय मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और कभी जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। दिनांक 24.11.2024 को वे संभल में थे, खेड़ा गए, भीड़ देखी और लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया कि सर्वेक्षण विवाद की जड़ था।

XXX. ICW 115. श्री गुलाम नबी पुत्र श्री मुख्तार अशरफ ने आयोग के समक्ष बयान दिया कि वे तुर्क समुदाय से हैं। उन्हें एक पुराने मामले के कारण गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ दिल्ली में बाइक चोरी के छह मामले हैं, जो उनका दावा है कि पुलिस ने झूठे दर्ज किए। उनका घर पूर्व सांसद के घर के पास है। उनके दादाजी मस्जिद में पढ़ाते थे और उनका निधन हो चुका है। उनके बड़े भाई मुमताज और छोटा भाई संभल की एक मस्जिद में इमाम हैं। उन्होंने चार साल तक मदरसे में पढ़ाई की और इमाम बनना चाहते थे। दीपा सराय में 12-13 मदरसे हैं। सांसद और विधायक के बीच चुनाव को लेकर तनाव है। हाजी सुहेल ने भी उनके खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया था, जो 2-3 साल पहले खत्म हो गया। वे सुहेल इकबाल को नहीं जानते और उनसे कभी नहीं मिले। शारिक साठा का घर उनके घर से 1 किमी दूर है लेकिन वे उन्हें नहीं जानते, उन्होंने सुना है कि वे वाहन व्यापार करते हैं और तुर्क समुदाय से हैं। उन्होंने शारिक साठा से कभी मोबाइल या जंगी ऐप के माध्यम से बात नहीं की। शारिक साठा की पत्नी और लगभग 11-12 बच्चे घर पर रहते हैं; उनकी पत्नी का नाम रोशन है और उनकी उम्र लगभग 50 साल है। वे यह पुष्टि नहीं कर सकते कि शारिक साठा इस अशांति में शामिल थे या नहीं। उनके मोबाइल में “बॉस” के नाम से

कोई नंबर सेव नहीं है, उनका दावा है कि पुलिस ने इसे सेव किया होगा। वे दिनांक 19.11.2024 या दिनांक 24.11.2024 को संभल में नहीं थे, वे पिछले आठ महीनों से हैदराबाद में थे। पुलिस ने उन्हें मुरादाबाद से गिरफ्तार किया लेकिन वे संभल नहीं गए। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके मोबाइल डेटा की जाँच की जाए ताकि यह देखा जाए कि वे शामिल नहीं थे। उन्हें समाचारों के माध्यम से पता चला कि पुलिस और जनता के बीच विवाद मस्जिद सर्वेक्षण के कारण हुआ था। वे तीन बार जेल जा चुके हैं, जिसमें चार महीने तिहाड़ जेल में बिताए। दिल्ली में उनकी जमानत अधिवक्ता इमरान ने 10,000 रुपये में करवाई थी। संभल में उनका वकील मुरादाबाद का फहीम है, जिसे वे तब से जानते हैं जब से वे आरोपी बने। अधिवक्ता सलमान उनके मोहल्ले से हैं लेकिन उनका वकील नहीं हैं। उन्हें सलमान से व्हाट्सएप के माध्यम से FIR की प्रति मिली। उन्हें जामा मस्जिद में खुदाई की अफवाह के बारे में नहीं पता। उन्होंने वीडियो में लगभग 50,000 की भीड़ देखी, संभल की आबादी बहुत बड़ी है। वे अपने खिलाफ मामलों से परेशान हैं और किसी भी वाहन कटाई की घटना में शामिल नहीं हैं। उनकी कोई तस्वीर नहीं है। उनका मोबाइल सुंदर लाल के पास था और 15 तारीख के बाद के सभी संदेश उसमें हैं। चार लोगों की मौत के बारे में सभी जानते हैं, जो सभी समाचार चैनलों पर दिखाया गया। 19 तारीख को, वे मुरादाबाद के कंथीराम मोहल्ले में अपने घर पर थे। उनका चालान शायद 20 तारीख को जारी किया गया था। दो दिन पहले उन्होंने मुरादाबाद में अपना घर खाली किया और अपने परिवार के साथ संभल आए। उनकी पत्नी का मोबाइल नंबर 9536111491 है, उनका नाम मारिया ताहरीन है, और उनके दो बच्चे हैं, एक आठ साल का लड़का और एक दो साल की लड़की।

YYY. ICW 182. श्री कमरान अकमल पुत्र श्री अहसान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के समक्ष शपथपूर्वक बयान दिया कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस अपराध के लिए जेल में डाला गया। दिनांक 24.11.2024 को जब घटना हुई, वे घर पर थे। पुलिस ने उन्हें किसी और की जगह गिरफ्तार किया। दंगे के दौरान वे घर पर टीवी पर फिल्म देख रहे थे और उनके परिवार ने उन्हें अंदर रखा। उनके क्षेत्र में दंगा

एक से डेढ़ घंटे तक चला। उन्हें दंगे के दौरान लगाए गए नारों के बारे में नहीं पता। एक या दो वाहनों में आग लगाई गई थी। जब आयोग ने पूछा कि क्या उनके दोस्त दंगे में थे और उनके नाम तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया, मोहम्मद सुभान, निहाल और अन्य नाम उन्हें याद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संभल में दंगा गलत था। उनका घर जामा मस्जिद से 1-2 किमी दूर है। दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण हुआ लेकिन अगर यह शांतिपूर्ण ढंग से हुआ होता तो दंगा नहीं होता। भीड़ ने अशांति पैदा की कुछ ने अपने चेहरे ढके थे, पत्थर फेंके गए और आगजनी हुई। उन्होंने टीवी पर अशांति देखी, लेकिन वहाँ नहीं गए।

ZZZ. ICW 183. श्री मोहम्मद कमाल पुत्र श्री मोहम्मद अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दिया कि दंगे के दौरान वे मजदूरी के लिए गए थे। उनका घर जामा मस्जिद से 1-1.5 किमी दूर है। वे अपने घर के पास रजा मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और कभी-कभी जामा मस्जिद में। दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद और संभल के अन्य स्थानों पर भीड़ ने अशांति पैदा की। वे दिनांक 20.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में अपने घर पर थे। उन्होंने कहा कि इस विवाद का कारण सर्वेक्षण था।

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के बयानों की गहन जाँच से पता चलता है कि दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण का विरोध करने वाली एक बड़ी भीड़ थी और यह हिंसा में शामिल थी। उनमें से अधिकांश ने भीड़ में अपनी उपस्थिति से इनकार किया लेकिन उन्हें गैरकानूनी सभा और हिंसा में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो मीडिया कर्मियों द्वारा ली गई उनकी तस्वीरों की पहचान और ड्रोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किया गया।

अध्याय-7

साक्ष्य के अनुसरण में निर्धारण के बिंदु

साक्ष्यों की जांच, रिकॉर्ड/दस्तावेजों के बाद, आयोग इसे उचित समझता है कि सौंपे गए संदर्भ बिन्दु का उत्तर देने से पहले निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को तैयार करे:

1. क्या सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को पूरा हुआ या नहीं?
2. क्या जिला पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 21.11.2024 को शांति समिति की कोई बैठक आयोजित की गई थी?
3. क्या नमाजियों को दिनांक 22.11.2024 को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पर आने और अपनी स्थानीय मस्जिद के बजाय वहां नमाज अदा करने के लिए बुलाया गया था? और क्या संसद सदस्य, श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने दिनांक 22.11.2024 को जुम्मा नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाजियों और मीडिया को संबोधित किया?
4. क्या जामा मस्जिद के सदर, अधिवक्ता श्री जफर अली को दिनांक 23.11.2024 को अदालत परिसर में दिन के दौरान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित सर्वेक्षण की तारीख व समय के बारे में सूचित किया गया था? और क्या जिला प्रशासन ने अतिरिक्त रूप से जामा मस्जिद के सदर, अधिवक्ता श्री जफर अली को दिनांक 23.11.2024 की शाम को अधिवक्ता आयुक्त द्वारा शेष सर्वेक्षण के लिए नोटिस के अनुसरण में सूचित किया?
5. क्या दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान वजूखाना (एब्लूशन टैंक) का पानी निकाला गया था, यदि हां, तो किसके निर्देश पर और किसके द्वारा?
6. क्या 19, 22 और दिनांक 24.11.2024 की तारीखों पर कोई भीड़ किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठी हुई थी और यदि हां, तो किसके उकसावे पर?
7. क्या दिनांक 24.11.2024 की हिंसा की घटना अचानक थी?
8. जामा मस्जिद की इंतेजामिया समिति के सदस्यों, माननीय स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान और स्थानीय विधायक के पुत्र और प्रतिनिधि सुहेल इकबाल के साक्ष्य का मूल्यांकन।
9. दिनांक 24.11.2024 की घटना के पीछे के कारण?

1. क्या सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को पूरा हुआ या नहीं?

दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण की पूर्णता के संबंध में साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण **ICW 125, श्री रमेश सिंह राघव, अधिवक्ता आयुक्त संभल** ने अपने शपथ-पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज में आयोग के समक्ष कहा कि दिनांक 19.11.2024 को उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि, “दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान, स्थानीय सांसद और विधायक के पुत्र, श्री सुहेल इकबाल, लगभग 200 अन्य व्यक्तियों के साथ मस्जिद के अंदर मौजूद थे। सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही थी, और धमकियां दी गईं। इसलिए, सर्वेक्षण कार्यवाही भविष्य में दोबारा आयोजित की जाएगी, और सभी पक्षों को अलग से सूचित किया जाएगा।” इस बिंदु पर, उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 20.11.2024 को उन्होंने डीएम से पुनः सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया, लेकिन कुन्दरकी विधानसभा उपचुनाव के कारण, डीएम ने मना कर दिया। दिनांक 23.11.2024 को उन्होंने डीएम को एक और आवेदन प्रस्तुत किया सर्वेक्षण के लिए, और उसी दिन यानी दिनांक 23.11.2024 को उनकी सहमति पर, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जामा मस्जिद के अध्यक्ष, अधिवक्ता श्री जफर अली को अदालत परिसर में सर्वेक्षण की तारीख और समय के बारे में नोटिस सौंपा और अन्य पक्षों के अधिवक्ताओं को भी सूचित किया। उन्होंने दिनांक 23.11.2024 को जारी किए गए नोटिस की फोटोकॉपी लाई और प्रस्तुत की, जिसमें श्री जफर अली, अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं, जो प्राप्ति का प्रमाण है, जिसे प्रदर्शक-96 के रूप में चिह्नित किया गया। उनके शपथ-पत्र के पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि विधानसभा उपचुनाव की समाप्ति के बाद, उन्होंने दिनांक 23.11.2024 को प्रशासन को एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 24.11.2024 को शेष सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया और उसी पत्र के माध्यम से वादी और प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। **ICW 144, डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जिला मजिस्ट्रेट, संभल** ने अपने शपथ-पत्र में इस बिंदु को स्पष्ट किया और आयोग के समक्ष कहा कि दिनांक 20.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने शेष सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए आवश्यक पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जो उनके उत्तर में अनुलग्नक 5 के रूप में संलग्न है, पुलिस अधीक्षक, संभल ने दिनांक 20.11.2024 के एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मुरादाबाद में

कुन्दरकी विधानसभा के उपचुनाव के कारण, जहां जिला पुलिस तैनात है, दिनांक 20.11.2024 को सर्वेक्षण के लिए पुलिस कर्मी प्रदान करना संभव नहीं है, जो अनुलग्नक-6 के रूप में संलग्न है। यह जानकारी दिनांक 20.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त को दी गई, जो अनुलग्नक-7 के रूप में संलग्न है। दिनांक 23.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने शेष सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए एक और आवेदन प्रस्तुत किया, जो अनुलग्नक-12 के रूप में संलग्न है। इस पत्र की जानकारी दिनांक 23.11.2024 को जामा मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली को प्रदान की गई, जिसमें अनुलग्नक 12 पर उनके हस्ताक्षर हैं। **ICW 171, श्री कृष्ण कुमार, पुलिस अधीक्षक, संभल** ने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव ने पहले दिन के सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद एक नोटिस प्रदान किया जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि सर्वेक्षण दिनांक 20.11.2024 को जारी रहेगा। नोटिस में उल्लेख किया गया कि सर्वेक्षण कार्यवाही दिनांक 19.11.2024 को शाम 6:00 बजे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और अधिवक्ता आयुक्त की उपस्थिति में शुरू हुई। सर्वेक्षण के दौरान सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और विधायक श्री महमूद इकबाल के पुत्र श्री सुहेल इकबाल लगभग 200 अन्य व्यक्तियों के साथ मस्जिद के अंदर मौजूद थे। शाम होने के कारण और इन व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण सर्वेक्षण सुचारु रूप से नहीं किया जा सका। जनप्रतिनिधि और अन्यो ने बार-बार सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाली और धमकियां दीं। इसलिए सर्वेक्षण कार्यवाही भविष्य में दोबारा आयोजित की जाएगी और सभी पक्षों को अलग से सूचित किया जाएगा। उन्होंने दिनांक 20.11.2024 को शेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जो अनुलग्नक 8 के रूप में संलग्न है। शपथ-पत्र के पैराग्राफ-11 के अनुसार, अधिवक्ता आयुक्त को दिनांक 20.11.2024 को सूचित किया गया कि मुरादाबाद में कुन्दरकी विधानसभा उपचुनाव के कारण, जहां जिला पुलिस तैनात है, दिनांक 20.11.2024 को सर्वेक्षण के लिए पुलिस कर्मी प्रदान करना संभव नहीं है, जो अनुलग्नक 9 के रूप में संलग्न है। पैराग्राफ-21 के अनुसार अधिवक्ता आयुक्त ने दिनांक 23.11.2024 को सर्वेक्षण के संबंध में एक नोटिस भेजा और यह जानकारी दिनांक 23.11.2024 को जामा मस्जिद के अध्यक्ष श्री जफर अली को प्रदान की गई, जो अनुलग्नक-19 के रूप में संलग्न है। **ICW 199 श्री विष्णु शर्मा, कैमरामैन, अधिवक्ता आयुक्त** ने आयोग के समक्ष कहा कि मस्जिद के बाहर लगभग 1800-2000 लोग थे और अंदर लगभग 300-400। उनके आने से पहले,

सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क, सुहेल इकबाल, और इंतेजामिया समिति के सदस्य मौजूद थे, भीड़ इकट्ठी की गई थी और वे ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे जिन्हें वह दोहरा भी नहीं सकते हैं। सर्वेक्षण कार्यवाही लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चली और इन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न व्यवधानों के कारण कार्य ठीक से नहीं किया जा सका। अधिवक्ता आयुक्त भी बहुत डरे हुए थे और मस्जिद के सभी तरफ से नारेबाजी और सर्वेक्षण का विरोध करने वाली आवाजें आ रही थीं। अधिवक्ता आयुक्त ने कहा कि या तो भीड़ को हटाया जाए, अन्यथा सर्वेक्षण कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। बाद में यह तय किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में सर्वेक्षण ठीक से हो पाना संभव नहीं था और अंधेरा भी हो रहा था। यह आगे तय किया गया कि शेष सर्वेक्षण कार्य भविष्य में प्रशासन/पुलिस के सहयोग से पूरा किया जाएगा।

आयोग द्वारा श्री जफर अली, अधिवक्ता, जामा मस्जिद के सदर से उनके साक्ष्य के दौरान पूछे गए प्रश्न पर कि “क्या सर्वेक्षण कार्यवाही दिनांक 19.11.2024 को पूरी हुई थी”, उन्होंने उत्तर दिया कि सर्वेक्षण पूरा हो गया था। हालांकि हिंदुस्तान चैनल के एक वीडियो क्लिप दिखाने पर, जिसमें अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को यह कहते हुए देखा व सुना गया कि सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका। श्री जफर ने स्पष्ट किया कि, उनके अनुसार, सर्वेक्षण पूरा हो गया था, लेकिन अधिवक्ता आयुक्त ने कहा था कि इसे दोबारा आयोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, और उन्हें तदनुसार सूचित किया जाएगा। श्री मशहूद अली फारुकी (अधिवक्ता/सचिव, जामा मस्जिद) भी इसकी पुष्टि करते हैं कि दिनांक 19.11.2024 को, उन्हें पता था कि सर्वेक्षण अधूरा था। उपरोक्त गवाहों के साक्ष्यों और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की जांच से, यह स्पष्ट है कि:-

गवाह श्री जफर अली, अधिवक्ता, जामा मस्जिद के सदर ने कहा कि सर्वेक्षण कार्यवाही दिनांक 19.11.2024 को पूरी हो गई थी। हालांकि, हिंदुस्तान चैनल के वीडियो क्लिप देखने के बाद, उन्होंने कहा कि उनके अनुसार सर्वेक्षण पूरा हो गया था, लेकिन अधिवक्ता आयुक्त ने कहा था कि इसे दोबारा आयोजित करने की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें तदनुसार सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि श्री जफर अली को पूरी तरह पता था कि सर्वेक्षण कार्यवाही अधूरी थी। इसके अतिरिक्त, गवाह श्री रमेश सिंह राघव, अधिवक्ता आयुक्त ने दिनांक 19.11.2024 के एक पत्र के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि सर्वेक्षण के दौरान, स्थानीय सांसद, विधायक के पुत्र, और लगभग 200 अन्य

व्यक्ति मस्जिद के अंदर मौजूद थे जो सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे और धमकियां दे रहे थे, जिससे पुनः सर्वेक्षण की आवश्यकता है जिसमें सभी पक्षों को अलग से सूचित किया जाएगा। इस पत्र के अलावा दिनांक 20.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने डीएम को पुनः सर्वेक्षण के लिए एक और पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन कुन्दरकी विधानसभा उपचुनाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जिला मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि दिनांक 20.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने शेष सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए आवश्यक पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन विधानसभा उपचुनाव और पुलिस कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण, किसी अन्य तारीख को तय करने का अनुरोध किया गया। श्री कृष्ण कुमार, पुलिस अधीक्षक, संभल ने भी कहा कि दिनांक 19.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त रमेश राघव ने पहले दिन के सर्वेक्षण के बाद एक नोटिस प्रदान किया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि सर्वेक्षण दिनांक 20.11.2024 को जारी रहेगा लेकिन पुलिस कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण संबंधित पक्षों को सूचित किया गया। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि सर्वेक्षण कार्यवाही दिनांक 19.11.2024 को पूरी नहीं हुई थी और यह सभी पक्षों सहित श्री जफर अली को भी अच्छी तरह ज्ञात था, जैसा कि अधिवक्ता आयुक्त के दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 20.11.2024 के पत्रों में परिलक्षित है। इसके अलावा, श्री जफर अली की अपनी स्वीकारोक्ति कि अधिवक्ता आयुक्त ने कहा था कि सर्वेक्षण दोबारा आयोजित करने की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें सूचित किया जाएगा, स्पष्ट करता है कि उन्हें पूरी तरह पता था कि सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को पूरा नहीं हुआ था। श्री मशहूद अली फारुकी, अधिवक्ता, सचिव, जामा मस्जिद भी पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था कि सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को अधूरा था। श्री विष्णु शंकर जैन, वादी के अधिवक्ता ने भी दिनांक 19.11.2024 को मीडिया को संबोधित करते हुए अधूरा सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया और अधिवक्ता आयुक्त द्वारा आगे सर्वेक्षण के लिए किसी अन्य तारीख तय करने की जानकारी दी। उक्त बाइट विभिन्न चैनलों द्वारा प्रसारित की गई। इसलिए, यह सभी को विशेष रूप से संभल के निवासियों को ज्ञात था कि सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को पूरा नहीं हो सका। सर्वेक्षण की पूर्णता का मुद्दा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिवीजन संख्या चार ऑफ 2025, जामी मस्जिद इंतजामियां कमेटी बनाम हरिशंकर जैन और 12 अन्य में जांचा गया, जिसके पैरा 124 के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि केवल एक सर्वे कमीशन जामा

मस्जिद हेतु न्यायालय द्वारा आदेशित हुआ था, जिसका सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को शुरू हुआ और दिनांक 24.11.2024 को सुबह 11 बजे पूरा हुआ।

2. क्या जिला पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 21.11.2024 को शांति समिति की कोई बैठक आयोजित की गई थी?

पुलिस अधीक्षक के साक्ष्य के अनुसार, दिनांक 19.11.2024 को आयोजित सर्वेक्षण के दौरान व्यवधान और बड़ी भीड़ को देखते हुए और अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव द्वारा जारी दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 20.11.2024 के नोटिस पत्रों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दिनांक 21.11.2024 को कोतवाली संभल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुस्लिम धर्मगुरु, मस्जिद की इंतेजामिया समिति के सदस्य और संभल जिले की पीस कमेटी के सदस्य शामिल थे ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया जा सके। जामा मस्जिद के सदर, इंतेजामिया समिति, अधिवक्ता श्री जफर अली से शांति का अपील करने का आग्रह किया गया। यह भी सूचित किया गया कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू है, जिसका अनुपालन अनिवार्य है। विवादास्पद पोस्टों पर व्हाट्सएप संदेशों को ध्यान में रखते हुए जो बड़ी सभाओं के लिए उकसा रहे थे, पुलिस बल को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। विवादास्पद धार्मिक स्थल के पास लगे कैमरों को पुलिस प्रशासन द्वारा मरम्मत किया गया। शहर के काजी अलाउद्दीन, जामा मस्जिद के सदर श्री जफर अली और जामा मस्जिद के खादिम श्री महशूद अली फारुकी के वीडियो संदेशों को प्रसारित और प्रसारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू है, जो पांच से अधिक लोगों की सभाओं पर प्रतिबंध लगाती है। जनता से अपील की गई कि वे अपनी संबंधित मस्जिदों में नमाज अदा करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, झूठे संदेशों को आगे न भेजें, और अपने शहर और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। शाही जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति ने अपना सहयोग आश्वासन दिया। बैठक की प्रविष्टि कोतवाली संभल की जीडी दिनांक 21.11.2024 में भी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, पंजू सराय चौकी, एकता चौकी और नखासा पुलिस चौकी के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जहां उन्हें शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि

दिनांक 21.11.2024 को आयोजित शांति समिति की बैठक में शांति समिति के सदस्य, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्य, पुलिस अधीक्षक, सीओ, इंस्पेक्टर कोतवाली संभल और अन्य मौजूद थे। इसके अतिरिक्त कोतवाली संभल के अलावा पंजू सराय चौकी, एकता चौकी और नखासा चौकी के प्रभारियों द्वारा प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं ताकि उन्हें सर्वेक्षण की वास्तविक स्थिति के बारे में सूचित किया जाए और शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जाए। परिणामस्वरूप, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्य और प्रमुख व्यक्ति शेष सर्वेक्षण के बारे में पूरी तरह भिन्न थे और उनका सहयोग मांगा गया। बैठक में सभी ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

3. क्या नमाजियों को दिनांक 22.11.2024 को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पर आने और अपनी स्थानीय मस्जिद के बजाय वहां नमाज अदा करने के लिए बुलाया गया था? और क्या संसद सदस्य, श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने दिनांक 22.11.2024 को जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाजियों और मीडिया को संबोधित किया?

अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव के अनुसार, सर्वेक्षण के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष, उनके अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के पुत्र/प्रतिनिधि यानी श्री सुहेल इकबाल 200 से 300 समर्थकों के साथ जामा मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद थे, जहां सर्वेक्षण हो रहा था। उन्होंने बार-बार सर्वेक्षण कार्य में बाधा डाली। जामा मस्जिद परिसर के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसे प्रशासन और जामा मस्जिद के सदर श्री जफर अली द्वारा बार-बार वापस जाने का अनुरोध किया गया। जामा मस्जिद परिसर के अंदर अंधेरा होने के कारण, राजनीतिक हस्तियों द्वारा बाधा और जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के बयान कि नमाज का समय हो गया है, के कारण दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण कार्य रोक दिया गया। अधिवक्ता आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों और जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदर को सूचित किया कि अगले सर्वेक्षण की तारीख और समय बाद में सूचित किया जाएगा। यह श्री जफर अली के साक्ष्य में भी दर्ज है। उसी दिन यानी दिनांक 19.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने सर्वेक्षण के दौरान सामना की गई बाधाओं के बारे में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया। दिनांक

21.11.2024 को दिनांक 19.11.2024 को हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक, संभल ने कोतवाली पुलिस स्टेशन पर मुस्लिम धर्मगुरुओं, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सभी सदस्यों और पीस कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई। उन्हें सूचित किया गया कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू है, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए और दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान बड़ी भीड़ इकट्ठी होने जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्वेक्षण माननीय अदालत के आदेश के तहत आयोजित किया जा रहा है, सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एकता, नखासा और पंजू सराय पुलिस चौकियों पर भी बैठकें आयोजित की गईं, जहां स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों को उक्त बातें सूचित किया गया।

दिनांक 21/22.11.2024 की मध्यरात्रि में, सोशल मीडिया पर संदेश देखे गए, जिसमें “संभल सांसद” और “मन्नत” नामक व्हाट्सएप ग्रुप शामिल थे, जो लोगों को जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पर इकट्ठा होने, केवल जामा मस्जिद पर नमाज अदा करने और अधिक से अधिक धन का योगदान करने के लिए बुला रहे थे। पुलिस ने कुछ पहचाने गए व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की और मुस्लिम धर्मगुरुओं और जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों के वीडियो प्रसारित कराये जो लोगों से अपील कर रहे थे कि वे निकटवर्ती मस्जिदों में नमाज अदा करें और जामा मस्जिद पर इकट्ठा न हों। हालांकि, दिनांक 22.11.2024 को जुम्मा नमाज के लिए अन्य जुम्मे की नमाज की तुलना में भारी भीड़ इकट्ठी हुई, जिसके परिणामस्वरूप मस्जिद के अंदर बैठने का पर्याप्त स्थान नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोग निकटवर्ती छतों पर नमाज अदा करते देखे गए। इस दिन की भीड़ अन्य जुम्मा नमाज दिनों की तुलना में काफी बड़ी थी। स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क, जो आमतौर पर संभल में रहने पर अपने निवास के निकट मस्जिद में नमाज अदा करते थे, दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद पर नमाज के लिए पहुंचे। नमाज के बाद, उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों से प्रेस और इकट्ठे हुए नमाजियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि **“हम अपनी जामा मस्जिद की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और इंशा-अल्लाह, जामा मस्जिद की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक है, मैं और हर कोई हमेशा वहां रहेगा। कोई भी जामा मस्जिद को हमसे नहीं छीन सकता; यह मस्जिद थी, मस्जिद है, और कयामत के दिन तक**

मस्जिद रहेगी, इंशा-अल्लाह।” जब श्री जफर अली द्वारा रोका गया, तब उन्होंने कहा, **“हम पुलिस, प्रशासन या सरकार से डरने वाले नहीं हैं। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर या गुलाम नहीं।”** सांसद के इस संबोधन ने समाज और मीडिया के माध्यम से एक संदेश दिया कि संभल में जामा मस्जिद किसी खतरे में है, जिसके कारण सर्वेक्षण हो रहा है तथा पुलिस/प्रशासन और सरकार की मदद से मस्जिद को छीन लिया जाएगा। दिनांक 23.11.2024 को, पुलिस ने श्री बर्क को शांति भंग की आशंका का हवाला देकर धारा 168 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया।

4. क्या अधिवक्ता श्री जफर अली (सदर, जामा मस्जिद) को दिनांक 23.11.2024 को अदालत परिसर में दिन के दौरान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित सर्वेक्षण के तारीख व समय के बारे में सूचित किया गया था और क्या जिला प्रशासन ने अतिरिक्त रूप से अधिवक्ता श्री जफर अली (सदर, जामा मस्जिद) को दिनांक 23.11.2024 की शाम को अधिवक्ता आयुक्त द्वारा शेष सर्वेक्षण के लिए नोटिस के अनुसरण में सूचित किया?

ICW 125, श्री रमेश सिंह राघव, अधिवक्ता आयुक्त संभल ने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 20.11.2024 को उन्होंने डीएम से पुनः सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया, लेकिन कुन्दरकी विधानसभा उपचुनाव के कारण डीएम ने मना कर दिया। दिनांक 23.11.2024 को उन्होंने डीएम को सर्वेक्षण के लिए एक और आवेदन प्रस्तुत किया, और उनकी सहमति पर उसी दिन यानी दिनांक 23.11.2024 को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जामा मस्जिद के सदर, अधिवक्ता श्री जफर अली को अदालत परिसर में सर्वेक्षण की तारीख और समय के बारे में नोटिस सौंपा और अन्य पक्षों के अधिवक्ताओं को भी सूचित किया। उन्होंने साक्ष्य दर्ज करने के दौरान दिनांक 23.11.2024 को जारी किए गए नोटिस की फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर रखी, जिसमें श्री जफर अली, अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं जो प्राप्ति का प्रमाण है, जिसे प्रदर्श क-96 के रूप में चिह्नित किया गया। अधिवक्ता आयुक्त, श्री रमेश सिंह राघव ने दिनांक 23.11.2024 को एक और पत्र के माध्यम से प्रशासन से शेष निरीक्षण के लिए पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। **ICW 144, डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जिला मजिस्ट्रेट संभल** ने कहा कि दिनांक 23.11.2024 को, अधिवक्ता आयुक्त ने शेष सर्वेक्षण कार्यवाही के लिए एक और आवेदन प्रस्तुत

किया। इस पत्र की जानकारी दिनांक 23.11.2024 को जामा मस्जिद के सदर श्री जफर अली को प्रदान की गई। **ICW 158, डॉ. वंदना मिश्रा, एसडीएम संभल** ने आयोग के समक्ष कहा कि दिनांक 23.11.2024 को जब दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण की जानकारी श्री जफर अली को फोन पर दी गई और अधिवक्ता आयुक्त द्वारा जारी नोटिस प्राप्त करने के लिए आने को कहा गया तो उन्होंने खराब स्वास्थ्य और आने में असमर्थता का हवाला देकर मना कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए वह सीओ संभल के साथ श्री जफर अली के निवास पर गईं, जो जामा मस्जिद से लगभग 300–400 मीटर दूर है, जहां लगभग शाम 6:30 बजे श्री जफर अली को नोटिस सौंपा। उस समय वह नोटिस में उल्लिखित आयोग की कार्यवाही से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने नोटिस दिया और उनके घर से चली गईं। **ICW 1 श्री अनुज कुमार चौधरी, सर्कल ऑफिसर संभल** ने इस बिंदु पर आयोग के समक्ष कहा कि मस्जिद में नमाज 6:00 AM और 1:00 PM पर होती है। इसलिए इंतेजामिया समिति से परामर्श के बाद सर्वेक्षण का समय 7:00 AM तय किया गया। वह, एसडीएम डॉ० वंदना मिश्रा के साथ दिनांक 23.11.2024 को शाम 6:00 PM के बाद इंतेजामिया समिति के सदर के घर गए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदर की सहमति से सर्वेक्षण का समय 7:00 AM पर अंतिम रूप दिया गया।

श्री जफर अली ने स्वयं कहा कि सीओ संभल और एसडीएम संभल उनके घर आए और उन्हें एक नोटिस सौंपा जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण टीम फिर से सर्वेक्षण करना चाहती है। गवाह श्री अनुज कुमार चौधरी, सर्किल ऑफिसर संभल ने कहा कि जामा मस्जिद की इंतेजामिया समिति से परामर्श के बाद सर्वेक्षण का समय 7:00 AM तय किया गया। वह और एसडीएम दिनांक 23.11.2024 की शाम को इंतेजामिया समिति के सदर के घर गए। गवाह डॉ० वंदना मिश्रा, एसडीएम ने कहा कि वह लगभग 6:30 PM पर जफर अली के निवास पर पहुंचीं और नोटिस सौंपा। श्री जफर अली नोटिस में उल्लिखित आयोग की कार्यवाही से पूरी तरह सहमत थे। गवाह श्री रमेश सिंह राघव के बयान और दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि दिनांक 23.11.2024 को, उन्होंने अदालत परिसर में जामा मस्जिद के सदर, अधिवक्ता श्री जफर अली को व्यक्तिगत रूप से सर्वेक्षण की तारीख का नोटिस सौंपा और अन्य पक्षों के अधिवक्ताओं को भी सूचित किया, नोटिस की प्राप्ति का प्रमाण संलग्न और रिकॉर्ड पर रखा

गया। डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जिला मजिस्ट्रेट, संभल और श्री कृष्ण कुमार, पुलिस अधीक्षक, संभल ने भी कहा कि दिनांक 23.11.2024 को जामा मस्जिद के सदर श्री जफर अली को सर्वे के नोटिस की प्रति समय और तिथि सहित प्रदान की गई थी।

यह इंगित करता है कि श्री रमेश सिंह राघव ने दिनांक 23.11.2024 को पहले अदालत परिसर में श्री जफर अली को नोटिस सौंपा, जिसमें सर्वेक्षण की तारीख और समय शामिल था। इसके अतिरिक्त, डीएम के प्रशासनिक आदेशों के तहत डॉ० सुश्री वंदना मिश्रा, एसडीएम और श्री अनुज कुमार चौधरी, सीओ ने अधिवक्ता श्री जफर अली, सदर जामा मस्जिद को उनके निवास पर नोटिस की एक और प्रति सौंपी और उन्हें सर्वेक्षण की तारीख और समय की जानकारी दी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि श्री जफर अली को दिन के दौरान अदालत परिसर में अधिवक्ता आयुक्त द्वारा पहले सूचित किया गया और शाम को डीएम के आदेशों के तहत एसडीएम और सीओ द्वारा फिर से तारीख और समय युक्त नोटिस की प्रति के साथ। यह स्थापित करता है कि श्री जफर अली को दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित सर्वेक्षण के बारे में पूरी तरह तिथि और समय सहित सूचित किया गया था। आगे आयोग श्री जफर अली अधिवक्ता/जामा मस्जिद के सदर के साक्ष्य को झूठा और गढ़ा हुआ पाता है।

5. क्या दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान वजूखाना (एब्लूशन टैंक) का पानी निकाला गया था, यदि हां, तो किसके निर्देश पर और किसके द्वारा? और भीड़ पर इसका प्रभाव?

जामा मस्जिद परिसर में वजूखाना (एब्लूशन टैंक) से पानी निकालने के मुद्दे पर मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों और स्थानीय सांसद के गवाहों ने जोर दिया कि जब पानी निकाला गया तो भीड़ को संदेह हुआ कि टैंक को तोड़ा जा रहा है और खुदाई हो रही है, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई, जिससे दिनांक 24.11.2024 को हिंसक घटना हुई। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शी प्रशासनिक अधिकारियों, इंतेजामिया समिति के सदस्यों सहित इसके सदर और सर्वे कमेटी के अन्य सदस्यों के बयान स्पष्ट करते हैं कि पानी निकालने का आदेश किसने दिया और क्या इसे इस घटना से पहले नियमित रूप से निकाला जाता था? अधिवक्ता श्री जफर अली, सदर, जामा मस्जिद ने कहा कि **‘एसडीएम ने वजूखाना से पानी निकालने का निर्देश दिया लेकिन डीएम और एसपी ने कहा कि इसको लाठी डालकर मापा जा सकते हैं बिना पानी निकाले।**

हालांकि, एसडीएम के आग्रह पर हमने वजूखाना से पानी निकालवाया, जो तेजी से नालियों से बाहर निकला, जिससे जनता में भ्रम हुआ कि खुदाई शुरू हो गई है।' श्री लड्डन खान (नायब सदर, इंतेजामिया समिति) ने कहा, 'बजूखाने का पानी एसडीएम के आदेश पर इसकी गहराई मापने के लिए निकाला गया। तेज बहाव ने जनता में भ्रम पैदा किया कि वजूखाना तोड़ा जा रहा है। वह एसडीएम के साथ थे और उनका कर्मचारी उनके निर्देश पर पानी निकाला।' अधिवक्ता श्री कासिम जमाल ने कहा कि 'एक प्रशासनिक अधिकारी ने पानी निकालने का आदेश दिया, लेकिन पानी निकालते मैंने किसी को नहीं देखा।' अधिवक्ता श्री मशहूद अली फारुकी (सदस्य, इंतेजामिया समिति, शाही जामा मस्जिद) ने कहा कि 'एसडीएम ने मापने के लिए वजूखाने से पानी निकालने का निर्देश दिया, जिसका अध्यक्ष ने विरोध किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है लेकिन समिति के कर्मचारी ने पानी खोला।' श्री जिया-उर-रहमान बर्क माननीय सांसद जो दिनांक 24.11.2024 को मौजूद नहीं थे, ने भी कहा कि 'वजूखाने का पानी निकालने से भ्रम हुआ कि खुदाई हो रही है, जिससे स्थिति बिगड़ी।' प्रशासनिक अधिकारी और अन्य प्रत्यक्षदर्शी जैसे :- डॉ० वंदना मिश्रा ने कहा, 'सर्वेक्षण के दौरान अधिवक्ता आयुक्त ने कहा कि वजूखाना मापने के लिए पानी निकालना आवश्यक है क्योंकि बिना पानी निकाले न वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी और न माप संभव था। अधिवक्ता आयुक्त ने छड़ी से गहराई मापने का सुझाव दिया लेकिन इंतेजामिया समिति अध्यक्ष, जफर अली और अन्य सहमत नहीं हुए। जब पूछा गया कि वजूखाने का पानी कब निकाला जाता है तो जफर अली ने कहा कि इसे हर शुक्रवार नमाज से पहले निकाला और साफ किया जाता है। तब उन्होंने सहमति दी कि इसे निकाला जाए। वजूखाने से पानी निकालते समय श्री जफर अली पान मसाला लाने के बहाने मस्जिद से बाहर चले गए और 30-35 मिनट बाद लौटे। अधिवक्ता मशहूद अली फारुकी और कासिम जमाल भी चले गए और लगभग आधे घंटे बाद लौटे। लौटने पर, जफर अली ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से भीड़ को संबोधित किया कि सब ठीक है। भीड़ चिल्ला रही थी और हंगामा कर रही थी। उन्होंने जफर अली जो मस्जिद के सदर व महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, से भीड़ को शांत कराने का अनुरोध किया। वह मस्जिद की छत पर गए, भीड़ की ओर हाथ लहराया, मुस्कुराये और लौट आए। सर्वेक्षण के बाद, जफर अली ने लाउडस्पीकर से घोषणा की कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है और चिंता की कोई बात नहीं है तथा लोगों से घर जाने का अनुरोध किया, उस समय सुबह

का 10:00-10:30 बज चुका था। जफर अली की घोषणा ने भीड़ को और उत्तेजित कर दिया, जिससे पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी बढ़ गई।' वादी के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने कहा कि 'सर्वेक्षण के दौरान, उन्होंने लड्डन खान और जफर अली से पूछा कि वजूखाने का पानी हमेशा भरा रहता है या कभी निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि इसे हर शुक्रवार निकाला और साफ किया जाता है। उन्होंने कहा कि पानी मौजूद होने से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने सहमति दी कि इसे निकाला जाए। दौराने पानी निकासी, जफर अली चले गए और 35 मिनट बाद लौटे, लाउडस्पीकर से घोषणा की कि सब ठीक है और भीड़ को शांत होने का आग्रह किया, लेकिन भीड़ और उत्तेजित हो गई।' अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव ने कहा कि 'सर्वेक्षण के दौरान इंतेजामिया समिति के सदस्य, जफर अली, लड्डन खान, और आफताब वारसी ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो वे टैंक से पानी निकाल सकते हैं, और पानी तदनुसार निकाला गया।' ICW 199 श्री विष्णु शर्मा, कैमरामैन, अधिवक्ता आयुक्त ने भी आयोग के समक्ष कहा कि 'अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव ने प्रशासन से वजूखाना खाली करने का अनुरोध किया ताकि इसकी फोटोग्राफी भी की जा सके। यह अनुरोध इंतेजामिया समिति को बताया गया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वजूखाने को खाली करना शुरू कर दिया। वजूखाने का निरीक्षण किया गया, लेकिन अत्यधिक कार्ड और कीचड़ के कारण उचित माप, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की जा सकी। जो भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उन्होंने की वह अधिवक्ता आयुक्त को सौंपी गई।'

गवाहों के बयान स्पष्ट करते हैं कि वजूखाना/टैंक का पानी नियमित प्रक्रिया के भाग के रूप में और अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता तथा इच्छा के अनुसार इंतेजामिया समिति की सहमति से निकाला गया, जिसमें इसके सदर, अधिवक्ता जफर अली शामिल हैं। आगे जामा मस्जिद की इंतेजामिया समिति के सदस्यों के बयानों के अनुसार, इसे साप्ताहिक रूप से सफाई के लिए नियमित रूप से निकाला जाता था। इस प्रकार पानी निकासी से जनता में वजूखाना/हौज टूटने के बारे में भ्रम पैदा होने का दावा आधारहीन है। निकासी के दौरान, इंतेजामिया समिति के सदस्यों सहित सदर मस्जिद से बाहर गए और लगभग 30-35 मिनट बाद लौटे और उस समय मस्जिद के चारों ओर केवल भीड़ थी, इसलिए निकासी के बारे में

किसी भ्रम को स्पष्ट करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। श्री जफर अली की लाउडस्पीकर से घोषणा ने पानी क्यों निकाला जा रहा है या टैंक क्षतिग्रस्त नहीं है की पुष्टि नहीं की। जामा मस्जिद की इंतेजामिया समिति के पूरे सदस्यों सहित स्थानीय संसद सदस्य श्री जिया-उर-रहमान बर्क के साक्ष्य, जो इंगित/कहते हैं कि भीड़ वजूखाना/टैंक से पानी निकासी पर भ्रमित हो गई और वे केवल यह जानने के लिए इकट्ठे हुए कि सर्वेक्षण फिर से क्यों किया जा रहा है और भारी पुलिस व्यवस्था का कारण, गढ़ी हुई कहानी प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रमाणित है कि सभी को पता था कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी और जिला प्रशासन ने दिनांक 19.11.2024 को भीड़ इकट्ठी होने के दृष्टिकोण से सावधानीपूर्ण व्यवस्था की थी। आगे किसी भी हिरासत में रखे गए व्यक्ति ने पानी निकासी के संबंध में कोई भ्रम होने का बयान नहीं दिया। घटनाएं इस निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि भीड़ सर्वेक्षण में बाधा डालने के इरादे से इकट्ठी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.11.2024 को हिंसक घटना हुई। आयोग की विचारित राय है कि वजूखाना/टैंक का पानी अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता तथा इच्छा के अनुसार इंतेजामिया समिति की सहमति से निकाला गया, जिसमें जामा मस्जिद के सदर, अधिवक्ता जफर अली शामिल हैं। आगे जामा मस्जिद की इंतेजामिया समिति के सदस्यों के बयानों के अनुसार, इसे साप्ताहिक रूप से सफाई के लिए नियमित रूप से निकाला जाता था।

6. क्या दिनांक 19, 22, और 24.11.2024 की तारीखों पर कोई भीड़ किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठी हुई थी और यदि हां, तो किसके उकसावे पर?

दिनांक 19.11.2024 को माननीय अदालत सिविल जज (सी0डी0) के आदेशों के अनुसरण में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव ने वादी के वकीलों, आधिकारिक प्रतिवादियों तथा जिला प्रशासन, और अधिवक्ता जफर अली, सदर जामा मस्जिद को सूचित किया। श्री जफर अली, अधिवक्ता/सदर जामा मस्जिद ने अपने साक्ष्य में कहा कि वह चंदौसी अदालत परिसर में अपने चैंबर में थे, जब शाम 5:15 बजे, कोतवाली संभल से एक कॉल आया कि जामा मस्जिद का सर्वेक्षण होना है और उन्हें मस्जिद पहुंचने का अनुरोध किया गया। उनके साथ वाहन में उनके पुत्र हैदर अली और दो अन्य अधिवक्ता कासिम जमाल और आफताब अहमद थे। रास्ते में उन्होंने जामा मस्जिद, इंतेजामिया समिति के नायक सदर लड्डन खान को सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया और मस्जिद पहुंचने को कहा। लड्डन

खान ने उन्हें सूचित किया कि वह पहले से ही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं। जामा मस्जिद पहुंचने पर जफर को पता चला कि सचिव मशहूद अली फारुकी, हाजी लड्डन और महमूद खान (कैशियर) मौजूद थे। इस प्रकार उनके बयानों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 19.11.2024 के लिए निर्धारित सर्वेक्षण की जानकारी इन व्यक्तियों के बीच साझा की गई थी। श्री सुहेल इकबाल, स्थानीय विधायक के पुत्र ने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को वह अपने क्षेत्र में थे। दोपहर में एक अधिवक्ता ने कॉल किया और शाम 5:30 बजे सर्वेक्षण आदेश के बारे में सूचित किया, एक पत्रकार ने कॉल किया और सूचित किया कि डीएम और एसपी शाम को सर्वेक्षण के लिए जामा मस्जिद जा सकते हैं। उस समय वह मगरिब की नमाज के लिए जामा मस्जिद पर मौजूद थे। श्री जिया-उर-रहमान बर्क, माननीय सांसद, संभल ने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को वह संभल क्षेत्र में थे। शाम 6:30 से 7:00 बजे के बीच क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सूचित किया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जामा मस्जिद पहुंचे हैं। सर्वेक्षण की जानकारी उन्हें कोटगढ़ी के निवासी नदीम नामक व्यक्ति ने दी। इस प्रकार इन गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि जामा मस्जिद पर शाम दिनांक 19.11.2024 को निर्धारित सर्वेक्षण की जानकारी सामान्य जनता तक पहुंच गई थी। श्री सुहेल इकबाल और श्री जिया-उर-रहमान बर्क का भीड़ के साथ पहुंचना इंगित करता है कि न केवल लोग बल्कि मीडिया व्यक्ति को भी सर्वे होने की जानकारी हो गयी थी और भीड़ का इरादा सर्वेक्षण का विरोध करना था, जैसा कि भीड़ द्वारा लगाए गए नारों तथा मस्जिद के बाहर प्रयोग किए गए शब्दों तथा उनकी गतिविधियों से स्पष्ट है। यह कि प्रशासनिक अधिकारियों और अधिवक्ता जफर अली, जामा मस्जिद के सदर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भीड़ को वापस जाने का अनुरोध किया गया, साथ ही माननीय सांसद और जफर अली द्वारा भीड़ और प्रेस को संबोधित करना, इंगित करता है कि भीड़ का उद्देश्य सर्वेक्षण में बाधा डालना था। यह श्री रमेश सिंह राघव द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भेजे गए दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 20.11.2024 के पत्रों में भी परिलक्षित है। दिनांक 22.11.2024 को जुम्मा नमाज के दिन, अन्य जुम्मा दिनों की तुलना में काफी बड़ी भीड़ जामा मस्जिद पर इकट्ठी हुई। सोशल मीडिया और अन्य संचार चैनलों के माध्यम से जुम्मा नमाज पर भीड़ इकट्ठा करने का आह्वान किया गया, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लगभग 7,000-8,000 लोगों की भीड़ थी, जबकि अन्य जुम्मा नमाज या विशेष अवसरों पर भीड़ आमतौर पर 3,000-4,000 होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभा का उद्देश्य जामा

मस्जिद पर चल रहे सर्वेक्षण के खिलाफ रणनीति बनाना था। जुम्मा नमाज के बाद स्थानीय सांसद का इकट्ठी हुई भीड़ और प्रेस को मस्जिद की सीढ़ियों से संबोधित करने का कार्य और बयान जनता को सुझाव देना था कि उनकी जामा मस्जिद को छीनने का खतरा है और सर्वेक्षण समिति पुलिस की मदद से इसे क्षति पहुंचा सकती है।

एलआईयू रिपोर्ट ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ जुटाने के तथ्य पर प्रकाश डाला। दिनांक 22.11.2024 को इकट्ठी हुई भीड़ और उन्हें प्रदान की गई जानकारी के प्रकाश में दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान जामा मस्जिद पर अप्रत्याशित रूप से बढ़ी भीड़ का अचानक इकट्ठा होना एक महत्वपूर्ण कारक है।

दिनांक 23.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव ने जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वेक्षण की तारीख और समय का उल्लेख था। जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी/सहमति प्राप्त करने के बाद श्री रमेश सिंह राघव ने व्यक्तिगत रूप से जामा मस्जिद सदर अधिवक्ता जफर अली को अदालत परिसर में नोटिस सौंपा। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने सीओ और एसडीएम के माध्यम से शाम को श्री जफर अली को नोटिस की एक और प्रति सुनिश्चित की, इस प्रकार उन्हें सर्वेक्षण की तारीख और समय की पूरी तरह जानकारी हो गयी थी। आयोग के समक्ष बयान के अनुसार श्री जफर अली ने जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों और संभल सांसद, श्री बर्क को फोन पर सर्वे के तिथि और समय से सूचित किया। श्री कासिम जमाल ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 23.11.2024 को लगभग 12:00 AM पर श्री जफर अली ने उन्हें सूचित किया कि सीओ और एसडीएम उनके घर आए थे और कहा कि सर्वेक्षण दिनांक 24.11.2024 को हो सकता है और उन्हें मौजूद रहना है। श्री मशहूद अली फारुकी ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 23.11.2024 की रात 10:00 PM और 11:00 PM के बीच श्री जफर अली ने उन्हें और अन्य समिति सदस्यों को सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया। श्री सुहेल इकबाल ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 23.11.2024 को, लगभग 11:30 PM–12:00 AM पर उनकी मां ने उन्हें फोन दिया, यह कहते हुए कि उनके पिता बात करना चाहते हैं। उनके पिता ने उन्हें दिनांक 24.11.2024 को निर्धारित सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया और निर्देश दिया कि सुबह जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति से मिलें ताकि सर्वेक्षण में सहयोग सुनिश्चित

हो। तदनुसार, दिनांक 24.11.2024 को वह 5:30 AM पर जामा मस्जिद के लिए निकले। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि दिनांक 23.11.2024 की रात को बड़ी संख्या में लोगों को सूचित किया गया कि सर्वेक्षण दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद पर होगा। साक्ष्य यह भी सुझाते हैं कि सुबह भीड़ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में आ रही थी और एक स्थान पर ईंटें और पत्थर इकट्ठा कर रही थी, जो स्पष्ट प्रमाण है कि भीड़ का इरादा सर्वेक्षण को रोकना और सर्वेक्षण टीम को नुकसान पहुंचाना था। एलआईयू और अन्य स्रोतों के माध्यम से पुलिस ने अप्रत्याशित रूप से भारी भीड़ के सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए इकट्ठा होने की आशंका जतायी थी, जिसके लिए वे पूरी तरह सतर्क रहे और विभिन्न स्थानों पर बैरिकेड लगाए। इससे भीड़ जामा मस्जिद पहुंचने से रोकी गई, जिससे भीड़ को यह विश्वास हुआ कि पुलिस सर्वेक्षण में पूरी तरह सहयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त कुन्दरकी विधानसभा उपचुनाव में स्थानीय सांसद के समर्थक की हार, साथ ही सांसद के बयान कि पुलिस और प्रशासन हार के लिए जिम्मेदार हैं और सरकार के आदेशों पर कार्य कर रहे हैं, ने भीड़ और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में धारणा बनाई कि जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण भी सरकार के प्रभाव में आयोजित किया जा रहा है। इससे भीड़ के मन में पूर्व-मौजूद धारणा बनी कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन उनके साथ नहीं हैं और सर्वेक्षण का समर्थन कर रहे हैं और इससे उनकी जामा मस्जिद को क्षति होगी। परिणामस्वरूप, पुलिस भीड़ और सर्वेक्षण टीम के बीच टकराव की स्थिति आ गई। भीड़ का उद्देश्य पुलिस टीम को नुकसान पहुंचाना, जामा मस्जिद पहुंचकर सर्वेक्षण में बाधा डालना और सर्वेक्षण टीम को क्षति पहुंचाना बन गया। परिणामस्वरूप, कई लोग घायल हुए और चार मौतें हुईं।

7. क्या दिनांक 24.11.2024 की हिंसा अचानक थी?

दिनांक 19.11.2024 को संभल में विवादास्पद जामा मस्जिद स्थल के अदालत-आदेशित सर्वेक्षण के दौरान, हजारों की भीड़ को पता चला कि सर्वेक्षण अदालत के आदेश के तहत आयोजित किया जा रहा है। बाद में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से दिनांक 22.11.2024 को जुम्मा नमाज पर अधिकतम भागीदारी/उपस्थिति के लिए व्यापक प्रचार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नियमित शुक्रवार नमाज की तुलना में असामान्य रूप से बड़ी भीड़ हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने रिपोर्ट की कि मस्जिद के अंदर स्थान की कमी के कारण लोग आस-पास की इमारतों की छतों पर नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद, सांसद श्री बर्क

ने मस्जिद की सीढ़ियों से मीडिया और भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वेक्षण अदालत-आदेशित है लेकिन **“कोई भी हमारी जामा मस्जिद नहीं छीन सकता। यह मस्जिद है, मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी। हम इसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं।”** यह संबोधन सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे संभल और देश भर के लोगों को अदालत-आदेशित सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया गया। दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण अधूरा था, जो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से जनता को जानकारी हो गयी थी क्योंकि वादी के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन ने मीडिया बाइट में कहा कि कुछ व्यवधानों के कारण सर्वेक्षण अधूरा था और इसे दोबारा आयोजित किया जाएगा। श्री जफर अली, सदर, जामा मस्जिद ने भी कहा कि अधिवक्ता आयुक्त ने पुनः सर्वे होने की संभावना का उल्लेख किया था। आयुक्त ने दिनांक 19.11.2024 को डीएम और एसपी को लिखित रूप से सूचित किया, दिनांक 20.11.2024 को पुनः सर्वेक्षण की व्यवस्था का अनुरोध किया लेकिन कुन्दरकी विधानसभा उपचुनाव के कारण इसे आयोजित नहीं किया जा सका। दिनांक 23.11.2024 को उपचुनाव परिणामों के बाद, अधिवक्ता आयुक्त ने डीएम से दिनांक 24.11.2024 को 07:00 से 11:00 AM तक सर्वेक्षण का अनुरोध किया। डीएम ने अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था का निर्देश दिया। अधिवक्ता आयुक्त ने जामा मस्जिद, सदर अधिवक्ता जफर अली को दिनांक 23.11.2024 को अदालत परिसर में नोटिस की प्रति प्रदान की और नोटिस की प्राप्ति आयोग के समक्ष साक्ष्य के दौरान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा रखी गई। एसडीएम और सीओ ने शाम को जफर अली, सदर जामा मस्जिद के निवास पर वही नोटिस दिया, जिसमें सर्वेक्षण की तारीख और समय का विवरण है। जफर अली ने सांसद बर्क और इंतेजामिया समिति के सदस्यों को सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया। पुलिस अधीक्षक, संभल के बयान के अनुसार, इस मुद्दे पर आधी रात को सुहेल खान के निवास पर एक बैठक हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने रिपोर्ट की कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में दूर-दराज के क्षेत्रों से ईंट और पत्थर भरकर दिनांक 24.11.2024 की सुबह आ रहे थे। दिनांक 19.11.2024 के सर्वेक्षण के बाद, मुस्लिम समुदाय के नए-नए चेहरे संभल में देखे गए, जिसमें अन्य क्षेत्रों के लोग स्थानीय मदरसों में रह रहे थे। घटना की सुबह सर्वेक्षण शुरू होने से पहले, मुस्लिम समुदाय के सदस्य ईंटें-पत्थर, देशी तमंचे और तलवारों से लैस होकर और यह कहते हुए कि जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि किसी भी हालत में सर्वेक्षण नहीं होने देंगे और

पुलिस भी सर्वेक्षण टीम की रक्षा नहीं कर सकती। इससे यह स्पष्ट है कि जनता सहित सभी संबंधित दिनांक 19.11.2024 से अदालत-आदेशित सर्वेक्षण के बारे में जानकारी थी और अदालत के आदेश से असंतुष्ट होने तथा व्यथित होने के कारण, अन्यो के साथ योजना बनाकर सर्वेक्षण का विरोध करने और सर्वेक्षण टीम को नुकसान पहुंचाने का आशय रखते थे ताकि मस्जिद के परिसर को सर्वेक्षण से रोका जा सके तथा अदालतों और प्रशासन को भी ऐसे आदेश जारी करने से पहले हिंसात्मक संदेश दिया जा सके। दिनांक 23.11.2024 की रात तक मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को दिनांक 24.11.2024 को 07:00 AM से निर्धारित सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया गया था, जिससे वे ईंट-पत्थर और हथियार इकट्ठा कर 08:00-08:30 AM तक मस्जिद पर पहुंचे ताकि सर्वेक्षण का विरोध करें। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि इतनी भारी भीड़ जिसमें सम्भल के बाहर से लोग भी शामिल थे, उनके पास हथियार और पत्थर थे और वह केवल यह जानना चाहते थे कि सर्वे क्यों हो रहा है। जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति और प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों के समर्थन से भीड़ का मनोबल बढ़ा, जिससे दिनांक 24.11.2024 को हिंसक घटना हुई। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दिनांक 24.11.2024 की घटना अचानक नहीं थी।

8. जामा मस्जिद की इंतेजामिया समिति के सदस्यों, माननीय स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के पुत्र और प्रतिनिधि के बयानों का मूल्यांकन?

ICW-184 अधिवक्ता श्री जफर अली, जामा मस्जिद के सदर ने अपने शपथ-पत्र और आयोग के समक्ष बयानों में निम्नलिखित विरोधाभासी तथ्य प्रदान किए:

दिनांक 19.11.2024 को, कासिम जमाल और अधिवक्ता फारुकी ने उन्हें लगभग 4-5 PM पर सर्वेक्षण आयोग आदेश जारी होने के बारे में सूचित किया। जबकि श्री कासिम जमाल, अधिवक्ता जामा मस्जिद ने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 19.11.2024 को जफर भाई ने उन्हें सूचित किया कि जामा मस्जिद के खिलाफ मामला दायर किया गया है, इसलिए वह अदालत के कार्यालय 3:30 PM – 3:45 PM पर गए और फाइल से आदेश पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद वादी के अधिवक्ता से विवाद हुआ। जफर साहब ने भी उन्हें 6 PM पर सूचित किया कि सर्वेक्षण होगा और मौजूद रहने को कहा। श्री जफर अली ने अपने साक्ष्य के दौरान कहा कि दिनांक 19.11.2024 को वह चंदौसी अदालत में थे, जहां लोग चर्चा कर रहे

थे कि जामा मस्जिद से संबंधित मामला दायर किया गया है। वह लगभग 4 PM अदालत गए और अदालत क्लर्क से पूछा, जिसने उन्हें सूचित किया कि मामला दायर किया गया है लेकिन वाद की प्रति नहीं दिखाई। उन्होंने आगे कहा कि कासिम जमाल और फारुकी ने उन्हें सर्वे कमीशन के बारे में सूचित किया, लेकिन यह नहीं बताया कि अधिवक्ता आयुक्त कौन था। वह चंदौसी अदालत परिसर में अपने चैंबर में थे, जब शाम 5:15 बजे कोतवाली संभल से कॉल आया कि जामा मस्जिद का सर्वेक्षण होना है और उन्हें मस्जिद पहुंचना है।

दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण किसी अदालत के आदेश के तहत नहीं बल्कि केवल संभल के डीएम के आदेश पर आयोजित किया गया था। जामा मस्जिद के चारों ओर प्रशासन और पुलिस की बड़ी उपस्थिति देखकर, निकटवर्ती जनता इकट्ठी हुई ताकि जान सकें कि इतनी भारी तादात में पुलिस क्यों तैनात की गई है। संभल के एसडीएम ने मस्जिद परिसर में पानी के टैंक (हौद) से पानी निकालने का आदेश दिया, जो तेजी से नीचे बहा, जिससे जनता में भ्रम हुआ कि टैंक/वजूखाना से पानी खुदाई के लिए निकाला जा रहा है, संभवतः जामा मस्जिद पर कब्जा करने के लिए। जब भीड़ ने संभल के सीओ से जानना चाहा तो उन्होंने उन्हें गाली दी और लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिससे भीड़ ने आत्मरक्षा में पत्थर फेंके। इससे घटना शुरू हुई। सुबह 9:00 बजे, पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और हवा में गोली चलाई; जब भीड़ नहीं बिखरी, तो पुलिस ने सीधे उन पर गोली चलाई, जिससे 4-5 लोगों की मौत हुई। पुलिस गोलीबारी के दौरान, वह डीएम और एसपी संभल के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे और पूरी घटना देखी। वह 20-25 मिनट तक रहे और इस दौरान, भीड़ की ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। उन्होंने भीड़ में किसी को अवैध हथियार, देशी तमंचे आदि से लैस नहीं देखा। श्री बर्क, सांसद से बातचीत के दौरान उन्होंने उन्हें सूचित किया कि सर्वेक्षण अगले दिन फिर होगा, जिस पर उन्होंने पूछा कि जब एक बार पहले ही किया गया तो फिर क्यों हो रहा है। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि सर्वेक्षण डीएम के आदेश पर किया जा रहा है। तब उन्होंने उन्हें कहा कि डीएम और एसपी से बात करके सर्वेक्षण रोकें, जिसे उन्होंने मना कर दिया यह कहते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकते। वह न ही फोन पर चर्चा किए, न ही सर्वेक्षण रोकना चाहते थे। शपथ-पत्र में कहा गया है कि जब भीड़ ने संभल के सीओ से पानी बहाव के बारे में जानना चाहा तो सीओ ने उन्हें गाली दी और लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिससे भीड़ ने आत्मरक्षा में पत्थरबाजी की।

आयोग के समक्ष, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने इसे अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर नहीं लिखा बल्कि अन्यो के कहने पर शपथ-पत्र में शामिल किया। शपथ-पत्र के पैरा 5 और 6 में कहा गया है कि पुलिस ने भीड़ पर सीधी गोलीबारी की, जिससे 4-5 लोगों की मौत हुई। आयोग के समक्ष उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इसके प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं बल्कि हिंसा समाप्त होने के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें घटनाओं के बारे में बताया। हालांकि, शपथ-पत्र में उन्होंने लिखा है कि वह पुलिस गोलीबारी के दौरान डीएम और एसपी के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे और पूरी घटना देखी। टैंक/वजूखाने से पानी निकालने के संबंध में उन्होंने आयोग के समक्ष कहा कि एसडीएम ने हौज/टैंक से पानी निकालने का निर्देश दिया, लेकिन डीएम और एसपी ने सुझाव दिया कि टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बिना पानी निकाले लाठी से मापा जा सकता है। इसके बावजूद, उन्होंने एसडीएम के निर्देश पर टैंक/वजूखाने से पानी निकाला, जिससे जनता में भ्रम हुआ कि मस्जिद में खुदाई शुरू हो गई है। शपथ-पत्र में केवल कहा गया कि संभल के एसडीएम ने मस्जिद के हौज से पानी निकालने का निर्देश दिया था। वह मस्जिद के अंदर थे लेकिन पान मसाला खाने के लिए एक या दो मिनट के लिए बाहर निकले। उन्होंने एक व्यक्ति को पैसे दिए और एक या दो मिनट में वह लौट आए और उस व्यक्ति ने पान मसाला मस्जिद के अंदर पहुंचाया। यदि इकट्ठी हुई भीड़ मस्जिद में प्रवेश करने में सफल हो जाती तो अप्रिय घटना हो सकती थी। दिनांक 19.11.2024 के अदालत के आदेश की निगरानी या रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि श्री विष्णु शंकर जैन, वादी के अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि मामला दिनांक 19.11.2024 को पहले 12:30 PM पर सिविल जज के समक्ष प्रस्तुत हुआ और सुनवाई के दौरान कासिम जमाल अधिवक्ता जामा मस्जिद की ओर से मौजूद थे लेकिन उन्होंने अपना पावर/वकालतनामा दाखिल नहीं किया, अधिवक्ता जफर अली, जो जामा मस्जिद के सदर हैं, वह भी अदालत में मौजूद थे। माननीय अदालत ने धारा 80 सीपीसी के तहत वादी के आवेदन का फैसला करने के बाद, मामला 2 PM पर सर्वे कमीशन और अस्थायी निषेधाज्ञा की सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया। निर्धारित समय पर कासिम जमाल और जफर अली, मस्जिद के अन्य अधिवक्ताओं के साथ अदालत में मौजूद थे और एसआई के विष्णु शर्मा(अधिवक्ता) और डीजीसी (सिविल) श्री प्रिंस शर्मा भी मौजूद थे और कमीशन के लिए आवेदन पर अदालत के आदेश के बाद फाइल अदालत कार्यालय को भेजी गई, जिस पर पैनल

से अधिवक्ता आयुक्त का नाम तय करने के लिए आवश्यक था और इस अवधि के दौरान अधिवक्ता श्री कासिम जमाल ने अहलमद रूम में फाइल छीनने की कोशिश की जहां पर उनके साथ विवाद हुआ।

ICW-159 श्री लड्डन खान, इंतेजामिया समिति के सदस्य, जामा मस्जिद ने अपने शपथ-पत्र और आयोग के समक्ष बयानों में निम्नलिखित विरोधाभासी तथ्य प्रदान किए। शपथ-पत्र के अनुसार, टैंक/वजूखाने का पानी प्रशासन और एसडीएम द्वारा इसकी गहराई मापने के लिए निकाला गया, पानी के तेज बहाव के कारण बाहर की जनता भ्रमित हो गई, यह मानते हुए कि टैंक/वजूखाने को तोड़ा जा रहा है और खुदाई हो रही है, जिससे शोर व नारे मस्जिद के अंदर सुनाई दे रहे थे। आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि एब्लूशन (वजूखाना) का पानी एसडीएम के निर्देश पर निकाला गया और वह एसडीएम के साथ थे। उनका कर्मचारी उनके निर्देश पर पानी का टैंक खोला। उन्होंने भीड़ नहीं देखी, फिर कहा कि भीड़ सभी तरफ नहीं थी बल्कि केवल पीछे नारे लगा रही थी लेकिन शोर के कारण नारे क्या थे सुन नहीं सके।

ICW-168 श्री कासिम जमाल, अधिवक्ता, जामा मस्जिद ने अपने शपथ-पत्र और आयोग के समक्ष बयानों में निम्नलिखित विरोधाभासी तथ्य प्रदान किए। दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण पूरा हो गया। जब उन्होंने अधिवक्ता आयुक्त से दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के लिए अदालत आदेश के बारे में जानकारी मांगी तो बताया गया कि कोई नया आदेश नहीं है लेकिन दिनांक 19.11.2024 का सर्वेक्षण अधूरा था, इसलिए दोबारा आयोजित किया जा रहा है। मस्जिद समिति के अधिवक्ता के रूप में उन्होंने अदालत की अनुमति के बिना सर्वेक्षण का विरोध किया लेकिन उनकी आपत्ति को नजरअंदाज किया गया। अधिवक्ता आयुक्त द्वारा निरीक्षण पूरा करने के बाद अधिवक्ता आयुक्त, वादी और वादी के अधिवक्ता सर्वे स्थल से चले गए। वह मस्जिद समिति सदस्यों के साथ मस्जिद में रहे और एक या दो घंटे बाद जब स्थिति शांत हुई तो वह अपने सहयोगी के साथ घर चले गए। दिनांक 23.11.2024 को सदर, जफर भाई ने उन्हें सूचित किया कि सर्वेक्षण सुबह होगा और मौजूद रहना है। यह उन्हें आधी रात के आसपास बताया गया। दिनांक 19.11.2024 को जफर भाई ने उन्हें सूचित किया कि जामा मस्जिद के खिलाफ मामला दायर किया गया है इसलिए वे लगभग 3:30-3:45 PM अदालत कार्यालय गए। उन्होंने फाइल से आदेश पढ़ने की कोशिश की लेकिन वहां मौजूद वादी के

अधिवक्ता से विवाद हुआ। जफर साहब ने भी उन्हें 6:00 PM पर सूचित किया कि सर्वेक्षण होगा और मौजूद रहने को कहा। दिनांक 19.11.2024 को जब वह लगभग 6:00-6:15 PM पहुंचे तब वहां स्थानीय सांसद और विधायक के पुत्र, सुहेल इकबाल पहले से मौजूद थे। अन्य मस्जिद इंतजामियां कमेटी सदस्य वहां थे और लगभग 20-25 नमाजी 8:00 PM तक पहुंचे। अधिवक्ता आयुक्त ने कहा कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अधिवक्ता आयुक्त को मौके पर रिपोर्ट तैयार करने या डाक के माध्यम से अदालत को सूचित करने का अधिकार है। वह पक्षों की सहमति से अगली तारीख तय कर सकता है। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान, वादी का अधिवक्ता और अधिवक्ता आयुक्त, कुछ अन्य लोगों को तथ्य नोट करा रहे थे। वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थे। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं सुना गया। मस्जिद के बाहर शोर था, भीड़ की आवाजें और गोलीबारी की आवाजें आ रही थीं। वह बाहर नहीं जा सके क्योंकि पुलिस तैनात थी। पानी का टैंक एक प्रशासनिक अधिकारी के निर्देश पर खोला गया लेकिन उन्होंने इसे खुलते हुए नहीं देखा। जब वह मस्जिद से बाहर आए तो लोगों ने बाद में बताया कि टैंक का पानी खोला गया, जिससे भ्रम हुआ। दिनांक 19.11.2024 का सर्वेक्षण अखबारों में रिपोर्ट किया गया, जिससे लोगों को जानकारी हुई। दिनांक 24.11.2024 को मस्जिद के चारों ओर सैकड़ों पुलिस कर्मी तैनात थे, जिससे भीड़ इकट्ठी हुई क्योंकि लोगों को डर था कि मस्जिद का अस्तित्व खतरे में है।

ICW-169 श्री मशहूद अली फारुकी, अधिवक्ता, जामा मस्जिद ने अपने शपथ-पत्र और आयोग के समक्ष बयानों में निम्नलिखित विरोधाभासी तथ्य प्रदान किए। दिनांक 19.11.2024 को जामा मस्जिद अध्यक्ष ने उन्हें अदालत में किसी कमीशन के जारी होने के बारे में सूचित नहीं किया। उनका घर जामा मस्जिद के बगल में है, जहां कई पत्रकार और पुलिस कर्मी मौजूद थे। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अदालत का आदेश जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए किया गया है। वह लगभग 6:00 PM पहुंचे और डीएम, एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मस्जिद की ओर आते देखा। तब सदर ने उन्हें सूचित किया कि सर्वेक्षण उसी दिन होना है। दिनांक 23.11.2024 की रात 10:00-11:00 PM के बीच सदर ने उन्हें और अन्य सदस्यों को सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया। सदर जफर अली ने उल्लेख किया कि सीओ और एसडीएम उनके घर आए थे और सूचित किया कि सर्वेक्षण दिनांक 24.11.2024

को 7:00-8:00 AM के बीच हो सकता है। दिनांक 24.11.2024 को जब उन्होंने मस्जिद की छत से नीचे देखा तो 1000-1500 लोगों को “अल्लाह-हु-अकबर” जैसे नारे लगा रहे थे। एब्लूशन क्षेत्र मस्जिद के द्वार के पास है और मस्जिद के केंद्र में टैंक/वजूखाने के पानी की आपूर्ति टैंक से जुड़ी है, जिसे पहले सप्ताह में साफ किया जाता था, अब मासिक रूप में साफ किया जाता है। एडीएम ने मापने के लिए टैंक/वजूखाने का पानी खोलने का निर्देश दिया, लेकिन सदर ने विरोध किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। हालांकि, मस्जिद समिति के कर्मचारी ने टैंक/वजूखाने का पानी खोला। दिनांक 19.11.2024 को उन्हें पता था कि सर्वेक्षण अधूरा था लेकिन कमीशन के अधिकारियों ने मीडिया को बताया था कि सर्वेक्षण पूरी तरह पूरा हो गया है। यदि भारी पुलिस बल मौजूद न होता और भीड़ मस्जिद में प्रवेश कर जाती तो हिंसा हो सकती थी और कई जानें जा सकती थीं। मस्जिद के अंदर या इसकी सीढ़ियों पर राजनीतिक बयान देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अनुचित है। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के बाद, उन्होंने अदालत या अन्य किसी स्थान पर कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की, लेकिन सदर जफर साहब ने की है।

ICW-180 श्री जिया-उर-रहमान बर्क, माननीय सांसद, संभल ने आयोग के समक्ष अपने बयानों में निम्नलिखित विरोधाभासी तथ्य प्रदान किए।

दिनांक 19.11.2024 को 06:30-07:00 PM के बीच क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सूचित किया कि पुलिस और प्रशासन अधिकारी जामा मस्जिद पहुंचे हैं। कोटगढ़ी के निवासी नदीम ने उन्हें सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया। जब वह मस्जिद पहुंचे, सड़क पर लगभग 300 लोग थे और मस्जिद के अंदर 20 लोग थे। वह अकेले अंदर गए और अदालत के आदेश की प्रति मांगी लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं थी। जब वह दिनांक 19.11.2024 को मस्जिद पहुंचे, सुहेल इकबाल पहले से मौजूद थे। वह नहीं जानते कि उनके साथ कितने लोग थे। दिनांक 22.11.2024 को शुक्रवार नमाज के दौरान, एक व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग लोगों को जामा मस्जिद पर इकट्ठा होने के लिए किया गया। संदेश स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कुछ व्यक्तियों ने जनता/नमाजियों को दिनांक 22.11.2024 को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का आग्रह किया। जहां तक उन्हें याद है, सुहेल इकबाल नमाजियों में शामिल थे। उन्होंने शुक्रवार नमाज से पहले या बाद में मस्जिद के अंदर या बाहर कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने केवल मीडिया के प्रश्नों का

उत्तर दिया, जो आवश्यक था क्योंकि अफवाहें फैली हुई थीं कि वादी पक्ष ने पहले देश की अन्य मस्जिदों का दावा किया था और उनकी मस्जिद के साथ भी ऐसा करने का आशय है। उन्हें दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के बारे में इंतेजामिया समिति के सदर जफर साहब ने दिनांक 23.11.2024 की रात सूचित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि एक और सर्वेक्षण होना है लेकिन तारीख या समय निर्दिष्ट नहीं किया। उन्होंने उन्हें उस रात दो बार कॉल किया। जब आयोग ने पूछा कि क्या उन्होंने जफर साहब और अन्यो से कहा कि किसी भी हालत में सर्वेक्षण न होने दें और जनता को सुबह मस्जिद पर इकट्ठा होने के लिए सूचित करें ताकि विरोध करें, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, न ही फोन पर चर्चा की, न ही सर्वेक्षण का विरोध चाहते थे। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण शुरू होने के एक घंटे बाद लोगों को सर्वे की जानकारी मिली, वे केवल जानना चाहते थे कि पुलिस और प्रशासन मस्जिद पर फिर क्यों आयी हैं, जब सर्वेक्षण पहले ही एक बार किया जा चुका है। संतोषजनक उत्तर के बजाय, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और लाठी चार्ज किया गया। टैंक के पानी निकालने से लोगों में भ्रम हुआ कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, जिससे ऐसी स्थिति बनी। लोग मस्जिद में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, वे केवल अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते थे। हालांकि, यदि वे मस्जिद में प्रवेश कर जाते तो अप्रिय घटना हो सकती थी।

ICW-181 श्री सुहेल इकबाल, श्री इकबाल महमूद (विधायक, संभल) के पुत्र ने अपने शपथ-पत्र और आयोग के समक्ष बयानों में निम्नलिखित विरोधाभासी तथ्य प्रदान किए।

दिनांक 19.11.2024 को दोपहर में, एक वकील ने कॉल किया और सर्वेक्षण आदेश के बारे में सूचित किया। बाद में, 5:30 PM पर एक पत्रकार ने सूचित किया कि डीएम और एसपी उसी दिन सर्वेक्षण के लिए जामा मस्जिद जा सकते हैं। वह अकेले नमाज अदा करने जामा मस्जिद गए, जहां 20-25 नमाजी पहले से मौजूद थे। उन्होंने डीएम और एसपी से बात की, जिन्होंने सूचित किया कि सर्वेक्षण अदालत के आदेश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने विधायक प्रतिनिधि के रूप में कहा कि वह सहयोग करेंगे। दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही 8:30-9:30 PM तक चली (हालांकि शपथ-पत्र 8:00 PM तक कहता है)। सर्वेक्षण के कारण नमाज का समय एक घंटे बढ़ा दिया गया। जब डीएम ने पूछा कि सब हो गया है तब अधिवक्ता आयुक्त ने सिर हिलाकर कहा कि सब पूरा हो गया है। दिनांक 22.11.2024 को वह जुम्मा

नमाज के लिए जामा मस्जिद नहीं गए। उन्हें दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के बारे में उनके पिता ने दिनांक 23.11.2024 की रात लगभग 11:30 PM पर सूचित किया। उन्होंने उन्हें कहा कि सुबह मस्जिद जाएं और इंतजामियां कमेटी से बात करें ताकि सहयोग सुनिश्चित हो। दिनांक 24.11.2024 को वह 5:30 AM घर से निकले, 6:00 AM जामा मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की। लगभग 6:30-6:45 AM पर जब वह मस्जिद से बाहर आए तो उसके चारों ओर बैरिकेडिंग की जा रही थी। वह मशहूद अली फारुकी को सूचित करने जा रहे थे, तभी उन्होंने एडिशनल एसपी से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि सर्वेक्षण आज निर्धारित है। तब वह अधिवक्ता फारुकी के घर गए जो जामा मस्जिद से लगभग 100 मीटर दूर है और लगभग 5:30-6:00 PM तक रहे। उन्होंने घटना के बारे में टीवी और मोबाइल से जाना। यदि इकट्ठी हुई भीड़ मस्जिद में प्रवेश कर जाती तो सर्वेक्षण टीम और वहां मौजूद अधिकारियों के साथ कुछ अप्रिय हो सकता था।

आयोग ने अधिवक्ता श्री जफर अली (जामा मस्जिद के सदर), श्री लड्डन खान (इंतजामिया समिति के नायब सदर जामा मस्जिद), श्री कासिम जमाल (अधिवक्ता जामा मस्जिद), श्री मशहूद अली फारुकी (अधिवक्ता, सदस्य, इंतजामियां कमेटी), श्री जिया-उर-रहमान बर्क (माननीय सांसद, संभल) और श्री सुहेल इकबाल (स्थानीय विधायक श्री इकबाल महमूद के पुत्र/प्रतिनिधि) के साक्ष्यों का अवलोकन किया। उपरोक्त सभी गवाहों ने कहा कि जामा मस्जिद का सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को पूरा हो गया था और दिनांक 24.11.2024 को पुनः सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सभी ने जोर दिया कि दिनांक 24.11.2024 को भीड़ इकट्ठी हुई ताकि जान सके कि जब सर्वेक्षण पहले ही दिनांक 19.11.2024 को पूरा हो चुका है तो कार्यवाही फिर से क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दिनांक 24.11.2024 की घटना मुस्लिम समुदाय में मस्जिद के वजूखाना से भारी पानी निकासी के बारे में भ्रम के कारण हुई। श्री जफर अली के साक्ष्य की जांच से पता चलता है कि उनके शपथ-पत्र में उल्लिखित बयान और आयोग के समक्ष बयान में प्रमुख विरोधाभास हैं। शपथ-पत्र के पैरा 5 और 6 में, उन्होंने कहा कि पुलिस ने भीड़ पर सीधी गोलीबारी की, जिससे 4-5 लोगों की मौत हुई, लेकिन आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि वह इसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं क्योंकि वह जामा मस्जिद के अंदर थे। सर्वेक्षण की पूर्णता और वजूखाना/एब्लूशन टैंक से पानी निकासी के बिंदु

पर, उनका साक्ष्य स्वमेव विरोधाभाषी है। श्री लड्डन खान ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि वजूखाना प्रशासन और एसडीएम द्वारा इसकी गहराई मापने के लिए निकाला गया, लेकिन आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि वजूखाना/टैंक का पानी एसडीएम के निर्देश पर निकाला गया और मस्जिद के कर्मचारी ने उनके निर्देश पर पानी का टैंक खोला। भीड़ की उपस्थिति के बिंदु पर पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने भीड़ नहीं देखी, उसके बाद कहा कि भीड़ मस्जिद के सभी तरफ नहीं थी बल्कि मस्जिद के पीछे थी। इस प्रकार उनका साक्ष्य भी स्वमेव विरोधाभाषी है। कासिम जमाल अधिवक्ता चंदौसी सिविल अदालत में प्रैक्टिसिंग वकील हैं, एक ओर कहा कि सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को पूरा हो गया, लेकिन दूसरी ओर आयोग के समक्ष कहा कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है और आयुक्त को साइट पर रिपोर्ट तैयार करने या डाक के माध्यम से अदालत को सूचित करने का अधिकार है और वह पक्षों की सहमति से अगली तारीख तय कर सकता है। इस प्रकार उनका बयान भी स्वमेव विरोधाभाषी है। श्री मशहूद अली फारुकी, अधिवक्ता का बयान भी कुछ बिंदुओं पर स्व-विरोधी है जिसकी ऊपर चर्चा की गई है, लेकिन वह स्वीकार करते हैं कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका। श्री जिया-उर-रहमान बर्क, सांसद संभल ने स्वीकार किया कि दिनांक 19.11.2024 को लगभग 6.30 PM पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सूचित किया कि शाम को पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी जामा मस्जिद पहुंचे हैं। वह मस्जिद पहुंचे तो सड़क पर लगभग 300 लोग थे और मस्जिद के अंदर लगभग 20 लोग थे। वह अकेले जामा मस्जिद के अंदर गए और अदालत के आदेश की प्रति मांगी लेकिन उस समय अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने शुक्रवार नमाज से पहले या बाद में मस्जिद के अंदर या बाहर कोई भाषण नहीं दिया। लेकिन उन्होंने मीडिया व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश नहीं देखा लेकिन जब उन्हें प्रदर्शक-146 के संदेशों से सामना कराया गया, तो उन्होंने संदेश के तथ्य को स्वीकार किया, इस प्रकार उन्होंने आयोग के समक्ष दिये गये साक्ष्य में स्वयं स्वीकार किया। इसी प्रकार दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण की पूर्णता के संबंध में, श्री सुहेल इकबाल का साक्ष्य भी दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 की घटनाओं के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्व-विरोधी है।

आयोग सभी उपरोक्त गवाहों के साक्ष्यों का विश्लेषण करने और उचित विचार-विमर्श के बाद पाता है कि सभी इन गवाहों के बयानों में प्रमुख विरोधाभास हैं। श्री जफर अली ने कहा कि श्री कासिम जमाल और अधिवक्ता श्री फारुकी ने उन्हें लगभग 4 से 5 P.M. पर सर्वेक्षण आयोग जारी होने के बारे में सूचित किया, जबकि श्री कासिम जमाल और श्री मशहूद अली अधिवक्ताओं ने कहा कि सदर श्री जफर अली अधिवक्ता ने उन्हें उसी दिन शाम लगभग 6 बजे सर्वेक्षण होने के बारे में सूचित किया। सर्वेक्षण की पूर्णता के संबंध में, उनके बयान भी विरोधाभासी हैं। श्री जफर अली ने कहा कि सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को पूरा हो गया था, जबकि श्री कासिम जमाल और श्री मशहूद अली ने सर्वेक्षण की पूर्णता के बारे में विभिन्न बयान दिए हैं। श्री मशहूद अली ने विशेष रूप से कहा कि उन्हें पता था कि सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2024 को अधूरा था। श्री जिया-उर-रहमान, संसद सदस्य ने आयोग के समक्ष कहा कि उनके और श्री जफर अली के बीच दिनांक 24.11.2024 को आयोजित होने वाले सर्वेक्षण के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि श्री जफर अली ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिनांक 23/24.11.2024 की मध्यरात्रि में कब और कैसे उन्होंने सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क से बात की और श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने उन्हें निर्देश दिया कि डीएम और एसपी से बात करें और सर्वेक्षण कार्यवाही रुकवाएं। दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भाषण और संबोधन के बिंदु पर, उनका बयान अन्य गवाहों के बयान से विरोधाभासी है और उन्होंने अपने सार्वजनिक संबोधन को बचाने की कोशिश की है कि वह केवल मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। श्री सुहेल इकबाल ने आयोग के समक्ष कहा है कि हालांकि वह दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही के समय जामा मस्जिद में मौजूद थे, फिर भी उन्होंने कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि अन्य गवाहों सहित अधिवक्ता आयुक्त ने कहा कि वह और श्री जिया-उर-रहमान सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे और अप्रत्यक्ष रूप से अधिवक्ता आयुक्त और वादी के वकील श्री विष्णु शंकर जैन सहित उनके सहयोगियों को धमकी दे रहे थे। दिनांक 24.11.2024 की घटना के बारे में उन्होंने कहा कि वह श्री मशहूद अली फारुकी के घर पर रहे और प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे, जबकि सब इंस्पेक्टर श्री दीपक राठी और इंस्पेक्टर श्री अनुज कुमार तोमर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह बार-बार भीड़ के साथ घुलमिल कर उन्हें उकसा रहे थे। इस प्रकार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इन सभी गवाहों के साक्ष्य अविश्वसनीय और अविश्वासयोग्य हैं क्योंकि वे स्वमेव

विरोधाभाषी हैं और सभी ने स्पष्ट रूप से पूर्व बैठक के साथ दिनांक 19.11.2024 को अधूरा सर्वेक्षण के तथ्य के खिलाफ दिनांक 24.11.2024 को पुनः सर्वेक्षण की कहानी गढ़ने की कोशिश की है और सशस्त्र विधि विरुद्ध जमाव/समागम को बचाने के लिए उनकी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए कि वे वहां थे ताकि जान सकें कि मस्जिद का सर्वेक्षण फिर से क्यों किया जा रहा है। धारा 163 बीएनएसएस की उद्धोषणा और इस संबंध में जिला प्रशासन की अपील के बावजूद।

9. दिनांक 24.11.2024 की घटना के पीछे के कारण?

जांच आयोग ने जिला प्रशासन सहित पुलिस अधिकारियों, वादी, प्रतिवादी, और उनके विद्वान अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों (प्रत्यक्षदर्शी), जामा मस्जिद इंतजामियां कमेटी के सदस्यों, सार्वजनिक प्रत्यक्षदर्शियों, स्थानीय संसद सदस्य और स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि आदि के साक्ष्यों की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि निम्नलिखित परिस्थितियां और कारण दिनांक 24.11.2024 की हिंसक घटना का कारण बने।

दिनांक 19.11.2024 को माननीय सिविल जज (सी0डी0), चंदौसी, संभल की अदालत ने मामले संख्या 182/24 (हरिशंकर जैन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में अधिवक्ता आयुक्त, श्री रमेश सिंह राघव को जामा मस्जिद, संभल का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया। श्री रमेश सिंह राघव को 29.11.2024 तक माननीय अदालत को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के अनुपालन में, श्री रमेश सिंह राघव ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, संभल को एक पत्र भेजा जिसमें आवश्यक सहयोग और सुरक्षा का अनुरोध किया। एक अन्य पत्र में उन्होंने सूचित किया कि सर्वेक्षण उसी दिन आयोजित किया जाएगा। बाद में जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वे में सहायता हेतु एसडीएम संभल, सीओ संभल, और संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की तीन सदस्यीय समिति गठित किया। दिनांक 19.11.2024 की शाम सर्वेक्षण शुरू करने से पहले जामा मस्जिद के सदर, श्री जफर अली (अधिवक्ता) को अदालत के आदेश की जानकारी दी गई और आदेश की प्रति प्रदान की गई। अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव के अनुसार, सर्वेक्षण के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष, उनके अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के पुत्र/प्रतिनिधि यानी श्री सुहेल इकबाल, 200 से 300 समर्थकों के साथ जामा मस्जिद परिसर

के अंदर मौजूद थे, जहां सर्वेक्षण हो रहा था। उन्होंने बार-बार सर्वेक्षण कार्य में बाधा डाली। जामा मस्जिद परिसर के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसे प्रशासन और जामा मस्जिद के सदर श्री जफर अली द्वारा बार-बार वापस जाने होने का अनुरोध किया गया। जामा मस्जिद परिसर के अंदर अंधेरा होने के कारण, राजनैतिक हस्तियों द्वारा बाधा डालने और जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के बयान कि नमाज का समय हो गया है, के कारण दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण कार्य रोक दिया गया। अधिवक्ता आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों और जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदर को सूचित किया कि अगले सर्वेक्षण की तारीख और समय बाद में सूचित किया जाएगा। यह श्री जफर अली के साक्ष्य में भी दर्ज है। दिनांक 19.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने सर्वेक्षण के दौरान सामने आयी बाधाओं के बारे में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया। दिनांक 20.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को एक और पत्र भेजा जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण जारी रखने के लिए सहयोग का अनुरोध किया। हालांकि, मुरादाबाद जिले में कुन्दरकी विधानसभा में उपचुनाव के कारण पुलिस अधीक्षक पुलिस बल प्रदान नहीं कर सके और इस प्रकार दिनांक 20.11.2024 को सर्वेक्षण आगे नहीं बढ़ सका। दिनांक 21.11.2024 को, दिनांक 19.11.2024 को हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक, संभल ने थाना कोतवाली पर मुस्लिम धार्मिक गुरुओं, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सभी सदस्यों और पीस कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई और उन्हें सूचित किया गया कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू है, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए और दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान बड़ी भीड़ इकट्ठी होने जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्वेक्षण माननीय न्यायालय के आदेश के तहत आयोजित किया जा रहा है और सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। थाना कोतवाली के अंतर्गत एकता, नखासा, और पंजू सराय पुलिस चौकियों पर भी बैठकें आयोजित की गईं, जहां स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों को वही सूचित किया गया। दिनांक 21/22.11.2024 को जुम्मे की नमाज के दिन सोशल मीडिया पर संदेश देखे गए, जिसमें “संभल सांसद” और “मन्नत” नामक व्हाट्सएप ग्रुप शामिल थे, जो लोगों को जुम्मा नमाज के लिए बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पर इकट्ठा होने, केवल जामा मस्जिद पर नमाज अदा करने, और दान में उदारता से योगदान करने के लिए बुला रहे थे। उत्तर में, पुलिस ने कुछ पहचाने गए व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की और मुस्लिम धार्मिक नेताओं और जामा

मस्जिद समिति के सदस्यों के वीडियो प्रसारित किए जो लोगों से अपील कर रहे थे कि वे निकटवर्ती मस्जिदों में नमाज अदा करें और जामा मस्जिद पर इकट्ठा न हों। हालांकि, दिनांक 22.11.2024 को जुम्मे की नमाज के लिए अपेक्षा से बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जिसके परिणामस्वरूप मस्जिद के अंदर पर्याप्त स्थान नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोग निकटवर्ती छतों पर नमाज अदा करते देखे गए। इस दिन की भीड़ अन्य जुम्मे की नमाज के दिनों की तुलना में काफी ज्यादा थी। स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क, जो आमतौर पर संभल में रहने पर अपने निवास के निकट मस्जिद में नमाज अदा करते थे, दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद पर नमाज के लिए पहुंचे। नमाज के बाद, उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों से मीडिया और इकट्ठे हुए नमाजियों को संबोधित किया, जिसमें कहा कि, **“हम अपनी जामा मस्जिद की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और इंशा-अल्लाह, जामा मस्जिद की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक है, मैं और हर कोई हमेशा वहां रहेगा। कोई भी जामा मस्जिद को हमसे नहीं छीन सकता; यह मस्जिद थी, मस्जिद है, और कयामत के दिन तक मस्जिद रहेगी, इंशा-अल्लाह।”** जब श्री जफर अली द्वारा रोका गया, तो उन्होंने कहा, **“हम पुलिस, प्रशासन या सरकार से डरने वाले नहीं हैं। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर या गुलाम नहीं।”** सांसद के इस संबोधन ने लोगों को मीडिया के माध्यम से एक संदेश दिया कि संभल में जामा मस्जिद किसी खतरे में है, जिसके कारण सर्वेक्षण हो रहा है और पुलिस, प्रशासन और सरकार की मदद से मस्जिद को छीन लिया जाएगा। दिनांक 23.11.2024 को पुलिस ने श्री बर्क को शांति भंग की आशंका का हवाला देकर धारा 168 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया। दिनांक 23.11.2024 को, कुन्दरकी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसमें सांसद द्वारा समर्थित पार्टी हार गई। सांसद ने पुलिस और प्रशासन को अपनी पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसी दिन सांसद संभल जिले से चले गए। दिनांक 23.11.2024 को अधिवक्ता आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा जिसमें दिनांक 24.11.2024 को 7:00 AM से 11:00 AM तक सर्वेक्षण जारी रखने का अनुरोध किया। जिला मजिस्ट्रेट ने अनुरोध स्वीकार किया और पुलिस अधीक्षक को पुलिस समर्थन/ताकत प्रदान करने का निर्देश दिया। अनुमति प्राप्त करने के बाद, अधिवक्ता आयुक्त ने दिन के समय अदालत परिसर में जामा मस्जिद के सदर अधिवक्ता श्री जफर अली और अन्य संबंधित अधिवक्ताओं को नोटिस की प्रति प्रदान की। प्रशासन ने एसडीएम और सीओ के माध्यम से शाम को श्री

जफर अली के निवास पर नोटिस की प्रति दी। आगामी सर्वेक्षण की जानकारी प्राप्त करने पर, श्री जफर अली ने सांसद श्री बर्क को फोन पर सूचित किया और इंतेजामिया समिति के सदस्यों को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक के साक्ष्य के अनुसार, श्री जफर अली ने दिनांक 24.11.2024 को आधी रात को श्री सुहेल खान (कैशियर जामा मस्जिद, इंतेजामिया समिति) के निवास पर इंतेजामिया समिति की बैठक बुलाई, जहां सांसद से प्राप्त निर्देश सभी के साथ साझा किए गए। पुलिस अधीक्षक को यह जानकारी उनके स्रोतों से प्राप्त हुई। अपने साक्ष्य में, श्री जफर अली ने कहा कि **“माननीय सांसद ने मुझसे कहा कि डीएम और एसपी से बात करके सर्वेक्षण रोकें, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि यह मुश्किल होगा, और वह इसे रोक नहीं पाएंगे।”** सुहेल इकबाल के साक्ष्य के अनुसार दिनांक 24.11.2024 को स्थानीय विधायक/उनके पिता श्री इकबाल महमूद से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए इंतेजामिया समिति के सदस्यों को सर्वेक्षण में सहयोग करने के निर्देश का पालन करने के लिए, वह लगभग सुबह 6:00 AM श्री महशूद अली फारुकी के निवास पर पहुंचे, जो जामा मस्जिद के निकट स्थित है। सुरक्षा कारणों से, प्रशासन ने उन्हें मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी इसलिए वह श्री महशूद अली फारुकी के निवास पर लगभग 5:30–6:00 PM तक रहे। आयोग की विचारित राय है कि श्री सुहेल इकबाल का जामा मस्जिद पर सुबह जल्दी पहुंचने का बयान एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि मोबाइल के दिनों में, कोई व्यक्ति स्थानीय विधायक/उनके पिता से प्राप्त निर्देशों को व्यक्तिगत रूप से क्यों सूचित करने जाएगा, यहां तक कि स्थानीय विधायक होने के नाते श्री इकबाल महमूद इंतेजामिया समिति के सदस्यों से सीधे अपने मोबाइल के माध्यम से संवाद कर सकते थे। आगे सब इंस्पेक्टर श्री दीपक राठी और इंस्पेक्टर श्री अनुज कुमार तोमर के साक्ष्य के अनुसार वह बार-बार भीड़ के साथ घुलमिल कर उन्हें उकसा रहे थे।

सर्वेक्षण के दिन, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि सर्दी के मौसम के बावजूद, लोग गांवों से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सुबह 5:00–5:30 AM से ही आ रहे थे और सड़कों से ईंटें और पत्थर इकट्ठा कर ट्रॉलियों में लाद रहे थे। संभल जिले की कॉलोनियों में, मुस्लिम समुदाय के सदस्य सुबह से ही तलवारें, लाठियां, और पिस्तौलें लेकर जामा मस्जिद की ओर जा रहे थे, आपस में यह कहते हुए कि आज मस्जिद में प्रवेश करने वाली सर्वेक्षण टीम के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और कोई भी उन्हें बचा नहीं पायेगा। सर्वेक्षण टीम, प्रशासनिक/पुलिस

अधिकारियों, जामा मस्जिद समिति के सदस्यों और वादी तथा प्रतिवादी पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 7:00–7:30 AM मस्जिद परिसर में सर्वे हेतु प्रवेश किया। जैसे ही सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ, जामा मस्जिद पर भीड़ बढ़ने लगी। जब सर्वेक्षण टीम ने मस्जिद परिसर के अंदर पानी के टैंक (हौज) की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का अनुरोध किया तो जामा मस्जिद समिति ने टैंक खाली करना शुरू किया और पानी नालियों से बहकर बाहर आया। इस बीच, जामा मस्जिद समिति के सदर श्री जफर अली पान-मसाला खाने के बहाने परिसर से चले गए और लगभग आधे घंटे बाद लौटे। लौटने पर, उन्होंने मस्जिद के लाउडस्पीकर से उत्तेजित भीड़ से शोर बंद करने और वापस जाने की अपील की। हालांकि, भीड़ अधिक आक्रामक हो गई और पुलिस और प्रशासन पर पत्थर फेंकने लगी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए। भीड़ और अधिक आक्रामक हो गई। आक्रामक भीड़ ने पत्थरबाजी, गोलीबारी, और निकटवर्ती वाहनों, ट्रांसफार्मरों, और बिजली के तारों को आग लगाने का कृत्य किया। सर्वेक्षण कार्य लगभग 10:30 AM तक पूरा हो गया। श्री जफर अली ने फिर लाउडस्पीकर से घोषणा की कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। जिसके बाद मस्जिद के निकट इकट्ठी पूरी भीड़ ने पुलिस और प्रशासन को पत्थरबाजी, गोलीबारी, और आगजनी से निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिस कर्मी पत्थर और गोलियों से घायल हुए। भीड़ से चार व्यक्ति भी अपनी जान गंवा बैठे और पोस्टमॉर्टम और बैलिस्टिक रिपोर्टों के अनुसार, उनकी मौतें 0.315 बोर जैसे हथियारों से हुईं, जो साक्ष्य के अनुसार, किसी पुलिस कर्मी द्वारा उपयोग नहीं किए गए थे। पुलिस और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार, घटना के दौरान श्री सुहेल इकबाल, जो जामा मस्जिद के निकट श्री महशूद अली फारुकी के निवास पर थे, बार-बार भीड़ में जाते देखे गए। वह फोन के माध्यम से लोगों से निरंतर संपर्क में भी रहे। हालांकि, अपने साक्ष्य में श्री सुहेल इकबाल ने कहा, **“मैंने दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण कार्य में न बाधा डाली न विरोध किया। मैंने हमेशा सहयोग किया और उस समय, पुलिस के सामने लोगों को समझाया कि चले जाएं, जिसके बाद भीड़ चली गयी।”** हालांकि, दिनांक 24.11.2024 को श्री सुहेल इकबाल जामा मस्जिद से लगभग 30 मीटर दूर सुबह 6:00 AM से शाम 6:00 PM तक मौजूद थे, लेकिन अपने साक्ष्य में उल्लेख नहीं किया क्योंकि उन्होंने दिन में भीड़ को शांत करने का कोई प्रयास नहीं किया, जब कि भीड़ हमेशा उनके निर्देशों का सम्मान करती थी। दिनांक 24.11.2024 के साक्ष्य इंगित करते हैं कि जब श्री जफर

अली ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से घोषणाएं कीं, तो भीड़ अधिक उत्तेजित हो गई। घोषणाएं करते हुए, वह मस्जिद की छत से भीड़ की ओर हाथ लहराते और मुस्कुराते देखे गए, जो सुझाव देता है कि उनका व्यवहार उनके बयानों से विरोधाभासी था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह भीड़ को अपने कार्यों को बढ़ाने/उत्तेजित करने का कोई संकेत था। श्री जफर अली ने वजूखाना/टैंक से पानी निकाले जाते समय मस्जिद छोड़ने और भीड़ से किसी को गुटखा लाने भेजने को स्वीकार किया। हालांकि, कोई गवाह ने ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में मस्जिद के चारों ओर दुकानें खुली होने का साक्ष्य नहीं दिया। गुटखा लाने भेजा गया व्यक्ति एक दूत के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से सुझाव मिलता है कि जब वजूखाना/टैंक से पानी निकाला जा रहा था, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भीड़ को एक संदेश दिया गया, जिससे वह अत्यधिक उत्तेजित हो गई।

ICW 199 श्री विष्णु शर्मा, कैमरामैन अधिवक्ता आयुक्त ने अपने साक्ष्य में आयोग के समक्ष कहा है कि मस्जिद के बाहर विशाल भीड़ थी, जैसे कि पूरा संभल और निकटवर्ती गांवों के लोग इकट्ठे हो गए हों। दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही लगभग 3 घंटे चली, जिस दौरान भीड़ ने बीच-बीच में प्रशासन अधिकारियों को परेशान किया। इंतेजामिया समिति के सदस्य मस्जिद के अंदर बाधाएं पैदा कर रहे थे, जबकि बाहर भारी नारेबाजी, आगजनी, और देशी तमन्चो से गोलीबारी हो रही थी। मस्जिद की छत से, जहां एसडीएम संभल भी मौजूद थे, उन्होंने पूरा दृश्य देखा। कई लोगों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, वे पत्थर फेंक रहे थे, वाहनों और बाइकों को आग लगा रहे थे और वातावरण अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया था। अधिवक्ता आयुक्त श्री रमेश सिंह राघव ने प्रशासन से वजूखाना/पानी का टैंक (हौद) खाली कराने का अनुरोध किया ताकि इसकी फोटोग्राफी भी की जा सके। यह अनुरोध इंतेजामिया समिति को बताया गया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से टैंक खाली करना शुरू किया। वजूखाना/टैंक का निरीक्षण किया गया लेकिन अत्यधिक काई और कीचड़ के कारण उचित माप, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की जा सकी। जो भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उन्होंने की वह अधिवक्ता आयुक्त को सौंपी गई। जब वजूखाना/टैंक खाली किया जा रहा था तब इंतेजामिया समिति ने अफवाहें फैलाई कि मस्जिद को खोदा और तोड़ा जा रहा है। एक वकील और इंतेजामिया समिति के सदस्य अंदर-बाहर जा रहे थे, संभवतः ये अफवाहें फैला रहे थे।

भीड़ बहुत हिंसक हो गई, पुलिस/प्रशासन पर पत्थर फेंक रही थी और गोलीबारी कर रही थी, भीड़ अनियंत्रित हो गयी थी और आगजनी करने लगी थी। पुलिस भीड़ को नियंत्रित और शांत करने की कोशिश कर रही थी, कई स्थानों पर लाठी चार्ज कर उन्हें पीछे धकेल रही थी और स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले चला रही थी। आंसू गैस का धुआं मस्जिद में भर गया और जलते वाहनों से धुआं भी उठ रहा था।

श्री जिया-उर-रहमान बर्क, माननीय सांसद, संभल ने आयोग के समक्ष अपने बयान में तथा दिनांक 19.11.2024 को जामा मस्जिद के आंशिक सर्वेक्षण के बाद और दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद पर शुक्रवार की नमाज के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए माननीय अदालत के दिनांक 19.11.2024 के आदेश से असहमति जताते हुए, द प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1991 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए और श्रीमती नीति अनिल कुमार, सहायक अधीक्षक पुरातत्व, पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की सहायक अधीक्षक पुरातत्व के बयान को ध्यान में रखते हुए, हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 के प्रावधानों और दिनांक 13/19.01.1927 को जामा मस्जिद के मुतवल्लियों और मुरादाबाद के कलेक्टर द्वारा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ओर से निष्पादित समझौते की जांच करना उचित समझते हैं, जो दिनांक 01.03.1927 को पंजीकृत किया गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 ब्रिटिश शासन के दौरान पुरातत्व, ऐतिहासिक, या कलात्मक रुचि के प्राचीन स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यह प्राचीन स्मारकों को संरक्षण के साथ-साथ पुरावस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण रखने तथा कुछ स्थानों पर खुदाई और प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और अधिग्रहण के लिए संरक्षण प्रदान करता था। यह दिनांक 18.03.1904 को प्रभावी हुआ। धारा 2(1) “प्राचीन स्मारक” को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार है:- “(1) “प्राचीन स्मारक” का अर्थ है कोई संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई टुमुलस या अंतिम संस्कार का स्थान, या कोई गुफा, रॉक-स्कल्प्चर, शिलालेख या मोनोलिथ, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि का है, या उसके अवशेष और इसमें शामिल है— (a) प्राचीन स्मारक का स्थल; (b) प्राचीन स्मारक के स्थल के निकटवर्ती भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे स्मारक को बाड़ा लगाने या ढकने या अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो; (c) उपयोग और सुविधाजनक निरीक्षण के लिए पहुंच के साधन;”

धारा 3 “संरक्षित स्मारकों” के लिए प्रदान करती है, जो निम्नानुसार है:- संरक्षित स्मारक—(1) स्थानीय सरकार, [आधिकारिक राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा, एक प्राचीन स्मारक को इस अधिनियम के अर्थ में संरक्षित स्मारक घोषित कर सकती है। (2) उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति स्मारक पर या उसके निकट एक प्रमुख स्थान पर लगाई जाएगी, साथ ही एक सूचना कि अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर स्थानीय सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाएगा। (3) उक्त एक महीने की अवधि की समाप्ति पर, स्थानीय सरकार, यदि कोई आपत्तियां हों, तो उन्हें विचार करके अधिसूचना की पुष्टि या वापस ले सकती है। (4) इस धारा के तहत प्रकाशित अधिसूचना, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, तब तक इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगी कि जिस स्मारक से यह संबंधित है वह इस अधिनियम के अर्थ में प्राचीन स्मारक है।”

धारा 5 “समझौते द्वारा प्राचीन स्मारक के संरक्षण” के लिए प्रदान करती है, जो निम्नानुसार है:- समझौते द्वारा प्राचीन स्मारक का संरक्षण—(1) कलेक्टर, स्थानीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, अपने जिले में किसी संरक्षित स्मारक के संरक्षण के लिए मालिक को स्थानीय सरकार के साथ समझौते में प्रवेश करने का प्रस्ताव दे सकता है। (2) इस धारा के तहत एक समझौता निम्नलिखित मामलों के लिए या उनमें से ऐसे मामलों के लिए प्रदान कर सकता है जिन्हें समझौते में शामिल करना उचित पाया जाए:— (a) स्मारक का रखरखाव; (b) स्मारक की हिरासत, और किसी व्यक्ति की कर्तव्य जो इसे देखने के लिए नियोजित किया जा सकता है; (c) मालिक के अधिकार का प्रतिबंध स्मारक को नष्ट करने, हटाने, बदलने या विकृत करने या स्मारक के स्थल पर या निकट निर्माण करने के लिए; (d) जनता या जनता के किसी भाग और स्मारक का निरीक्षण या रखरखाव करने के लिए मालिक या कलेक्टर द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली पहुंच की सुविधाएं; (e) स्थानीय सरकार को दी जाने वाली सूचना यदि स्मारक जिस भूमि पर स्थित है वह मालिक द्वारा बिक्री के लिए पेश की जाती है, और स्थानीय सरकार को ऐसी भूमि या उसके निर्दिष्ट भाग को उसके बाजार मूल्य पर खरीदने का आरक्षित अधिकार; (f) स्मारक के संरक्षण से जुड़ी मालिक या स्थानीय सरकार द्वारा खर्च की गई किसी भी राशि का भुगतान; (g) स्मारक के संरक्षण से जुड़ी खर्च जब स्थानीय सरकार द्वारा वहन की जाती है तो सरकार में निहित होने वाले मालिकाना या अन्य अधिकार; (h) समझौते से उत्पन्न

किसी विवाद का निर्णय करने के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति; और (i) स्मारक के संरक्षण से जुड़ा कोई भी मामला जो मालिक और स्थानीय सरकार के बीच समझौते का उचित विषय है। (1) इस धारा के तहत समझौते की शर्तें स्थानीय सरकार की मंजूरी से और मालिक की सहमति से समय-समय पर बदली जा सकती हैं। (2) स्थानीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कलेक्टर इस धारा के तहत समझौते को मालिक को लिखित रूप में छह महीने की सूचना देकर समाप्त कर सकता है। (3) मालिक इस धारा के तहत समझौते को कलेक्टर को छह महीने की सूचना देकर समाप्त कर सकता है। (4) इस धारा के तहत समझौता उस स्मारक के किसी भी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा जो उससे संबंधित है, जिसके माध्यम से या जिसकी ओर से समझौता निष्पादित किया गया था। (5) स्मारक की रक्षा या संरक्षण में खर्च की गई राशि के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत कोई भी अधिकार इस धारा के तहत समझौते की समाप्ति से प्रभावित नहीं होगा।”

वर्ष 1904 के अधिनियम के प्रवर्तन के बाद, प्रश्रुत संपत्ति को अधिनियम की धारा 3(3) के तहत संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया था अधिसूचना संख्या 1412एम दिनांक 18.11.1920 द्वारा और यूनाइटेड प्रोविंस गजट के भाग I में प्रकाशित किया गया था। यह 22 दिसंबर 1920 को था, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अधिसूचना की पुष्टि की और संभल में स्थित जामा मस्जिद, जिला- मुरादाबाद 1904 के अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक बन गई। 1920 की अधिसूचना और दिनांक 13/19.01.1927 के समझौते की प्रति आयोग के समक्ष पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की सहायक अधीक्षक पुरातत्व, श्रीमती नीति अनिल कुमार द्वारा रखी गई है। “समझौता दिनांक 13/19.01.1927 निम्नानुसार है:- यह इंडेंचर एंशिंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट VII ऑफ 1904 के प्रावधानों के अधीन बनाया गया है दिनांक 13 जनवरी 1927 जामा मस्जिद संभल के मुतवल्लियों (इसके बाद मुतवल्लि कहा जाएगा) के एक पक्ष और मुरादाबाद के कलेक्टर की ओर से भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल (इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा) के दूसरे पक्ष के बीच। जबकि जामा मस्जिद (इसके बाद उक्त मस्जिद कहा जाएगा) को उक्त अधिनियम की धारा (3) के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है अधिसूचना द्वारा आगरा और अवध की यूनाइटेड प्रोविंस सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिल्डिंग्स एंड रोड्स ब्रांच नंबर दिनांक और जबकि उक्त अधिनियम

की धारा V के तहत निष्पादित इस समझौते की शर्तें आगरा और अवध की यूनाइटेड प्रोविंस सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। गवाह निम्नानुसार, अर्थात:-

1. यह कि उक्त मस्जिद का रखरखाव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ओर से पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि यह पूरी तरह पुरातत्व विभाग के विवेक पर होगा कि समय-समय पर क्या मरम्मत, यदि कोई, की जाए। ऐसी मरम्मत की लागत उक्त मस्जिद के रखरखाव के लिए या उस उद्देश्य के लिए अन्यो के बीच बनाए गए किसी एंडोमेंट से पूरी की जाएगी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अतिरिक्त धन केवल तब प्रदान किया जाएगा यदि उक्त मस्जिद से जुड़े एंडोमेंट फंड आवश्यक मरम्मत के लिए अपर्याप्त साबित होते हैं।
2. यह कि मुतवल्लि मुरादाबाद के कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना उक्त मस्जिद की कोई मरम्मत नहीं करेंगे।
3. यह कि मुतवल्लि उक्त मस्जिद को नष्ट, हटा, बदल, विकृत या खतरे में नहीं डालेंगे।
4. यह कि मुतवल्लि मुरादाबाद के कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना उक्त मस्जिद के स्थल पर या निकट निर्माण नहीं करेंगे।
5. यह कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उक्त मस्जिद पर इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में किसी भी तरह हस्तक्षेप या बाधा नहीं डालेगा।
6. यह कि आगंतुकों को उक्त मस्जिद तक मुक्त पहुंच होगी लेकिन मुतवल्लि और मुस्लिम जनता की धार्मिक संवेदनशीलता का उचित ध्यान रखते हुए।
7. यह कि मुतवल्लि पुरातत्व अधिकारियों या मुरादाबाद के कलेक्टर द्वारा प्रतिनियुक्त ऐसे अन्य व्यक्तियों को उक्त मस्जिद की मरम्मत या निरीक्षण करने की अनुमति देंगे।
8. यह कि मुतवल्लि उक्त मस्जिद के संरक्षक होंगे और इसे साफ-सुथरा रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।
9. यह कि समझौता उक्त मस्जिद के मुतवल्लि होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा।

10. यह कि समझौते की शर्तें समय-समय पर अवसर के अनुसार आगरा और अवध की यूनाइटेड प्रोविंस सरकार की मंजूरी से और मुतवल्लियों की सहमति से बदली जा सकती हैं।

11. यह कि मुरादाबाद का कलेक्टर आगरा और अवध की यूनाइटेड प्रोविंस सरकार की पूर्व मंजूरी से मुतवल्लियों को लिखित रूप में छह महीने की पूर्व सूचना देकर समझौते को समाप्त कर सकता है।

12. यह कि इसी तरह मुतवल्लि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को छह महीने की सूचना देकर समझौते को समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि मुतवल्लियों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, यदि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसा दावा करता है, उक्त समझौते की समाप्ति से पहले के पांच वर्षों के दौरान इमारत की मरम्मत, रखरखाव और देखभाल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा वहन की गई सभी खर्च की राशि का भुगतान करना होगा या समझौते के प्रभाव में होने की ऐसी भाग के दौरान।

13. यह कि रोहिलखंड डिवीजन का आयुक्त समझौते से उत्पन्न किसी विवाद का निर्णय करने वाला प्राधिकरण होगा।

14. यह कि मुतवल्लि मुरादाबाद के कलेक्टर को उक्त मस्जिद या उसके किसी भाग की बिक्री की पेशकश के मामले में छह महीने की पूर्व लिखित सूचना देंगे।

15. यह कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने आप को उक्त मस्जिद या उसके किसी भाग को उसके बाजार मूल्य पर खरीदने का अधिकार आरक्षित रखता है यदि इसे मुतवल्लियों द्वारा सह-हिस्सेदार के अलावा अन्य व्यक्ति को बिक्री के लिए पेश किया जाता है। एन.बी. धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मारकों के मामले में शर्त संख्या 14 और 15 आवश्यक नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे स्मारक सार्वजनिक संपत्ति होने के कारण बिक्री के लिए पेश नहीं किए जा सकते। साक्ष्य में जहां मुतवल्लियों ने यहां अपने हाथ सेट किए हैं और मुरादाबाद के कलेक्टर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ओर से यहां अपना हाथ और अपने कार्यालय की मुहर सेट की है। एसडी/एमडी. फैगिलुर रहमान एसडी/ए.पी. कलेक्टर, एस्क्वायर आई.सी.एस. कलेक्टर मुरादाबाद।

दिनांक 19.1.1927(1 मार्च 1927 को पंजीकृत) समझौते में प्रदान किया गया कि संरचना का रखरखाव और मरम्मत पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ओर से

किया जाएगा और यह पूरी तरह पुरातत्व विभाग के विवेक पर था कि समय-समय पर कोई मरम्मत आवश्यक है या नहीं। मरम्मत की लागत मस्जिद के रखरखाव के लिए बनाए गए एंडोमेंट से पूरी की जाती थी और यदि धन अपर्याप्त साबित होते तो राज्य प्रदान करता। मुतवल्लियों को मुरादाबाद के कलेक्टर की अनुमति के बिना मस्जिद में कोई मरम्मत करने से प्रतिबंधित किया गया था। समझौते से जुड़ी तीसरी शर्त मुतवल्लियों को उक्त मस्जिद को नष्ट, हटा, बदल, विकृत या खतरे में डालने से प्रतिबंध प्रदान करती थी। कलेक्टर, मुरादाबाद की अनुमति के बिना स्थल के निकट कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था। आगे, शर्त संख्या 6 प्रदान करती है कि आगंतुकों को उक्त मस्जिद तक मुक्त पहुंच होगी लेकिन मुतवल्लियों की संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए। समझौते में पुरातत्व विभाग और उसके अधिकारियों को मरम्मत और निरीक्षण की अनुमति भी दी गई। शर्त संख्या 8 प्रदान करती है कि मुतवल्लि मस्जिद के संरक्षक होंगे। इस प्रकार, समझौते के पढ़ने से स्पष्ट रूप से निकलता है कि मुतवल्लि वहां खड़ी संरचना के संरक्षक होंगे। निष्पादित समझौता समझौता निष्पादित होने के समय किसी भी पक्ष की संपत्ति की मालिकाना को परिभाषित नहीं करता है। स्वतंत्रता के बाद, एंशिएंटे एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स (डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस) एक्ट, 1951 (इसके बाद “1951 का अधिनियम” कहा जाएगा) अधिनियमित किया गया। 1951 का अधिनियम केवल कुछ स्मारकों आदि को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है और 1904 का अधिनियम ऐसे स्मारकों पर भी लागू होता है। भारत के संविधान के प्रवर्तन के बाद, उक्त “प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष” को तीन शीर्षों के तहत बांटा गया और 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत स्थान पाते हैं। संघ सूची के तहत, प्रवेशिका 67 प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों और पुरातत्व स्थलों और अवशेषों को प्रदान करती है जो संसद द्वारा बनाए गए या कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए गए हैं। सूची II-राज्य सूची के तहत, प्रवेशिका 12 के तहत प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख संसद द्वारा बनाए गए या कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए गए उनसे अलग पाते हैं। इसी तरह, सूची III-समवर्ती सूची के तहत, प्रवेशिका 40 पुरातत्व स्थलों और अवशेषों के लिए प्रदान करती है जो संसद द्वारा बनाए गए या कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए गए उनसे अलग हैं। 1904 का अधिनियम सभी प्राचीन स्मारकों को नियंत्रित करता है चाहे वे केंद्रीय क्षेत्र

या राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हों। कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र पर एक स्वयं निहित कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई जो सूची-1 की प्रवेशिका 67 के तहत आने वाले राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और समवर्ती सूची की प्रवेशिका 40 के तहत पुरातत्व स्थलों और अवशेषों पर निर्णायक रूप से लागू होगी। साथ ही, राज्य सरकारों को सलाह दी जाती थी कि वे राज्य सूची में प्रवेशिका 12 के तहत आने वाले प्राचीन स्मारकों के संबंध में समान कानून अधिनियमित करें। इस उद्देश्य के साथ अधिनियम संख्या 24 ऑफ 1958 अधिनियमित किया गया और धारा 39 के साथ निरसन और बचत खंड प्रदान करते हुए 28.08.1958 को प्रवर्तित किया गया। पहले के अधिनियम निरस्त हो गए जबकि 1904 के अधिनियम के अनुसरण में किए गए या छोड़े गए सभी कार्य बच गए। 1958 के अधिनियम के तहत, “प्राचीन स्मारक” को धारा 2(a) में परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है:- “2(a) “प्राचीन स्मारक” का अर्थ है कोई संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई टुमुलस या अंतिम संस्कार का स्थान, या कोई गुफा, रॉक-स्कल्प्चर, शिलालेख या मोनोलिथ, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम सौ वर्ष से अस्तित्व में है, और इसमें शामिल है- (i) प्राचीन स्मारक के अवशेष, (ii) (iii) प्राचीन स्मारक के स्थल के निकटवर्ती भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे स्मारक को बाड़ा लगाने या ढकने या अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो, और (iv) पहुंच के साधन, और सुविधाजनक निरीक्षण के लिए, एक प्राचीन स्मारक;

धारा 2(i) “संरक्षित क्षेत्र” को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार है:-

2(i) “संरक्षित क्षेत्र” का अर्थ है कोई पुरातत्व स्थल और अवशेष जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।

धारा 3 प्रदान करती है कि सभी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और सभी पुरातत्व स्थल और अवशेष जो राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए गए हैं प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक माने जाएंगे। धारा 4 केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल को जो अब तक घोषित नहीं किया गया है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। धारा 5 संरक्षित स्मारक में अधिकारों के अधिग्रहण के लिए प्रदान करती है जबकि धारा 6 समझौते द्वारा संरक्षित स्मारक के संरक्षण की बात करती है। दोनों धारा 5 और 6 यहां निकाले

गए हैं:- 5. संरक्षित स्मारक में अधिकारों का अधिग्रहण।—(1) महानिदेशक, केंद्र सरकार की मंजूरी से, किसी संरक्षित स्मारक को खरीद सकता है, या पट्टे पर ले सकता है, या उपहार या वसीयत स्वीकार कर सकता है। (2) जहां एक संरक्षित स्मारक मालिक रहित है, महानिदेशक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्मारक की संरक्षकता ग्रहण कर सकता है। (3) किसी संरक्षित स्मारक का मालिक लिखित दस्तावेज द्वारा महानिदेशक को स्मारक का संरक्षक नियुक्त कर सकता है, और महानिदेशक, केंद्र सरकार की मंजूरी से, ऐसी संरक्षकता स्वीकार कर सकता है। (4) जब महानिदेशक ने उप-धारा (3) के तहत स्मारक की संरक्षकता स्वीकार की है, तो मालिक, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, स्मारक में और उसके प्रति वही संपदा, अधिकार, शीर्षक और रुचि रखेगा जैसे कि महानिदेशक को संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया हो। (5) जब महानिदेशक ने उप-धारा (3) के तहत स्मारक की संरक्षकता स्वीकार की है, तो इस अधिनियम की धारा 6 के तहत निष्पादित समझौतों से संबंधित प्रावधान उक्त उप-धारा के तहत निष्पादित लिखित समझौतों पर लागू होंगे। (6) इस धारा में कुछ भी किसी संरक्षित स्मारक के पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा। 6. समझौते द्वारा संरक्षित स्मारक का संरक्षण।—(1) कलेक्टर, केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित होने पर, संरक्षित स्मारक के मालिक को निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्र सरकार के साथ स्मारक के रखरखाव के लिए समझौते में प्रवेश करने का प्रस्ताव देगा। (2) इस धारा के तहत एक समझौता निम्नलिखित सभी या किसी भी मामलों के लिए प्रदान कर सकता है, अर्थात:—

1. स्मारक का रखरखाव;
2. स्मारक की हिरासत और इसे देखने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति की कर्तव्य;
3. मालिक के अधिकार का प्रतिबंध— स्मारक का किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए, प्रवेश या निरीक्षण के लिए कोई शुल्क लेने के लिए, स्मारक को नष्ट, हटा, बदल या विकृत करने के लिए, या (iv) स्मारक के स्थल पर या निकट निर्माण करने के लिए;
4. जनता या उसके किसी भाग या पुरातत्व अधिकारियों या मालिक या किसी पुरातत्व अधिकारी या कलेक्टर द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को स्मारक का निरीक्षण या रखरखाव करने की अनुमति दी जाने वाली पहुंच की सुविधाएं;

5. केंद्र सरकार को दी जाने वाली सूचना यदि स्मारक जिस भूमि पर स्थित है या उसकी निकटवर्ती भूमि मालिक द्वारा बिक्री के लिए पेश की जाती है, और केंद्र सरकार को ऐसी भूमि या उसके निर्दिष्ट भाग को उसके बाजार मूल्य पर खरीदने का आरक्षित अधिकार;
6. स्मारक के रखरखाव से जुड़ी मालिक या केंद्र सरकार द्वारा खर्च की गई किसी भी राशि का भुगतान;
7. स्मारक के रखरखाव से जुड़ी खर्च जब केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है तो केंद्र सरकार में निहित होने वाले मालिकाना या अन्य अधिकार;
8. समझौते से उत्पन्न किसी विवाद का निर्णय करने के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति; और
9. स्मारक के रखरखाव से जुड़ा कोई भी मामला जो मालिक और केंद्र सरकार के बीच समझौते का उचित विषय है। (3) केंद्र सरकार या मालिक, इस धारा के तहत समझौते के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय, दूसरे पक्ष को लिखित रूप में छह महीने की सूचना देकर इसे समाप्त कर सकता है: बशर्ते कि जहां समझौता मालिक द्वारा समाप्त किया जाता है, वह केंद्र सरकार को, यदि कोई, स्मारक के रखरखाव पर खर्च की गई राशि का भुगतान करेगा समझौते की समाप्ति से तुरंत पहले के पांच वर्षों के दौरान या, यदि समझौता कम अवधि के लिए प्रभावी रहा है, तो समझौते के प्रभाव में होने की अवधि के दौरान। (4) इस धारा के तहत समझौता उस स्मारक के किसी भी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा जो इससे संबंधित है, जिसके माध्यम से या जिसकी ओर से समझौता निष्पादित किया गया था।”

इसी तरह, धारा 18 संरक्षित स्मारक तक पहुंच के अधिकार की बात करती है। इसके अनुसार, जनता को किसी संरक्षित स्मारक तक पहुंच का अधिकार होगा। प्रासंगिक प्रावधान यहां निकाला गया है:- “18. संरक्षित स्मारकों तक पहुंच का अधिकार।—इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम के अधीन, जनता को किसी संरक्षित स्मारक तक पहुंच का अधिकार होगा” केंद्र सरकार ने उसके बाद नियम बनाए जो द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स, 1959 कहलाते हैं। नियम 3 प्रासंगिक है और वही यहां निकाला गया है:- “3. समझौते द्वारा शासित स्मारक।-(1) संरक्षित स्मारकों तक पहुंच जिनके संबंध में मालिक और केंद्र सरकार के बीच धारा 6 के तहत समझौता हुआ है, या जिनके

संबंध में सरकार ने धारा 9 के तहत आदेश दिया है, समझौते या, जैसा मामला हो, आदेश के प्रावधानों द्वारा शासित होगी; और नियम 4, 5, 6 या 7 में कुछ भी ऐसी समझौते या आदेश को प्रभावित करने के रूप में व्याख्या नहीं की जाएगी। (2) प्रत्येक ऐसे समझौते या आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों की एक प्रति संबंधित स्मारक के प्रमुख भाग में प्रदर्शित की जाएगी।” नियम 3 के पढ़ने से स्पष्ट है कि धारा 6 के तहत मालिक और केंद्र सरकार के बीच निष्पादित समझौते के संबंध में संरक्षित स्मारक, या धारा 9 के तहत सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश, समझौते के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, जैसा मामला हो। 1927 में निष्पादित समझौता प्रथम दृष्टया प्रकट करता है कि मुतवल्लि विवादास्पद संरचना के संरक्षक हैं। समझौता कहीं भी मालिकाना दर्ज नहीं करता है। यह एक साक्ष्य का मामला है जिसे यदि आवश्यक हो तो मुकदमे की कार्यवाही में ट्रायल कोर्ट द्वारा देखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, 1904 के अधिनियम, उसके बाद 1920 की अधिसूचना और 1927 के बाद के समझौते और 1958 के अधिनियम के पढ़ने से, स्पष्ट है कि विवादास्पद संरचना 1920 में अधिसूचित संरक्षित प्राचीन स्मारक है। यह अधिसूचना के बाद था कि अधिसूचना के बाद समझौता तत्कालीन कलेक्टर, मुरादाबाद द्वारा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ओर से कार्य करते हुए और जामा मस्जिद के मुतवल्लियों द्वारा सुरक्षा और संरक्षण के लिए निष्पादित किया गया था। मुकदमा संख्या 182 ऑफ 2024 की याचिकाओं के अनुसार, वादी ने प्रारंभ में जुलाई, 2024 में, 1958 के अधिनियम की धारा 18 के तहत सार्वजनिक पहुंच के अधिकार के लिए एएसआई को नोटिस दिया। वाद में की गई प्रार्थना 1904 के अधिनियम की धारा 3 के तहत 1920 में जारी अधिसूचना के दृष्टिकोण से विवादास्पद संरचना तक पहुंच के अधिकार की मांग है और घोषणा की मांग है कि एएसआई का उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां पूजा स्थल का कोई रूपांतरण हो रहा है या पूजा स्थल की कोई धार्मिक प्रकृति बदली जा रही है। वादी ने केवल 1920 में घोषित संरक्षित स्मारक तक पहुंच के अधिकार की मांग की है 1958 के अधिनियम की धारा 18 के तहत। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रश्नगत संरचना 1920 में संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित की गई है, इसलिए यह उस समय मौजूद कानूनों द्वारा शासित होने के लिए बाध्य है जब अधिसूचना की गई और उसके बाद ऐसे संरक्षित स्मारक को शासित करने वाले कानून। 1904 और 1951 के अधिनियम निरस्त किए गए और 1958 में नया कानून अधिनियमित किया गया, पहले हुई सभी कार्रवाइयों को बचाते हुए। इस तथ्य का कोई इनकार नहीं है कि

1920 में संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित की गई खड़ी संरचना की स्थिति अभी भी 1958 के अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक के रूप में मौजूद है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिविल रिवीजन संख्या चार ऑफ 2025, जामी मस्जिद इंतजामियां कमेटी बनाम हरिशंकर जैन और 12 अन्य में, 1904 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट VII के प्रावधानों के अधीन बनाए गए समझौते की जांच की जो 13.01.1927 को जामा मस्जिद संभल के मुतवल्लियों और मुरादाबाद के कलेक्टर द्वारा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ओर से, 1904, 1958 के अधिनियमों के प्रावधानों, मुकदमे में वादी की प्रार्थनाओं आदि की जांच की और पैरा संख्या 98,117 से 121 के माध्यम से निम्नानुसार अवलोकन किया:-

पैरा संख्या 98 - इस प्रकार, कथित समझौते के पढ़ने से स्पष्ट रूप से निकलता है कि मुतवल्लि वहां खड़ी संरचना के संरक्षक होंगे। समझौता निष्पादित होने के समय किसी भी पक्ष की संपत्ति की मालिकाना को परिभाषित नहीं करता है। पैरा संख्या 117- रिवीजनकर्ता द्वारा स्थापित पूरा मामला 1927 में तत्कालीन कलेक्टर, मुरादाबाद और रिवीजनकर्ता के बीच हुए कथित समझौते पर आधारित है। एक बार रिवीजनकर्ता ने स्वयं 1991 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले और उसमें उल्लिखित कट ऑफ डेट से पहले 1904 के अधिनियम के अनुसरण में निष्पादित कथित समझौते को स्वीकार किया, वह इस चरण पर नहीं कह सकता कि मुकदमा 1991 के अधिनियम के प्रावधानों से वर्जित है। पैरा संख्या 118 - यह ऐसा मामला नहीं है जहां पूजा स्थल का कोई रूपांतरण हो रहा है या पूजा स्थल की कोई धार्मिक प्रकृति बदली जा रही है। वादी ने केवल 1920 में घोषित संरक्षित स्मारक तक पहुंच के अधिकार की मांग की है 1958 के अधिनियम की धारा 18 के तहत। एक बार, यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रश्नगत संरचना 1920 में संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित की गई है और वह आज तक अनचैलेंज्ड रही है, यह उस समय मौजूद कानूनों द्वारा शासित होने के लिए बाध्य है जब अधिसूचना की गई और उसके बाद ऐसे संरक्षित स्मारक को शासित करने वाले कानून। पैरा संख्या 119 – वर्ष 1904 और 1951 के अधिनियम निरस्त किए गए और 1958 में नया कानून अधिनियमित किया गया जो पहले हुई कार्रवाइयों को बचाता है। इस तथ्य का कोई इनकार नहीं है कि 1920 में संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित की गई खड़ी संरचना की स्थिति 1958 के अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक के रूप में मौजूद है। 1927 में निष्पादित कथित समझौता, रिवीजनकर्ता के

अनुसार, अभी भी वैध है और रिवीजनकर्ता और राज्य के बीच संबंध को शासित करता है। पैरा संख्या 120- एक बार, रिवीजनकर्ता ने स्वयं 1904 और उसके बाद 1958 के अधिनियम को स्वीकार किया है, वह 1991 के अधिनियम का आश्रय नहीं ले सकता। 2024 के वाद में पूजा स्थल के रूपांतरण या किसी स्थान की धार्मिक प्रकृति बदलने का कोई दावा नहीं है। 1958 के अधिनियम की धारा 18 के तहत वादी को प्राप्त अधिकार का दावा किया गया है। पैरा संख्या 121 - उपरोक्त के दृष्टिकोण से, मुझे लगता है कि रिवीजनकर्ता द्वारा वादी द्वारा दायर मुकदमे के 1991 के अधिनियम द्वारा वर्जित होने के संबंध में उठाया गया तर्क इस चरण पर पूरी तरह गलत है। यह रिवीजनकर्ता/प्रतिवादी संख्या 6 के लिए मुद्दे तैयार करने के समय या आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन देकर ऐसा मुद्दा उठाने के लिए खुला है।” आगे माननीय उच्च न्यायालय ने मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आवेदन और स्थानीय जांच के लिए आयुक्त नियुक्त करने के आवेदन को अनुमति देने के संबंध में अपने निष्कर्ष में पैरा संख्या 126 के माध्यम से निम्नानुसार अवलोकन किया: – “126. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि नीचे की अदालत द्वारा दिनांक 19.11.2024 को पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, जो आवेदन पेपर संख्या 3सी को मुकदमा दायर करने की अनुमति देने और स्थानीय जांच के लिए आयुक्त नियुक्त करने के लिए आवेदन 8सी को अनुमति देता है।”

उपरोक्त गवाहों के बयानों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि दिनांक 24.11.2024 की घटना एक अच्छी तरह योजित साजिश और योजना का परिणाम थी। दिनांक 19.11.2024 को अदालत के आदेश के तहत आयोजित अधूरा सर्वेक्षण स्थानीय राजनेताओं, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों, और सामान्य जनता को ज्ञात था। दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 के बीच, राजनीतिक हस्तियों, आपराधिक तत्वों, और जामा मस्जिद समिति के सदस्यों को भीड़ जुटाने और तैयार करने का पर्याप्त अवसर मिला। अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित, श्री जिया-उर-रहमान बर्क और श्री सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद समिति के श्री जफर अली और श्री महशूद अली फारुकी के साथ, जो मस्जिद पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे, ने मुस्लिम समुदाय से अदालत-आदेशित सर्वेक्षण की सच्ची प्रकृति छिपाने की साजिश रची। उन्होंने भीड़ को उकसाया और

जुटाया, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति शामिल हुए, घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। यह सरकार और उसके तंत्र को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया। हालांकि, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने अपनी त्वरित कार्रवाई से इसे रोकने में सफलता प्राप्त की।

अध्याय-8

साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन संदर्भ बिन्दुओं के संदर्भ में

आयोग संदर्भ बिंदु (a) और (c) का संयुक्त रूप से परीक्षण करता है क्योंकि वे परस्पर जुड़े हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(a) यह जांच करना कि क्या घटना अचानक हुई थी या अच्छी तरह से योजनाबद्ध थी और एक आपराधिक षड्यंत्र का परिणाम थी;

(c) उक्त घटना के होने के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाना;

(i) न्यायिक आयोग द्वारा उक्त संदर्भ बिन्दु के अनुसरण में घटना के पहलुओं की जांच करने के लिए यह आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह घटना अचानक हुई थी या अच्छी तरह से योजनाबद्ध थी और एक आपराधिक षड्यंत्र का परिणाम थी, साथ ही घटना के कारणों और परिस्थितियों का भी पता लगाया जाए।

(i) (a) एक घटना के घटित होने को विभिन्न स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, घटना योजनाबद्ध या अयोजनाबद्ध होती है, सार्वजनिक स्थान में होती है और इसके प्रभाव के कारण लोगों या संपत्ति के लिए की हानि, संकट या संभावित जोखिम का कारण बन सकती है, जिसका इरादा या उद्देश्य, एक्टस रियस (दोषपूर्ण कार्य), मेन्सिरिया (दोषपूर्ण मन), पीड़ित या लक्ष्य, संदर्भ या परिस्थितियां अक्सर आवश्यक कारक मानी जाती हैं। इसमें विभिन्न पहलू शामिल होते हैं जिनमें घटना का वर्णन, तिथि और समय, स्थान, शामिल पक्ष, चोटें या क्षति, योगदान देने वाले कारक और की गई कार्रवाई शामिल हैं। इसके अलावा घटना प्रतिक्रिया चरणों में प्रारंभिक प्रतिक्रिया, मूल्यांकन और विश्लेषण, संचार, पुनर्प्राप्ति, घटना के बाद की गतिविधि आदि शामिल हैं।

(i) (b) वर्तमान मामले में प्रश्नगत घटना में शामिल है, भीड़ का एकत्र होना (जो पर्याप्त प्रचार-प्रसार के बावजूद धारा 163 बीएनएसएस के उल्लंघन में विधि विरुद्ध जमाव था), जिसमें अधिकांश व्यक्ति मास्क आदि से अपनी पहचान छिपा रहे थे, उनके द्वारा नारेबाजी करना, पत्थरबाजी करना, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को जलाना, जिसमें पुलिस के वाहन

शामिल हैं, पुलिस गोला-बारूद की लूट, गोलीबारी, भीड़ में व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों को चोटें जिनमें एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सर्कल ऑफिसर, कांस्टेबल आदि शामिल हैं, और भीड़ के 4 व्यक्तियों की मौत ।

(i) (c) इस स्तर पर, हम यह स्पष्ट करना और रिकॉर्ड में दर्ज करना आवश्यक समझते हैं कि जांच आयोग के कार्य, क्षेत्र, कार्यप्रणाली और संदर्भ की शर्तों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई निम्नलिखित है:-

जांच आयोग को आम तौर पर सार्वजनिक हित के मामलों की जांच करने और उसके द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष देने का कार्य सौंपा जाता है। न्यायालयों के विपरीत जो साक्ष्य के कठोर नियमों से बंधे होते हैं, जांच आयोगों की प्रक्रियाएं अक्सर अधिक लचीली होती हैं। उन्हें सामान्य रूप से अपने निष्कर्षों को "संभावना की प्रबलता" के मानक पर आधारित करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि वे यह आकलन करते हैं कि क्या यह अधिक संभावना है कि कोई विशेष तथ्य या निष्कर्ष सत्य है, न कि आपराधिक मामलों में आवश्यक "उचित संदेह से परे" साक्ष्य की आवश्यकता के। यह दृष्टिकोण आयोगों को सूचनाओं की व्यापक श्रेणी पर विचार करने की अनुमति देता है, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सुनी-सुनाई बातें, समाचार पत्र की रिपोर्ट, बिना शपथ के बयान या प्रस्तुतियाँ शामिल हो सकती हैं, जो न्यायालय में स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। इसके अलावा, आयोग को तकनीकी प्रक्रियात्मक बाधाओं की तुलना में सत्य को उजागर करने को प्राथमिकता देनी होती है और साक्ष्यों का मूल्यांकन करके गैर-बाध्यकारी लेकिन प्रभावशाली निष्कर्षों और सिफारिशों तक पहुंचना होता है। ये निष्कर्ष सार्वजनिक नीति, जवाबदेही या आगे की कार्रवाई को सूचित करने का उद्देश्य रखते हैं, बिना न्यायालय के फैसले के विधिक प्रावधानों के आधीन। इसलिए जांच आयोग विरोधात्मक के बजाय अन्वेषणात्मक तरीके से कार्य करते हैं और परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष देते हैं, न कि अलग-अलग बिंदुओं पर।

सर्वोच्च न्यायालय ने **राम कृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस एस.आर. तेन्दुल्कर, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 538, कर्नाटक राज्य बनाम भारत सरकार ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 68, नागेन्द्र नाथ सिन्हा बनाम जांच आयुक्त (2008) 2 एस.सी.सी. 363,**

और टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य (2001) 6 एस.सी.सी. 181 जैसे मामलों में लगातार यह माना है कि जांच आयोग गवाहों की विश्वसनीयता और उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में सक्षम है। यह विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, विश्वास, सुसंगतता, न्यायिक या अन्य कारकों के आधार पर गवाही को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, बशर्ते वह ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड करे और आयोग न्यायालयों पर लागू साक्ष्य के कठोर नियमों से बंधे नहीं हैं। उनके पास तथ्य के खोज की भूमिका को सुविधाजनक बनाने वाली प्रक्रियाओं को अपनाने की लचीलापन होता है, जिसमें संभावनाओं और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर गवाहों की गवाही का आकलन शामिल है।

उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, आयोग दिनांक 24.11.2024 की घटना की जांच की सौंपी गई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहा है।

(i)(d) दिनांक 24.11.2024 को हुई घटना के कारण, न्यायिक जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए सबूतों की जांच से सामने आए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वादियों, प्रतिवादियों के साथ-साथ उनके विद्वान अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों (प्रत्यक्षदर्शी), जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों, अन्य प्रत्यक्षदर्शियों, एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक (एफएसएल) रिपोर्ट, बैलिस्टिक और अन्य रिकॉर्ड आदि के बयान शामिल हैं।

(i)(e) उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच और विश्लेषण तथा उनकी सत्यता को सावधानीपूर्वक जांच के बाद, आयोग दिनांक 24.11.2024 की घटना के कारण के रूप में निम्नलिखित परिस्थितिया पायी जाती है।

(ii) दिनांक 19.11.2024 को माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), चंदौसी, संभल की अदालत ने मुकदमा संख्या 182/24 (हरिशंकर जैन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में श्री रमेश सिंह राघव को अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया तथा उन्हें आदेशित किया कि जामा मस्जिद, संभल का सर्वेक्षण किया जाए और दिनांक 29.11.2024 तक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आदेश के अनुपालन में श्री रमेश सिंह राघव ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक संभल को एक पत्र भेजा, जिसमें सर्वे के समय आवश्यक

सहयोग और सुरक्षा का अनुरोध किया गया। कोर्ट कमिश्नर ने एक अन्य पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को उसी दिन जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए सूचित किया। परिणामस्वरूप, जिला मजिस्ट्रेट ने एसडीएम संभल, सीओ संभल और संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की तीन सदस्यीय समिति गठित की ताकि सर्वे के लिए सहायता प्रदान की जा सके। दिनांक 19.11.2024 की शाम को सर्वेक्षण शुरू करने से पहले जामा मस्जिद के सदर श्री जफर अली, एडवोकेट को अदालत के आदेश की सूचना कोर्ट कमिश्नर व प्रशासन द्वारा दी गई और आदेश की एक प्रति उन्हें प्रदान की गई।

(iii) कोर्ट कमिश्नर श्री रमेश सिंह राघव के साक्ष्य के अनुसार, सर्वेक्षण के दौरान, वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के पुत्र/प्रतिनिधि अर्थात् श्री सुहेल इकबाल, साथ ही दो से तीन सौ समर्थक, जामा मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद थे, जहां सर्वेक्षण हो रहा था। श्री जिया-उर-रहमान बर्क, श्री सुहेल इकबाल और मुस्लिम समुदाय के कुछ अन्य व्यक्ति बार-बार सर्वेक्षण कार्य में बाधा डालते रहे। जामा मस्जिद परिसर के बाहर, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसे प्रशासन और श्री जफर अली, जामा मस्जिद के सदर द्वारा बार-बार वापस जाने का अनुरोध किया गया। जामा मस्जिद परिसर के अंदर अंधेरा होने, राजनीतिक हस्तियों द्वारा डाली जा रही बाधाओं और नमाज के निर्धारित समय के कारण, सर्वेक्षण कार्य रोक दिया गया। एडवोकेट कमिश्नर ने प्रशासनिक अधिकारियों और जामा मस्जिद इंतैजामिया समिति के सदर को सूचित किया कि अगले सर्वेक्षण की तिथि और समय बाद में सूचित किया जाएगा। उसी दिन अर्थात् दिनांक 19.11.2024 को, एडवोकेट कमिश्नर ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सर्वेक्षण के दौरान डाली गई बाधाओं के बारे में लिखित रूप में सूचित किया।

(iv) दिनांक 20.11.2024 को एडवोकेट कमिश्नर ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा, जिसमें सर्वेक्षण जारी रखने के लिए सहयोग का अनुरोध किया गया। हालांकि, मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उप-चुनाव के कारण, पुलिस अधीक्षक पुलिस सहायता/बल प्रदान नहीं कर सके और इस प्रकार, दिनांक 20.11.2024 को सर्वेक्षण आगे नहीं किया जा सका।

(v) दिनांक 21.11.2024 को, दिनांक 19.11.2024 को हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक, संभल ने कोतवाली पुलिस स्टेशन पर मुस्लिम धर्म गुरुओं, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सभी सदस्यों और शांति समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई। उन्हें सूचित किया गया कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू है, जिसका पालन किया जाना चाहिए और दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान बड़ी भीड़ इकट्ठा होने जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्वेक्षण माननीय अदालत के आदेशों के तहत किया जा रहा है। सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई। कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एकता, नखासा और पंजू सराय पुलिस चौकियों पर भी बैठकें आयोजित की गईं, जहां प्रमुख स्थानीय व्यक्तियों को भी यह सूचित किया गया।

(vi) दिनांक 21/ 22.11.2024 को, जुमे की नमाज के दिन, सोशल मीडिया पर संदेश देखे गए, जिसमें “संभल सांसद” और “मन्नत” नामक व्हाट्सएप ग्रुप शामिल थे, जो लोगों को जुमे की नमाज केवल जामा मस्जिद पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने और उदारता से दान देने के लिए बुला रहे थे। जवाब में पुलिस ने कुछ पहचाने गए व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की और मुस्लिम धार्मिक नेताओं और जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों के वीडियो प्रसारित किए, जो लोगों से पास की मस्जिदों पर नमाज अदा करने और जामा मस्जिद पर इकट्ठा न होने का आग्रह कर रहे थे।

(vii) हालांकि, दिनांक 22.11.2024 को, जुमे की नमाज के लिए अपेक्षा से बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जिसके परिणामस्वरूप मस्जिद के अंदर जगह अपर्याप्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोग पास की छतों पर नमाज अदा करते देखे गए। इस दिन की भीड़ अन्य जुमे की नमाज के दिनों की तुलना में काफी ज्यादा थी।

(viii) स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क, जो आमतौर पर संभल में होने पर अपने निवास के पास की मस्जिद पर नमाज अदा करते हैं, दिनांक 22.11.2024 को जामा मस्जिद पर नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद, उन्होंने प्रेस को मस्जिद की सीढ़ियों से ही संबोधित किया और नमाजियों को इकट्ठा किया, सम्बोधन निम्नवत हैं, “हम अपनी जामा मस्जिद के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और इंशा-अल्लाह, जामा मस्जिद की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा, मैं और हर कोई हमेशा वहां रहेगा। कोई भी जामा मस्जिद

को हमसे नहीं छीन सकता; यह एक मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत के दिन तक मस्जिद रहेगी, इंशा-अल्लाह।” जब श्री जफर अली द्वारा रोका गया, तो उन्होंने कहा, “हम पुलिस, प्रशासन या सरकार से डरने वाले नहीं हैं। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर या गुलाम नहीं।” स्थानीय सांसद के इस संबोधन ने समाज और मीडिया को संदेश दिया कि संभल की जामा मस्जिद किसी प्रकार के खतरे में है, जिसके कारण सर्वेक्षण हो रहा है और मस्जिद को पुलिस, प्रशासन और सरकार की मदद से छीना जाएगा। दिनांक 23.11.2024 को, पुलिस ने श्री बर्क को धारा 168 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया, जिसमें शांति भंग की आशंका का हवाला दिया गया।

(ix) दिनांक 23.11.2024 को, कुंदरकी उप-चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसमें सांसद द्वारा समर्थित पार्टी हार गई। सांसद ने अपनी पार्टी की हार के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उसी दिन, सांसद संभल जिले से बाहर चले गए।

(x) दिनांक 23.11.2024 को एडवोकेट कमिश्नर ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा, जिसमें दिनांक 24.11.2024 को सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक सर्वेक्षण जारी रखने का अनुरोध किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने सहमति दी और पुलिस अधीक्षक को पुलिस सहायता/बल प्रदान करने का निर्देश दिया। सहमति प्राप्त करने के बाद, एडवोकेट कमिश्नर ने पत्र की एक प्रति श्री जफर अली, जामा मस्जिद के सदर और अन्य संबंधित अधिवक्ताओं को दिन के समय अदालत परिसर में प्रदान की। प्रशासन ने एसडीएम और सीओ के माध्यम से भी श्री जफर अली को उनके निवास पर पत्र की एक प्रति पहुंचाई। आगामी सर्वेक्षण की जानकारी प्राप्त करने पर, श्री जफर अली ने सांसद श्री बर्क को फोन पर और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक की गवाही के अनुसार, श्री जफर अली ने दिनांक 23 / 24.11.2024 की आधी रात को श्री सुहेल खान (कैशियर जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति) के निवास पर इंतेजामिया समिति की बैठक बुलाई, जहां सांसद से प्राप्त निर्देश सभी के साथ साझा किए गए। पुलिस अधीक्षक को यह जानकारी उनके स्रोतों से प्राप्त हुई। अपनी गवाही में, श्री जफर अली ने कहा कि “माननीय सांसद ने मुझे डीएम और एसपी से बात करके सर्वेक्षण रोकने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह मुश्किल होगा और हम इसे रोक नहीं पाएंगे।” सर्वेक्षण के

दिन अर्थात दिनांक 24.11.2024 को, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि, सर्दी का मौसम होने के बावजूद, लोग गांवों से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सुबह 5:00–5:30 बजे ही पहुंच रहे थे, सड़कों से ईंटें और पत्थर इकट्ठा कर ट्रॉलियों में लाद रहे थे। संभल जिले की कॉलोनियों में, मुस्लिम समुदाय के सदस्य तड़के जामा मस्जिद की ओर जाते देखे गए तथा तलवारें, लाठियां और पिस्तौलें लेकर, आपस में कहते हुए सुने गये कि आज मस्जिद में प्रवेश करने वाले सर्वेक्षण टीम के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और कोई उन्हें बचा नहीं सकेगा।

(xi) सर्वेक्षण टीम, प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों और वादी तथा प्रतिवादी पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ, सुबह लगभग 7:00–7:30 बजे जामा मस्जिद परिसर में प्रवेश किया ताकि सर्वेक्षण किया जाए। जैसे ही सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ, जामा मस्जिद पर भीड़ बढ़ने लगी। इस दौरान, जब सर्वेक्षण टीम ने मस्जिद परिसर के अंदर वजूखाना/जल टैंक (हौज) की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का अनुरोध किया, तो जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति ने वजूखाना/टैंक खाली करना शुरू कर दिया और पानी नालियों से बहने लगा। इस बीच श्री जफर अली (सदर जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति) पान-मसाला खाने के बहाने मस्जिद के अंदर से बाहर चले गए और लगभग आधे घंटे बाद लौटे। लौटने पर, उन्होंने मस्जिद के लाउडस्पीकर से घोषणा की, जिसमें बाहर की उत्तेजित भीड़ से शोर न करने और वापस जाने का आग्रह किया। हालांकि, भीड़ और अधिक आक्रामक हो गई और पुलिस तथा प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में और भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ और अधिक आक्रामक हो गई पत्थरबाजी, गोलीबारी और पास के वाहनों, ट्रांसफार्मरों तथा बिजली के तारों को आग लगाने का कृत्य करने लगे। सर्वेक्षण कार्य लगभग 10:30 बजे तक पूरा हो गया। श्री जफर अली ने फिर से लाउडस्पीकर से घोषणा की कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद मस्जिद के पास इकट्ठी पूरी भीड़ ने पुलिस और प्रशासन को पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी से निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। भीड़ से चार व्यक्ति भी अपनी जान गंवा बैठे और पोस्टमार्टम तथा बैलिस्टिक रिपोर्टों के अनुसार, उनकी मौत 0.315 बोर जैसे हथियारों से हुई।

(xii) पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार बिश्रोई के बयान के अनुसार, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, पुलिस ने मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद पहले आंसू गैस के गोले दागे, जो बहुत प्रभावी नहीं थे। इसके बाद मिर्ची ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड और अमिट श्याही गोले का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त 12-बोर पंप-एक्शन बंदूकें भी इस्तेमाल की गईं और कोतवाली के एसएचओ ने अपनी सर्विस 9 एम0एम0 ऑटो पिस्तौल से दो हवाई फायर किए। पूरे घटनाक्रम के दौरान, पुलिस ने विवेक और संयम का परिचय दिया, मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया। घायलों के इलाज के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से तुरंत अस्पतालों को सूचना दी गई और उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत अस्पतालों में पहुंचाया गया। पुलिस अधीक्षक को भी चोटें आईं। इसके अलावा भीड़ में चार लोगों की मृत्यु एक सुनियोजित साजिश का परिणाम थी और मुस्लिम पक्ष द्वारा देशी हथियारों से गोलीबारी की गई थी ताकि दंगे भड़काए जा सकें। मृतकों के पक्ष से किसी भी व्यक्ति ने यह दावा करते हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की कि उनके परिजन पुलिस की गोलीबारी के कारण मारे गए।

श्री श्रीश्रंद, एडिशनल पुलिस अधीक्षक, उत्तरी जिला संभल ने कहा कि पथराव के कारण कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। भीड़ ने सुनियोजित तरीके से पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की। घटना के दौरान, सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार की 9 एम0एम0 पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 कारतूस थे और कांस्टेबल कपिल कुमार के दो बॉक्स जिनमें 24 आंसू गैस गोले, 5 रबर बुलेट गोले, 25 खाली कारतूस, 25 प्लास्टिक पैलेट और पंद्रह 12 बोर कारतूस थे, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से भीड़ द्वारा लूट लिए गए। कपिल कुमार ने झड़प के दौरान हवा में एक आंसू गैस गोला दागा। सड़क पर खड़े चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने बिजली के ट्रांसफार्मर और केबल जलाए और आसपास के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और कांच तोड़ दिए। आक्रामक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और गोलीबारी की, जिससे कांस्टेबल कपिल कुमार, पंकज कुमार, राजपाल सिंह, शेर सिंह और सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार घायल हो गए।

इस हिंसक घटना में 28 पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए और दंगाइयों के पथराव से सरकारी दंगा नियंत्रण उपकरणों में 14 कैनशील्ड, 21 बॉडी प्रोटेक्टर, 17 लाठियां और 19 हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गए। सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने हसन और अन्य के खिलाफ कोतवाली संभल पुलिस स्टेशन में मुकदमा नंबर 333/24 दर्ज कराई।

(xiii) दंगे के बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और पास की नालियों को मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) से नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से एलआईयू और फील्ड यूनिट की मौजूदगी में साफ किया गया ताकि साक्ष्य एकत्र किया जा सके। जहां से एक विदेशी 12-बोर कारतूस बरामद हुआ, जिसका जब्ती मेमो तैयार किया गया। विशेष रूप से जन प्रतिनिधियों/जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उत्तेजक, भड़काऊ और भ्रामक बयान दिए गए जिससे असामाजिक तत्वों ने दिनांक 24.11.2024 को हिंसा आयोजित की, जिसमें गैर-स्थानीय दंगाई भी शामिल हुए जो स्थानीय दंगाइयों के साथ मिलकर आगजनी, गोलीबारी और पत्थरबाजी किये।

(xiv) 24 नवंबर 2024 को संभल जिले में हिंसा की घटना के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का विवरण जैसा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोग को प्रदान किया गया, निम्नानुसार है:

क्र०सं०	नाम	पदनाम	चलाये गये फायर आम्स	विवरण
1	प्र० नि० श्री अनुज तोमर	प्रभारी निरीक्षक	09 एमएम पिस्टल	02 वार्निंग शॉट हवा में फायर किये गये
2	का० विकेश कुमार	आरक्षी	एंटी राईट गन	10 राउंड फायर किये गये
3	का० सोमवीर	आरक्षी	टियर गैस गन	12 सेल फायर किये गये
4	का० 506 अमृत सिंह	आरक्षी	12 पम्प एक्शन गन	02 वार्निंग शॉट फायर किये गये
5	का० 681 नवीन कुमार	आरक्षी	12 बोर पम्प एक्शन गन	04 वार्निंग शॉट फायर किये गये

6	का0 743 सचिन कुमार	आरक्षी	12 बोर पम्प एक्शन गन	03 वार्निंग शॉट फायर किये गये
7	का0 08 राजपाल	आरक्षी	12 बोर पम्प एक्शन गन	02 वार्निंग शॉट हवा में फायर किये गये
8	का0 कपिल कुमार	आरक्षी	टियर गैस गन	01 सेल फायर किया गया

(xv) दिनांक 24.11.2024 को संभल में दंगे में मारे गए व्यक्तियों का विवरण और वह स्थान जहां से उनके शव बरामद हुए।

क्र0सं0	मृतकों का नाम	घटना स्थल	सम्बन्धित दर्ज मुकदमा
1	मृतक मो0 कैफ पुत्र मो0 हुसैन	दरियासिर के पास	मु0अ0सं0 306/24 धारा 103(1) बीएनएस
2	मृतक नईम पुत्र खुर्शीद दूल्हा	जामा मस्जिद के पीछे	मु0अ0सं0 338/24 धारा 103(1) बीएनएस
3	मृतक अयान पुत्र हनीफ	जामा मस्जिद के पास लगभग 100 मीटर	मु0अ0सं0 339/24 धारा 103(1) बीएनएस
4	मृतक बिलाल पुत्र हनीफ	जामा मस्जिद के पास लगभग 100 मीटर	मु0अ0सं0 340/24 धारा 103(1) बीएनएस

(xvi) दिनांक 24.11.2024 की घटना के स्वतंत्र गवाह अर्थात् ICW 129 श्री अनुराग गुप्ता, ICW 130 श्री अमन पूठिया, ICW 131 श्री अभिषेक शर्मा, ICW 132 श्री अर्जुन, ICW 133 श्री अलोक भारती, ICW 137 श्री सौरभ गुप्ता, ICW 140 श्री राहुल कुमार, ICW 141 श्री विक्की, ICW 142 श्री नितेश कुमार, ICW 145 श्री शोभित कुमार और अन्य ने अपने बयानों में कहा है कि इस घटना के समय संभल जिले में अपरिचित चेहरों की आवाजाही बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त घटना की सुबह मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में ईंटें और पत्थर लेकर पहुंचते देखे गए तथा वे लोग हाथों में हथियार लिये हुये जामा मस्जिद की ओर जाते हुए देखे गये। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि वे मस्जिद में प्रवेश करने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हस्तक्षेप करे। उसके बाद मस्जिद पर भारी पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी की सूचना मिली, आगजनी हुई

और नारेबाजी सुनी गई। यह न केवल पुलिस गवाहों द्वारा देखा गया, बल्कि घटना स्थल पर मौजूद स्वतंत्र गवाहों द्वारा भी देखा गया जो रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उनमें से ICW 172 श्री सन्नी गुप्ता, ICW 173 श्री अरुण कुमार, ICW 174 श्री भीष्म सिंह देवर, ICW 175 श्री ओमवीर सिंह, ICW 176 श्री अभिनव माथुर, ICW 177 श्री धर्मेन्द्र सिंह, ICW 178 श्री मुहम्मद मुलजमील, ICW 179 श्री प्रदीप, ICW 185 श्री गौरव श्रीवास्तव और ICW 186 श्री अंकित कुमार महत्वपूर्ण हैं। गवाह ICW 77 श्रीमती रुकय्या, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, ने कहा कि उन्होंने एक घर से पत्थरबाजी देखी। उन्हें एक अन्य महिला जिकरा के साथ गिरफ्तार किया गया और पत्थरबाजी वाला घर हुसना का था। ICW 78 श्रीमती जिकरा ने कहा कि उन्होंने छत से पत्थर फेंके क्योंकि उनका बच्चा घायल हो गया था और उन्होंने केवल दो पत्थर फेंके। ICW 79 कुमारी नजराना ने कहा कि हुसना बाजी, जिकरा बाजी, नूरी भाभी और मरियम पुलिस पर छत से पत्थर फेंक रही थीं। ICW 199 श्री विष्णु शर्मा ने कहा कि उन्होंने एसडीएम साहिबा के साथ मस्जिद की छत से घटना देखी, जहां भीड़ में लोग नारेबाजी, पत्थरबाजी, देशी तमंचों से गोलीबारी और वाहनों तथा मोटरसाइकिलों को आग लगाने में लगे हुए थे।

(xvii) श्री श्रीश्रंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उत्तरी जिला संभल, अनुज चौधरी सीओ संभल, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और उप निरीक्षक दीपक राठी आदि की गवाही के अनुसार, दिनांक 24.11.2024 की घटना का एक कारण क्षेत्र में दो समूहों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास था। श्री श्रीश्रंद का बयान बहुत महत्वपूर्ण है और वही यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“राजनीतिक महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप वर्तमान सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क एवं उनके स्व0 दादा शफीकुर्रहमान बर्क एवं विधायक श्री इकबाल महमूद के बीच चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता और मुस्लिमों का खैरखवाँ बनने के लिए बढ़ चढ़कर सक्रिय भागीदारी की जाती है एवं हिंसक घटना वाले दिनांक 24.11.2024 को भी इसी महत्वाकांक्षा के कारण वर्तमान सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क एवं विधायक श्री इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल द्वारा घटना में सक्रिय भूमिका निभाई गयी और लोगों को उद्वेलित किया गया । ”

(xviii) संभल जिले में मुसलमानों में दो समूह तुर्क और पठान सक्रिय हैं। जिसमें उनके बीच प्रभुत्व की लड़ाई के लिए एक हिंसक वातावरण बनाया जाता है, जिसे आगे दर्ज मुकदमों व गवाहों के बयान से बल मिलता है। वादी मुकदमा नसीम द्वारा दाखिल एफआईआर जो घटना दिनांक 24.11.2024 को उसके भतीजे वसीम को लगी चोटों के कारण दाखिल की गई थी, जिसमें घायल परीक्षित गवाह ICW-192 वसीम पुत्र नईम ने आयोग के समक्ष अपने बयान में कहा कि उसके चाचा नसीम ने एफआईआर दर्ज कराई जो अपराध संख्या - 342/2024 धारा 109,125,190,191(2),191(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस स्टेशन कोतवाली संभल में अज्ञात तुर्क समुदाय के खिलाफ दर्ज की गई, वह सही है, जिसमें लिखा है कि **“दिनांक 24.11.2024 को हमारे घर से कुछ दूर पर स्थित जामा मस्जिद में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सर्वे का काम किया जा रहा था, उसी समय शहर के कुछ शरारती व उपद्रवी लोगों ने जामा मस्जिद के आस-पास इकट्ठा होना शुरू कर दिया जिसमें तुर्क बिरादरी के लोग भी थे तथा कुछ उपद्रवियों के द्वारा सर्वे कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया गया । जब प्रशासन के लोगों ने पथराव कर रहे लोगों के समझाना चाहा तो पथराव कर रही भीड़ में से कुछ तुर्क बिरादरी के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी । अज्ञात तुर्क बिरादरी के उपद्रवियों द्वारा जान से मारने की नीयत से की जा रही फायरिंग में से एक गोली मेरे भतीजे वसीम जो कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, को लगी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया, हम लोग घायल वसीम को तुरन्त उठाकर डॉक्टर के पास ले गये ।”**

(xix) 24 नवंबर, 2024 को हुई घटना में निर्विवाद रूप से 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 28 पुलिस कर्मियों को चोटें आईं, जिनमें से 7 पुलिस कर्मियों को गोली लगने की चोटें आईं। सभी घायलों ने कहा कि उन्होंने घटना को देखा और उनके शरीर पर घटना में चोटें आईं। उपचार करने वाले डॉक्टरों और मेडिको-लीगल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों ने चोटों की पुष्टि की है। आयोग को घायलों और डॉक्टरों के साक्ष्य में कोई असंगति नहीं मिली। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 7 पुलिस अधिकारियों/पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों द्वारा की गई गोलीबारी से गोली लगने की चोटें आईं।

चार मृतकों का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों ने राय दी है कि उनकी मृत्यु गोली लगने की चोटों के परिणामस्वरूप हुई। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्रोई के बयान और उनकी पूरक शपथ-पत्र जिसमें एफएसएल आगरा की रिपोर्ट, जिसमें बैलिस्टिक विशेषज्ञ शामिल हैं। यह दर्शाता है कि पूरे घटनाक्रम का रिक्रियेशन एफएसएल आगरा के बैलिस्टिक विशेषज्ञों द्वारा घटना स्थल के निरीक्षण के माध्यम से किया गया। विशेषज्ञ टीम ने स्थल का भौतिक निरीक्षण किया, एफआईआर, मृतकों के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घायलों की चोट रिपोर्ट, घटनास्थल नक्शा, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच की और घटना स्थल से बरामद वस्तुओं का परीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि मृतक अयान के शरीर पर मिली गोली की चोट संभवतः नजदीक से गोली चलने के कारण हुई थी। मृतक नईम, कैफ और बिलाल के शरीर पर गोली की चोटें नजदीकी दूरी से परे की गई गोलीबारी से हुई थीं। मृतकों के शरीर पर चोटें 315-बोर जैसी गोली / कारतूसों के कारण हुई थीं। सर्कल ऑफिसर, संभल और एसआई संजीव कुमार के पैरों पर अग्नेयास्त्र की चोटें संभवतः 12-बोर जैसे हथियारों से नजदीकी दूरी से परे की गई गोलीबारी के कारण हुई थीं। मृतकों/घायलों के मिलने की जगहें और पुलिस पिकेट की जगहें एक-दूसरे के साथ संगत नहीं थीं। बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस पिकेट की जगहों से चलाई गई गोलियों का मृतकों की जगहों तक पहुंचना संभव नहीं था।

स्वीकार्य रूप से रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं है कि किसी पुलिस कर्मी के पास 315-बोर का कोई हथियार था, इसके अलावा रिकॉर्ड के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित सभी 4 व्यक्तियों के शव अलग-अलग जगहों से बरामद हुए थे।

रिकॉर्ड के अनुसार, 4 मृतकों के परिजनो ने एफआईआर दर्ज कराई थीं, आयोग ने शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में की गई आरोपों को जानने के लिए उनकी जांच करना आवश्यक समझा। संबंधित एफआईआर के तथ्य निम्नलिखित हैं:-

1. मृतक कैफ की मृत्यु के संबंध में, उनके पिता मोहम्मद हुसैन ने एफआईआर नंबर 306/2024, धारा 103(1) बीएनएस के तहत, स्टेट बनाम अज्ञात, नखासा पुलिस स्टेशन, जिला संभल में, 25.11.2024 को दर्ज की। जिसमें उन्होंने कहा कि “मेरा बेटा कैफ कॉस्मेटिक का सामान बेचता था। दिनांक 24.11.2024 को सुबह

करीब 11.30 बजे घर से सामान लेने के लिए खगूपुरा गया था। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दरियासिर के पास उसकी हत्या कर दी गई है, इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो मेरे बेटे कैफ का शव पड़ा हुआ था।”

दिनांक 24.04.2025 को, मोहम्मद हुसैन आयोग के समक्ष ICW 188 के रूप में पेश हुए, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में कहा कि मेरे द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सही है।

2. मृतक नईम की मृत्यु के संबंध में, उनके भाई श्री तसलीम ने एफआईआर नंबर 338/2024, धारा 103(1) बीएनएस के तहत, स्टेट बनाम अज्ञात भीड़, संभल पुलिस स्टेशन, जिला संभल में, 25.11.2024 को दर्ज की। जिसमें उन्होंने कहा कि “मेरा भाई नईम हलवाई की दुकान पर रहकर काम करता था। दिनांक 24.11.2024 को समय करीब 10.30 बजे घर से दुकान की तरफ जा रहा था। अचानक शोर-शराबा सुनकर भीड़ की तरफ देखने चला गया तो अज्ञात भीड़ द्वारा मेरे भाई नईम को गोली मार दी गई जिसकी हमें सूचना मिली तो हम मौके पर पहुंचे तो मेरा भाई नईम जमीन पर गिरा हुआ था।”

दिनांक 24.04.2025 को, श्री तसलीम आयोग के समक्ष ICW 189 के रूप में पेश हुए। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई की मृत्यु 24.11.2024 को दंगे के दौरान हुई थी, और इसके संबंध में उनके द्वारा दर्ज किया गया मामला सही है।

3. मृतक अयान की मृत्यु के संबंध में, उनके भाई श्री कामिल ने एफआईआर नंबर 339/2024, धारा 125, 103(1) बीएनएस के तहत, स्टेट बनाम अज्ञात, संभल पुलिस स्टेशन, जिला संभल में, 26.11.2024 को दर्ज की। जिसमें उन्होंने कहा कि “मेरा छोटा भाई अयान दिनांक 24.11.2024 को अपने घर से सिलाई का सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था। समय करीब 11.00 बजे दिन में जामा मस्जिद के पीछे कुछ पत्थरबाजों द्वारा पत्थरबाजी एवं फायरिंग की जा रही थी। जिसमें मेरा भाई अयान घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाते

समय मेरे भाई ने मुझे घटना की सारी बात बताई, मेरे भाई अयान की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।”

दिनांक 24.04.2025 को, श्री कामिल, ICW 190 के रूप में, आयोग के समक्ष कहा कि मेरे भाई की मृत्यु 24.11.2024 को जामा मस्जिद के पीछे हुई थी, जहां पत्थरबाज फायरिंग और पत्थरबाजी कर रहे थे, और वह इसमें फंसकर मर गया। हमारा भाई हमारी बहन के घर से लौट रहा था जब वह दंगे में फंस गया। इसके संबंध में मेरे द्वारा दर्ज किया गया मामला सत्य है।

4. मृतक बिलाल की मृत्यु के संबंध में, उनके भाई सलमान ने एफआईआर नंबर 340/2024, धारा 103(1) बीएनएस के तहत, स्टेट बनाम अज्ञात पत्थरबाज, संभल पुलिस स्टेशन, जिला संभल में, 26.11.2024 को दर्ज की। जिसमें उन्होंने कहा कि “मेरा भाई बिलाल दिनांक 24.11.2024 को समय लगभग 09.30 बजे घर से संभल स्थित सुपरमार्केट में अपनी रेडीमेड की दुकान खोलने गया हुआ था। उसी समय अचानक दुकानें बंद देख और शोर-शराबा सुनकर दुकान से वापस चल दिया, पड़ोसी से पूछने पर पता चला कि जामा मस्जिद संभल पर विवाद हो गया है। तभी बिलाल घर की ओर चल दिया तो रास्ते में पथराव और फायरिंग हो रही थी, कुछ ही देर में खबर मिली कि मेरे भाई को गोली लग गई है तथा अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।”

दिनांक 24.04.2025 को, श्री सलमान आयोग के समक्ष ICW 187 के रूप में पेश हुए। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई की मृत्यु उसी दिन घटना के दौरान हुई थी। उनके भाई ने कहा था कि वह दुकान पर गया था, जब उसे पता चला कि स्थिति बिगड़ रही है, तब वह घर आ रहा था। घर की ओर जाते समय पुलिस और जनता के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग हो रही थी और उस दौरान उसे गोली लगी थी। श्री सलमान ने आगे कहा कि एफआईआर के कथन ही उनका बयान है।

इस प्रकार, सभी चार मृतकों के परिजनों द्वारा दर्ज मामलों में सभी एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं और यह भी स्पष्ट किया

गया है कि मृत्यु पत्थरबाजों और भीड़ द्वारा की गई हिंसा में फंसने के कारण हुई थी। किसी भी परिजन ने न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही आयोग को दिए गए बयानों में कहा हो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की कार्रवाई के कारण हुई थी।

"ICW 61 अज़ीम ने आयोग के सामने अपने बयान में कहा है कि उसका घर मस्जिद से लगभग 20 किमी दूर है। जब वह गली में खड़ा था, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसे जांघ पर छर्रे से चोट लगी थी और वह चोट पुलिस की बंदूक से लगी थी। उसने स्वीकार किया है कि वह शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज के समय मौजूद था और जब उससे श्री ज़िया-उर-रहमान बर्क के भाषण के बारे में पूछा गया तो उसने यह बयान बदल दिया और कहा कि उसने शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज़ अदा नहीं की थी।

यदि उसे जांघ पर चोट लगी होती, तो निश्चित रूप से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया होता। इसके अलावा, गिरफ्तारी के बाद कोई भी उस पर गोली नहीं चला सकता था और अगर गिरफ्तारी से पहले उसे बंदूक की चोट लगी होती, तो वह वहां नहीं रुकता और चिकित्सा सहायता के लिए तुरंत भागा होता। उसने खुद कहा है कि वह असमोली का निवासी है, जो जामा मस्जिद से 20 किमी से अधिक दूर है और उसके द्वारा अपनी दुकान पर जाने का दिया गया कारण न तो तर्कसंगत है और न ही स्वीकार्य।

कमीशन के सामने बंदूक की चोट और मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में उसके द्वारा दर्ज कराई गई किसी भी एफआईआर का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया है। अज़ीम ने कमीशन के सामने यह भी नहीं कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने, उसे न्यायिक हिरासत में रखने के समय उसके द्वारा मजिस्ट्रेट से गोली लगने के बारे में कोई शिकायत की गयी।

यह स्वीकृत तथ्य है कि अज़ीम को घटना स्थल पर ही गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार, कमीशन ने उसके सबूतों की गहन जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अज़ीम का यह बयान विश्वसनीय नहीं है कि उसे जांघ पर बंदूक की गोली से चोट लगी थी। इसके विपरीत, यह साबित होता है कि वह एक विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों में से एक था जो मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व के आह्वान पर 20 किमी से अधिक दूर से सर्वे का विरोध करने के लिए वहां पहुंचा था।

ICW 62 हसन को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने आयोग के समक्ष कहा है कि उसे हाथ पर बंदूक की गोली से चोट लगी थी और यह चोट पुलिस द्वारा पहुँचाई गयी जहाँ से पुलिस 60 मीटर दूर थी। उसने इस बात से इनकार किया कि वह भीड़ में था। न तो उसके द्वारा, न ही उसके किसी रिश्तेदार द्वारा कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही उसके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी यूपी रूल्स 1985 के नियम 5(2) (b) के तहत नोटिस प्रकाशित होने के बावजूद, किसी ने भी कमीशन के सामने कोई बयान नहीं भेजा है। यदि उसके हाथ में ऐसी बंदूक की गोली से चोट लगी होती, तो न्यायिक अभिरक्षा के समय उसे मजिस्ट्रेट को दिखाना चाहिए था, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी चिकित्सा जांच के लिए निर्देश जारी किए गए होते। ऊपर बताई गई परिस्थितियों ने उसके बयान को अविश्वसनीय और झूठा बना दिया है।

ICW-192 वसीम को भी 24 नवंबर 2024 की घटना में गोली लगी चोट लगी और उसे इलाज के लिए मुरादाबाद भेजा गया। उसके चाचा ने एफआईआर दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि उसके भतीजे को गोली से चोट लगी और तुर्क विरादरी के कुछ लोग पठान से संबंधित लोगों पर गोलीबारी कर रहे थे। वसीम को आयोग द्वारा जांचा गया। उसने अपने बयान में एफआईआर के तथ्यों व कथनों को स्वीकार किया।

(xx) कई पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गवाहों ने भी कहा है कि उन्होंने भीड़ से गोलीबारी की आवाज सुनी और देखी, इसलिए एडिशनल एसपी श्रीश्रंद के शपथ-पत्र में उल्लिखित बयान कि चार व्यक्ति तुर्क और पठानों के बीच क्रॉस फायरिंग के कारण मारे गए, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

(xxi) आयोग को दिनांक 24.11.2024 को हुई घटना के हर पहलुओं की जाँच करने का अधिकार है। इसलिए गवाहियों और हमारे समक्ष एकत्रित साक्ष्यों की जाँच करने के बाद। उपरोक्त के विचार विमर्श से यह प्रतीत होता है कि भीड़ (विधि विरुद्ध जमाव) का हिस्सा रहे, 4 व्यक्तियों की मृत्यु भीड़ में मौजूद उपद्रवियों अर्थात् तुर्क और पठानों द्वारा की गयी क्रॉस फायरिंग का परिणाम थी।

(xxii) उक्त घटनाओं में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 07 एफआईआर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा और 05 एफआईआर निजी व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई हैं जिसमें 04 एफआईआर चार व्यक्तियों की मौत के संबंध में और 01 वसीम को लगी आग्नेयास्त्र चोट के संबंध में हैं। एसपी कार्यालय संभल द्वारा सूचित किया गया है कि 07 मामलों में चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई हैं जबकि शेष मामलों की जांच चल रही है।

(xxiii) आयोग के समक्ष सुहेल इकबाल की गवाही के अनुसार कि दिनांक 24.11.2024 को वह अपने पिता श्री इकबाल महमूद, स्थानीय विधायक से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए, इंतेजामिया समिति के सदस्यों को सर्वेक्षण में सहयोग करने के निर्देश सूचित करने के लिए वह जामा मस्जिद के पास स्थित श्री महशूद अली फारुकी के निवास पर लगभग 6:00 बजे पहुंचा लेकिन सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने उसे मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वह श्री महशूद अली फारुकी के निवास पर लगभग 05:30–06:00 PM तक रहा।

(xxiv) इसके अलावा पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार, घटना के दौरान श्री सुहेल इकबाल जो जामा मस्जिद के पास श्री महशूद अली फारुकी के निवास पर थे, बार-बार भीड़ में जाते देखे गए। वह फोन के माध्यम से लोगों से निरंतर संपर्क में भी रहे। हालांकि अपनी गवाही में श्री सुहेल इकबाल ने कहा कि “मैंने न तो दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण कार्य में बाधा डाली और न ही विरोध किया। मैंने हमेशा सहयोग किया और उस समय पुलिस के सामने लोगों को समझाया कि वे चले जाएं, जिसके बाद भीड़ चली गई।” हालांकि, दिनांक 24.11.2024 को श्री सुहेल इकबाल जामा मस्जिद से लगभग 30 मीटर दूर सुबह लगभग 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मौजूद थे, लेकिन अपनी गवाही में उन्होंने इकट्ठी भीड़ को अदालत के आदेश के अनुपालन में सर्वेक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं कही, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीड़ को शांत करने का कोई प्रयास नहीं किया, इस तथ्य के बावजूद कि भीड़ उनके निर्देशों का पालन करती थी।

(xxv) आयोग का विचार है कि श्री सुहेल इकबाल का बयान कि वह अपने पिता/स्थानीय विधायक के निर्देशों को संप्रेषित करने के लिए सुबह जामा मस्जिद पहुंचे, एक अच्छी तरह

सोची-समझी कहानी है, क्योंकि मोबाइल के युग में कोई व्यक्ति स्थानीय विधायक/अपने पिता से प्राप्त निर्देशों को व्यक्तिगत रूप से संप्रेषित करने क्यों जाएगा। यहां तक कि स्थानीय विधायक होने के नाते भी, श्री इकबाल महमूद इंतेजामिया समिति के सदस्यों से सीधे अपने मोबाइल के माध्यम से संवाद कर सकते थे।

मशहूद अली फारुकी एक सैयद होने के नाते जिनके परिवार की कब्रें मस्जिद के बगल में हैं इस कारण वह जामा मस्जिद पर प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए मशहूद अली फारुकी ने सुहेल इकबाल को अपने घर पर रहने की अनुमति दी, जहां उन्होंने फोन के माध्यम से लोगों से संपर्क करके भीड़ को भड़काना शुरू किया।

(xxvi) साक्ष्य यह भी इंगित करते हैं कि जब श्री जफर अली ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से घोषणाएं कीं, तो भीड़ और अधिक उत्तेजित हो गई। घोषणाएं करते समय, वह मस्जिद की छत से भीड़ की ओर अपना हाथ लहराते और मुस्कुराते देखे गए, जो सुझाव देता है कि उनका व्यवहार उनके बयानों से विरोधाभासी था और ऐसा लगता है कि यह भीड़ को अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का संकेत था।

श्री जफर अली ने स्वीकार किया है कि जब वजूखाना(हौज) से पानी निकाला जा रहा था तो वह भीड़ से किसी को गुटखा लाने के लिए भेजने के बहाने मस्जिद के बाहर गए। हालांकि कोई गवाह ने गवाही नहीं दी कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में मस्जिद के आसपास की दुकानें खुली थीं। गुटखा लाने के लिए भेजा गया व्यक्ति एक संदेशवाहक के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से सुझाव मिलता है कि जब हौज से पानी निकाला जा रहा था, तो भीड़ को एक गुप्त संदेश पहुंचाया गया, जिससे वह अत्यधिक उत्तेजित हो गई।

(xxvii) इस रिपोर्ट के पूर्ववर्ती पैराग्राफों/अध्याय में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जामा मस्जिद के सदर श्री जफर अली, श्री जिया-उर-रहमान बर्क, श्री सुहेल इकबाल, श्री कासिम जमाल एडवोकेट, श्री मशहूद अली फारुकी एडवोकेट और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों द्वारा बनाई गई थ्योरी कि मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जामा मस्जिद

के तीन तरफ इकट्ठे हुए और वह सिर्फ यह जानना चाहते थे कि दिनांक 24.11.2024 को फिर से सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा था, जबकि यह 19 नवंबर 2024 को पूरा हो गया था। दूसरा, जब जामा मस्जिद से वजूखाना का पानी तेजी से निकलना शुरू हुआ तो भीड़ हिंसक हो गई, जो अविश्वसनीय और एक गद्दी हुई कहानी/संस्करण है।

आयोग द्वारा परीक्षित किये गए गवाहों में इन 06 गवाहों को छोड़कर, जो इंतेजामिया समिति से संबंधित हैं, ने स्पष्ट कहा है कि दिनांक 24.11.2024 की हिंसा की घटना पूर्व-नियोजित थी और षड्यंत्र का परिणाम थी।

एक विधि-विरुद्ध कार्य की योजना या विधि-विरुद्ध साधनों से किया जाने वाला विधिक कार्य या षड्यंत्र हमेशा गुप्त रूप से रचा जाता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष साक्ष्य से सिद्ध करना बहुत मुश्किल है और इसे अप्रत्यक्ष साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात् परिस्थितिजन्य साक्ष्य। रिकॉर्ड पर साक्ष्यों से उभरने वाली परिस्थितियां निम्नानुसार हैं –

a) श्री जिया-उर-रहमान बर्क, श्री सुहेल इकबाल और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों सहित सदर जामा मस्जिद, श्री जफर अली द्वारा दिनांक 19.11.2024 को सर्वे कार्यवाही में बाधा डालना, आपत्ति उठाना और एडवोकेट कमिश्नर को सर्वेक्षण जल्दी पूरा करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देना।

b) दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण पूरा होने के ठीक बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर श्री जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा मीडिया व्यक्तियों को उत्तेजक भाषण और बाइट देना।

c) 21 नवंबर 2024 की रात को मुस्लिम समुदाय से संबंधित जनता को व्हाट्सएप संदेश कि वे बड़ी संख्या में जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा करें और धन प्रदान करें, जब कि प्रशासन द्वारा अपने निवास के पास की मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा करने का आह्वान किया गया था।

d) मुस्लिम समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में सभा और श्री जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा शुक्रवार की नमाज के बाद 22 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दूसरी बार उत्तेजक भाषण तथा मीडिया को बाइट देना।

e) दिनांक 23/ 24.11.2024 की मध्यरात्रि में श्री जफर अली द्वारा जिया-उर-रहमान बर्क को व्हाट्सएप कॉल व सामान्य कॉल करना ।

f) सर्दी के मौसम में 24 नवंबर 2024 को सुबह 7 से 8 बजे मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, जो संभल और संभल के बाहर से संबंधित थे, अपने चेहरे छिपाकर और हाथों में लाठी, डंडा और घातक हथियार लेकर जामा मस्जिद पहुँचना ।

g) भीड़ द्वारा पत्थरबाजी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जलाना, गोलीबारी और धार्मिक नारे जैसे “अल्लाह-हु-अकबर” और “गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा” आदि लगाना।

h) दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान भीड़ द्वारा जामा मस्जिद में प्रवेश करने का प्रयास एडवोकेट कमिश्नर, मुकदमा संख्या 182/2024 के वादी के वकील को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को चोटें पहुंचाना।

i) सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान, श्री जफर अली पान-मसाला खाने के बहाने मस्जिद छोड़कर गए, मस्जिद के पीछे की ओर जहां भीड़ इकट्ठी थी और लगभग आधे घंटे से पैंतीस मिनट बाद लौटे। श्री जफर अली के मस्जिद छोड़ने के बाद, श्री मशहूद अली और श्री कासिम जमाल, एडवोकेट भी मस्जिद के बाएं तरफ से बाहर गए और लगभग आधे घंटे बाद लौटे।

j) बाहर से लौटने पर श्री जफर अली ने मस्जिद के लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को संबोधित किया, जिसमें कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उस समय, भीड़ नारे लगा रही थी, “नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हु-अकबरा” एसडीएम श्रीमती वंदना मिश्रा ने जफर अली से अनुरोध किया कि वह भीड़ को शांत करें। फिर वह जामा मस्जिद की छत पर गए, भीड़ की ओर अपना हाथ उठाया, मुस्कुराए और लौट आए।

k) सुबह लगभग 10:00–10:30 बजे सर्वेक्षण कार्यवाही पूरी होने पर, श्री जफर अली ने मस्जिद के लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा की कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है और चिंता की कोई बात नहीं है और आप लोग घर जाएं। हालांकि, उनके संबोधन ने भीड़ को और

अधिक क्रोधित कर दिया, नारे तेज हो गए, पत्थरबाजी बढ़ गई और आगजनी और गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने लगी।

(xxviii) उपरोक्त परिस्थितियों पर कोई निष्कर्ष देने से पहले, आयोग उचित समझता है कि (i) आपराधिक षड्यंत्र (ii) दुष्प्रेरण (iii) विधि-विरुद्ध जमाव (iv) सामान्य आशय और (v) सामान्य उद्देश्य (vi) बलवा की परिभाषा की जांच करे। जैसा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रदान किया गया है जो निम्नानुसार है-

धारा 61 – आपराधिक षड्यंत्र- जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है।

धारा 45 – किसी बात का दुष्प्रेरण – वह व्यक्ति, किसी बात को किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो —

(क) किसी बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है, या

(ख) उस बात को करने के लिये किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये, या

(ग) उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1: कोई व्यक्ति जो, जानबूझकर मिथ्या निरूपण द्वारा, या किसी तात्त्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपास करता है, या कारित या उपास करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना उकसाता है।

स्पष्टीकरण 2: xxxxxxxxx

धारा 46 –दुष्प्रेरक - वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध

होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता है।

स्पष्टीकरण (1): किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।

स्पष्टीकरण (2): दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

स्पष्टीकरण (3): यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो, या उसका वही दुषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो।

स्पष्टीकरण (4): अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण, ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

स्पष्टीकरण (5): षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो, जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है।

धारा 189 विधिविरुद्ध जमाव : - 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव “विधिविरुद्ध जमाव” कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य है –

(क) केन्द्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद को या किसी राज्य के विधान मण्डल को, या किसी लोक सेवक को, जब वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आपराधिक बल द्वारा, या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना, या

(ख) किसी विधि के, या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना, या

(ग) किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, या

(घ) किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी सम्पत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपयोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से, जिसका वह कब्जा रखता है, या उपभोग करता है, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित कराना, या

(ड.) आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है या उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना।

स्पष्टीकरण – कोई जमाव, जो इकट्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, तत्पश्चात विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा।

धारा 3(5) – सामान्य आशय: - जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

धारा 190:- विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी:- यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, य कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

धारा 191 बलवा करना - (1) जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा, या उसके किसी सदस्य द्वारा, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा।

(xxix) आयोग के समक्ष इंतेजामिया समिति के सदस्यों श्री सुहेल इकबाल, श्री जिया-उर-रहमान बर्क और दंगाइयों के लिए या उनके खिलाफ कोई आपत्ति उठाने या तर्क प्रस्तुत करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। आयोग पर दायित्व है कि वह गवाहियों / दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे आपराधिक षड्यंत्र या दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं भले ही श्री जिया-उर-रहमान बर्क दिनांक 24.11.2024 को शहर से बाहर थे और श्री कासिम जमाल, श्री मशहूद अली फारुकी, श्री जफर अली आदि भीड़ में नहीं देखे गए क्योंकि वे सर्वेक्षण टीम के साथ मस्जिद में मौजूद थे और श्री सुहेल इकबाल श्री मशहूद अली फारुकी के निवास पर थे।

(xxx) कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि षड्यंत्र हमेशा गोपनीयता या गुप्त रूप से रचा जाता है, इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है।

(xxxi) अब 24 नवंबर 2024 को श्री जिया-उर-रहमान बर्क की अनुपस्थिति के बारे में प्रश्न उठते हैं। यह कहा जा सकता है कि जब वह घटना के समय संभल में मौजूद नहीं थे और दंगे में भाग नहीं ले रहे थे तो वे षड्यंत्र के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं और इसी तरह अन्य लोग जो भीड़ का हिस्सा नहीं थे बल्कि सर्वेक्षण टीम के साथ मस्जिद में थे और श्री सुहेल इकबाल श्री मशहूद अली फारुकी के निवास पर थे, जो जामा मस्जिद से 30 मीटर दूर है। इन परिस्थितियों में वे घटना के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।

(xxxii) मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान मौजूद व्यक्तियों की गवाहियों के अनुसार श्री जफर अली एडवोकेट (इंतेजामिया समिति के सदस्य), श्री कासिम जमाल, श्री मशहूद अली फारुकी एडवोकेट लगभग आधे घंटे के लिए मस्जिद परिसर छोड़कर गए, जब वजूखाना से पानी निकाला जा रहा था और श्री सुहेल इकबाल बार-बार भीड़ के साथ घुल-मिल रहे थे।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), AIR 1988 SC 1883 के मामले में षड्यंत्र के तथ्यों की गहराई से जांच की, जिसमें देखा गया कि जब कोई आरोपी एक आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा है, जो उसके सह-आरोपी द्वारा हत्या के अपराध के कृत्य की ओर ले जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी (षड्यंत्रकारी)

जो खुद अपराध के कृत्य में भाग नहीं लिया, को हत्या के मुख्य अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती और उसे केवल अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सजा दी जा सकती है यदि उसके खिलाफ धारा 109 के तहत कोई आरोप नहीं है। दोनों अपराधों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है: (i) षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। (ii) आपराधिक षड्यंत्र। पूर्व को धारा 107 के दूसरे खंड के तहत परिभाषित किया गया है और बाद को धारा 120-ए के तहत। धारा 120-ए के तहत बनाए गए आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का सार एक अपराध करने का मात्र समझौता है जो धारा 120-बी के तहत दंडनीय बनाया गया है। धारा 107 (दूसरा) के तहत बनाए गए दुष्प्रेरण का अपराध यह आवश्यक करता है कि मात्र षड्यंत्र से अधिक कुछ हो। उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप होनी चाहिए। यह धारा 107 (दूसरा) के शब्दों से स्पष्ट होगा: "किसी षड्यंत्र में संलग्न होता है..... उस चीज के करने के लिए, यदि कोई कार्य या अवैध लोप उस षड्यंत्र के अनुसरण में होती है...." इन दो श्रेणियों के अपराधों के लिए सजाएं भी काफी अलग हैं। धारा 109, आईपीसी, केवल उन दुष्प्रेरण की सजा से संबंधित है जिनके लिए दंड संहिता के तहत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए धारा 109 के तहत आरोप किसी अन्य मूल अपराध के साथ होना चाहिए जो दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो। दूसरी ओर, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध एक स्वतंत्र अपराध है। इसे धारा 120-बी के तहत दंडनीय बनाया गया है जिसके लिए धारा 109, आईपीसी के तहत आरोप अनावश्यक और वास्तव में अनुचित है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनवी सुब्बा राव बनाम राज्य, 2013 CrLJ 953 (962) (SC) और राज्य बनाम नलिनी AIR 1999 SC 2640 में यह अवधारित किया गया कि षड्यंत्र रचा जाता है और उक्त अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। आपराधिक षड्यंत्र का अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी सिद्ध किया जा सकता है।

3. राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम वीसी शुक्ला, AIR 1980 SC 1382 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आपराधिक षड्यंत्र को सिद्ध करने के लिए दो मस्तिष्कों का मिलना सिद्ध होना चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र के प्रमाण के लिए, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने का समझौता होने का प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य

साक्ष्य होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से कल्पना करता है कि आपराधिक कृत्य के संबंध में षड्यंत्रकारियों द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप दिमागों का मिलना होना चाहिए। वास्तव में ज्यादातर मामलों में षड्यंत्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा लेकिन साजिश को परिस्थितियों से अनुमानित किया जा सकता है जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के समझौते का निर्णायक या अपरिहार्य अनुमान देती हैं।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्प्रेरण के अपराध की जांच करते हुए, प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य, 2012 AIR SCW 5372 के मामले में माना है कि दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने वाले व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है न कि उस कार्य पर जो उकसाए गए व्यक्ति द्वारा किया जाता है। दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यंत्र या जानबूझकर सहायता से हो सकता है जैसा कि धारा 107 आईपीसी के तहत प्रदान किया गया है। हालांकि गुस्से में कहे गए शब्द या बिना गलत आशय के दुष्प्रेरण नहीं कहा जा सकता।

(xxxiii) दंगे के इस प्रस्तुत मामले में श्री जिया-उर-रहमान बर्क, जो संभल के सिटिंग एमपी हैं और विधि स्नातक हैं, ने मीडिया की पूछताछ के नाम पर तीन बार भाषण दिए ताकि मुस्लिम समुदाय को आगे आने के लिए उकसाया जाए कि जामा मस्जिद जो खतरे में है, उसकी रक्षा करें।

(xxxiv) अब आयोग को यह जांचना आवश्यक है कि क्या उपरोक्त दर्शाई गई परिस्थितियां आयोग के समक्ष एकत्रित और प्रस्तुत साक्ष्यों से सिद्ध होती हैं ?

यह तथ्य कि संभल के एमपी श्री जिया-उर-रहमान बर्क दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के दौरान जामा मस्जिद पहुंचे और श्री सुहेल इकबाल सर्वेक्षण शुरू होने से पहले ही मौजूद थे, विवादित नहीं हैं। यह श्री रमेश राघव एडवोकेट, श्री विष्णु शर्मा, वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर, एसपी श्री बिश्रोई और डीएम संभल की गवाहियों से सिद्ध होता है कि श्री जिया-उर-रहमान बर्क अदालत द्वारा पारित आदेश दिखाने की मांग कर रहे थे। वह और सुहेल इकबाल एडवोकेट कमिश्नर और प्रशासन के अधिकारियों से सर्वेक्षण जल्दी करने के लिए कह रहे थे, अन्यथा जामा मस्जिद के बाहर इकट्ठे लोग जामा मस्जिद में प्रवेश कर जाएंगे और स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। यह कई गवाहों और श्री रमेश राघव तथा

अन्य गवाहों द्वारा कहा गया है कि बाधा और अंधेरे के कारण, अधिवक्ता कमिश्नर सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। जिस तरह श्री बर्क अदालत द्वारा पारित आदेश की मांग कर रहे थे और सर्वेक्षण कार्यवाही जल्दी समाप्त करने के लिए कह रहे थे, वह एडवोकेट कमिश्नर और वादी के वकील को धमकी देने के अलावा कुछ नहीं था। उक्त परिस्थिती में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्वे कमिश्नर पुलिस और प्रशासनिक समर्थन की अनुपस्थिति में सर्वेक्षण शुरू करने की स्थिति में नहीं था।

(xxxv) जहां तक श्री बर्क के भाषणों का संबंध है, यह कई गवाहों के साक्ष्यों और मीडिया व्यक्तियों (प्रत्यक्षदर्शी) के साक्ष्यों और मीडिया व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत वीडियो क्लिप से सिद्ध होता है कि श्री बर्क ने दिनांक 19/11/2024 को उस दिन के सर्वेक्षण पूरा होने के बाद मस्जिद के बाहर मौजूद सभा सहित मीडिया व्यक्तियों की उपस्थिति में भाषण दिया। उनके द्वारा दिए गए भाषण का ट्रांसक्रिप्शन शब्दशः पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“इन्होंने अपनी रिपोर्ट सारा सर्वे ए टू जेड जिस तरीके से चाहते थे करा दिया गया है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, यह अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूंगा सरकारो को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसीकी मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला।”

“आदेश दिया गया था, जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी है स्थित वह अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अन्दर किसी प्रकार की छेड़खानी व विवाद नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग प्रदेश व देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि कोई देश का माहौल खराब करे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठायें।”

(xxxvi) व्हाट्सएप संदेश जो सांसद संभल नामक ग्रुप पर पुलिस द्वारा ट्रेस किया गया था जिसमें एक श्री अब्दुल्लाह ने एक संदेश पोस्ट किया था कि बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पहुंचें ताकि शुक्रवार की नमाज अदा करें और अधिक से अधिक धन का योगदान दें। इसे

21/22 नवंबर 2024 की मध्यरात्रि में वायरल किया गया। श्री बर्क इस संदेश से इनकार नहीं कर सके, उन्होंने केवल आयोग के समक्ष कहा कि उन्होंने यह संदेश नहीं देखा था। आयोग उचित विचार-विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे संदेशों के कारण, **7** से **8** हजार लोग शुक्रवार को जामा मस्जिद पहुंचे। नमाज के बाद, वे सीढ़ियों पर और जामा मस्जिद के आसपास रुके रहे और सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क का भाषण सुना। साक्ष्य रिकॉर्डिंग के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और उनका इरादा नमाजियों को संबोधित करने का नहीं था लेकिन वास्तव में श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने मीडिया की पूछताछ के नाम पर नमाजियों को संबोधित किया। उनके द्वारा दिए गए भाषण का ट्रांसक्रिप्शन निम्नानुसार है-

"सम्भल का पुलिस प्रशासन इस उत्तर प्रदेश के हुकूमत के अधिकारी पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और एक- दो घण्टे के बाद में यहां पर सर्वे कराने के लिए ले आये, इतनी जल्दी कौन सी थी क्या मजबूरी थी उनके सामने कि इतनी जल्दी सर्वे कराने लाये।"

"हमें अपने धर्म को अपनाने का हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है कि किस प्रकार यहां पर संविधान का गला घोंटा जा रहा है, किस प्रकार सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, लेकिन अभी इस मस्जिद की जंग के लिये हम लोग आगे हैं, इंशा अल्लाह-ताला हर तरह से जो भी जरूरत होगी हम जामा मस्जिद के लिये पूरी तरह से हिफाजत करने के लिये हमेशा मैं ही नहीं सारे लोग रहेंगे। हम अपने इस प्रदेश व देश के अंदर जो 1947 से पहले की मस्जिद धार्मिक स्थल है किसी को भी छीनने नहीं देंगे।"

"मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशा अल्ला मस्जिद रहेगी कयामत तक।"

"और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे।"

“हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर, गुलाम नहीं हैं।”

ICW-19 श्री श्रीश्रंद एडिशनल एसपी संभल और अन्य ने भी कहा कि श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने भी दिनांक 23.11.2024 को एक भाषण दिया था जिसमें कुंदरकी विधानसभा उप-चुनाव के परिणाम के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया गया, मीडिया व्यक्तियों के समक्ष उन्होंने जो कहा वह निम्नानुसार है-

“उत्तर प्रदेश में संविधान की हत्या हो गई है, पुलिस और प्रशासन सरकार के साथ मिलकर ऐसा कृत्य कर रही है”

(xxvii) उपरोक्त उल्लिखित भाषणों का श्री बर्क द्वारा इनकार नहीं किया गया है। उन्होंने केवल कहा कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उपरोक्त उल्लिखित भाषणों के पीछे उनका इरादा क्या था, इसे उन संदर्भ और संदर्भ से अनुमान लगाया जा सकता है जिसमें भाषण दिए गए थे। जिन परिस्थितियों में और जिस स्थान पर ये भाषण दिए गए, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उनका इरादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकजुट करने और शाही जामा मस्जिद को बचाने के लिए उकसाना था, क्योंकि इसका अस्तित्व खतरे में है। श्री बर्क द्वारा दिए गए भाषण उत्तेजक और अपराधपूर्ण हैं।

(xxviii) एसपी संभल, एडिशनल एसपी संभल और एसएचओ संभल ने अपने साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 23/ 24.11.2024 की मध्यरात्रि में, श्री जफर अली और श्री जिया-उर-रहमान के बीच मोबाइल पर बातचीत हुई थी और इसके लिए उन्होंने सीडीआर ट्रेस किया है। श्री जिया-उर-रहमान ने खुद इस तथ्य को स्वीकार किया कि श्री जफर अली ने उन्हें कॉल किया था, लेकिन उन्होंने केवल दिनांक 24.11.2024 को होने वाले सर्वेक्षण की जानकारी दी थी। जबकि श्री जफर अली ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने श्री जिया-उर-रहमान को मोबाइल फोन के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण होने वाला है। श्री जिया-उर-रहमान ने उनसे कहा कि वे जाकर एसपी और डीएम से मिलें और सर्वेक्षण रुकवाएं। एसपी श्री कृष्ण कुमार बिश्रोई के शपथ-पत्र में भी उल्लेख किया गया है कि एलआईयू की रिपोर्ट के अनुसार, जफर अली

और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों ने दिनांक 23/ 24.11.2024 की मध्यरात्रि में जामा मस्जिद के कैशियर सुहेल खान के घर पर बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित शेष सर्वेक्षण के निष्पादन को रोकने की योजना बनाई और एलआईयू की रिपोर्ट और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित बल तैनात किया और सभी व्यवस्थाएं कीं। इस प्रकार, यह परिस्थिति भी इंगित करती है कि इंतेजामिया समिति के सदस्यों ने श्री जिया-उर-रहमान बर्क की मिलीभगत से दिनांक 24.11.2024 के सर्वेक्षण को किसी भी कीमत पर रोकने की रणनीति बनाई।

(xxix) श्री रमेश सिंह राघव एडवोकेट कमिश्नर की सूचना के अनुसार, जामा मस्जिद का शेष सर्वेक्षण 24 नवंबर 2024 को सुबह 07.00 बजे से 11.00 बजे तक होना था। यह निर्विवाद है कि सर्वेक्षण कमिश्नर श्री रमेश सिंह राघव, वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर श्री विष्णु शर्मा, सदर श्री जफर अली सहित इंतेजामिया समिति के सदस्य, डीएम, एसपी और अन्य पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, सर्वेक्षण के लिए निर्धारित समय पर जामा मस्जिद पहुंचे।

(xi) जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों को आयोग द्वारा परीक्षित किया गया है। वहां मौजूद मीडिया व्यक्तियों को भी आयोग द्वारा परीक्षित किया गया है। उन्होंने अपनी गवाहियों में कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह 7:30 बजे से आने शुरू हो गए और सुबह 8:30 बजे तक हजारों व्यक्तियों की भीड़ मस्जिद के तीन तरफ इकट्ठी हो गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शी गवाहों द्वारा यह भी कहा गया है कि भीड़ में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें संभल में कभी नहीं देखा गया था। ICW-185 श्री गौरव श्रीवास्तव सीनियर संवाददाता, टाइम्स नाउ भारतवर्ष ने दिनांक 24.11.2024 की पूरी घटना को कवर किया, वह भी एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि कवरेज के दौरान उन्होंने एक लड़के को अपना आई-कार्ड दिखाते हुए देखा और यह कहते हुए सुना कि वह मस्जिद समिति से संबंधित है। जामा मस्जिद के अंदर कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा है। आप लोग, कृपया शांत रहें और वापस लौट जाएं। गवाह ने आगे कहा कि भीड़ में कुछ लोगों ने उसे चोट पहुंचाई। इस बीच उनकी मां वहां पहुंची और कहा कि वे संभल के निवासी नहीं हैं। गवाह

द्वारा यह भी कहा गया है कि दंगाइयों में से कुछ ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। ICW 160 श्री जमाल पुत्र इकबालुद्दीन ने भी कहा कि भीड़ में कई लोग थे जो संभल के निवासी नहीं थे। ICW-150 सोनू पुत्र राजपाल सिंह ने भी कहा कि दिनांक 24.11.2024 को, वह सुबह लगभग 5 से 5.30 बजे सैर के लिए गया था, जहां उसने देखा कि कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर संभल की ओर आ रहे थे और रास्ते में, निर्माणाधीन सड़क से पत्थर और ईंटें इकट्ठा कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे। इन गवाहों के साक्ष्य कई अन्य प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पुष्टि किए गए हैं।

(xli) जहां तक पत्थरबाजी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को जलाने, गोलीबारी, उत्तेजक धार्मिक नारे लगाने और आगजनी का संबंध है, सभी गवाह जिन्हें चोटें लगी थीं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जो कानून और व्यवस्था ड्यूटी के लिए मस्जिद के बाहर मौजूद थे, मीडिया व्यक्ति जो दिनांक 24.11.2024 की घटना को कवर कर रहे थे, ने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से दिनांक 24.11.2024 की पूरी घटना देखी है। कुछ अन्य सार्वजनिक और स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों ने भी पुलिस और प्रशासनिक व्यक्तियों के साक्ष्यों की पुष्टि करते हुए पूरी घटना का वर्णन किया है। कई गवाहों द्वारा यह भी कहा गया है कि भीड़ सर्वेक्षण की कार्यवाही को रोकने के इरादे से जामा मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी लेकिन पुलिस बल की तत्परता/सतर्कता के कारण, दंगाई जामा मस्जिद में प्रवेश करने में सफल नहीं हो सके।

(xlii) 24 नवंबर 2024 को, जब सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर द्वारा ICW 199 श्री विष्णु शर्मा, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर की मदद से दोनों पक्षों के वकीलों और प्रशासन के अधिकारियों-डीएम श्री राजेंद्र पेंसिया, एसडीएम श्रीमती वंदना मिश्रा, एसपी संभल श्री कृष्ण कुमार बिश्रोई की उपस्थिति में किया जा रहा था, एडवोकेट कमिश्नर ने इंतेजामिया समिति के सदस्यों से वजूखाना की गहराई, लंबाई और चौड़ाई मापने और वजूखाना की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए वजूखाना से पानी निकालने के लिए कहा। एसडीएम श्रीमती वंदना मिश्रा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर के अनुरोध पर वजूखाना से पानी निकाला गया। उन्होंने आगे कहा कि जब वजूखाना का पानी तेजी से बहने लगा तो जफर अली गुटखा-पान मसाला लाने के बहाने जामा मस्जिद के पीछे की

ओर चले गए और कुछ समय बाद एडवोकेट कासिम जमाल और एडवोकेट मशहूद अली फारुकी भी कुछ समय के लिए मस्जिद छोड़कर चले गए। उन्होंने आगे कहा कि श्री जफर अली 30 से 35 मिनट बाद जामा मस्जिद वापस आए। इस बीच हिंसा बढ़ गई। उन्होंने यह भी कहा है कि जब उन्होंने गोलीबारी की आवाज सुनी और आगजनी से धुआं देखा तो उन्होंने जफर अली से कहा कि वे मस्जिद की छत पर जाएं और भीड़ को फैलने और शांत होने की अपील करें। उन्होंने कहा कि उनके अनुरोध पर श्री जफर अली मस्जिद की छत पर गए, अपना हाथ लहराया, मुस्कुराए और वापस आ गए। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद श्री जफर अली फिर से मस्जिद की छत पर गए और लाउडस्पीकर के माध्यम से अपील की कि “सर्वेक्षण पूरा हो गया है और चिंता की कोई बात नहीं है”। इसके बाद भीड़ और अधिक हिंसक हो गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह श्री जफर अली भीड़ से अपील कर रहे थे, वह इंगित करता है कि वह भीड़ को और अधिक हिंसक होने के लिए उकसा रहे थे। आयोग को एसडीएम वंदना मिश्रा के साक्ष्य में कोई विरोधाभास या अतिशयोक्ति नहीं मिली। एसडीएम वंदना मिश्रा का साक्ष्य अन्य स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भी पुष्टि किया गया है। इस प्रकार पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित परिस्थितियां सिद्ध हो गई हैं।

(xliii) ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 19.11.2024 को सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान जामा मस्जिद पहुंचकर जफर अली, सुहेल इकबाल, कासिम जमाल और मशहूद अली से मिलकर शेष सर्वेक्षण को रोकने की साजिश रची और उनके सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने उत्तेजक भाषण दिया, जो माननीय सिविल कोर्ट के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ और प्रशासन/पुलिस के खिलाफ था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अनुरोध किया कि वे शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पर इकट्ठा हों, इस प्रकार उन्होंने नमाज अदा करने के बहाने लोगों को जामा मस्जिद पर इकट्ठा किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका वास्तविक इरादा लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें हिंदू समुदाय तथा संभल के प्रशासन के खिलाफ उकसाना था तथा ऐसी बाधा उत्पन्न करना था कि आगे सर्वेक्षण न हो सके।

(xliv) आयोग के समक्ष ठोस साक्ष्य है कि दिनांक 24.11.2024 के शेष सर्वेक्षण की सूचना प्राप्त करने के बाद, जफर अली ने दिनांक 23/ 24.11.2024 की मध्यरात्रि में श्री जिया-उर-रहमान से बात की और टेलीफोन पर श्री जिया-उर-रहमान ने जफर अली को सलाह दी कि वे जाकर डीएम और एसपी से बात करें, ताकि दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित सर्वेक्षण रुकवाया जा सके। यह साक्ष्य कि मुस्लिम समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों और इंतेजामिया समिति के सदस्यों की बैठक दिनांक 23/ 24.11.2024 की मध्यरात्रि में इंतेजामिया समिति के कैशियर, सुहेल के घर पर हुई थी, रिकॉर्ड पर है।

(xlv) दिनांक 24.11.2024 को धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश लागू था। धारा 163 मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है कि वह उपद्रव और आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी कर सके। यह धारा डीएम, एडीएम, एसडीएम या विशेष रूप से सशक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट को लिखित आदेश जारी करने की अनुमति देती है ताकि क्षति, बाधा, मानव जीवन को खतरा या सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाली स्थितियों को रोका या ठीक किया जा सके। रिकॉर्ड की जांच से पता चलता है कि धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश दिनांक 01.10.2024 को जारी और प्रचारित किया गया था और दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान जामा मस्जिद पर लोगों द्वारा उत्पन्न बाधा और जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी के बाद इसे दिनांक 22.11.2024 को फिर से प्रकाशित किया गया था।

(xlvi) सर्दियों के मौसम में सुबह ही मस्जिद के तीन तरफ हजारों लोगों का इकट्ठा होना, उनके हाथों में घातक हथियार होना, पत्थरबाजी, गोलीबारी और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, एसपी संभल सहित 28 पुलिस कर्मियों को चोटें पहुंचाना, प्रशासन और पुलिस द्वारा शांति बनाए रखने के आह्वान के बावजूद धारा 163 बीएनएसएस के आदेश की अवहेलना करना इंगित करता है कि भीड़ सर्वेक्षण कमिशन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की तैयारी के साथ वहां पहुंची थी।

(xlvii) उपरोक्त वर्णित सभी परिस्थितियां निर्विवाद रूप से सुझाती हैं कि दिनांक 24.11.2024 की हिंसा की घटना पूर्व-नियोजित थी और षड्यंत्र का परिणाम थी।

(xlviii) आयोग के समक्ष अगला प्रश्न दिनांक 24.11.2024 की हिंसा की घटना के पीछे के कारणों का पता लगाना है। पुनः, आयोग यहां जामा मस्जिद के संक्षिप्त इतिहास का उल्लेख करना उचित समझता है जो पहले अध्याय में पहले ही वर्णित किया गया है। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने किताबों, आइन-ए-अकबरी और बाबरनामा के आधार पर उल्लेख किया है कि विवादित स्मारक हरि हर मंदिर के खंडहरों पर हिंदूबेग द्वारा वर्ष 1526 में बाबर के आदेश पर बनाया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किसी हिंदू इतिहासकार द्वारा नहीं लिखी गई हैं। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो बाबर द्वारा खुद लिखी गई है और आइन-ए-अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। यह थ्योरी श्री कार्लाइल की वर्ष 1874 में तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट से समर्थन पाती है।

(xlix) विवादित जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है जो 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारकों संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3(3) के तहत अधिसूचित किया गया है।

(I) मुकदमा संख्या 182/2024 सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की अदालत में दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया कि जामा मस्जिद वर्ष 1526 में बाबर के आदेश पर बाबर के एक कर्मचारी द्वारा हरि हर मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी। वर्ष 1920 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है और प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 18 के अधिनियम के अनुसार, सभी को स्मारक तक पहुंच का अधिकार है। इंतेजामिया समिति जामा मस्जिद को मुकदमे में मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है।

(ii) रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान, सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क अपने समर्थकों के साथ जामा मस्जिद पहुंचे। उन्होंने और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों ने जिसमें सुहेल इकबाल शामिल हैं, सर्वेक्षण की कार्यवाही में बाधा डाली जो माननीय अदालत के आदेश के अनुपालन में की जा रही थी। उन्होंने अधिवक्ता कमिश्नर और उनके सहयोगी को भी धमकाया तथा कहा कि सर्वेक्षण जल्दी समाप्त करें, अन्यथा मस्जिद के बाहर मौजूद भीड़ अगर जामा मस्जिद में प्रवेश कर गई तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सांसद ने सैकड़ों व्यक्तियों की उपस्थिति में उत्तेजक भाषण दिया।

(iii) उन लोगों के दिमाग में क्या खटक रहा था और जिया-उर-रहमान बर्क अदालत के आदेश से क्यों नाखुश हो गए, यह आयोग के विचार का विषय है।

(liii) मुकदमा संख्या 182/2024 दोपहर के भोजन से पहले दिनांक 19.11.2024 को पंजीकृत किया गया था। इसे निषेधाज्ञा और कमिशन की अर्जी की सुनवाई के लिए दोपहर के भोजन के बाद फिर लिया गया। अदालत ने अस्थायी निषेधाज्ञा की अर्जी पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया लेकिन सर्वे कमीशन जारी करने की अर्जी को न्यायालय में अनुमति दे दी। श्री जफर अली, श्री कासिम जमाल, श्री मसूद अली फारुकी चंदौसी सिविल कोर्ट के प्रैक्टिशर एडवोकेट हैं। इसलिए यह स्वीकार/विश्वास नहीं किया जा सकता कि उन्हें मुकदमे के दायर होने और सर्वेक्षण कमिशनर की नियुक्ति के बारे में पता नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जानबूझकर कमिशन की अर्जी की सुनवाई के समय अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जबकि वादी के विद्वान एडवोकेट श्री विष्णु शंकर जैन की गवाही के अनुसार मामला दिनांक 19.11.2024 को सिविल जज के समक्ष 12:30 बजे पहले लिया गया था और सुनवाई के दौरान एडवोकेट कासिम जमाल जामा मस्जिद की ओर से मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपना पावर/वकालतनामा दाखिल नहीं किया, एडवोकेट जफर अली, जो जामा मस्जिद के सदर हैं, भी अदालत में मौजूद थे। माननीय अदालत ने धारा 80 सीपीसी के तहत वादी की अर्जी का फैसला करने के बाद कमिशन और अस्थायी निषेधाज्ञा की अर्जी पर मामले को दोपहर 2 बजे पोस्ट किया।

(liiv) विष्णु शंकर जैन की गवाही से आगे पता चलता है कि दोपहर 2 बजे सुनवाई के समय, कासिम जमाल और जफर अली, मस्जिद के अन्य एडवोकेटों के साथ अदालत में मौजूद थे और एसआई की ओर से एडवोकेट विष्णु शर्मा और डीजीसी (सिविल) श्री प्रिंस शर्मा मौजूद थे और अदालत के कमिशन की अर्जी पर आदेश के बाद, फाइल को अहलमद को भेजी गई, जिसे पैनल से अधिवक्ता कमिशनर का नाम नामित करना था और इस अवधि के दौरान कासिम जमाल ने अहलमद कक्ष में फाइल छीनने की कोशिश की जहां उनका उनसे विवाद हुआ।

(iv) जामा मस्जिद के बाहर 200 से 300 लोगों का इकट्ठा होना और श्री जिया-उर-रहमान के साथ 20 व्यक्तियों का होना, भीड़ द्वारा धार्मिक नारे लगाना इंगित करता है कि मुस्लिम

समुदाय के लोग और उनके नेता गैर-मुस्लिमों के जामा मस्जिद में हस्तक्षेप को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे लंबे समय से इसके मालिक के रूप में इसका विशेष रूप से आनंद ले रहे थे। श्रीमती नीति अनिल कुमार, सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद्, मेरठ ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है कि हालांकि जामा मस्जिद एसआई के नियंत्रण में है, फिर भी एसआई द्वारा दिनांक 25.6.2024 तक कोई निरीक्षण नहीं कर सका। उन्होंने आगे कहा कि डीएम संभल से अनुमति प्राप्त करने के बाद, जब वह और उनके अधीनस्थ जामा मस्जिद के निरीक्षण के लिए गयीं, तो कुछ लड़कों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इससे पता चलता है कि वे किसी गैर-मुस्लिम को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति नहीं देते, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।

(Ivi) दिनांक 19.11.24 का अधूरा सर्वेक्षण होने के बाद, श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने कई लोगों की उपस्थिति में उत्तेजक भाषण दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से दिनांक 22.11.2024 को शुक्रवार की नमाज के बाद लंबा भाषण दिया। भाषण के शब्द और श्री जिया-उर-रहमान के जवाब, भीड़ के समक्ष मीडिया के सवाल पर, मुस्लिम समुदाय को एकजुट होने और मस्जिद को बचाने का संदेश देने के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि मुकदमा संख्या-182/2024 के दायर के कारण जामा मस्जिद का अस्तित्व प्रशासन/पुलिस और न्यायपालिका की मदद से खतरे में है, यह संदेश देना मूल मकसद था।

(Ivii) मस्जिद की 2000 की क्षमता के खिलाफ शुक्रवार को 7000 से 8000 लोगों का इकट्ठा होना और वह भी प्रशासन और सदर जामा मस्जिद की अपील के बावजूद, स्पष्ट करता है कि वहां इकट्ठी हुई भीड़ व्हाट्सएप ग्रुपों और संचार के अन्य साधनों पर किए गए आह्वानों का परिणाम थी।

(Iviii) आयोग के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य है कि संभल के सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क दिनांक 23.11.2024 तक संभल में रहे और दिनांक 23/ 24.11.2024 की रात में बंगलुरु पहुंचे। श्री जफर अली ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि श्री जिया-उर-रहमान फोन पर दिनांक 24.11.2024 के लिए निर्धारित सर्वेक्षण को रोकवाने पर जोर दे रहे थे। एलआईयू की रिपोर्ट के अनुसार, इंतेजामिया समिति के कैशियर, सुहेल के घर पर भी बैठक हुई थी। ये सभी तथ्य इंगित करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग शेष सर्वेक्षण के निष्पादन को

रोकने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे और उनके सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भीड़ हथियारों के साथ एवं पूरी तैयारी के साथ जामा मस्जिद के पास इकट्ठी हुई और धार्मिक नारे लगाने लगी। उन्होंने मस्जिद में प्रवेश करने के सभी प्रयास किए और जब वे अपने उद्देश्य में विफल हो गए, तो वे हिंसक हो गए।

(Iix) दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू होने से पहले सुहेल इकबाल की मशहूद अली फारुकी, एडवोकेट/ सदस्य, इंतेजामिया समिति के घर पर उपस्थिति और पुलिस अधिकारियों के समक्ष उनका बयान, जो एसआई दीपक राठी और एसएचओ अनुज कुमार तोमर द्वारा उनके साक्ष्य में वर्णित किया गया है, दंगाइयों के लिए उकसावा है।

(Iix) पर्याप्त विचार विमर्श के बाद, आयोग का मत है कि श्री जिया-उर-रहमान बर्क संभल के सांसद/ स्वर्गीय श्री शफीक-उर-रहमान के पोते हैं, वह भी संभल के सांसद थे, श्री सुहेल इकबाल विधायक संभल के पुत्र और प्रतिनिधि (जैसा कि उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है)। दोनों समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं, जो यूपी में विपक्ष में है। संभवतः राजनीतिक कारणों से उन्होंने सर्वेक्षण का विरोध करने के सभी संभव प्रयास किए ताकि जनता को अपनी-अपनी शक्ति दिखाई जा सके।

(Ixi) आगे विभिन्न गवाहों की गवाहियों के आधार पर स्पष्ट है कि दिनांक 24.11.2024 की घटना एक अच्छी तरह से नियोजित षड्यंत्र और योजना का परिणाम थी। दिनांक 19.11.2024 को अदालत के आदेश के तहत किया गया अधूरा सर्वेक्षण स्थानीय राजनेताओं, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों और जनता को ज्ञात था। दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 के बीच, राजनीतिक हस्तियों, अपराधी तत्वों और जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों को षड्यंत्र रचने और विशेष समुदाय के लोगों को दिनांक 24.11.2024 को बड़ी संख्या में इकट्ठा करने के लिए तैयार करने और जुटाने का पर्याप्त अवसर था ताकि सर्वेक्षण की कार्यवाही किसी भी कीमत पर रोकी जा सके।

(Ixi) यहां यह उल्लेख करना उचित है कि साक्ष्यों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिनांक 24.11.2024 की घटना से पहले सभी संबंधित व्यक्तियों के विचारों का मिलना (meeting

of mind) था और परिणाम आगे स्पष्ट है कि विशेष समुदाय (मुस्लिमों) का 22 नवंबर, 2024 अर्थात शुक्रवार की नमाज पर जामा मस्जिद पर इकट्ठा होना, जिसमें श्री जिया-उर-रहमान बर्क, जो अपनी गवाही के अनुसार संभल में रहते हुए अपनी नमाज दीपा सराय के पास अदा करते हैं, जो जामा मस्जिद से लगभग 2 किमी दूर है और दिनांक 22.11.2024 को कोई विशेष अवसर न होने के बावजूद, उन्होंने जामा मस्जिद पर शुक्रवार की नमाज अदा की, ताकि असाधारण संख्या में इकट्ठे हुए नमाजियों को संबोधित करें और स्पष्ट रूप से मीडिया को स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा उचित प्रचार के लिए बुलाया गया था और उन्होंने शुक्रवार की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाजियों को प्रेस/मीडिया की पूछताछ के जवाब के नाम पर संबोधित किया।

(Ixiii) आगे दिनांक 24.11.2024 को बिना किसी अवसर के विशेष समुदाय के लोग सर्दियों की सुबह में ही जामा मस्जिद के तीन तरफ हजारों में इकट्ठा होना उनके धार्मिक और राजनीतिक नेताओं से किसी प्रेरणा/उकसावे या आह्वान के बिना नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित प्रभुत्व स्थापित करने के लिए श्री जिया-उर-रहमान बर्क और श्री सुहेल इकबाल ने अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य किया ताकि अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण का विरोध किया जा सके जहां श्री जफर अली ने श्री जिया-उर-रहमान बर्क के साथ सहयोग किया और जामा मस्जिद समिति के श्री महशूद अली फारुकी, जो मस्जिद पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे, ने श्री सुहेल इकबाल के साथ सहयोग किया और माननीय अदालत के सर्वेक्षण संबंधी आदेश की वास्तविकता को मुस्लिम समुदाय से छिपाने की साजिश रचे। श्री जिया-उर-रहमान बर्क सांसद संभल, जो न केवल विधि स्नातक हैं, बल्कि संसद सदस्य होने के नाते कानून बनाने वाले की श्रेणी में आते हैं, श्री सुहेल इकबाल विधायक संभल के पुत्र और प्रतिनिधि, श्री जफर अली सदर जामा मस्जिद संभल, कासिम जमाल, मशहूद अली संभल के स्थानीय अदालत में प्रैक्टिशिनर एडवोकेट हैं, ने भी मुकदमा संख्या 182/2024 में प्रार्थना को छिपाया, जहां वादियों ने संक्षेप में स्थायी निषेधाज्ञा के स्वरूप में डिक्री की मांग की है जिसमें प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वादी और जनता के सदस्यों को हरि हर मंदिर/जामी मस्जिद में प्रवेश करने में

कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न करने से रोकने की मांग की गई है जो मोहल्ला कोट पूर्वी वार्ड संख्या 11, पीएस कोतवाली शहर संभल में स्थित है जैसा कि मुकदमे के पैरा 1 और 2 में पूरी तरह वर्णित है, प्राचीन स्मारकों पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 18 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई शर्तों, स्थितियों और विनियमों के अनुसार और जामा मस्जिद को हरि हर मंदिर घोषित करने का कोई दावा/प्रार्थना नहीं थी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के दिनांक 19.11.2024 के आदेश के अनुसरण में सर्वेक्षण के स्थान/जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं था, न ही वाद पत्र में वादियों ने ऐसी कोई प्रार्थना की थी, आगे सर्वेक्षण जामा मस्जिद की प्रकृति को बदलने वाला नहीं था। श्री जिया-उर-रहमान बर्क सांसद संभल, श्री सुहेल इकबाल पुत्र और प्रतिनिधि, विधायक संभल, श्री जफर अली, एडवोकेट, सदर, जामा मस्जिद संभल, एडवोकेट कासिम जमाल, एडवोकेट मशहूद अली, श्री लद्दन खान आदि ने संयुक्त रूप से दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 को आक्रामक भीड़ का बचाव करते हुए कहा कि लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि पता लगाया जा सके कि उनकी मस्जिद का सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है और दिनांक 19.11.2024 के सर्वेक्षण के बाद, फिर से सर्वेक्षण क्यों, लेकिन उनकी पूछताछ को संतुष्ट करने के बजाय, लोगों को लाठी चार्ज का सामना करने के लिए मजबूर किया गया और भीड़ की कार्रवाई आत्मरक्षा में थी।

(Ixiv) आश्चर्यजनक रूप से संभल के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों ने कभी भी शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने या अदालत के आदेश का सम्मान करने/अनुपालन करने की अपील नहीं की।

जबकि राजनेता और इंतेजामिया समिति के सदस्य होने के नाते, जिनका समाज पर प्रभाव है, उनका यह कर्तव्य था कि वे शांति बनाए रखने और अदालत द्वारा पारित सर्वेक्षण के आदेश का सम्मान करने की अपील करते।

उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधियों/जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उत्तेजक, भड़काऊ और भ्रामक बयानों के कारण उपद्रवियों ने दिनांक 24.11.2024 की हिंसा को अंजाम दिया, जिसमें गैर-स्थानीय दंगाइयों ने आगजनी, गोलीबारी और पथराव में हिस्सा लिया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संभल के बाहर से हथियारों और पत्थरों के साथ आई

भीड़ केवल सर्वेक्षण के बारे में पूछताछ करने के लिए एकत्र हुई थी। मस्जिद समिति और प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों के समर्थन से भीड़ का मनोबल बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.11.2024 की हिंसक घटना हुई।

घटना से सम्बंधित हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के बयानों से भी पता चलता है कि दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान, सर्वे का विरोध करने वाली एक भारी भीड़ थी और वह हिंसा में शामिल थी। गिरफ्तार व्यक्तियों में से अधिकांश ने भीड़ में अपनी उपस्थिति से इनकार किया है लेकिन मीडिया कर्मियों द्वारा खींची गई उनकी तस्वीरों और ड्रोन के माध्यम से की गई वीडियोग्राफी के आधार पर उन्हें विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए और हिंसा में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

गवाहों के बयानों, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा तथ्यों और परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर, यह स्पष्ट है कि दिनांक 24.11.2024 की घटना एक सुनियोजित साजिश और उकसावे का परिणाम थी। दिनांक 19.11.2024 को अदालत के आदेश के तहत किया गया अधूरा सर्वेक्षण स्थानीय राजनेताओं, जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों के माध्यम से आम जनता को भी ज्ञात था। दिनांक 19.11.2024 से 24.11.2024 के बीच राजनीतिक हस्तियों, आपराधिक तत्वों और जामा मस्जिद समिति के सदस्यों को अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर तथा प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीड़ को उकसाने और जुटाने का पर्याप्त अवसर मिला। श्री जिया-उर-रहमान बर्क और श्री सुहेल इकबाल, साथ ही जामा मस्जिद समिति के श्री जफर अली और श्री महशूद अली फारुकी, जो मस्जिद पर अपना-अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे, ने मिलकर अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण की वास्तविक प्रकृति को मुस्लिम समुदाय से छिपाने की साजिश रची और वे भीड़ को भड़काने और जुटाने में सफल रहे।

(Ixxv) आगे उन्होंने भीड़ को उकसाया और जुटाया, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति शामिल हुए, घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार और उसकी मशीनरी को बदनाम करने की दुर्भावना / मंशा से किया गया। हालांकि, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने अपनी तत्परता की कार्रवाई से इसे रोका।

(Ixvi) उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग का विचार है कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा की घटना पूर्व-नियोजित थी और श्री जिया-उर-रहमान बर्क (सांसद संभल), श्री सुहेल इकबाल (विधायक संभल के पुत्र), श्री जफर अली (एडवोकेट, सदर जामा मस्जिद संभल), एडवोकेट कासिम जमाल, एडवोकेट मशहूद अली, श्री लद्दन खान (नायब सदर जामा मस्जिद) और अन्य द्वारा रचे गए षड्यंत्र का परिणाम थी। संदर्भ की शर्तें (a) और (c) तदनुसार उत्तरिता।

संदर्भ बिन्दु (b) संदर्भ की शर्त आयोग को जिला प्रशासन द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक बनाती है।

संदर्भ बिन्दु (b) निम्नानुसार है: -

(b) घटना के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई व्यवस्थाओं और उससे संबंधित अन्य पहलुओं की जांच करना;

1. 19 नवंबर 2024 के सर्वेक्षण के आदेशों के बाद संभल जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई व्यवस्थाएं
2. राज्य सरकार संदर्भ बिन्दु (b) के तहत आयोग को जांच देती है, कि “घटना के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई व्यवस्थाओं और उससे संबंधित अन्य पहलुओं की जांच करना।” विभिन्न शपथ-पत्रों का अध्ययन करने के बाद जो जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, अन्य अधीनस्थ अधिकारियों, जनता और प्रेस द्वारा प्रस्तुत किए गए, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के बाइट्स और प्रिंट मीडिया द्वारा कवरेज, जीडी प्रविष्टियां और संबंधित रिकॉर्ड तथा मौखिक गवाहियां और स्थल निरीक्षण आदि का जो आयोग उचित समझता है कि सबसे पहले जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का सारांश दें, जिसमें पुलिस शामिल है जैसा नीचे है-
3. नवंबर 19 और नवंबर 22, 24 को विवादित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित घटनाओं के बाद, जिला प्रशासन/पुलिस से अपेक्षा की जाती थी कि वे पहले से ही सांप्रदायिक रूप से उत्तेजित संभल शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बारीकी से व्यवस्थाएं करें, ताकि शेष सर्वेक्षण किया जा सके। संभल में सांप्रदायिक दंगों का बहुत लंबा इतिहास है जिसमें जान-माल की हानि हुई है और इसे यूपी के अति संवेदनशील शहर के रूप में माना जाता है। सरकार और स्थानीय जिला अधिकारी हमेशा सतर्क रहते हैं और सांप्रदायिक प्रकृति की सबसे छोटी घटना को भी शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है और बहुत सावधानी से संभाला जाता है। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की घोषणा दिनांक 19.11.2024 को किए गए सर्वेक्षण

के पहले चरण के बाद संभल में वातावरण बहुत सांप्रदायिक रूप से उत्तेजित हो गया था। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शेष सर्वेक्षण के लिए युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर पुलिस व्यवस्थाएं की गईं, सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए और किसी भी प्रकार की बाधा के बिना सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए तथा शांति बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय जिला अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण टीम की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए और सर्वेक्षण बिना बाधा के किया जा सके तथा हिंसा को रोकने के लिए तथा शांति बनाए रखने के लिए शुरू किए गए थे।

4. कोर्ट कमिश्नर 20 नवंबर 2024 की सुबह से शेष सर्वेक्षण करना चाहते थे, लेकिन एसपी संभल ने सही रूप से इसका विरोध किया, क्योंकि पर्याप्त बल की उपलब्धता नहीं थी। पुलिस को कुंदरकी विधानसभा उप-चुनाव के लिए संभल जिले से भी तैनात किया गया था, जो दिनांक 20.11.2024 को हुआ था, चुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सिटिंग विधायक जिया उर रहमान संभल के सांसद बन गए थे और खाली सीट के लिए चुनाव हुआ था। गिनती 23 नवंबर को हुई, भाजपा उम्मीदवार बड़ी अंतर से जीता और एसपी उम्मीदवार हार गया। जिले में पुलिस बल की उपलब्धता के बाद 24 नवंबर 2024 को किए जाने वाले शेष सर्वेक्षण के लिए एसपी संभल द्वारा पुलिस बल प्रदान किया गया। दिनांक 19.11.2024 से शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा कई निवारक उपाय किए गए, वही नीचे वर्णित हैं:-

5. शांति बनाए रखने के लिए और जनता से अनुरोध करने के लिए कि वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें, दिनांक 21.11.2024 को कोतवाली संभल और सम्बन्धित चौकियों पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की गईं। एसपी संभल और अन्य द्वारा विभिन्न धर्म गुरुओं/मस्जिद समिति के सदस्यों और स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों को संबोधित किया गया। उन्हें प्रशासन/पुलिस के हाथ मजबूत करने का आग्रह किया गया और उन्हें बताया गया कि संभल में अक्टूबर 1, 2024 से धारा 163 बीएनएसएस लागू है। सभी से अनुरोध किया गया कि वे जनता को इसके बारे

में जागरूक करें और सहयोग दें। जामा मस्जिद के सदर और शहर काजी से अनुरोध किया गया कि वे वीडियो रिकॉर्ड कर मैसेज दें, जिसमें मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की जाए और धारा 163 बीएनएसएस के प्रावधानों का पालन किया जाए (एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना निषिद्ध है)। इसी प्रकार की बैठकें चौकियों पर भी आयोजित की गईं ताकि जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सके, कोतवाली संभल में जीडी संख्या 52 में प्रविष्टि की गई।

6. चौकी सरथल, कोतवाली संभल से 20 नवंबर 2024 (जीडी संख्या 49) को धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत रिपोर्ट एसडीएम सदर को भेजी गई जिसमें विधायक संभल के पुत्र सुहेल इकबाल, आकाश रुहेला आदि सहित 8 व्यक्तियों के खिलाफ, मुकदमा संख्या 182/24 हरिशंकर जैन आदि बनाम भारत संघ और अन्य से संबंधित सर्वेक्षण के संबंध में अच्छे आचरण के लिए भारी जमानत के तहत बंधन के लिए, धारा 163 डीएम के आदेशों के अनुसार संभल में अक्टूबर 1 से नवंबर 30 तक लागू थी।
7. जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 23.11.2024 को मजिस्ट्रेटों की तैनाती के लिए विस्तृत आदेश जारी किए ताकि पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त गश्त और कानून और व्यवस्था ड्यूटी की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया। जिसमें क्षेत्र की व्यापक गश्त/कानून और व्यवस्था के मुद्दों को प्राथमिकता से संभालने और कंट्रोल रूम या वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करने योग्य किसी विकास की रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट संभल द्वारा एसडीएम सदर, सीओ संभल और ईओ नगर पालिका की समिति गठित की गई ताकि एडवोकेट कमिश्नर को जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण कार्य करने में सहायता प्रदान की जा सके।
8. संवेदनशील क्षेत्रों में जनता में विश्वास पैदा करने और क्षेत्र पर प्रभुत्व के लिए डीएम/एसपी द्वारा पुलिस बल के साथ पैदल गश्त 22 नवंबर (शुक्रवार) को की गई। इसे समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार मिला। उन्होंने जामा मस्जिद के आसपास और संवेदनशील क्षेत्र में सीसीटीवी को ठीक करवाया

और उन्हें क्रियाशील बनाया। जामा मस्जिद के सदर, शहर काजी और जामा मस्जिद समिति के एडवोकेट मशहूद अली फारुकी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो का व्यापक प्रचार किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की गई और धारा 163 बीएनएसएस लागू होने के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें जामा मस्जिद के पास भीड़ न करने की बात शामिल है।

9. उपरोक्त उल्लिखित वीडियो के माध्यम से नमाजियों से अनुरोध किया गया कि वे दिनांक 22.11.2024 (शुक्रवार की नमाज) को अपनी स्थानीय मस्जिदों पर नमाज अदा करें और जामा मस्जिद पर नहीं। उन्हें अफवाहों पर ध्यान न देने और क्षेत्र तथा देश की शांति और प्रगति के लिए नमाज अदा करने का भी अनुरोध किया गया।
10. एसएचओ संभल द्वारा शुक्रवार की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कथित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करने के लिए 23 नवंबर को सांसद संभल पर धारा 168 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया।
11. एसपी संभल के निर्देशों पर पहचाने गए 500 लोगों (समस्या पैदा करने वाले) पर धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिए गए ताकि उन्हें निरुद्ध किया जा सके।
12. मस्जिद की ओर जाने वाले दो मार्गों को जनता की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया और स्लाइडिंग रोड-ब्लॉक लगाए गए। इसे मीडिया में उचित प्रचार मिला। यह मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और जनता की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए किया गया।
13. एसपी संभल ने जिले की निगरानी सेल, एसओजी/एलआईयू/साइबर सेल को सक्रिय किया ताकि सतर्कता बनाए रखी जा सके, सोशल मीडिया/सांप्रदायिक तत्वों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
14. एसपी ने समय-समय पर अतिरिक्त बल प्रदान करने के लिए अपने वरिष्ठों से अनुरोध किया, तनावपूर्ण वातावरण को ध्यान में रखते हुए। एसपी ने मुरादाबाद रेंज/बरेली जोन से अतिरिक्त बल का अनुरोध किया, जैसा कि चार्ट से स्पष्ट है।

15. डीएम/एसपी ने मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त गश्त के लिए विस्तृत निर्देश दिए, अफवाहों को तुरंत लाउड हेलर के माध्यम से रोकने के लिए, कानून और व्यवस्था के मुद्दों को मौके पर तुरंत संभालने के लिए, भीड़ को संक्षिप्त करने और उन्हें फैलाने के लिए ताकि वे इकट्ठे न हों और गुमराह न हों।
16. ड्यूटी चार्ट तैयार किए गए और बुकलेट तैयार किए गए। जोनल और सेक्टर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अधीन जवानों को लगातार संक्षिप्त करें, ताकि संचार में कोई अंतर न हो। जमीन स्तर पर बल की निरंतर संक्षिप्ति की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी नामित ड्यूटी पॉइंट न छोड़े। संभल के सबसे संवेदनशील/कमजोर क्षेत्र को निम्नलिखित 3 जोनों और 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया।
17. जोन 1- जामा मस्जिद आंतरिक/बाहरी कॉर्डन (सेक्टर 1 से 9), सीओ संभल को एसपी द्वारा जोन का प्रभारी बनाया गया। 3 एसएचओ/4 इंस्पेक्टर/11 एसआई/9 एचसी/51 कांस्टेबल दंगा नियंत्रण उपकरण/आधिकारिक हथियारों से लैस तैनात किए गए। सभी एसएचओ के पास बीपी जैकेट और दंगा नियंत्रण उपकरण थे।
18. जोन 2 - जामा मस्जिद आंतरिक/बाहरी कॉर्डन (सेक्टर 10 से 19), प्रभारी सीओ चंदौसी, संतोष कुमार सिंह थे, 2 एसएचओ/3 इंस्पेक्टर/12 एसआई/7 एचसी और 44 कांस्टेबल हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ तैनात किए गए। एसएचओ के पास बीपी जैकेट और दंगा नियंत्रण उपकरण थे।
19. जोन 3- जामा मस्जिद आंतरिक/बाहरी कॉर्डन (सेक्टर 20 से 25), गणेश गुप्ता, सीओ लाइंस को प्रभारी बनाया गया जिसमें 2 एसएचओ/6 एसआई/18 एचसी/18 कांस्टेबल/4 महिला कांस्टेबल और 2 ट्रैफिक कांस्टेबल, एसएचओ हथियारों से लैस बीपी जैकेट के साथ थे और सभी के पास दंगा नियंत्रण उपकरण थे।
20. सभी जोनल और सेक्टर प्रभारियों को त्वरित संचार के लिए आरटी सेट भी जारी किए गए।

21. रिजर्व-2 क्यूआरटी को चौधरी सराय और पीएस कोतवाली संभल पर उचित संक्षिप्ति के बाद रखा गया। प्रत्येक क्यूआरटी में 1 एसआई और 20 कांस्टेबल थे।
22. पीएसी की संक्षिप्ति की गई और सिविल पुलिस गाइडों के साथ संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया।
23. सभी हिंदू क्षेत्रों को कॉर्डन ऑफ किया गया और उचित बफर बनाया गया ताकि दंगाई मुख्य रूप से हिंदू इलाकों में प्रवेश न कर सकें, पूर्ण सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए। बैरिकेडिंग की परतें मजबूत बल के साथ की गईं। एसपी द्वारा ड्यूटी पर तैनात बल को निर्देश दिए गए कि दंगाइयों/पत्थरबाजों को किसी भी कीमत पर हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका जाए।
24. एसपी संभल, प्रभारी सहित कई घंटों तक घायल हुए, लेकिन पुलिस ने घातक आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं किया, जैसा कि एफएसएल आगरा बैलिस्टिक विशेषज्ञ टीम की अपराध स्थल पुनर्निर्माण रिपोर्ट से पुष्टि हुई है। पुलिस और प्रशासन की विवेकपूर्णता से, दंगाइयों को राज्य और देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने से रोका गया।
25. एसपी सम्भल सुबह 6 बजे से पर्याप्त रिजर्व के साथ खुद मौजूद थे ताकि व्यवस्थाओं की निगरानी करें और पुलिस को लगातार निर्देशित करें। आदेश दिए गए कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही जामा मस्जिद में प्रवेश करेंगे, ताकि सर्वेक्षण कार्य में कोई बाधा न हो। जैसे ही सर्वेक्षण टीम शेष सर्वेक्षण के लिए दिनांक 24.11.2024 की सुबह मस्जिद में प्रवेश की, भीड़ मस्जिद के पीछे इकट्ठी होने लगी। एसपी द्वारा उन्हें शांतिपूर्वक वापस जाने के आदेश दिए गए। जब टीम अंदर थी भीड़ ने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ अत्यधिक आपत्तिजनक और गैरकानूनी थे। आरटी सेट पर संदेश दिया गया कि भीड़ में कई लोगों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे ढके हुए हैं। सीओ संभल द्वारा संदेश दिया गया कि भीड़ में लोगों का इरादा परेशान करने वाला है और उनमें से कई हथियारों से लैस हैं।

26. आयोग इस स्तर पर उचित समझता है कि एसपी संभल द्वारा किसी प्रमुख कानून और व्यवस्था स्थिति को टालने के लिए की गई तैनाती का मूल्यांकन करे और क्या जिला प्रशासन/पुलिस अधिकारियों द्वारा सांप्रदायिक स्थितियों को फैलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गईं?, क्या संभल एसपी द्वारा शहर संभल और पड़ोसी स्थानों में बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बल मांगा गया, सिविल जज द्वारा दिनांक 19.11.2024 को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश के अनुसरण में आगे स्थिति का संचालन कैसे किया गया और क्या स्थिति को सामान्य करने के लिए मजबूत उपाय किए गए?
27. कोर्ट कमिश्नर के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए कि प्रशासनिक और पुलिस सहायता तत्काल आधार पर दी जाए, ताकि सर्वेक्षण किया जा सके, क्योंकि किसी भी देरी से विवादित संरचना में बदलाव हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने आवश्यक कदम उठाए जबकि पुलिस अधीक्षक को माननीय अदालत के दिनांक 19.11.2024 के आदेशों को निष्पादित करने के लिए सभी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तैनाती की गई। सर्वेक्षण के दौरान मुसलमानों में गुस्सा बहुत अधिक था, बड़ी भीड़ मस्जिद के आसपास इकट्ठी हुई और कोर्ट कमिश्नर को सर्वेक्षण ठीक से करने में बाधा डालने लगी। नारे लगाए गए, सांसद खुद और विधायक संभल के पुत्र सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ मस्जिद के अंदर पहुंचे। सर्वेक्षण को छोड़ना पड़ा क्योंकि देर हो रही थी और अंधेरा हो रहा था और शाम की नमाज का समय था और नमाजियों में बेचैनी थी।
28. 22 नवंबर 2024, शुक्रवार को, पुलिस की बहुत सतर्कता थी क्योंकि सर्वेक्षण पर गुस्सा और नाराजगी व्यक्त करने के लिए जामा मस्जिद पर शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में इकट्ठा होने के अनुमान था। पुलिस ने इसका अनुमान लगाते हुए व्यवस्थाएं की थीं। सांसद संभल ने नमाज के बाद मीडिया की पूछताछ के नाम पर नमाजियों को मस्जिद की सीढ़ियों से संबोधित किया, जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक सद्भाव में और गिरावट आई। इसे समाचार

पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक चैनलों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार मिला जिसने वातावरण को और उत्तेजित किया। यह स्पष्ट हो गया था कि शेष सर्वेक्षण के दौरान, सर्वेक्षण टीम की सुरक्षा के लिए और सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। संभल पुलिस द्वारा दिनांक 24.11.2024 को शेष सर्वेक्षण के समय पीएसी की तैनाती बढ़ाई गई, जैसा कि ड्यूटी चार्ट की जांच से स्पष्ट है। दिनांक 19.11.2024 को केवल संभल जिले का बल तैनात किया गया था लेकिन शुक्रवार की नमाज के लिए, अतिरिक्त बल एसपी सम्भल द्वारा एडीजी जोन बरेली/ डीआईजी रेंज मुरादाबाद से मांगा गया था, जैसा कि चार्ट से स्पष्ट है। जिले में दो प्लाटून के अलावा चार अतिरिक्त पीएसी कंपनियां और एक आरआरएफ कंपनी प्रदान की गई। पीएसी और आरआरएफ के साथ जिला पुलिस की ऐसी विशाल उपस्थिति के बावजूद, दिनांक 24.11.2024 को संभल शहर में जामा मस्जिद के आसपास बड़ी हिंसा हुई, जिसमें इकट्ठी हुई भीड़ से चार व्यक्तियों की जान गई और एसपी संभल सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। श्री विष्णु शंकर जैन एडवोकेट की जान को गंभीर खतरा था, जो सर्वेक्षण टीम के साथ मौजूद थे और उन्हें मुस्लिम समुदाय द्वारा निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि वे अयोध्या/ज्ञानवापी वाराणसी और मथुरा में विवादास्पद मंदिर/मस्जिद मुद्दों को लगातार उठा रहे थे। मुस्लिम समुदाय का गुस्सा विशेष रूप से उनके खिलाफ था क्योंकि उन्होंने हरि हर मंदिर/जामा मस्जिद का मुद्दा उठाया और सर्वेक्षण करवाया।

29. दिनांक 24.11.2024 की हिंसा के बाद, एडीजी जोन बरेली और डीआईजी रेंज मुरादाबाद भी संभल पहुंचे और आरएएफ की अतिरिक्त कंपनी, साथ ही जोन के जिलों से अतिरिक्त बल एसपी संभल को प्रदान किए गए ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके और कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जा सके। चार अतिरिक्त कंपनियां पीएसी की, चार कंपनियों और दो प्लाटूनों के अलावा, भी प्रदान की गईं, गंभीर स्थिति और संभल के पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए। संभल ने अतीत में बड़े सांप्रदायिक दंगों का सामना किया है, स्वतंत्रता के बाद से कुल पंद्रह और हिंसा का लंबा इतिहास है। 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 के दंगे प्रसिद्ध हैं। शहर

में एनआरसी/सीएए आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। दंगों ने हमेशा संभल शहर से हिंदुओं के पलायन को जन्म दिया है, जिसके कारण अब हिंदू संभल शहर में अल्पसंख्यक हैं। संभल के लिए विशेष सावधानियां हमेशा ली जाती हैं, जो यूपी के अति-संवेदनशील शहरों की श्रेणी में है। शहर में बहुत प्रसिद्ध आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां रही हैं और संगठित अपराध सिंडिकेट की। मुख्य रूप से- अल कायदा, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट/हरकत उल मुजाहिदीन/एएमयू के छात्र/सिमी आदि। अतीत में संभल से ऐसे तत्वों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शहर के मौलाना आसिम उमर उर्फ सना उल हक को नामित आतंकवादी घोषित किया था, राज्य विभाग के कार्यकारी आदेश के अनुसार, एसएल नंबर 13224 दिनांक 30 जून, 2016, उन्हें अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के ड्रोन हमले में दिनांक 23.09.2019 को मारा गया कहा जाता है। एनआईए/दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच/यूपी एटीएस ने समय-समय पर शहर में वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की है। संभल में हमेशा ऑटो लिफ्टर्स और वाहनों के कटरों के बहुत सक्रिय गिरोह रहे हैं/ अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों के डीलर/ लुटेरों के गिरोह, जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच और यूपी एटीएस ने यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए हैं, जिनमें आरोपी संभल से हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने यूएपीए मामले के चार्जशीट में विशेष उल्लेख किया है कि संभल आतंकवादी गतिविधियों का उभरता केंद्र है। गिरोह नेता शारिक सठा, संभल से संबंधित, फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया और कहा जाता है कि वह वहां से गिरोह चला रहा है और विध्वंसक गतिविधियों को वित्तपोषित कर रहा है। चोरी किए गए वाहन नेपाल/म्यांमार आदि में बेचे जाते हैं और बदले में स्वचालित हथियार प्राप्त किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। उसके खिलाफ 54 मामले दर्ज हैं और उसके गिरोह के सदस्य अभी भी शहर में मौजूद और बहुत सक्रिय हैं। हिंसा के बाद संभल पुलिस द्वारा उनमें से कई को गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है कि वह पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है और बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा में भी सौदा करता है। एसपी संभल ने अपने हलफनामे में ऐसे तत्वों का विशेष उल्लेख किया है जो एक्ज्यूआईएस के प्रति निष्ठा रखते हैं, संभल में मौजूद, भारत में नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं/पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करने और यहां नेटवर्क को मजबूत करने के लिए।

30. जामा मस्जिद संभल पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारक है, लेकिन मस्जिद समिति द्वारा उन्हें कभी स्मारक के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

एएसआई द्वारा किए गए अनुरोध पर, डीएम संभल ने आदेश पारित किए और पुलिस एएसआई टीम को प्रदान की गई और मेरठ टीम द्वारा स्मारक का अनिवार्य निरीक्षण दिनांक 25.06.2024 को उचित पुलिस सुरक्षा के तहत एएसआई द्वारा कराया गया।

31. निम्नलिखित संभल पुलिस/डीआईजी रेंज मुरादाबाद और एडीजी जोन बरेली द्वारा प्रदान किए गए बल की तैनाती का चार्ट है उनके क्षेत्रों/पीएसी/आरआरएफ/आरएएफ आदि से विभिन्न तिथियों पर, चार्ट - नवंबर 19, नवंबर 22, नवंबर 24 और हिंसा होने के बाद के लिए विस्तृत है। तैनाती का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि संवेदनशीलता बढ़ने के साथ जमीन पर तैनाती बढ़ी। दिनांक 19.11.2024 के सर्वेक्षण के लिए जिले से सीमित बल ही तैनात किया गया था साथ में पीएसी के दो प्लाटून डीएम/एसपी और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और निर्देश देते रहे। शुक्रवार की नमाज के लिए, बल बढ़ाया गया और चार कंपनियां अतिरिक्त पीएसी और एक कंपनी आरआरएफ भी प्रदान की गई जो जिले में तैनात रही। दिनांक 24.11.2024 को किए गए सर्वेक्षण के दूसरे भाग के दौरान, तैनाती जिला पुलिस की साथ में पीएसी और आरआरएफ थी। हिंसा के बाद, जोन के जिलों से बल प्रदान किया गया और चार अतिरिक्त कंपनियां पीएसी और एक कंपनी आरएएफ भी प्रदान की गई। पीएसी की तैनाती आठ कंपनियों और दो प्लाटूनों तक बढ़ गई। ऐसी बड़ी तैनाती ने जिले में सामान्य स्थिति लाने में मदद की और सांप्रदायिक दंगे को रोका। यह जिला प्रशासन/पुलिस की उपलब्धि है कि पहली बार संभल में हिंसा सांप्रदायिक दंगे में नहीं बदली और यह केवल दंगाइयों बनाम पुलिस थी। इसे जल्दी नियंत्रित किया गया। एंटी-सोशल तत्वों/दंगाइयों में डर पैदा करने और स्थिति को जल्दी सामान्य करने के लिए दिनांक 24.11.2024 को ही 21 पत्थरबाजों और दंगाइयों की निवारक गिरफ्तारियां की गईं। इसे ग्रामीण क्षेत्रों या पड़ोसी जिलों में फैलने नहीं दिया गया। हिंसा के बाद, एडीजी जोन बरेली और डीआईजी रेंज मुरादाबाद भी संभल पहुंचे और जोन के जिलों से अतिरिक्त बल के साथ आरएएफ की अतिरिक्त कंपनी प्रदान की गई ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके और कानून और व्यवस्था को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जा सके। गंभीर स्थिति और संभल के पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए चार अतिरिक्त पीएसी कंपनियां भी प्रदान की

गईं संभल में पीएसी की तैनाती आठ कंपनियां और दो प्लाटून हो गई। ऐसी विशाल तैनाती ने जिले में सामान्यता लाने में मदद की और सांप्रदायिक दंगे को रोका। यह जिला प्रशासन/पुलिस की सराहना का विषय है कि पहली बार संभल में हिंसा सांप्रदायिक दंगे में नहीं बदली और यह केवल दंगाई बनाम पुलिस थी। इसे जल्दी नियंत्रित किया गया। दिनांक 24.11.2024 को ही 21 पत्थरबाजों और दंगाइयों की निवारक गिरफ्तारी की गई ताकि असामाजिक तत्वों/दंगाइयों में भय पैदा किया जा सके और स्थिति को जल्दी सामान्य किया जा सके। इसे ग्रामीण क्षेत्रों या पड़ोसी जिलों में फैलने नहीं दिया गया।

Numerical Details of Additional Police Force Deployed to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area during the Survey of Shahi Jama Masjid on 19.11.2024											
S.N o.	District	ASP	CO	SHO/SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	PAC	RRF
1	Sambhal		2	6	6	25	2	44	4	2 PLT	

Numerical Details of Police Force Deployed from External/District Sources to Ensure Peaceful Conduct of Juma Prayer and Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area after the First Survey of Shahi Jama Masjid on 19.11.2024, on 22.04.2024												
Police Force Deployed for Juma Prayer on 22.11.2024												
S.N o.	District	AS P	C O	SHO /SO	IN S	SI	L/ Si	HC/ C	L/ C	PAC	R A F	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4 Comp anies 2 PLT	0	1 Company
2	Amroha	0	1	3	8	14		60	15	0	0	0
3	Bijnor	1	1	6	4	24		68	5	0	0	0
4	Moradabad	0	1	1	12	10		49	20	0	0	0

5	Rampur	0	1	4	8	25		70	10	0	0	0
6	Shahjahan pur	0	0	1	2	15		35	0	0	0	0
7	Badaun	0	0	2	3	10		35	0	0	0	0
8	Bareilly	0	0	4	6	19		50	0	0	0	0
9	Pilibhit	0	0	2	4	11		33	0	0	0	0
Total		2	8	55	55	162	4	578	60	4 Comp anies 2 PLT	0	1 Company

Numerical Details of Police Force Deployed to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area during the Survey of Shahi Jama Masjid on 24.11.2024											
S.N o.	District	ASP	CO	SHO/ SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	PAC	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4 Companies 2 PLT	1 Company

Numerical Details of Police Force Deployed from External and District Sources to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area after Stone Pelting/Riots/Arson during the Survey of Shahi Jama Masjid on 24.11.2024													
Police Force Received from External Districts from 24.11.2024 to 30.11.2024 for Maintaining Law and Order													
S.No.	District	ASP	CO	SHO/ SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	QRT	PAC	RAF	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4	2 PLT	0	0
2	Moradabad	1	3										

Numerical Details of Additional Police Force Deployed to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area during the Survey of Shahi Jama Masjid on 19.11.2024											
S.No.	District	ASP	CO	SHO/SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	PAC	RRF
1	Sambhal		2	6	6	25	2	44	4	2 PLT	

Numerical Details of Police Force Deployed from External/District Sources to Ensure Peaceful Conduct of Juma Prayer and Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area after the First Survey of Shahi Jama Masjid on 19.11.2024, on 22.04.2024												
Police Force Deployed for Juma Prayer on 22.11.2024												
S.No	District	AS P	C O	SHO / SO	IN S	SI	L/ Si	HC/ C	L/ C	PAC	RAF	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4 Companies 2 PLT	0	1 Compan y
2	Amroha	0	1	3	8	14		60	15	0	0	0
3	Bijnor	1	1	6	4	24		68	5	0	0	0
4	Moradabad	0	1	1	12	10		49	20	0	0	0
5	Rampur	0	1	4	8	25		70	10	0	0	0
6	Shahjahanpur	0	0	1	2	15		35	0	0	0	0
7	Badaun	0	0	2	3	10		35	0	0	0	0
8	Bareilly	0	0	4	6	19		50	0	0	0	0
9	Pilibhit	0	0	2	4	11		33	0	0	0	0
Total		2	8	55	55	162	4	578	60	4 Companies 2 PLT	0	1 Company

Numerical Details of Police Force Deployed to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area during the Survey of Shahi Jama Masjid on 24.11.2024											
S.No.	District	ASP	CO	SHO/SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	PAC	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4 Companies 2 PLT	1 Company

Numerical Details of Police Force Deployed from External and District Sources to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area after Stone Pelting/Riots/Arson during the Survey of Shahi Jama Masjid on 24.11.2024											
Police Force Received from External Districts from 24.11.2024 to 30.11.2024 for Maintaining Law and Order											
S.No.	District	ASP	CO	SHO/SO							

32. भीड़ द्वारा पुलिस हथियारों को लूटने और पुलिस पर जानलेवा हमले करने के बावजूद, पुलिस ने संयम बरता और घातक आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं किया, जैसा कि एफएसएल आगरा बैलिस्टिक विशेषज्ञ टीम की अपराध स्थल पुनर्निर्माण रिपोर्ट से पुष्टि हुई है। पुलिस और प्रशासन की विवेकपूर्णता से दंगाइयों को राज्य और देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने से रोका गया।

33. दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक और उसके बाद जिला प्रशासन, जिसमें पुलिस अधिकारी शामिल हैं द्वारा की गई कार्यवाहियों/व्यवस्थाओं की गहन जांच से सिद्ध होता है कि सख्त सतर्कता और संगठित समन्वित कार्य तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के कारण संभल शहर को न केवल सांप्रदायिक हिंसा से बचाया गया बल्कि सर्वेक्षण टीम को किसी भी नुकसान से बचाया गया क्योंकि हिंसक भीड़ को दिनांक 24.11.2024 को सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान जामा मस्जिद में प्रवेश करने से रोका गया। पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन की टीमवर्क की सराहना की जाती है।

राज्य सरकार संदर्भ बिन्दु (d) के माध्यम से आयोग को इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के संबंध में सुझाव देने का जांच देती है।

संदर्भ की शर्त (d) निम्नानुसार है: -

(d) इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न होने के संबंध में सुझाव देना। संभल में दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद पर हुई घटना जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव:

राज्य सरकार संदर्भ बिन्दु (d) के माध्यम से आयोग से “इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न होने के संबंध में सुझाव” की आवश्यकता करती है। आयोग ने मुद्दे की गहराई से जांच की और उन परिस्थितियों की जो कोर्ट के आदेश दिनांक 19.11.2024 मुकदमा संख्या 182/2024 के अनुसरण में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा का कारण बनीं तथा राज्य सरकार को उक्त बिन्दु हेतु निम्नलिखित सुझाव देती है-

1. जब किसी विशेष स्थान या उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति भंग की संभावना हो, तो ऐसे इलाके में घरों की छतों का ड्रोन/मैनुअल खोज से उच्च बिंदु से ठीक से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बोटलें, ईंटें, पत्थर आदि इकट्ठे नहीं किए गए हैं। यदि यह पता चलता है, तो ऐसी सामग्री को हटवाया जाए और निवासियों को ऐसी गतिविधियों से बचने की चेतावनी दी जाए। ऐसी छतों की गहन खोज की जानी चाहिए और पुलिस को ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए।
2. ड्रोन के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों की जांच जारी रखनी चाहिए और यदि पाया जाता है कि ऐसी सामग्री फिर से इकट्ठी की गई है, तो पुलिस को महिला पुलिस के साथ ऐसी छतों की गहन खोज करनी चाहिए और उन्हें जबरन हटवाना चाहिए। ऐसे निवासियों को धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत बंधन में लिया जाए। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

3. ऐसी छतों पर महिला कांस्टेबलों के साथ बल की तैनाती की जानी चाहिए ताकि नजर रखी जा सके। इसमें निरोधक प्रभाव होगा।
4. 24 नवंबर 2024 को, कुछ छतों से महिलाओं द्वारा पुलिस बल पर भारी ईंटबाजी हुई, जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। अतीत में देखा गया है कि महिलाओं ने पुलिस की आगे बढ़ने को रोकने और उन्हें निष्क्रिय बनाने के लिए छतों से गर्म तेल, पानी/मिर्च पाउडर फेंका है। पुलिस की उपस्थिति इसे रोकेगी। कई घरों के पुरुष सदस्य ऐसी उद्देश्यों के लिए महिलाओं और बच्चों का उपयोग करते हैं।
5. हिस्ट्रीशीटर्स/कुख्यात अपराधियों/सांप्रदायिक उकसावेबाजों/गुंडों के घरों की सूची तैयार की जानी चाहिए और उपरोक्त उल्लिखित सावधानियां ऐसे तत्वों द्वारा बसाए गए घरों के लिए ली जानी चाहिए। ऐसी सूचियां पीएस/ओपी पर तैयार होनी चाहिए। क्या वे जेल में हैं या घर पर या गायब हैं? अतीत में एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए, पुलिस की नजर में होने चाहिए। उनका घर-घर सत्यापन किया जाना चाहिए/ऐसे आगंतुकों के आधार कार्ड की प्रतियां प्राप्त की जानी चाहिए। उनके आने का उद्देश्य सत्यापित किया जाना चाहिए। ऐसे घरों पर पुलिस की कड़ी निगरानी होनी चाहिए।
6. खुफिया संग्रह के माध्यम से और स्थानीय शांतिप्रिय नागरिकों की मदद लेकर, प्रयास ऐसे घरों में बाहरी लोगों की उपस्थिति का पता लगाने पर होना चाहिए। बाहरी लोगों की गहन सत्यापन किया जाना चाहिए/ऐसे आगंतुकों के आधार कार्ड की प्रतियां प्राप्त की जानी चाहिए। उनके आने के उद्देश्य का सत्यापन किया जाना चाहिए। ऐसे घर पुलिस निगरानी में होने चाहिए।
7. जहां छत/दीवारें क्षतिग्रस्त हैं और टूटे ईंटें आदि निर्बाध रूप से उपलब्ध हैं और पुलिसकर्मियों पर हथियार के रूप में फेंके जा सकते हैं, की सूची तैयार की जानी चाहिए। ऐसी छतों पर तैनाती कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बहुत उपयोगी होगी।

8. जिला प्रशासन को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की समस्या पैदा कर सकते हैं और उनके खिलाफ उचित निवारक कार्रवाई की जानी चाहिए।
9. शांति समितियों के सदस्यों/सिविल डिफेंस के वार्डनों/सिविल सोसाइटी के सम्मानित सदस्यों की मदद से शांति बनाए रखने में अतीत में लाभ हुआ है। उनसे अनुरोध/पीएस/चौकियों पर बैठक जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित और उपस्थित की जाती है, बहुत फर्क डालती है। कई बार इनसे बहुत मूल्यवान इनपुट प्राप्त होते हैं।
10. लाइसेंसधारकों और उनके हथियारों की जांच की जानी चाहिए और यदि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो हथियार थाने पर जमा करवाए जाएं। डीएम के माध्यम से ऐसे लाइसेंसों को प्राथमिकता पर निलंबित करवाया जाए। इससे दुरुपयोग रोका जा सकेगा।
11. ऐसे क्षेत्रों में सीसीटीवी का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे कार्यरत हैं। ऐसे कैमरों से फुटेज बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। यहां तक कि जिला प्रशासन/पुलिस को संवेदनशील स्थानों पर कुछ स्थापित करवाने चाहिए।
12. एलआईयू, इंटेलिजेंस यूनिट/पीएस/ओपी को निरंतर इंटेलिजेंस संग्रह के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए तथा फीडबैक प्राप्त किया जाना चाहिए और उन्हें सतर्क रखा जाना चाहिए एवं यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।
13. सभी पुलिसकर्मी/प्रशासनिक अधिकारी अपने साथ मोबाइल ले जाते हैं। उन्हें आवश्यकतानुसार रिकॉर्डिंग करने के निर्देश होने चाहिए।
14. पुलिस/प्रशासन द्वारा पेशेवर वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि दंगाइयों के कार्यों की रिकॉर्डिंग की जा सके। वे केवल निर्देशों पर कार्य करें और आगजनी/सांप्रदायिक उकसावेबाजों/पत्थरबाजों आदि के आपराधिक कार्यों

को कर्तव्यपूर्वक रिकॉर्ड करें। ऐसी रिकॉर्डिंग बाद में असामाजिक तत्वों की पहचान में बहुत उपयोगी होगी।

15. पुलिस को अप्रत्याशित स्थितियों को रोकने और संभालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए दंगा नियंत्रक उपकरण उपलब्ध होना चाहिए और वे हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड आदि से लैस होने चाहिए। विशेष दस्ते आंसू गैस गन/पंप एक्शन गन/रबर बुलेट/मिर्च बम आदि से लैस होने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर दंगाइयों को न्यूनतम बल का उपयोग करके खदेड़ा जा सके। यदि आवश्यक हो, तो कुछ फ्रंट-लाइन दस्तों को बुलेट प्रूफ जैकेट से भी लैस किया जाना चाहिए, जिससे पुलिस का इरादा स्पष्ट होगा।
16. सभी पुलिस वाहनों में लाउड हेलर सिस्टम फिट किया जाना चाहिए, ताकि अपील की जा सके/भीड़ को संबोधित किया जा सके और अफवाह फैलाने को रोका जा सके।
17. अग्निशमन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और अग्निशामक उपकरण और फायर टेंडरों के साथ अग्निशामकों को पुलिस तैनाती के पीछे तैनात किया जाना चाहिए। उन्हें पूर्ण पुलिस सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि फायर टेंडरों को दंगाइयों द्वारा क्षतिग्रस्त न किया जा सके। केवल वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर, वे कार्य करें।
18. संवेदनशील बिंदुओं पर, ऊंची इमारतों पर, दूरबीन और वॉकी टॉकी सेट के साथ पुलिस तैनात की जानी चाहिए ताकि इंटरनेट बंद होने की स्थिति में भी वैकल्पिक संचार चैनल चालू रहें।
19. एम्बुलेंस आदि निकट उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि घायल पुलिसकर्मियों या जनता को बिना देरी के निकटतम अस्पताल पहुंचाया जा सके।
20. संवेदनशील बिंदुओं पर उचित बैरिकेडिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे स्थानों पर मजबूत पुलिस उपस्थिति होनी चाहिए। बैरिकेडिंग अत्यधिक सांप्रदायिक संवेदनशील स्थलों पर और हिंदू-मुस्लिम इलाकों के बीच की जानी चाहिए, ताकि

दंगाई ऐसे स्थानों को भेदने में सफल न हों। यह सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है।

21. सर्वेक्षण/घटना के स्थान के पास बैरिकेड लगाना अनिवार्य है। शहर में प्रवेश बिंदुओं की बैरिकेडिंग भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि बाहर से लोग शहर/शहर में प्रवेश करने से रोके जा सकें और समस्या न पैदा करें, यदि जिला प्रशासन आवश्यक समझे तो स्थिति/परिस्थितियों आदि का मूल्यांकन करने के बाद ऐसा निर्णय लें।
22. यदि समस्या की आशंका हो, तो बड़ी सभा को रोकने के लिए पर्याप्त बल के साथ बहु-परत बैरिकेड लगाना विवेकपूर्ण होगा।
23. हिस्ट्रीशीटर्स/गुंडों की सूची तुरंत अपडेट की जानी चाहिए और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। सबको परेशान करने वाले व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों पर निगरानी रखी जानी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सक्रिय होने चाहिए। अफवाह फैलाने को रोका जा सके।
24. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शहर में पहले की घटनाओं को स्क्रीन करने और परेशानी पैदा करने वालों की पहचान करने में सहायक हो सकता है ताकि उन पर निगरानी बनाया जाए तथा गृह गिरफ्तारी या अन्य उचित निवारक कार्रवाई की जाए।
25. प्रत्येक शहर के लिए दंगा नियंत्रण योजना है। इसका रिहर्सल जिला पुलिस प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पूरी गंभीरता से होना चाहिए। सभी को कर्तव्य सौंपे जाने चाहिए। पुलिस की ऐसी गतिविधियां दंगाइयों द्वारा निकट से देखी जाती हैं और वे कानून अपने हाथ में लेने से पहले दो बार सोचेंगे।
26. सोशल मीडिया पर कड़ी नजर होनी चाहिए। बहुत सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप निकट जांच में होने चाहिए। उन ग्रुपों पर नजर रखी जानी चाहिए जो लोगों को उकसा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए तथा कम से कम ऐसे व्यक्तियों को चेतावनी दी जानी चाहिए।

27. डिजिटल वॉलंटियर्स को ब्रीफ किया जाना चाहिए और तैनात किया जाना चाहिए। वे सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी करें और वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहें।
28. अफवाह फैलाने को रोकने के लिए इंटरनेट/मोबाइल सेवाओं को बंद करने का निर्णय समय पर लिया जाना चाहिए।
29. प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद ली जानी चाहिए। वे मूल्यवान विजुअल/फुटेज/स्नैप प्रदान कर सकते हैं।
30. तैनात बल की ड्यूटी चार्ट बनाए जाने चाहिए। नियंत्रक अधिकारियों के नाम दिए जाने चाहिए। ऐसे अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि वे निरंतर ब्रीफ करें और सामने से नेतृत्व करें। हर जवान को अपना ड्यूटी स्थान पता होना चाहिए और आदेश के बिना इसे न छोड़े। ड्यूटी चार्ट पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए, ताकि वे जानें कि यदि नामित ड्यूटी पॉइंट से गायब पाए गए तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। पुलिसकर्मी कभी-कभी ड्यूटी स्थान छोड़कर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके लिये उन्हें आदेशित करना चाहिए कि वे मोबाइल से व्यस्त न हों और ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करें। हर जवान को अपना कर्तव्य और अपनी भूमिका पता होनी चाहिए। इसे बार-बार दोहराया जाना चाहिए। ड्यूटी पॉइंट पर सतर्क रहना सबसे आवश्यक है।
31. यूपी के अति संवेदनशील शहरों की सूची जो कई वर्ष पहले तैयार की गई थी, को अपडेट करने की सख्त जरूरत है। यूपी में पिछले कई वर्षों से सांप्रदायिक दंगे अतीत की बात हैं, इसलिए यह मूल्यवान और बहुत उपयोगी योजना अप्रयुक्त है। इसे पूरे यूपी में बहुत गंभीरता से अपडेट करने की जरूरत है और रिहर्सल कम से कम वर्ष में दो बार होने चाहिए, ताकि सभी पुलिस अधिकारी/अधीनस्थ बल जानें कि उनकी भूमिका क्या होगी। रिहर्सल बहुत लाभदायक साबित होंगे और परेशानी पैदा करने वाले/उत्तेजक/सांप्रदायिक गुंडे/हिस्ट्रीशीटर/गैंगस्टर्स एक्ट/एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए आरोपी हमेशा पुलिस की सतर्क नजर में रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तार किये जाएंगे।

एसपी संभल और उनके अधिकारियों की टीम गंभीरता से काम पर है और उन्होंने इसे भविष्य के लिए लगभग अपडेट कर लिया है। 24 नवंबर, 2024 की घटना के लिए पुलिस व्यवस्था बनाते समय, संभल पुलिस ने पहले ही इसके अधिकांश प्रासंगिक प्रावधानों को लागू कर दिया था। पूरे यूपी में दंगा नियंत्रण योजनाओं को ठीक से अपडेट करने के लिए एक तत्काल अभियान होना चाहिए जिला/रेंज/जोन के वरिष्ठ अधिकारियों की निकट पर्यवेक्षण में।

अध्याय-9
उपसंहार
संदर्भ बिन्दु (a) और (c) पर निष्कर्ष:

जांच के दौरान आयोग ने संभल का दौरा किया और वर्तमान में शाही जामा मस्जिद के रूप में ज्ञात विवादित स्थान का निरीक्षण किया, निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की, 199 गवाहों का साक्ष्य अभिलिखित किया, जिनमें 24 नवंबर 2024 की घटना से संबंधित आपराधिक मामलों में जेल में बंद लोग भी शामिल हैं, संभल के पुलिस और प्रशासन से विभिन्न अभिलेख मंगवाए। इसके बाद आयोग ने एकत्रित और प्रस्तुत साक्ष्यों और अभिलेखों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किया। सभी बिन्दुओं के गहन परीक्षण के आधार पर, आयोग निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा है:

1. 24 नवंबर 2024 की हिंसा की घटना पूर्व नियोजित थी और यह प्रमुख रूप से श्री जिया-उर-रहमान बर्क (सांसद संभल), श्री सोहेल इकबाल पुत्र श्री इकबाल महमूद (विधायक संभल), श्री जफर अली (सदर, इंतेजामिया कमेटी जामा मस्जिद संभल), श्री कासिम जमाल एडवोकेट, श्री मशहूद अली फारुकी एडवोकेट (सचिव, इंतेजामिया कमेटी), श्री लद्दन खान (उपसदर, इंतेजामिया कमेटी) और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों के बीच रची गई साजिश व उकसावे का परिणाम थी।
2. साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर, 24 नवंबर 2024 की घटना के पीछे के कारण निम्नलिखित हैं:

क. श्री जिया-उर-रहमान बर्क (सांसद संभल), सोहेल इकबाल (जो स्थानीय विधायक के पुत्र हैं), श्री जफर अली (सदर जामा मस्जिद) और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्य, मुकदमा संख्या 182/2024, हरि शंकर जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में दायर याचिका से नाराज थे। जिसमें कहा गया था कि जामा मस्जिद विवादित स्थान, 1526 से 1529 में हिंदू बेग द्वारा मुगल शासक बाबर के आदेश पर हरि-हर मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी और माननीय सिविल जज (सी0डी0) द्वारा जामा मस्जिद के सर्वे हेतु पारित आदेश दिनांक 19.11.2024 से भी उक्त लोग इसलिए नाराज थे कि वे मस्जिद में अपनी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे।

ख. उक्त कारण से उक्त लोगों द्वारा दिनांक 19.11.2024 को सर्वे कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया गया और सर्वे कार्यवाही को रोकने के बाद, श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने जामा मस्जिद के बाहर मीडिया कर्मियों को संबोधित करने के नाम पर एकत्रित भीड़ को उत्तेजक भाषण दिया, कि “आदेश दिया गया था, जो भी धार्मिक स्थल चाहे

1947 से जिस जगह भी है स्थित वह अपनी जगह कायम रहेंगे, उनके अन्दर किसी प्रकार की छेड़खानी व विवाद नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग प्रदेश व देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि कोई देश का माहौल खराब करे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिये आगे कदम उठायें।” श्री बर्क ने आगे कहा कि “इन्होंने अपनी रिपोर्ट सारा सर्वे ए टू जेड जिस तरीके से चाहते थे करा दिया गया है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, यह अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूंगा सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, ये देश संविधान से चलेगा कानून से चलेगा, किसीकी मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला।”

इसी प्रकार उन्होंने दिनांक 22.11.2024 को शुक्रवार की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उन्होंने मीडिया और नमाजियों को संबोधित किया, कि “संभल का पुलिस प्रशासन इस उत्तर प्रदेश के हुकूमत के अधिकारी पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और एक-दो घण्टे के बाद में यहां पर सर्वे कराने के लिए ले आये, इतनी जल्दी कौन सी थी क्या मजबूरी थी उनके सामने कि इतनी जल्दी सर्वे कराने लाये। मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशा-अल्ला मस्जिद रहेगी कयामत तक।”

उन्होंने यह भी कहा कि “इस मस्जिद की जंग के लिए हम लोग आ गये हैं, हम कानूनी दांव पेच लड़ेंगे और इंशा अल्ला ताला इस जंग को हम हर हाल में जीतेंगे और हमारी जामा मस्जिद के लिए हम कानूनी हिफाजत भी करेंगे और इंश-अल्ला ताला हर तरह से जो भी जरूरत होगी हम जामा मस्जिद के लिए पूरी तरह से हिफाजत करने के लिए हमेशा मैं ही नहीं सारे लोग रहेंगे।”

“हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, अरे हम इस देश के मालिक हैं नौकर, गुलाम नहीं हैं।” और इस प्रकार श्री जिया-उर-रहमान बर्क ने हिंदुओं, प्रशासनिक अधिकारियों और संभल के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विद्रोहात्मक वातावरण बनाया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह भ्रामक जानकारी देकर कि जामा मस्जिद तत्काल खतरे में है और हिंदू, पुलिस अधिकारियों और संभल प्रशासन के संरक्षण में इसे ध्वस्त करने जा रहे हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि “जैसे अयोध्या में हमारी मस्जिद छीन ली गई, हम इसे छिनने नहीं देंगे।”

इस प्रकार, माननीय न्यायालय के आदेश से असहमति व्यक्त करते हुए, उन्होंने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के इरादे से एक विशेष समुदाय को एकजुट होने और विवादित

धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने का आह्वान किया, जो उत्तेजक था और संवेदनशील वातावरण को अत्यधिक अस्थिर बना दिया।

ग. इस भाषण के उपरान्त, कुछ असामाजिक तत्वों ने निम्नलिखित अंश वाले वीडियो को प्रसारित किया: **“हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म का पालन करें और अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा करें। जिस तरह से यहां संविधान का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से सरकार संविधान को चीर रही है; हम इस मस्जिद के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशा अल्लाह, हम हमेशा जामा मस्जिद की रक्षा के लिए हर तरह से मौजूद रहेंगे। हम 1947 से पहले हमारे राज्य और देश में मौजूद धार्मिक स्थलों और मस्जिदों को छिनने नहीं देंगे।”** इस भाषण ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि सर्वे के माध्यम से कोई जामा मस्जिद को हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.11.2024 को सर्वे के दौरान हिंसक घटनाएं हुईं।

घ. यद्यपि विवादित संरचना जामा मस्जिद सन् 1920 से संरक्षित स्मारक है और सन् 1927 में मुतवल्ली और जिला कलेक्टर मुरादाबाद के बीच एक समझौता भी हस्ताक्षरित हुआ था, जिसमें खंड 6 के अनुसार, यह जनता के लिए खुला है, फिर भी इसका उपयोग विशेष रूप से वर्तमान में मुस्लिम समुदाय द्वारा अनन्य रूप से किया जा रहा है और उन्होंने किसी को भी जामा मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, यहां तक कि स्मारक के नियंत्रक ASI के अधिकारियों को भी नहीं। ASI अधिकारियों को जिला प्रशासन से सहायता लेनी पड़ी और जिला प्रशासन की मदद से, वे दिनांक 25.06.2024 को स्मारक/जामा मस्जिद का निरीक्षण कर सके। श्रीमती नीति अनिल कुमार ICW 170 के बयान के अनुसार, उन्हें जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी के पदाधिकारियों से कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा और लौटते समय उन्हें आक्रामक भीड़ का सामना करना पड़ा।

ङ. 24 नवंबर 2024 की सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय को हथियारों और पत्थरों के साथ जामा मस्जिद के आसपास इकट्ठा होने के लिए, सर्वे कार्यवाही का विरोध करने और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, संदेश का प्रसारण हुआ ताकि भविष्य में कोई गैर-मुस्लिम मस्जिद में प्रवेश करने की सोच भी न सके, जैसा की साक्ष्य से स्पष्ट है।

च. श्री जिया-उर-रहमान बर्क, सोहेल इकबाल, श्री जफर अली एडवोकेट (सदर, जामा मस्जिद), श्री कासिम जमाल एडवोकेट (प्रतिवादी संख्या 6 के वकील), श्री मशहूद अली फारुकी और अन्य द्वारा मुकदमा संख्या 182/2024 में मांगे गए अनुतोष के तथ्यों को छिपाना और मुस्लिम समुदाय को यह भ्रामक जानकारी देना कि हिंदू मस्जिद पर अपना

दावा कर रहे हैं और वर्तमान मस्जिद संरचना को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।

छ. श्री सोहेल इकबाल की दिनांक 24.11.2024 की गतिविधि यह थी कि वे सुबह लगभग 6 बजे जामा मस्जिद में प्रवेश किए और लगभग 40-45 मिनट बाद बाहर आए और उत्तेजक बयान दिए, इसके बाद जामा मस्जिद से 30 कदम की दूरी पर मशहूद अली फारुकी के घर गए। दिनांक 24.11.2024 को सर्वे के दौरान सुबह 6:30 बजे से शाम 6 से 6:30 बजे तक मशहूद अली फारुकी के घर में सोहेल इकबाल की उपस्थिति और जामा मस्जिद के आसपास की भीड़ की ओर बार-बार जाना, बिना किसी संदेह के भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने की पुष्टि करता है, जैसा कि **सब इंस्पेक्टर दीपक राठी और SHO श्री अनुज कुमार तोमर ने अपने साक्ष्य में सुहैल के द्वारा कही गयी बातों को बताया है कि “यह सर्वे की कार्यवाही क्यों हो रही है, मैं अपने लोगों को अपने तरीके से अभी बुलाता हूँ, इस सर्वे को हम नहीं होने देंगे, यहाँ चाहे आग लग जाये कुछ भी हो जाये, जो सर्वे होगा तो अच्छा नहीं होगा। हम और बर्क साहब साथ हैं।”** और इन भड़काऊ टिप्पणियों के बाद, वह मैदान के पास मशहूद अली फारुकी के घर में चले गये।

ज. वजूखाना का पानी निकालने के दौरान सदर जामा मस्जिद श्री जफर अली और इंतेजामिया समिति के अन्य सदस्यों द्वारा भीड़ को हिंसा बढ़ाने के लिए संकेत देकर उकसाना।

झ. सर्वे कार्यवाही के दौरान जामा मस्जिद में प्रवेश करने और वादी के वकील, सर्वे टीम के सदस्य और मौजूद अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भीड़ का सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने में विफलता।

इसके अलावा, श्री जफर अली द्वारा मस्जिद के लाउडस्पीकर के माध्यम से यह घोषणा करने के बाद कि सर्वे कार्यवाही पूरी हो चुकी है और सर्वे टीम जा रही है, भीड़ अचानक गलियों से निकलकर पहले से एकत्रित भीड़ में शामिल हो गई, जिससे भीड़ का आकार गुणात्मक रूप से अचानक बढ़ गया। भीड़ आक्रामक हो गई, नारेबाजी, पथराव, आगजनी और गोलीबारी में संलग्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों को चोटें आईं।

ज. श्री जिया-उर-रहमान बर्क और श्री सोहेल इकबाल राजनीतिक वर्चस्व और मुस्लिम समुदाय पर अपनी-अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। जिस कारण वह सरकार व पुलिस प्रशासन को बदनाम करना चाहते थे। यह भी अपर पुलिस अधीक्षक श्री श्रीश्रन्द की गवाही से स्थापित होता है।

(i) श्री श्रीश्रन्द, एडिशनल पुलिस अधीक्षक, उत्तरी जिला संभल, अनुज चौधरी, CO संभल, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और सब-इंस्पेक्टर दीपक राठी आदि के गवाही के अनुसार,

दिनांक 24.11.2024 की घटना का एक कारण राजनीतिक हस्तियों द्वारा क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास था। श्री श्रीश्रंद का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“राजनीतिक महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप वर्तमान सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क एवं उनके स्व. दादा शफीकुर्रहमान बर्क एवं विधायक श्री इकबाल महमूद के बीच चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और मुस्लिमों का खैरख्वाह बनने के लिए बढ़-चढ़कर सक्रिय भागीदारी की जाती है एवं हिंसक घटना वाले दिनांक 24.11.2024 को भी इसी महत्वाकांक्षा के कारण वर्तमान सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क एवं विधायक श्री इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल द्वारा घटना में सक्रिय भूमिका निभाई गई और लोगों को उद्वेलित किया गया।”

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्य दिनांक 24.11.2024 को घटित हिंसक घटना के कारक होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है:-

संभल शहर की आबादी 80% मुस्लिम और 20% हिंदू है। इस शहर में सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास रहा है। दंगों और हिंसा के माहौल और पृष्ठभूमि के कारण, संभल शहर में मुस्लिम धार्मिक उग्रवाद बढ़ा है, और धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देने और उकसाने वाले तत्वों को भी बल मिला है, जिससे धार्मिक उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई है।

संभल जिले में, मुस्लिमों में दो समूह, तुर्क और पठान, सक्रिय हैं। इनके बीच प्रभुत्व की लड़ाई के लिए हिंसक माहौल बनाया जाता रहा है, जो नसीम द्वारा अपने भतीजे वसीम को दिनांक 24.11.2024 को हुई हिंसक घटना में मिली चोटों के कारण दर्ज की गई FIR से और मजबूत और स्थापित होता है। घायल गवाह ICW-192 वसीम पुत्र नईम ने आयोग के समक्ष अपने बयान में कहा कि उनके चाचा नसीम ने अज्ञात तुर्क समुदाय के खिलाफ अपराध संख्या-342/2024, धारा 109, 125, 190, 191(2), 191(3) बी.एन.एस. के तहत पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR सही है, जिसमें लिखा है कि “दिनांक 24.11.2024 को हमारे घर से कुछ दूर पर स्थित जामा मस्जिद में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सर्वे का काम किया जा रहा था, उसी समय शहर के कुछ शरारती व उपद्रवी लोगों ने जामा मस्जिद के आस-पास इकट्ठा होना शुरू कर दिया जिसमें तुर्क बिरादरी के लोग भी थे तथा कुछ उपद्रवियों के द्वारा सर्वे कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया गया। जब प्रशासन के लोगों ने पथराव कर रहे लोगों को समझाना चाहा तो पथराव कर रही भीड़ में से कुछ तुर्क बिरादरी के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। अज्ञात तुर्क बिरादरी के उपद्रवियों द्वारा जान से मारने की नीयत से की जा रही

फायरिंग में से एक गोली मेरे भतीजे वसीम जो कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, को लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, हम लोग घायल वसीम को तुरंत उठाकर डॉक्टर के पास ले गए।”

उपरोक्त विचार विमर्श से यह प्रतीत होता है कि भीड़ (विधि विरुद्ध जमाव) का हिस्सा रहे, 4 व्यक्तियों की मृत्यु भीड़ में मौजूद उपद्रवियों अर्थात तुर्क और पठानों द्वारा की गयी क्रॉस फायरिंग का परिणाम थी।

मशहूद अली फारुकी, जो एक सैयद हैं, की पारिवारिक कब्रें मस्जिद के पास हैं और वे जामा मस्जिद पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, मशहूद अली फारुकी ने सुहेल इकबाल को अपने घर में रहने की अनुमति दी, जहां से उन्होंने फोन के माध्यम से लोगों से संपर्क करके भीड़ को उकसाया।

ऐसा भी प्रतीत होता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, श्री जिया-उर-रहमान बर्क और श्री सुहेल इकबाल ने अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य किया ताकि न्यायालय के आदेशित सर्वे का विरोध किया जाए, जिसमें श्री जफर अली ने श्री जिया-उर-रहमान बर्क के साथ सहयोग किया और श्री मशहूद अली फारुकी(जामा मस्जिद समिति के सचिव) जो मस्जिद पर अपने नियंत्रण को बनाए रखना चाहते थे, ने श्री सुहेल इकबाल के साथ सहयोग किया और मुस्लिम समुदाय से न्यायालय के सर्वे के आदेश की वास्तविक स्थिति को छिपाने की साजिश रची।

3. सम्पूर्ण घटना के दौरान, संभल पुलिस के सुरक्षा कवच को भीड़ द्वारा भेदा नहीं जा सका और उन्हें हिंदू-प्रधान मोहल्लों या बाजारों में प्रवेश करने नहीं दिया गया। जिससे घटना सांप्रदायिक रूप लेने से बच गई।

4.(i) पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार बिश्रोई की गवाही के अनुसार, सभी चार मृतकों की मृत्यु एक नियोजित साजिश का परिणाम थी, और मुस्लिम पक्ष द्वारा देशी अग्नेयास्त्र से गोलीबारी की गई ताकि दंगे भड़काए जाएं। मृतकों के पक्ष से किसी ने भी यह दावा करते हुए FIR दर्ज नहीं की कि उनके परिजन पुलिस की गोलीबारी के कारण मरे, जैसा कि FSL, आगरा के बैलिस्टिक विशेषज्ञों और अपराध स्थल पुनर्निर्माण द्वारा पुष्टि की गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, पुलिस ने मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद पहले आंसू गैस के गोले दागे, जो बहुत प्रभावी नहीं थे। इसके बाद, मिर्ची ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड, और अमिटश्याही गोले का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, 12-बोर पंप-एक्शन गन का उपयोग किया गया और SHO, कोतवाली ने अपनी सर्विस 9 एम.एम. पिस्टल से दो हवाई फायर किये।

(ii) पूरी घटना के दौरान, पुलिस ने विवेक और संयम का प्रदर्शन किया, समय-समय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया। घायलों के लिए नियंत्रण कक्ष के माध्यम से तत्काल अस्पतालों को सूचित किया गया और उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत अस्पतालों में पहुंचाया गया, पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि उन्हें भी चोटें आयी थी।

5. श्री श्रीश्रंद, एडिशनल पुलिस अधीक्षक, उत्तरी जिला संभल ने कहा कि पथराव से भीड़ ने नियोजित तरीके से पुलिस को घायल किया और पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की। लूटपाट के दौरान, सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार की 9 एम.एम. पिस्तौल की मैगजीन जिसमें 10 कारतूस थे और कांस्टेबल कपिल कुमार के दो डिब्बों में 24 आंसू धुआं गैस गोले, 5 रबर बुलेट गोले, 25 खाली कारतूस, 25 प्लास्टिक पैलेट और पंद्रह 12 बोर कारतूस पुलिस कर्मियों से लूट लिए गए। कपिल कुमार की गैस गन की बैरल से छीना-झपटी के दौरान एक आंसू गैस गोला दग गया। भीड़ ने सड़क पर पुलिस और सार्वजनिक चार-पहिया और दोपहिया वाहनों में आग लगा दी, विद्युत ट्रांसफार्मर, केबल जलाए और सीसीटीवी कैमरे तोड़े तथा आसपास के घरों की खिड़कियां तोड़ दीं। आक्रामक भीड़ ने पत्थर फेंके और पुलिस पर गोलीबारी की जिसमें उनको, कांस्टेबल कपिल कुमार, पंकज कुमार, राजपाल सिंह, शेर सिंह और सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार को चोटें आईं। इस हिंसा की घटना में कुल 28 पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए। इसके अलावा, सरकारी दंगा नियंत्रण उपकरण, जिसमें 14 केनशील्ड, 21 बॉडी प्रोटेक्टर, 17 डंडे और 19 हेलमेट शामिल थे, दंगाइयों के पथराव से क्षतिग्रस्त हो गए। सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने हसन और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन, कोतवाली संभल में FIR नंबर 333/24 दर्ज कराई।

दंगे के बाद, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और पास की नालियों को मेटल डिटेक्टर (HHMD) और नगरपालिका कार्यकर्ताओं की मदद से LIU और फील्ड यूनिट की उपस्थिति में साक्ष्य संग्रह के लिए साफ किया गया, जिसमें एक विदेशी 12-बोर कारतूस बरामद किया गया, जिसके लिए एक जब्ती मेमो तैयार किया गया। विशेष रूप से, सार्वजनिक प्रतिनिधियों/जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उत्तेजक, भड़काऊ और भ्रामक बयानों ने उपद्रवियों को दिनांक 24.11.2024 को हिंसा आयोजित करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें गैर-स्थानीय दंगाइयों ने आगजनी, गोलीबारी और पथराव में भाग लिया।

6. (i) दिनांक 24.11.2024 को हुई घटना के स्वतंत्र गवाह, मीडियाकर्मी जिन्होंने घटना स्थल पर रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग की थी तथा कोर्ट कमिश्नर के फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर विष्णु शर्मा ने अपनी गवाही में कहा है कि संभल जिले में अपरिचित चेहरों की आवाजाही

बढ़ गई थी। मस्जिद पर भारी पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी और बंदूक की गोली चलने की आवाजें सुनी गईं, भीड़ ने आगजनी भी किया। उन्होंने (प्रत्यक्षदर्शियों) ने यह भी देखा कि भीड़ में शामिल कुछ व्यक्ति जो हिंसा में लिप्त थे, ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे ढक रखे थे। (प्रत्यक्षदर्शियों की विस्तृत गवाही पूर्व के अध्यायों में पहले ही वर्णित की जा चुकी है।)

(ii) गवाह ICW 77 श्रीमती रुकय्या ने कहा कि उसने हुसना के घर से पत्थरबाजी होते देखी। ICW 78 श्रीमती जिकरा ने कहा कि उन्होंने छत से पत्थर फेंके, क्योंकि उनका बच्चा घायल हो गया था। ICW 79 कुमारी नजराना ने कहा कि हुसना बाजी, जिकरा बाजी, नूरी भाभी और मरियम छत से पुलिस पर पत्थर फेंक रही थीं। इन गवाहों के बयान कमीशन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए, क्योंकि वे न्यायिक हिरासत में थीं।

(iii) गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों द्वारा दिये गये साक्ष्य से पता चलता है कि दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान, सर्वे का विरोध करने वाली भारी भीड़ थी और भीड़ हिंसा में शामिल थी। हालांकि साक्ष्य के समय अधिकांश ने भीड़ में अपनी उपस्थिति से इनकार किया है, लेकिन मीडिया कर्मियों द्वारा लिये गये उनके फोटो और ड्रोन के माध्यम से की गई वीडियोग्राफी के आधार पर उन्हें विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने और हिंसा में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

7. भीड़ द्वारा पुलिस हथियारों की लूट और पुलिस पर जानलेवा हमले करने के बावजूद, पुलिस ने संयम बरता और घातक हथियारों का उपयोग नहीं किया, जैसा कि FSL आगरा बैलिस्टिक विशेषज्ञ टीम की अपराध स्थल पुनर्निर्माण रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई। पुलिस और प्रशासन की विवेकपूर्ण कार्रवाई के कारण, उपद्रवियों को पूरे राज्य और देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने से रोका गया।

8. 24 नवंबर 2024 की घटना में निर्विवाद रूप से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 28 पुलिस कर्मियों को चोटें आईं, जिनमें से 7 पुलिस कर्मियों को गोलीबारी से चोटें आईं। सभी घायलों ने घटना को देखने और अपने शरीर पर चोटें लगने की बात कही है। उपचार करने वाले डॉक्टरों और मेडिको-लीगल रिपोर्ट तैयार करने वालों ने इसकी पुष्टि की है। आयोग को घायलों और डॉक्टरों के साक्ष्यों में कोई असंगति नहीं मिली। इस प्रकार यह स्थापित होता है कि 7 पुलिस अधिकारियों/सिपाहियों को उपद्रवियों द्वारा की गयी आग्नेयाश्र से चोटें आईं।

चार मृतकों का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों ने राय दी है कि उनकी मृत्यु आग्नेयाश्र की चोटों के परिणामस्वरूप हुई। SP द्वारा अपने अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ

संलग्न बैलिस्टिक रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर हैं, जो दर्शाती है कि मृतकों के शरीर पर पाई गई चोटें 315 बोर हथियारों से हो सकती हैं। स्वीकृत रूप से रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी पुलिस कर्मी के पास 315 बोर हथियार थे और मृतकों के परिजनों द्वारा या किसी अन्य द्वारा कोई मुकदमा इस बात का दर्ज नहीं कराया गया है कि पुलिस की गोलीबारी से उसकी मृत्यु हुई है। जबकि मृतकों के परिजनों द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमों में अज्ञात भीड़ पर ही मुकदमा दर्ज कराया गया है, साथ ही आयोग के समक्ष परिजनों द्वारा बयान में भी अज्ञात भीड़ द्वारा ही मृत्यु कारित किया जाना कहा गया है।

9. गवाहों की गवाही और दिनांक 24.11.2024 को संभल में न्यायालय के आदेशित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ जामा मस्जिद की इंतैजामिया समिति के सदर, एडवोकेट जफर अली और इसके सदस्यों, स्थानीय सांसद श्री जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि/पुत्र श्री सुहेल इकबाल की भूमिका की गहन जांच के बाद, आयोग अपने कर्तव्य के रूप में कुछ पर्यवेक्षण करना उचित समझता है।

(i) किसी भी राष्ट्र का संविधान वह प्रणाली या मूल सिद्धांतों का समूह है, जिसके अनुसार राष्ट्र, राज्य या राजनीतिक निकाय का गठन और शासन किया जाता है; यह गठन या स्थापना की क्रिया है। दूसरे शब्दों में, यह कानूनों और नियमों का एक समूह है जो किसी राज्य की सरकार की मशीनरी को स्थापित करता है और विभिन्न संस्थानों और सरकार के क्षेत्रों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को परिभाषित और निर्धारित करता है। इस प्रकार, संविधान एक संप्रभु कार्य का निर्माण है।

(ii) संवैधानिक कानून का प्राथमिक कार्य किसी भी दिए गए राज्य के राजनीतिक गुरुत्व केंद्र को निर्धारित करना है। इस प्रकार यह एक असाधारण विधान है जो लोगों से सीधे संप्रभु क्षमता में कार्य करने से उत्पन्न होता है।

(iii) भारत के संविधान में एक विस्तृत प्रस्तावना है। प्रस्तावना का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि संविधान किसने बनाया, इसका स्रोत क्या है, इसके पीछे अंतिम स्वीकृति क्या है, संविधान द्वारा स्थापित की जाने वाली शासन प्रणाली की प्रकृति क्या है, और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

(iv) प्रस्तावना में शब्द, “हम भारत के लोग... हमारी संविधान सभा में... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं,” यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि ‘संप्रभुता’ लोगों में निहित है, कि संविधान उनसे निकलता है; कि संविधान की वैधता और इसके पीछे की स्वीकृति का अंतिम स्रोत लोगों की इच्छा है; कि संविधान किसी बाहरी

प्राधिकरण द्वारा उन पर थोपा नहीं गया है, बल्कि यह भारतीयों का स्वयं का कार्य है।

संविधान के तहत स्थापित संस्थान भारत में लोकतंत्र को प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे, जो वयस्क मताधिकार, मूल अधिकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा कायम रहेगा।

भारत का संविधान व्यक्तियों के कुछ मूल अधिकार घोषित करता है। इनमें से कुछ केवल भारत के नागरिक द्वारा दावा किए जा सकते हैं, जबकि अन्य गैर-नागरिकों और समूहों द्वारा भी समान रूप से दावा किए जा सकते हैं।

(v) सन् 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नई विशेषता जोड़ी गई, जिसमें भाग IV A में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया। निश्चित रूप से अधिकारों को कर्तव्यों के साथ संतुलित और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। भारत का संविधान आरक्षण की सीमा तक सकारात्मक कार्रवाई को स्पष्ट रूप से प्रदान करने वाला पहला संविधान है। सकारात्मक कार्रवाई अब समानता के मूल अधिकार का अपवाद नहीं है, बल्कि इसका एक अभिन्न पहलू है। इस प्रकार सकारात्मक कार्रवाई हमारी संवैधानिक योजना में अंतर्निहित और एकीकृत है और इसे किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

(vi) अनुच्छेद 51A संविधान के प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित के लिए बाध्य करता है: (a) संविधान का पालन करने और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने के लिए; (c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए; (e) भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या खंडीय विविधताओं को पार करते हुए; महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए; (i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और हिंसा से बचने के लिए।

भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान और इसके तहत बनाए गए कानूनों के साथ-साथ इसके आदर्शों और संवैधानिक योजना के तहत बनाए गए संस्थानों का पालन करना आवश्यक है।

10. चश्मदीद बयानों, फोरेंसिक रिपोर्टों और अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच आयोग द्वारा गहन परीक्षण से यह निर्विवाद निष्कर्ष निकलता है कि संभल हिंसा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर और घातक खतरा पैदा करती है और निस्संदेह भारतीय न्याय संहिता के कठोर प्रावधानों को आकर्षित करती है।

11. नियोजित हिंसा, जो व्यापक विनाश और अराजकता की विशेषता रखती है, का उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को कमजोर करना है, जिससे जनता के बीच आतंक पैदा होता है। यदि सिद्ध हो, तो ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए कठोर दंड, जिसमें आजीवन कारावास शामिल है।

12. संभल हिंसा को एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ संतुलित किया जाए। सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जाएं। ऐसा करके, हम क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और विधि के शासन को कायम रख सकते हैं। इसके अलावा, हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करना और सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना आवश्यक है।

13. मजबूत कानूनी ढांचा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को धमकी देने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है। उपरोक्त प्रावधानों को लागू करके, दोषियों को कठोर दंड, जिसमें आजीवन कारावास शामिल है, का सामना करना पड़ेगा और न्याय होगा, और भविष्य में राष्ट्र को ऐसे जघन्य अपराधों से संरक्षित किया जाएगा।

14. वर्तमान मामले में, श्री जिया-उर-रहमान बर्क(सांसद संभल), श्री जफर अली(एडवोकेट/सदर जामा मस्जिद), श्री मशहूद अली फारुकी(एडवोकेट/सचिव जामा मस्जिद) और प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य, श्री सुहेल इकबाल(स्थानीय विधायक श्री इकबाल मसूद के पुत्र/प्रतिनिधि) ने ASI संरक्षित स्मारक/जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध करने के लिए सर्वे कार्यवाही के दौरान साजिश रची और मुस्लिम समुदाय को “मस्जिद पर इकट्ठा होने और सर्वे का हर तरह से विरोध करने” के लिए बुलाया।

15. *एकत्रित भीड़ ने जामा मस्जिद में प्रवेश करने के सभी प्रयास किए और “नारा-ए-तकबीर,” “अल्लाह-हु-अकबर,” और “गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा – सर तन से जुदा”* (नबी के अपमानकर्ता की एकमात्र सजा सिर को धड़ से अलग करना है) जैसे नारों के साथ सभी को धमकी दी।

16. कोई भी नागरिक, भले ही किसी ने कोई गलती या अपराध किया हो, उसे धमकी देने का अधिकार नहीं है, यह विधि द्वारा स्थापित न्यायालय का कार्य है जो मुकदमे के बाद किसी व्यक्ति को उसके कृत्य/अपराध के लिए विधि के अनुसार दंडित करने का अधिकार और प्राधिकार रखती है।

17. गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट है कि दिनांक 24.11.2024 की घटना, श्री जिया-उर-रहमान बर्क(सांसद संभल), श्री जफर अली(एडवोकेट/सदर, जामा मस्जिद), श्री मशहूद अली फारुकी (एडवोकेट/सचिव, जामा मस्जिद), जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य तथा श्री सुहेल इकबाल(स्थानीय विधायक के पुत्र/प्रतिनिधि) द्वारा साजिश का परिणाम थी, ताकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित प्रभुत्व स्थापित किया जाए, जो मस्जिद पर अपने नियंत्रण को बनाए रखना चाहते थे, और दुर्भावनापूर्ण तरीके से सर्वे के लिए न्यायालय के आदेश की सही प्रकृति और वादियों द्वारा दायर मुकदमे में प्रार्थना को छिपाया गया, जिसमें उन्होंने ASI द्वारा संरक्षित स्मारक के रखरखाव और सभी के लिए स्मारक तक प्रवेश के लिए निर्देश मांगे थे।

18. उन्होंने मस्जिद पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से यहां तक की अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण की वास्तविक स्वरूप को भी छिपाया, साथ ही वादी द्वारा दायर मुकदमे में मांगे गए अनुतोष को भी छिपाया, जिसमें वादी ने एसआई द्वारा संरक्षित स्मारक के रखरखाव और सभी के लिए स्मारक तक प्रवेश के लिए निर्देश मांगे थे।

19. उपरोक्त व्यक्तियों का संपूर्ण कृत्य, जिसमें माननीय न्यायालय के सर्वे के संबंध में आदेशों का सम्मान न करना और भीड़ के माध्यम से बलपूर्वक सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करना, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ-साथ सिविल जज (सी0डी0) के समक्ष दायर मुकदमे में वादियों के अनुतोष को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और भ्रामक जानकारी देना, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक पर संविधान और इसके तहत बनाए गए कानूनों, इसके आदर्शों और संवैधानिक संस्थानों के तहत बनाए गए नियमों का पालन करने का कर्तव्य है, जिसका पालन न करना राष्ट्रविरोधी कृत्य है। इसके अलावा उनपर भारतीय न्याय संहिता व अन्य विधिक प्रावधान भी आकर्षित होते हैं और उन्हें तदनुसार निपटाया जाना चाहिए।

20. अंत में, हम इस टिप्पणी के साथ निष्कर्ष निकालते हैं कि सिविल जज (सी0डी0) के वाद संख्या-182/2024 दिनांक 19.11.2024 के आदेश के अनुसरण में जामा मस्जिद/सर्वे के स्थान को कोई खतरा नहीं था, न ही वादियों ने ऐसी कोई प्रार्थना की थी। वादियों ने स्थायी निषेधाज्ञा के रूप में न्यायालय से एक डिक्री की मांग की थी, जिसमें प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति मोहल्ला कोट पूर्वी वार्ड नंबर 11, थाना कोतवाली शहर संभल में स्थित हरि हर मंदिर/जामा मस्जिद में वादियों और जनता के प्रवेश में कोई बाधा या रुकावट न पैदा करने की प्रार्थना की गयी थी, जैसा कि वाद पत्र के पैरा 1 और 2 में पूरी तरह से उल्लिखित है,

जो प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 18 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों, शर्तों और विनियमों के अनुरूप है। इसके अलावा, जामा मस्जिद 1920 से संरक्षित स्मारक है और वादियों द्वारा मांगे गये अनुतोष 13/19-01-1927 को संभल में जामा मस्जिद के मुतवल्लियों और सचिव, भारत सरकार की ओर से कार्य करने वाले मुरादाबाद के कलेक्टर के बीच निष्पादित समझौते के खंड 6 के अनुरूप है, जो दिनांक 01.03.1927 को पंजीकृत हुआ था, जिसमें जामा मस्जिद को जनता के लिए खोला गया था और इसलिए जामा मस्जिद के अस्तित्व के लिए किसी भी प्रकार के खतरे के नाम पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालने का कोई उचित कारण नहीं था।

इसके अलावा गवाहों के बयानों और तथ्यों तथा परिस्थितियों के गहन विश्लेषण से यह राय बनती है कि दिनांक 24.11.2024 को हुई घटना एक सुनियोजित षड्यंत्र और उकसावे का परिणाम थी। दिनांक 19.11.2024 को अदालत के आदेश पर किया गया अधूरा सर्वे स्थानीय राजनेताओं, जामा मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के सदस्यों के माध्यम से आम जनता को भी ज्ञात था। दिनांक 19.11.2024 और दिनांक 24.11.2024 के बीच राजनैतिक हस्तियों, आपराधिक तत्वों और जामा मस्जिद कमेटी के सदस्यों के पास अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भीड़ को तैयार करने और जुटाने का पर्याप्त अवसर था। श्री जिया-उर-रहमान बर्क और श्री सुहेल इकबाल ने, श्री जफर अली और श्री महशूद अली फारुकी के साथ, जो जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं और मस्जिद पर अपना-अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे, ने मुस्लिम समुदाय से अदालत के आदेश पर किए गए सर्वे की वास्तविक प्रकृति को छिपाने की साजिश रची। उन्होंने एक भीड़ को सुनियोजित तरीके से इकट्ठा किया और उसे उकसाया, जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति शामिल हो गए तथा धारा 163 बीएनएसएस के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, जिसमें अधिकांश व्यक्तियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क आदि लगा रखे थे और घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे थे। यह सरकार और उसकी मशीनरी को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से उक्त कृत्य को किया गया था। हालांकि, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने अपनी त्वरित कार्रवाई से इसे रोकने में सफलता प्राप्त की।

संदर्भ बिन्दु (b) पर निष्कर्ष

संदर्भ बिन्दु (b) के सम्बन्ध में आयोग से यह अपेक्षा की गयी है कि जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गयी घटना के सम्बन्ध में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या प्रबन्धन किये गये। संदर्भ (b) निम्नलिखित के रूप में है:

घटना के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंधों और उससे संबंधित अन्य पहलुओं की जांच करना; दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक और उसके बाद जिला प्रशासन, जिसमें पुलिस प्राधिकरण शामिल हैं, द्वारा किए गए कार्यों/प्रबंधों की गहन जांच से यह बिना किसी संदेह के सिद्ध होता है कि सख्त निगरानी, संगठित, समन्वित कार्य और जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के कारण, संभल शहर को न केवल सांप्रदायिक हिंसा से बचाया गया, बल्कि दिनांक 24.11.2024 को सर्वे कार्यवाही के दौरान हिंसक भीड़ को जामा मस्जिद में प्रवेश करने से रोककर सर्वे टीम को किसी भी नुकसान से बचाया गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमवर्क की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि भीड़ द्वारा पुलिस हथियारों की लूट और पुलिस पर जानलेवा हमलों के बावजूद, पुलिस ने संयम बरता और घातक आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं किया, जैसा कि FSL आगरा बैलिस्टिक विशेषज्ञ टीम की घटना स्थल पुनर्निर्माण रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई। पुलिस और प्रशासन की विवेकपूर्ण कार्रवाई के माध्यम से, उपद्रवियों को पूरे राज्य और देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने से रोका गया। (विस्तृत विवरण अध्याय-8 में वर्णित है)

संदर्भ बिन्दु (d) पर निष्कर्ष

राज्य सरकार ने इस आयोग को संदर्भ की शर्त (d) के तहत भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के संबंध में सुझाव देने का निर्देश दिया है।

संदर्भ बिन्दु (d) निम्नलिखित रूप में है:

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के संबंध में सुझाव देना।
दिनांक 24.11.2024 को संभल में हुई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझावों को इस संदर्भ बिंदु पर विचार-विमर्श करते समय विस्तार से वर्णित किया गया है।
(विस्तृत विवरण अध्याय-8 में वर्णित है)

संदर्भ बिन्दु (d) पर निष्कर्ष

राज्य सरकार ने इस आयोग को संदर्भ की शर्त (d) के तहत भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के संबंध में सुझाव देने का निर्देश दिया है।

संदर्भ बिन्दु (d) निम्नलिखित रूप में है:

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के संबंध में सुझाव देना।
दिनांक 24.11.2024 को संभल में हुई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझावों को इस संदर्भ बिंदु पर विचार-विमर्श करते समय विस्तार से वर्णित किया गया है।
(विस्तृत विवरण अध्याय-8 में वर्णित है)

प्रमाणित किया जाता है कि

A प्रस्तुत दस्तावेज मूल में संभल में
स्थायित्व आंच आयोग संभल की
रिपोर्ट का हिस्सा अनुवाद है।



अहमद
(-याचक मूर्ति देवे अ कुमर अयोडा)



(बृजेश कुमार)
(प्रतिनिधित्व संभल आंच)

एक से डेढ़ घंटे तक चला। उन्हें दंगे के दौरान लगाए गए नारों के बारे में नहीं पता। एक या दो वाहनों में आग लगाई गई थी। जब आयोग ने पूछा कि क्या उनके दोस्त दंगे में थे और उनके नाम तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया, मोहम्मद सुभान, निहाल और अन्य नाम उन्हें याद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संभल में दंगा गलत था। उनका घर जामा मस्जिद से 1-2 किमी दूर है। दिनांक 19.11.2024 को सर्वेक्षण हुआ लेकिन अगर यह शांतिपूर्ण ढंग से हुआ होता तो दंगा नहीं होता। भीड़ ने अशांति पैदा की कुछ ने अपने चेहरे ढके थे, पत्थर फेंके गए और आगजनी हुई। उन्होंने टीवी पर अशांति देखी, लेकिन वहाँ नहीं गए।

ZZZ. ICW 183. श्री मोहम्मद कमाल पुत्र श्री मोहम्मद अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दिया कि दंगे के दौरान वे मजदूरी के लिए गए थे। उनका घर जामा मस्जिद से 1-1.5 किमी दूर है। वे अपने घर के पास रजा मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और कभी-कभी जामा मस्जिद में। दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद और संभल के अन्य स्थानों पर भीड़ ने अशांति पैदा की। वे दिनांक 20.11.2024 से दिनांक 24.11.2024 तक संभल में अपने घर पर थे। उन्होंने कहा कि इस विवाद का कारण सर्वेक्षण था।

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के बयानों की गहन जाँच से पता चलता है कि दिनांक 24.11.2024 को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण का विरोध करने वाली एक बड़ी भीड़ थी और यह हिंसा में शामिल थी। उनमें से अधिकांश ने भीड़ में अपनी उपस्थिति से इनकार किया लेकिन उन्हें गैरकानूनी सभा और हिंसा में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो मीडिया कर्मियों द्वारा ली गई उनकी तस्वीरों की पहचान और ड्रोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमुख इलाके में स्थित विमानक्षेत्र
-यात्रिक जांच आयोग का सम्मेलन की
रिपोर्ट का सही अनुवाद है।

241 (अजित कुमार)
प्रतिनिधि जज (सलाहकार) (साम अरिंदे-5 कुमार अजित)

INDEX		
S.No	Chapter	Page
Part-1		
1	Prologue	1-4
2	Chapter-1- Constitution of Commission	5-6
3	Chapter-2- Background fact of incident dated 24 th November, 2024	7-11
3	Chapter-3- The History Of Violence in Sambhal and History Of Shahi Jama Masjid	12-31
4	Chapter-4- Proceedings of the Commission	32-49
5	Chapter-5- Litigation	50-55
6	Chapter-6- Evidence of witnesses	56-308
Part-2		
7	Chapter-7- Points for determination in pursuance of evidence	309-382
8	Chapter-8- Analysis and Evaluation of Evidence with Reference to Terms of Reference	383-461
9	Chapter-9- Epilogue	462-483

PROLOGUE

1. On 19.11.2024, an original suit number 182/2024 was filed in the Court of Civil Judge (Senior Division), Chandausi, District Sambhal by Plaintiffs, Mr Hari Shankar Jain & 6 Others against the Defendants, Union of India and 5 others including Committee Of Management, Jama Masjid Sambhal through its Manager with the prayer in sum and substance, for a decree in the nature of declaration and permanent injunction restraining the defendants, their officers, workers and every person acting under them from creating any hurdle or obstacle in entering the Plaintiffs and the members of the public into the Hari Har Mandir/Jami Masjid situated within Mohalla Kot Purvi Ward No.11, P.S. Kotwali City Sambhal as fully described in para 1 & 2 of the suit in accordance with the terms, conditions and regulations as framed by competent authority to give effect to the provisions of Section 18 of The Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

2. The very same day an application for issuance of a Survey Commission had also been filed by the plaintiffs. Hon'ble Civil Judge, senior division, Chandausi after hearing on the application passed an order with respect to Survey with photo and videography, while appointing Survey commissioner.

3. In compliance with the order passed by the Court, Mr Ramesh Chandra Raghav, Advocate was appointed as Survey Commissioner. Mr Raghav after getting Parvana from the court

went to District Magistrate, Sambhal and informed him about the execution of Commission.

4. District Magistrate asked SP Sambhal to provide Police force. Thereafter District Magistrate Sambhal, SP Sambhal along with some Police personnel reached Jama Masjid in the evening to maintain the law and order at the time of execution of Commission.

5. Mr Ramesh Chandra Raghav, Advocate in presence of counsel Mr Vishnu Shankar Jain, Advocate, Mr Gopal Sharma, Advocate, Mr Prince Sharma Advocate and Mr Zafar Ali Advocate (Sadar of Jama Masjid Committee) started the execution of Commission but due to fading light and interference of Mr Zia-ur-Rahman Barq, Mr. Suhail Iqbal and their supporters, complete Survey could not be conducted.

6. On 24.11.2024, when remaining Survey was being conducted by Mr Ramesh Raghav in presence of counsel for the plaintiff Mr Vishnu Shankar Jain Advocate, Counsel for the defendant, Mr. Zafar Ali, Advocate, his associates and DM, SP Sambhal with several Police personnel, a large number of people belonging to Muslim community gathered all around the Masjid to oppose the Survey. They started raising religious slogans like *Allah Hu Akbar, Gustakhe Nabi ki ek saja, sar tan se juda, tan sar se juda.*

7. Some people from the crowd were trying to enter Jama Masjid to interfere in the proceedings of the Survey. CO Sambhal explained the situation to them that the Survey is being conducted

in compliance with the order of the Court but in vain. The people from the crowd started pelting stones and opened fire on Police personnel. They also burnt some vehicles belonging to Police and private persons. The Police force used tear gas, pepper bombs, rubber bullets, pump action guns etc. to disperse the crowd. However, after some time the Police force succeeded in controlling the riot.

8. In this incident, several Police personnel including SP Sambhal sustained grievous injury, four persons died, and various properties were damaged. This incident shattered the whole state of UP. It was video graphed by several media persons, who were already present at the place of occurrence to cover the incident. The news was broadcasted by several local and national channels.

9. Keeping in view the importance of the incident dated 24.11.2024, the State Government constituted the Judicial Inquiry Commission on 28.11.2024 to conduct an Inquiry of the incident.

10. The Commission conducted thorough Inquiry keeping in view the terms of reference as reflected in para 3 of the notification dated 28.11.2024.

11. The Commission after conducting thorough Inquiry is presenting the report which deals with the incident dated 24.11.2024. The incident has been examined from all possible angles.

12. The Commission while conducting the Inquiry followed the due procedure mentioned in Commission of Inquiry (UP) rules 1985 and while doing so *inter alia* kept in view the relevant provisions of BNSS, BNS and Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023.

13. The Commission after meticulous scrutiny of his evidence including testimonies of Police personnel, Administrative officers, Plaintiffs, Defendants as well as their learned Advocates, Media Personnel (Eyewitness), Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, Other Eyewitnesses, FIRs, Medical Reports, Postmortem Reports, Report Of Forensic (FSL), Ballistic Expert, and other records etc. prepared report and compiled in 2 parts.

The affidavits, oral testimonies and other records are compiled in Vol.1 to Vol.6 separately.

Chapter-1

Constitution of Commission

This Commission has been constituted vide Notification Number-UO-87/chha-pu-12-2024 dated 28-11-2024, to enquire into the incident dated 24-11-2024 occurred during the Survey of disputed Jama Masjid-Hari Har Mandir site in town Sambhal, Police Station Kotwali Sambhal, in which many Police persons were injured, four people lost their lives and various properties were damaged.

The notification was issued under section-3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, appointing three-member Judicial Inquiry Commission comprising of the following members:-

- (1) Justice Shri Devendra Kumar Arora, Former Judge, Allahabad High Court- Chairman
- (2) Shri Amit Mohan Prasad, retired IAS- Member
- (3) Shri Arvind Kumar Jain, retired IPS- Member

1. Terms of Reference-

- a. To inquire the aspects whether the incident was sudden or well planned and the result of a criminal conspiracy;
- b. To inquire into the arrangements made by the District Administration and Police for maintaining law and order during the incident and other aspects related thereto;
- c. To ascertain the reasons and circumstances due to which the said incident took place;

d. To give suggestions regarding non-recurrence of such type of incident in future.

2. The Governor of Uttar Pradesh having regard to the nature of Inquiry in question and other circumstances relating to the case, in exercise of the power under section-5(1) of the Act of 1952, made the provision of sub-section (2) (3) (4) & (5) of the aforesaid act applicable to the Commission.

3. The term of the Commission was initially for two months which was extended from time to time till 31.08.2025 as required by the Commission.

Chapter-2

Background fact of incident dated 24th November, 2024

1. On Nov 19, 2024, a survey of Jama Masjid Sambhal was ordered by the Civil court, Chandausi. Bone of contention being, whether it was Jama Masjid or Hari Har Temple, as per claims of Hindus. Duly appointed Advocate Commissioner requested DM Sambhal to provide adequate force so that work of Survey could be carried out without obstruction. The survey started the same evening in the presence of senior officers of Administration/Police and heavy deployment of Police. Members of the Managing Committee/Sadar of the Mosque were informed in advance so that they remain present at the premises of Jama Masjid. News of the Survey spread like wild- fire and large numbers of people of Muslim community gathered around the mosque. They were trying to enter the mosque, to prevent a survey being carried out, but the Police somehow managed to control them. M P of Sambhal, who was present in the district, came to know of it and rushed to the mosque along with his supporters. Suhel Iqbal, son of Mr Iqbal Mehmood, MLA Sambhal, also reached along with his followers. Tempers were high and Namazis were collecting for evening prayers. The time of Namaz was extended so that Survey could be over but due to increasing darkness and heavy pressure of Namazis, it had to be abandoned.
2. By and large Muslims were quite agitated over the Survey. During next Friday prayers, on Nov 22, abundant precaution was taken and there was the presence of Police in large numbers to

maintain L&O, in view of the highly surcharged atmosphere. Namazis turned up in unusually huge numbers at Jama Masjid to offer Namaz. MP Sambhal was also present. After prayers when the MP was leaving the mosque, questions were posed by electronic/print media to him, who were also present to cover it. The MP gave answers from the stairs of the mosque, where local Muslims were also present in large numbers. The MP also said that "There was a mosque, there is and it shall continue to be there". The crowd gradually dispersed, but it was crystal clear that whenever the remaining Survey will be carried out, tempers would be very-high and massive deployment would be required, with due care and caution.

3. Here it is pertinent to mention that By-Election of Kundarki, MBD was conducted because MLA, Mr Zia-Ur-Rehman, had been elected MP Sambhal. Counting took place on Nov 23, 2024, in which the SP candidate lost badly to BJP. This was a huge setback for the MP and his party.

4. Duly appointed Advocate Commissioner approached DM Sambhal on Nov 23 for carrying out the remaining Survey on Nov 24 morning. He requested proper Police arrangements so that they could carry it out without interruption. Sadar of Jama Masjid, Mr Zafar Ali Advocate, was informed by SDM/CO Sambhal in the night only so that he remains present along with the Managing Committee, for managing crowds. Sadar in turn informed MP Sambhal, who was at Bengaluru to attend some meeting. He also

informed Suhel Iqbal and members of the Committee regarding the impending Survey next morning.

5. Police/Administration in anticipation started making arrangements on war footing. Barricading was done at sensitive places to control mobs/Extra force from Zone/Range levels, which had been provided, along with para-military companies, was deployed. Survey team along with Vishnu Shankar Jain Advocate was duly escorted in the morning from PS Sambhal to the mosque and Survey work began in the presence of DM/SP, early morning. In the meanwhile crowds started gathering around the mosque and were raising religious slogans. They wanted somehow to enter the mosque, so that the survey could be prevented. Gradually crowds were increasing and were getting violent. Many had their faces covered and indulged in heavy stone pelting. Gun shots were also heard and they put several vehicles, two wheelers of public, and Policemen on fire. Smoke around the mosque could be seen. Officers of Police/Administration kept on appealing to the unruly crowd, but it was of no use. In stone pelting, several senior officers and jawans sustained serious injuries and had to be rushed to hospitals. Police had to resort to lathi charge and when it failed, they fired tear gas shells/rubber bullets/chili pepper bombs and even pump action guns were used to disperse violent mobs. Police parties were overpowered at places and magazine of 9 MM Pistol/cartridges etc were looted by rioters from Policemen. Injured from the public side, due to indiscriminate firing/brick

batting, were also rushed to the hospitals promptly for medico legal examination and treatment. Four of them succumbed to their injuries that day.

6. While this was going on, it was of prime importance to escort the Survey team to PS Sambhal after Survey work was over. The team was a target for many in the crowd. Very intelligently they were escorted out of the mosque under heavy Police protection and were taken safely to PS Sambhal through Hindu Mohallas.

7. Sambhal is a highly sensitive communal town, with a history of several riots with large scale casualties. The task before senior officers/Police was to prevent communal clashes at any cost and deployment was made to prevent Muslims from entering Hindu Mohallas. Barricading with strong back up, prevented any such clashes. Clashes were confined between Police and Muslims, which was soon brought under control. Patrolling continued in the City, several preventive arrests were made by Police of stone pelters, to bring the situation to normal.

8. The incident of Sambhal of Nov 24 hogged headlines in the country and decision was taken by State Government to constitute a three-member Judicial Commission, led by Justice (Retired) D K Arora to look into the causes of the incident and to suggest measures to prevent recurrence of such incidents in future. Commission was formed on Nov 28, 2024, vide Notification No UO-87/chha-pu-12-2024.

9. Relating to the incident 12 FIRs had been registered at P.S. Kotwali Sambhal/P.S. Nakhasa, out of which seven are from the

Police side, the remaining five were registered by private persons. It is pertinent to mention here that Charge-sheets in eleven cases have already been submitted to the court.

Chapter-3

The History Of Violence in Sambhal and History Of Shahi Jama Masjid

While this Commission is inquiring into the causes of the incident dated 24.11.2024, it would be relevant to know the history of Sambhal and the disputed place Jama Masjid which is the bone of contention between Hindus and Muslims.

A. History Of Sambhal

(i) Sambhal is a city located in the Sambhal district of Uttar Pradesh, India. The city lies approximately 158 km east of New Delhi and 355 km north-west of the state capital Lucknow. It also falls within the Rohilkhand region in the Moradabad division of the state, being approximately 32 km from the city of Moradabad.

(ii) Sambhal is identified as Shambhala, a village which is mentioned as the birthplace of Kalki, the tenth and last incarnation of Vishnu, in the Mahabharata and the Hindu Puranas such as the Skanda Purana, Bhavishya Purana and later Kalki Purana (the city is also home to a "Shri Kalki Vishnu Mandir"). This was borrowed into the Buddhist mythology of Tibetan Buddhism where it is described as a mythological kingdom and a pure land beyond the Himalayas where the future Maitreya will emerge from.

According to Ibn Battuta, Toghon Timur the last Yuan dynasty emperor of China had sent an embassy to the Sultan of Delhi Muhammad bin Tughluq, requesting permission to rebuild a

Buddhist temple at Sambhal, which at the time attracted pilgrims from Tibet.

(iii) Sambhal has been an urban center for hundreds of years and was a prominent town during the medieval period. Two legendary battles between Prithviraj

Chauhan and Ghazi Saiyyad Salar Masud are claimed to have taken place here. At the time under local rulers, in the 13th and 14th-centuries it would go on to become a part of the Delhi Sultanate, first under Qutb ud-Din Aibak and later under Firuz Shah Tughlaq.

(iv) Later it was a capital of the Lodi dynasty of the Delhi Sultanate under Sikandar Lodi for four years in the 15th-century. A folio from the Baburnama, depicts an award ceremony in Sultan Ibrahim Lodi's court before an expedition to Sambhal in the early 16th-century. After the collapse of the Delhi Sultanate, the city fell to the Mughals under Babur, briefly serving as the capital of the new empire. Babur is also claimed to have built a mosque here which is still extant. The city would later be governed by his son Humayun. Sambhal flourished under the rule of Akbar, Humayun's son, but subsequently deteriorated in popularity when Akbar's grandson Shah Jahan was made in charge of the city, and the local (sarkar) capital was shifted to Moradabad.

(v) The district was announced on 28 September 2011 and created by the state government out of Moradabad district on 23

July 2012 as one of three new districts in the state. At the time of its creation, the state government decided to name the new district "Bhimnagar" in honour of the social reformer, Bhimrao Ambedkar. However, massive protests broke out in Sambhal town and the adjoining rural areas against the move to rename the ancient town. Sambhal had been known by the same name for over 500 years, had been an important town in medieval India, and had never had any connection with Bhimrao Ambedkar, a Dalit icon. The protests were successful and the government retained the name of Sambhal.

B. Demographics of Sambhal

(i) As per provisional reports of the 2011 Census of India, the population of Sambhal city in 2011 was 221,334, of which 116,008 were male and 105,326 were female. The total literates in Sambhal consist of 92,608 people, of which 51,382 are males while 41,226 are females. The average literacy rate in Sambhal city is 49.51%, of which male literacy was 52.27 percent, while female literacy being 46.45%. The sex ratio of Sambhal city is 908 per 1,000 males and the child sex ratio of girls is 936 per 1,000 boys. The number of children (0-6) in Sambhal city constitute 34,279 as per the records of Census India 2011. There were 17,702 boys and 16,577 girls. The children form 15.49% of the total population.

(ii) Sambhal is a Muslim-majority city in India with approximately 77.67% of the city's population following Islam as

their religion. Hinduism is the second most common religion in the city of Sambhal with approximately 22.00% following it, followed by Christianity (0.12%), Sikhism (0.06%), Buddhism (0.03%), and Jainism (0.02%).

C. The History Of Violence in Sambhal

(i) During the proceedings of the Commission, the Commission thought it appropriate to go through the incidents of violence which have taken place very often in Sambhal and most of the incidents relate to clashes between Hindus and Muslims. For this purpose, the Commission consulted the available material from different sources.

(ii) Sambhal holds significant religious importance for Hindus, as it is considered to be the birthplace of Kalki, the tenth incarnation of Lord Vishnu, as per various Puranas and Hindu texts. The Shahi Jama Masjid is believed to have been constructed by Mughal ruler Babur in the early 16th century over the ruins of the Mr Hari temple, which adds to the temple-mosque dispute.

(iii) The incident on November 24 was not an isolated occurrence of violence in Sambhal. The city has a long and turbulent history marked by repeated instances of communal unrest, the most devastating being the 1978 pogrom, in which over 183 Hindus reportedly lost their lives. This report provides a

detailed account of all incidents of violence recorded in Sambhal, spanning from 1936 to the present day.

(iv) Violence of 1936-37

SP Sambhal in his affidavit submitted before the Commission has stated that according to the record available in the office of SP Sambhal some incidents of communal violence have taken place in Sambhal but he could not narrate the date and place of occurrence.

(v) Violence of 1947

At the time of Partition, communal riots engulfed the entire country, and Sambhal was not spared. People from Hatimsarai and surrounding areas fled to seek refuge at the Sambhal Police station. Once the riots subsided, Jagdish Sharan, a Commission agent from Hatimsarai, along with 20-25 others and a Police escort, began their journey home. When they reached Qureshi Wali Gali in Hilali Sarai, just 50 meters from their houses, they asked the Policeman to return, believing they were close to safety. Moments later, the group was ambushed by Muslims, including members of the Qureshi community. While others managed to escape, Jagdish Sharan was caught and killed. Official records reported one Hindu death in this incident.

(vi) Violence of 1948

Curfew was imposed for over 20 days following riots that resulted in the deaths of six Hindus. The riots were incited by Bade Nawab

Mahmood Hasan Khan (father of current MLA Iqbal Mahmood), who opened fire. Communal clashes erupted at Katra Ke God in Hakim Sarai, where six Hindus lost their lives. Nawab Mahmood even commissioned a makeshift cannon (Top) from Anwar Mistri whose son Mukhtiyar now runs a workshop near Hind Inter College). He brought the weapon to Agenti Tiraha with the intention of attacking Hindus but was stopped by Hindu resistance.

(vii) Violence of 1953

A Shia-Sunni conflict broke out in Sambhal, leading to significant casualties. Apart from this, communal riots also came to light in the years 1958, 1959 and 1966.

(viii) Violence of 1958-59

Several communal riots were reported. In 1958, a two-day curfew was imposed after a violent clash between Hindu and Muslim students at Hind Inter College. Muslim boys from 'Bera ke Karkhana' attacked with weapons, including iron claws, leaving 10-12 Hindu students injured.

(ix) Violence of 1962

During a by-election for the Amroha and Sambhal Lok Sabha constituency, contested by JP Kriplani, communal tension flared. Prime Minister Jawaharlal Nehru also campaigned during this time. Mahesh Gupta, a former Jan Sangh MLA, was attacked and

stabbed by Muslims near a seed warehouse in Ruknuddin Sarai. He sustained severe injuries.

(x) Violence of 1976

On February 29, 1976, a rumour spread that Rajkumar Saini, a mentally unstable man from Petia village, had killed a Maulvi. However, investigations later revealed that the Maulvi was murdered due to a dispute within the mosque committee by another Muslim. Nevertheless, a mob, led by Manzar Shafi and Ataullah Tatari (a time when Dr. Shafiqur Rahman Barq was rising in influence), attacked Hindu religious sites, including the Surajkund temple and the Manas temple. The mob also targeted Sasthal Chowki, attempting to burn Kishanlal's house. When Hindus resisted, stone pelting ensued, and the mob fled.

During this period, two murders were reported: Harisingh, son of Sukha Singh, resident of Sotipura and Rakesh Vaishya, son of Rameshwar Prasad, resident of Mohalla Kotpurvi.

On April 24, 1976, a major explosion occurred at the house of Kallu, a resident of Nachawan in Kotpurvi Mohalla. His son Salam was severely injured and succumbed to his injuries the following day. In retaliation, Kamta Prasad, an elderly Hindu man, was stabbed to death in Lal Masjid Sarayatrini. Police quickly apprehended the killers and identified the cause of the explosion, which helped restore calm.

Additionally, Jaichand Rastogi was shot dead during this period. In a bid to maintain balance, authorities arrested around 20-22 guilty Muslims and an equal number of innocent Hindus, leading to dissatisfaction among Hindus. A Hindu was also killed outside the city during this unrest. A seven-day curfew was imposed to control the situation.

(xi) The Sambhal Riot of March 29, 1978-

The most devastating communal riot in Sambhal in 1978 erupted in the aftermath of the Holi festival. Holi was celebrated on March 25, 1978, but tensions simmered between the two communities over specific issues related to the festival. At one site, a Muslim shopkeeper had set up a wooden stall at a location where the Holi pyre was to be lit, while at another, a platform had been constructed. Despite the tension, the wooden stall was removed in time, and Holi was celebrated peacefully.

The above noted history of violence in Sambhal goes to show that many incidents of violence between Hindu and Muslims had taken place and several persons, particularly Hindus, were executed to death. The circumstances indicate that Sambhal is not an ordinary city.

(xii) The Sambhal Riot of 1980-

In 1980, a big riot took place in Moradabad due to a pig entering the Idgah. Its flames reached Sambhal. In this incident, a person from Prajapati community was killed and a person named Vijay

Tyagi was booked under NSA. At that time, the then District Magistrate said that Tasdiq Ilahi had to be shut down and to maintain balance, they were also shut down. It is worth noting that when Muslims spread communal riots, Hindus were also shut down along with them.

(xiii) The Sambhal Riot of 1982-

In 1982, when the lock of Babri Masjid was opened, the Muslims of Sambhal town protested strongly. On Friday, as a mark of protest, about ten to fifteen thousand Muslims from rural and urban areas offered Namaaz in Jama Masjid by tying black bands on their arms. The Namazis had come till Tandon Tiraha. Due to the large number of Namazis coming, the Hindus kept their shops closed and an atmosphere of fear prevailed. During this time, Harishankar Rastogi was shot dead by a Muslim of Deepasrai in Guiya Wali Gali, Md. Ther, over money transactions. Hindus staged demonstrations etc. for the arrest of the accused. This created a tense situation in Sambhal. Due to the pressure of Hindus, the accused of murder was made to surrender by Dr. Shafiqur Rahman Barq, but later the murderer was acquitted.

(xiv) The Sambhal Riot of 1986-

Shri Ram Janmabhoomi/Babri Masjid Mukti Andolan controversy gained momentum and the Hindu-Muslim communalism in the entire state was taking an explosive turn from the very beginning over the issue of opening the lock of Mr Ram Janmabhoomi and

the Babri Masjid controversy. In this context, on 14 February 1986, Muslims organized an event of tying black bands and hoisting black flags on their business establishments, houses and their arms. Muslims offered collective namaz in the disputed Jama Masjid, in which an unprecedented number of Muslims participated. A news article was published in a daily newspaper published from Delhi that Naga Sadhus going to Kumbh Mela Haridwar will come to Sambhal on the day of Mahashivratri and will offer water in the Hari Har temple, this news increased the tension in Sambhal. Due to this, people of the Muslim community in Sambhal started looking at Hindus with hatred.

On 08 March, 1986, Shivratri procession was taken out. At that time, mentha trader Pradeep Rastogi owed money to a tubewell operator named Rahisurrahman. On the same day, someone spread the rumour that water is being offered at Hari Har temple on Shiv Teras. Taking advantage of this opportunity, Rahisurrahman shot Pradeep Rastogi dead. A Hindu was also killed on the way. Bhagwat Sharan Rastogi, who had gone to buy sugar from Kheru Halwai's shop at Tandon Tiraha before Kotwali, was dragged inside the shop and killed. His body was found in a sack in the compound of Mau. Nai Sarai Police Station Nakhasa. Another Hindu was murdered near Manokamna Temple. Shops were looted and burnt in this riot.

Between 08 March 1986 and 06 June 1986, Sitaram s/o Motiram, Omishankar s/o Chhedlal, Bhagwat sharan Rastogi and

Master Kripal Singh were murdered on different dates on the basis of communalism. Fifty people were arrested in connection with this riot and two hundred and fifty people were arrested under preventive action. Apart from this, action was taken against Vijay Prakash Tyagi, Rahisurrahman and Tasdiq Ilahi under the National Security Act and they were detained.

(xv) The Sambhal Riot of 1990 Post-Babri Masjid Agitation

In October 1990, BJP workers, under the leadership of Mahesh Kumar Gupta (former MLA), organised a procession in support of the Shri Ram Janmabhoomi movement. The arrests of BJP leader L.K. Advani further heightened tensions.

On 2 November 1990, a large group of armed Muslims gathered at Nakhasa crossing, chanting slogans like "Nara-e-Taqbeer", "Allah Hu Akbar", and "Kill Hindus." Despite the imposition of Section 144, violence erupted. The mob pelted stones at the Police, injuring two constables, prompting the Police to fire in self-defense.

The clashes continued into 9 November 1990, coinciding with the foundation stone-laying ceremony at Shri Ram Janmabhoomi in Ayodhya, further exacerbating communal divides.

(xvi) 1992-Riot Aftermath of Babri Masjid Demolition

On 6 December 1992, the demolition of the Babri Masjid led to violent reactions in Sambhal. Approximately 20,000 Muslims

gathered at Nakhasa Tiraha and Chhagagal ki Kothi, attempting to enter the city for arson and looting. On 7 December, Muslim mobs attacked Pakka Bagh Police Chowki, accusing the Police of supporting Hindus. The mob pelted stones and opened fire, injuring four PAC constables. Inspector Arvind Kumar fired in self-defense, killing two individuals and dispersing the mob.

However, retaliatory violence ensued: On 8 December, two Hindus were murdered near Chaudhary Sarai and on 22 December, the bodies of three more Hindu victims were recovered in Hayatnagar

(xvii) The 1995 Communal Riots in Sambhal

On 2 March 1995, communal clashes reignited in Sambhal. Two Hindu outsiders were killed at Rookuddin Sarai or Mandisara. Curfew was imposed for eight days to restore order.

(xviii) Riot in Sambhal against CAA/NRC in the year 2019

In 2019, protests erupted in Sambhal against the Citizenship Amendment Act (CAA) and the National Register of Citizens (NRC). Thousands of Muslims from localities like Sarayatrain and Deepa Sarai gathered at the Nagar Palika ground, where they pelted stones, set two roadways buses on fire, and opened fire. In the violence, two Muslims died.

Subsequently, Muslim women, led by Dr. Shafiqur Rahman Barq, staged a two-month-long dharna at Pakka Bagh, Thana Nakhasa. Various Muslim leaders and organizations from outside

participated. The protest ended with the enforcement of the nationwide lockdown due to the COVID-19 pandemic. These events reflect the recurring communal tensions in Sambhal, often sparked by local disputes or larger national developments. From the 1930s to 2024, the region witnessed a series of riots that resulted in significant loss of life, property damage, and the deepening of societal divides.

The above noted history of violence in Sambhal goes to show that many incidents of violence have taken place between Hindus and Muslims and several persons particularly were done to death. This indicates that Sambhal is not an ordinary city. The perusal of literature of Sambhal makes it clear that Muslim community is dominating upon the Hindu community.

The Commission has also received the record of criminal antecedents and record of enmity existed in Sambhal city between two sects of muslim community i.e Turk and Pathan. The record reveals that the leader of Turks was initially Dr. Shafikurrahman Barq and leader of Pathans was father of Iqbal Mehmood Mr Nawab Mehmood Hasan Khan and there have been political fights between the two sects in order to establish their prominence and dominance and still this legacy is continued.

D. History Of Shahi Jama Masjid and its Topography

To know the historical background of Jama Masjid, now the disputed place where the incident dated 24.11.2024 has taken

place, the Commission has gone through the Gazetteer of Moradabad and various records available in this regard.

According to historians, Sambhal was in very early days held sacred by the Hindus and that on the Great mound known as the Kot in the centre of the old town stood a celebrated Shrine of Vishnu called the Hari Mandir. Its erection is ascribed variously to Prithvi Raj, to a Raja named Jagat Singh and to one Nahar Singh, a great-grandson of Raja Vikram Sen, one of the Dors of Baran. This temple no longer exists, and its place is taken by a very striking mosque, which forms a conspicuous feature in the landscape for miles around. The building is mainly of stone, which is certainly the material employed for the great central dome, for the outer walls and porch and for the flooring of the broad courtyard. In 1874 Mr. Carleylle inspected the mosque and was convinced that the dome was of Hindu workman-ship, but that the wings were of small Musalman bricks. The whole of the mosque is coated with plaster, so that it is impossible to ascertain the material. The wings are divided by a lateral row of pillars into two aisles, and each has three arched openings onto the courtyard. A height of stone steps on either side gives access to the roof of the mosque, from which a fine view of the town and surrounding country can be obtained. Mr. Carleylle came to the conclusion that the conversion of the temple into a mosque was of very recent date. He based his decision on the fact that there had been recent litigation on the subject of the rights to the site between the Musalmans and the Hindus, and appears to have

been influenced by the arguments of the latter to the effect that the old inscriptions on the mosque walls were impudent forgeries. The claim of the Hindus was of course rejected in the civil courts, and it is clear that Mr. Carleylle could not have seen the very interesting documents, going back to the days of Jahangir, now in possession of the guardians of the mosque. General Cuning has repudiated the suggestion that the inscriptions were not genuine. The most important of these states that the mosque was built by Hindu Beg at the orders of Babar in 1526. It is certainly curious that the temple should have remained even till that date, for Sambhal had long been the seat of a Musalman governor, and it is still more surprising that a noted iconoclast like Sikandar Lodi should have allowed a building of such sanctity to stand in his temporary capital. A parallel may perhaps be found at Ayodhya, where the famous Janamasthan temple remained till Babar's day, although the place had for more than two hundred years been the capital of the Musalman province of Oudh. But the mosque at Sambhal might well be older than Babar, to judge from its appearance. The architecture resembles that of Pathan buildings, such as the great mosque of Budaun, and the huge sloping bastions on the west going down to the level of the street at once suggest a comparison with the buildings at Jaunpur. The whole structure is very plain, severe and massive, and if Hindu materials have been employed the ornamentation has been very effectually concealed, since the only traces of Hindu carving visible are two rosettes on the stone slabs of the steps leading from the eastern

gateway to the quadrangle In the middle of the latter is a plain tank and fountain, filled from a very large well outside the gateway. Whether Babar built or merely repaired the mosque, it is certainly curious that the Ain-i-Akbari refers to a celebrated temple of Vishnu at Sambhal. This reference has been adduced in support of the contention that the Hari Mandir was still in existence, though this does not necessarily follow; and in fact the architecture of the mosque entirely forbids the supposition that it was built after Akbar's day. An inscription in the south wing states that Rustam Khan Dakhani repaired the mosque in 1657, while a similar tablet in the north wing was erected by one Saiyed Quth in 1626. Two inscriptions above the outer and inner arches of the central chamber record the restorations effected by the Musalmans of the town and district about 1845. In the south-east corner of the quadrangle are the tombs of the hereditary mujtahids of the mosque, the office having remained in one family for nearly three hundred years. According to their records Muhammad Atzal was confirmed in his office of imam in 1689 by the mufti and the leading residents, while the deputy governor, one Daya Nath Singh, sanctioned the payment of certain dues by the jagirdars of the town, an example which was followed for some years by Zulfiqar Khan Bahadur. Similar orders were given by Amir-ul-umra Nasrat Jang Bahadur in 1707 and by Abu Jafar in the reign of Farrukhsiyar, by the great Qamr-ud-din Khan Itmad-ud-daula in 1723 and by many others, including Rai Daulat Singh in 1777. Whatever be the history of the mosque, the traces

of the former Hindu occupation are numerous. Raja Jagat Singh, the reputed founder of the town is said to have established 68 Tiraths or sacred Shrines for pilgrims and 19 wells or bathing-places, all of which are still recognised.

The Hindus record the tradition that in the days of Prithvi Raj his daughter Bela performed sati after the death of her husband, Parmal of Mahoba, the site of her self-immolation being pointed out at Bhaganga in the south-west corner of the town. The two mounds called Bhaloswar and Bikteswar probably represent portions of the old city wall, and that of Surathal to the south-east of the town is said to represent the fort of a Raja of that name. Other old mounds, none of which have been explored, are Sadangaih, Amramapate Khera, Chandreswar Khera and Gumthal Khera, the last being two miles from Sambhal. 'The sites of the Tiraths are visited annually on the occasion of the Pheri fair in Kartik, when the pilgrims circumambulate the sacred precincts, beginning at Bansgopal, a tank near the Anupshahar road, and ending on the first day at Nimsar on the Chandausi road, when on the second day they proceed to Manokamna in the Kot ward. The list of the Tiraths and bathing-places is preserved in the Sambhal Mahatmya. Other fairs are the Chhariyan or Dhaja, held at the Rai Satti octroi barrier during the Holi, the Ramnaumi in Chait at the Mandhia temple in Ther, the Dashehra in Jeth at the Manokamna tank, the Jana-mashtmi in Bhadon and the Dashehra in Kuar.

The Jama masjid which is the subject property of suit number 182/2024 is a protected monument having been notified on 22.12.1920 under section 3 sub section 3 of Ancient Monuments Preservation Act 1904 the said monument has been declared as monument of national importance and figure on the website of ASI, Agra Circle, Moradabad division at serial number N-UP-A-250 in list of centrally protected monuments.

(i) Boundaries of the Jama masjid are as under-

East-Road

West-Road

North-Kabristan

South-Road

(ii) On 25.06.2024 a Team of ASI headed by Smt. Neeti Anil Kumar, Assistant Superintending Archaeologist inspected the Jama Masjid. The relevant portion of report is being reproduced as under-

"The centrally protected monument Jami Masjid is located in Sambhal which is 33 km from Moradabad. It is in the south-west. The mosque is situated on the site of an old fort. It stands on a large mound. On plan the mosque has a central domed structure surrounded by two unequal aisles. The north aisle measures 15.39 sq. m and the south aisle measures 11.61 sq. m. An inscription on the mosque records its construction by Mir

Hindubeg in A.H. 933 or 1526 A.D. The mosque was repaired by Sayyid Qutb in A.H. 1030 or 1620 A.D. and by Rustam Khan in A.H. 1067 or 1656 A.D. which is mentioned in the inscription. The oval dome is in the form of a shell from the main stone to the ground. The dome is made of bricks and stands on an octagonal structure above a square."

It has also been mentioned in the report of ASI that on both sides of stairs railing of steel has been installed by the Masjid committee against which an FIR has also been lodged at PS Kotwali Sambhal followed by a show cause notice to Jama Masjid committee. Thereafter additional Commissioner Administration had passed an order on 16 February 2018 for demolition of steel railing, but the railing still exists.

This inspection report had been submitted on 13.8.2024 by Smt. Neeti Anil Kumar, Assistant Superintending Archaeologist. The report reveals that some modification with intent to hide the original structure of the disputed Jama masjid has also been done by the committee which is illegal.

Smt. Neeti Anil Kumar has been examined by this Commission who has proved the inspection report dt. 25.06.2024.

The above noted history of Jama Masjid and Sambhal mentioned in the Gazetteer of Old Moradabad District suggests that in the eleventh century Sambhal had been ruled by Hindu rajas. Thereafter Mughal rule started from the fifteenth century.

It also indicates that the disputed Jama Masjid was built in the year 1526 by Hindu Beg at the orders of Babur.

(iii) An affidavit of Mr Satish Madan aged 73 yrs, S/o Mr Mohan Lal Madan has also been produced before the Commission. The perusal of this affidavit shows that Mr Satish Madan along with Mr Radha Raman upadhyaya, Mr Rajkumar sankhdhar, Mr Gopi sankhdhar, Mr Mahavir Prasad khatri alias pahalvan, Mr hai guru, Mr shiv kumar shukla, Mr babu ram shukla (pharsevale) Mr Nannumal halwai , Mr Jai jai dholakvale, Mr Ram rang bhajnanandi and Mr kuljas rai with many others regularly attending the Bhajan and Kirtan at Hari Har Mandir/ Jama Masjid till 1973-74 on every Monday. It is further stated that uptill 1976 hindu devotees regularly attended the bhajan kirtan near the havan kund at the Hari Har Mandir/Jama Masjid.

This statement has also been corroborated by the evidence of other witnesses. Therefore it appears till the year 1976 the people of Hindu community had access to the disputed place which is actually under the control of ASI.

(iv) Who built the mosque, where it was built and whether it was built on the ruins of Hari Har Mandir is a subject matter of Suit number 182 of 2024 pending in the Court of Civil Judge Senior Division Chandausi. Therefore, the Commission cannot give any finding on this subject._

Chapter-4

Proceedings of the Commission

1. The Commission extensively deliberated the task assigned to it over numerous sittings. Its first meeting was held at the residence of the Chairman, as the office allotted to the Commission was not yet ready. In the very first meeting dated Nov 29th, 2024, decision was taken to immediately visit Sambhal, in view of the serious nature of incidents, to take stock of the situation and desire was also communicated to the concerned authorities to make arrangements for visit of Jama Masjid and the places, where the incidents took place on Nov 24, 2024.

2. On 30th Nov morning, the Commission left for Moradabad Circuit House by road. On the way to MBD, ADG Zone Bareilly, received Commission at Shahjahanpur and briefed it on the incidents of Sambhal in detail as he had been to the places where violence had taken place. The Commission made a night halt at MBD, where it was briefed by Commissioner/DIG, MBD. They accompanied the Commission to Sambhal on Dec 1 morning. The Commission was received by DM and SP Sambhal along with other officers of Sambhal at PS Kotwali Sambhal, from where it was decided to walk to Jama Masjid to get a better grasp of the ground situation. On way briefing in detail was done by the officers, places were seen where brick batting had taken place on Police as well as vehicles were burnt, narrow lanes of the town, leading to Jama Masjid were also seen. On the way, several

locals also met the Commission and appraised it of the incidents of Nov 24th.

3. The Commission visited Jama Masjid, where the Survey Commissioner had carried out the Survey, in compliance with the orders of the court dated 19.11.2024. The Management Committee of the Jama Masjid was also present along with its Sadar and furnished details to the Commission. Officers also gave vivid details of the incidents. The Commission visited the places, where incidents took place, and interacted with locals. Queries of the Commission were answered by the officers. How the incidents occurred, what was done to contain it, were explained. National/Local Media, electronic and print, was present in large numbers. The atmosphere of the town was quite tense. Detailed note regarding the visit of the Commission had been prepared after the visit and is kept in a separate volume of the report. The Commission thereafter returned to Lucknow on Dec 2.

4. On Dec 6th, Shri Brijesh Kumar, Retired District Judge, joined the Commission as Legal Advisor.

5. On Dec 9, 2024, the Commission convened its first meeting at the second floor of Vikas Bhawan, Janpath market, which had been allotted as office premises of the Commission. Chairman joined through Video Conferencing and discussions were held regarding the future course of action. On the advice of the Legal

Adviser, it was decided to summon 15 documents from the office of SP Sambhal relating to the incidents. The secretary was directed to correspond. Decision was also taken for daily sittings in the office, on all working days.

6. A decision was taken in the meeting held on Dec 10, to get the notice under Rule 5(2)(b) of Commission of Inquiry (UP) Rules 1985 published in Hindi and English newspapers, through the Department of Information. The Secretary of the Commission was directed to write to the Director Information for the same. A request was made to get it published in newspapers, which have wide circulation in Sambhal and Moradabad regions, so that proper publicity is done in the areas and there is no communication gap.

7. The next meeting of the Commission was convened on Dec 16th and it was decided to summon some more relevant documents from the office of SP Sambhal, for which a letter was issued. Records sent by SP Sambhal, in response to a letter of Dec 9 were perused. SP was also directed to send relevant Media Reports/Bytes/CCTV footages/WhatsApp chats regarding incidents, emanating from Nov 19, to the office of the Commission at the earliest.

8. On 18th it was decided to issue notices to Police personnel, who had sustained injuries in the incidents, which took place on

Nov 24. The Secretary was directed to issue notices u/r 5(2)(a) of Commission of Inquiry rules, 1985. It was also decided to obtain a list of officers from the office of DM Sambhal, who were present during Nov 24 incidents.

9. The next meeting of the Commission was held on Dec 19, in which it was decided that notices should be issued to Police officers/Officials/Magistrates, who had been deployed to handle the L&O situation. A decision was also taken to obtain a list of doctors, who had carried out the autopsy of the 4 dead bodies, who had lost their lives on Nov 24. The secretary was accordingly directed.

10. It was decided in the meeting of the Commission, dated Dec 20, to also issue notices to those officials, who had been deployed, but notices had not been issued to them so far, to furnish affidavits to the Commission through DM, for perusal.

11. A list of Doctors was placed before the Commission on Dec 24, which had been received in the office. It was found that the list sent by the DM was not up to the mark. Secretary was directed to write to DM to furnish information on following three points-

a. Name, designation and mobile numbers of the Doctors and their assistants, who treated injured and prepared their medico legal reports.

b. Name, designation and mobile numbers of doctors of the private hospitals, who treated the injured and prepared their medical reports.

c. Name, designation and mobile numbers of doctors and their assistants, who conducted the autopsy.

12. The Commission in its sitting dated Dec 26 perused the letter dated Dec 24 of DM Sambhal, received through E-Mail on Dec 26. It was also decided to issue notices under rule 5(2) a, to those doctors/their assistants/pharmacists/X Ray technicians/Ward boys/Cleaners, who had not been issued notices so far. The secretary was directed accordingly.

13. During the next meeting of the Commission held on Dec 30, it was observed that no affidavits had been received so far, with response to publication of notice under Rule 5(2)b.

14. A meeting was held on Jan 2 of the Commission. Mr Ramesh Babu, Deputy Collector Sambhal, appeared before the Commission and made certain submissions.

15. A decision was taken on Jan 3, 2025, to hold a meeting of the staff of the Commission on Mondays, to give them important directions and to get feedback. The Commission also discussed the letter of SP Sambhal, in which he had prayed, to give some

more time for submission of the affidavits. After deliberations, time till Jan 10 was allowed.

16. On Jan 6, 2025, a meeting took place of the entire staff, attached to the Commission. They were addressed in detail by Chairman, Members/LA. Staff was instructed to maintain secrecy as the nature of work of the Commission is sensitive. They were also instructed not to come to the office with personal pen drives. Defaulters were warned of deterrent action. After the meeting, the affidavit of Nidhi Patel was placed before the Commission. She had stated that she was not present at the time of the incidents of Nov 24. After due deliberation it was decided that there was no need to record her evidence.

17. An affidavit of Ram Ashish was placed on Jan 7 with a similar plea. It was decided to discharge him from recording evidence. It was also decided to obtain following additional information from the office of SP Sambhal-

- a.** List of persons, who were present with Advocate Commissioner, Mr Ramesh Raghav, on Nov 19 and Nov 24, during the execution of the Survey.
- b.** Copy of order passed u/s 163 of BNSS for Sambhal prevalent during incidents.
- c.** Status of the cases registered, relating to incidents dated Nov 24th, 2024.

18. On Jan 13, 2025, affidavits of 23 Police personnel and 18 affidavits of doctors and medical staff were placed before the Commission for perusal. They were taken on record.

19. In the meeting of the Commission, held on Jan 15, affidavits received were examined and it was decided to summon 21 Police personnel for evidence, to be recorded at, PWD Inspection House at Sambhal on Jan 21, 2025.

20. Routine work was carried out by the Commission on Jan 16 and 17 and affidavits were examined and questionnaires prepared for cross examination of the Police personnel on the basis of affidavits.

21. On Jan 20, the Commission along with LA reached Circuit House, Moradabad in the evening and stayed there.

22. As planned, the Commission left along with LA and reached Sambhal in the morning of Jan 21. It was received by DM/SP Sambhal and other officers of Sambhal at PS Kotwali. The Commission proceeded for Jama Masjid on foot from PS. It was the first visit for Shri Amit Mohan Prasad, Retd. IAS Member, as he was not present during the previous visit of Dec 1. The Commission visited Jama Masjid and places where the incidents took place/ from where bodies of the deceased were recovered. The Commission also interacted with several people.

23. Thereafter the Commission recorded the evidence of 18 Police witnesses- ICW 01 to ICW 18. PO attached to the Commission was also present at Sambhal along with the team, to help in taking the oath/in recording the evidence etc. Witnesses were duly cross examined by Commission/LA. The Commission, after putting up at the Circuit House for the night, reached Lucknow the next day.

24. In the next meeting of the Commission held on Jan 24, it was decided to issue notices to the administrative officers of Sambhal district under rule 5(2)(a), who were deployed for L&O duty from Nov 19 to 24.

25. Decision was also taken by Commission to examine a large number of detenus lodged at Moradabad Jail, related to incidents of Nov 24 of SAMBHAL through Video Conferencing. List with details was called for from SP Sambhal of the detenus, so that the statements can be duly recorded. All the arrangements were put in place at the office of the Commission and District Jail.

26. It was also decided to record the evidence of other public witnesses, who were coming forward, on Jan 30 at Inspection House Sambhal. The same day, the Commission also saw some video clips relating to the Nov 24 incidents in the office.

27. In the sitting of the Commission dated Jan 27, details were discussed related to recording of the evidence. The team led by PO was again told to reach Sambhal in advance. Video clips of the incidents were also seen by the Commission.

28. On Jan 29, the Commission left for Sambhal via Moradabad. Night halt was done at Circuit House Moradabad. The Commission reached the Inspection House of Sambhal in the morning of Jan 30 and the process was started of recording evidence of witnesses, after due oath. Evidence of ICW 19 to ICW 39 were recorded as per rules. Documents produced or shown to the witnesses were marked as exhibits.

29. Next meeting of the Commission was convened on Feb 3 and a decision was taken to record statements of 72 accused of Nov 24 incidents, lodged at Moradabad Jail. DM Moradabad/SP Sambhal/Jail authorities were told to arrange it through Video Conferencing. One hall at the office was prepared with all the equipment/ staff/ computer operator/ typists/ PO and the Commission recorded the statements of 71 accused, ICW 40 to ICW 110, detained in Moradabad Jail, one by one. Questionnaires had been prepared for them, keeping their roles in FIRs under consideration. They were summoned one by one and secrecy was maintained. They were asked to take oath before deposing. This process continued from Feb 4 to 7.

30. On Feb 10, affidavits of Dr Shobhit, Dr Vishwas Agarwal and Dr Devesh Pratap Singh, which had been received in the office on Feb 7, were placed before the Commission. Affidavits were examined and it was decided to call them for evidence. The Commission also examined the statements of 62 persons, which were presented to the Commission, on Jan 21 at Sambhal. After their minute scrutiny, it was decided to call 28 witnesses for recording their evidence on the next date at Sambhal on Feb 28, 2025. Secretary of the Commission was directed to issue summons to the above mentioned 31 witnesses, with a copy to SP Sambhal to get them served.

31. In the meeting on Feb 13, after deliberations it was decided to summon Mr Akshay Sharma, Mohd Karim, Smt Turaiyya and Mr Jamal s/o Jamaluddin, who had given information regarding incidents of Nov 24, to the Commission on Dec 1 at Sambhal, during inspection. Accordingly, the office was directed to issue summons to the above for recording their evidence on March 1 at Sambhal Inspection House.

32. The Commission on Feb 17, evaluated evidence recorded till then and it was decided to record statements of DM/SP/ADM/Addl SP/CO/SDM and of media persons, who had covered the incidents of Nov 19 and Nov 24, who were present on the spot. It was also decided to record evidence of the Advocate Commissioner and of all those persons who were present with

him on Nov 19, Nov 24, during the Survey. The Commission decided to summon them during the scheduled visit of Sambhal on Feb 28 and March 1. Decision was taken on Feb 20 to get following information and documents from the office of SP Sambhal-

- a.** List of office bearers of the management committee of Jama Masjid, Sambhal.
- b.** Copy of complaint filed under Section 223 of BNSS, if any.
- c.** Copies of the Charge sheets filed in the court in the cases, registered on Nov 24, related to riot.

A letter was dispatched to the office of SP Sambhal to provide the above information by Feb 24.

33. At the next meeting, held on Feb 21, it was decided to issue reminders to those officers, who had not submitted their affidavits so far. On Feb 24, the Commission recorded the evidence of ICW 111 to ICW 115, lodged in MBD Jail, in connection with the cases registered on Nov 24.

34. The Commission held its sittings on Feb 28 and March 1 at PWD Inspection House Sambhal, right from morning till evening. Recorded evidence of ICW 116 to ICW 143 on Feb 28 and of ICW 144 to 160 next day. Detailed description of the visit has been given in the minutes of March 3. On March 3, it was also decided that two Advocates, namely Qasim Jamal and Mashhood Ali Farooqui, who had submitted their affidavits before the

Commission on March 1 late evening, should be taken on record and summons be issued to them for recording their evidence on Mar 11 at Lucknow office of the Commission.

35. During the next meeting on Mar 4, the Commission discussed in detail the affidavit of Zafar Ali Advocate, who is Chairman of the Managing Committee of Jama Masjid. A notice under Rule 5(2)(a) had been issued to him to submit an affidavit on March 1, but he had failed to do so. After deliberations, a decision was taken by the Commission, to summon him on March 11 for recording his evidence and to send an affidavit.

36. The Commission recorded the evidences through video conferencing of ICW 161 Mr Deepak Kumar Chaudhary, Deputy Collector, HQ, ICW 162 Mr Dharendra Singh, Tehsildar, Chandausi, ICW 163 Mr Satyendra Kumar, NT, Sambhal, ICW 164 Mr Mani Bhushan Tiwari, EO Nagar Palika, Sambhal, ICW 165 Mr Ravi Sonkar, Tehsildar, Sambhal, ICW 166 Shri Arvind Singh, NT, Sambhal, ICW 167 Mr Anuj Kumar, NT, Sambhal on March 10th, 2025.

37. It was reported by the office in the meeting of the Commission, held on March 12 that Mr Zafar Ali Advocate had not submitted his affidavit so far. Applications of Qasim Jamal and Mashhood Ali Farooqui were placed before the Commission and after deliberations, they were allowed and both summoned on

March 24. The Commission took serious notice of the non-compliance by Zafar Ali, Advocate, but in the interest of justice, orders were issued to appear on March 24.

38. During the meeting of March 17, it was observed that media persons, who had covered the incidents of Sambhal, had neither appeared nor submitted adjournment applications. A serious note was taken of it and they were directed to appear before the Commission on March 25. The Commission also went through the video clips and came to the conclusion that clips sent by the media persons through SP were edited, hence SP was directed to ensure that media persons should send unedited video clips by March 24.

39. On March 18, the Commission took a decision that SP Sambhal had not been examined so far and he should be directed to appear on March 27 for recording his evidence. Discussions were held whether Superintendent ASI Meerut or any officer acquainted with Jama Masjid, should be summoned or not. Decision was taken to issue summon to Mr Vinod S Rawat, Superintendent, to appear himself or send an officer who had conducted Survey of Jama Masjid, with affidavit and for recording of the evidence.

40. On March 21, an affidavit of Mr Zafar Ali Advocate was received in the office of the Commission and was placed before it,

to be kept on record. A letter of ASI was also placed informing the Commission that Mrs Niti Anil Kumar of ASI had conducted a Survey of Jama Masjid in the month of June 2024. It was decided to summon her for evidence on March 25.

41. On March 24 an application for adjournment on behalf of Zafar Ali by Haidar Ali s/o Zafar Ali was received through E- Mail, seeking 15 days' time to appear as he had been arrested and remanded to Judicial custody in Crime No 335/24. Application was allowed, but date for evidence was not fixed. Evidence of ICW 168 Qasim Jamal and ICW 169 Mashhood Ali was recorded by the Commission.

42. On March 25, Niti Anil Kumar appeared before the Commission. Her evidence was recorded. Media persons, who had been summoned, did not turn up. The Commission directed them to appear on April 3. They were also directed to submit unedited video clips by April 2. The Commission also decided to summon Mr Zia-ur-Rahman MP and Suhel Iqbal s/o Iqbal Mehmood MLA for recording their evidence on April 5.

43. The Commission held its meeting on March 27, in which prayer of SP Sambhal was allowed and he was granted 15 days time to appear before the Commission for recording evidence.

44. On April 1, status of cases registered in connection with incidents of Nov 24 was considered and SP Sambhal was directed to appear before the Commission on April 11. It was also decided that no further adjournment shall be given to SP Sambhal.

45. On April 3, E-Mail was put up before the Commission sent by Mr Bhishma Singh Deval, Mr Omveer Singh, Mr Abhinav Mathur, Mr Arun Kumar and Mr Sani Gupta of Sambhal in which prayer had been made to record their evidence through Video Conferencing. During discussion about media persons, it transpired that summons had not been issued to Ms Komal, Ms Anamika Gaud, Swayam Raja, Pramod Kumar Sharma, Santosh Sharma, Himanshu Mishra so far although they had covered incidents of Nov 24. It was decided to summon them for recording their evidence through Video Conferencing on April 15. They were directed to appear at NIC Conference room, Sambhal along with camera persons, if any. They were also directed to submit unedited footage of the coverage by April 12.

46. On April 5, Mr Zia-ur-Rahman MP and Suhel Iqbal did not turn up. Application of Suhel Iqbal was presented in which it was stated that he was busy in a program of his relation, therefore next date be fixed for his evidence. The Commission after due deliberation decided to record the statement of Mr Zia-ur-Rahman MP and Suhel Iqbal on April 16 at the Lucknow office of the

Commission. They were directed to submit their affidavits by April 11.

47. On April 11, the Commission was assembled in the meeting hall, SP Sambhal Mr Krishna Kumar Bishnoi appeared and submitted an additional affidavit. Affidavits taken on record & evidence recorded. The Commission recorded the evidence of SP Sambhal Mr Krishna Kumar Bishnoi's evidence at Lucknow.

48. The Commission recorded the evidence of Mr Shani Gupta ICW 172, Mr Arun Kumar ICW 173, Mr Bhishma Singh ICW 174, Mr Omveer Singh ICW 175, Mr Abhinav Mathur ICW 176, Mr Dharmendra Singh ICW 177, Mohammad Muzammil ICW 178 and Mr Pradeep ICW 179 through video conferencing on April 15.

49. On 16th April evidence was recorded of Mr Zia-ur-Rahman MP ICW 180 and of Mr Suhel Iqbal ICW 181 at Lucknow office. A decision was also taken to record the evidence of Mr Zafar Ali Advocate, lodged at MBD Jail, through video Conferencing only. Directions were issued to make all arrangements for it on April 17.

50. Evidence of ICW 182 Kamran, ICW 183 Mohammad Kamal and ICW 184 Mr Zafar Ali was recorded on April 17. All of them were lodged at MBD Jail in cases of Sambhal.

51. In the next meeting of the Commission on April 21, a decision was taken to record evidence of the complainants of the cases, who had got cases registered of the murder of their relatives, dated Nov 24, through Video Conferencing on April 24. The office was told to arrange it at NIC Office Sambhal. Summons were issued accordingly.

52. On April 22, the Commission recorded the evidence of Mr Gaurav Shrivastava, Correspondent of Times Now Navbharat, who had done extensive coverage of the incidents of Sambhal. It was also decided to record evidence of those Police officers, which had not been recorded so far. They were directed to remain present in the NIC office on April 25 for recording of evidence through Video conferencing.

53. On April 24, evidence of Mr Salman ICW 187, Mohammad Hussain ICW 188, Mr Tasleem ICW 189, Mr Kamal ICW 190, Mr Wasim ICW 191 was recorded through video conferencing. They are all complainants of the cases of murders. Before recording, it was ensured that no Police officer or any other person remained there at the time of recording of evidence. Proper oath etc. was administered to them.

54. During next meeting of the Commission, held on April 25, evidence was recorded of Mr Anuj Kumar Tomar SHO Kotwali Sambhal ICW 192, Mr Kapil Kumar Constable, PS Sambhal ICW

193, Mr Vinod Kumar SI PS Rajpura ICW 194, Mr Deepak Rathi SI PS Kud Fatehgarh, Sambhal ICW 195, Mr Sandeep Kumar SI PS Cyber Crime Sambhal ICW 196, Mr Rajpal Singh Constable PS Kotwali Sambhal ICW 197 and Pankaj Kumar Constable PS Sambhal ICW 198 through video Conferencing.

55. It was decided on June 18, 2025 by Commission to summon Mr Vishnu Sharma, videographer/photographer, present during Survey proceedings on Nov 19, 2024 and Nov 24, 2024 along with Mr Ramesh Raghav, Survey Commissioner, inside Jama Masjid for recording his statements.

56. On June 20, 2025 detailed statements of Mr Vishnu Sharma were recorded through video conferencing by the Commission. He was present at NIC Sambhal.

57. After the work of recording evidence is over, the Commission meets on all working days to minutely go through the evidence collected and placed before it.

Chapter-5

LITIGATION

Litigation of 2024, seeking declaration with respect to right to access into Hari Har Temple /Jami Masjid

1. On 19.11.2024 an original suit number 182/2024 was filed in the court of Civil Judge Senior Division, Chandausi, District Sambhal by plaintiffs (i)Mr Hari Shankar Jain, (ii)Parth Yadav, (iii)Mahant Rishi Raj Giri, (iv)Rakesh Kumar, (v)Jitpal Yadav, (vi)Madan Pal, (vii)Ved Pal Singh, (viii)Dinanath against the defendants (i)Union of India through its secretary, Ministry Of Home Affairs, North Block New Delhi, (ii)Union of India through its secretary, Ministry Of Culture (iii)Director General, Archaeological Survey Of India, Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi, (iv)Superintendent, Archaeological Survey Of India, Meerut Circle, Plot Number 121, Shastri Nagar Meerut (v)District Magistrate Sambhal, (vi)Committee Of Management, Jama Masjid Sambhal through its Manager. The relief sought in the suit are as under-

- a. Decree the suit for declaration to the effect that Plaintiffs have right of access into Hari Har Temple/alleged Jami Masjid situated within Mohalla Kot Purvi Ward No.11, P.S. Kotwali city Sambhal as fully described in para 1 & 2 of the suit and declared as Protected monument vide notification dated 18.11.1920 u/s 3 of Ancient Monuments Preservations Act, 1904 and finds place in list of Ancient Monuments of National

Importance, Agra Circle Moradabad Division at Serial No.N-UP-A-250;

b. Decree the suit for declaration to the effect that Archaeological Survey of India is under legal obligation to manage and to have complete control over Hari Har Temple/alleged Jami Masjid situated within Mohalla Kot Purvi Ward No.11, P.S. Kotwali city Sambhal as fully described in para 1 & 2 of the suit and declared as Protected monument vide notification dated 18.11.1920 u/s 3 of Ancient Monuments Preservations Act, 1904 and finds place in list of Ancient Monuments of National Importance, Agra Circle Moradabad Division at Serial No.N-UP-A-250;

c. Decree the suit for mandatory injunction commanding defendants No.1 to 5 to make appropriate provisions for giving access to the members of public within Hari Har Temple/Jami Masjid situated within Mohalla Kot Purvi Ward No.11, P.S. Kotwali city Sambhal as fully described in paras 1 & 2 in the suit in accordance with Section 18 of "The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 r/w The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959";

d. Pass decree in the nature of permanent injunction restraining the defendants, their officers, workers and every person acting under them from creating any hurdle

or obstacle in entering the Plaintiffs and the members of the public into the Hari Har Mandir/Jami Masjid situated within Mohalla Kot Purvi Ward No.11, P.S. Kotwali city Sambhal as fully described in para 1 & 2 of the suit in accordance with the terms, conditions and regulations as framed by competent authority to give effect to the provisions of Section 18 of The Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Act, 1958; and

e. Pass such other decree as this Hon'ble Court may be deemed fit and proper in the interest of justice.

f. Decree the suit with costs.

2. The very same day two applications i.e. 6 C for grant of temporary injunction and 8 C for appointment of Advocate Commissioner were taken up by the Hon'ble Court in post-lunch session. On the applications 6C, the Hon'ble Court had issued notices to the defendants fixing 29-11-2024 for further consideration.

3. The perusal of the order on the application 8 C reveals that the Hon'ble Court taking into consideration the averments of the plaintiffs in the application 8 C regarding the defendants to the effect that they are trying to remove the artefacts, signs and symbols of Hindu Temple hurriedly, as such, local investigation was necessary and after recording its finding allowed the same and appointed the Advocate Commissioner with the directions to him carried out to the Commission and also do

photography/videography of the place to be Surveyed and place the report on the date fixer i.e. 29.11.2024.

4. The order passed by the Hon'ble Court on the application 8 C reads as under: -

'वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 8ग अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर मौके की आख्या मय फोटो एवं वीडियोग्राफी तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को सर्वे के समय पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु दिया गया है। मौके की आख्या आने से न्यायालय को बाद के न्याय-निर्णयन में सुविधा होना सम्भाव्य है। अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र 8ग इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि सर्वे के समय नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की मौके पर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराये। अधिवक्ता आयुक्त नियमानुसार सूची से जारी हो। अधिवक्ता आयुक्त को रिट जारी हो। वादीगण आवश्यक पैरवी करें। अधिवक्ता आयुक्त को आदेशित किया जाता है कि ये प्रार्थना-पत्र 8ग के प्रकाश में मौके की आख्या तैयार कर नियत दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।'

5. In compliance with the order passed by the Hon'ble court, Mr Ramesh Chandra Raghav, Advocate was appointed as Survey Commissioner. Mr Raghav after getting Parvana from the court went to District Magistrate, Sambhal and informed him about the execution of Commission. District Magistrate asked SP Sambhal to provide Police force thereafter District Magistrate Sambhal, SP Sambhal along with some Police personnel reached Jama Masjid in the evening to maintain the law and order at the time of execution of Commission.

6. Mr Ramesh Chandra Raghav, Advocate in presence of counsel Mr Vishnu Shankar Jain, Advocate, Mr Gopal Sharma, Advocate, Mr Prince Sharma Advocate and Mr Zafar Ali Advocate (President of Jama Masjid Committee) started the execution of Commission but due to dark and interference of local member of Parliament, and the representative of local Member of legislative assembly, as well as their supporters complete Survey could not be conducted.

7. On 24.11.2024, when remaining Survey was being conducted by Mr Ramesh Chandra Raghav in presence of counsel for the plaintiffs Mr Vishnu Shankar Jain Advocate, Counsels for the official and private defendants including Mr Zafar Ali Advocate, Sadar along with other members of the committee of management of Masjid and DM, SP Sambhal with several Police personnel, a large number of people belongs to Muslim community gathered all around the Masjid to oppose the Survey. They started raising religious slogans like **Allah Hu Akbar, Gustakhe Nabi ki ek saja, sar tan se juda, tan sar se juda.**

8. Some people from the crowd were trying to enter the Jama Masjid to interfere in the proceedings of the Survey. The Senior Police Officer explained the situation that the Survey is being conducted in compliance with the order of the court, but in vain. The people from the crowd started pelting stones and opened fire on Police personnel. They also burnt some vehicles belonging to Police and private persons. The Police force used tear gas, pepper bombs, rubber bullets, pump action guns etc. to disburse

the crowd. However, after some time the Police force succeeded in stopping the riot.

9. In this incident, several Police personnel including SP, Sambhal sustained grievous injury, four persons died, and various properties were damaged. This incident shattered the whole state of UP. It was video graphed by several media persons, who were already present at the place of occurrence to cover the incident. The news was broadcast by several local and national channels.

10. Keeping in view the importance of the incident dated 24.11.2024, the State Government constituted the Judicial Inquiry Commission on 28.11.2024 to conduct an Inquiry of the incident.

11. The Commission conducted thorough inquiry keeping in view the terms of reference as reflected in para 3 of the notification dated 28.11.2024.

12. The Commission while conducting the inquiry followed the due procedure mentioned in Commission of inquiry (UP) rules 1985 and while doing so *inter alia* kept in view the relevant provisions of BNSS, BNS and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

Chapter-6

EVIDENCE OF WITNESSES

The Commission examined a total of 199 witnesses during the inquiry. These include 29 witnesses from the Police, 12 witnesses from the Administration, 19 witnesses from the medical team, 34 private witnesses, 78 detained witnesses related to the incident, 03 witnesses related to the complainant side, 02 witnesses from the government respondent side, 05 witnesses from the committee of management of Jama Masjid, 10 media personnel, who covered the incident and videographer/photographer accompanying court Commissioner, who were eyewitnesses, 05 witnesses related to the cases registered regarding violence, 01 statement from the local MP and 01 statement of representative of local MLA were recorded. Out of these, 106 witnesses were recorded via video conferencing, 84 witnesses' statements were recorded at the dak bungalow in Sambhal and 08 witnesses' statements were recorded at the office of the inquiry Commission in Lucknow.

The Commission thoroughly examined the affidavits filed by various district authorities of Sambhal and the persons to whom notice issued under rule 5(2)(a) and 5(2)(b) of Commission of Inquiry (U.P.) Rules, 1985 as well as oral testimony before the Commission. The Commission deem it proper to place on record the abstract of the statements of District authorities and the persons acted upon in compliance of the order of Hon'ble court dated 19.11.2024 and took steps accordingly as well as the

statements of press/media persons who covered the Survey of the Jama Masjid on 19.11.2024 and the address of the local MP on 22.11.2024 after the Friday's Namaz at the stairs of the Jama Masjid and the violence on 24.11.2024 during remaining Survey of the Jama Masjid and various other persons who were directly or indirectly connected/aware about the events from 19.11.2024 to 24.11.2024.

1. Testimonies of Administrative Authorities of District Sambhal:-

A. ICW-144 Dr. Rajendra Pensiya, District Magistrate, Sambhal, stated through an affidavit to the Commission that as per the settlement of judicial magistrate as well as other officials, Administration/Police on 01.10.2024, considering the upcoming festivals and proposed board examinations/ competitive exams, and apprehending a breach of peace as well as disturbance of public tranquillity, Section 163 BNSS was enforced, effective until 30.11.2024.

On 19.11.2024, the Advocate Commissioner informed through a notice that in the original suit no. 182/24, Harishankar Jain & Others vs. Union of India & Others, filed in the Court of Civil Judge, Senior Division, Sambhal, an order was passed for the Survey of the Jama Masjid, located in a Muslim-majority area. Therefore, it would be appropriate to conduct the Survey with Police and administrative arrangements to maintain peace, law and order. In a second notice dated 19.11.2024 at 03:45 PM, the Advocate Commissioner stated that he had been appointed as the Advocate Commissioner for the Survey of the Jama Masjid. He noted that if the Survey was not conducted that day, the defendant side might alter the physical structure of the Jama Masjid and destroy important evidence. Hence, conducting the Survey on 19.11.2024 with the presence and consent of the defendant side would ensure a harmonious environment. He requested to make

provisions of necessary Police force and administrative arrangements for the Survey on 19.11.2024.

In compliance with the court's order and the Advocate Commissioner's request, requisite administrative support and adequate Police force were provided at the site. Copies of the order were sent for information to the Additional Chief Secretary, Home, UP Government, Lucknow, Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, UP Government, Lucknow, Commissioner, Moradabad Division, Moradabad, and Deputy Inspector General of Police, Moradabad Range, Moradabad. The Superintendent of Police, Sambhal was directed to ensure sufficient Police force and issue necessary instructions to ensure their presence at the site.

A committee comprising the Sub-District Magistrate, Sambhal, Circle Officer, Sambhal and Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sambhal, was formed to assist the Advocate Commissioner, appointed by Court. In compliance with the court's order and the Advocate Commissioner's request, the committee, along with Mr. Prince Sharma (DGC Civil), Laddan Khan (Naib Sadar, Jama Masjid), Advocate Commissioner Mr. Ramesh Singh Raghav, Advocate Mr. Gopal Sharma (plaintiff's counsel), plaintiff Mahant Mr. Rishiraj Giri Kailadevi, Advocate Vishnu Shankar Jain (plaintiff's counsel), Vishnu Sharma (Standing Counsel, Union of India), Advocate Zafar Ali (Sadar, Jama Masjid), and Advocate Mashhood Ali Farooqui, attended the site for photography, videography, and Survey as per the court's order. They were

accompanied by SHO Kotwali Anuj Kumar Tomar along with the Police force to maintain peace, law and order.

Information received from subordinate officers indicated that a large crowd had gathered outside the disputed structure, raising religious slogans in protest. Although Police personnel were stationed at the entrance, approximately 200 people, led by the local MP and the son of the local MLA, forcibly entered the premises by pushing the Police aside. This disrupted the Survey process, and the Sadar and Naib Sadar of the Masjid Committee told the Advocate Commissioner and plaintiff's counsel to conclude the Survey quickly, warning that otherwise the crowd could become uncontrollable. In this situation, the Advocate Commissioner immediately halted the Survey, stating that photography and videography would be conducted in daylight.

On 19.11.2024, after completing the first day's Survey, the Advocate Commissioner submitted a notice to DM and SP Sambhal, informing that the Survey would continue on 20.11.2024. The notice stated: "It is informed that on 19.11.2024 at 06:00 PM, the Survey commenced in the presence of the advocates of the plaintiff and defendant sides. During the Survey, MP Mr. Zia-ur-Rahman Barq and MLA's son Suhel Iqbal were present inside the mosque, along with 200 other individuals. As it was evening and the presence of so many people prevented the Survey from being conducted smoothly, the public representatives and others present repeatedly obstructed the Survey process and

issued threats. Therefore, the Survey will be conducted again in future and separate notices will be provided to all parties to ensure compliance with the court's order.”

On 20.11.2024, the Advocate Commissioner sent a notice requesting necessary Police force and administrative arrangements for the remaining Survey. In response SP Sambhal, informed through a letter dated 20.11.2024 that due to the by-election in Kundarki Assembly constituency in Moradabad district, providing Police force was not feasible. Hence, it would be appropriate to schedule the Survey for a later date. This was communicated to the Advocate Commissioner.

DM and SP Sambhal conducted foot patrolling with the Police force. Cameras near the disputed religious site were got repaired and through video messages from City Qazi Alauddin, Sadar of Jama Masjid Zafar Ali, and Khadim of Jama Masjid Mashhood Ali Farooqui, the Muslim community was conveyed the message that Section 163 BNSS was in force in the district, prohibiting gatherings of more than five people. They were urged to offer prayers in their respective mosques, avoid rumours, refrain from forwarding misleading messages, and pray for the prosperity of their city. The prohibitory orders under Section 163 BNSS were published in the district and appeared in daily newspapers.

On 22.11.2024, Mr. Zia-ur-Rahman Barq, MP from Sambhal Lok Sabha constituency violated Section 163 BNSS by organizing a press conference without administrative permission at the

disputed religious site, gathering a crowd, expressing disagreement with the court's order and calling for a specific community to unite and gather in large numbers to protect the disputed site for political gains. This was inflammatory in the sensitive environment. Through the press conference, he questioned the role and credibility of the district Police and Administration and strongly objected to the Survey being conducted in compliance with the court's order. A notice under Section 168 BNSS was issued and served on him on 23.11.2024 for this act.

On 23.11.2024, the result of the Kundarki by-election was declared, where previously Zia-ur-Rahman Barq was MLA. The Samajwadi Party lost this seat. As the election results were not as expected, he continued to blame the Police and Administration for the loss, questioned their impartiality and used terms like **“murder of the Constitution in Uttar Pradesh”** through press conferences, inciting the public against the Police and Administration and creating an environment, conducive to violence.

On 23.11.2024, the Advocate Commissioner sent a notice stating that the remaining Survey would be conducted on 24.11.2024 from 07:00 AM to approximately 11:00 AM, and all parties were requested to be present. This notice was provided to Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, on 23.11.2024. Through an order, DM Sambhal directed that the Survey be conducted uninterruptedly on 24.11.2024 from 07:00 AM, and Magistrates

were deployed at Police stations/posts to maintain peace and law and order. They were instructed to maintain effective coordination with Police officers, remain vigilant, and resolve any special situations promptly, using their discretion. The deployed magistrates were required to be present at the site by 06:00 AM.

The property for which the court ordered the Advocate Commissioner's Survey is claimed by Hindus to be the former Hari Har Temple, demolished by Mughal ruler Babar to build a mosque. The Muslim side claims it to be Jama Masjid. This disputed structure is located between the Kotgarvi and Kotpurvi neighbourhoods. There is a road to the south of the disputed site, extending from the west behind the site to the south and then to the east toward the entrance, forming a U-shape around three sides of the disputed site. The disputed religious site is a protected monument under the Archaeological Survey of India (ASI) and is registered as Shahi Milkiyat Jama Masjid in the revenue records.

On 23.11.2024, clear instructions were issued to all deployed magistrates that Section 163 BNSS was in force and the Survey was being conducted in compliance with the court's order. If a crowd gathered near the disputed structure, they were to be persuaded to disperse. It was also instructed that the Administration and Police have to work in coordination and vigilance was to be maintained at the stairs of the disputed structure, towards the market in the northern direction and towards the Hindu population. They were directed to avoid using lethal

force in any situation and even if the crowd turned violent, no force was to be used without the orders of the magistrate in charge.

On 23.11.2024 and 24.11.2024, arrangements were made for information collection through mobile surveillance with the cooperation of the Superintendent of Police and the Local Intelligence Unit (LIU)/Cyber Cell/SOG/Surveillance Cell were activated. On 24.11.2024, the remaining Survey was to be conducted. DM was personally patrolling the town with SP Sambhal from 06:00 AM, to ensure alertness. As the Survey team entered the disputed religious site, a pre-planned crowd began gathering slowly from the lanes behind the western part of the site. This was reported via wireless set by the Circle Officer, Sambhal, around 08:30 AM, stating that the crowd was increasing behind the disputed site and directing all forces to remain vigilant and persuade the crowd to disperse.

After assessing the situation, SP Sambhal consulted with the Additional Superintendent of Police (North), and considering the unlawful assembly that was engaging in violence, attacking Police personnel and looting government property, deemed it necessary to issue orders for the use of force to disperse the crowd. The Sub-District Magistrate, Sambhal, granted permission for the necessary use of force after assessing the situation. Even after the Survey's completion was announced via loudspeaker, the crowd, informed of the Survey team's exit, suddenly swelled as people from the lanes joined the already gathered crowd, leading to a

rapid increase in numbers. The agitated crowd was raising provocative slogans.

This was reported via wireless by the Circle Officer Asmauli indicating that the crowd was intent on violently attacking the Survey team members and was slowly advancing toward the positions of the Magistrate and Police, trying to encircle. This made it difficult and complex to safely escort the Survey team to their destination. The Additional Superintendent of Police (North) assessed the sensitivity of the situation and after obtaining permission from the Sub-District Magistrate, instructed via wireless to use chili-grenades, rubber-bullets and warning shots sequentially to disperse the crowd.

Seven cases were registered at the concerned Police station regarding the attack on the Police, Administrative Officers and related to the subsequent riots. Four cases were filed by the families of deceased individuals at the concerned Police Station, alleging deaths due to firing/stone-pelting by rioters and those involved in the violence. During the riots, 25 Police officers/employees were injured and private and government properties, including government and private vehicles, the wall behind the Jama Masjid, electric wires, CCTV cameras and glasses of houses and shops, were damaged or set on fire by rioters. Warning shots were fired by the deployed Police personnel using government firearms, including 12-bore pump-action guns by Constables Amrit Singh, Naveen Kumar, Sachin Kumar, and Rajpal

and two rounds of warning shots in the air using a 9 mm pistol by SHO Kotwali Anuj Kumar Tomar. No other Police personnel used lethal firearms during the incident. By approximately 02:00 PM, the situation was largely normalized.

To maintain peace and order in view of the district's communal sensitivity, 10 companies of PAC and one company of RAF were immediately deployed. Additionally, 395 constables, 135 Sub-Inspectors, 38 inspectors, 30 SHOs, 07 COs and 04 ASPs from Bareilly and Moradabad ranges were deployed to maintain peace. Night patrolling and other measures were implemented and traders voluntarily opened their establishments.

It was also informed that based on inputs provided by the LIU on 19.11.2024 and 21.11.2024, sufficient Police force was deployed for Friday prayers and it was conducted peacefully on 22.11.2024. On 22.11.2024, approximately 4,000 people were present at the Jama Masjid during prayers, filling the premises completely. Similarly, on 24.11.2024, sufficient Police force and magistrates were deployed.

DM stated before the Commission that on 19.11.2024, the court-appointed Advocate Commissioner provided two written notices. The first stated that the court had ordered a Survey Commission, which needed to be implemented. The second stated that the Survey would be conducted the same day and sufficient force should be provided for maintaining peace and law and order. DGC (Civil) Prince Sharma accompanied Raghav, the Court

Commissioner. DM and SP Sambhal reached Kotwali after about one and three-quarter hours. Zafar Ali (Advocate), Sadar of the Jama Masjid Committee, Laddan Khan and Mashhood Ali were summoned there and entries were made in the General Diary (GD).

On 19.11.2024, around 05:45 PM, DM/SP were accompanied by Zafar Ali, Sadar Jama Masjid, Mashhood Ali, Laddan Khan, Gopal Sharma, Advocate Commissioner Ramesh Raghav, Advocate Vishnu Shankar Jain, SDM, Circle Officer, and Executive Officer Manishankar Tiwari. The names of all those who entered the mosque were recorded in GD and Zafar Ali was orally asked if anyone else needed to be called, as no one would be allowed entry later on. About half an hour of their entry, the local MP and the MLA's son, Soheli Iqbal forcibly entered the mosque with approximately 200 people by pushing aside the Police, despite the Sadar announcing that prayers would be delayed by an hour and later rescheduling it from 07:00 PM to 07:30 PM. The MP and Soheli Iqbal repeatedly obstructed the Survey process, urging the team to finish quickly and leave, warning that the crowd could become uncontrollable. The Survey team was surrounded by 40-50 people, hindering the Survey. It was getting dark and the large crowd affected the Survey work, raising fears of escalating conflict, the Advocate Commissioner suspended the Survey.

On 22.11.2024, DM was informed through the media and LIU about the speech given by the MP on the stairs of the Jama

Masjid. The proclamation of Section 163 BNSS was already in effect and was re-advertised through the press, after the partial Survey on 19.11.2024. The Jama Masjid Intezamia Committee and local leaders were displeased with the Court's Survey order on 19.11.2024, as they did not want interference in their activities at the mosque. Hence, they disrupted the Survey on 19.11.2024 and, as the Survey was to continue, planned to prevent it on 24.11.2024, gathering a large crowd, which led to the unfortunate incident. When the completion of the Survey was announced by Zafar Ali, the crowd turned violent.

As a precaution, DM in coordination with the Superintendent of Police, Sambhal, made adequate arrangements to handle any situation, based on LIU reports and information from the public. Barricading was set up, which prevented the riot from escalating and ensured the safety of the public. Due to stone-pelting and firing by the rioters, several Police Officers/personnel and magistrates were injured and four civilians lost their lives.

B. ICW-127 Mr. Pradeep Verma, Additional District Magistrate, Sambhal, in his affidavit stated that he assumed the charge of ADM(Finance/Revenue), Sambhal, on 07.11.2022. The Survey proceedings were conducted in compliance with the order dated 19.11.2024 passed in Civil Suit No. 182/2024, Harishankar Jain & Others vs. Union of India, by the court of the Hon'ble Civil Judge (Senior Division), Sambhal. The Survey was carried out as per the request letters dated 19.11.2024, 20.11.2024, and 23.11.2024 from the Advocate Commissioner appointed by the Hon'ble Court and in compliance with the court's order. The Advocate Commissioner, through his first letter dated 19.11.2024 at 3:45 PM, informed the District Magistrate and Superintendent of Police, that he had been appointed as Advocate Commissioner for the Survey of Jama Masjid. Through the second letter, it was conveyed that the Survey of Jama Masjid, Sambhal, would be conducted on the very same day in the presence of the plaintiff and defendant parties. Since the Jama Masjid is located in a Muslim-majority area, it was deemed appropriate to conduct the Survey under Police and administrative security to maintain peace, law and order. For this purpose, a committee was constituted by the District Magistrate, comprising Sub-District Magistrate, Sambhal, Circle Officer Sambhal and Executive Officer Nagar Palika Parishad Sambhal to provide assistance and ensure peace and order at the site. ADM was not assigned any duty at any location on 19.11.2024. After completing the first day's Survey on 19.11.2024, the Advocate Commissioner submitted a letter to the

District Magistrate and Superintendent of Police, stating that the Survey would continue on 20.11.2024. It was mentioned that “on 19.11.2024 at 6:00 PM, the Survey proceedings began in the presence of the advocates of the plaintiff and defendant parties. During the Survey, MP Mr. Zia-ur-Rahman Barq and Mr. Suhel Iqbal, son of MLA Sambhal Mr. Mahmood Iqbal was present inside the Jama Masjid along with approximately 200 other followers. As it was evening and due to the presence of so many people, the Survey could not proceed smoothly. The public representatives and other individuals present repeatedly obstructed the Survey process and issued threats. Therefore, the Survey proceedings will be conducted again in the future, and all parties will be informed separately to ensure compliance with the Hon’ble Court’s order.” On 20.11.2024, the Advocate Commissioner, through an information letter, requested for the necessary Police force and administrative arrangements to continue the remaining Survey proceedings. The Superintendent of Police, Sambhal informed District Magistrate that due to the by-election in Kundarki Assembly in Moradabad district on 20.11.2024, where district Police forces were deployed, it was not possible to provide Police force for the Survey on that date. Hence, another date for the Survey would be deemed appropriate. On 23.11.2024, the Advocate Commissioner issued another letter scheduling the Survey for 24.11.2024 from 7:00 AM to approximately 11:00 AM and sent it to the District Magistrate. A copy of this letter was also served on Mr. Zafar Ali, president of the mosque on 23.11.2024 by Sub-District Magistrate

Mrs. Vandana Mishra and Circle Officer, Mr. Anuj Chaudhary. Additionally, through an order dated 23.11.2024, the District Magistrate appointed officers as magistrates at various Police posts/stations to maintain peace, law and order during the Survey on 24.11.2024. ADM was not appointed as a magistrate at any location, but as per the District Magistrate's instructions, he was present outside the disputed religious site on 24.11.2024 to provide administrative support for maintaining peace, law and order. From around 8:30 AM, a crowd gathered near the slope of the Jama Masjid, raising slogans and protesting. He, along with the District Magistrate, attempted to pacify the crowd. Around 10:15 AM, Mr. Zafar Ali, president of the Jama Masjid, announced through the loudspeaker that the Survey had concluded. Immediately, the crowd became aggressive and engaged in violent acts. The individuals involved in the incident used masks to conceal their faces/identity. The crowd started stone-pelting, arson and firing starting from the lanes, at the rear of the Jama Masjid. By around 11:00 AM, peace was restored at the rear of the Jama Masjid. Around 11:15 AM, incidents of stone-pelting, arson, and firing began in the areas of Ekta Chauki, Turktipur Tiraha and Hindupurakheda, which were brought under control by around 2:00 PM. ADM was present with the Superintendent of Police to establish peace and order. On the request of SP Sambhal, Sub-District Magistrate Sambhal appointed as the in-charge magistrate under the District Magistrate's orders, assessed the situation and granted permission to the Superintendent of Police,

Sambhal, to use necessary force. The Police used minimal force to end the violence and disturbance. After peace was restored, the District Magistrate instructed ADM to prepare various administrative orders, such as promulgation of Section 163 of BNSS, internet shutdown, magistrate duties to maintain peace in the district and various correspondences to be sent to the government. In compliance with these orders, he prepared and sent the correspondences through the District Magistrate.

He further stated before the Commission that as per the LIU report, all arrangements were made, magistrates and Police officers were deployed at sensitive locations, which helped to prevent a major incident. He was present with the force in the open field in front of the Jama Masjid. When the crowd gathered, around 10:15 AM, after Mr. Zafar Ali announced from the mosque that the Survey proceedings were complete, the crowd became aggressive, engaging in sloganeering, stone-pelting, arson, and firing, resulting in injuries to the Police and administrative personnel. Around 11:00 AM, information was received that the crowd was attempting to burn Ekta Chauki, so he proceeded there with the Superintendent of Police, secured the outpost, and dispersed the aggressive crowd. After the Survey was completed, the Survey team was safely escorted through the Hindu neighbourhood via Sarthal Kheda Chauki to Sambhal Kotwali.

C. ICW-158 Dr. Smt. Vandana Mishra, Sub-District Magistrate, Sambhal, in her statement before the Commission

stated that there has been a total of 16 major communal incidents in Sambhal so far. As a result, while the majority religious community resides in Sambhal, people of other religions/communities have migrated in large numbers from Sambhal city. In compliance of the order of Hon'ble Court of Civil Judge (Senior division), Sambhal dated 19-11-2024, the District Magistrate, Sambhal, constituted a committee comprising herself, the Circle Officer, Sambhal, and the Executive Officer, Municipal Council, Sambhal, to assist the designated Advocate Commissioner and maintain law and order at the site. On 19.11.2024, in the presence of the Advocate Commissioner, the councils of plaintiffs, and defendants, Survey proceedings were conducted until evening, when it became dark. Administrative support was provided at the site in accordance with the directions of senior officials to comply with the Hon'ble Court's order. After the first day's Survey on 19.11.2024, the Advocate Commissioner, Ramesh Singh Raghav, sent a notice on 20.11.2024, informing that the Survey would continue on 20.11.2024. The notice stated that on 19.11.2024, at 6:00 PM, the Survey proceedings commenced in the presence of advocates from the plaintiffs and defendants sides and the Advocate Commissioner. During the Survey, MP Ziur Rehman Barq and Suhel Iqbal, son of the Local MLA, Sambhal were present inside the mosque, along with approximately 200 other individuals/supporters. As it was evening and with so many people present, the Survey could not be completed smoothly, further Public representatives and other individuals repeatedly

obstructed the Survey process and issued threats. Hence, the Survey proceedings will be conducted again in the future, and separate notices will be provided to all parties. In response to the notice dated 20.11.2024 from Advocate Commissioner, the Superintendent of Police, Sambhal, informed the District Magistrate through a letter dated 20.11.2024, that due to the by-election in Kundarki Assembly constituency in Moradabad district, the district Police force was deployed for election duties. Therefore, it will be appropriate to reschedule the Survey for a later date. This information was also communicated to the Advocate Commissioner by the District Magistrate, Sambhal.

Based on the challan reports received from Police stations under the Sambhal Tehsil, preventive actions were taken under Sections 126/135 BNSS to maintain peace, law and order. On 22.11.2024, Mr Ziaur Rehman Barq, without obtaining any administrative permission, violated Section 163 BNSS by gathering a crowd at the disputed religious site and held a press conference, expressing disagreement with the Hon'ble Court's order, with the intent of gaining political advantage. He called for a specific community to unite and gather in large numbers to protect the disputed religious site, which was provocative and made the atmosphere highly volatile. As a result, the atmosphere became extremely sensitive. Questions were raised about the excessive arrangements made by the Police Administration to conduct the Survey safely. For this act, a notice under Section 168 BNSS was issued to him and served on 23.11.2024. The Advocate

Commissioner sent again a notice on 23.11.2024, scheduling the remaining Survey proceedings for 24.11.2024 from 07:00 AM to 11:00 AM. This notice was provided to Mr Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, on 23.11.2024 only. To ensure the Survey was conducted without hindrance on 24.11.2024, the District Magistrate, Sambhal, deployed officers as magistrates at Police stations and outposts to maintain peace, law and order. On 24.11.2024, when the Survey team entered the disputed religious site, a pre-planned crowd began gathering at some distance from the western side of the rear of the disputed religious site in Sambhal, emerging slowly from the lanes. This information was relayed by the Circle Officer, Sambhal, via wireless set at around 08:30 AM, instructing all personnel to remain vigilant and persuade the crowd to disperse. Subsequently, at around 08:50 AM, the Superintendent of Police, Sambhal, informed SDM, through a letter that efforts were made to peacefully persuade the crowd present at Jama Masjid and surrounding areas, however the crowd was uncontrollable and bent upon causing trouble. In such a situation, to prevent loss of life and property, to ensure the safety of the Police personnel, officers, and administrative officials present and to restore public order, permission for the use of force was requested. She assessed the situation at the site and after discussions with the District Magistrate and senior officers present, granted permission to the Superintendent of Police, Sambhal, to use necessary force to maintain peace, law and order, considering the circumstances. Upon the announcement via loudspeaker that the Survey was

complete and the Survey team was leaving, the crowd suddenly emerged from the lanes and joined the already gathered crowd, leading to a sudden qualitative increase in the crowd's size. The aggressive crowd was raising provocative and frenzied slogans. This information was relayed by the Circle Officer, Asmauli, via wireless, stating that the crowd was slowly advancing toward the Police positions, encircling the Police personnel, making it challenging and complex to safely escort the Survey team to their destination. The Additional Superintendent of Police (North) assessed the sensitivity of the situation and issued instructions via wireless set to stop and disperse the growing crowd. To disperse the crowd, chili grenades, rubber bullets, and warning shots were fired.

She, along with her colleagues, visited the area, reassuring traders and local shopkeepers about security and law and order. Subsequently, they opened their establishments themselves and traffic arrangements were maintained as before, ensuring that normal public life continued smoothly. After 24.11.2024, Friday prayers were peacefully conducted on 29.11.2024, 06.12.2024, 13.12.2024, 20.12.2024, 27.12.2024, 03.01.2025, 10.01.2025, 17.01.2025, 24.01.2025, 31.01.2025, 07.02.2025, 14.02.2025, and 21.02.2025.

It was further stated that vide order of the District Magistrate, Sambhal, dated 27.02.2024, she was directed to be present with the Archaeological Survey of India team at Jama Masjid, Sambhal,

to ensure the entire proceedings were conducted peacefully, which was done.

Before the Commission, it was stated by Dr. Smt. Vandana Mishra that on 23.11.2024, when the Court Commissioner informed Zafar Ali via telephone about the Survey scheduled for 24.11.2024 and asked him to come and receive the notice, he refused, stating that his health was not good and he could not come. On the instructions of senior officials, she, along with CO Sambhal, delivered the notice to Zafar Ali at his residence around 06:30 PM. At that time, he was fully agreeable to the timing of the Commission's proceedings as mentioned in the notice. On 24.11.2024, during the Survey, the Court Commissioner stated regarding the measurement of the ablution tank and its videography, photography and further measurement of the tank were not possible until the water was drained. The Court Commissioner also said that he could measure the depth by inserting a stick into the ablution tank, but Sadar Mr Zafar Ali and other members of the Intizamiya Committee, did not agree. The Court Commissioner then asked as to when the water in the ablution tank was drained, to which Zafar Ali replied that the water is drained and cleaned every Friday before prayers. Subsequently, he agreed to drain the water himself and began the process.

At that moment, Zafar Ali left the mosque under the pretext of eating paan-masala, heading toward the rear of the mosque on the left side where the crowd was gathered, and returned after about

half an hour to thirty-five minutes. After Zafar Ali left the mosque, Mashhood Ali and Qasim Jamal, Advocates, also exited from the left side of the mosque and returned after about half an hour. Upon returning to the mosque, Zafar Ali addressed the crowd via the mosque's microphone, stating that everything was proceeding fine. At that time, the crowd was raising slogans, chanting "Nara-e-Takbeer Allah-hu-Akbar." She requested Zafar Ali to calm the crowd. He then went to the rooftop of Jama Masjid, raised his hand toward the crowd, smiled, and returned.

The remaining Survey proceedings were then conducted, and after the Survey was completed, around 10:00-10:30 AM, he announced via the mosque's microphone that the Survey was complete, there was no cause for concern, and people should leave. However, his address further enraged the crowd, slogans intensified, stone-pelting escalated, and sounds of arson and firing were heard.

It was further stated that on 19.11.2024, the Naib Tehsildar, who was stationed outside the mosque, was also subjected to sloganeering by members of the Muslim community, who banged on his jeep while he was heading to Kotwali, after the Commission's proceedings were suspended.

On 24.11.2024, rioters pelted stones at her and used abusive language against the Survey team there and hurled insults. The crowd made every effort to reach the mosque. Due to the Police's

alertness and efficiency, the crowd could not reach the upper part of the mosque.

Initially on 19.11.2024, the District Magistrate constituted a committee for maintaining law and order, comprising herself, Circle Officer Anuj Chaudhary, and Executive Officer Manibhushan Tiwari. On 22.11.2024, a separate administrative order was issued directing her to be present at Jama Masjid to ensure Friday prayers were conducted peacefully. While she was present at Jama Masjid, after the Friday prayers, she observed Hon'ble MP Mr Barq holding a press conference from the mosque's stairs. The brief transcript of the press conference has been mentioned in her affidavit. While Hon'ble MP Mr Barq was addressing the press conference on the stairs, she told him once that the crowd was large and the matter was pending in court, hence it was not appropriate to comment further, as he had already spoken much. Then in front of the well, near the stairs, she requested Hon'ble MP Mr Barq not to make statements to the press regarding the dispute, as it could affect the city's law and order, but he did not take cognizance of the same and said, **"I will speak, it is my right."** Third time, when he reached his vehicle and began addressing the press again, she reiterated that the matter was sub judice in the Hon'ble Court and no statements should be made. Hon'ble MP Mr Barq was accompanied by Mr Zafar Ali and Firoz Khan, former district president of the Samajwadi Party.

Considering the circumstances from 19.11.2024 to 24.11.2024, she can say that the entire incident was pre-planned with the objective of creating an atmosphere of fear in the town and ensuring that the Survey team could not complete its work, as well as preventing any such team from conducting a Survey in the future.

D. ICW-24 Mr. Ramesh Babu, SDM Judicial, Chandausi, District Sambhal stated in his affidavit that, as per the orders of the District Magistrate, Sambhal, dated 23.11.2024, and in compliance with the order of the Civil Judge (Senior Division), Sambhal, located in Chandausi, and pursuant to the letter of Advocate Commissioner Ramesh Singh Raghav dated 23.11.2024, he was deployed as a magistrate, along with other magistrates/officers, near the outer premises of the Jama Masjid on 24.11.2024 from 06:00 AM to ensure the Survey was conducted uninterruptedly and to maintain peace, law and order in District Sambhal. Around 08:30 AM, people started moving near the outer premises of the Jama Masjid. He persuaded and sent back the people peacefully. Around 09:30 AM, while the Survey was in process at the Jama Masjid, a crowd of approximately 800–900 people suddenly arrived. Despite efforts to persuade the crowd, it became uncontrollable and started pelting stones. He was also injured due to the stone-pelting. In connection with this incident, he registered a case, Crime No. 336/24, at Sambhal Police Station.

He further stated before the Commission that his duty was in the outer premises of the Jama Masjid, from the slope to the road, starting from 06:00 AM. The Survey team arrived around 07:00 AM. Everything was normal until 08:30 AM, after which some people started moving around and were persuaded to return. Around 09:30 AM, a crowd of approximately 800–900 people suddenly arrived, holding bricks and stones, with some covering their faces. Despite efforts to persuade them and appeal for peace, the crowd became uncontrollable and started throwing bricks and stones, injuring his left arm and left knee. He underwent a medical examination for these injuries at the District Joint Hospital, Sambhal. Based on these injuries, he registered a case, Crime No. 336/24, against 800–900 unknown persons at Kotwali Sambhal Police Station. At the time when the crowd gathered, it was neither market time, nor prayer time, nor school time, suggesting that the gathering was part of a planned conspiracy.

E. ICW-161 Mr. Deepak Kumar Chaudhary, Deputy Collector Headquarters, Sambhal stated in his affidavit that on 19.11.2024, as per the District Magistrate's order, he was deployed as a magistrate from 8:00 PM to 8:00 AM at Kotwali Sambhal in compliance with the court's order in Case No. 182/24 (Harishankar Jain and others vs. Union of India and others) passed by the Civil Judge, (Senior Division), Sambhal. On 24.11.2024, as per the District Magistrate's order dated 23.11.2024, he was deployed from 7:00 AM near Jama Masjid in the outer premises, along with Ms. Vandana Mishra (SDM Sambhal), Mr. Ramesh Babu (Deputy

Collector, Headquarters), Mr. Dharendra Singh (Tehsildar Chandausi), Mr. Satyendra Kumar (Naib Tehsildar Sambhal), and Mr. Bablu Kumar (Naib Tehsildar Gullaor), to maintain peace, law and order, for the smooth conduct of the Survey. The Muslim community staged a heavy protest, resorting to stone-pelting and arson, resulting in the deaths of three individuals. He has been appointed as Inquiry Officer for the magisterial inquiry into these deaths and further proceedings in this regard are ongoing.

He further stated before the Commission that as per the District Magistrate's orders, he is inquiring about the deaths of three individuals. Details of the three deceased are being sent sequentially for statements and the statement of the CO Sambhal has also been recorded. On the day of the incident, where he was deployed, he could hear the sounds of commotion.

F. ICW-164 Mr. Manibhushan Tiwari, Executive Officer, Municipality, Sambhal in his affidavit stated that he has been serving as the Executive Officer of Sambhal Municipality since 04.07.2024. In compliance with the court's order dated 19.11.2024 in Case No. 182/24 (Harishankar Jain and others vs. Union of India and others) passed by the Civil Judge, (Senior Division), Sambhal, Survey of Jama Masjid, Sambhal, was to be conducted in the presence of both the plaintiff and defendant parties. Sambhal falls under the category of a highly sensitive district, and Jama Masjid is located in a Muslim-majority area. Therefore for the Survey, to maintain peace, law and order, he was appointed as part of a

three-member committee by the District Magistrate's order dated 19.11.2024. On 19.11.2024 after the first day's Survey was completed by Advocate Commissioner Mr. Ramesh Singh Raghav, a notice was sent by him to the District Magistrate and Superintendent of Police informing that the Survey would continue on 20.11.2024. On 23.11.2024, the Advocate Commissioner sent a notice to the District Magistrate, Sambhal, scheduling the Survey from 7:00 AM to 11:00 AM on 24.11.2024. On 24.11.2024, as per the District Magistrate's order, he was deployed as a magistrate at Chaudhary Sarai Chowki to maintain peace, law and order.

As per the instructions of senior officials, at the incident sites near Jama Masjid, such as Hindupurakheda, Ekta/ Nakhasa Police Chowki, Anjuman Tiraha and Turtipur Tiraha, the bricks, stones, debris, and burnt vehicles used by the rioters were removed in his presence. On 24.11.2024, approximately six trolleys of debris, bricks, and stones were removed from the incident sites through municipal cleaning staff, vehicles and stored at the municipal store. The debris removal work across the entire city was completed under his supervision over four to five days, and the situation was reported in writing to senior officials. As per the Administration's instructions, cleaning staff were provided by the municipality for cleaning drains and sewers at the relevant sites.

On 19.11.2024, the Advocate Commission informed the Administration that due to the large crowd and presence of the Hon'ble MP and MLA's son, the Survey work was disrupted. A

notice was sent by the Advocate Commissioner regarding the rescheduling of the Survey. On 24.11.2024, during the Survey, a large crowd of Muslim community rioters gathered, raising slogans against the Survey team/ Administration, pelting stones, and firing. The rioters set fire to vehicles present at the site and damaged public and private property.

He further stated before the Commission that he was one of the members of the three-member committee formed by DM Sambhal. On 19.11.2024, during the Survey, he was present, and it was evening with low light. Public representatives were also present, which caused obstructions in the Survey. Therefore, it was decided to conduct the Survey again. On the day of the incident, his duty was at Sarai Police Chowki. After the incident, he got six trolleys of bricks, stones and debris removed. The photographs of the same were attached by him in his affidavit and considering future security, he conducted a campaign for four to five days to remove debris across the entire city. On 19.11.2024, the public representatives, including the MP and the local MLA's son, along with others, were present during the Survey, causing obstructions to the Survey team's work.

G. ICW-162 Mr. Dhirendra Kumar Singh, Tehsildar Chandausi, Sambhal District, stated in his affidavit that as per the District Magistrate's order dated 23.11.2024, on 24.11.2024, from 7:00 AM, he was deployed at the outer premises of Jama Masjid, along with Ms. Vandana Mishra (SDM, Sambhal), Mr.

Ramesh Babu (Deputy Collector, Headquarters), Mr. Deepak Kumar Chaudhary (Deputy Collector, Headquarters), Mr. Satyendra Kumar (Naib Tehsildar, Sambhal), and Mr. Bablu Kumar (Naib Tehsildar, Gullaor), to maintain peace, law and order for smooth conduct of the Survey.

He further stated before the Commission that on 24.11.2024 his duty was in the outer premises of Jama Masjid, where no incident occurred, but the incident took place at the rear part of Jama Masjid and he heard only sounds of commotion.

H. ICW-163 Mr. Satyendra Kumar, Naib Tehsildar, Sambhal, stated in his affidavit that as per the District Magistrate's order dated 23.11.2024, on 24.11.2024, from 7:00 AM, he was deployed at the outer premises of Jama Masjid to maintain peace, law and order as well as for the smooth conduct of the Survey. At around 7:00 AM the Survey team entered Jama Masjid. He was present with the Police force inside the barricading on the road leading from Dakshina Chauraha to Jama Masjid until the Survey was completed. Around 10:00 AM, it was announced through the mosque's loudspeaker that the Survey had been completed. Suddenly, a large crowd started stone-pelting and reached near Jama Masjid, initiating arson. The situation was brought under control by the Police and administrative officers around 11:00 AM. Around 10:30 AM, the stone-pelting was so intense that only bricks and stones were visible all around, accompanied by the sounds of slogans.

He further stated before the Commission that during the stone-pelting and arson, he was stationed with the Police force at the same location. The stone-pelting and arson occurred at the rear part of Jama Masjid, and rising smoke was visible. The Police controlled the situation. Tear gas shells were used to disperse the crowd, causing irritation in their eyes due to the tear gas smoke. The streets were covered with a layer of stones.

I. ICW-165 Mr. Ravi Sonkar, Tehsildar Sambhal, stated in his affidavit stated that as per the District Magistrate's order dated 23.11.2024, in compliance with the court's order, on 24.11.2024, from 7:00 AM, he was deployed as a magistrate along with other magistrates at Kotwali Sambhal to maintain peace, law and order for the smooth conduct of the Survey. From 6:30 AM, he was present with the Police force to maintain peace, law and order. At around 7:00 AM, the Survey team went to Jama Masjid from Kotwali Sambhal for the Survey work. Through the wireless at Kotwali Sambhal, information was received that around 8:30 AM, the crowd started protesting, and around 10:30 AM, incidents of arson, firing, and stone-pelting began. He also observed that the reserve Police force at Kotwali Sambhal was called to the areas around Jama Masjid with riot control equipment around 9:00 AM. No untoward incident occurred at his duty location, and peace, law and order were maintained during his duty.

He further stated before the Commission that on 24.11.2024, his duty was in reserve at Kotwali Sambhal. Continuous messages

were received through the wireless that stone-pelting had started in the city, after which he was sent to the incident site with the Police force from Kotwali Sambhal. The Police and Administration acted promptly, and the situation was controlled around 11:00–11:30 AM.

J. ICW-166 Mr. Arvind Kumar Singh, Naib Tehsildar Sambhal, stated in his affidavit that as per the District Magistrate's order dated 23.11.2024, on 24.11.2024, from 7:00 AM, he was deployed as a magistrate along with other magistrate officers at Nakhasa Police Station to maintain peace, law and order for the smooth conduct of the Survey. Around 11:00 AM, at Ekta Police Chowki under Nakhasa Police Station, rioters attempted to block the road. This information was also heard by him on the SHO's wireless. He and the SHO immediately informed senior officials and normalized the situation at the site. Additionally, information about stone-pelting and arson was received from Hindupur Kheda and Deepasarai under Nakhasa Police Station, which was controlled by senior officials. By 2:00 PM, peace and order were restored under Nakhasa Police Station.

K. ICW-167 Mr. Anuj Kumar, Naib Tehsildar Sambhal, stated in his affidavit that as per the District Magistrate's order dated 23.11.2024, in compliance with the court's order, on 24.11.2024 from 7:00 AM, he was deployed as a magistrate along with other magistrate officers at Hayathnagar Police Station to maintain peace, law and order for the smooth conduct of the Survey. From 6:30 AM, he was present with the Police force to maintain peace, law and order. No untoward incident occurred at his duty's location, and peace, law and order were maintained during his duty.

He further stated before the Commission that he has been posted at Tehsil Sambhal since August 2023. On 24.11.2024, his duty was in reserve at Hayathnagar Police Station, and he remained there until evening. No untoward incident occurred there. He heard on the SHO's wireless that a crowd was gathering near Jama Masjid. He learned about the arson and stone-pelting through the news. The Police and Administration controlled the situation around 2:00–3:00 PM.

2. Testimonies of Police Authorities of the District Sambhal

A. ICW-171 Mr Krishna Kumar, Superintendent of Police, Sambhal in his statement before the Commission stated that Sambhal has a long history of communal riots and violent activities. The Hindu population in Sambhal city has been continuously declining, now reduced to less than approximately 20 percent. In the environment and backdrop of riots and violence, religious extremism among Muslims in Sambhal city increased and

elements promoting and inciting religious extremism gained strength. This provided a fertile ground for terrorist organizations to establish their foothold, including major organizations such as Al-Qaeda in the Indian Subcontinent, Harkat-ul-Mujahideen, Students of Aligarh Muslim University (SAMU ISIS), and the banned organization SIMI, whose active operations in Sambhal district came to light.

The disputed Shahi Jama Masjid, located in the mixed population area of Kotpurvi Mohalla under Kotwali Police Station in Sambhal city, has been a centuries-old dispute. The Hindu side has claimed that this mosque was built by the Mughal ruler Babar in the past by demolishing the Hari Har Temple. Both Hindu and Muslim sides assert their claims over this issue, and this structure has been a point of contention between the two communities.

Correspondence was made with the District Magistrate, Sambhal, on 29.05.2024 regarding the provision of security during the routine inspection and Survey of the centrally protected monument Jama Masjid, Sambhal, under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India, Meerut Circle. Accordingly, the inspection and Survey were successfully completed on 12.06.2024, indicating that inspections and surveys of the disputed site had been conducted in the past as well.

On 01.10.2024, due to upcoming festivals, examinations and proposed board examinations, the District Magistrate imposed orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha

Sanhita, apprehending a breach of peace, effective until 30.11.2024.

On 19.11.2024, the Advocate Commissioner informed at 03:45 PM through a notice that in Civil Suit No. 182/24, Harishankar Jain and Others vs. Union of India and Others, filed in the court of Civil Judge,(Senior Division), Sambhal, located in Chandausi, an order was issued to submit a report by 29.11.2024, including photography and videography of the Jama Masjid Survey. The order also directed the District Magistrate and Police to provide adequate Police force during the Survey. The Advocate Commissioner further stated that if the Survey proceedings were not conducted immediately, the defendant side could alter the physical structure of the Jama Masjid and destroy important evidence. Therefore, with the presence and consent of the defendant side, the Survey should be conducted today only to ensure it is carried out in a harmonious environment. Hence, necessary Police force and administrative arrangements should be made for the Survey on 19.11.2024.

Based on the notice provided by the Advocate Commissioner, the District Magistrate, Sambhal, issued orders to conduct the Survey proceedings and formed a team comprising the Sub-District Magistrate, Sambhal, Circle Officer, Sambhal, and Executive Officer, Municipal Council, to assist the appointed Advocate Commissioner. Copies of the said order were sent for information to the Additional Chief Secretary, Home, Uttar Pradesh

Government, Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh Government, Lucknow, Commissioner, Moradabad Division, Moradabad, and Deputy Inspector General of Police, Moradabad Range, Moradabad. The order was also sent to him, with the instructions to ensure adequate Police force during the task and to direct the concerned officials to remain present at the site.

In compliance with the Hon'ble Court's order, the Advocate Commissioner, the team constituted by the District Magistrate, Mr Prince Sharma, DGC Civil, Mr Laddan Khan, Nayab Sadar ,Jama Masjid, Advocate Mr Gopal Sharma, Advocate Mr Vishnu Sharma, Standing Counsel of Govt. of India, plaintiff Mahant Mr Rishiraj Giri, Advocate Vishnu Shankar Jain, Advocate Zafar Ali and Advocate Mahsud Ali Farooqui arrived at Sambhal Police Station for the Survey. Inspector-in-Charge Mr Anuj Kumar Tomar, along with the Police force, was deployed for maintaining peace, law and order.

On 19.11.2024, the plaintiff and defendant sides, along with the Advocate Commissioner, were present at the disputed religious site for approximately one and a half hours for the Survey.

Due to insufficient light inside the premises, partial photography and videography were conducted. During the Survey, significant disruptions occurred, with a large crowd gathering inside and outside the premises, engaging in sloganeering and protests. The mosque committee stated that it was time for prayers and controlling the crowd was becoming difficult, leading to the

suspension of the Survey proceedings. It appeared that the Survey could be completed with photography and videography during daylight.

On 19.11.2024, after the first day's Survey was completed, the Advocate Commissioner provided him with a notice stating that the Survey would continue on 20.11.2024. The notice mentioned that "on 19.11.2024, at 06:00 PM, the Survey proceedings commenced in the presence of advocates from the plaintiffs and defendants sides and the Advocate Commissioner. During the Survey, MP Mr Zia-ur-Rahman Barq and Sambhal MLA's son Suhel Iqbal were present inside the mosque, along with approximately 200 other individuals. As it was evening and with so many people present, the Survey could not be conducted smoothly. The public representatives and other individuals present repeatedly obstructed the Survey process and issued threats. Hence, the Survey proceedings will be conducted again in the future, and separate notices will be provided to all parties to comply with the Hon'ble Court's order. Therefore, it is requested that necessary Police force and administrative arrangements be made for the remaining Survey proceedings on 20.11.2024."

The District Magistrate, Sambhal, was informed that due to the by-election in Kundarki Assembly constituency in Moradabad district, the district Police force was deployed for election duties. Therefore, it was not possible to provide Police force for the Survey on 20.11.2024. Hence, it was deemed appropriate to schedule the

Survey for a later date, and this was communicated to the Advocate Commissioner. On 21.11.2024, he organized a meeting at Kotwali Sambhal with religious clerics, all members of the mosque committee, and the peace committee, urging them to maintain peace and order and warning of action in case of any violation. The mosque committee president, Advocate Zafar Ali, was requested to issue an appeal and compliance with Section 163 BNSS, enforced in the district, was emphasized.

On 22.11.2024, considering the call in a controversial post for maximum participation in Friday prayers, the Police force was directed to remain vigilant. Cameras installed near the disputed religious site were got repaired and through video messages from city Qazi Alauddin, Sadar Jama Masjid Zafar Ali and Khadim Jama Masjid, Mashhood Ali Farooqui, the Muslim community was urged to comply with Section 163 BNSS, which prohibits gatherings of more than five people, to offer prayers in their respective mosques, avoid rumors, refrain from forwarding false messages, and pray for the progress of their city and country.

On 22.11.2024, Hon'ble MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, without obtaining any administrative permission, violated Section 163 BNSS by organizing a press conference at the Jama Masjid, gathering a crowd and expressing disagreement with the Hon'ble Court's order. With the intent of gaining political advantage, he called for a specific community to unite and gather in large numbers to protect the disputed religious site, which was

provocative and turned the sensitive atmosphere into a highly volatile one. Regarding this speech, some anti-social elements circulated a video containing the following excerpt: “It is our duty to follow our religion and protect our religious sites. The way the Constitution is being throttled here, the way the government is shredding the Constitution; we are ready to fight for this mosque. Inshallah, we will always be there to protect the Jama Masjid in every way necessary. We will not let anyone take away the religious sites and mosques that existed before 1947 in our state and country.” This speech led the public to believe that someone was attempting to seize the Jama Masjid through the Survey, resulting in violent incidents during the Survey on 24.11.2024. Regarding the actions of Hon’ble MP Mr Zia-ur-Rahman Barq on 22.11.2024, a notice under Section 168 BNSS was served on 23.11.2024 and preventive action under Sections 126/135 BNSS was taken against 500 identified individuals. On 23.11.2024, the results of the Kundarki by-election were declared from where Mr Zia-ur-Rahman Barq was previously the MLA. The Samajwadi Party lost this seat, and the election results were not as per Mr Barq’s expectations. He continued to blame the Police and Administration for the loss and questioned their impartiality.

The Advocate Commissioner, through a notice on 23.11.2024, scheduled the remaining Survey proceedings for 24.11.2024 from 07:00 AM to approximately 11:00 AM, as mentioned in the notice. The notice was provided to Mr Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, on 23.11.2024. To ensure the Survey was

conducted peacefully, the District Magistrate assigned duties to officers and coordinated with Police officials. Under his direction, the Additional Superintendent of Police (North) made adequate Police arrangements, and he clearly instructed all zonal in-charges to prevent crowd gatherings. The crowd of onlookers was informed about the court-ordered Survey and the enforcement of Section 163 BNSS and asked to disperse. Arrangements were made for information collection through mobile surveillance on 23.11.2024 and 24.11.2024, and the LIU was activated.

On 24.11.2024, he directed subordinate Police officers early in the morning to ensure that only authorized individuals were present during the Survey to avoid disruptions. As soon as the Survey team entered the disputed religious site, a pre-planned crowd began gathering at some distance from the rear side of the site, emerging from the lanes. This information was relayed by the Circle Officer, Sambhal, via wireless set at around 08:30 AM. At the same time, provocative slogans were heard from the western side of the disputed site. Upon inquiring via wireless, the Additional Superintendent of Police reported that the crowd was raising provocative slogans, and some individuals had their faces covered. The Circle Officer, Sambhal, reported that the crowd was brandishing weapons, indicating malicious intent. At 08:45 AM, the In-Charge of Ekta Chowki reported via wireless that an attempt was made to snatch the weapon of a constable accompanying the SHO, Kotwali, and stones were being thrown. The Additional Superintendent of Police (North) reported via wireless that all

duties at the gates of the disputed site and in Hindu-dominated areas should remain alert, as residents in Hindu areas had gathered on rooftops upon hearing the commotion and were asked to maintain peace. The Circle Officers of Chandausi and Sambhal sought guidance via wireless. He informed the SDM Sambhal about the situation and requested permission for the use of force. After consultation with the Additional Superintendent of Police (North) and assessing the situation, permission was granted to use force to disperse the unlawful assembly that was engaging in violence, attacking Police personnel and looting government property. The Circle Officer, Sambhal, reported that some individuals were breaking CCTV cameras, transformers had been set on fire, and vehicles were being torched, indicating a larger plan. The Additional Superintendent of Police reported via wireless that stone-pelting from rooftops was increasing, and petrol bombs were being thrown. The Circle Officer, Chandausi, reported that his vehicle was being damaged. Given the seriousness of the situation, he directed via wireless to immediately cut off the electricity supply. It was also reported that some individuals in the crowd were attempting to enter the disputed site and were talking about killing the Court Commissioner and the lawyer from Delhi. He directed all Police forces via wireless to strengthen their positions and ensure that no rioter could enter the disputed site or Hindu residential areas under any circumstances. Considering the riotous crowd engaged in arson and violence, he directed the Police force to use tear gas, chili grenades, and rubber bullets to

disperse the crowd. The Additional Superintendent of Police (North) reported that the crowd was armed and firing indiscriminately while rubbing their eyes and explosions were occurring. All forces were instructed to take cover. The Circle Officer, Sambhal, reported that a bullet from the crowd hit his leg and he immediately directed the Control Room to send an ambulance. He personally reached the northern and southern staircases of the disputed site to strengthen the Police positions and assessed the situation from the elevated position. It was observed that the crowd was firing indiscriminately while rubbing their eyes and the crowd was gathered just a short distance from the Police. Through the loudspeaker at the disputed site, the SDM, Sambhal, announced not to throw stones, stating that the mosque belongs to the community and its sanctity should be maintained. Around 10:00 AM, an announcement was made that the Survey proceedings had been completed. The District Magistrate informed him to ensure the safety of the Court Commissioner and his team at all costs and to make arrangements to escort them to their destination. The crowd was also informed via loudspeaker that the Survey team was leaving, which led to a sudden influx of people from the lanes joining the already gathered crowd, significantly increasing its size. This crowd was slowly advancing toward the Police positions, forming a circle around the Police personnel, making it challenging and complex to safely escort the Survey team to their destination. To disperse the crowd, chili grenades, rubber bullets, and warning shots were fired to scatter them. By

around 10:20 AM, the crowd had been driven far into the lanes, and Police forces were deployed in the lanes. The Police successfully escorted the Survey team safely through the Hindu-dominated area toward Sarthal Chowki. Meanwhile, information was received via wireless that some injured rioters were near the water tank and he directed that ambulances be called immediately to take them to the hospital for treatment. When he reached Anjuman Chowk while dispersing the crowd, he received information that a crowd was gathering in Hindupur Kheda. He reached Hindupur Kheda with the force, where a shot was fired from the direction of a four-storey building's rooftop, injuring him and his PRO. He looked toward the rooftop and saw a young man aiming a gun, preparing to fire again. He took the MP-05 from his companion, but by then, the young man had disappeared. Sensing the danger in Hindupur Kheda and considering the earlier firing on the Police, he instructed his companion and the accompanying force to withdraw. He directed the SHO, Nakhasa, to send a vehicle to the site and take the PRO to the hospital for treatment. Then, information was received that some rioters had gathered at Ekta Police Chowki and could set it on fire. The In-Charge of Deep Sarai Chowki reported that rioters had taken away his Bullet motorcycle and attempted to snatch his pistol, during which the magazine was dislodged and taken by the rioters. He requested Police reinforcements. Further information was received that rioters had set fire to a Leopard Police motorcycle and were attempting to burn two other vehicles. He

immediately proceeded to the site, where the rioters fled into the lanes upon hearing the vehicle's Hooter. Two motorcycles were saved from being burned. All Police personnel were ordered to reach Delhi Darwaza, through appropriate means. Upon compliance, he gathered detailed information about the incident from all present officers and Police personnel. Subsequently, 21 accused individuals were arrested from the incident site and injured Police officers as well as personnel were sent to the District Hospital, Sambhal, for examination and treatment. It is also noted that the entire incident, from start to finish, was covered by several courageous reporters and their assistant photographers from 07:00 AM to 12:00 PM.

Post-riot, the incident site was inspected. With the assistance of the Municipal Corporation, drains around the incident site were cleaned in the presence of LIU and the Field Unit for evidence collection, during which 19 spent cartridges from foreign companies were recovered, including one 9 mm cartridge marked POF (Pakistan Ordnance Factory). Eleven cases were registered in connection with the attack on the Police and the riot. A total number of 28 Police and administrative officers were injured or wounded during the riot. The damage to private and government property due to arson and destruction was assessed by the Assistant Regional Transport Officer (Administration) at a total value of ₹1,15,68,000.

During the riot, Police personnel deployed at the site fired warning shots: Constable Amrit Singh fired two warning shots from a 12-bore pump-action gun, Constable Naveen Kumar fired four shots, Constable Sachin Kumar fired three warning shots, Inspector-in-Charge Anuj Tomar fired two rounds in the air from 9-mm pistol and his companion Rajpal fired two warning shots from a 12-bore pump-action gun. No other Police personnel used lethal firearms during the incident. Considering all circumstances, the Police prioritized social harmony and peace throughout the incident, exercising restraint and avoiding the use of lethal firearms. Instead, non-lethal riot control equipment were used for self-defense and to disperse the crowd successfully, controlling the situation within a few hours. As a result, no loss of life occurred due to Police firearms, preventing miscreants from inciting communal riots across the state and country, thus foiling their plans. The Police also succeeded in protecting the lives and properties of the Hindu population, limiting the violence to between the Police and the rioters.

In the supplementary affidavit, it is further stated by SP that on the evening of 19.11.2024, after obstructing the Survey by gathering a large crowd, on 21.11.2024, a message was sent by two individuals named Abdullah and Kasif Hussain in a WhatsApp group named after the Sambhal MP, stating, **“All people of Sambhal should offer Friday prayers at Shahi Jama Masjid in large numbers and not at mosques near Shahi Jama Masjid. Offer prayers only at Shahi Jama Masjid, and share this**

message as much as possible.” A similar appeal was made through a WhatsApp group named Mannat to gather a large crowd for Friday prayers at Shahi Jama Masjid.

On 22.11.2024, a large crowd was systematically gathered, and the local MP incited the crowd with religious sentiments, addressing the media and stating, **“This is a mosque, it was a mosque, and it will remain a mosque. No one can take our mosque from us.”** These provocative statements were circulated by supporters through WhatsApp groups and other mediums to incite people. This was done to ensure that if the Survey resumed, it would be stopped at any cost. Due to the Survey on 19.11.2024 not being completed, the Court Commissioner ordered the Survey to resume on 24.11.2024, and a copy of this order was delivered to Zafar Ali, Sadar of the mosque, at his residence on the evening of 23.11.2024 by the SDM and Circle Officer, Sambhal. The following day, on 24.11.2024, detailed arrangements were made for the remaining Survey starting at 07:00 AM. Subsequently, Zafar Ali informed Hon’ble MP Mr Zia-ur-Rahman Barq about the Survey via a call on 23.11.2024 at 10:01 PM, as recorded in Zafar Ali’s CDR for a 38-second call. Later, at 11:04 PM, Mr Barq called Zafar Ali, as recorded in the CDR. Since Mr Barq was not present in Sambhal, he and Zafar Ali planned to gather a crowd, assigning the responsibility to Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, who, due to his position, could easily mobilize a large crowd in a short time. Following Mr Barq’s instructions, Zafar Ali held a meeting at midnight at the residence of Suhel Khan (Cashier, Jama Masjid

Intizamiya Committee) with other committee members, informing them about the Survey and Mr Barq's instructions. Calls from Mr Barq to Zafar Ali were received at 12:32 AM and 01:48 AM on 24.11.2024, during which plans were made to gather a crowd and prevent the Survey at all costs, preparing for any situation. WhatsApp call interactions between the two were also recorded in the CDR. In an affidavit submitted to the Hon'ble High Court, Allahabad Mr Barq falsely claimed that he was unaware of the Survey scheduled for 24.11.2024, which is entirely untrue. On 24.11.2024, the Survey proceedings commenced as per rules and were progressing smoothly. Members of the mosque's Intizamiya Committee, including Sadar Zafar Ali, were present inside. Around 08:30 AM, Zafar Ali, as part of a pre-planned conspiracy, left the mosque during the Survey, signaled 2-3 individuals, whispered to them, and sent them toward the mosque's rear. Shortly after, an aggressive crowd emerged from the lanes, armed with illegal weapons, faces covered, raising slogans, and breaking CCTV cameras. The crowd claimed that Zafar Ali had said the water in the ablution tank was being drained and the mosque was being excavated, which escalated the incident into a violent one. On 25.11.2024, Zafar Ali held a press conference to pressurize the Police and fabricate false evidence against them, leveling serious and false allegations. The incident was orchestrated by Zafar Ali in collusion with Mr Zia-ur-Rahman Barq to stop the Survey, for which a case, Crime No. 335/24, was registered against Mr Zia-ur-Rahman Barq and Suhel Iqbal at Kotwali Police Station,

Sambhal. Accused Zafar Ali was arrested on 23.03.2025 in this case and sent to jail.

The Survey scheduled for 24.11.2024 was known to all by 23.11.2024, during which the Shariq Satha gang, previously active in Sambhal, attempted to re-establish its dominance. Shariq Satha, who had fled to Dubai in 2020 after making fake passports, was operating his activities from there. Seeing the Survey as an opportunity for himself and his gang, Shariq Satha instructed his key member Gulam Navi via the banned Jangi app to include armed members in the crowd, kill 2-4 of their own people, and 2-4 Policemen to escalate the issue nationally and re-establish their dominance in Sambhal. Following these instructions, Gulam Navi provided illegal weapons to his associates Mulla Afroz and Warish, who, taking advantage of the smoke and chaos, executed the planned firing, resulting in the deaths of four individuals, one person injured, and 28 Police officers and personnel injured. Gulam was arrested on 20.02.2025 with two mobile phones, one belonging to Shariq Satha's wife, Roshan Jahan, containing a foreign number. Based on his information, three pistols and one country-made firearm with cartridges (foreign/domestic) were recovered, for which Crime No. 34/25 under Sections 3/25/27 Arms Act was registered against Gulam at Kotwali Police Station. During interrogation, Gulam confessed to orchestrating the incident on Shariq Satha's instructions by providing weapons to Mulla Afroz and Warish. Mulla Afroz was arrested on 19.01.2025, with one 0.32-bore pistol and three live cartridges recovered. He confessed

to shooting the deceased Ayan and Bilal. Three spent cartridges recovered from the incident site were found to have been fired from the pistol recovered from Mulla Afroz, as confirmed by the FSL Agra ballistic report. Warish was arrested on 24.11.2025, with one 315-bore country-made firearm, two live cartridges, two spent 315-bore cartridges, and two mobile phones were also recovered. One mobile contained a recorded audio call in which Warish was calling another accused, Sameer (arrested on 24.11.2024), to bring weapons to the rear of Jama Masjid. Warish confessed to shooting the deceased Naeem and Mohammad Kaif and injuring Waseem. The two 315-bore spent cartridges recovered from him were confirmed to have been fired from his firearm, as per the FSL Agra report. Previously arrested accused Yakub had one 12-bore country-made firearm, Tahzeeb had one 315-bore country-made firearm, Aftab had one 12-bore country-made firearm, Salim had one 12-bore country-made firearm, and Sajeb alias Tillan had one 12-bore country-made firearm recovered. Upon ballistic examination and matching with spent cartridges recovered by the Field Unit, two spent cartridges were found to have been fired from Yakub's firearm, and one spent cartridge each from the firearms of Tahzeeb, Aftab, Salim, and Sajeb alias Tillan.

The entire incident was reconstructed by the FSL Agra ballistic experts, through crime scene recreation. The expert team conducted a physical inspection of the site, examined FIRs, postmortem reports of the deceased, injury reports of the injured, site maps, inquest reports, and other documents and tested

exhibits recovered from the site. Their report indicated that the firearm injury on deceased Ayan's body was likely caused by a close-range shot. The firearm injuries on the bodies of the deceased of Naeem, Kaif and Bilal were from shots fired beyond close range. The injuries on the deceased were caused by bullet cartridges such as 315-bore. The injuries on the Circle Officer, Sambhal, and SI Sanjeev Kumar's legs were likely caused by firearms like 12-bore fired from beyond close range. The locations where the deceased/injured were found and the Police picket locations were not consistent with each other. The ballistic expert report stated that it was not possible for bullets fired from the Police picket locations to reach the locations of the deceased. In connection with this violent incident, charge sheets have been filed in the Hon'ble Court against 39 accused in Crime No. 333/24, 38 accused in Crime No. 334/24, 37 accused in Crime No. 336/24, 53 accused in Crime No. 337/24 at Kotwali Police Station, Sambhal, and 25 accused in Crime No. 304/24 and 23 accused in Crime No. 305/24 at Nakhasa Police Station. Investigations against the remaining wanted accused are partially ongoing.

In this incident, after successfully obstructing the Survey on 19.11.2024 by gathering a crowd, the confidence of the MP and the mosque committee grew. On 21.11.2024, people were called to Jama Masjid via WhatsApp groups, and on 22.11.2024, the crowd was incited, making the atmosphere highly volatile. After receiving information about the Survey on the evening of 23.11.2024, Mr Barq and Zafar Ali planned at various levels, holding meetings and

making the atmosphere extremely sensitive. In this highly volatile environment, Shariq Satha made a sinister attempt to achieve his objectives, executed by his gang members. Despite the crowd looting Police weapons and launching life-threatening attacks on the Police, the Police exercised restraint and did not use lethal firearms, as confirmed by the FSL Agra ballistic expert team's crime scene reconstruction report. Through the prudence of the Police and Administration, miscreants were prevented from inciting communal riots across the state and country, and their plans were foiled.

It was stated before the Commission that 15 violent incidents had occurred in Sambhal district prior to this event. On 19.11.2024, he was informed by the District Magistrate at 03:45 PM through the Court Commissioner about the Hon'ble Court's order. Subsequently, the District Magistrate constituted a three-member committee. When the Survey team and he reached the mosque around 06:00 PM, Suhel Iqbal, son of the MLA, was present with a crowd of 200 supporters inside the Jama Masjid. Approximately 30 minutes later, Hon'ble MP Mr Zia-ur-Rahman Barq arrived with his supporters. They were informed about Section 163 BNSS, but they ignored it and forcibly entered the mosque with 10-15 supporters. Upon entering, they told the Survey committee members, "You outsiders, how did you come inside the mosque? You want to spoil the atmosphere of Sambhal." Meanwhile, the crowd gathered outside the mosque and on rooftops began raising religious frenzied slogans. SP explained to the supporters of Hon'ble MP Mr

Zia-ur-Rahman Barq and Suhel Iqbal via loudspeaker, urging them to return home and not to obstruct the court's proceedings. By around 07:00–07:15 PM, it had become dark, and the Sadar stated that it was time for prayers. Due to continuous disruptions by the crowd, the Survey proceedings were halted and the same could not be completed that day. The Survey Commissioner informed the advocates of the plaintiff and defendant sides in his presence that the remaining Survey would be conducted later. After the Survey proceedings ended, the District Magistrate briefed the journalists about the Survey and Hon'ble MP Mr Barq also gave a media byte. Observing the crowd gathered on the evening of 19.11.2024 and the events that transpired, he realized that the remaining Survey could lead to challenging circumstances. Anticipating the situation, SP requested five companies of PAC, which were provided to him before the Friday prayers. The LIU also expressed concerns about a large crowd gathering at Jama Masjid on the day of Friday prayers. Considering the announcements by various religious leaders to offer prayers at Jama Masjid, he instructed the Additional Superintendent of Police (North) to prepare a detailed duty chart. On the evening of 21.11.2024, he arranged for influential individuals (Sadar Jama Masjid, city Qazi, etc.) to announce that prayers should be offered in their respective mosques and to avoid unnecessary rumors or statements. The residences of Hon'ble MP Mr Barq and the local MLA are approximately 2 km away from Jama Masjid, and they usually offer prayers in their respective area's mosques. On Friday, Hon'ble MP

Mr Barq and MLA's son Mr Suhel Iqbal, instead of praying in their area mosques, offered prayers at Jama Masjid. Messages sent through various WhatsApp groups (Sambhal MP, Mannat, etc.) and information from other sources made it clear that these two individuals had brought a large number of supporters to Jama Masjid to incite their community, addressing the crowd and media from the mosque's stairs, which made Sambhal's atmosphere highly sensitive. On the evening of 23.11.2024, the Court Commissioner sent a letter to the District Magistrate regarding the Survey on 24.11.2024. Based on the information received from the District Magistrate, SP directed the Additional Superintendent of Police (North) to deploy Police forces for the Survey on 24.11.2024. The SDM and Circle Officer, Sambhal, delivered the Survey notice to Sadar Jama Masjid Zafar Ali at his residence late in the evening on 23.11.2024. After preparing the duty chart on 23.11.2024, SP conducted a briefing via Google Meet with all zonal and sector Police officers in the evening, instructing them to reach their designated duty points by 06:00 AM on 24.11.2024 with riot control equipment, keeping in mind the events of 19.11.2024. Regarding the incident on 24.11.2024, it stated that he is satisfied that the Sambhal Police, through restraint and bravery, successfully foiled a planned conspiracy, during which he and 28 Police personnel sustained minor and serious injuries.

On the day of the incident, SP observed a crowd of thousands raising frenzied slogans, gathered on three sides behind the mosque, breaking CCTV cameras. Many had their faces

covered and were armed with dangerous weapons like country-made firearms. He also saw that they were breaking bricks left for construction into pieces, filling them in sacks, and distributing them to others for stone-pelting. When tear gas shells were fired to disperse the crowd, some cunning rioters with covered faces picked up the tear gas shells thrown by the Police and threw them back at the Police. Public and private properties were also damaged during the incident. Throughout the incident, the Sambhal Police's positions could not be breached by the crowd and they were not allowed to enter Hindu-dominated neighbourhoods or markets, preventing the incident from taking a communal turn. The Survey team was safely escorted through Sarthal Chowki under Police protection, thus preventing the violence from becoming communal. A total of 12 cases were registered in this incident, and approximately six charge sheets have been submitted to the Hon'ble Court, with supplementary charge sheets to be submitted later. Investigations so far have provided evidence that the violent incident on 24.11.2024 was the result of a planned conspiracy by the Muslim side to stop the Survey. The murders of all four deceased were the result of a planned conspiracy and shots were fired by the Muslim side using country-made firearms to incite riots. No FIR was filed by any person from the deceased's side claiming that their kin died due to Police firing, as confirmed by the FSL, Agra ballistic experts and crime scene reconstruction. To disperse the crowd, the Police, after obtaining permission from the magistrate, first fired tear gas shells,

which were not very effective. Subsequently, chili grenades, stun grenades, and AmitShahi shells were used. Additionally, 12-bore pump-action guns were used, and the SHO, Kotwali, fired two aerial shots from his service 9-mm pistol. Throughout the incident, the Police demonstrated prudence and restraint, strictly adhering to the guidelines issued by the National Human Rights Commission from time to time. Immediate notifications were sent to hospitals through the control room for the injured and they were promptly transported to hospitals via 108 ambulances. SP also sustained injuries.

B. ICW-19 Mr Shirish Chand, Additional Superintendent of Police (Northern), Sambhal District in his statement before the Commission stated that the town of Sambhal has a population of 80% Muslim and 20% Hindu. This town has a long history of communal riots. Due to the environment and background of riots and violence, Muslim religious extremism has increased in Sambhal town and elements that promote and provoke religious extremism, have also gained strength, creating a fertile ground for religious extremism. Terrorist organizations have also spread their roots, with key organizations such as Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS), Harkat-ul-Mujahideen, Students of Aligarh Muslim University (SAMU-ISIS) and the banned organization SIMI being found active in Sambhal.

On November 19, 2024, the Hon'ble Civil Judge (Senior Division), in Civil Suit No. 182/24, Harishankar Jain and Others vs.

Union of India and Others, appointed an Advocate Commissioner and ordered for Survey of the disputed property, along with complete videography and photography of the proceedings, with a report to be submitted to the Hon'ble Court by November 29, 2024. In compliance with the order of Hon'ble Court dated 19.11.2024, the Survey was conducted for approximately one and a half hours with all concerning in the presence of the District Magistrate, Superintendent of Police, Police officers and personnel, plaintiff's advocate Mr Gopal Sharma, Vishnu Shankar Jain, and defendants' advocates Mr Vishnu Sharma (representing the Government of India), Mr Prince Sharma (DGC, Civil) and the mosque committee's advocate along with chairman Jama Masjid, Mr Zafar Ali, Advocate.

During the Survey, significant disruptions occurred. A large crowd, including supporters of MP Zia-ur-Rahman Barq and other political figures, gathered inside and outside the Jama Masjid premises and began protesting and raising slogans against the Survey. The mosque committee stated that prayers were about to take place and controlling the crowd was becoming difficult and under these challenging circumstances, the Survey proceedings should be stopped. Thus, due to the active opposition and interference by the political figures, the Survey proceedings could not be completed on November 19, 2024.

On November 22, 2024, the Hon'ble MP of Sambhal, without obtaining any administrative permission and in violation of the

already imposed Section 163 BNSS, addressed the press at the Jama Masjid in front of a large gathering of Namazis. During the press address, the MP expressed his disagreement with the court's order and called upon a specific community to unite in order to protect the Jama Masjid, as well as incited the gathering for political gain, which was provocative in the sensitive environment. As a result, the atmosphere in Sambhal town escalated from sensitive to highly sensitive. Taking into consideration the act of the Hon'ble MP on November 22, 2024 a notice under Section 168 BNSS was served on November 23, 2024, and preventive action under Sections 126/135 BNSS was initiated against approximately 500 identified individuals. The Friday prayers were conducted peacefully. As per the instructions of the Superintendent of Police, point-wise duties were assigned.

After receiving information about the second Survey, the Superintendent of Police and he held discussions with people from both sides, including the Circle Officer Sambhal, In-Charge Kotwali Sambhal, In-Charge Nakhasa Police Station, and the Station Officer Hayat Nagar, along with respected individuals from Hindu and Muslim communities. Local-level meetings were held, and the situation regarding the Survey was explained, clarifying that the Survey was being conducted under court's orders and was not a process of taking possession. The public was also asked to inform others and remain cautious of rumors. On November 23, 2024, the result of the Kudarki by-election was announced, in which the Samajwadi Party lost the seat previously held by Zia-ur-Rahman

Barq as an MLA. In response to the by-election loss, the Hon'ble MP of Sambhal continued to blame the Police and Administration and question their impartiality. Through press conferences, statements such as "the Constitution has been murdered in Uttar Pradesh" were used, creating an environment conducive to violence by inciting the public against the Police and Administration.

He further stated that on information regarding the remaining Survey to be conducted on November 24, 2024, extensive security arrangements were made and as per the instructions of the Superintendent of Police, adequate Police forces were assigned with detailed duty charts. He personally began patrolling with accompanying Police forces at 6:00 AM. All Circle Officers were directed to check their respective duties. The Circle Officers reported that all officers and personnel were present at their assigned duty locations and he conveyed this report to the Superintendent of Police. Around 8:00 AM, information was received that a crowd was gathering at the gate of the Jama Masjid and near Hindu residences, with people assembling on rooftops. Upon receiving this information, he directed all Circle Officers via wireless to ensure all duties remained vigilant and to maintain peace and order. He encouraged members of the Muslim community residing near the Jama Masjid to explain and calm the crowd. Some women and youths attempted to pacify the crowd, but the agitated crowd was unwilling to listen.

Around 9:00 AM, information was received that some individuals in the crowd were throwing petrol bombs. During this time, the Circle Officer Sambhal reported that in the lane in front of him, near a house under construction, the crowd was breaking bricks and pelting stones. He reached the location with forces at Dhalan Tiraha and observed a large crowd gathered on the road leading to Ekraat Ki Masjid. Some individuals in the crowd had covered their faces with masks, handkerchiefs, or clothes, and some were holding weapons, waving them toward the Police. He attempted to address the crowd using a loudhailer, urging them to return to their homes. Repeated appeals were made to maintain peace, but the crowd did not comply and began throwing bricks and stones at the Police. The crowd also threw petrol bombs at the Police forces. Several Police personnel were injured in the stone-pelting. His accompanying constables Yashpal, Saurabh Pratap, and several others were injured. Considering the situation, under his directions, Constable Vikesh Kumar fired three rounds from an anti-riot gun and Constable Somvir fired four tear gas shells. The crowd refused to retreat and continued shouting slogans in an agitated manner. Vehicles present at the scene were set on fire. He reported via RT set that the crowd was armed and firing indiscriminately in the smoke while rubbing their eyes and blasts were occurring. He instructed all forces to take cover. He gathered the Police forces present and moved toward Warsi Gym Lane, where the stone-pelting was heaviest and used riot control equipment to disperse the crowd. To disperse the crowd,

Constable Vikesh Kumar fired two rounds from the anti-riot gun, and Constable Somvir fired two tear gas shells. The crowd continued stone-pelting, preventing the Police forces from advancing. At this location, his accompanying Constables Deepak Kumar and Navdeep Chaudhary were injured. The situation deteriorated significantly, with crowds gathering from the rear road of the Jama Masjid, Warsi Gym Lane, and the front lane, simultaneously pelting stones at the Police forces. Under his direction, Constable Vikesh Kumar fired four rounds from the anti-riot gun, and Constable Somvir fired five tear smoke shells. After firing tear gas, heavy smoke engulfed the area, and the crowd was firing indiscriminately. During the incident, he and his accompanying Constable Somvir Singh were injured. Around 9:45 AM, he instructed the reserve Police force and the In-Charge QRT Chaudhary Sarai via RT set to reach the Jama Masjid immediately and informed the Superintendent of Police of the situation. Upon the arrival of additional Police forces, Constable Vikesh Kumar fired one round from the anti-riot gun and Constable Somvir fired one tear smoke shell to disperse the crowd. The rioters hid in narrow lanes and began pelting stones at the Police. During this time, an injured rioter was found near the tank, and he directed the In-Charge Inspector, Sambhal to arrange an ambulance to send him to the hospital. The rioters were damaging CCTV cameras, burning private and public motorcycles, cars, and electricity transformers and wires. Meanwhile, upon learning that the Circle Officer Sambhal and In-Charge Inspector Sambhal were injured,

they were sent to the hospital. Information was received that some rioters had gathered at the Ekta Police Post and might have set it on fire. Sub-Inspector Shah Faisal, In-Charge of Deepa Sarai Post, reported that some rioters from Anjuman had snatched his Bullet motorcycle, attempted to snatch his pistol and during the scuffle, the crowd snatched the magazine. They set at fire to one Leopard motorcycle and were attempting to burn two other vehicles. Upon reaching the scene, the crowd dispersed, and two motorcycles were saved from being burned. Further information was received that some rioters had reached the Hindupura area of Nakhasa Police Station and were pelting stones at the Police forces. Upon reaching Hindupura Kheda, he observed men and women pelting stones at the Police from lanes and rooftops. The Superintendent of Police was also present at the scene and appealed to the crowd to return to their homes, but the crowd did not comply and began pelting stones at the Police. A Mahila Police force was called. The violent crowd attacked the Superintendent of Police and his PRO. On the arrival of additional Police force and Mahila Police, the crowd dispersed. Around 1:30 PM, he reached Anjuman Chauraha with accompanying forces and QRT Chaudhary Sarai and the second QRT was sent to Delhi Darwaza. The crowd was dispersed using non-lethal plastic pellets, cane shields, and batons. After the situation was brought under control, around 2:00 PM, he and the injured accompanying personnel reached the District Hospital, Sambhal, for medical examination and then returned to the area to maintain peace and order. A total of 11 cases were registered in

connection with the attack on the Police and the riots, and 25 Police officers, administrative officers, and personnel were injured during the riots. The rioters caused damage and arson to a total of 12 private and public properties.

It also stated that on November 24, 2024, the rioting crowd carried out pre-planned lethal firing on Police personnel. After November 19, 2024, preparations for the riots were made in a planned manner and local disruptive elements were provoked to incite violence at the Jama Masjid. This incident was entirely pre-planned and transformed into a riot due to the coordination of anti-national elements. During the riots, among the rioters, one named Kaif was found injured at a location where spent cartridges of 9mm calibre from the Pakistani Ordnance Factory (POF) were found, lending credence to the fact that foreign elements or those associated with them were involved in the riots. The rioters, armed with illegal weapons, were deliberately firing in the direction of other rioters to escalate the incident in Sambhal, intending to have a provincial, national, and international impact. Local leaders played a significant role in the riots, inciting the rioters through provocative speeches at the Jama Masjid and spreading messages via mobile phones to gather crowds and create an environment conducive to riots. Neither he nor any of his accompanying personnel used lethal firearms during the riots; only tear gas guns and anti-riot guns were used as necessary to disperse the rioters.

Before the Commission, it was stated that the Survey was scheduled for November 24, 2024, and the Local Intelligence Unit (LIU) had provided information regarding sensitivity. Accordingly, forces were deployed at the mosque and surrounding areas. On November 22, 2024, during Friday prayers, the local MP arrived around 1:00 PM with a significant number of supporters. Generally, the MP does not offer prayers at the Jama Masjid and prays in his locality, Deepa Sarai. After prayers, he stood on the steps of the main gate of the Jama Masjid and addressed press/media persons, despite requests from Administration he continued his address, stating that no matter how many drones the Police deploy, “the mosque was, is, and will remain a mosque, and we must all protect it.” Through this, he sent a message to his supporters, adding that the Survey found nothing but the mosque. The officials again requested to avoid unnecessary gathering as provisions of Section 163 BNSS were in force, after which he moved to a nearby field and held another press conference.

The LIU had provided input that a large crowd could gather during the Survey. He held discussions with people from various sections and it became clear that MP Barq, MLA Iqbal Mahmood and mosque committee officials Zafar Ali, Laddan, and criminal elements were actively involved in this matter and were sheltering outsiders. After the incident on November 24, 2024, he assessed the situation and held discussions with several individuals. Interrogations of arrested accused revealed that four groups have always been influential in communal incidents in Sambhal and play

an active role: first, political ambitions; second, religious frenzy among the Muslim community in Sambhal town; third, the ambitions of the mosque committee members; and fourth, the active role of criminal gangs. Due to these ambitions, the current MP Mr Zia-ur-Rahman Barq and MLA Mr Iqbal Mahmood's son Suhel Iqbal played an active role in the incident and incited people.

On the night of November 23, 2024, MP Mr Zia-ur-Rahman Barq reached Delhi and later Bengaluru, but remained in contact with his supporters and Jama Masjid Chairman Mr Zafar Ali via mobile and WhatsApp late into the night. However, in a writ filed in the Honourable High Court, he claimed that he had no information about the second Survey scheduled for November 24, 2024, and had not discussed it with anyone, despite having WhatsApp and regular calls with Jama Masjid Chairman Mr Zafar Ali around 12:00 AM on November 23/24, 2024. Earlier, around 9:00 PM on November 23, 2024, the Circle Officer Sambhal and Sub-Divisional Magistrate Sambhal visited Zafar Ali's residence to serve a notice regarding the second Survey and, with his consent, finalized the Survey time from 7:00 AM on November 24, 2024. The current MLA of Sambhal, Mr Iqbal Mahmood's son Suhel Iqbal, who does not offer prayers at the Jama Masjid, reached the mosque between 5:00-5:30 AM on the day of the second Survey, November 24, 2024, and went to the nearby residence of Advocate Mr Mashhood Ali, where he held discussions with people. Around 6:30 AM, while checking duties, he was seen with several people at Advocate Mashhood Ali's residence. Senior officials and he requested him to

return to his residence due to the sensitive nature of the matter. He said he would leave soon but did not. It was later found that he met several people before prayers and played an active role in the violent incident from Advocate Mashhood Ali's residence after prayers. LIU inputs also indicated that during the Lok Sabha elections, both sides resolved their disputes, but it became clear that they superficially reconciled, while inciting their respective groups in the Jama Masjid matter to portray themselves as greater defenders of Muslim interests. The ambitions of the Jama Masjid committee members were also evident in this incident, with the current Jama Masjid Chairman Advocate Zafar Ali and Advocate Mr Mashhood Ali Farooqui representing two factions. Mashhood Ali Farooqui, from the Syed community, generally claims that the graves near the Jama Masjid, within its premises, belong to his ancestors, and the mosque and surrounding land belong to them. Both played an active role in the violent incident.

Previously, there was no information about outsiders being involved in the violent incident, but it was later found that people from Rampur, Shahjahanpur, Moradabad, Kanpur Dehat, and Amroha also participated actively. Additionally, those residing in mosques and madrasas in the Sambhal area were actively involved. Among those arrested, Haider and Ruknuddin from Sarai Mustafa, under Nakhasa Kotwali Police Station, were muazzims at the mosque. A review of the entire incident revealed that whenever riots occur in Sambhal, the Jama Masjid remains at the center. During riots in the urban area, crowds suddenly arrive from villages

along Sirsi Road, Chandausi Road, Gawan Road, Hasanpur Road, and Asmauli-Joya Road, engaging in looting, vandalism, and arson-related activities.

The Survey proceedings on November 24, 2024, began around 7:15 AM and concluded at 10:30 AM. Around 9:00 AM, he was present at the mosque, and the Jama Masjid Chairman announced on the microphone that the Survey was ongoing, there was no issue, and people should not gather and leave. During this time, water was drained from the mosque's Wazu khana (ablution area), which flowed through the mosque's drainage system. He was personally present at the barrier in that direction, with Jama Masjid committee members present above and a violent crowd in front. However, neither the Jama Masjid Chairman nor any other committee member attempted to clarify that this was a routine weekly process of emptying the Wazu khana. Instead, as the crowd became agitated, they went inside without saying anything.

The market near the Jama Masjid opens after 10:00 AM and closes around 9:00 PM. The shops behind the Jama Masjid have been illegally constructed, encroaching on the protected area, and are filled with large quantities of wood. The crowd's primary objective was to stop the Survey proceedings ordered by the Hon'ble Court, that is why they gathered in such large numbers, formed an unlawful assembly, and attacked with weapons. The crowd's intent was to reach the disputed site by causing arson and vandalism, harming the Police and attacking Advocate Vishnu

Shankar Jain and other Survey team members to prevent the Survey. After the Survey, the Police protected the Survey team and safely escorted them through the Hindu neighborhood toward Sarthal. During this, some members of the Hindu community in Sarthal welcomed them by raising “Jai Shri Ram” slogans.

Morning prayers at the Jama Masjid are held at 6:00 AM, followed by the second prayer around 1:30 PM, with worshippers arriving from 12:00 PM. Therefore, with the consent of Jama Masjid Chairman Mr Zafar Ali, the Survey time was set from 7:00 AM to 10:30 AM. Shops around the mosque open after 10:00 AM, and generally, such a large crowd never gathers near the Jama Masjid. Around 7:30 AM, thousands gathered near Warsi Gym, and thousands more came from the direction of Ektrat Ki Masjid. Among the arrested accused and deceased were individuals from Asmauli and Hayathnagar areas. During searches, no items other than those related to the case were found, indicating they had not come for shopping, nor was it time for prayers at the mosque. Despite three-layer barricading, they arrived stealthily through lanes. Twenty-one individuals were arrested at the scene, and other accused were identified through CCTV video footage, witness statements, photographs, and audio recordings.

C. ICW-1 Mr. Anuj Kumar Chaudhary, Circle Officer, Sambhal, stated that in compliance with the court’s order, under the directions of the District Magistrate, he, along with Mrs. Vandana Mishra (Sub-Divisional Magistrate, Sambhal), Mr. Manibhushan

Tiwari (Executive Officer, Municipal Corporation), plaintiff and defendant parties with their advocates, arrived at the Shahi Jama Masjid at 5:30 PM. The District Magistrate, Superintendent of Police, and other administrative and Police officials were also present. The Survey was conducted for about 1.30 hours. During the Survey, large crowds gathered around the Jama Masjid premises and nearby areas. The crowd, including supporters of MP Zia-ur-Rahman Barq and other political figures, began raising slogans against the Survey. Despite efforts to pacify the crowd, it appeared to be pre-planned, with disruptive elements inciting the mob, stating that the crowd would not disperse until the Survey team left the mosque. The Survey faced significant disruptions, and the mosque committee requested that the Survey be halted due to the scheduled namaz and it will be difficult to control the crowd. Consequently, the Survey could not be completed due to the interference and opposition from the political figures.

On November 22, 2024, MP Zia-ur-Rahman Barq, without permission from the district Administration and in violation of Section 163 BNSS, gathered a crowd at the mosque and held a press conference, expressing disagreement with the court's order. He called upon the specific community to unite in order to protect the Jama Masjid, inciting the crowd to gather, which was provocative and aimed at gaining political advantage. He also questioned the role and credibility of the district Police and Administration.

Following the announcement of the second Survey, the Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police held discussions with representatives of both sides and meetings with respected individuals from Hindu and Muslim communities were convened to explain the issue of Survey. On November 23, 2024, the results of the Kundarki Assembly by-election were declared, wherein the candidate of the Samajwadi Party lost. The MP and supporters of Samajwadi Party blamed the Police and Administration for the defeat and also questioned their impartiality. Angered by the election loss and the ongoing issue of Jama Masjid Survey issue, Samajwadi Party supporters and disruptive elements planned to obstruct the Survey and escalate the issue nationally and internationally and called upon the members of a specific community from Sambhal and other areas in a planned manner to gather at the Jama Masjid during the upcoming Survey to create unrest. MP Zia-ur-Rahman Barq left the area in a pre-planned manner.

On November 24, 2024, the remaining Survey was scheduled. Under the directions of the District Magistrate and Superintendent of Police, Police and administrative officials were deployed, and extensive security arrangements were made. He was assigned to maintain law and order at the Shahi Jama Masjid, with Inspector Anuj Kumar Tomar (Station House Officer, Kotwali Sambhal), who was deputed to assist him. At the time, when the Survey team entered the mosque, he was patrolling with his team and found that a large crowd had gathered near the sloping path of

the Jama Masjid. Magistrate Mr. Ramesh Babu (Deputy Collector) was also present, who explained to the crowd that Section 163 BNSS is in force and the Survey is being conducted under court orders, with members of mosque management committee present. Despite repeated attempts to pacify the crowd, the pre-organized mob did not relent. A large crowd gathered on the backside of Jama Masjid from the lanes of Delhi Darwaza, Hindupura Khera, and Hakimon Wali Masjid. Sub-Inspector Sanjeev Kumar and Inspector Anuj Kumar Tomar, stationed at the mosque's stairs, attempted to explain the court's order to the crowd using a loudhailer. The mob, consisting of thousands of unidentified individuals, snatched the pistol's magazine with cartridges of Sub-Inspector Sanjeev Kumar and assaulted both officers resulting in injury to them. The crowd turned violent, damaged CCTV cameras on houses and shops, set fire to the electric wires and a transformer. Sub-Inspector Sanjeev Kumar informed the control room on wireless, and all officials, including the Superintendent of Police, District Magistrate, and other Police and administrative personnel with riot control equipment, reached the spot. Despite efforts by senior officials to calm the mob, the crowd began pelting stones and raising slogans. Some individuals, with faces covered, shouted religious slogans such as **“Nara-e-Takbir, Allahu Akbar”** and **“Gustakh-e-Rasool ki ek hi saza, sar tan se juda”** (The only punishment for blasphemers is beheading). Some waved illegal weapons, knives, and swords, threatening to burn alive anyone who dared enter the mosque. Stones were thrown at the Police

from rooftops and four motorcycles, three cars parked on the road behind the mosque were set ablaze by the rioters. The mob advanced, pelting stones and firing with the intent to kill, creating an atmosphere of fear and terror. To restore law and order, minimal force was used, but it had no effect. During the unrest, the Circle Officer of Chandausi and the Sub-Divisional Magistrate were injured and the official vehicle of the Circle Officer, Mr. Santosh Kumar Singh, was vandalized. Around 9:00 PM, he sustained pellet injuries in his right leg and Inspector Anuj Kumar Tomar was also injured. Tear gas was used by the Police and PAC to disperse the crowd, causing smoke and irritation, which further enraged the mob. The crowd fired indiscriminately, threatening to slit the throats of the Survey team and anyone intervening. They threw back the tear gas shells at the Police. If the mob had entered the mosque, protecting the Survey team would have been extremely challenging and if they had entered the Hindu-dominated area near the mosque's main gate, a massacre was possible. The Police created a buffer zone to prevent the mob from entering the Hindu area, successfully averting a major violent incident. After the Survey team completed its work, they were safely escorted out of the mosque via Dhimaron Wali Gali towards Sarthal Chowki under Police protection. He lodged a case (FIR No. 334/24) against unknown persons at Kotwali Sambhal, and underwent medical treatment, during which two metallic pellets were removed from his right leg. After the situation was controlled, the local field unit inspected the site. At the spot where the deceased, Mohammad

Kaif, was found injured, two misfired cartridges were recovered-one marked "FNN" and another marked "POF 9mm 68-26." The recovery of foreign cartridges suggests the involvement of organized criminals or rioters in a larger conspiracy.

Before the Commission, he stated that on November 19 and 24, 2024, Suhel Iqbal, son of Iqbal Mahmood (MLA), was present with anti-social elements, with the intent to interfere in the Survey. On November 24, 2024, Suhel Iqbal was present at the residence of the member of mosque management committee, Mashhood Advocate, just 20 meters away from the Jama Masjid, before the Survey began.

On November 22, 2024, after Friday prayers, MP Zia-ur-Rahman Barq addressed the congregation and press from the mosque's stairs, stating that he disagreed with the court's order and urged everyone to protect the mosque, saying, "**Masjid thi, masjid hai, aur masjid rahegi, kayamat tak.**" CO witnessed this statement broadcast on TV channels. He alleged that the riot was incited by MP Zia-ur-Rahman Barq and others, angered by the court's order of November 19, 2024, to prevent the Survey from being completed. The Survey time was set at 7:00 AM after consultation with the mosque committee, as namaz is offered at 6:00 AM and thereafter at 1:00 PM. On November 23, 2024, at 6:00 PM, he and the Sub-Divisional Magistrate visited the mosque committee president's house, where the Survey time at 7:00 AM was finalized with his consent. From Barq's press conference on

November 22, 2024, it was evident that a volatile atmosphere was being deliberately created for political gain. The incident was a result of a conspiracy by the mosque committee, MP Barq, Suhel Iqbal, and anti-social elements. The Survey team was evacuated via Kotpurvi Mohalla, a Hindu-dominated area, where local residents raised “Jai Shri Ram” slogans upon seeing the team. They noted that the rioters did not damage Suhel Iqbal’s vehicle, while other vehicles were damaged.

D. ICW-192 Mr Anuj Kumar Tomar, SHO Kotwali Sambhal, stated in his affidavit that on 01.10.2024, the District Magistrate Sambhal, anticipating disruption of peace due to upcoming events, examinations, festivals, and competitive exams, leading to potential bitterness and disturbance of public peace, enforced Section 163 of the BNSS until 30.11.2024. On 19.11.2024, Police force was provided for peaceful Survey in pursuance of the court's order through appointed Court Commissioner. The Commissioner conducted a survey for about one and half hour at Jama Masjid premises in the presence of learned advocates and others, including members of the management committee of Jama Masjid. A significant disruption occurred, on account of a large crowd, including MP Zia-ur-Rahman Barq and other political figure’s supporters, gathered inside and outside of the Jama Masjid, raising slogans against the Survey. The mosque committee stated that it’s time for scheduled prayers and controlling the crowd would be difficult, leading to the Survey’s suspension. Due to active participation and opposition by political figures, the Survey could

not be completed on 19.11.2024. To maintain law and order, on 20.11.2024, challans were issued under Sections 126/135 BNSS against the Jama Masjid committee and individuals like Kasif, Soheil Iqbal, Rashid Ali, Abdul Vadoom Khan, Akash Ruhela, Shadab Warsi, Kari Mumtaz and Iftikhar. On 21.11.2024, the SP, Additional SP North, CO and he organized a meeting with religious leaders, prominent individuals and Jama Masjid committee members, appealing for cooperation and peace during the Survey. Bilal, son of Anees, posted on social media to gather the maximum number of people at Jama Masjid on Friday. Messages were forwarded in the Sambhal MP WhatsApp group to assemble at Jama Masjid (WhatsApp chat screenshot attached). On 22.11.2024, Police from all the districts of Moradabad range were deployed for Friday prayers. After prayers, Sambhal MP Zia-ur-Rahman Barq, without administrative permission, gathered a crowd at Jama Masjid's gate, held a press conference, and gave a speech, expressing disagreement with the court's Survey order for Shahi Jama Masjid, urging the Muslim community to unite for its protection for political gain, saying, "Jama Masjid is ours, will remain ours, no one can snatch it, we are all ready to protect it," calling for opposition of the Survey despite Section 163 BNSS being in effect. Considering the gravity, a notice under Section 168 BNSS was issued to MP Zia-ur-Rahman Barq on 23.11.2024. On 23.11.2024, the DM and SP ordered completion of the Shahi Jama Masjid Survey on 24.11.2024. On 23.11.2024, duty points were identified for Police deployment, barricading was done where

needed and duties were assigned by the Additional SP North. On 24.11.2024, the Survey team and both parties' members were allowed entry into Jama Masjid at 7:30 AM. At the same time, Sohail Iqbal s/o Sambhal MLA, Mahmood Iqbal, was present with supporters near Advocate Mashhood Farooqui's house, attempting to enter the mosque. He was stopped and told the Survey was in pursuance to the court's order and asked to leave peacefully. Instead of going home, Sohail Iqbal went into Mashhood Farooqui's house, who is also a mosque caretaker. SHO then patrolled the areas behind Jama Masjid with accompanying Police. Around 8:45 AM, a crowd of thousands began gathering slowly from Delhi Darwaza, Hindupura Kheda, and Hakimon Wali Masjid lanes behind Shahi Jama Masjid, with most having masked faces. He tried to explain to the crowd via loudspeaker, repeatedly reading the court order and urging them to return home. Some in the crowd began loudly chanting religious slogans (**"Nara-e-Takbir, Allah-hu-Akbar, Gustakh-e-Rasool ki ek hi saza, sar tan se juda"**). They picked up bricks and stones, pelted heavily while advancing towards Jama Masjid. The stone-pelting injured Police, and the crowd in a planned manner tried to snatch Police weapons. During the looting, Sub-Inspector Sanjeev Kumar's 9mm pistol magazine with 10 cartridges and Constable Kapil Kumar's two boxes with 24 tear smoke gas shells and 5 rubber bullets were looted. A tear smoke shell from Kapil Kumar's gas gun barrel was fired in the air during the scuffle. The crowd set fire to Police and public four- and two-wheelers on the road, burned electrical

transformers and cables, and broke CCTV cameras, glasses outside nearby houses. The aggressive crowd pelted stones and fired at Police, injuring SHO, Constables Kapil Kumar, Pankaj Kumar, Rajpal Singh, Sher Singh and Sub-Inspector Sanjeev Kumar. The incident was reported to senior officers via RT set. Additional Police and PAC forces with riot control equipment arrived. The violent incident injured 26 Police/administrative officers/staff and four rioters died. In this case, government riot control equipment, including 14 cane shields, 21 body protectors, 17 batons and 19 helmets, were damaged by rioters' stone-pelting. Rioters looted 10, 9mm cartridges with a magazine, 24 tear smoke shells, 5 rubber bullet shells, 25 blank cartridges, 25 plastic pellets and 15, 12-bore cartridges from Police on duty. Sub-Inspector Sanjeev Kumar filed FIR No. 333/24 at Kotwali PS against Hasan and others. During this serious situation, he and accompanying senior officers fired tear gas shells, chili grenades, rubber bullets and rubber pellets. The crowd fired indiscriminately while advancing and pellets hit both his legs, endangering Police and the Survey team's lives and property. Considering the situation, he fired two warning shots in the air from his pistol. Had necessary force not been used, rioters would have set the city ablaze, as in past riots. Had rioters entered the mosque, protecting the Survey team's lives would have been extremely difficult and entry into the Hindu population near the mosque's main gate could have led to a massacre. Police created a buffer zone, preventing rioters' entry into Hindu areas, achieving significant success in averting a major

violent incident. Amid the chaos, after the Survey team completed the Survey, Police safely evacuated them from Shahi Jama Masjid via Dheemro Wali lane to Sarthal Chowki. With Police assistance, 21 rioters were caught while fleeing. Searches recovered a pistol, live cartridges, and looted plastic pellets and blank cartridges from some rioters. While chasing rioters, four injured individuals Mohammad Kaif, Mohammad Hasan, Naeem, and Mohammad Azeem were found and sent to the district hospital for treatment. An audio from accused Sameer's mobile revealed talks with Waris about bringing "material" during the incident. In Sambhal, "material" typically refers to illegal weapons (audio attached in pen drive). Post-riot, the incident site was inspected and nearby drains were cleaned with a metal detector (HHMD) and municipal workers helped in the presence of LIU and Field Unit for evidence collection, recovering a foreign 12-bore shell marked "Made in USA," with a seizure memo prepared. Notably, provocative, inciting, and misleading statements by public representatives/responsible individuals led miscreants to orchestrate violence on 24.11.2024, joining non-local rioters in arson, firing and stone-pelting. Before the Commission, SHO stated that this sequence began on 19.11.2024, culminating in the 24.11.2024 riot. Drones were used for monitoring on 22.11.2024 and 24.11.2024. On 22.11.2024, when Barq Sahib spoke on Jama Masjid's steps, he was there. On 23.11.2024, the Section 168 BNSS notice was served to Barq Sahib's father as he was unavailable. On 24.11.2024, about 4,000–4,500 people surrounded

the mosque, 100–150 meters from them. He filed FIR No. 337/24, arresting 21 people. The incident was anticipated between 19.11.2024 and 24.11.2024 and was preplanned. The main orchestrators, in his view, the Jama Masjid committee president Zafar Ali, other members, and local political representatives incited and gathered the crowd. On 24.11.2024, Soheil Iqbal repeatedly mingled with the crowd, went inside Mashhood Ali Farooqui's house and stayed in contact via mobile. Around 9:30 AM, the crowd became aggressive, seemingly receiving a secret message. The main cause was the Jama Masjid Survey.

E. ICW-2 Mr Rajeev Kumar Malik, Inspector-in-Charge, Kaila Devi Police Station, Sambhal District, stated that he had sent his affidavit to the Commission. He verified the affidavit sent by him as Exhibit K-2.

In the affidavit, it is stated that in the case no. 182/2024, Harishankar Jain etc. vs. Union of India etc., filed in the Hon'ble Civil Judge (Senior Division) Court, Sambhal, the Hon'ble Court had appointed a Court Commissioner for the Survey of Shahi Jama Masjid. On 19.11.2024, the Survey team arrived to conduct the Survey of Shahi Jama Masjid. His duty was assigned for maintaining law and order at the sloping barrier intersection near Shahi Jama Masjid. Before entering the Jama Masjid, MP Zia-ur-Rahman Barq parked his vehicle at the sloping barrier intersection road behind the mosque. He informed Mr Barq that the Survey was being conducted under the orders of the Hon'ble Court

and his presence was not required for the Survey, but he did not take note of the same. Along with his supporters, he forcibly tried to enter the mosque. When he attempted to stop them, Mr Barq and his supporters raised slogans and forcibly entered Shahi Jama Masjid. They did not allow the Survey team to complete the Survey. Due to the MP's opposition, the Survey could not be completed. The Survey team left, stating that the Survey would be conducted again.

As per the order dated 23.11.2024, his duty was assigned at Sector-2, at the slope and stairs behind the mosque, above the sloping intersection. On 24.11.2024, he was present on duty with his accompanying personnel. Besides him and his accompanying personnel, the Deputy Collector Headquarters, Circle Officer Chandausi and other Police personnel were also deployed on duty. Around 08:50 AM, a crowd began gathering at the rear part of the mosque. The youths in the crowd had covered their faces with clothes and masks to conceal their identities. The Police and administrative officers present at the scene were trying to reason with the gathered crowd. Meanwhile, some individuals in the crowd started raising religious and provocative slogans from within the crowd and the crowd began pelting stones heavily at the Police force and attempted to enter the mosque. Four motorcycles and three cars parked at the rear part of the mosque were set on fire and nearby CCTV cameras, electric wires, and transformers were damaged. The stone-pelting by the violent crowd injured Police personnel on duty. During this, a message was broadcasted from

the District Control Room to use tear gas on the crowd. In compliance, the Police officers present at the scene fired a few tear gas shells under their control on the violent crowd, which further enraged the crowd. Raising religious slogans, they began pelting stones heavily at the Police force from nearby lanes. When the Police and administrative officers made further efforts to reason with the rioters, firing was also initiated from the crowd toward the Police force. This caused injuries to Police and administrative officers/employees. During the stone-pelting, he was also injured. Subsequently, the officers ordered the use of minimal force, and in compliance, the Police force used riot control equipment to control the crowd. The violent crowd dispersed and 21 individuals who were pelting stones and firing at the Police were arrested from the fleeing crowd. After the situation was brought under control, he went to the District Joint Hospital for medical treatment. Due to the stone-pelting by the crowd, his left wrist was fractured. He is an eyewitness to the incident.

Before the Commission, he stated that he described the incident as he saw and heard in his affidavit. His duty was assigned at Jama Masjid for law and order on 19.11.2024 and 24.11.2024. On 19.11.2024, during the Survey, the MP and his 25-26 supporters forcibly entered the mosque during the Survey, obstructing the Survey. When he tried to stop them, they started raising religious slogans like **"Allah-hu-Akbar"** and **"Nara-e-Takbeer."** They also said things like, **"Just as our mosque was taken in Ayodhya, we will not let this one be**

taken." The riot was caused by MP Zia-ur-Rahman Barq and his supporters inciting people. They conspired for the riot on 24.11.2024. The rioters primarily aimed to target the Survey team. In his 30 years of service, he had seen many riots, but he had never witnessed such a horrific scene. Among the individuals arrested during the riot, one was from Shahjahanpur.

F. ICW-3 Mr Harish Kumar, Inspector-in-Charge, Rajpura Police Station, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-3.

In the affidavit, it is stated that, keeping in view the Survey of Shahi Jama Masjid, he was assigned duty at Sector-16 at the sloping intersection barrier as per the order dated 23.11.2024. In compliance, he was present at the duty with his accompanying personnel on 24.11.2024. Besides him and his accompanying personnel, the Deputy Collector Headquarters, Circle Officer Chandausi and other Police forces were also deployed on duty. Around 08:50 AM, a crowd began gathering at the rear part of the mosque. The youths in the crowd had covered their faces with clothes and masks to conceal their identities. The Police and administrative officers present at the scene were trying to reason with the gathered crowd. Meanwhile, some individuals in the crowd started raising religious and provocative slogans from within the crowd, and the crowd began pelting stones heavily at the Police force and attempted to enter the mosque. Four motorcycles and

three cars parked at the rear part of the mosque were set on fire, and nearby CCTV cameras, electric wires, and transformers were damaged. The stone-pelting by the violent crowd injured Police personnel on duty. During this, a message was broadcasted from the District Control Room to use tear gas on the crowd. In compliance, the Police officers present at the scene fired a few tear gas shells under their control on the violent crowd, which further enraged the crowd. Raising religious slogans, they began pelting stones heavily at the Police force from nearby lanes. When the Police and administrative officers made further efforts to reason with the rioters, firing was also initiated from the crowd toward the Police force. This caused injuries to Police and administrative officers/employees. During the stone-pelting, he was also injured. His left elbow was injured. Subsequently, the officers ordered the use of minimal force and in compliance, the Police force used riot control equipment to control the crowd. The violent crowd was dispersed, and 21 individuals who were pelting stones and firing at the Police were arrested from the fleeing crowd. After the situation was brought under control, he went to the District Joint Hospital for medical treatment. He is an eyewitness to the incident.

Before the Commission, he stated that he has written all his statements in the affidavit. Apart from this, he has nothing more to say. The crowd was raising provocative slogans like **"Allah-hu-Akbar."**

G. ICW-4 Mr Meghpal Singh, Inspector-in-Charge, AHT, Sambhal District

He stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-4.

In the affidavit, it is stated that he has been posted as Inspector-in-Charge, AHT, Sambhal, since 19.11.2023. As per the order of the Superintendent of Police dated 26.11.2024, he was appointed as the investigating officer for Case Crime No. 339/24 under Sections 125, 103(1) BNS against unknown persons. On 26.11.2024, the complainant, Mr Kamil, son of Hanif, registered the aforementioned case against unknown accused persons. During the investigation, he, the investigating officer, recorded the statements of the complainant and other circumstantial witnesses. The complainant, in his statement under Section 180 BNSS, supported the FIR and stated that on 24.11.2024, the Sunday, he was having breakfast at home. His younger brother, Ayan, left home around 10:00 to 10:30 AM, saying that he was going to work at Shane Darbar Hotel. Around 11:00 AM, some people brought my brother Ayan in an injured condition to the front of his house, saying that Ayan had fallen in the crowd and was injured. He saw that blood was flowing from Ayan's chest. People in the neighborhood advised to take him to Moradabad Hospital. He took him to Moradabad, where the doctors referred him due to his serious condition. He then took his brother to TMU, Pakbara. When he asked his brother Ayan how this happened, he said that he had

gone with some boys near Jama Masjid, where a fight was going on. He fell there, and when he got up, he was shot and fell again. Ayan died during treatment. The inquest and postmortem report of the deceased Ayan were examined. The postmortem revealed blackening due to a gunshot injury, which supports the fact that Ayan was shot from 2-3 feet away. The clothes of the deceased Ayan were sent to the forensic laboratory for examination, and the test report is still awaited. Evidence collection is ongoing.

The Hon'ble Civil Judge (Senior Division) Court, Sambhal, in Case No. 182/24, Harishankar Jain etc. vs. Union of India etc., passed an order on 19.11.2024, appointing a Court Commissioner to conduct a Survey of Shahi Jama Masjid. In compliance with the order, the Survey of Shahi Jama Masjid was being conducted. Due to an increase in the crowd and darkness, the Survey remained incomplete. On 24.11.2024, the Survey of Jama Masjid was scheduled from 07:00 AM to 11:00 AM. Both parties were informed on 23.11.2024. On 24.11.2024, the Survey began at 07:30 AM. A crowd began gathering around the mosque and around 08:45 AM, the crowd turned violent, pelting stones, firing, and committing arson, looting government ammunition. During the riot at the rear of Jama Masjid, indiscriminate firing by the rioters injured Police officers, personnel and some rioters. Without regard for their lives, the Police controlled the riot and arrested 21 individuals involved in the riot on the spot. Some of them were found with cartridges looted from the Police and illegal firearms and cartridges used by the rioters in the incident. Four rioters were found injured and were

sent to the hospital for treatment, with the help of the Police force. In this riot, Ayan, son of Hanif, along with several other rioters, was injured in the gunfire and stone-pelting by miscreants involved in the violent crowd. Ayan died during treatment.

Before the Commission, he stated that in the case he is investigating, one arrest has been made, named Mulla Afroz, who is also related to other cases.

H. ICW-5 Mr Sant Kumar, Crime Branch, Bahjoi, Sambhal District

He stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-5.

In the affidavit, it is stated that he is posted as an Inspector at the Crime Branch, Sambhal District. As per the order of the Superintendent of Police, Sambhal, dated 26.11.2024, he was appointed as the chief investigating officer of a special investigation team for the investigation of Case Crime No. 338/24 under Section 103(1) BNSS, registered at Sambhal Police Station. The case was registered on 25.11.2024 at Kotwali Sambhal and the investigation was initially conducted by Inspector-in-Charge, Mr Anuj Kumar Tomar.

It is also informed that on 19.11.2024, the Survey of Shahi Jama Masjid was being conducted in the presence of both parties. During the Survey, due to an increase in the crowd inside Jama Masjid and their obstruction, the Survey could not be completed.

On 24.11.2024, the Survey of Shahi Jama Masjid was scheduled to start at 07:00 AM, and both parties were informed on 23.11.2024. The Survey began peacefully at 07:30 AM in the mosque premises. Meanwhile, a crowd gradually began gathering around Jama Masjid. The Police and administrative officers deployed for the security of the Survey tried to reason with the crowd and asked them to return to their homes. At around 08:45 AM, the crowd turned violent, pelting stones, firing and committing arson, looting government ammunition. During the riot at the rear of Jama Masjid, indiscriminate firing by the rioters injured Police officers, personnel, and some rioters. During treatment, four rioters died. Among the rioters, the complainant's brother, Naeem, aged about 35 years, died. Based on the written complaint, Case Crime No. 338/24 under Section 103(1) BNS was registered against unknown persons at Kotwali Police Station. During the investigation, he recorded the statements of the complainant, Mr Tasleem, under Section 180 BNSS. He stated that on 24.11.2024, his brother Naeem was going to the market to buy goods. A large crowd had gathered behind Jama Masjid during the Survey and his brother went there. The violent crowd pelted stones at the Police and to stop the crowd, the Police fired tear gas shells, which caused a lot of smoke. In that smoke, firing took place in the crowd and his brother Naeem was shot. He took him to the hospital, where his brother was declared dead. The complainant's statement under Section 183 BNSS was recorded in the Hon'ble Court, where he stated that Naeem was shot in the crowd amidst excessive tear

gas smoke behind Jama Masjid. During the inspection of the incident site, missed cartridges and empty shells were recovered. Upon examining the inquest and postmortem of the deceased, five injuries were found on Naeem's body and the time of death was determined to be about half a day prior. The forensic laboratory team conducted a scene recreation and the deceased Naeem's clothes were sent to the forensic laboratory. The investigation is ongoing. It is also informed that on the day of the incident, 24.11.2024, his duty was assigned at the Post Office intersection on the road leading to Shahi Jama Masjid.

Before the Commission, he stated that in the case he is investigating, no arrests have been made so far. The incident on 24.11.2024 was a planned conspiracy to obstruct the implementation of the court's order. The deceased Naeem was among the rioters.

I. ICW-6 Mr Rajnish Kumar, Crime Branch, Bahjoi, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-6.

In the affidavit, it is stated that he is currently posted at the Crime Branch, Sambhal, at the office of the Superintendent of Police, Sambhal. As per the order of the Superintendent of Police dated 26.11.2024, he is the investigating officer for Case Crime No. 140/24 under Section 103(1) BNS against unknown persons at Kotwali Sambhal Police Station. A special investigation team was formed, with him as the chief investigating officer, Sub-Inspector

Vinod Kumar as the assistant investigating officer, and Constable Ankit Kumar as the assistant. On 26.11.2024, the complainant, Mr Salman, registered the aforementioned case regarding the death of his brother Bilal on 24.11.2024, during the violence by rioters opposing the Survey of Shahi Jama Masjid, Sambhal. The investigation was initially started by Inspector-in-Charge Mr Anuj Kumar Tomar at Kotwali Sambhal Police Station. In compliance with the order of the Superintendent of Police, he took over the investigation on 28.11.2024. During the investigation, he recorded the statements of the complainant, witnesses, inquest witnesses, and eyewitness Police officers. CCTV footage was reviewed, and the incident site was inspected. Based on this, it is found that the death of the deceased Bilal occurred on 24.11.2024 during the violence by rioters opposing the Survey of Shahi Jama Masjid in the Kotgarvi Mohalla behind the mosque in Sambhal. The investigation is ongoing.

Before the Commission, he stated that during the investigation, an accused named Mulla Afroz was arrested. The accused confessed to the incident, stating that Bilal and Ayan were shot by his bullets and according to him, the incident on 24.11.2024 was a planned event.

J. ICW-7 Mr Satyavijay Singh, Inspector, Crime Branch, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-7.

In the affidavit, it is stated that he is currently posted at the Crime Branch, Sambhal, at the office of the Superintendent of Police, Sambhal. As per the order of the Superintendent of Police, Sambhal, dated 26.11.2024, the investigation of Case Crime No. 306/24 under Section 103(1) BNS against unknown persons at Nakhasa Police Station was assigned to a special investigation team and he took over the investigation on 29.11.2024. The case was registered on 25.11.2024 by the complainant, Mr Mohammad Husain, regarding the murder of his son, Mohammad Kaif, near Dariyasir while coming from Khaggusarai, against unknown accused persons. The investigation was initially started by Inspector-in-Charge Mr Gajendra Singh and subsequently he took over the investigation on 29.11.2024. After taking over the investigation, he recorded the statements of the complainant, witnesses, inquest witnesses and eyewitness Police officers/employees. At the location, where the deceased Mohammad Kaif was found injured, one empty cartridge and one misfired cartridge were recovered. Based on this, it is found that the death of the deceased Mohammad Kaif occurred on 24.11.2024 during the violence by rioters opposing the Survey of Shahi Jama Masjid in the Kotgarvi Mohalla behind the mosque in Sambhal. The investigation is ongoing.

Before the Commission, he stated that the investigation so far clearly indicates that the deceased Mohammad Kaif was among the rioters.

K. ICW-8 Mr Amarpal Singh, Crime Branch, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-8.

In the affidavit, it is stated that he is currently posted at the Crime Branch, Sambhal, at the office of the Superintendent of Police, Sambhal. As per the order of the Superintendent of Police dated 26.11.2024, he took over the investigation of Case Crime No. 333/24 under Sections 191(1), 190, 115(2), 352, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 310(2), 311, 317(3), 223(B), 191(3) BNS and 25(1A)/(AB) Arms Act against Hasan and seven other named individuals and 800-900 unknown persons on 30.11.2024 after the formation of a special investigation team. The case was registered by Sub-Inspector Sanjeev Kumar, and the investigation was initially started by Sub-Inspector Mr Deepak Rathi. From 30.11.2024 to 06.01.2025, he recorded the detailed statement of the complainant, statements of eyewitnesses related to the incident, arrested the accused, and recovered cartridges looted from the Police in possession of the accused from juvenile offender Aman, Mohammad Husain and Zaid, during their remand, Sections 309(4) and 25(1AAA)(1B)(A) Arms Act were omitted and Sections 310(2), 311, 317(3) BNS and 25(1A)/(AB) Arms Act were added.

On 19.11.2024, the Survey of Shahi Jama Masjid was being conducted in the presence of both parties. During the Survey, due to an increase in the crowd inside the mosque and darkness, the Survey work was obstructed and the Survey could not be

completed. On 24.11.2024, the Survey was scheduled from 07:00 AM to 11:00 AM and both parties were informed on 23.11.2024. The Survey began at 07:30 AM and the work was proceeding peacefully in the mosque premises. Meanwhile, a crowd began gathering around the mosque. The Police and administrative officers tried to reason with the crowd, but at around 08:45 AM, the crowd turned violent, pelting stones, firing, and committing arson, looting government ammunition. During the riot at the rear of Jama Masjid, indiscriminate firing by the rioters injured some Police officers, personnel and some rioters. During treatment, four rioters died. Sub-Inspector Sanjeev Kumar registered Case Crime No. 333/24 against Hasan and seven other named individuals and 800-900 unknown persons. In his investigation, so far, a total of 87 accused have come to light and including the named accused, the total number of accused is 94, of which 37 accused have been arrested and sent to judicial custody.

Before the Commission, he stated that after submitting the affidavit, one accused, Mulla Afroz, was arrested, and on his identification, 15 blank cartridges looted from the Police during the incident were recovered.

L. ICW-9 Mr Amit Kumar, Inspector, Crime Branch, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-9.

In the affidavit, it is stated that he is the investigating officer for Case Crime No. 337/24 under Sections 191(2), 191(3), 190,

109(1), 125(A), 125(B), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(B), 326(F) BNS, Section 7 CLA Act, Sections 3/4 Public Property Damage Prevention Act and Sections 3/25/27 Arms Act against Shadab and others.

On 19.11.2024, the Hon'ble Court passed an order for the appointment of a Court Commissioner to Survey the Shahi Jama Masjid. In compliance, the proceedings were initiated, but due to disruptions caused by local MP Zia-ur-Rahman Barq and the son of the local MLA, Suhel Iqbal, the Commission's work had to be postponed. On 24.11.2024, the Commission resumed work from 07:00 AM. During the Commission's proceedings, a crowd gathered from the lanes around the mosque and this crowd turned into a violent mob, starting to create noise and raise slogans. Opposing the Commission, they began heavy stone-pelting and firing on the Police force and set fire to three cars and four motorcycles parked nearby. The incident caused injuries to Police personnel. On use of force by the Police, the crowd dispersed. After the incident, during a site visit, four individuals from the violent crowd were found injured. Inspector-in-Charge, Sambhal, Anuj Kumar Tomar, registered the aforementioned case at Kotwali Sambhal Police Station. The investigation was initially started by Inspector Mr Haroon Khan, who brought 61 other individuals to light during his investigation. On 26.11.2024, the Superintendent of Police formed a special investigation team and assigned the investigation to him. He began the investigation on 30.11.2024. During the investigation, he recorded the detailed statement of the

complainant, conducted an in-depth inspection of the crime scene with the field unit, local intelligence unit and members of the municipal council team at the complainant's identification and recovered one tear gas shell, two 0.32 bore empty cartridges, two 12 bore empty cartridges, one 9mm empty cartridge and one misfired cartridge and prepared a sketch map of the incident site. Among the recovered cartridges, one 9mm empty cartridge was manufactured by Pakistan Ordnance Factory (POF) and one 12 bore empty cartridge was made in the USA. Through photographs, two youths, Tanveer and Sharik, involved in the incident were identified and arrested and sent to judicial custody. Statements of the injured and eyewitnesses were recorded, who fully supported the incident. Medical examination reports of the injured were obtained, reviewed and the statement of the medical officer was recorded, who confirmed firearm injuries on the bodies of Mr Shirish Chand, Additional Superintendent of Police (North), Mr Anuj Kumar Chaudhary, Circle Officer, and Mr Anuj Kumar Tomar, Inspector-in-Charge. The crime scene was reconstructed with the help of experts. Based on video evidence related to the incident, accused Azam Khan, Shahad, and Javesh Akhtar were identified, arrested and sent to judicial custody. In connection with the incident in the Nakhasa area, accused Rehan was arrested in Case Crime No. 305/24 registered at Nakhasa Police Station. Inspector-in-Charge Mr Radheshyam recorded his statement, who stated that during the incident, Suhel Iqbal, son of Sambhal MLA Mahmood Iqbal, was present at the house of Faruqi, an advocate,

near the mosque. Based on videography and photographs of the incident, Saleem, Arshad and Dilnawaz were arrested and sent to judicial custody. During the investigation, in addition to 21 named accused, 73 other accused have come to light and a total of 39 accused have been arrested and sent to judicial custody. The investigation is ongoing.

Before the Commission, he stated that at the time of submitting the affidavit, 39 people had been arrested in the case under investigation, which has now increased to 51. In addition to the 21 previously named accused, 73 others had come to light, and now the number of accused brought to light is 86, making the total number of accused 107.

M. ICW-10 Mr Satyendra Singh Pawar, Inspector, Crime Branch, Bahjoi, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-10.

In the affidavit, it is stated that Case Crime No. 305/24 under Sections 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 324(5), 326(G), 309(4), 223, 132 BNS, Section 7 CLA Act, and Sections 2/3 Public Property Damage Prevention Act against Gulubuddin Hikmatyar and five others and 150-200 unknown persons was registered at Nakhasa Police Station. The investigation was initially started by Sub-Inspector Mr Nitin Gautam. As per the order of the Superintendent of Police dated 28.11.2024, a special investigation team was formed for the investigation of the above case and the

investigation was assigned to him. He has been conducting the investigation since 30.11.2024.

On 19.11.2024, the Hon'ble Court appointed an Advocate Commissioner to conduct a Survey of Jama Masjid, Sambhal. As per the orders of senior officers, Police forces were deployed at the mosque during the Survey on 19.11.2024, and the Survey team conducted the Survey. Subsequently, to complete the Survey, it was scheduled for 24.11.2024. Senior officers deployed sufficient Police forces around the mosque and in the areas of Kotwali Sambhal and Nakhasa Police Stations. The District Magistrate had already imposed prohibitory orders under Section 163 BNSS on 01.10.2024. That day, from the morning, a crowd began gathering at Jama Masjid. Due to rumors of excavation at Jama Masjid, the angry crowd started pelting stones and firing at the Police forces deployed around the mosque and set fire to Police vehicles. On the same day, at around 12:35 PM, crowd of about hundreds of people came from Anjuman Tiraha, Pakka Bagh, and Ekta Chowki towards Nakhasa Chauraha and broke the CCTV cameras installed on electric poles in front of the lane at Nakhasa Chauraha. The Police tried to reason with the rioters, but it had no effect. All of them, in unison, attacked the Police with hockey sticks, batons and bricks and stones with the intent to kill, completely disrupting public order. During this incident, the crowd snatched the magazine with 10 cartridges of the government-issued 9mm pistol of Sub-Inspector Mr Mohammad Shah Faisal at Nakhasa Chauraha, they also vandalized and set fire to his private Bullet motorcycle

and the government Leopard motorcycle of Nakhasa Police Station. In this incident, Sub-Inspector Shah Faisal, Constable Gopal, and Constable Nishant Malik were also injured. Based on the written complaint by Sub-Inspector Mohammad Shah Faisal, the aforementioned Case Crime No. 305/24 was registered at Nakhasa Police Station. The medical examination of the injured was conducted at the District Hospital. Based on the evidence collected so far, CCTV footage and statements of eyewitnesses, the investigation is being conducted by amending Sections 309(4), 223 BNS, and Sections 2/3 Public Property Damage Prevention Act to Sections 310(2), 223(B) BNS and Sections 3/4 Public Property Damage Prevention Act. In the aforementioned case, in addition to the six accused, 31 others have come to light, of which 13 accused are in judicial custody at Moradabad District Jail. The identification of the accused involved in the incident was based on CCTV cameras installed around the incident site and statements of witnesses. The investigation is ongoing.

Before the Commission, he stated that after submitting the affidavit, in the case he is investigating, Mohsin and Hasnain have also been arrested.

N. ICW-11 Mr Mohammad Shah Faisal, Sub-Inspector, Nakhasa Police Station, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-11.

In the affidavit, it is stated that he has been posted as Chowki In-Charge, Deepasaray, at Nakhasa Police Station, Sambhal District, since 14.03.2023. This chowki is highly sensitive from political, communal, and criminal perspectives. The chowki area is home to members of terrorist organizations such as Al-Qaeda and ISIS. Since the incident of 1976, the Sambhal area has remained continuously tense.

On 24.11.2024, in view of the Survey proceedings ordered by the Hon'ble Court, for maintaining peace, law and order, he, as Sub-Inspector, proceeded from the local Police station as per Report No. 22 at 08:24 AM with a 9mm pistol (No. 18210520) with ten 9mm cartridges, on his private Bullet motorcycle (UP 38 M 8166), along with Constable Gopal Singh with one tear gas gun and ten tear gas shells, Constable Nishant Malik with one anti-riot gun with 15 blank cartridges, 15 plastic pellets, riot control equipment and a wireless set, on the government Leopard motorcycle Apache (No. UP 38 AG 0168) of Deepasaray Chowki, for patrolling and reaching Nakhasa Chauraha. At around 08:30 AM, information started coming through the wireless set that a crowd was beginning to gather at Jama Masjid. As per the orders of senior officers, all duties were put on alert. At around 09:00 AM, it was learnt that the crowd was pelting stones, committing arson and attacking the Police forces around Jama Masjid. He remained at Nakhasa Chauraha with the accompanying Police force and the Police personnel present at the Nakhasa Chauraha barrier, maintaining peace and order. At around 11:00 AM, information was

received that a crowd had gathered at Pakka Bagh Chauraha, attempting to move towards Jama Masjid, throwing bricks and stones at the Police with the intent to kill, attacking with batons and sticks, and firing with illegal weapons. At around 12:35 PM, a crowd of about 150-200 people came from Anjuman Tiraha and Ekta Chowki towards Nakhasa Chauraha and broke the CCTV cameras installed on electric poles in front of the lane at Nakhasa Chauraha, attacked Police personnel with hockey sticks, batons, bricks and stones with the intent to kill. Public order was completely disrupted. He and the accompanying Police force tried extensively to reason with and stop the crowd, but they did not listen. Then, he informed the Inspector-in-Charge of Nakhasa Police Station and the Additional Superintendent of Police (North) about the incident via phone. The crowd, with the intent to kill, continued throwing bricks and stones, obstructing government work. The Police personnel used minimal Police force to drive the rioters back. The crowd repeatedly returned aggressively, in unison, with bricks and stones and continued pelting stones at them. The Police personnel kept trying to drive the crowd away. Meanwhile, a crowd of rioters from Pakka Bagh Chauraha reached Nakhasa Chauraha and began pelting stones at them with the intent to kill. They vandalized and set fire to his private Bullet motorcycle (No. UP 38 M 8166) and the government Leopard Apache (No. UP 38 AG 0168) parked on the roadside. When they tried to stop the rioters from doing so, some of them surrounded and grabbed him and attempted to snatch his government-issued

9mm pistol. He held the pistol firmly, but in the struggle, the rioters snatched the pistol's magazine with 10 rounds. During the defense, stones damaged two cane shields and one helmet. On arrival of the Police force, they used the necessary Police force to drive away the rioters. The bricks, stones, batons and sticks used by the rioters caused significant injuries to him and his companions, Gopal Singh and Nishant Malik. After this, he went to the Police station and submitted a written complaint regarding the incident, registering a case and all three of them received medical treatment at Sambhal District Hospital.

Before the Commission, he stated that he knew Sharik alias Satha, although he did not see him personally, he resides in his chowki area and his history sheet is open at the Police station. Among the people he recognized in the crowd were Samad, Hasan, Subhan alias Munna, who was leading the crowd, Gulabdeen, Sultan, Faizan and others. The magazine snatched by the rioters after surrounding him has not been recovered yet. The entire incident of 24.11.2024 was pre-planned and organized in advance to target the Police.

O. ICW-194 Vinod Kumar, Sub-Inspector, Kotwali Sambhal, stated in his affidavit that he is posted as Chowki In-Charge at Panjusarai Police Chowki. For the peaceful Survey, on 21.11.2024, the SP, CO Sambhal, and Inspector In-Charge organized a meeting with religious leaders, prominent individuals and Jama Masjid committee members, appealing for cooperation in

maintaining peace during the Survey. In the meetings with prominent individuals at Panjusarai, Ekta and Nakhasa chowkis in Kotwali also urged cooperation for peace. On 24.11.2024, during the Shahi Jama Masjid Survey, he was on duty at the graveyard stairs behind the mosque. Around 8:45 AM, a crowd began gathering from Delhi Darwaza and Hakimon Wali Masjid lanes, opposing the Survey and chanting religious slogans **“Nara-e-Takbir, Allah-hu-Akbar, Gustakh-e-Rasool ki ek hi saza, sar tan se juda”**. The crowd tried to enter the mosque, pelting bricks and stones at Police and administrative officials, attacking with petrol bombs with intent to kill. Some rioters had illegal weapons, firing at the Police party with intent to kill. Many policemen were injured. Deputy Collector Mr Ramesh Babu’s leg was fractured. He filed FIR No. 336/24 at Kotwali Sambhal and began its investigation. On 28.11.2024, the investigation was transferred to the Special Investigation Team.

Before the Commission, it is further stated that the crowd was sloganeering against Police and Administration, chanting religious slogans, trying to stop the Survey and attack the Survey team. They first raised slogans, tried to break barricades and when Police explained and tried to stop them, started stone-pelting. When Police fired tear gas shells, they began arson and firing. Many Police and public vehicles were burned and they fired at Police with intent to kill. Had the aggressive crowd entered Jama Masjid, the Survey team members could have been killed.

P. ICW-195 Mr Deepak Rathi, Sub-Inspector, Sambhal Kotwali Police Station Stated in his affidavit that he has been posted as a Sub-Inspector at Sambhal Kotwali Police Station since 30.11.2023 and is currently appointed as the In-Charge of Sarthal Police Outpost. The disputed site, Jama Masjid, is located within his outpost's jurisdiction. On 19.11.2024, a Survey team constituted by the Hon'ble Court, led by Advocate Mr Ramesh Singh Raghav as Court Commissioner along with other members, conducted a Survey of the Shahi Jama Masjid located in Sambhal town. On that day, the Survey proceedings could not be completed due to obstructions caused by MP Zia-ur-Rahman Barq and insufficient light. The MP, along with his supporters, including former District President Firoz Khan, Advocate Zafar Ali, and many others, were present at the mosque. MP Zia-ur-Rahman Barq told the Survey team that it was time for namaz, the crowd was becoming uncontrollable and a large number of people were gathered outside, urging the team to leave. He incited and made provocative statements to his supporters in the mosque, leading to the performance of namaz there. The MP deliberately obstructed the Survey, due to which it could not be completed. While descending the mosque's stairs, addressing press reporters, the MP stated that outsiders had filed a petition leading to the Survey and the court had passed an order. He remarked, "It is our right to decide whether we are satisfied with the court's order or oppose it. Lakhs of Muslims wanted to gather there. He is against the survey. This was a mosque, is a mosque, and will remain a mosque."

On 21.11.2024, a meeting was organized at Sambhal Police Station in the presence of religious leaders, maulanas, members of the mosque committee, Advocate Zafar Ali and others, presided over by the Superintendent of Police, to maintain peace and ensure compliance with Section 163 BNSS. Despite this, MP Zia-ur-Rahman Barq, being aware of the imposition of Section 163 BNSS in the Sambhal area, gathered a crowd without administrative permission on 22.11.2024 during Friday prayers at Shahi Jama Masjid and made provocative statements. He called for a specific community to unite and gather in large numbers to protect the Jama Masjid, which was intended to inflame the sensitive atmosphere. The MP stated, "Those who filed the Survey petition are mischievous elements. I am not satisfied with the court's order. I openly tell the Police Administration that even if they bring ten drone cameras here, this is a mosque, was a mosque and will remain a mosque until the Day of Judgment. This mosque was not built by demolishing any religious site. Islam teaches that one cannot forcibly build a religious place even on the land of a Muslim without their consent, let alone on another religious site. We will not be suppressed by the Police Administration or the government. We are the owners of this country, not slaves or servants. The Constitution is being strangled here; its sanctity is being torn apart. We will legally protect our Jama Masjid and God willing, we will do everything necessary to safeguard it. All of us have always been and will continue to be committed to protecting the Jama Masjid in every way. This mosque predates 1947 and we

will not let anyone snatch it.” Through these actions, the MP created distrust in the judicial process.

On 24.11.2024, during the remaining Survey proceedings, he was posted at the gate of Jama Masjid. Around 06:00 AM, he saw Suhel Iqbal, whom he knows well and who neither regularly visits this mosque nor offers prayers there, as his residence in Miyansarai is quite far from the mosque. He was also present here on 19.11.2024. On 24.11.2024, he arrived, parked his vehicle in the open field near the mosque, entered the mosque, stayed for about 40-45 minutes, and then came out. He made provocative statements, saying, “Why is this Survey happening? He will call his people in his own way. They will not let this Survey happen. Even if this place catches fire or anything happens, if the Survey takes place, it won’t be good.” He further said, “We are with Barq,” and after making these inflammatory remarks, he went to Mashhood Ali Farooqui’s house near the field. Mashhood Farooqui, being a Syed, has family graves next to the mosque and wants to maintain dominance over the Jama Masjid. To preserve this influence, Mashhood Farooqui allowed Suhel Iqbal to stay at his house, where he began contacting people via phone to incite the crowd. Shortly afterward, as the Survey was ongoing, a crowd gathered behind the mosque, raising slogans and creating a commotion. Loud shouting was heard. When he went to the back of the mosque near the Delhi Gate intersection, he saw hundreds of people pelting stones at the Police, damaging private and government Police vehicles, and setting them on fire. The crowd

was armed with sticks, batons, and illegal weapons, with some covering their faces to conceal their identities. During the stone-pelting and firing by the crowd, CO Anuj Chaudhary was shot in the leg and injured and several other Police personnel were also injured. This violence was a result of MP Zia-ur-Rahman Barq failing to fulfill his duties as a public representative, delivering provocative speeches in the mosque and inciting people in Sambhal, which led to violent acts by the crowd. He registered FIR No. 335/24 at Sambhal Kotwali Police Station against Zia-ur-Rahman Barq, Suhel Iqbal, and 700-800 unknown persons. The investigation of FIR No. 333/24 was assigned to him and on 28.11.2024, this investigation was transferred to a Special Investigation Team.

He further stated before the Commission that on 24.11.2024, his duty was at the main gate of Jama Masjid on the stairs. On 19.11.2024, during the first Survey, he was outside the mosque. Thousands of people were gathered behind the Jama Masjid. He saw Suhel Iqbal entering the mosque with 40-45 people; some went inside, while others stayed outside. During the Survey, the MP arrived with many people. On 19.11.2024, the MP gave a media byte. On 22.11.2024, he was on duty at Jama Masjid and in his presence, the MP delivered a speech on the mosque's stairs. The incident on 24.11.2024 was a well-planned conspiracy and he believes MP Zia-ur-Rahman Barq and Suhel Iqbal were its masterminds. The Jama Masjid Sadar facilitated the exchange of information. If the crowd had broken the Police cordon and entered

the mosque, an untoward incident could have occurred, potentially causing serious harm to the Survey committee members.

Q. ICW-196 Mr Sanjeev Kumar, Sub-Inspector, Kotwali Sambhal, stated in his affidavit that he is posted as Chowki In-Charge at Ekta, Kotwali Sambhal. On 19.11.2024, the Court Commissioner conducted a Survey in the presence of both parties. Due to a large crowd gathering at night, the Survey could not be completed, and on 24.11.2024, at around 6:30 AM, he, along with Head Constable Santosh Kumar, reached Shahi Jama Masjid for Survey security duty with riot control equipment, stationed at the stairs behind the mosque. During the Survey security duty, around 8:45 AM, a crowd of about 800–900 rioters began gathering slowly from the lanes of Hakimon Wali Masjid, Hindupura Kheda, and Fatehullah Sarai, about 100 steps before the Shahi Jama Masjid slope, intent on expelling the Survey team. The Inspector In-Charge, Kotwali Sambhal and he tried to reason with the crowd via loudspeaker, urging them to go home. However, the rioters, in a planned conspiracy, masked their faces with cloth and masks, hiding their identities, and began loudly chanting religious slogan **“Nara-e-Takbir, Allah-hu-Akbar, Gustakh-e-Rasool ki yahi saza, sar tan se juda”**. They were armed with illegal weapons, waving pistols, knives, and daggers, picking up bricks and stones, pelting heavily and advancing towards the Police, while hurling abuses. About 40–50 people approached, shouting, “Hasan, Azeem, Saleem, Rehan Ali, Mohammad Haider, Waseem, Ayan, loot all weapons and cartridges from the Police, set them on fire and kill

them.” They pelted stones and fired with intent to kill, looting their weapons and cartridges. In the scuffle, his 9mm pistol magazine with 10 cartridges, Constable Kapil Kumar’s two boxes containing 29 tear smoke shells, Pankaj Kumar’s 25 blank cartridges and 25 plastic pellets, and Constable Rajpal Singh’s small bag with 15, 12-bore pump gun cartridges were forcibly looted through assault. He filed a written complaint at Kotwali Sambhal, registering FIR No. 335/24 against Hasan and 7 others, plus 800–900 unknowns. The rioters caused significant damage to government property and the Police personnel, following prior orders and instructions from senior officers, did not use any lethal weapons on the aggressive crowd.

Before the Commission it is further stated that he was on duty in Sambhal on 19.11.2024, 22.11.2024, and 24.11.2024. He was injured in the incident on 24.11.2024 and the crowd had weapons. He has detailed everything in his affidavit. Had the aggressive crowd breached the security cordon and entered Jama Masjid, an untoward incident could have occurred.

R. ICW-12 Mr Gopal Singh, Constable, Nakhasa Police Station, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-12.

In the affidavit, it is stated that he has been posted as a Constable at Deepasaray Chowki, Nakhasa Police Station, since 29.09.2023. On 24.11.2024, in view of the Survey proceedings ordered by the Hon’ble Court, for maintaining peace, law and

order, he proceeded as per Report No. 22 at 08:24 AM from the local Police station, accompanying Sub-Inspector Mohammad Shah Faisal, with one tear gas gun and ten tear gas shells, along with Constable Nishant Malik with one anti-riot gun with 15 blank cartridges, 15 plastic pellets, riot control equipment, and a wireless set, on the government Leopard motorcycle Apache (No. UP 38 AG 0168) of Deepasaray Chowki, for patrolling and reaching Nakhasa Chauraha. At around 08:30 AM, information started coming through the wireless set that a crowd was beginning to gather at Jama Masjid. As per the orders of senior officers, all duties were put on alert. At around 09:00 AM, it was learned that the crowd was pelting stones, committing arson and attacking the Police forces around Jama Masjid. He remained at Nakhasa Chauraha with the accompanying Police force and the Police personnel present at the Nakhasa Chauraha barrier, maintaining peace and order. At around 11:00 AM, information was received that a crowd had gathered at Pakka Bagh Chauraha, attempting to move towards Jama Masjid, throwing bricks and stones at the Police with the intent to kill, attacking with batons and sticks, and firing with illegal weapons. At around 12:35 PM, a crowd of about 150-200 people came from Anjuman Tiraha and Ekta Chowki towards Nakhasa Chauraha and broke the CCTV cameras installed on electric poles in front of the lane at Nakhasa Chauraha, attacking the Police personnel with hockey sticks, batons, bricks, and stones with the intent to kill. Public order was completely disrupted. The Police force tried extensively to reason

with and stop the crowd, but they did not listen. Then, Sub-Inspector Mohammad Shah Faisal informed the Inspector-in-Charge of Nakhasa Police Station and the Additional Superintendent of Police (North) about the incident via phone. The crowd, with the intent to kill, continued throwing bricks and stones, obstructing government work. The Police personnel used minimal Police force to drive the rioters back. The crowd repeatedly returned aggressively, in unison, with bricks and stones and continued pelting stones at them. The Police personnel kept trying to drive the crowd away. Meanwhile, a crowd of rioters from Pakka Bagh Chauraha reached Nakhasa Chauraha and began pelting stones at them with the intent to kill. They vandalized and set fire to the private Bullet motorcycle (No. UP 38 M 8166) of Chowki In-Charge, Sub-Inspector Mohammad Shah Faisal and the government Leopard Apache (No. UP 38 AG 0168) parked on the roadside. When Police tried to stop the rioters from doing so, some of them surrounded and grabbed Sub-Inspector Mohammad Shah Faisal and attempted to snatch his government-issued 9mm pistol. He held the pistol firmly, but in the struggle, the rioters snatched the pistol's magazine with 10 rounds. To control the rioters, under the direction of his Chowki In-Charge, he fired five tear gas shells from the tear gas gun, and his companion Nishant Malik fired 10 blank cartridges and 10 plastic pellets from the anti-riot gun, barely managing to defend themselves. Together, Police personnel used necessary Police force to drive away the rioters. The bricks, stones, batons and sticks used by the rioters caused significant

injuries to Sub-Inspector Mohammad Shah Faisal, his companion Nishant Malik and him. The attack by the rioters damaged his cane shield, Nishant Malik's cane shield and helmet. Chowki In-Charge Sub-Inspector Mohammad Shah Faisal went to the Police station, submitted a written complaint regarding the incident, registered a case and all three of them received medical treatment at Sambhal District Hospital.

Before the Commission, he stated that the crowd was shouting slogans like “**Gustakh-e-Nabi ki ek hi saza, sar tan se juda, tan sar se juda**” (The only punishment for the blasphemer of the Prophet is beheading). The stones thrown from the crowd were aimed at them. He received injuries on his right leg from the stones thrown by the rioters, for which he took medical treatment.

S. ICW-13 Mr Nitin Kumar Sirohi, Constable, Kaila Devi Police Station, Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-13.

In the affidavit, it is stated that he is currently posted as a Constable at Kaila Devi Police Station, Sambhal District. On 24.11.2024, his duty was assigned with the Inspector-in-Charge, Kaila Devi Police Station, Sambhal District. The Inspector-in-Charge's duty was assigned near Dhalan Tiraha. Apart from him, Constable Neeraj Pal was also with them on duty. Around them the Circle Officer, Chandausi, with his accompanying force, the Deputy Collector Headquarters with his companions, and other Police forces were also deployed on duty. At around 08:50

AM, a crowd began gathering at the rear part of the mosque. The youths in the crowd had covered their faces with clothes and masks to conceal their identities. The crowd was being reasoned with by Police and administrative officers. Meanwhile, some individuals in the crowd started raising religious/provocative slogans and the crowd began heavy stone-pelting on the Police force and attempted to enter the mosque. Four motorcycles and three cars parked at the rear part of the mosque were set on fire and nearby CCTV cameras, electric wires and transformers were damaged. The stone-pelting by the crowd injured Police personnel on duty. During this, a message was broadcast from the District Control Room to use tear gas on the crowd. In compliance, the Police officers fired a few tear gas shells under their control on the crowd, which further enraged the crowd. Raising religious slogans, they began heavy stone-pelting on the Police force from nearby lanes. The Police/administrative officers made significant efforts to reason with the crowd, but the crowd was not ready to listen and continued pelting stones relentlessly. Meanwhile, firing was also initiated from the crowd towards the Police force, causing injuries to Police officers, administrative officers and employees. During the stone-pelting, he and his SHO Mr Rajeev Malik were also injured. The SHO's left wrist was swollen, his right thumb's nail was torn off, and left leg was also injured. Subsequently, the officers ordered the use of minimal force. To control the crowd, riot control equipment was used on the crowd. After some time, the violent crowd dispersed. 21 individuals who were pelting stones and firing

at the Police were arrested from the fleeing crowd. After the situation was controlled, he and his SHO went to the District Joint Hospital for medical treatment. It was found that the SHO had a fracture in his hand. He is an eyewitness to the incident.

Before the Commission, he stated that the people in the crowd were carrying weapons, many had their faces covered, and it appeared that they had gathered under a pre-planned strategy to stop the Survey. They pelted stones at the Police. A stone hit his right thumb, causing the nail break. The crowd was raising religious slogans like “Allah-hu-Akbar” etc.

T. ICW-14 Mr Deepak Kumar, Constable, Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-14.

In the affidavit, it is stated that he has been posted at the Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District, from Police Line, Bahjoi, since 16.06.2022. On 23.11.2024, at around 22:00 hours, information was received from the office that all office personnel should be present at the office by 05:00 AM with riot control equipment. He, as a Constable, was present at the office at the specified time. Subsequently, the Additional Superintendent of Police briefed all Police personnel that, in compliance with the Hon’ble Court’s order, the Survey team constituted by the Hon’ble Court would conduct the remaining Survey of Shahi Jama Masjid, Sambhal, on 24.11.2024. All

personnel would remain with him, wear their riot control equipment, and act as per his orders in any adverse situation. After this he along with the Additional Superintendent of Police, proceeded from the office to Shahi Jama Masjid and performed their duties.

On 24.11.2024, at around 08:00 AM, the Additional Superintendent of Police (North) received information that a crowd was increasing at the rear part of Jama Masjid and in the Hindu residential area and people were gathering on rooftops. Based on this information, the Additional Superintendent of Police (North) instructed the Circle Officers on duty via wireless to remain alert and maintain peace and order. The Additional Superintendent of Police encouraged members of the Muslim community to reason with the crowd. Some women and youths made significant efforts to reason with the crowd, but the agitated crowd was not ready to listen. At around 09:00 AM, he and other Police personnel, along with the Additional Superintendent of Police (North), reached Dhalan Tiraha and saw a large crowd gathered on the road leading to Ekra Masjid. Some people had covered their faces with masks, handkerchiefs and clothes. Some of them were holding batons, sticks, iron rods, bricks and stones, waving towards them. The Additional Superintendent of Police used loudhailer and he also shouted repeatedly, trying to reason with the crowd, asking them to return to their homes and maintain peace and order, but the crowd did not listen. The violent crowd, raising religious slogans, was saying to drive away the Survey team, or they would take their lives today. The crowd began throwing bricks and stones and petrol

bombs at them. The stone-pelting by the violent crowd injured several Police personnel. A stone hit his right leg, causing injury. The Police force fired anti-riot guns and tear gas guns to disperse the violent crowd, but the aggressive crowd was not retreating and was raising sky-piercing slogans, saying, **“Gustakh-e-Rasool ki ek hi saza, sar tan se juda – sar tan se juda”** (The only punishment for the blasphemer of the Prophet is beheading), and pelting stones.

The wind was blowing in the opposite direction towards the Police side and the rioters, after picking up tear smoke shells, were throwing them back at the Police, causing significant difficulty in advancing towards the rioters. After some time, the violent crowd set fire to vehicles present at the scene. He, along with all the accompanying personnel, moved with the Additional Superintendent of Police towards the lane near Warsi Gym, where the crowd was pelting stones heavily. The Police fired with anti-riot and tear gas guns to disperse the crowd over there. The violent crowd was also throwing petrol bombs at the Police force, and several other accompanying personnel were injured in the incident. It appeared that the crowd was instigated in a planned manner by some to engage in unlawful activities. When there was a lot of smoke due to firing from the gas gun, the violent crowd was also firing towards the Police force. During this, announcements were made from the mosque to reason with the people. By around 09:45 AM, additional Police forces arrived. Using riot control equipment, the Police force pushed back the violent crowd. Someone present

at the scene reported that a rioter was lying injured near the tank, an ambulance was sent to immediately take him to the hospital for treatment. During the incident, the rioters set fire to electric wires, damaged CCTV cameras and set fire to Police and other vehicles. Subsequently, the Additional Superintendent of Police received information that the violent crowd had started rioting towards Ekta Chowki. He, along with the Additional Superintendent of Police, reached Nakhasa Chauraha, where the violent crowd was pelting stones at Nakhasa Chauraha, Anjuman Tiraha, and Deepasaray areas. The rioters had set fire to one Leopard motorcycle and two other vehicles. The Police dispersed the crowd and saved two motorcycles from being burned. After some time, they reached Hindupura kheda, where men and women were pelting stones at the Police force from lanes and rooftops. The Additional Superintendent of Police appealed to them to return to their homes, but the crowd did not listen and started pelting stones at the Police. Mahila Police were also called, and with the arrival of additional Police forces, the crowd was dispersed. After the situation was controlled, at around 15:00 hours, he, along with the injured personnel, reached Sambhal District Hospital for medical examination and then rejoined the Additional Superintendent of Police. Throughout the incident, he remained with the Additional Superintendent of Police. During the riot, restraint and full alertness were maintained and repeated attempts were made to reason with the crowd, which prevented the violent incident from spreading further and limited it.

Before the Commission, he stated that he was outside the mosque, and suddenly a crowd started gathering. His Additional SP was inside the mosque premises with the Survey team. The crowd gathered, raising slogans that they would not allow the Survey and wanted to enter the mosque to disrupt the Survey.

U. ICW-15 Mr Navdeep Chaudhary, Constable, Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-15.

In the affidavit, it is stated that he has been on duty with the Additional Superintendent of Police (North) from Police Line, Bahjoi since August 2021. On 23.11.2024, at around 22:00 hours, information was received from the office that all office personnel should be present at the office by 05:00 AM with riot control equipment. He, as a Constable, was present at the office at the specified time. Subsequently, the Additional Superintendent of Police briefed all Police personnel that, in compliance with the Hon'ble Court's order, the Survey team constituted by the Hon'ble Court would conduct the remaining Survey of Shahi Jama Masjid, Sambhal on 24.11.2024. All personnel would remain with him, wear their riot control equipment and act as per his orders in any adverse situation. After this, he and other Police persons along with the Additional Superintendent of Police, proceeded from the office to Shahi Jama Masjid and performed their duties.

On 24.11.2024, at around 08:00 AM, the Additional Superintendent of Police (North) received information that a crowd was increasing at the rear part of Jama Masjid and in the Hindu residential area, as well as people were gathering on rooftops. Based on this information, the Additional Superintendent of Police (North) instructed the Circle Officers on duty via wireless to remain alert and maintain peace and order. The Additional Superintendent of Police encouraged members of the Muslim community to reason with the crowd. Some women and youths made sincere efforts to reason with the crowd, but the agitated crowd was not ready to listen. At around 09:00 AM, they along with the Additional Superintendent of Police (North), reached Dhalan Tiraha and saw a large crowd gathered on the road leading to Ekra Masjid. Some people had covered their faces with masks, handkerchiefs, and clothes. Some of them were holding batons, sticks, iron rods, bricks and stones, waving towards them. The Additional Superintendent of Police used a loudhailer and he also shouted repeatedly, trying to reason with the crowd, asking them to return to their homes and maintain peace and order, but the crowd did not listen. The violent crowd, raising religious slogans, was saying to drive away the Survey team from there, or they would take their lives today. The crowd began throwing bricks and stones and petrol bombs at Police. The stone-pelting by the violent crowd injured several Police personnel. A stone hit his left leg, causing him injuries. The Police force fired anti-riot guns and tear gas guns to disperse the violent crowd, but the aggressive crowd was not

retreating and was raising sky-piercing slogans, saying, **“Gustakh-e-Rasool ki ek hi saza, sar tan se juda–sar tan se juda”** (The only punishment for the blasphemer of the Prophet is beheading) and also pelting stones. The wind was blowing towards the Police side and the rioters were picking up tear smoke shells and throwing back at them, causing significant difficulty in advancing towards the rioters. After some time, the violent crowd set fire to vehicles present at the scene. He, along with all the accompanying personnel, moved with the Additional Superintendent of Police towards the lane near Warsi Gym, where the crowd was pelting stones heavily. The Police fired anti-riot and tear gas guns to disperse the crowd there. The violent crowd was also throwing petrol bombs at the Police force. Several other accompanying personnel were also injured in the incident. It appeared that the crowd was instigated in a planned manner by someone to engage in unlawful activities. When there was a lot of smoke due to firing from the gas gun, the violent crowd was also firing towards the Police force. During this, announcements were made from the mosque to reason with the people. By around 09:45 AM, additional Police forces arrived. Using riot control equipment, the Police force pushed back the violent crowd. Someone present at the scene reported that a rioter was lying injured near the tank, an ambulance was sent to immediately take him to the hospital for treatment. During the incident, the rioters set fire to electric wires, damaged CCTV cameras and set fire to Police and other vehicles. Subsequently, the Additional Superintendent of Police received

information that the violent crowd had started rioting towards Ekta Chowki. He along with the Additional Superintendent of Police, reached Nakhasa Chauraha, where the violent crowd was pelting stones at Nakhasa Chauraha, Anjuman Tiraha, and Deepasaray areas. The rioters had set fire to one Leopard motorcycle and two other vehicles. The Police dispersed the crowd and saved two motorcycles from being burned. After some time, they reached Hindupurakheda, where men and women were pelting stones at the Police force from lanes and rooftops. The Additional Superintendent of Police appealed to them to return to their homes, but the crowd did not listen and started pelting stones at them. Mahila Police were also called and with the arrival of additional Police forces, the crowd was dispersed. After the situation was controlled, at around 15:00 hours, he along with the injured personnel, reached Sambhal District Hospital for medical examination and then rejoined the Additional Superintendent of Police. Throughout the incident, he remained with the Additional Superintendent of Police. During the riot, restraint and full alertness were maintained and repeated attempts were made to reason with the crowd, which prevented the violent incident from spreading further and limited it.

V. ICW-16 Mr Yashpal Singh, Constable, Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-16.

In the affidavit, it is stated that he has been posted as a Reader at the Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District, since 12.12.2021. On 23.11.2024, at around 22:00 hours, information was received from the office that all office personnel should be present at the office by 05:00 AM with riot control equipment. He as a Constable was present at the office at the specified time. Subsequently, the Additional Superintendent of Police briefed all Police personnel that, in compliance with the Hon'ble Court's order, the Survey team constituted by the Hon'ble Court would conduct the remaining Survey of Shahi Jama Masjid, Sambhal, on 24.11.2024. All personnel would remain with him, wear their riot control equipment and act as per his orders in any adverse situation. After this, he along with the Additional Superintendent of Police, proceeded from the office to Shahi Jama Masjid and performed our duties.

On 24.11.2024, at around 08:00 AM, the Additional Superintendent of Police (North) received information that a crowd was increasing at the rear part of Jama Masjid and in the Hindu residential area. The people started gathering on rooftops. Based on this information, the Additional Superintendent of Police (North) instructed the Circle Officers on duty via wireless to remain alert and maintain peace and order. The Additional Superintendent of Police encouraged members of the Muslim community to reason with the crowd. Some women and youths made significant efforts to reason with the crowd, but the agitated crowd was not ready to listen. At around 09:00 AM, he along with the Additional

Superintendent of Police (North), reached Dhalan Tiraha and saw a large crowd gathered on the road leading to Ekra Masjid. Some people had covered their faces with masks, handkerchiefs, and clothes. Some of them were holding batons, sticks, iron rods, bricks and stones, waving them towards Police personnel. The Additional Superintendent of Police used a loudhailer and he also shouted repeatedly, trying to reason with the crowd, asking them to return to their homes and maintain peace and order, but the crowd did not listen. The violent crowd, raising religious slogans, was saying to drive away the Survey team from there, or they would take their lives today. The crowd began throwing bricks, stones and petrol bombs towards them. The stone-pelting by the violent crowd injured several Police personnel. A stone hit his left leg, causing him injuries. The Police force fired anti-riot and tear gas guns to disperse the violent crowd, but the aggressive crowd was not retreating and was raising sky-piercing slogans, saying, **“Gustakh-e-Rasool ki ek hi saza, sar tan se juda-sar tan se juda”** (The only punishment for the blasphemer of the Prophet is beheading) and pelting stones. The wind was blowing in the direction of the Police side. The rioters were picking up tear smoke shells and throwing them back at the Police, causing significant difficulty in advancing towards the rioters. After some time, the violent crowd set fire to vehicles present at the scene. He, with all the accompanying personnel, moved with the Additional Superintendent of Police towards the lane near Warsi Gym, where the crowd was pelting stones heavily. The Police fired anti-riot and

tear gas guns to disperse the crowd. The violent crowd was also throwing petrol bombs at the Police force, several other accompanying personnel were injured in the incident. It appeared that the crowd was instigated in a planned manner by someone to engage in unlawful activities. When there was a lot of smoke due to firing from the gas gun, the violent crowd was also firing towards the Police force. During this, announcements were made from the mosque to reason with the people. By around 09:45 AM, additional Police forces arrived. Using riot control equipment, the Police force pushed back the violent crowd. Someone present at the scene reported that a rioter was lying injured near the tank, an ambulance was sent to immediately take him to the hospital for treatment. During the incident, the rioters set fire to electric wires, damaged CCTV cameras, and set fire to Police and other vehicles. Subsequently, the Additional Superintendent of Police received information that the violent crowd had started rioting towards Ekta Chowki. He along with the Additional Superintendent of Police, reached Nakhasa Chauraha, where the violent crowd was pelting stones at Nakhasa Chauraha, Anjuman Tiraha, and Deepasaray areas. The rioters had set fire to one Leopard motorcycle and two other vehicles. The Police dispersed the crowd and saved two motorcycles from being burned. After some time, they reached Hindupura kheda, where men and women were pelting stones at the Police force from lanes and rooftops. The Additional Superintendent of Police appealed to them to return to their homes, but the crowd did not listen and started pelting stones at

the Police. Mahila Police were also called, and with the arrival of additional Police forces, the crowd was dispersed. After the situation was controlled, at around 15:00 hours, he along with the injured personnel, reached Sambhal District Hospital for medical examination and then rejoined the Additional Superintendent of Police. Throughout the incident, he remained with the Additional Superintendent of Police. During the riot, restraint and full alertness were maintained and repeated attempts were made to reason with the crowd, which prevented the violent incident from spreading further and limited it.

W. ICW-17 Mr Sonveer Singh, Constable, Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-17.

In the affidavit, it is stated that he has been posted as an accompanying constable with the Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District, since February 2023. On 23.11.2024, the Additional Superintendent of Police informed all the concerned that the Survey team constituted by the Hon'ble Court would conduct the remaining Survey of Shahi Jama Masjid, Sambhal in the morning. Therefore everyone should be present at the office by 05:00 AM with weapons and riot control equipment. On 24.11.2024, he was present at the office at around 05:00 AM. Subsequently, the Additional Superintendent of Police (North) gave necessary instructions to all accompanying

personnel. At around 05:30 AM, he along with all other accompanying personnel, proceeded with the Additional Superintendent of Police and performed their duties. At around 06:00 AM, he reached Jama Masjid with the Additional Superintendent of Police. At around 08:00 AM, the Additional Superintendent of Police (North) received information that a crowd was increasing at the rear part of Jama Masjid and in the Hindu residential area. The people started gathering on rooftops. Based on this information, the Additional Superintendent of Police (North) instructed the Circle Officers on duty via wireless to remain alert and maintain peace and order. The Additional Superintendent of Police encouraged members of the Muslim community to reason with the crowd. Some women and youths made significant efforts to reason with the crowd, but the agitated crowd was not ready to listen. At around 09:00 AM, he along with the Additional Superintendent of Police (North), reached Dhalan Tiraha and saw a large crowd gathered on the road leading to Ekra Masjid. Some people had covered their faces with masks, handkerchiefs and clothes. Some of them were holding batons, sticks, iron rods, bricks and stones, waving them towards Police. The Additional Superintendent of Police used a loudhailer and he also shouted repeatedly, trying to reason with the crowd, asking them to return to their homes and maintain peace and order, but the crowd did not listen. The violent crowd, raising religious slogans, was saying to drive away the Survey team from there, or they would take their lives today. The crowd began throwing bricks , stones, and petrol

bombs at them. The stone-pelting by the violent crowd injured several Police personnel. A brick hit his leg, causing swelling, and the Additional Superintendent of Police was also injured. Seeing the Police personnel being surrounded, the Additional Superintendent of Police ordered firing in a trained manner to disperse the crowd. Then, he fired four rounds from his tear gas gun and another accompanying Constable Vikesh also fired from the anti-riot gun. However, the aggressive crowd was not retreating and was raising sky-piercing slogans, saying, “Mar do salon ko” (Kill these scoundrels). The violent crowd set fire to vehicles parked in the lanes. He, along with all the accompanying personnel, moved with the Additional Superintendent of Police towards the lane near Warsi Gym, where the crowd was pelting stones heavily and under the direction of the Additional Superintendent of Police, he fired two rounds from the tear smoke gas gun. However, due to the wind blowing towards them, the rioters were picking up the tear smoke shells fired by the Police and throwing back at the Police. It appeared that the rioters were well-versed with tear smoke shells and had prior experience in riots. The Police force did not have resources like water or cloth, which made it uncomfortable for the Police to advance towards the rioters, but the rioters continued pelting stones. Meanwhile, many rioters suddenly emerged from nearby houses into the lanes and started throwing bricks, stones and petrol bombs at the Police. Several other companions were injured in the incident. The rioters continued throwing bricks and stones at the Police for a long time

and the Additional Superintendent of Police repeatedly asked the rioters to return to their homes, but the rioters did not retreat. It appeared that the crowd was instigated in a planned manner by some to engage in unlawful activities. To control the situation, he fired five rounds as instructed. There was a lot of smoke, and the sound of indiscriminate firing was coming from the violent crowd. The Additional Superintendent of Police requested additional forces from Kotwali Police Station via wireless, on arrival of additional force, the crowd hid in narrow lanes and started pelting stones at the Police party from hiding. Then, he fired one round from the tear smoke gas gun. As he was moving with the Additional Superintendent of Police towards the lane near the tank spotted a rioter lying injured near the tank, immediately an ambulance was sent to take the injured to the hospital for treatment. During the incident, the rioters set fire to electric wires and damaged CCTV cameras. After this he reached Anjuman Chauraha with the Additional Superintendent of Police. There, the rioters had set fire to one Leopard motorcycle and were attempting to burn two other motorcycles, which were saved by hitting them with batons. After some time, they reached Hindu pura kheda, where men and women were pelting stones at the Police force from lanes and rooftops. The Additional Superintendent of Police appealed to them to return to their homes, but the crowd did not listen and started pelting stones at them. Mahila Police were also called, and with the arrival of additional Police forces, the crowd was dispersed. After the situation was controlled, at around 14:00

hours, he along with the injured personnel, reached Sambhal District Hospital for medical examination and X-ray and then rejoined the Additional Superintendent of Police. Throughout the incident, he remained with the Additional Superintendent of Police. During the riot, restraint and full alertness were maintained and he fired a total of 12 rounds from the anti-riot gun. All the empty shells fired were with him and later deposited the same at the Reserve Police Line, Bahjoi, Sambhal District.

Before the Commission, he stated that he has written the incident details in his affidavit. Additionally, he wanted to say that during the incident on 24.11.2024, when he reached near Warsi Gym, he saw the rioters firing and raising religious slogans. In this firing, the Circle Officer was hit by pellets. The rioters wanted to stop the Survey and this incident was carried out in a planned manner.

X. ICW-18 Mr Saurabh Pratap Singh, Constable, Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District stated that he had sent his affidavit to the Commission, which he verifies, marked as Exhibit K-18.

In the affidavit, it is stated that he has been posted as a Reader at the Office of Additional Superintendent of Police (North), Sambhal District, since 11.01.2022. On 23.11.2024, at around 22:00 hours, information was received from the office that all office personnel should be present at the office by 05:00 AM with riot control equipment. He, as a Constable, was present at the office at

the specified time. Subsequently, the Additional Superintendent of Police briefed all Police personnel that in compliance with the Hon'ble Court's order, the Survey team constituted by the Hon'ble Court would conduct the remaining Survey of Shahi Jama Masjid, Sambhal, on 24.11.2024. All personnel would remain with him, wear their riot control equipment and act as per his orders in any adverse situation. After this, he along with the Additional Superintendent of Police, proceeded from the office to Shahi Jama Masjid and performed our duties.

On 24.11.2024, at around 08:00 AM, the Additional Superintendent of Police (North) received information that a crowd was increasing at the rear part of Jama Masjid and in the Hindu residential area. The people started gathering on rooftops. Based on this information, the Additional Superintendent of Police (North) instructed the Circle Officers on duty via wireless to remain alert and maintain peace and order. The Additional Superintendent of Police encouraged members of the Muslim community to reason with the crowd. Some women and youths made sincere efforts to reason with the crowd, but the agitated crowd was not ready to listen. At around 09:00 AM, he along with the Additional Superintendent of Police (North), reached Dhalan Tiraha and saw a large crowd gathered on the road leading to Ekra Masjid. Some people had covered their faces with masks, handkerchiefs, and clothes. Some of them were holding batons, sticks, iron rods, bricks and stones, waving them towards Police personnel. The Additional Superintendent of Police used a loudhailer and he also

shouted repeatedly, trying to reason with the crowd, asking them to return to their homes and maintain peace and order, but the crowd did not listen. The violent crowd, raising religious slogans, was saying to drive away the Survey team from there, or they would take their lives today. The crowd began throwing bricks, stones and petrol bombs on them. The stone-pelting by the violent crowd injured several Police personnel. A stone hit his left jaw, another hit his left leg, and shoulder hit from behind, another stone hit his thumb, causing bleeding. The Police force fired anti-riot and tear gas guns to disperse the violent crowd, but the aggressive crowd was not retreating and was raising sky-piercing slogans, saying, **“Gustakh-e-Rasool ki ek hi saza, sar tan se juda – sar tan se juda”** (The only punishment for the blasphemer of the Prophet is beheading) and pelting stones. The wind was blowing towards Police personnel, the rioters were picking up tear smoke shells and throwing back on them, causing significant difficulty in advancing towards the rioters. After some time, the violent crowd set fire to vehicles present at the scene. He, along with all the accompanying personnel, moved with the Additional Superintendent of Police towards the lane near Warsi Gym, where the crowd was pelting stones heavily. The Police fired anti-riot and tear gas guns to disperse the crowd from there. The violent crowd was also throwing petrol bombs at the Police force, several other accompanying personnel were injured in the incident. It appeared that the crowd was instigated in a planned manner by some to engage in unlawful activities. When there was a lot of smoke due

to firing from the gas gun, the violent crowd was also firing towards the Police force. During this, announcements were made from the mosque to reason with the people. By around 09:45 AM, additional Police forces arrived. Using riot control equipment, the Police force pushed back the violent crowd. Someone present at the scene reported that a rioter was lying injured near the tank, an ambulance was sent to immediately take him to the hospital for treatment. During the incident, the rioters set fire to electric wires, damaged CCTV cameras and set fire to Police and other vehicles. Subsequently, the Additional Superintendent of Police received information that the violent crowd had started rioting towards Ekta Chowki. He along with the Additional Superintendent of Police, reached Nakhasa Chauraha, where the violent crowd was pelting stones at Nakhasa Chauraha, Anjuman Tiraha, and Deepasaray areas. The rioters had set fire to one Leopard motorcycle and two other vehicles. The Police dispersed the crowd and saved two motorcycles from being burned. After some time, they reached Hindupurakheda, where men and women were pelting stones at the Police force from lanes and rooftops. The Additional Superintendent of Police appealed to them to return to their homes, but the crowd did not listen and started pelting stones at them. Mahila Police were also called and with the arrival of additional Police forces, the crowd was dispersed. After the situation was controlled, at around 15:00 hours, he along with the injured personnel, reached Sambhal District Hospital for medical examination and then rejoined the Additional Superintendent of

Police. Throughout the incident, he remained with the Additional Superintendent of Police. During the riot, restraint and full alertness were maintained and repeated attempts were made to reason with the crowd, which prevented the violent incident from spreading further and limited it.

Before the Commission, he stated that the rioters were holding batons, sticks, sharp stones and country-made pistols (Kattas) and revolvers (Tamanchas). They were also firing and at the location where under-construction houses were present, they were taking stones from the construction materials and throwing them at the Police personnels. The crowd were raising slogans like **“Nara-e-Takbeer,” “Allah-hu-Akbar,” and “Gustakh-e-Nabi ki ek hi saza, sar tan se juda – sar tan se juda”** (The only punishment for the blasphemer of the Prophet is beheading). These people wanted to stop the Survey being conducted in compliance with the court’s order and also wanted to prevent the Police from monitoring with drones. Many of the rioters were seasoned criminals and they were throwing tear gas shells back at the Police personnel, indicating that they were trained in these activities.

Y. ICW-193 Kapil Kumar, Constable, Kotwali Sambhal, stated in his affidavit that on 19.11.2024, the court-ordered Survey by the Court Commissioner was conducted in the presence of both parties. At night worshippers gathered and darkness prevented proper photography and videography, necessitating Survey on

24.11.2024. In compliance with the directions of superior authorities, he reached for law and order duty with the Inspector In-Charge at 6:31 AM. Around 8:45 AM, about 800-900 rioters began gathering slowly from Hakimon Wali Masjid, Hindu pura Kheda lanes and Fatehullah Sarai, 100 steps before the Shahi Jama Masjid slope. When the Inspector In-Charge explained via loudspeaker to return home, the rioters, in a planned conspiracy, masked their faces with cloth, chanting loud religious slogans (*"Nara-e-Takbir, Allah-hu-Akbar, Gustakh-e-Rasool ki yahi saza, sar tan se juda"*). They held illegal weapons, waving pistols, knives, and daggers, picking up nearby stones, pelting heavily and advancing toward Police. The Police patiently explained and defended themselves. About 40–50 people approached, shouting, "Hasan, Azeem, Saleem, Rehan Ali, Mohammad Haider, Waseem, Ayan, loot all weapons and cartridges from the Police, set them on fire, and kill them, none should escape. They won't let the Survey happen at their Shahi Jama Masjid, it's theirs." The aggressive crowd pelted stones and fired with intent to kill, attacking to loot weapons and cartridges. In the scuffle, Sub-Inspector Sanjeev Kumar's 9mm pistol magazine with 10 cartridges and his two boxes with 24 tear smoke shells and 5 rubber bullets were looted. A tear smoke shell from his gas gun barrel fired during the scuffle. From Constable Pankaj Kumar, 25 blank cartridges and 25 plastic pellets, and from Constable Rajpal Singh, a small bag with 15, 12-bore pump gun cartridges was forcibly looted through assault. Stone-pelting injured him, the Inspector In-Charge, Constables

Pankaj Kumar, Rajpal Singh, and Sher Singh. The incident was immediately reported to senior officers via telephone. SP Sambhal, DM Sambhal and other officers arrived with riot control equipment behind Jama Masjid. Sub-Inspector Sanjeev Kumar filed FIR No. 333/24 at Kotwali Sambhal against Hasan and 7 others, plus 800–900 unknowns. The Inspector In-Charge, with other Police, arrested 21 rioters on the spot. During this incident, he saw the aggressive crowd's riot was preplanned, as some rioters hid their faces with cloth and masks. In the scuffle, their faces were exposed, and Police identified them; they had illegal weapons. Before the Commission, it is further stated that he was in Sambhal district on 19.11.2024, 22.11.2024, and 24.11.2024. In this incident, he was injured below the neck. The crowd had weapons; the rest is stated in his affidavit.

Z. ICW-197 Mr Rajpal Singh, Constable, Kotwali Sambhal, stated in his affidavit that he is currently posted as a constable at Kotwali Sambhal. On 19.11.2024, the Court Commissioner conducted a Survey at Shahi Jama Masjid in the presence of both parties. Due to some shortcomings, the Survey was scheduled for 24.11.2024. He left at 6:31 AM with the Inspector In-Charge, Kotwali Sambhal, equipped with riot control gear. Accompanying the Inspector In-Charge, he facilitated the entry of both parties' Survey team into Shahi Jama Masjid and patrolled for law and order duty and reached the stairs behind the mosque, where Sub-Inspector Sanjeev Kumar was stationed. Around 8:45 AM, about 800–900 rioters began gathering slowly from Hakimon Wali Masjid,

Hindupura Kheda lanes, and Fatehullah Sarai, about 100 steps before the Shahi Jama Masjid slope, with the intent to expel the Survey team. The Inspector In-Charge, Kotwali Sambhal and he tried to reason with the crowd via loudspeaker, urging them to go home. However, the rioters, in a planned conspiracy, masked their faces with cloth and masks, hiding their identities and began loudly chanting religious slogans (***“Nara-e-Takbir, Allah-hu-Akbar, Gustakh-e-Rasool ki yahi saza, sar tan se juda”***). They were armed with illegal weapons, waving pistols, knives and daggers, picking up bricks and stones, pelting heavily and advancing toward the Police, while hurling abuses. About 40–50 people approached, shouting, “Hasan, Azeem, Saleem, Rehan Ali, Mohammad Haider, Waseem, Ayan loot all weapons and cartridges from the Police, set them on fire and kill them. They won’t let the Survey happen at Shahi Jama Masjid.” They pelted stones and fired with intent to kill, looting Police weapons and cartridges. In the scuffle, SI Sanjeev Kumar’s 9mm pistol magazine with 10 cartridges, Constable Kapil Kumar’s two boxes containing 29 tear smoke shells, Pankaj Kumar’s 25 blank cartridges and 25 plastic pellets, and his small bag with 15, 12-bore pump gun cartridges were forcibly looted through assault. Two warning shots were fired on a senior officer’s order out of five cartridges loaded in the pump-action gun’s magazine. He was injured, and the incident was reported to the district control room. Upon receiving the information, officers arrived at the scene. Sub-Inspector Sanjeev Kumar filed FIR No. 333/24 against Hasan and 7 others, plus 800–900 unknowns. The

Inspector In-Charge, with Police assistance, arrested 21 rioters on the spot, recovering some looted government cartridges, a pistol, and cartridges used in the incident. During the incident, they observed that the aggressive crowd's riot was preplanned, as some rioters concealed their identities with cloth and masks. It seemed the riot in Sambhal was preplanned.

Before the Commission, it is further stated that he has been posted at Kotwali Sambhal since February 2023. On 24.11.2024, he was hit by a stone on his chest. The incident was a planned conspiracy. He had a pump-action gun and 15 cartridges were looted from him, some of which were recovered. Had the crowd breached the Police cordon and entered Jama Masjid, any untoward incident could have occurred.

AA. ICW-198 Mr Pankaj Kumar, Constable, Kotwali Sambhal, stated in his affidavit that he is posted as a constable at Kotwali Sambhal. The Court Commissioner conducted a Survey at Jama Masjid in the presence of both parties. Due to some shortcomings, the Survey was scheduled for 24.11.2024. He left at 6:31 AM with the Inspector In-Charge, equipped with armed riot control gear. Accompanying the Inspector In-Charge, he facilitated the entry of both parties' Survey team into Shahi Jama Masjid and patrolled for law and order duty and reached the stairs behind the mosque, where Sub-Inspector Sanjeev Kumar was stationed. Around 8:45 AM, about 800–900 rioters began gathering slowly from Hakimon Wali Masjid, Hindupura Kheda lanes and Fatehullah Sarai, about

100 steps before the Shahi Jama Masjid slope, with an intent to expel the Survey team. The Inspector In-Charge, Kotwali Sambhal, and he tried to reason with the crowd via loudspeaker, urging them to go home. However, the rioters, in a planned conspiracy, masked their faces with cloth and masks, hiding their identities and began loudly chanting religious slogans (**“Nara-e-Takbir, Allah-hu-Akbar, Gustakh-e-Rasool ki yahi saza, sar tan se juda”**). They were armed with illegal weapons, waving pistols, knives and daggers, picking up bricks and stones, pelting heavily, and advancing towards the Police, while hurling abuses. About 40–50 people approached, shouting, Hasan, Azeem, Saleem, Rehan Ali, Mohammad Haider, Waseem, Ayan loot all weapons and cartridges from the Police, set them on fire, and kill them. They won't let the Survey happen at Shahi Jama Masjid. They pelted stones and fired with intent to kill, looting their weapons and cartridges. In the scuffle, SI Sanjeev Kumar's 9mm pistol magazine with 10 cartridges, Constable Kapil Kumar's two boxes containing 29 tear smoke shells, his 25 blank cartridges and 25 plastic pellets, and Constable Rajpal Singh's small bag with 15, 12-bore pump gun cartridges were forcibly looted through assault. Two warning shots were fired on senior officer's order out of five cartridges loaded in the pump-action gun's magazine. He was injured and the incident was reported to the district control room. Upon receiving the information, officers arrived at the scene. Sub-Inspector Sanjeev Kumar filed FIR No. 333/24 against Hasan and 7 others, plus 800–900 unknowns. The Inspector In-Charge,

with Police assistance, arrested 21 rioters on the spot, recovering some looted government cartridges, a pistol and cartridges used in the incident. During the incident, Police observed that the aggressive crowd's riot was preplanned, as some rioters concealed their identities with cloth and masks. It seemed the riot in Sambhal was preplanned.

Before the Commission, It is further stated that he has been posted at Kotwali Sambhal since October 2022. Had the crowd breached the Police cordon and entered Jama Masjid, a major incident could have occurred, destroying everything, as both the Survey team and Police were targets of the crowd.

3. Testimonies of Doctors and Medical Staff regarding Treatment, Preparation of medicolegal reports of the Injured and Post-mortem Reports of deceased in the Incident-

A. ICW-20 Dr. Mujibullah, District Women's Hospital, Moradabad stated before the Commission that on 25.11.2024, a panel of two doctors, including himself and Dr. Shobhit, conducted the post-mortem of Ayan from 03:00 PM to 04:20 PM. The post-mortem report, along with 10 Police documents and a pen drive, was sent on the same day through Pharmacist Mr Hari Singh via CP Mr Amit Kumar. The injury no. 1 on the body of the deceased Ayan showed blackening and singeing, in his opinion the injury was likely to be caused by a close-range firearm shot.

B. ICW-21 Dr. Viras, Medical Superintendent, Community Health Centre, Bahjoi, Sambhal stated that a panel of two

doctors, including himself and Dr. Vishwas Agarwal, conducted the post-mortem of the deceased Mohammad Kaif and Naeem on 24.11.2024 from 08:00 PM to 09:20 PM. The post-mortem reports of both bodies, along with 11 Police documents, were sent in a sealed envelope through CP Adesh Kumar and CP Anuj Kumar. In his opinion, the death of Naeem was caused by injuries no. 3 and 4 due to a firearm shot and the death of Mohammad Kaif was caused by injuries no. 6 and 7 due to a firearm shot.

C. ICW-22 Dr. Sachin Verma, Medical Officer, Community Health Centre, Bahjoi, Sambhal stated that he gave treatment and conducted medico legal examinations of the injured who arrived at the emergency. SP Mr Krishna Kumar had a total of five injuries on his body. Due to the severity of his injuries, he was referred to the District Hospital, Sambhal. The injuries could have been caused by stones.

D. ICW-23 Dr. Rajesh Kumar, Senior Consultant (Surgeon), District Hospital, Sambhal stated that he treated patients admitted by the medical officer and other injured individuals who arrived at the emergency on 24.11.2024. Constable Ashish Verma, Mr Ramesh Babu (SDM), Hasan, and Azim, who were injured in the incident, were admitted and treated after medico legal examinations. Constable Ashish Verma had severe injuries, due to which he was referred to Medical College, Meerut.

E. ICW-116 Dr. Shobhit Agarwal, Orthopaedic Surgeon, District Hospital, Moradabad stated that he, along with Dr. Mujibullah, conducted the post-mortem of the deceased Ayan on

25.11.2024 from 03:00 PM to 04:20 PM. The post-mortem report, along with 10 Police documents and a pen drive, was sent on the same day through Pharmacist Mr Hari Singh via CP Mr Amit Kumar. The blackening around injury no. 1 on Ayan's body is possible when a firearm is used at close range and the injury on the body of the deceased Bilal was also a bullet injury.

F. ICW-145 Dr. Vishwas Agarwal, Medical Superintendent, Sambhal District stated that he, along with Dr. Viras in a two-doctor's panel, conducted the post-mortem of the deceased Naeem and Mohammad Kaif on 24.11.2024 from 08:00 PM to 09:20 PM. The post-mortem reports of both bodies, along with 11 Police documents, were sent in a sealed envelope through CP Adesh Kumar and CP Anuj Kumar.

G. ICW-28 Dr. Nirmal Singh, Senior Consultant, District Hospital, Sambhal stated that on 24.11.2024, he examined the injured individuals related to the incident, including Sub-Inspector Mr Sanjeev Kumar, CP Mr Ashish Verma, CP Mr Kapil Kumar, HC Mr Ruchin Kumar, SDM Mr Ramesh Babu, CO Mr Anuj Chaudhary, SHO Mr Anuj Kumar Tomar, CP Mr Sher Singh, CP Mr Vineet Kumar, ASP Mr Shirish Chandra, CP Mr Sonveer Singh, CP Mr Saurabh Pratap, CP Mr Chandrapal, CP Mr Navdeep, CP Mr Deepak, SHO Mr Radheshyam, SHO Mr Harish Kumar, Mr Rajiv Kumar Malik, CP Mr Nitin Siroha, CP Mr Nishant Malik, Sub-Inspector Mr Mohammad Shamsad, CP Mr Gopal, Sub-Inspector Mr Rajiv Kumar, AP Mr Sumit Kumar, HC Mr Vivek Kumar, CP Mr Pankaj Kumar, and CP Mr Rajpal Singh.

Medicolegal examinations were conducted for all, and Sub-Inspector Mr Sanjeev Kumar, Mr Ramesh Babu, Mr Shirish Chandra, Mr Anuj Chaudhary, Mr Anuj Kumar Tomar, Mr Krishna Kumar, Mr Sanjeev Kumar, Mr Sumit Kumar, Mr Vivek Kumar, Mr Nitin Siroha, Mr Rajiv Kumar Malik, Mr Deepak, Mr Harish Kumar and Mr Somveer Singh were advised to undergo X-rays, which were also performed by him.

H. ICW-27 Mr Satish Tiwari, Pharmacist, Community Health Centre, Bahjoi, Sambhal District stated before the Commission that he recorded the attendance of the post-mortem reports of the deceased Mohammad Kaif and Naeem in the register and assisted the panel of doctors, Dr. Viras and Dr. Vishwas Agarwal, during the postmortem.

I. ICW-29 Mr Krishna Kant Hatwal and ICW-30 Mr Suresh Pal Singh, Pharmacists, District Hospital, Sambhal District stated before the Commission that they recorded the attendance of the injured in the emergency register and provided medicines to the injured.

J. ICW-31 Mr Bhujveer Singh, X-ray Technician, District Hospital, Sambhal District stated before the Commission that he was present in the X-ray department of the district hospital on the day of the incident and performed X-rays of the injured individuals.

Ward Boys - ICW-32 Mr Ashok Kumar, ICW-33 Mr Vipin Kumar Bhatnagar, ICW-34 Mr Gulshan Kumar, ICW-35 Mr Rajesh Multani, and ICW-36 Mr Vimal Kumar, District Hospital, Sambhal District stated before the Commission that they were present in the

emergency ward on the day of the incident. They brought the injured to the emergency ward and if the injured were unable to walk, they were transported on stretchers. They observed that most of the injured were Police personnel.

Sweepers - ICW-37 Mr Mukesh Kumar, **ICW-38** Mr Aman Kumar and **ICW-39** Mr Sachin Kumar, District Hospital, Sambhal District stated before the Commission that they cleaned the emergency ward.

4. Name of witnesses, designation, related exhibits and material exhibits-

S.N	ICW	Name	Designation/Description	Material Exhibits
1	1	Mr.Anuj Kumar Chaudhary	Circle Officer, Sambhal	Exhibit K-1 has been placed in the provided pen drive. (in which the Circle Officer is seen addressing the agitated crowd.)
2	171	Mr. Krishna Kumar	Superintendent of Police, Sambhal	Exhibit K-2 and K-3 have been placed in the two provided pen drives. (Recording of the main parts of the incident.)

3	174	Mr. Bishm Singh Dewar	Correspondent, News18 India Channel	Exhibit K-4 has been placed in the provided pen drive. (Recording of the incident made by the correspondent.)
4	175	Mr. Omveer Singh	Photographer, Hindustan Newspaper, Sambhal	Exhibit K-5 has been placed in the provided pen drive. (Recording of the incident made by the photographer.)
5	178	Mr. Mohammad Muzammil	Stringer, TV9 Bharatvarsh, Sambhal	Exhibit K-6 has been placed in the provided pen drive. (Recording of the incident made by the stringer.)
6	185	Mr. Gaurav Shrivastava	Senior Correspondent, Times Now Navbharat, Noida	Exhibit-7 has been placed in the provided pen drive. (Recording of the incident made by the photographer.)
7	192	Mr. Anuj Kumar Tomar	Station House Officer, Kotwali Police Station, Sambhal	Exhibit K-8 Has been placed in the provided pen drive. (Audio pen drive of a conversation between two individuals on the day of the incident.)

5. The Details of Firearms used by Police Officers and Personnel during the incident of violence, in Sambhal district on November 24, 2024-

S.No.	Name	Designation	Firearm Used	Details
1	Inspector Anuj Tomar	In-Charge Inspector	09 mm Pistol	02 warning shots fired in the air
2	Constable Vikesh Kumar	Constable	Anti-Riot Gun	10 rounds fired
3	Constable Somvir	Constable	Tear Gas Gun	12 shells fired
4	Constable 506 Amrit Singh	Constable	12 Bore Pump Action Gun	02 warning shots fired
5	Constable 681 Naveen Kumar	Constable	12 Bore Pump Action Gun	04 warning shots fired
6	Constable 743 Sachin Kumar	Constable	12 Bore Pump Action Gun	03 warning shots fired
7	Constable 08 Rajpal	Constable	12 Bore Pump Action Gun	02 warning shots fired in the air
8	Constable Kapil kumar	Constable	Tear Gas Gun	01 shell fired

6. Details of the Persons died in the Riot on 24.11.2024 at Sambhal-

S.No.	Name of Deceased	Incident Location	Related Registered Case
1	Mohd. Kaif s/o Mohd. Hussain	Near Dariyasir	Case No. 306/24, Section 103(1) BNS
2	Naeem s/o Khurshid Dulha	Behind Jama Masjid	Case No. 338/24, Section 103(1) BNS
3	Ayaan s/o Hanif	Approximately 100 meters from Jama Masjid	Case No. 339/24, Section 103(1) BNS
4	Bilal s/o Hanif	Approximately 100 meters from JamaMasjid	Case No. 340/24, Section 103(1) BNS

7. Details of the Persons Injured in the Riot dated 24.11.2024 at Sambhal

S.No	Name of Injured	Incident Location	Related Registered Case
1	Waseem s/o Naeem	Mohalla Kotgarvi, near Maulvi Sahab's Mosque	Case No. 342/24, Sections 109, 125, 190, 191(2), 191(3) BNS
2	Mohd. Hasans/o Irfan	Near Education Institute Center in an empty block	-

3	Mohd. Azeem s/o Khalil Ahmad	Near Neem ki Jaratin the empty space of the graveyard	-

8. Criminal Cases registered relating to incident dated 24.11.2024

In reference to the incident that occurred in Sambhal district on 24.11.2024, a total number of 12 criminal cases were registered, out of which 7 cases were registered by the Police as complainants and the remaining 5 cases were registered by private individuals. The details are as follows:

A. Case No. 333/2024 under Sections 191(2), 190, 115(2), 352, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 309(4), 223(b), 191(3) BNS and 25(1-AAA), 25(1B)(a) Arms Act, Thana Kotwali Sambhal. Date of Incident: 24.11.2024, Time: 08:45 AM. Place of Incident: Near the slope of Jama Masjid. Complainant: Sub-Inspector Mr Sanjeev Kumar, Thana Kotwali Sambhal. State vs. Hasan and 6 others named, along with 800-900 unknown persons.

Charge-sheet No. 32/2025 dated 17.02.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 39 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

B. Case No. 334/2024 under Sections 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 223(b) BNS, Date of Incident: 24.11.2024, Time: 09:00 AM, Place of Incident: Near Jama Masjid.

Complainant: Mr Anuj Kumar Chaudhary, Circle Officer, Sambhal Circle. State vs. 700-800 unknown persons.

Charge-sheet No. 29/2025 dated 16.02.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 38 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

C. Case No. 335/2024 under Sections 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 121(1), 125, 223(b), 324(5), 196, 326(f) BNS and 3/5 Public Property Damage Prevention Act, Thana Sambhal, District Sambhal. Date of Incident: 24.11.2024, Time: Around 09:00 AM, Place of Incident: Near Jama Masjid. Complainant: Sub-Inspector Mr Deepak Rathi, Thana Kotwali Sambhal, District Sambhal. State vs. Mr Jiaur Rahman Barq and one other named, along with 700-800 unknown persons.

Charge-sheet No. 96/2025 dated 12.06.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 23 accused persons and the investigation is ongoing against the remaining accused.

D. Case No. 336/2024 under Sections 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 223(b) BNS and 7 Criminal Law Amendment Act. Date of Incident: 24.11.2024, Time: 09:00/10:00 AM, Place of Incident: Near Jama Masjid. Complainant: Mr Ramesh Babu, Deputy Collector, Sambhal District. State vs. 800-900 unknown persons.

Charge-sheet No. 31/2025 dated 17.02.2025 and Charge-sheet No. 31A/2025 dated 02.06.2025 has been submitted

to the Hon'ble Court against 38 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

E. Case No. 337/2024 under Sections 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(a), 125(b), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(b), 326(f), 317(3) BNS and 7 Criminal Law Amendment Act, 3/5 Public Property Damage Prevention Act, and 3/25/27 Arms Act. Date of Incident: 24.11.2024, Time: From 08:45 AM to 05:10 PM. Place of Incident: Near the disputed religious site. Complainant: Mr Anuj Kumar Tomar, In-Charge Inspector, Thana Kotwali Sambhal. State vs. Mohammad Shadab and 30 others named, along with 800-900 unknown persons.

Charge-sheet No. 30/2025 dated 17.02.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 53 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

F. Case No. 304/2024 under Sections 191(2), 191(3), 190, 109(1), 132, 121(1), 223 BNS and 7 Criminal Law Amendment Act. State vs. 100-150 unknown persons, Thana Nakhasa, District Sambhal. Complainant: Sub-Inspector Sanjeev Kumar, PRO, Superintendent of Police, Sambhal District. Place of Incident: Hindupura Khera Pakkabag. Time of Incident: Around 11:00 AM.

Charge-sheet No. 30/2025 dated 18.02.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 25 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

G. Case No. 305/2024 under Sections 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 324(5), 326(g), 309(4), 223, 132 BNS and 7 Criminal Law Amendment Act and 2/3 Public Property Damage Prevention Act. State vs. Gulbuddin Hikmatyar and others, Thana Nakhasa, District Sambhal. Complainant: Sub-Inspector Mohammad Shah Faisal, Thana Nakhasa Sambhal. Place of Incident: NakhasaTiraha. Time of Incident: Around 02:45 PM.

Charge-sheet No. 29/2025 dated 18.02.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 23 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

9. Cases Registered by Private Individuals

A. Case No. 338/2024, State vs. Unknown, Thana NakhasaSambhal, under Section 103(1) BNS. Date of Incident: 24.11.2024, Time: 10:20 AM, Place of Incident: Behind the disputed religious site. Complainant: Mr Tasleem, son of Khurshid, resident of Mohalla Kot Garvi, Kasba Thana Sambhal. Deceased: Naeem, brother of the complainant.

Charge-sheet No. 60/2025 dated 18.04.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 03 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

B. Case No. 339/2024, State vs. Unknown, Thana Sambhal, under Sections 125, 103(1) BNS. Date of Incident: 24.11.2024, Time: Around 11:00 AM, Place of Incident: Behind Jama Masjid.

Complainant: Mr Kamil, son of Hanif, resident of Kot Garvi, Kasba Thana Sambhal. Deceased: Ayaan, brother of the complainant.

Charge-sheet No. 58/2025 dated 14.04.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 02 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

C. Case No. 340/2024, State vs. Unknown Stone Pelters, Thana Sambhal, under Section 103(1) BNS. Date of Incident: 24.11.2024, Time: 09:30 AM, Place of Incident: Jama Masjid. Complainant: Mr Salman, son of Hanif, resident of Jhalri Jamun Sarai Peer, Thana Hayat Nagar Sambhal. Deceased: Bilal, brother of the complainant.

Charge-sheet No. 59/2025 dated 15.04.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 02 accused persons and the investigation is on-going against the remaining accused.

D. Case No. 306/2024, State vs. Unknown, Thana Nakhasa, under Section 103(1) BNS. Date of Incident: 24.11.2024, Time: Not specified in the complaint, Place of Incident: Near Dariyasir. Complainant: Mr Mohammad Husain, son of Batool Shah, resident of Tootipur Ilha, Thana Nakhasa Sambhal. Deceased: Mohammad Kaif, son of the complainant.

Charge-sheet No. 73/2025 dated 18.04.2025 has been submitted to the Hon'ble Court against 03 accused persons and the investigation is ongoing against the remaining accused.

E. Case No. 342/2024, State vs. Unknown Persons of Turk Community, Thana Kotwali Sambhal, under Sections 109, 125, 190, 191(2), 191(3) BNS. Date of Incident: 24.11.2024, Time: Around 01:00 PM, Place of Incident: Mohalla Kot Garvi, Maulvi Sahab Wali Masjid. Complainant: Mr Naseem, son of Sharif, Mohalla Kotgarvi, Maulvi Sahab Wali Masjid, Sambhal. Injured: Waseem, nephew of the complainant.

In the aforementioned Case No. 337/2024 under Sections 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125(a), 125(b), 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223(b), 326(f), 317(3) BNS and 7 Criminal Law Amendment Act, 3/5 Public Property Damage Prevention Act, and 3/25/27 Arms Act, a total number of 21 named accused were arrested from the place of the incident. Their names are: Mohammad Shadab, Mohammad Rehan, Gulfam, Aman, Mohammad Husain, Mohammad Saleem, Sameer, Yakub, Salman, Rehan Ali, Zaid, Mohammad Babu, Mohammad Haider, Yamin, Saleem, Aftab, Mohammad Nadeem, Mohammad Firoz, Fardeen, Mohammad Tahzeeb, and Naeem.

In this case and other aforementioned cases, a total of 79 accused have been incarcerated in jail so far and their testimonies have been recorded before the Commission via video conferencing.

10. Testimony of the Survey Commissioner & his photographer

A. ICW-125 Mr Ramesh Singh Raghav, son of Mr Dariyab Singh, Court Commissioner stated that on 19.11.2024, Civil Suit No. 180/2024, Hari Shankar Jain & Others vs. Union of India & Others, was filed before the Hon'ble Civil Judge, Senior Division, Sambhal. The Hon'ble Court appointed him as the Advocate Commissioner to inspect Jama Masjid in Sambhal and submit an inspection report by 29.11.2024. After receiving a copy of the court's order, he informed the District Magistrate of Sambhal about the facts and requested security arrangements. The District Magistrate accepted his request and issued orders for security arrangements around the mosque premises. As he was appointed as the Court Commissioner by the Hon'ble Court, he served a notice to Mr Zafar Ali Adv the president and advocate of the mosque committee, on 19.11.2024 at 6:04 PM.

The District Magistrate constituted a team to assist him, comprising the Sub-Divisional Magistrate (SDM) Sambhal, Circle Officer (CO) Sambhal, and Executive Officer of the Sambhal Municipality. Along with the team members, Advocates Mr Vishnu Shankar Jain and Gopal Sharma (petitioner's Advocates), Vishnu Shankar Sharma (Government Advocate for the Union of India and ASI) and Prince Sharma, DGC Civil also joined the Survey along with the Advocates of Managing Committee of Jama Masjid and its Sadar, Advocate Zafar Ali.

During the inspection, the local MP, Zia-ur-Rahman Barq, and Suhel Iqbal (son of the current MLA), arrived with approximately 200-300 supporters and threatened him in a menacing tone, saying, **“Whatever spectacle you want to create, finish it in ten minutes, or the situation will become such that you won’t be able to handle it.”**

The crowd gathered outside the Masjid began protesting, raising religious and provocative slogans. Additionally, there was an issue of light. Therefore, he deemed it appropriate to postpone the inspection and informed the Administration in writing of the reasons, adjourning the inspection proceedings to another day.

On 20.11.2024, he requested the district Administration to resume the remaining Survey proceedings, but the District Magistrate, through a letter on the same day, expressed inability to provide Police force due to the Kundarki Assembly by-election, making the inspection impossible on 20.11.2024. After the conclusion of the by-election, he again requested on 23.11.2024 for the remaining inspection to be conducted on 24.11.2024 and submitted another letter to the Administration to ensure Police arrangements. Through the same letter, he informed the Advocates of both the sides ie. Plaintiffs and defendants. The Administration accepted this request and issued orders to ensure necessary arrangements.

On 24.11.2024, he, along with the Advocates of the plaintiffs, and defendants, the president of the mosque committee advocate

Mr Zafar Ali, Laddan Khan, Aftab Warsi and Mashhood Ali Farooqui, gathered at Sambhal Kotwali around 6:30 AM. After assembling at the Police station, the Inspector-in-Charge of Kotwali took all members of the inspection team to Jama Masjid under Police security. Apart from the Survey team and the Police, no outsiders were with them. Upon reaching Jama Masjid, administrative officers collected their mobile phones for security reasons and around 7:00 AM, they were allowed entry into the mosque with a videographer/photographer.

In the presence of both sides, he commenced the inspection proceedings. Around 7:30-7:45 AM, faint noises of commotion were heard from outside the mosque. By 8:30 AM, louder noises and provocative slogans were audible from outside, followed shortly by the sound of explosions. Soon after, their eyes began to sting and tear up and the commotion grew louder, clearly audible inside the mosque. Black smoke started rising from the rear of the mosque, indicating that a riot had begun. Despite the external commotion and explosions, he continued the inspection and completed it by 10:15–10:30 AM. After completing the inspection, they were escorted out of the mosque under Police security through the lane in front of the mosque and safely brought to the Police station.

During the Survey, the management committee's president Zafar Ali, Laddan Khan, Aftab Warsi and others suggested draining the Wazukhana (ablution tank) if desired and the water was

drained. Around this time, noises of commotion were heard from outside. Zafar Ali left, saying he would calm the crowd and get gutka (tobacco). Shortly after his return, the noises escalated, followed by sounds of firing and smoke from arson, which he witnessed when he looked from the mosque's upper level and saw a crowd of about 2,500–3,000 people pelting stones and raising slogans.

He opined that this incident was the result of a pre-planned conspiracy involving the local MP, the MLA's son, and the malicious intent of the president of the Jama Masjid committee, Mr Zafar Ali. When the Wazukhana water was being drained, Zafar Ali went outside, and after his return, the commotion and sloganeering intensified. As an advocate, Mr Zafar Ali was fully aware as to what is to be done in the Survey proceedings and status of mosque would not be affected as the matter is sub judice.

B. ICW 199. Mr Vishnu Sharma, son of the late Mr Rajendra Kumar Sharma, Cameraman, Court Commissioner, stated before the Commission that he conducted videography and photography at Jama Masjid, Sambhal, on 19.11.2024 and 24.11.2024.

On 19.11.2024, while performing videography and photography at Jama Masjid, he was accompanied by two or three other assistants, whom he had brought along for help. However, members of the Jama Masjid Management Committee prevented them from entering the mosque and thus, he carried out the

videography and photography alone. He reached Jama Masjid around 5:30 PM along with the Court Commissioner.

DM and SP Sahab were already present at the mosque. Members of the Management Committee and some other unidentified individuals were inside the mosque. Some people were sitting inside rooms, which were later removed by the Police Administration.

On 19.11.2024, the Commission's proceedings began as soon as they arrived and the crowd inside and outside the mosque gradually increased, with the crowd raising slogans of "Allah-hu-Akbar." SP Sahab explained that they were only there to conduct a Survey and would leave shortly, but the sloganeering continued. DM Sahab was explaining to everyone inside the mosque, while outside, SP Sahab was urging the crowd to cooperate as it was merely a Survey.

There were approximately 1800-2000 people outside the mosque and about 300-400 inside. He knows Suhel Iqbal, who is the son of MLA Sambhal, Mr Mahmood Iqbal, and resides in Sambhal.

Before their arrival, MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, Suhel Iqbal, and members of the Management Committee were present, gathered a crowd and were making remarks that he cannot even repeat.

The Survey proceedings lasted approximately 45 minutes to 1 hour and due to the disruptions caused by these individuals, the work could not be conducted properly. The Court Commissioner was also very scared and sloganeering and voices opposing the Survey were coming from all sides of the mosque. The Survey Commissioner stated that either the crowd should be removed; otherwise the Survey proceedings could not be continued. Subsequently, it was decided that conducting the Survey properly in such circumstances was not possible and darkness was also setting in. It was decided that the remaining Survey work would be completed in future with the cooperation of the Administration/Police. He had handed over the videos and photos of the events to the Court Commissioner, which should be with him, and if he has given the same to someone else, he can't say. If those videos and photos are reviewed, it will clear the status and atmosphere inside the mosque, as well as what kind of sloganeering was being done, who was saying what, and who was inciting whom.

If MP Zia-ur-Rahman Barq and Suhel Iqbal had wanted, the situation would not have escalated and the Survey process could have been completed on 19.11.2024. However, they spoiled the atmosphere and obstructed the Survey, due to which the process could not be completed.

The Court Commissioner had informed the members of the Jama Masjid Management Committee and DM and SP Sahab that

the Survey could only be conducted with adequate Police force, and the date would be decided later.

On 19.11.2024, speeches were being given by leaders on the mosque's stairs and the atmosphere was tense. While the Management Committee was appealing through loudspeakers for everyone to remain calm and cooperate, they were secretly inciting the crowd.

On 19.11.2024, a large Police force safely escorted them to the Kotwali Sambhal Police station, from where they went to their respective homes. He could say a lot about the events of the 19th, but due to concerns for his and his family's safety, he can't speak openly.

On 24.11.2024, he received a call from the SDM Sambhal at 4:00 AM, asking him to come to her office immediately for some urgent work. On 24.11.2024, he travelled in a Police vehicle with the Survey team to Jama Masjid. The DM, SP, Court Commissioner, and others were in the vehicles ahead of him. They reached the mosque around 7:30-8:00 AM after checking and other procedures. DM and SP Sahab got unnecessary people removed from the mosque's rooms, and after about 20 minutes, the Survey proceedings began. He conducted the photography and videography alone, capturing approximately 1300-1400 photos and about 1 hour and 15 minutes of video, which he provided to the Court Commissioner. This included drone camera footage

operated by his assistant from outside the mosque, while he handled the videography and photography inside.

There was a huge crowd outside the mosque, as if the entire Sambhal and people from nearby villages had gathered. The Survey proceedings on 24.11.2024 lasted about 3 hours, during which the crowd intermittently troubled the Administrative officials.

The Management Committee members were creating obstacles inside the mosque, while outside, there was heavy sloganeering, arson, and firing from country-made guns.

From the mosque's roof, where SDM Sahiba was also present, he witnessed the entire scene. Many people had covered their faces with cloth, were pelting stones, setting fire to vehicles and bikes, and the atmosphere became extremely tense.

Advocate Commissioner Mr Ramesh Singh Raghav had requested the Administration to empty the water tank (Hauz) so that its photography could also be done. This request was conveyed to the Management Committee, and they began emptying the tank through their workers. The tank was inspected, but due to excessive moss and mud, proper measurements, videography or photography could not be done. Whatever videography and photography he managed, was handed over to the Court Commissioner.

While the tank was being emptied, the Management Committee spread rumours that the mosque was being dug up and

demolished. A lawyer and members of the Management Committee were moving in and out, likely spreading these rumours. The crowd became very violent, pelting stones and firing at the Police/ Administration, becoming uncontrollable, with arson taking place. The Police were trying to control and pacify the crowd, using Lathi charges at several places, to push them back and firing tear gas shells to control the situation. Tear gas smoke filled the mosque and smoke from burning vehicles was also rising.

In his opinion, the entire incident was pre-planned, with a large number of people from outside Sambhal involved. He believes that the Muslim community was informed about the Survey on the 24th in advance and was fully prepared to stop it. MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, Suhel Iqbal and members of the Management Committee were responsible for the entire incident, as they gathered and incited the crowd. The Management Committee created an atmosphere through propaganda, despite there being no intention of digging or demolishing the mosque.

11. Testimony of plaintiff's Advocates

A. ICW-119 Mr Vishnu Shankar Jain, counsel for Plaintiffs in Civil Suit No.182/2024 filed before Civil Judge (Senior Division) Chandausi titled as Hari Shankar Jain & Ors. Vs. Union of India & Ors.) on 19.11.2024, alongwith an application for conducting Survey through an Advocate Commission under Order 26 Rule 9 of CPC, the Hon'ble Civil Judge, Chandausi after hearing allowed the application and directed appointment of Advocate-Commissioner to conduct the Survey and submit report on or before 29.11.2024.

Mr Ramesh Raghav was appointed as Advocate-Commissioner and he informed him that he is going to conduct the proceedings of Commission i.e. site inspection on the same day at around 5.30 to 6.00 p.m. He alongwith local counsel Mr. Gopal Sharma (who is also Lawyer for some of the Plaintiffs) reached the Kotwali Police Station at around 5.00 pm. He alongwith Mr. Gopal Sharma Advocate, D.G.C.(Civil) Mr Prince Sharma, Lawyer for ASI Mr Vishnu Sharma and District Administration (including District Magistrate, S.P. Sambhal, Circle Officer, Sambhal and SDM, Sambhal) reached the site in question i.e. alleged Jami Masjid at around 6.00 p.m.

As soon as the proceedings of the Advocate Commissioner started, around 200-300 unknown people from Muslim community entered the premises. These unknown persons started video recording of the Commission proceedings. After 15 minutes a large crowd gathered outside the premises in question and started

raising slogans (Nare Taqbeer, Allahu Akbar etc.) and started entering into the alleged mosque.

Around 6.45-7.00 p.m. one thousand people were present inside the alleged mosque and many persons were surrounding the alleged mosque from outside. The situation started worsening when the son of local MLA and the Member of Parliament of the area entered into the alleged mosque and started dictating terms to the Advocate-Commissioner and the lawyer for the Plaintiffs.

He, Mr. Gopal Sharma, Advocate and Advocate-Commissioner were specifically told that it's time for Namaz, hence they should leave the premises immediately otherwise the situation will be out of control and no one will be able to control the mob. In the said situation he was informed by the Advocate-Commissioner that the work of Commission has been adjourned for today and the next date for conducting the Survey would be communicated to the parties at the earliest.

On 23.11.2024 at around 7.00 p.m. he received a notice from the Advocate-Commissioner that on 24.11.2024 at about 7.00 a.m. till 11.00 a.m. the proceedings of the Survey by the Advocate-Commissioner will be carried out. In compliance with the notice, he reached Sambhal by road at 6.00 a.m. along with his registered clerk Mr Saurabh Singh in the morning and reached the Kotwali Police Station Sambhal at around 6.45 a.m. Mr. Ramesh Raghav-Advocate Commissioner, Mr. Gopal Sharma (local counsel) for Plaintiffs, D.G.C.(Civil) Mr Prince Sharma, Advocate

for ASI Mr Vishnu Sharma and District Administration (including District Magistrate, S.P. Sambhal, Circle Officer, Sambhal and SDM, Sambhal) reached the Kotwali Police Station from 6.30 to 7.00 a.m.

The counsel for the Jami Masjid Committee Mr. Zafar Ali came around 7.00 a.m. and said that two more counsels are joining and requested to wait. After waiting for about 20 minutes the Advocate-Commissioner decided to proceed to the disputed site and in presence of the Administration, all the counsels reached the disputed site by foot.

The proceedings of the Advocate-Commissioner started at around 7.30 a.m. and soon within 45 minutes a huge mob gathered around the premises in question. They started chanting religious slogans. After some time he heard the sound of firing all around the area. Some cars and motor cycles which were on the back side of the mosque were torched.

At around 8.30 a.m. the Advocate-Commissioner asked the mutawalli of the mosque to take out water from the Wazu tank. Soon thereafter at around 9.00 a.m. in this tense situation Mr. Zafar Ali went outside the mosque informing that he is going to take 'Dilbaag Pan Masala' and he will be back in some time. After about 30 minutes, he came back. As soon as he came back, the mob outside became extremely violent and they started pelting stones in abundance on the Police personnel and District Administration. The situation started worsening and the strength of the force was

reducing. There was total chaos in the area. As per his estimate around more than 25000 persons were surrounding the disputed site. The Survey of the Wazu tank could not be done.

Mr. Zafar Ali, who also happens to be the Mutawalli of the mosque, started making announcements from the loudspeaker of the mosque and requested the mob to calm down. But the more he requested, the more the crowd/mob started becoming violent. He felt that this was some kind of signal to accelerate the violence.

From 9.30 a.m. till around 10.45 a.m. stone pelting, firing, tear gas, sloganeering was happening around the disputed site. The situation was such that at any time the mob could enter the disputed site, but unaffected by all these things he was performing his professional duty.

All the entry routes to the disputed site were totally choked and blocked with the rioters. When he saw the situation from the disputed site, it was a clear picture of violence by the mob. The mob was continuously stone pelting at the Police personnel and was trying to enter the disputed site. The Police personnel and the local Administration were stopping them from entering the disputed site. He could witness the incident from the disputed site, which is at little height from the ground level. When he came outside at around 10.30 to 10.45 a.m., he was asked by the SHO Kotwali to accompany him and from one lane which was considered as a safe passage by him, he along with other Advocates (except Mr. Zafar

Ali and other lawyers for the mosque committee) reached Kotwali Police Station.

Mr Jain also stated that on 19.11.2024 upon arriving at the mosque, Advocate Zafar Ali, Advocate Qasim Jamal, and some others met them at the mosque's gate and opposed their entry. Mr Ramesh Raghav informed them that they were there to comply with the court's order and served a notice to Mr Zafar Sahab. When the management committee members objected, the DM and SP explained and then they allowed them to enter. Upon entering, they saw that around 300 people were already present inside the mosque. Before the Commission proceedings began, he requested the administrative and Police officers to sanitize the area. They assured them that sanitization was being done and asked to start the Survey proceedings. On reaching the central dome of the disputed site, where locks were hanging on both doors. He requested the Advocate Commissioner to have the locks opened, upon which the mosque committee and the approximately 300 people present started protesting and creating a commotion. After about half an hour, they brought the keys to the locks on the mosque's doors. Meanwhile, the people present continued to make noise and record videos. The local MLA's son, Mr Suhel Iqbal, was also there with his associates, making videos. The DM asked them to stop. During this time, they saw a large number of people outside the mosque shouting slogans like "Nara-e-Takbir, Allah-hu-Akbar" and attempting to enter the mosque. The SP and CO Anuj Chaudhary stopped them from entering. Around 6:45-7:00

PM, the local MP entered the mosque. He first asked us under whose orders we had entered, to which the mosque committee members informed him that we were allowed entry to comply with the court's order. Thereafter, Barq Sahab started obstructing the Survey proceedings, asking, "What do you want to see here?" At the same time, the management committee and the MP told us to stop the Commission proceedings as prayers were to be offered, and they could not restrain the people outside any longer. Due to the darkness and the disturbances, sensing the situation, the Advocate Commissioner halted the Commission proceedings. Thereafter, they returned under the protection of the Kotwali Police. Mr Raghav later informed them that they would be notified about the remaining Commission proceedings. He was informed about the Survey on 24.11.2024 by Mr Ramesh Raghav via a WhatsApp message on 23.11.2024 at 7:00 PM. He reached the designated time around 6:45 AM, along with his associate Saurabh Singh. When he arrived at the Kotwali, within 2-4 minutes, the DM, SP, ADM, SDM, CO, Survey Commissioner, and others arrived. About 15 minutes later, Mr Zafar Ali also arrived. Zafar Ali argued with them, the administrative officers, and the Advocate Commissioner, stating that the Commission proceedings could not proceed in this manner and that they would only proceed once their three advocates arrived, so some time should be given. Mr Raghav asked if anyone had a measuring tape, to which Zafar Ali replied that there was no mention of measurement in the Survey Commission proceedings. Raghav then clarified that measurement

is part of the Survey and would be necessary. After waiting until around 7:30 AM for the other advocates of the mosque committee, who did not arrive, everyone proceeded on foot towards the mosque. Mr Raghav told Zafar Sahab that we were heading to the mosque and their advocates should reach there. The Advocate Commissioner began the Survey proceedings from the outer gate of the mosque around 7:45 AM. Thereafter, the Advocate Commissioner and everyone else entered the mosque. By then, the Advocate Zafar Sahab was waiting for other advocates of the Jama Masjid, who had also arrived. Upon entering the mosque, they saw that people standing on the rooftops of surrounding houses were video graphing their proceedings. Meanwhile, the lanes behind and on all three sides of the mosque were filled with people shouting **“Allah-hu-Akbar”** and pelting stones, attempting to enter the mosque. The crowd violently attacked the Police personnel with stone-pelting. During the Commission proceedings, the Commissioner ordered the draining of the Wazukhana (ablution tank) water and it was emptied, revealing moss and mud at the bottom. Around 8:30-8:45 AM, Mr Zafar Ali said he needed to go outside to eat Dilbag pan-masala and left. He returned after half an hour. Upon his return, the crowd of thousand persons outside became even more aggressive and arson occurred, which he witnessed with his own eyes, the miscreants set cars and motorcycles on fire. Tear gas shells were fired to control the crowd and he also heard the sound of firing. Zafar Sahab announced on the mosque’s microphone, asking people to remain calm, stating

that everything was proceeding smoothly and that he was present there.

Considering the entire situation, in his view, Mr Zafar Ali's delaying of the Commission proceedings, going outside under the pretext of eating pan-masala, returning after half an hour, making an immediate announcement and refilling the Wazukhana without the Commissioner's orders indicate that he instigated the public to gather and cause disturbance. Around 10:30-10:45 AM, people present there informed us that the situation was becoming very serious, with the crowd approaching closer and potentially entering the mosque at any moment, so the Survey proceedings were halted. They were escorted out through the lane leading to the Hindu neighbourhood in front of the mosque under the protection of the Kotwali Inspector and other Policemen. Seeing them, some people from the Hindu community raised "Jai Shri Ram" slogans. Thereafter, they circled back to the Kotwali and waited there for three hours because their phones were with the SP's PRO, who had been shot. After retrieving the phone, he left. The incident on 24.11.2024 was carried out to prevent the implementation of the court's order passed on 19.11.2024 and to intimidate the plaintiffs present during the Survey Commission, which was part of a conspiracy. If the Police Administration had not been vigilant, the Commissioner and they would not have survived.

B. ICW-147 Mr. Gopal Sharma, Plaintiff's Advocate, son of Late Mr. Sita Ram Sharma, stated in his affidavit that on 19.11.2024, in

Civil Suit No. 182/24, Hari Shankar Jain & Others vs. Union of India & Others, the Hon'ble Court of Civil Judge (Senior Division), Sambhal appointed Mr. Ramesh Singh Raghav, Advocate as Advocate Commissioner to inspect the Jama Masjid and submit inspection report by 29.11.2024. The Advocate Commissioner served a notice to Mr. Zafar Ali, president and advocate of the Mosque Committee, on 19.11.2024 at 6:04 PM at the mosque. The District Magistrate, Sambhal, formed a team comprising the Sub-District Magistrate Sambhal, Circle Officer Sambhal and Executive Officer, Nagar Palika Parishad, to assist the Advocate Commissioner. Along with the team constituted by the District Magistrate, he, the Advocate Commissioner, other plaintiff's advocates Mr. Vishnu Shankar Jain and defendant's advocates Mr. Vishnu Kumar Sharma and Mr. Prince Sharma were present for the inspection of the mosque. During the inspection proceedings, the local MP, Mr. Zia-ur-Rahman Barq and Mr. Suhel Iqbal (son of the current MLA) arrived with approximately 200-300 supporters and threatened in an intimidating tone, saying, "Whatever you want to do, finish it in 10 minutes, or the situation will become such that you won't be able to handle it." The crowd began raising religious and frenzied slogans and protesting. Due to the evening time and lighting issues, the Advocate Commissioner deemed it appropriate to postpone the inspection and informed the Administration in writing of the reasons for postponing the proceedings to another day. On 23.11.2024, the Advocate Commissioner informed him through a letter that the remaining inspection proceedings would

be conducted on 24.11.2024. On 24.11.2024, he, the Advocate Commissioner, Advocates of the plaintiffs and defendants, and Mosque Committee members Mr. Zafar Ali, Laddan Khan, Aftab Warsi, and Mashhood Ali Farooqui gathered at Sambhal Kotwali around 6:30 AM. After assembling, all members of the inspection team were taken to the Jama Masjid under Police security by the Inspector In-Charge, Sambhal Kotwali. Upon reaching the Jama Masjid, Administrative officials collected their mobile phones for security reasons and around 7:00 AM, they were allowed to enter the mosque with the videographer/photographer. The Advocate Commissioner began the inspection proceedings in the presence of both parties. Around 7:30-7:45 AM, mild noises were heard from outside the mosque and by 8:30 AM, louder noises and provocative slogans were audible. Shortly after, the sound of explosions began and their eyes started burning with tears flowing. The noise intensified, clearly audible inside the mosque and black smoke began rising from the rear of the mosque, making them feel that a riot had started outside at the back. The Advocate Commissioner continued the inspection amid the explosions and completed it by 10:15–10:30 AM. After the inspection was completed, they were safely escorted out of the mosque's main gate under Police protection to the Police Station.

It is further stated before the Commission that during the Survey, the Wazukhana (ablution tank) was filled with water. He asked Laddan and Zafar, whether the water is always kept filled or emptied sometimes, to which they replied that it is emptied and

cleaned every Friday. He then stated that photography and videography of the Wazukhana could not be done with water present, so they agreed to drain the water. While the water was being drained, Zafar Ali went outside and returned after about 35 minutes and on return, made an announcement on the microphone, saying, "For Allah's sake, everything is going fine, so calm down." However, after such announcements, the crowd became more agitated, raising slogans and pelting stones. He also requested Zafar Ali, who practices law with him at the Chandausi court, to go and calm the crowd and allow the court's order to be implemented, to which Zafar replied that he was saying it from there. He feels that Zafar Ali's announcements were inciting the miscreants further. On 19.11.2024, the local MP and Suhel Iqbal entered the mosque with 200-250 people, obstructing the Survey proceeding. According to him, this incident was the result of a well-planned conspiracy aimed at obstructing the implementation of the Hon'ble Court's order by MP Mr. Zia-ur-Rahman, MLA's son Suhel Iqbal and the entire management committee, with thousands of people attempting to enter the mosque to teach a lesson to the plaintiffs and eliminate their advocates, the Survey Commissioner. The management committee, led by President Mr. Zafar Ali, secretary Advocate Farooqui, and Advocate Qasim Jamal, who was called by the president, knew that the court's order was revisable and had enough time to file a revision before the District Judge but instead chose to gather a crowd. Zafar Ali's signaling

through the microphone indicates that this incident was a preplanned conspiracy.

12. Testimony of Plaintiff No-3

ICW-197 Mahant Mr Rishiraj Giri, Mahant Kailadevi, stated in his affidavit that according to ancient beliefs, Skanda Purana, Shrimad Bhagavat Mahapurana and Sambhal Mahatmya, there is mention of the Hari Har Temple and it is believed that Lord Vishnu's final and tenth avatar will occur at this Vishnu Hari Har Temple, as mentioned in several texts and Puranas. The book Baburnama, written about the biography of Mughal Emperor Babur, states that there was a prestigious Hindu temple at this site, which was demolished by him to build a mosque. In this regard, he filed Civil Suit No. 182/2024 in the Hon'ble Court of Civil Judge (Senior Division), Sambhal, in which an order for the Survey of the disputed site was passed on 19.11.2024, and Advocate Ramesh Singh Raghav was appointed as Court Commissioner. In compliance with the order dated 19.11.2024, he, along with Mr. Anuj Kumar Chaudhary, Circle Officer, Sambhal, Mrs. Vandana Mishra, SDM, Sambhal, Mr. Manibhushan Tiwari, Executive Officer, Mr. Prince Sharma, DGC(Civil), Mr. Laddan Khan, Vice president of Jama Masjid, Advocate Mr. Gopal Sharma, Advocate Mr. Vishnu Shankar Sharma, Advocate Mr. Vishnu Shankar Jain, Advocate Mr. Zafar Ali, Advocate, president of Jama masjid, Mr. Mashhood Ali Farooqui and Advocate Commissioner Mr. Ramesh Singh Raghav, arrived at the Jama Masjid. The Survey team entered the mosque

premises. He chose to stay outside the gate and did not enter the Jama Masjid premises. Meanwhile, a significant number of Muslim community members began gathering at the rear of the Jama Masjid and on the sloping road. At that time, MP Mr. Zia-ur-Rahman Barq and Mr. Suhel Iqbal, son of Iqbal Mahmood, entered the Jama Masjid with their supporters. Seeing the crowd's aggression and opposition, the local Police safely escorted him to Sambhal Kotwali via the market route. On the way, many Muslim individuals were standing in protest and raising religious slogans. After some time, the Survey team also arrived at Sambhal Kotwali. The team informed him that due to the crowd entering the mosque, the Survey proceedings were disrupted and could not be completed, and the Survey would be completed on another day.

It is further stated before the Commission that he is the plaintiff in the lawsuit. On 19.11.2024, around 7:30 PM, he reached the mosque gate with the Police Administration, Advocate Commissioner, and other advocates. He climbed the stairs but stayed outside the gate. He observed that many Muslim community members were making abusive remarks and threatening him, asking him to come down the stairs. The Police safely escorted him away in a jeep. According to him, the Muslim community gathered, to obstruct the Survey and incite violence. If the Police Administration had not been vigilant, the violence could have escalated further. This incident was the result of a preplanned conspiracy.

13. Testimony of official defendant's Advocates

A. ICW-126 Mr Prince Sharma, son of Mr Umesh Kumar Sharma, District Government Advocate (Civil) for Sambhal district stated that on 19.11.2024, the Hon'ble Civil Judge (Senior Division), Sambhal, issued an order for an Advocate Commission in Suit No. 182/2024, Hari shankar Jain & Others vs. Union of India, concerning Jama Masjid in Sambhal. In this suit, he accompanied the Commission team on behalf of the District Magistrate of Sambhal. Around 6:00 PM, everyone entered Jama Masjid and began the Commission proceedings. Everything was proceeding peacefully until around 6:30 PM, when MP Zia-ur-Rahman Barq, along with approximately 200-300 supporters, entered the mosque premises. A significant number of people from the Muslim side also gathered outside the disputed structure, raising religious slogans audible inside the mosque premises. Around 7:00 PM, Advocate Mr Zafar Ali, who is also the president of the mosque committee, told the Advocate Commissioner that it was getting dark and time for prayers, so the Commission proceedings should be concluded quickly.

Inside the premises, MP Zia-ur-Rahman Barq and his supporters gathered and obstructed the inspection. Consequently, the Commission proceedings were adjourned.

On 23.11.2024, Advocate Commissioner Mr Ramesh Raghav informed him that the Survey Commission would be conducted on 24.11.2024 from 7:00 AM to 11:00 AM.

About 35-40 minutes after the Commission proceedings began; loud noises of commotion from outside were audible inside the mosque, suggesting a protest from the western side of the mosque. The commotion grew louder, clearly audible inside.

Around 9:30 AM, water was drained from the mosque's Hauz (ablution tank) and shortly afterward, sounds of explosions were heard from behind the mosque, indicating that a riot had started outside. Soon after, their eyes began to tear up and sting, as if from chili powder. Continuous sounds of explosions came from outside.

By around 10:15 AM, the Commission proceedings were completed and they were escorted out of the mosque under Police security, through the lane in front of the mosque and safely brought to the Police Station.

Before the Commission, he stated that on 19.11.2024, when the order was being passed, Advocate Qasim Jamal was arguing with Mr Vishnu Shankar Jain in the Ahlmad's room.

The question of this incident not being pre-planned does not arise, as it is not possible for such a large crowd to come from so far and in such numbers. The Administration and Police arrangements were adequate; if the crowd had moved northward, many people in the Hindu neighbourhood would have been killed. When they were leaving after the Survey, the Police provided security and safely escorted them through the Hindu

neighbourhood, if they had been taken out through another route, they would have been killed.

B. ICW-128 Mr. Vishnu Kumar Sharma, Standing Counsel, Union of India, stated in his affidavit that he is a Standing Counsel for the Union of India at the Sambhal District Court. On 19.11.2024, Civil Suit No. 182/2024, Hari Shankar Jain & Others vs. Union of India & Others, was filed before the Hon'ble Civil Judge (Senior Division), Sambhal, located in Chandausi. Copies of the suit were provided to him by the plaintiff's advocate, so he appeared before the Hon'ble Court on behalf of the Union of India and defendants no. 2 to 4. The Hon'ble Court appointed Mr. Ramesh Singh Raghav, Advocate, as Advocate Commissioner to inspect the Jama Masjid in Sambhal and submit inspection report by 29.11.2024. Upon receiving the court's order, he reached the Jama Masjid in Sambhal. The Advocate Commissioner served a notice to Mr. Zafar Ali, president and advocate of the Mosque Committee, on 19.11.2024 at 6:04 PM at the gate of the mosque. The District Magistrate, Sambhal formed a team comprising the Sub-District Magistrate Sambhal, the Circle Officer Sambhal, and the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sambhal to assist the Advocate Commissioner. Along with the team constituted by the District Magistrate, he, the Advocate Commissioner, the plaintiff's advocates Mr. Vishnu Shankar Jain and Mr. Gopal Sharma, and Mr. Prince Sharma DGC (Civil) reached for the inspection of the mosque. The Advocate Commissioner began the inspection proceedings. During the inspection, the local MP Mr.

Zia-ur-Rahman Barq and Mr. Suhel Iqbal (son of the current MLA) entered the mosque premises with approximately 200-300 supporters and said, "Whatever you want to do, finish it in 10 minutes, or the situation will become such that you won't be able to handle it." The crowd began protesting the inspection, raising religious and frenzied slogans. Due to the evening time and lighting issues, the Advocate Commissioner deemed it appropriate to postpone the inspection and informed the Administration in writing of the reasons for postponing the proceedings to another day. The Advocate Commissioner informed him through a letter on 23.11.2024 that the remaining inspection proceedings would be conducted on 24.11.2024. On 24.11.2024, he, the Advocate Commissioner, Mr. Prince Sharma (advocate for defendant no. 5), and Mosque Committee members Mr. Zafar Ali, Laddan Khan, Aftab Warsi and Mashhood Ali Farooqui gathered at Sambhal Kotwali around 6:30 AM. After assembling at the Police station, all members of the inspection team were taken to the Jama Masjid under Police security by the Inspector In-Charge, Sambhal Kotwali. No outsiders accompanied them or the Police team was allowed. Upon reaching the Jama Masjid, Administrative officials collected their mobile phones for security reasons and around 7:00 AM, they were allowed to enter the mosque with the videographer/photographer. After entering the mosque, the Advocate Commissioner began the inspection proceedings in the presence of both parties. Around 7:30-7:45 AM, mild noises were heard from outside the mosque and by around 8:30 AM, louder

noises and provocative slogans were audible, shortly thereafter the sound of explosions were also heard. After the explosions, their eyes started burning, and tears began to flow. The noise intensified, clearly audible inside the mosque and the sound of explosions increased. Black smoke began rising from the rear of the mosque, making them feel that a riot had started outside at the back. The Advocate Commissioner continued the inspection amid the external noise and explosions. By 10:15-10:30 AM, the Advocate Commissioner completed the inspection. After the inspection was completed, they were safely escorted out of the mosque's main gate under Police protection to the Police Station.

It is further stated before the Commission that court's order and copies of the suit were provided to Mr. Zafar Ali, president of the mosque. On 19.11.2024, Mr. Zafar Ali, Mahshud Ali Farooqui, and five to six other people were present in the mosque. Mr. Zafar Ali tried to pacify the crowd, but it had other implications/effect. On 24.11.2024, the presence of hundreds to thousands of people, including those coming from far-off places with preparation, confirms that the incident was preplanned. The crowd gathered to obstruct the court's order and attack them.

14. Testimony of Advocates of Committee of Management, Jama Masjid

A. ICW-168 Mr Qasim Jamal, son of Mr Muntazir Hussain stated in his affidavit that he was summoned in the capacity as a member of the management committee of the Shahi Jama Masjid, Sambhal. On 24.11.2024, he arrived at the Jama Masjid at 7:20 AM. When he inquired about the Survey order from the Survey Commissioner, he was informed that the Survey conducted on 19.11.2024 was incomplete, necessitating a second Survey. During the Survey, on the instructions of an administrative officer, the water tank (Hauz) was drained, causing water to flow rapidly downward, creating confusion, that excavation work was ongoing at the mosque, smoke was observed rising from below, accompanied by sounds of gunfire. After one to two hours, when the situation calmed, he left for home with a companion.

It is further stated before the Commission that he was present on 19.11.2024 during the Survey. Around 3:30–3:45 PM, while attempting to read the order from a file in the court office, he had an altercation with the plaintiff's advocate. He was informed by Zafar Sahib about the Survey scheduled for 6:00 PM and was asked to be present. When he reached the Jama Masjid between 6:00–6:15 PM, the local MP was already there and the MLA's son, Suhel Iqbal was also present. He had not filed vakalatnama in court and was present only at the request of the committee's President. He received information about the 24.11.2024 Survey from Zafar Sahib at midnight on 23.11.2024 and reached the

mosque at 7:25 AM on 24.11.2024. During the Survey, the plaintiff's advocate and the Court Commissioner were dictating notes to some individuals, but he did not know whether they were administrative officers or with the Commissioner. Sounds of a crowd and gunfire were heard from outside, and later he learned that stones were also thrown. He did not witness the draining of the tank, but learned afterward that it caused confusion, leading to sloganeering. He stated that the crowd gathered on 24.11.2024 due to fears that the mosque's existence was at risk. Some cars and motorcycles were set ablaze during the arson.

B. ICW-169 Mr Mashhood Ali Farooqui, son of Mr Maqsood Ali Farooqui stated in his affidavit that on 19.11.2024, the Commission's proceedings lasted two to two-and-a-half hours at night, and he was present along with others. On 24.11.2024, he was at the mosque at 7:00 AM, when the Survey resumed. During this time, the tank's water was drained, leading to confusion that the tank had been damaged. From near the tank, he observed significant smoke rising outside, accompanied by sounds of gunfire. The mosque continuously announced calls for peace, but a clash erupted outside between the Police and the public.

It is further stated before the Commission that he arrived at the Jama Masjid around 6:00 PM on 19.11.2024 for the Survey, where the local MP, Barq and the MLA's son Sohail Iqbal, were present. On 22.11.2024, after Friday prayers, the MP addressed the media on the mosque's stairs. He received information about the 24.11.2024 Survey from the committee's president on the night

of 23.11.2024 between 10:00–11:00 PM. The Survey team arrived between 7:00–7:15 AM and the Survey began around 7:30 AM. From the mosque's roof, he saw 1,000–1,500 people gathered below, shouting slogans like "Allah-hu-Akbar." The Police and Administration urged the crowd to maintain peace. The mosque's president also used a microphone to call for calm. The SDM instructed the tank's water to be drained for measurement, which was done by mosque committee staff. He was aware that the 19.11.2024 Survey was incomplete, but Commission officials had told the media that the Survey was fully completed. He stated that the large crowds on 19.11.2024 and 24.11.2024 gathered due to public apprehension about why a second Survey was needed. The crowd engaged in sloganeering, stone-throwing, damaged CCTV cameras and set fire to public property, including cars and bikes. The magazine of the Police post in-charge, Shah Faisal, was snatched by rioters, and his private motorcycle was burned. He noted that a heavy Police presence prevented the crowd from entering the mosque, averting potential violence. He agreed that political statements or press conferences on the mosque's stairs were inappropriate.

15. Testimony of the Sadar, Committee of Management of the Jama Masjid

ICW-164 Mr. Zafar Ali, son of Mr. Hamid Ali stated via video conference that he is an eyewitness to the violence at Jama Masjid Sambhal on 24.11.2024. The second Survey conducted on 24.11.2024 was not under any court order but was carried out solely on the orders of the DM Sambhal. On 24.11.2024, from 6:00 AM, the Administration and Police deployed an excessively heavy Police force around Jama Masjid Sambhal. To understand this situation, people began gathering around Shahi Jama Masjid. He was present with the Survey team inside the premises of Shahi Jama Masjid and until around 8:30 AM, the Survey was proceeding peacefully. Meanwhile, the crowd grew significantly. When the SDM Sambhal ordered the emptying of the water tank (Hauz) within the mosque premises, the water from the drains flowed rapidly downward, causing the public to become highly confused and agitated, believing that the water was being drained to excavate the mosque for occupation. The crowd sought clarification from the CO Sambhal, but he abused them with filthy language and ordered a lathicharge. In self-defense, the crowd began stone-pelting. Around 9:30 AM, the Police started using tear gas and firing in the air. When the crowd did not disperse from the vicinity of the mosque, the Police began firing directly at the crowd, resulting in the deaths of approximately 4-5 people. Due to the lathicharge and stone-pelting, some Police personnel and members of the crowd were injured. During the Police firing, he

was present at the scene with the DM and SP Sambhal, witnessing the entire incident. He remained at the scene for about 20-25 minutes, and he did not see any firing from the crowd's side. He did not see any illegal weapons, such as country-made pistols, in the possession of anyone in the crowd. He further stated that he has stated what he personally witnessed at the scene.

Before the Commission, he stated that he has been the President of Jama Masjid for about seven years. This Jama Masjid is an ASI-protected monument. The Juma prayers are led by the Imam, whose name is Aftab. On 19.11.2024, he was at the Chandausi court, where people were discussing that a case related to Jama Masjid had been filed. He went to the court around 4:00 PM and inquired with the court clerk, who informed him that a case had been filed, but did not show him the copy of the plaint. From the Jama Masjid side, the advocates are Shakil Warsi and Amir Hussain, and there are many others, but he is not aware of the rest. These two advocates were not present in the court.

When the Commission asked whether Qasim Jamal and Farooqi Advocate also handle the Jama Masjid case, He replied, "Yes". He does not recall whether he sent Farooqui and Qasim Jamal to the court office or what happened there. Around 4:00-5:00 PM, Qasim Jamal and Farooqui informed him about the Survey Commission, stating that an order had been issued for the Commission but did not specify who the Commissioner was. He was in his chamber in the Chandausi court premises when, at 5:15

PM, he received a call from Kotwali Sambhal informing him that a Survey of Jama Masjid was to take place and to reach the mosque. Upon receiving this information, he left for Jama Masjid around 5:25 PM with 2-3 advocates and his son and reached around 6:00 PM. His son, Haider Ali was driving the vehicle. The two advocates with him were Qasim Jamal and Aftab Ahmad. During this time, he informed Mr. Laddan, the Vice-President of the Management Committee, about the Survey and asked him to reach Jama Masjid. He told him that he was already present there. When he reached Jama Masjid, Secretary Mr. Mashhood Ali Farooqui, Haji Laddan and Cashier Mahmood Khan were present. The MLA's son, Suhel Iqbal, was not present at Jama Masjid. He saw him around 6:45 PM with 4-5 people inside the mosque. He arrived at Jama Masjid around 6:05 PM and at the same time, the Survey Commission arrived, accompanied by Police, Administrative officials, and Advocates Vishnu Shankar Jain, Gopal Sharma, Vishnu Sharma, and DGC (Civil) Prince Sharma, among others. When they arrived, there were no members of the public outside the mosque because no one was aware of the Survey. The Commissioner handed him the Survey notice, which he received and signed and they began the Survey. During the Survey, he did not see how many people gathered inside or outside the mosque. (The Commission showed a video clip from Hindustan Channel.) Afterward, he stated that the Police and the Administration informed him that people were gathering outside the mosque, so he went downstairs and urged the people to leave, saying that he

was present and they should go. In the video clip shown to him, he is the one wearing a black coat, addressing the public. The Hon'ble MP arrived at Jama Masjid around 6:30 PM with 8-10 supporters. He did not say anything in his presence about stopping the Survey or obstructing it. The Survey proceedings continued until around 7:30-7:45 PM. Both he and the Hon'ble MP addressed the press and the gathered public. That day the Survey was completed. (The Commission showed the witness a video clip from Hindustan Channel dated 19.11.2024, in which Advocate Vishnu Shankar Jain is seen stating that the Survey was not yet completed and further proceedings would be conducted after informing the Administration.) After watching the video clip, he stated that, in his opinion, the Survey was completed, but the Advocate Commissioner had said that it might need to be conducted again and he would be informed.

On 22.11.2024, the day of Juma prayers, he did not go to court and offered prayers at Jama Masjid, Sambhal. Normally, about 1,000 people offer Juma prayers, but on 22.11.2024, there were around 2,000 people. He does not know how 2,000 people suddenly gathered. When the Commission asked whether people were informed and called in large numbers on 22.11.2024, he replied that he did not know. The Commission then showed messages from Abdullah and Qasim Hussain in the Sambhal MP WhatsApp group. He stated that he did not know Abdullah, but he knew Qasim Hussain, who is likely a property dealer. From the messages, it appears that a call was made to gather as many

people as possible for the prayers. After Juma prayers on 22.11.2024, he and Mr. Barq addressed the media and the worshippers present. He tried to stop Mr. Barq during his address, saying, "That's enough, please stop," but he did not listen and continued speaking.

On 23.11.2024, around 6:45 PM, the ADM called and said the DM was summoning him. He told him that his health was not good, and he could not come. Between 8:30 PM and 8:45 PM, the SDM and CO Sambhal came to his house and handed him a notice stating that the Survey team wanted to conduct the Survey again. They also said that if the DM granted permission, the Survey would take place, and he would be informed about the timing by 11:00 PM that night. Later, a reporter from ABP News called and informed him that the Survey of Shahi Jama Masjid was scheduled for 7:00 AM. He then called the SDM and said, *"You didn't inform me that the Survey is happening tomorrow; a reporter told me."* The SDM confirmed that the Survey was indeed scheduled for the next morning. He informed the members of the Shahi Jama Masjid Management Committee and the Sambhal MP Mr. Barq, over the phone but did not inform the public. He spoke to Mr. Barq on 23.11.2024 around 11:00-11:30 PM and again on the night of 23-24. He then clarified that at 11:00-11:30 PM, he spoke to his PRO on his mobile, and the second time he spoke to Mr. Barq informing him that the Survey was happening again the next day. He asked why it was happening again when it had already been done once. He informed him that the Survey was being conducted

on the DM's orders. He told him to ask the DM and SP to stop it, to which he replied that it would be difficult, and he would not be able to stop it.

When the Commission asked whether people gathered on 24.11.2024 to stop or obstruct the Survey in compliance with the court's order, he replied that there was no such possibility, but the crowd began gathering due to the excessive Police presence. When the Commission further asked, citing statements from previous witnesses that on 24.11.2024, during the Survey, a crowd of people from outside Sambhal, including some with covered faces, gathered and caused a disturbance, he replied that he cannot comment on this as he was continuously inside Jama Masjid with the DM and SP. The Commission then referred to his affidavit, which stated that the crowd sought clarification from the CO Sambhal about the water flow, but he abused them with filthy language and ordered a lathicharge, leading the crowd to pelt stones in self-defence, marking the beginning of the violence. When asked to comment on this, he said, "Yes, sir, I wrote it, and I agree with it." However, he clarified that what he wrote in the affidavit about the CO Sambhal was not based on his personal observation but on what people told him, and he included it in the affidavit accordingly.

When questioned about paragraphs 5 and 6 of the affidavit, asking why it should not be assumed that, as an advocate, he made false statements in the affidavit out of prejudice and

attempted to mislead the Commission, he replied that it is true that he was not an eyewitness. After the violence ended, people from the public present there told him what had happened. Regarding the statement in paragraph-6 of the affidavit, he said that he was an eyewitness to that; he saw the Police firing at the crowd. He is not fully familiar with firearms. He only recognizes country-made pistols (katta). Apart from tear gas guns, he is not aware of the other firearms used by the Police. The firing range of a katta is about 15-20 feet and the distance between the Police and the crowd was about 15-20 feet. He can clearly see up to a distance of 15-20 feet. He has adequate knowledge of medical jurisprudence and he knows that when a shot is fired at close range, blackening appears around the wound.

Regarding the boy whose postmortem was conducted in Moradabad, his brother mentioned in the FIR that his brother's death was caused by the crowd, but Zafar Ali said that he does not wish to comment on this. On 24.11.2024, the Survey began with videography. When the SDM instructed them to drain the water from the tank, the DM and SP said that the length, width, and depth of the tank could be measured with a stick, and there was no need to drain the water. However, at the SDM's insistence, he drained the tank's water. Seeing the water flowing rapidly, the public got the misconception that excavation had begun in the mosque, which agitated the crowd. The crowd was about 500 people. Although he was mostly inside the mosque, he stepped out for one or two minutes to get Pan-Masala, there was no

Pan-Masala shop nearby, so he gave money to a person for Pan-Masala, whose name he cannot tell. After one or two minutes, he returned to the mosque. The person he gave money to brought Masala, came inside the mosque as he went downstairs and requested the Police to allow the person bringing the Masala to enter mosque. He did not go downstairs with any other intention or to deliver provocative messages to the public or rioters. In fact, he had told Advocate Vishnu Shankar Jain that he was going to get Pan-Masala for himself and for him. It is incorrect to say that Advocates Qasim Jamal and Farooqui also went downstairs; He went alone through the southern gate of the mosque and returned within one or two minutes, not half an hour. If the gathered public had succeeded in entering the mosque at that time, an unfortunate incident could have occurred.

The order dated 19.11.2024 of the Hon'ble Court could have been challenged through revision or a writ petition, but they did not do so. When the Commission asked whether it is entirely true that he went downstairs only for one or two minutes during the entire incident, he replied that this is not entirely true. At one point, around 9:15-9:30 AM, the DM and SP took him outside the mosque. They gave me a helmet and asked him to calm the crowd, so they would disperse. He stayed for about 20-25 minutes, appealed to the people and then returned upstairs. On the day of the incident, arson, stone-pelting and firing occurred, people were injured, four people died and the streets were filled with stones, due to the heavy stone-pelting. All these facts are true. He has no

knowledge as to whether the incident was pre-planned or whether the crowd was gathered to stop the Survey. Apart from the four deceased, 8-10 others were also shot, but he did not know whether they had filed any case or not.

16. Testimony of the Member, Committee of Management of Jama Masjid

ICW-159 Mr. Laddan Khan, Management Committee of Jama Masjid, stated in his affidavit that on 19.11.2024 at 6:00 PM, he was present with the Survey Commission and the Administration at the Shahi Jama Masjid during the court-ordered Survey. The Survey team completed the Survey and left. The Survey lasted approximately two and a half hours that day. On 24.11.2024, in the morning, the Survey resumed at 7:00 AM, with the mosque committee's lawyer, mosque committee members, Administrative officials and the Survey Commissioner present inside the mosque for videography and photography. The mosque committee fully cooperated with the Survey Commission in a peaceful and harmonious manner. Meanwhile, water from the ablution tank was released by the Administration and the SDM to measure its depth, but due to the strong flow of water, it caused confusion among the public outside, who thought the ablution tank was being demolished. Seeing this, the public outside felt that digging was being done inside the mosque and sounds of commotion started coming from outside the mosque. Due to tear gas shells, people's eyes started watering and irritation was caused by the chemicals.

The Jama Masjid Committee continuously made appeals for peace and harmony through the mosque's microphone. After completing the Survey, the Survey Commission left toward Sarthal Chowki with the Administration. Later, it was learned that a dispute had occurred between the Police and the public outside. The Survey lasted approximately three hours.

It is further stated before the Commission that the water from the ablution tank was released on the instructions of the SDM. The water was released by his employee on his orders and due to the noise and slogans, he could not hear properly inside the mosque.

17. Testimony of the Member of Parliament, Sambhal

ICW-180 Mr. Zia-ur-Rahman Barq, Hon'ble MP, Sambhal, before the Commission stated that Jama Masjid in Sambhal is the largest mosque and his house is located 300–400 meters away from it. Generally, when he is in Sambhal at his house, he offers prayers at a nearby mosque. Otherwise, wherever he is, he prays at a nearby mosque or sometimes at someone's house. On 19.11.2024, he was in the Sambhal area, and between 6:30 PM and 7:30 PM, people from the area informed him that Police and Administrative officials had arrived at Jama Masjid in the evening. He tried to find out the reason, but could not get through. Subsequently, he went to Jama Masjid to gather information. The information about the Survey was given to him by a person named Nadeem, a resident of Kot Garvi. He was accompanied by his driver, a gunner, and one person named Farid Sahib, who was stopped by the Police at a

barricade about 150 meters before the mosque. When he reached the mosque, approximately 300 people were present on the road and 20 people were inside the mosque, including members of the Survey committee, the DM, the SP and members of the mosque's management committee. The Police did not stop him, but those who wanted to enter with him were stopped and stayed back. He entered the mosque alone and asked the DM and SP of Sambhal the reason for their presence. He requested to see the copy of the Hon'ble Court's order, but they did not have it at that time. Respecting the court's order, the Survey proceedings continued smoothly and he stood with the DM and SP. The Survey proceedings were completed that day. He is not certain whether he gave a media byte on 19.11.2024, as he does not recall. After being shown a video clip, he acknowledged that it is true that he gave a byte there, but he only remembered it after seeing the clip. He was not aware that Section 163 BNSS was in effect and even if it was, he did not violate it in any way. On 19.11.2024, he did not call the media present outside the mosque; they were already there. The statement he gave to the media was edited and in it, he also used words stating that if there is an order from the Hon'ble Court, he respects it and will fight the legal battle in court. In responding to the media's questions, he did not use any inappropriate words. He based his statement on the provisions of the Places of Worship Act, stating that any religious site existing before 1947 will remain unchanged, and no writ can be filed regarding it. If any writ exists, it should be dismissed. He had not

seen the byte he gave on 19.11.2024 until today, when the Commission showed it to him. Hence, the question of issuing a legal notice does not arise. When he reached the mosque on 19.11.2024, Suhel Iqbal was already present there, but he does not know how many people were with him.

On 22.11.2024, it was a Friday and he offered Juma prayers at Jama Masjid. Generally, on Juma, the mosque is completely filled with worshippers and that day it was fully occupied as well. He cannot estimate the number of people. When shown the transcript of the Mannat WhatsApp group and asked about it, he stated that he received information about it through the media. As an MP, he has been added to 100–150 groups besides this one by people. However, he would say that as an MP, he cannot leave these groups because he is a public representative and leaving them would offend people. He does not know who the admin. of this group is. He never responds in these groups, and he has never checked the group admin or their content. He does not personally know Abdullah or Kasif Hussain. When the Commission showed him messages from Abdullah and Kasif Hussain in the WhatsApp group, which called for people to gather in large numbers for Juma prayers on 22.11.2024 and contribute funds, he stated that such messages might have come to his WhatsApp group, but he did not read them. The WhatsApp transcript shown clearly indicates that certain individuals called upon the public/worshippers to gather in maximum numbers at Jama Masjid for Juma prayers on 22.11.2024. After offering prayers on

22.11.2024, he responded to questions from the media on the steps of Jama Masjid. As far as he recalls, Suhel Iqbal was also present among the worshippers. On 22.11.2024, he did not deliver any speech inside or outside the mosque before or after Juma prayers; He only answered the media's questions. He stated that, "According to the Places of Worship Act, passed by the largest panchayat of this country, the Parliament, not only mosques but all religious sites of any faith that existed before 1947 will remain as they are and no changes will be made to them. If there is any ongoing dispute regarding a religious site, those cases will be closed as per the law. Therefore, our Jama Masjid was and will remain." As an MP, he has been voted for by people from the Muslim community as well as the Hindu community. He is a worker for everyone and he wants no disturbance in the country's atmosphere. The country should run according to the law and the Constitution and he will fight this battle legally and present their side in court. Since he was speaking legally and the Police Administration was monitoring with drone cameras, he also said that he is not afraid of this and he believes in legal and constitutional processes. He wants people of all religions to work together for the country's progress. Responding to the media's questions was necessary because rumors were spreading that the plaintiff's side had previously claimed other mosques in the country and wanted to do the same with our mosque. His intention was to dispel people's misconceptions and assure them that he will fight this battle legally. (A video clip broadcast by India TV on

22.11.2024 was shown, in which the media asking questions was not visible, and only the MP was speaking.)

In response to the Commission's question regarding his statement, where he is seen saying, "We are not going to be intimidated by the Police, Administration, or government. We are the owners of this country, not servants or slaves," please clarify: 1) what actions by the Police and Administration prompted you to make this statement? 2) How do you consider yourself the owner of this country? Generally, in contexts of feudalism or kingdoms, the king considers himself the master of the subjects and the subjects are under him. You are a Hon'ble MP and a law graduate and you also have the role of a lawmaker. Using such words in public, directly or indirectly, incites a call for significant opposition. On one hand, you talk about the Constitution and fighting the battle in court and on the other, you say, "For our Jama Masjid, we will ensure legal protection, and Inshallah, whatever is needed, we, and not just me but everyone, will always be there to protect Jama Masjid." Which provision of the Constitution mentions the words "master", "servant" and "slave"? Please clarify.

The Hon'ble MP responded that the address he made was not to the public but in response to media questions. He cannot comment on why the media did not show their questions in the video clip. The statement about being intimidated by the Police and Administration was based on the fact that on Juma, when people were coming to Jama Masjid to offer prayers, which is also our

constitutional right, they were stopped at barricades about 150–200 meters from the mosque and treated rudely. This incident occurred after around 1:00 PM. When he received this information, he calmed the people and assured them that he would raise this issue with senior officials and the Hon'ble Court. He verbally complained about this to the DM of Sambhal. As for the word “owner,” he used it on the basis that before our country's independence, we lived as slaves in our own country, whether under British rule or the rule of kings and emperors. After independence and the formation of the Constitution, we proudly say that we are no longer slaves of the British or any king/emperor in this country. Instead, we feel proud that we are the owners of this country.

The Juma prayer time was 1:30 PM, and he entered the mosque around 1:00 PM. When he arrived, he could not estimate the number of worshippers, but some space was still available where more could join. By prayer time, the space was almost fully occupied. The Police's intervention was not without reason, but their method of stopping people was wrong. It would not be correct to say that his address provoked anger among people; it would be more accurate to say that people were influenced. His intention was to explain to people through his address, not to provoke them. He wants to fight this battle legally. If any witness has stated before the Commission that his address on 19.11.2024 and 22.11.2024 was provocative, he refutes that. His statement was not

provocative at any level; rather, it was meant to explain things to people.

Regarding the Survey on 24.11.2024, Mr. Zafar Sahib, the President of the Management Committee, informed him on the night of 23.11.2024, though he does not recall the exact time. Mr. Zafar said that another Survey was to take place but did not mention the date or time. At that time, he was in Bangalore to attend a pre-scheduled meeting of the All India Muslim Personal Law Board, for which he had received an invitation on 13.11.2024. His PRO, Abdul Rahman, did not accompany him to Bangalore and was in Delhi. As far as he can recall, Mr. Zafar called him twice on the night of 23.11.2024. He saw the missed calls after reaching Bangalore and spoke to him.

When the Commission asked about evidence suggesting that you spoke multiple times with Mr. Zafar and others on the night of 23.11.2024 to 24.11.2024, instructing him to ensure that the Survey does not take place under any circumstances and to inform the public to gather at Jama Masjid in the morning to oppose the Survey, the Hon'ble MP responded that this is completely false. He never said anything like that to anyone, nor did he have such a conversation over the phone, nor did he want the Survey to be opposed. He was not disturbed by the Survey order, but he wanted an opportunity to present his side before the Hon'ble Court. Jama Masjid is an ASI-protected monument. To his knowledge, the large number of people who gathered on 24.11.2024, were not

pre-organized as part of a conspiracy. People started gathering about an hour after the Survey began, once they received information. They only wanted to know why the Police and Administration had returned to the mosque, when the Survey had already been conducted once. They were not given a satisfactory response; instead, they faced misbehaviour and a lathi charge. When water from the mosque's tank spilled out, a misconception spread among people that the mosque was being excavated, leading to such circumstances. People did not want to enter the mosque; they only wanted answers to their questions. However, if they had entered the mosque, an unfortunate incident could have occurred. He is deeply pained and saddened by the incident that took place and he does not want such an incident to occur in the future anywhere in the state or country. He also wants to say that he does not know why CO Anuj Chaudhary is upset with him. In October, he said he would file false cases against him. In this regard, he submitted a representation to the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha on 10.10.2024, a copy of which he is presenting before the Commission.

18. Testimony of the Son/Representative of Local MLA, Sambhal, Mr Iqbal Mahmood

ICW-181 Mr. Suhel Iqbal, son of Mr. Iqbal Mahmood (MLA Sambhal),

In his affidavit, stated that on 19.11.2024, he was present at Jama Masjid Sambhal during the Survey and stayed with the Administration, cooperating as per their instructions. The Survey continued until around 8:00 PM on that date. On 22.11.2024, he was not present at Jama Masjid, Sambhal during the Juma prayers.

Jama Masjid is 1–1.5 km from his house. There is a mosque near his house called Kile Wali Masjid. He occasionally goes to Jama Masjid to offer prayers. On 19.11.2024, he was in his area and it was the season of weddings. In the afternoon, an advocate called him, whose name he cannot recall at this moment, and informed him about the Survey order. Later, around 5:30 PM, a journalist called and informed him that the DM and SP might visit Jama Masjid for the Survey that evening. He was already at Jama Masjid for the Maghrib prayer, when the journalist provided this information. He had gone there alone to pray and 20–25 worshippers were already present. After offering the Maghrib prayer, as he was leaving the mosque, he saw a group of media personnel. Shortly afterward, the DM, SP, along with a heavy Police force, the Advocate Commissioner, and some advocates entered Jama Masjid. He spoke with the DM and SP and they

informed him that the Survey was being conducted under a court's order. He said, "Alright, I will cooperate." He was speaking as a common citizen and as a representative of his father, the local MLA, Mr. Iqbal Mahmood. MP Mr. Barq arrived at the mosque with one or two people about 15–20 minutes after the Survey began and at that time, he was near the tank (Hauz) inside the mosque. He never opposed or obstructed the Survey; he always cooperated and, in the presence of the Police, urged people to leave the area, after which everyone left. The Hon'ble MP only asked what was happening. The Survey proceedings continued until around 8:30-9:00 PM. Due to the Survey, the prayer time was extended by an hour. The DM told the Advocate Commissioner after the Survey was completed, "The Survey is complete; is there anything else you need to see?" The Advocate Commissioner nodded and said, "No, everything is done." He did not speak to the media that day. The Hon'ble MP stopped at the steps, but he was not aware of what the Hon'ble MP said. On 22.11.2024, he did not go to Jama Masjid to offer Juma prayers.

Regarding the Survey on 24.11.2024, he was informed on 23.11.2024, around 11:30 PM–12:00 AM, when his mother handed him the phone, saying that his father wanted to speak. His father told him that the Survey was scheduled for 24.11.2024 and instructed him to go to the mosque in the morning and speak with the Management Committee to ensure everyone cooperates in this matter. On 24.11.2024, he left for Jama Masjid at 5:30 AM, arrived around 6:00 AM and offered prayers. The President and Secretary

of the Management Committee were not present. When he came out of the mosque around 6:30–6:45 AM, barricades were being set up around the mosque and a heavy Police presence was there, but no members of the public were present. He left to inform Mr. Mashhood Ali Farooqui, the Secretary of Jama Masjid. On the way, he met the Additional SP, greeted him, and asked why such a heavy Police force was deployed. He informed him that the Survey was scheduled for that day and the DM and SP were about to arrive. He then reached Mr. Farooqui's house and noticed he was wearing a mask because he had injuries on his face and lips. He conveyed his father's message, inquired about his well-being, and had tea with his son. Mr. Farooqui left for the mosque immediately. As he was leaving for home after tea, just as he reached the door, he saw the DM, SP, and the Court Commissioner approaching. As he stepped out, a constable came to him and said that the DM and SP were calling him. As he started walking toward them, the DM and SP recognized him from a distance and said, "Suhel, stay inside, the Survey proceedings are about to begin and all the roads have been closed." He went back inside Mr. Farooqui's house and stayed there until after the Maghrib prayer, around 5:30–6:00 PM. That day, incidents of arson, stone-pelting and firing occurred around Jama Masjid. The Police used tear gas shells, vehicles were set on fire, several Police personnel were injured and four people lost their lives. Whatever happened was tragic, but he did not witness it because he was inside Mr. Farooqui's house. Whatever he learned about the incident afterward was through TV

channels and mobile phones. He saw media personnel and Police officers running around.

In response to the Commission's question that many people have provided evidence that you were present at the scene during the incident and incited people, leading to significant loss of life and property, he responded that this is completely baseless, and he did not incite anyone. There is no such evidence. He saw the events through media and mobile phones. If such extensive Police arrangements had not been in place and the gathered crowd had entered the mosque, in his opinion, something unfortunate could have happened to the Survey team and the officials present. Mr. Farooqui's house is 100 meters from Jama Masjid. He did not discuss the Survey on 24.11.2024 with anyone.

19. Evaluation of Testimonies of Eyewitness (Public-Witnesses)

The local residents of Sambhal district, who witnessed the incident with their own eyes, provided statements before the Commission. The summary of the same is as follows:-

A. ICW-121 Mrs. Seema Arya, wife of Mr. Chandresh Arya, submitted a written statement stating that on November 24, 2024, a large number of people were gathering and moving toward Sambhal. They were talking among themselves that a re-Survey was happening at our Jama Masjid, and those conducting or facilitating the Survey should not be spared. She heard these conversations around 7:45 a.m. and came down from the terrace after seeing the crowd. She does not know those people by name. The senior Police officials saved them.

B. ICW-124 Mrs. Suraiyya Khan, wife of Mr. Abdul Saeed, stated that on November 24, 2024, she witnessed the disturbance at Jama Masjid around 10:00 a.m., where people in the crowd were throwing stones, and the sound of gunfire was heard.

C. ICW-117 Mr. Tufail Ahmad, son of Mr. Mohammad Ibrahim, stated that there was a large crowd on the roads around Jama Masjid, and the crowd attempted to obstruct the Survey work. The Police Administration repeatedly tried to reason with the crowd, but they did not listen, nor did they leave and they attacked the Police with stone-pelting and firing.

D. ICW-138 Mr. Mukesh Sharma, son of the late Mr. Ramesh Chand Sharma, stated that on November 24, 2024, rioters from the Muslim community, with full planning, had gathered there in advance with stones, bricks, and illegal weapons. When the Administration requested them to go home, they started pelting stones and firing guns. Vehicles parked on the road were set on fire. Since the Hindu community in Sambhal constitutes 15%, these people misbehave with girls in schools and women in the market.

E. ICW-140 Mr. Rahul Kumar, son of Mr. Sadesh Kumar, stated that after the Survey on November 19, 2024, the influx of outsiders from the Muslim community in Sambhal increased. They were seen for the first time and on November 24, they were observed gathering and moving toward Sambhal with tractor-trolleys, after which information was received about stone-pelting on the Police in Sambhal.

F. ICW-141 Mr. Vikki, son of Mr. Suresh Kumar, stated that on November 24, 2024, they were at their home in Hatim Sarai, and people from the Muslim community were gathering all around, moving toward Jama Masjid, making a lot of noise, inciting others and saying that today the Police would not be able to save anyone entering the mosque.

G. ICW-142 Mr. Mitesh Kumar, son of Mr. Rajiv Singh, stated that on November 24, 2024, hundreds of Muslims were seen coming and going, talking about throwing stones and beating the Police.

H. ICW-143 Mr. Shobhit Kumar, son of Mr. Kishan Lal, stated that on November 24, 2024, around 9:00 a.m., He was going to the market from his home, and upon reaching the Agency Chauraha, he saw a crowd from the Muslim community gathered there, appearing highly agitated and aggressive toward the Police Administration and the Hindu community, moving toward Jama Masjid. Shortly afterward, he learned that thousands from the Muslim community had attacked the Police Administration at the mosque.

I. ICW-130 Mr. Aman Puthia, son of Mr. Sudhir Kumar Puthia, stated that on November 24, 2024, in the morning, there were loud noises of commotion. When he went outside to see, there was a chaotic atmosphere in the neighbourhood. He was informed that a Survey team had arrived at the disputed site, Hari Har Mandir, and the Survey was ongoing. Thousands from the Muslim community had surrounded that site and were raising communal slogans, the sounds of which were audible. He learned that the thousands of people had stones, sticks, and country-made guns. Shortly afterward, the sound of heavy firing came from there. A little later, a large cloud of smoke was visible. The minority Hindu community in Sambhal tehsil is in a very fearful situation.

J. ICW-131 Mr. Abhishek Sharma, son of Mr. Rajendra Sharma, stated that on November 24, 2024, some Hindus outside his house were very frightened, sounds of religious slogans were coming from the direction of Jama Masjid, and firing was also audible. His

house is 150 meters from Jama Masjid. All the lanes were filled; there were thousands of people chanting “Allah-hu-Akbar” slogans. Such a large crowd had gathered in a planned manner to obstruct the Survey team’s work and launch a deadly attack on them.

K. ICW-132 Mr. Arjun, son of Mr. Ombabu Chandra, stated that on November 24, 2024, they were at their home. People from the Muslim community were gathering all around, moving toward Jama Masjid, making a lot of noise, and telling others that today even the Police would not be able to save anyone entering the mosque.

L. ICW-133 Mr. Alok Bharti, son of Mr. Rakesh Kumar Bharti, stated that on November 24, 2024, during the riot, he was standing in the neighbourhood in the morning, and saw 12–15-year-old Muslim boys were angrily saying that today they will not let the Survey happen, and either they or the Hindus will stay in Sambhal. He heard this with his own ears. These boys started chanting “Allah-hu-Akbar” slogans shortly afterward.

M. ICW-137 Mr. Saurabh Gupta, son of Mr. Ajay Kumar Gupta, stated that on November 24, 2024, he personally saw Muslim young boys on the streets waving naked swords and country-made guns, persistently trying to enter Hindu neighbourhoods in a crowd. When stopped by the Police, they fired at the Police. After the riot on the 24th, the many madrasas should be investigated because before the 24th, there were many children in the said madrasas, and now they are not there. This included children from other states.

N. ICW-149 Mr. Kashir Kaushal, son of the late Mr. Kamal Kaushal, stated that on November 24, 2024, the stone-pelting by the Muslim side of the Police Administration, during the Survey in Sambhal was seen by him from the terrace.

O. ICW-150 Mr. Sonu, son of Mr. Rajpal Singh, stated that the population of new Muslim faces increased in our surrounding areas, and after November 19, people were seen for the first time moving around the area, talking about Sambhal's stone-pelters as victims and martyrs. On November 24, 2024, when he went for a walk toward the fields around 5:00–5:30 a.m., he saw tractor-trolleys full of people heading toward the town and many of them were collecting stones from the under-construction road from Singhpur Sahni to Asmauli Mill in tractor-trolleys.

P. ICW-191 Mr. Arpit Saxena, son of Mr. Rajbahadur Saxena, stated that on November 24, he was standing on his terrace; his house is just 25 steps from Jama Masjid. He saw thousands of people from the Muslim community moving forward with swords and homemade guns, inciting some people to target the Police.

Q. ICW-152 Mr. Sunil Kumar, son of Mr. Netrapal Singh, stated that on November 24, Muslims attacked the Police Administration with stones and country-made guns during the Survey and while returning from the market after buying vegetables at that time.

R. ICW-153 Mr. Prabhat Kumar alias Rahul Sharma, son of the late Mr. Chandra Mohan Sharma, stated that on November 24,

2024, in the early morning, he woke up to the sound of commotion. When he went outside to see and found frightened people standing there. He learned that a re-Survey was happening at the disputed site and thousands of Muslims were surrounding the site from the rear. The Survey team was trapped. He also saw smoke rising from the rear. Then he learned that the crowd had pelted stones and fired at the Police and set vehicles on fire.

S. ICW-154 Mr. Rajbir Singh, son of Mr. Bhagwan Singh, stated that on the day of the incident, he was in the Ganj Mohalla at the Janata Tailor shop to collect stitched clothes. As soon as he came down from the shop, there was a commotion that a fight had broken out and he ran toward Nakhasa out of fear. There was severe violence at the Nakhasa Chauraha. He saved his life by entering a house on the Asmauli road west of the Nakhasa Police outpost. In the evening, Police escorted him back.

The testimonies of the eyewitnesses from Sambhal district clearly indicate that on the day of the incident, people from outside the district had come and they had prior knowledge of the Survey. Therefore, they were gathering with full preparation to attack and oppose the Survey team, Police and Administrative team, coming to protect the Survey team in a pre-planned manner. They had preparation for this in the morning by collecting bricks from the roads and arming themselves with weapons. They were heard saying in groups that the Survey team should not be spared today. Additionally, the weapons seen with them by the eyewitnesses also

clarify the crowd's intentions. The Commission found no contradiction in the testimonies of above public witnesses, they corroborate the testimonies of district authorities, Police personnel, including other independent witnesses, hence their testimonies deserve to be relied upon.

20. Evaluation of Eyewitness Testimony of Media Personnel

In the district of Sambhal, regarding the incident that occurred on 24.11.2024, eyewitness media personnel, who were present at the scene on 19.11.2024, 22.11.2024, and 24.11.2024 conducted videography, photography and reporting.

The majority of Media personnel submitted affidavits and given oral testimony on oath before the Commission upon its summons as under:-

A. ICW-172. Mr Sunny Gupta, Dainik Bhaskar, Sambhal, testified under oath that he submitted an affidavit to the Commission, verified as Exhibit K-147.

In his affidavit and testimony, he stated that he has been working with Dainik Bhaskar since 21.09.2022. On 19.11.2024, he reached the mosque premises around 7:30 PM, where thousands in the crowd began sloganeering and attempting to enter the mosque. Sohail Iqbal was already present with supporters and MP Barq arrived later with his supporters. He believes that the Jama Masjid committee informed people about the Survey, leading to a crowd of 3,000–5,000, despite it not being prayer time. The committee president announced the Survey was complete, while the plaintiff's advocate stated it was halted due to the crowd and prayer time, with further notice to follow. MP Barq stated, "The mosque is and will remain a mosque, our place of worship." On 22.11.2024, during Friday prayers, the MP arrived with supporters

and spoke to the media for about nine minutes on the mosque's steps, reiterating, "The mosque is and will remain a mosque." The committee president tried to stop him, but was brushed off. On 24.11.2024, he reached the mosque between 7:00–7:30 AM, covering the event with videography and photography. At 8:15 AM, Police were seen moving toward the western end of the mosque and he followed. People were approaching from the direction of Ek Raat Ki Masjid and Police urged them to return. The crowd demanded to know why the Survey was happening and said that they will not allow this to take place. Despite Police and Administration's appeals to follow court orders and avoid rumours, the crowd began shouting religious slogans, advanced toward the mosque, pushed Police and started stone-throwing. The Police used tear gas and gunfire was heard from the crowd's rear. Many Police personnel were injured and the crowd seemed determined to enter the mosque. Approximately 5,000 Muslim community members surrounded the mosque from three sides. The Police's prompt action prevented a major incident. Injured Police and others were sent to hospitals using available vehicles. He believes the events were triggered by the incomplete Survey on 19.11.2024, the MP's speech on 22.11.2024 and the crowd's actions on 24.11.2024, indicating a pre-planned incident.

B. ICW-173. Mr Arun Kumar, District Correspondent, Hindi Channel, testified under oath that he submitted an affidavit to the Commission, verified as Exhibit K-148.

In his affidavit and testimony, he stated that he has been working with the Hindi channel since 2017. On 19.11.2024, the court-ordered Survey was disrupted due to a large crowd. On 22.11.2024, after prayers, Zia-ur-Rahman Barq held a press conference on the mosque's steps and gave a media byte. On 24.11.2024, he reached the mosque around 7:15 AM, and by 7:35 AM, the Survey team was inside. He was covering the event outside with videography and photography. At 8:15 AM, Police moved toward the western end of the mosque and he followed. People were approaching from Ek Raat Ki Masjid, and Police urged them to return. The Muslim crowd grew on all routes around the mosque. Despite Police appeals to follow court orders, the crowd shouted religious slogans, advanced, pushed Police and began stone-throwing. Police used tear gas and gunfire was heard from the crowd's rear. Many policemen were injured and the crowd seemed determined to enter the mosque. He stated that the large crowd gathering at 7:00 AM in winter, shouting slogans and throwing stones indicated a pre-planned event. Without timely Police action, a Hindu-Muslim riot or harm to the Survey team could have occurred. Twenty-eight to twenty-nine Police personnel were injured and the injured were sent to hospitals using available vehicles.

C. ICW-174. Mr Bhishm Singh Devar, Correspondent, News 18 India Channel, testified that he submitted an affidavit to the Commission, verified as Exhibit K-149, with a pen drive marked as Object Exhibit K-4.

In his affidavit, he stated that the Survey on 19.11.2024 was disrupted due to a crowd. On 22.11.2024, after prayers, Zia-ur-Rahman Barq held a press conference on the mosque's steps with many supporters present. On 24.11.2024, he learned at 7:30 AM about the court-ordered Survey and reached the mosque. The Survey team was already inside and he was covering the event outside. At 8:15 AM, Police moved toward the western end and he followed. People approached from Ek Raat Ki Masjid and Police urged them to return. Administrative/ Police officers mentioned that as per court order, only Survey is being done, and they should not get influenced by any rumour. The Muslim crowd grew, shouted religious slogans, pushed Police and began stone-throwing. The Police used tear gas and gunfire was heard from the crowd's rear. The crowd seemed determined to enter the mosque. He stated that the large crowd gathering from distant areas indicated a pre-planned event. The Police's swift actions prevented a major incident, averted a communal riot and safely evacuated the Survey team. He provided a recording of the event.

D. ICW-175. Mr Omveer Singh, Photographer, Hindustan Newspaper, Sambhal, testified that he submitted an affidavit to the Commission, verified as Exhibit K-150, with a pen drive marked as Object Exhibit K-5.

In his affidavit, he stated that the Survey on 19.11.2024 was disrupted due to a crowd. On 22.11.2024, Mr Zia-ur-Rahman Barq held a press conference on the mosque's steps after prayers and

gave a media byte. On 24.11.2024, he learnt about the Survey at 7:50 AM and reached the mosque, covering the event outside. Police moved toward the western end at 8:15 AM, and he followed. People approached from Ek Raat Ki Masjid, and Police urged them to return. The Muslim crowd grew, shouted religious slogans, pushed Police and began stone-throwing. The Police used tear gas and gunfire was heard from the crowd's rear. The crowd seemed determined to enter the mosque. He was present at the site on 19.11.2024, 22.11.2024, and 24.11.2024, photographing the events. Police repeatedly urged the crowd to remain calm and follow court orders, but the crowd continued to gather. The Police's actions prevented a major incident, safely evacuated the Survey team and averted a communal riot. He believes the 24.11.2024 incident was pre-planned.

E. ICW- 176. Mr Abhinav Mathur, Stringer, Aaj Tak News Channel, Sambhal, testified that he submitted an affidavit to the Commission, verified as Exhibit K-151.

In his affidavit, he stated that the Survey on 19.11.2024 was disrupted due to a crowd. On 22.11.2024, Zia-ur-RahmanBarq held a press conference on the mosque's steps after prayers with many supporters present. On 24.11.2024, he learnt about the Survey at 6:30 AM and reached the mosque by 7:15 AM near the main gate. At 7:30 AM, the Survey team arrived with the DM and SP via Dak Khana Tiraha and entered the mosque. He continued reporting for his channel. At 8:15 AM, Police moved toward the western end,

and he followed. People approached and Police urged them to return. The Muslim crowd grew, shouted religious slogans, pushed Police and began stone-throwing. The Police used tear gas and gunfire was heard from the crowd's rear. The crowd seemed determined to enter the mosque. He noted that only a few knew about the Survey, yet thousands gathered, many masked, throwing stones and shouting slogans, indicating a preplanned event. The Police's effective management prevented a communal riot and safely evacuated the Survey team to the Police station. Fire brigade vehicles and others transported the injured to hospitals.

F. ICW-177. Mr Dharmendra Singh, Stringer, ANI Channel, Sambhal, testified that he submitted an affidavit to the Commission, verified as Exhibit K-152.

In his affidavit, he stated that the Survey on 19.11.2024 was disrupted due to a crowd. On 22.11.2024, Zia-ur-Rahman Barq held a press conference on the mosque's steps after prayers with many supporters present. On 24.11.2024, he learnt about the Survey at 7:40 AM and reached the mosque, where the Survey team was already present. While reporting at Dak Khana, he noticed increased Police activity. Police moved toward the western end and he saw a large crowd. The SP, ASP, CO, and SHO urged the crowd to follow court orders and return home. The crowd shouted religious slogans, pushed Police and began stone-throwing. The Police used tear gas, and gunfire was heard from the crowd's rear. Many policemen were injured and the crowd

seemed determined to enter the mosque. He stated that arson had already occurred when he arrived, indicating a preplanned event. Without the Police's swift action, a major incident, communal riot, or harm to the Survey team could have occurred. He covered the 19.11.2024 Survey but was not present for Barq's speech on 22.11.2024. Some unfamiliar faces in the crowd on 24.11.2024 suggested they were summoned in advance, indicating a planned event by a specific community.

G. ICW-178. Mr Mohammad Muzammil, Stringer, TV9 Bharatvarsh, Sambhal, testified that he submitted an affidavit to the Commission, verified as Exhibit K-153, with a pen drive marked as Object Exhibit K-6.

In his affidavit, he stated that the Survey on 19.11.2024 was disrupted due to a crowd. On 22.11.2024, Zia-ur-Rahman Barq held a press conference on the mosque's steps after prayers with many supporters present. On 24.11.2024, he reached the Jama Masjid around 8:00 AM for coverage, where the Survey team was working. At 8:30 AM, he heard noises from the western end and reached the municipal tank road, where a large crowd was shouting religious slogans and causing a commotion. The SP and CO Sambhal used a microphone to urge the crowd to avoid provocation and maintain peace. The crowd ignored them, advanced toward the mosque and began stone-throwing, in order to stop Police from using tear gas. The crowd damaged and set fire to vehicles on the road. He escaped the chaos. He stated that

the Police's efforts prevented a major incident and the Survey team was safely evacuated via another route, averting potential harm.

H. ICW-179. Mr Pradeep, Stringer, Republic Channel, Sambhal, testified that he submitted an affidavit to the Commission, verified as Exhibit K-154.

In his affidavit, he stated that the Survey on 19.11.2024 was disrupted due to a crowd. On 22.11.2024, Zia-ur-Rahman Barq held a press conference on the mosque's steps after prayers with many supporters present. On 24.11.2024, he reached the mosque at 7:15 AM, and by 7:35 AM, the Survey team was inside. He was covering the event outside. At 8:15 AM, Police moved toward the western end and he followed. People approached from Ek Raat Ki Masjid, and Police urged them to return. The Muslim community crowd grew, shouted religious slogans, pushed Police, and began stone-throwing. The Police used tear gas and gunfire was heard from the crowd's rear. Many Police men were injured and the crowd seemed determined to enter the mosque. He stated that the large crowd was stone-throwing, indulging in arson and attempted to enter the mosque, despite Police appeals, indicating a preplanned event. The Police repeatedly urged calm and compliance with court orders and used appropriate riot control measures without excesses. Some rioters had ink on their faces.

I. ICW-185. Mr Gaurav Shrivastava, Senior Correspondent, Times Now Navbharat, Noida, stated that today, in response to the Commission's summons, he is presenting a pen drive with unedited incident-related recordings, verified as Exhibit K-07, along

with cameraman Ankit Kumar. He has been a senior correspondent with Times Now, Navbharat electronic media since 2021 and was present in Sambhal district on 22.11.2024 and 24.11.2024. On 22.11.2024, during Friday prayers, there was heavy crowd pressure and many worshippers were stopped by Police from entering JamaMasjid due to lack of space. He saw worshippers praying on rooftops around Jama Masjid. After prayers, the Sambhal MP arrived with supporters on the mosque's steps and addressed the media, as is widely known and broadcast on various channels. As a local leader, he aimed to convey that the Survey was unjust. On 24.11.2024, he reached Jama Masjid at 5:45 AM with cameraman Ankit. He was standing in front of the main gate's steps, with no crowd present then. Around 7:30 AM, the Survey Commission arrived near Jama Masjid with the DM, SP and others. After the Survey team entered, people began gathering around the mosque from three sides. Shortly after, Police allowed them to go to the back and by the time they reached behind the mosque, a large, angry crowd was trying to approach it. The DM, SP and other officials were trying to explain and pacify them, the crowd started religious slogans like "Nara-e-Takbir, Allah-hu-Akbar". Some in the crowd had covered faces, including young children who had covered their faces before tear gas was fired. Stone-pelting and sloganeering occurred, with the crowd attempting to reach the mosque. Police and administrative officials, without using force, continuously tried to persuade the crowd to return. In his view, some message reached the crowd, causing it to

suddenly turn aggressive and target the media with stone-pelting to stop live coverage. Some Policemen told the stone-pelting crowd to at least respect the DM and SP's presence, to which the crowd replied to stop live coverage, as many faces were visible. Police requested them to move, but he continued his work. Public and Police vehicles were burnt, which they covered. Coverage lasted from morning until about 11:30 AM–12:00 PM. During coverage, he saw a boy showing his mosque committee ID to the crowd, saying he was from the committee, no wrong activity was happening, and to stay calm and leave. The crowd pelted with stones, seriously injuring him. His mother, nearby, came to him and, when he asked, said tearfully that these were outsiders causing the disturbance. Additionally, stone-pelting in the DM and SP's presence made him feel that the crowd was not self-motivated, but gathered due to incitement, leading to this violent incident. It appears outsiders were called to Sambhal. The crowd's violence and stones reaching the mosque's perimeter suggest their intent was to enter the premises, stop the court-ordered Survey and harm the Survey team. Police used appropriate force only after stopping the crowd and Police injuries, thwarting their attempts to enter the mosque and preventing a major incident in Sambhal through effective control. After the Survey, when he reported in the lanes adjacent to the mosque, found piles of stones at several places, likely leftover from stone-pelting. He also saw and covered Police-fired tear gas shells being picked up and thrown back at Police by the crowd.

J. ICW-186. Mr Ankit Kumar, Cameraman, Times Now Navbharat , Noida, stated that he appeared for evidence in response to the Commission's summons. He recorded the events of 22.11.2024 and 24.11.2024 with Gaurav Shrivastava. On 24.11.2024, from 5:45 AM to 12:00 PM, he recorded the incident with Mr Gaurav Shrivastava. He reached near the mosque at 5:45 AM. Shortly after, the Survey Commission team and Police officers began arriving. Around 8:00 AM, a large number from one community surrounded the mosque, raising slogans against the Survey. The crowd gradually became aggressive. Seeing their aggression, Police officers tried hard to explain, but they did not listen, chanting religious slogans, pelting stones and committing arson. Police used appropriate force to stop them.

The sum and substance of the eyewitness media personnel is that media personnel reached the mosque premises on 19.11.2024 in the evening and observed a crowd of thousands. The crowd was attempting to enter the mosque while raising slogans. Local MP Mr. Zia-ur-Rahman Barq and local MLA's son Mr. Suheil Iqbal were also present at the Jama Masjid. The Survey work was being conducted under the orders of the Hon'ble Court. Due to the large crowd, the Survey proceedings were disrupted. The crowd was estimated to be between three to five thousand people, and it was not the time for namaz. The president of the Jama Masjid Committee informed the people that the Survey had been completed, whereas the advocate of the plaintiff side stated that the Survey was halted due to the crowd and the timing of

namaz, further information about the Survey would be provided later. A statement was made by SP, MP Mr. Barq that the mosque is, and will remain a mosque, and it was further stated that it has been our place of worship and will continue to be so.

On 22.11.2024, the day of Juma namaz, the crowd pressure was significant. Due to limited space in the Jama Masjid, the Police prevented many worshippers from entering. Worshippers were also seen offering namaz on the rooftops adjacent to the Jama Masjid. After the namaz concluded, MP Mr. Barq addressed the press and the gathered crowd from the steps of the mosque. His speech was broadcast through various channels, during which he reiterated that the mosque is, was, and will remain a mosque. These statements were impacting the people and the president of the mosque committee attempted to intervene, but Mr. Barq brushed off his hand. As a local leader, he seemed to convey the message that the Survey being conducted was unjust.

On 24.11.2024, around 07:30 AM, the Survey Commissioner, DM, SP, and others arrived at the Jama Masjid. After the Survey team entered the mosque, people began gathering around the mosque from three sides. A little later, the Police allowed media personnel to move to the rear side of the mosque. By the time they reached the back, a large, agitated crowd was attempting to move towards the mosque. The DM, SP and other officials were trying to reason with and pacify the crowd. The crowd was chanting religious slogans such as “Allah-hu-Akbar” and “Nara-e-Takbeer.”

Some individuals in the crowd had their faces covered and there were young children among them, who had covered their faces even before tear gas was used. They were pelting stones, raising slogans and repeatedly attempting to enter the mosque. The Police and Administration officials were trying to control the crowd without using force, repeatedly attempting to reason with the public. Suddenly, it seemed that a message circulated within the crowd, causing it to become extremely aggressive. The crowd began targeting the Police, Administration and the media personnel with stone-pelting to stop the live coverage. Some Police personnel appealed to the stone-pelting crowd, saying that the DM and SP were present and they should at least respect them. The crowd responded, demanding that the live coverage be stopped because many faces were visible. The Police then requested the media person to move aside, but they continued their work. Public and Police vehicles were set ablaze, and the same covered by the media persons as well. When the crowd became aggressive and advanced toward the Jama Masjid, engaging in pushing and shoving with the Police, 2-3 Police personnel fell on the ground. As the crowd reached close to the Jama Masjid, the Police fired tear gas shells. The crowd picked up the tear gas shells and threw them back at the Police. Sounds of gunfire were continuously heard from the rear of the crowd. Many Police personnel were seen injured and it appeared that the crowd was determined to enter the Jama Masjid at any cost. During the coverage, it was observed that a boy, showing his mosque committee ID card to the

crowd, said, “I am from the mosque committee, nothing wrong is happening in the mosque, please stay calm and go back.” The crowd attacked him with stones, seriously injuring him. Meanwhile, his mother, who was nearby, came to him and, upon inquiry, said tearfully that these were outsiders causing the disturbance. This suggested that people from outside Sambhal had also been called. Given the violent nature of the crowd, the stone-pelting and the fact that stones were reaching the mosque’s perimeter, it cannot be denied that the crowd’s intention may have been to enter the mosque premises, disrupt the court-ordered Survey and harm the Survey team. Despite injuries to Police personnel, the Police used appropriate force to prevent the crowd from entering the mosque, successfully thwarting their attempts. In this incident, 28-29 Police personnel were injured. On the day of the incident, the injured were being sent to the hospital in whatever vehicles were available to the Police and Administration. The Survey team was safely evacuated and a Hindu-Muslim riot was averted. After the Survey was completed, while reporting in the lanes adjacent to the mosque, piles of stones were found at several places, which were leftover from the stone-pelting.

The eyewitness media personnel, while describing the incident, stated that the gathering of thousands of people from far-off places at 07:00 AM in the cold, chanting slogans, pelting stones and attempting to enter the mosque indicates that this was a pre-planned incident. Had the Police not acted with such alertness and wisdom, a major incident could have occurred.

On 24.11.2024, individuals were seen in the crowd who had never been seen in Sambhal before, which is only possible if they were informed and called in advance. The sequence of events began with the Survey on 19.11.2024, which remained incomplete, followed by the provocative speech by the Member of Parliament, Sambhal at the mosque stairs on 22.11.2024, indirectly sending a message to the Muslim side, which could be the starting point of this incident. The testimony of eyewitness media personnel corroborates the testimony of other persons and deserves to be relied upon.

21. Statements of Detained Witnesses before the Commission through video conferencing

In the district of Sambhal, 12 criminal cases have been registered, statements of 79 detained witnesses were recorded. Among them is ICW 184, Mr Zafar Ali, Advocate, Sadar Jama Masjid, whose affidavit and oral testimony is placed along with the testimony of other members of the committee management of Jama Masjid. The statements of other detained witnesses are as follows:

A. ICW 40. Mr Shadab, son of Mohammad Tanveer Alam, stated before the Commission that in the morning, while he was going to work at his shop selling Lowers and T-shirts near Bal Vidya Mandir School, the Police questioned and arrested him around 8:30 AM. The shop opens between 7:30–8:00 AM. He was unaware that Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) had been imposed. He is only connected with friends on WhatsApp and not part of any other group.

B. ICW 41. Mr Mohammad Rehan, son of Mr Shamsad Mistri, stated before the Commission that he had no information about the Survey. He had gone to buy household items and, while returning from the market lane, the Police arrested him in front of the Ghanta Ghar. He had visited a friend's shop to buy Lowers and T-shirts but did not know the friend's name or the shop's name. He was unaware that Section 163 of the BNSS had been imposed in the town.

C. ICW 42. Mr Gulfam, son of Mr Mohammad Chaman, stated before the Commission that he was standing in the lane in front of his house, where a goat was grazing nearby, when the Police arrested him. When asked by the Commission whether the Police was present there, he replied no and stated that he did not throw any stones.

D. ICW 43. Mr Saleem, son of Mr Yusuf, stated before the Commission that he does embroidery work. He was standing near the tehsil for labor work when Police arrested him. He was unaware that Section 163 of the BNSS had been imposed. He stated there was no stone-throwing in the crowd and he had no knowledge of what was shown on TV regarding stone-pelting. He was unaware that a Court Commissioner would come to Survey the Jama Masjid.

E. ICW 44. Mr Sameer, son of Mr Laddan, stated before the Commission that he had no knowledge about the mosque Survey. He had gone to his uncle's house on a scooter to get milk when a crowd of 100–200 people came running toward him, causing him to fall off the scooter, after which the Police arrested him. His uncle lives in Lal Bando Mohalla, about 1.5–2 km from the Jama Masjid. He did not see anyone throwing stones or raising slogans and was unaware that Section 163 of the BNSS had been imposed in the town.

F. ICW 45. Mr Yakub, son of Mr Acchan, stated before the Commission that he lives in Delhi and had come to pick up his wife from her parental home. He is not part of any WhatsApp group

related to the Survey. He was arrested near Pattharwala Bagh, about 1–1.5 km from the Jama Masjid. At the time of the incident, he saw a crowd throwing stones from the third floor of his house. He left his house to go to his sister's house, but seeing the crowd, stayed at his sister-in-law's house. Around 12:30 PM, the Police arrested him along with four others. He does jeans stitching work. At the time he came downstairs, the crowd was shouting "**Allah-hu-Akbar**" slogans, but no stone-throwing was happening. Bricks and stones were lying around due to construction of houses at that place. The crowd had not covered their faces, and he saw no weapons in anyone's hands. He had no knowledge about Section 163 of the BNSS. He had come to pick up his wife and children and would have complied, if he had known. When he stepped out of the house, there was no Police presence. His sister-in-law's house is 1 km from the Jama Masjid. While going to his sister's house, he saw the Police and the crowd, so he stayed at his sister-in-law's house. On 22.11.2024, he was in Sambhal and offered prayers at the Jama Masjid. On 19.11.2024, he was also in Sambhal but did not offer evening prayers. On 22.11.2024, after prayers at the Jama Masjid, the MP arrived, but he was unaware. He saw on his phone's internet that a speech was given on the mosque's stairs and that a survey was about to happen.

G. ICW 46. Mr Salman, son of Mr Shahid Hussain, stated before the Commission that he lives in Mohalla Kotgarvi and works as a tailor near the Jama Masjid at Nadeem's place, the factory has no specific name. His arrest took place at Chakki ka Paath, about half

a kilometer from his house and 1.5 km from the Jama Masjid. On 19.11.2024 he was in Sambhal and had no information about the Survey. He offers prayers at the Rajwali Masjid in his locality and occasionally prays at the Jama Masjid, maybe once or twice every month. While going to work at 9:00 AM, the Police arrested him around 9:30 AM.

H. ICW 47. Mr Rehan Ali, son of Mr Zulfikar, stated before the Commission that he does ready-made jeans stitching work and has a respiratory illness. At 10:00 AM, he went to Farhan Medical Store to get a respiratory pump. When he left, there was no crowd, but a tear gas shell fell near him, causing him to fall and he was arrested. On 19.11.2024 and 22.11.2024, he offered prayers at the Jama Masjid. He does not know who the MP of Sambhal is. When the Commission asked whether he saw the Sadar of the Jama Masjid at that time, he gave no response and further stated that on the 22nd, he heard that the Survey was being conducted wrongly and should be opposed. The sequence of events of 24.11.2024 started from 19.11.2024 itself.

I. ICW 48. Mr Mohammad Babu, son of Mr Nazir, stated before the Commission that he lives in a rented house at Abrar Hussain's place and works as a conductor on a vehicle. He has been living in Sambhal since childhood and has five daughters, four of whom are married. He was standing in a lane half a kilometer from his house, which is also half a kilometer from the Jama Masjid, when he was arrested. On the 19th, 20th, and 21st, he was in a vehicle in Ramnagar. The vehicle is a ten-tyre truck

operating between Sambhal and Ramnagar, owned by Kapil Singhal, with a driver named Israr. At the time of his arrest, there was a large crowd, and he was arrested from within it.

J. ICW 49. Mr Mohammad Haider, son of Mr Mohammad Shakir, stated before the Commission that his residence is in Inayatpur, Shahjahanpur, but he has been living in Sambhal for 3–4 years to study. He lives at Rajaye Mustafa Masjid in Kantosarai and attends coaching at Bazaar Shahi Shankar Chowraha for intermediate studies and English speaking, where Junaid Sir teaches, with 10–11 students. He was going to study when the Police forcibly arrested him. From 19.11.2024 to 24.11.2024, he was in Sambhal and offered prayers at Rajaye Mustafa Masjid. His father does tailoring work in Shahjahanpur. He earns 5,000 rupees for teaching children and pays 2,000 for coaching. He does not vote in Sambhal but is a voter in Shahjahanpur. When the Commission asked whether he voted in Shahjahanpur, he replied that he does not have a voter ID.

K. ICW 50. Mr Yameen, son of Mr Mahmood Hasan, stated before the Commission that he drives an auto but does not remember the auto's number. He lives in Kotgarvi, about 1 km from the Jama Masjid. His entire family offers prayers, and he is a five-time prayer observer. He offers Friday prayers at the Jama Masjid. When the Commission asked, "Did you go to the Jama Masjid for prayers on the 22nd and were you aware of the MP's arrival and speech on the stairs?" he replied yes, but after offering prayers at the Jama Masjid, he went straight home. His arrest took

place at 12:30 PM from his house, along with his brother and a neighbour.

L. ICW 51. Mr Saleem, son of the late Mr Mohammad Islam, stated before the Commission that he does painting work. The dispute began on 19.11.2024. His arrest took place on 24.11.2024 between 1:30 and 2:00 PM from his doorstep. On 24.11.2024, a crowd had gathered, but he was not part of it. He offers prayers at the Bagiyawali Masjid near his house and has never gone to the Jama Masjid for prayers. He is illiterate and had no knowledge of Section 163 of the BNSS. Due to the crowd and stone-throwing, he took a longer route for home by auto, which took 15–20 minutes.

M. ICW 52. Mr Aftab, son of Mr Mohammad Shabbir, stated before the Commission that he drives a family car, Creta with registration number UP 38 S 1007, for his employer Sajid Saifi near Delhi Darwaza, along with other vehicles like Innova, Baleno, and Fortuner, totalling seven cars. His employer owns a tiles showroom on Moradabad Road. On 24.11.2024, he had never seen such a crowd and dispute in his life. The Police arrested him from his house around 12:30 PM. He was also in Sambhal on 19.11.2024.

N. ICW 53. Mr Mohammad Nadeem, son of Mr Rasheed, stated before the Commission that he has been suffering from diabetes and kidney issues for 25 years. His house is 2 km from the Jama Masjid, and he offers prayers at the Haji Saleem Ali Masjid near his house. He learned about the Survey after it had already taken place. On the night of the 22nd, he heard that a

Survey was happening at the mosque. He also heard that a crowd had gathered at Nakhsa Chowraha and a dispute occurred, which started on the 19th and continued until the 24th. He saw on TV around 10:00 AM that stone-throwing was happening.

O. ICW 54. Mr Firoz, son of Mr Wahid Hussain, stated before the Commission that from 19.11.2024 to 24.11.2024, he was in Sambhal. He works at a Jan Seva Kendra near Rajwari Masjid at the tehsil and offers prayers at Rajwari Masjid, not going to the Jama Masjid as it is far. He came to Chakki at 12:00 PM to get breakfast and was arrested by the Police there. He had no knowledge of the Survey until the 20th. Salman from his locality was also arrested. He stated that an incident like the one on the 24th should not have happened.

P. ICW 55. Mr Fardeen, son of Mr Salauddin, stated before the Commission that he offered prayers on the 19th and always offers Friday prayers. He works at a garments shop at the tehsil, 2 km from the Jama Masjid. The shop opens at 7:00 AM. On the day of the incident, the atmosphere was tense and a crowd was gathering, so the shops were closed.

Q. ICW 56. Mr Mohammad Tahzeeb, son of Mr Sharafat, stated before the Commission that he was arrested from his house because he was at home. His brother went to Muzaffarnagar to get a vehicle, so he was not arrested. Yakub from his locality was also arrested. He occasionally offers prayers at the Jama Masjid and still does not know that a Survey took place.

R. ICW 57. Mr Naeem, son of Mr Puttan, stated before the Commission that he sells fruits in Delhi and came to Sambhal for his sister's and brother's wedding, scheduled for 25.11.2024–26.11.2024. Due to the Survey, a crowd had gathered and the Police arrested him from his house. On 19.11.2024, he offered prayers at the Hussainwali Masjid in his locality, 1.5 km from the Jama Masjid. He has been living in Delhi for 28 years and votes there. He came to Sambhal from Delhi with his wife and six children on 19.11.2024, by which time the Survey had already happened.

S. ICW 58. Mr Faizan, son of Mr Iqbal Hussain, stated before the Commission that he lives in Chaudhary Sarai, Sambhal, 3 km from the Jama Masjid. During the incident, he was at his warehouse and at 8:00 AM, he learned that an incident had occurred. The warehouse is 3 km from his house. The Police called him for questioning. He offers Friday prayers at the Puliya Wali Masjid. He was in Sambhal on 19, 22, 24 and 28.11.2024. He opened the warehouse shutter at 6:30 AM and sells coconuts. When the situation worsened at 8:00 AM, he closed it. He had no knowledge of Section 163 of the BNSS. He was told there was a crowd near the Jama Masjid and people were passing by the warehouse. He read in the newspaper that there was a crowd at the Jama Masjid, a riot occurred and four persons died.

T. ICW 59. Mr Aamir, son of Mr Irfan, stated before the Commission that he works as a conductor on a truck and his father is a driver. From 19 to 24, he was at home in Sambhal. On the day

of the incident, he was at home and his mother did not let him go out. From the 19th, his mother had kept him at home. He offers prayers at the Ek Minar Wali Masjid. His house is 1.5 km from the Jama Masjid. Since 19.11.2024, there was a fear in the town that a riot would happen at the Jama Masjid.

U. ICW 60. Mr Mohammad Ali, son of Mr Amanat Hussain, stated before the Commission that on the 19th, during the first Survey, he was at his shop at the Jama Masjid for which he pays Rs. 2,000 per month rent. It is a wooden shop, but he does not know if the crowd broke the CCTV cameras installed at Warsi Gym. There was heavy unrest in front of Warsi Gym, but he does not have accurate information about the stone-throwing. His mother had locked the door from inside. His wedding was in December and he was distributing cards, so he does not know further details.

V. ICW 61. Mr Azeem, son of Mr Khalil Ahmad, stated before the Commission that his house is about 20 km from the Jama Masjid. He works at Haji Raza's, making silver foil. On 24.11.2024, he was going to the shop and standing in a lane when the Police arrested him. He does not know from where people got bricks and stones. He was injured during the unrest on the 24th, shot by the Police, with a pellet hitting his thigh while standing in the lane. There was a large crowd, but he was standing alone. The crowd was running toward them from another route. He does not know if the crowd used country-made bombs or pistols. On 22.11.2024, he went to the Jama Masjid for Friday prayers. When the Commission

asked what discussions took place there, he replied that he did not know, then clarified that he did not pray at the Jama Masjid but at another mosque in the market, whose name he did not know.

W. ICW 62. Mr Hasan, son of Mr Irfan, stated before the Commission that he makes signage boards in Delhi. He was injured by a bullet that went through his hand on 24.11.2024 around 10:00 AM. His father had passed away and he was going to call someone to cook for the 20th-day ceremony. The bullet hit him during a stampede and he believes the Police shot him, as they were 60 meters away. He saw a man lying injured on the ground in front of him, whom the Police kicked and he died. He had arrived from Delhi half an hour before the bullet hit him. The bullet hit him half a kilometer from the Jama Masjid. The Police took him to TMU Hospital and admitted him. On 13.12.2024, he received a threat from someone accompanying the CO of Asmauli, whose name he does not know, saying that he had messed with the wrong person and would be shot if he came out of the jail, but he would be safe in jail. He did not complain about this to anyone.

X. ICW 63. Mr Shariq, son of Mr Mohammad Shahid, stated before the Commission that he saw a crowd of 400–500 people gathering at the Jama Masjid, so he went there. The crowd had gathered due to the Survey. He stood in the crowd for about five minutes. At that time, the CO was trying to calm the people. After the CO's persuasion, some people left, while others stayed. His house is 1–1.5 km from the Jama Masjid. He works as a plumber and his father does labor work.

Y. ICW 64. Mr Tanveer, son of Mr Yaseen, stated before the Commission that he does jeans stitching work. On the 24th, when stone-throwing and riots happened, he was at home. He does not know why the Police arrested him. He does not know about the Sadar of the Jama Masjid and takes care of his own mosque.

Z. ICW 65. Mr Azhar, son of Mr Safiuddin, stated before the Commission that he lives in Noida and offers prayers there. He does AC repair work. He came to Sambhal in September due to a bike accident. A month after the incident, 40 Police officers came to his house and took him away. He was in Sambhal from the 19th to the 24th. When the riot happened, he was lying at home and was arrested from there. His house is about 1 km from the Jama Masjid.

AA. ICW 66. Mr Raju alias Mustafa Hasan, son of Akeel, stated before the Commission that his house is about 1–1.5 km from the Jama Masjid. His mobile number is 8449838371. He works as a mason. He was working at Chandu Bhai's house, 1 km from his home, when he learned at 11:00 AM that a dispute had occurred, but he was not allowed to go. He worked until evening and then went home. Two days later, he went back to work. He offers prayers at the Gausia Masjid, 150 steps from his house. On 23.12.2024, 35–40 Police officers came, knocked on the door, and arrested him. He does not know who disrupted the Survey. The MP of his area is Barq Sahab.

BB. ICW 67. Mr Sujauddin alias Sajju, son of Shahabuddin, stated before the Commission that he works at a plywood

showroom and Fitness Point Gym. On the 24th, around 8:00 AM, he was at his gym where boys were exercising. He saw the Police and it came in large numbers. SI Babu Bhai asked to let two constables go to the roof and he allowed them and sat with them. He also made a video clip with the constables. There was a large crowd, a little distance from their gym, where the unrest occurred, and Police officers were also injured.

CC. ICW 68. Mr Mohammad Azam, son of Mohammad Athar Khan, stated before the Commission that he is a civil engineer and makes house maps. He has an office in Sambhal. From the 19th to the 24th, he was at home in Sambhal. During the riot, he was present in the crowd and trying to stop it. The Police came to them and asked them to stop the stone-throwers. A video of him stopping the stone-throwers went viral, after which he went home. There were about 400 people in the crowd. Stone-throwing was happening from the back. Slogans like “Nara-e-Takbeer” and “Allah-hu-Akbar” were being raised. Around 9:00–9:15 AM, everything was normal. He does not have accurate information about the opposition to the Survey. The crowd was gathering due to the Jama Masjid Survey and surrounding the mosque.

DD. ICW 69. Mr Javed Akhtar, son of Zahid Hasan, stated before the Commission that he runs a dairy, opening at 11:00 AM and closing at 11:00 PM. During the incident, he went to the shop, learned about the incident from people and did not open the shop and returned home. He saw on TV that four people died. The dispute arose because of the claim of a Hari Mandir. He offers

prayers at the Kureshian Masjid, near his house. On 19.11.2024, he was at the shop and learned about the Survey and its opposition that day. On the day of his arrest, his father went to the Police station, but no one listened.

EE. ICW 70. Mr Shahad, son of Naseer, stated before the Commission that he drives his own taxi. Two months ago, he had a dispute with someone and he was in jail for that. He was released on 22.11.2024. He was called to the Police station for questioning and his challan was issued in the morning. From the 22nd to the 24th, he was in Jafarabad with vehicle. This was his second time in jail.

FF. ICW 71. Mr Shoeb, son of Sarfaraz, stated before the Commission that he lives 20 meters from the Jama Masjid in Kotgarvi. He did not receive any information about the Survey via WhatsApp, but since he lives nearby, he knows everything. He runs a grocery store. On 24.11.2024, during the incident, the Police were there beneath his house on the Kailadevi road. The sub-inspector told them to go inside and not stand there. Around 8:00–8:30 AM, stone-throwing started.

GG. ICW 72. Mr Saleem, son of the late Rafiq, stated before the Commission that he drives his own Ertiga taxi, bought from Meerut, operating between Sambhal and Delhi. The Jama Masjid is 1 km from his house. He offers prayers at the Warsi Masjid. He was in Sambhal from 19.11.2024 to 24.11.2024. The Police arrested him while he was loading the vehicle, but he does not know why. He

acknowledged that a riot happened and there was a huge crowd, which he saw on his mobile.

HH. ICW 73. Mr Asad, son of Mohammad Nabi Hasan, stated before the Commission that he is a barber. He was in Sambhal from 19.11.2024 to 24.11.2024. He heard that a Survey was conducted at the Jama Masjid on 19.11.2024. The dispute did not start on 19.11.2024 but on 24.11.2024. He got the information through the news. His shop is about 1,500 meters from the Jama Masjid and it was open during the dispute.

II. ICW 74. Mr Dilnawaz, son of Shafiq, stated before the Commission that he has a mobile recharge shop near Kalki Mandir, 200 steps from his house and 200 steps from the Jama Masjid. He offered Friday prayers at the Jama Masjid on 22.11.2024. After prayers, he went home. Barq Sahab may have come to the mosque later, but he does not know. He knows that four people died and many were injured on the day of the incident.

JJ. ICW 75. Mr Imran, son of Virasat, stated before the Commission that he lives near the Ektratwali Masjid in Mohalla Kotgarvi, next to the Jama Masjid. He works at a factory, stitching jeans. Crowds gathered at 2–3 places near the Jama Masjid, a dispute occurred, some vehicles were burned, some people were injured and some died. He did not see it but heard about it. He stated that this incident was wrong.

KK. ICW 76. Smt. Farhana, wife of Subhaan, stated before the Commission that during the incident, she was at home and learned that a dispute was happening at the Jama Masjid and

stone-throwing was occurring on the road. They have cameras installed at their house, but she did not go outside to check. She does not know if the camera at their house was broken or spared. She has lived in Sambhal since birth. When asked whether she had seen such an incident before 24.11.2024 or not, she stated that she does not know anything.

LL. ICW 77. Smt. Rukaiyya, wife of Tahir, stated before the Commission that Farhana, Zikra and she were arrested together. She is about 50 years old. Her husband is ill and was at his sister's house in the locality on the day of the incident. On 24.11.2024, stone throwing happened, but they were inside the house. Stone-throwing was happening from one house and the person from whose house it was happening is Husna and the one whose name is Zikra.

MM. ICW 78. Smt. Zikra, daughter of Suheb, stated before the Commission that she threw stones from the terrace because her child was hit. She threw only two stones. Husna is her mother and she was cooking food. She does not know how many people climbed onto her terrace.

NN. ICW 79. Kumari Nazrana, daughter of Zahid, stated before the Commission that Husna Baji, Zikra Baji, Noorbi Bhabhi and Maryam, four people were on the terrace. They were throwing stones at the Police.

OO. ICW 80. Mr Mohammad Aamir, son of Ansar Ahmad, stated before the Commission that he lives above a showroom in Kotgarvi and has a crockery shop below the Jama Masjid. On 11.01.2025,

the Police arrested him from the showroom. On the 19th, in the evening, people were gathering. His showroom is made of glass, so he closed it. On 24.11.2024, there was a loud noise. The Police and around 2,000 people were talking, he does not know from where so many people came. On 22.11.2024, the MP gave a speech at the Jama Masjid. They were speaking on Friday. He learned this from the news. He stated that this incident was wrong. There was a lot of destruction and the glass of his shop was broken, the meter burned due to a hit.

PP. ICW 81. Mr Tahzeeb, son of Samsheer, stated before the Commission that he has an Islamic group. He lives near Delhi Darwaza and works at Mahtab's warehouse dealing in scrap. On 24.11.2024, he went to work and the Police called him for questioning, then issued a challan. A crowd had gathered during the incident, but he was 50 meters away. The warehouse was closed and there were noises and sloganeering.

QQ. ICW 82. Mr Azhar Ali, son of Zafar Ali, stated before the Commission that he saw about the incident in the news. During the incident, he was at home, where a blast was happening. His house is at Delhi Darwaza. He does jeans stitching work. The Police called him for questioning, showed him a video, but he could not identify anyone and they sent him to jail. He was in Sambhal from 19.11.2024 to 24.11.2024. In this incident, his younger brother was also arrested, which he stated was wrong. He watched live on YouTube that there was a crowd of Police and people, there was noise, but he did not hear sloganeering. His house is 500–600

meters from the Jama Masjid, so he could not see. He is not in the photos and he did not see anyone throwing stones.

RR. ICW 83. Mr Asad, son of Zafar, stated before the Commission that he lives at Delhi Darwaza and does jeans stitching work at home. His house is 1 km from the Jama Masjid. On the 17th, two constables came to his house and took him to the Police station for questioning, then sent him to the Kotwali. There was no video of him; they said he was at the back of the crowd with his brother Azhar Ali. He was in Sambhal on 19.11.2024.

SS. ICW 84. Mr Danish, son of Asrar, stated before the Commission that he works at a hotel, which is 3 km from the Jama Masjid. His arrest happened in Sambhal. The Police called him for questioning and arrested him. He stated that what happened in Sambhal was wrong. He goes to the hotel at 9:00 AM and returns at 12:00 AM. When the dispute happened, he was at the hotel. The hotel was open before the dispute, but closed due to it.

TT. ICW 85. Mr Sueb, son of Matloob, stated before the Commission that he lives in Mohalla Kagzi Sarai and drives a cloth-cutting vehicle. His house is in Sarai Mandi, 3 km from the Jama Masjid. On the 19th, he was in the vehicle. On the night of 24.11.2024, at 11:00 PM, he was sleeping at home and learned that a riot was happening at the mosque. The Police called him for questioning and sent him to jail.

UU. ICW 86. Mr Alam, son of Rasheed, stated before the Commission that he does tailoring work. The Jama Masjid is 2–3 km from his house. He does not know why he was arrested.

He believes someone must have named him, he was not in the dispute. He acknowledged that a dispute and stone-throwing happened on 24.11.2024, as he heard from people.

VV. ICW 87. Mr Mohammad Danish, son of Mohammad Aslam, stated before the Commission that he runs his own dhaba, which is 4 km from the Jama Masjid. On the 24th, he was arrested because of dispute and riot. On 24.11.2024, he was at home, 4 km from the Jama Masjid, where the stone-throwing happened.

WW. ICW 88. Mr Shane Alam, son of Matloob, stated before the Commission that he is a driver and has been driving Vijay Saini's vehicle for six months for his catering business. On 24.11.2024, he came home from Sarthal village, 17 km from Sambhal, at 11:00 AM. His child had been burnt by hot water and he was going to get medicine, when Police arrested him. There was no dispute when he went to get the medicine, which was 1.5–2 km from the Jama Masjid. He heard stones were thrown. The place of riot was 1.5 km away from where he got the medicine.

XX. ICW 89. Mr Bakir, son of Shabir, stated before the Commission that he lives in Mohalla Kotgarvi, 200 meters from the Jama Masjid. During the dispute, he was at home. His whole family wakes up at 10:00 AM. He stated that what happened in Sambhal should not have happened. He offered Friday prayers at the Jama Masjid and prayed there on 22.11.2024. He did not see anything and learned about the riot through the news. His mother did not let him go out, because there was a dispute near the mosque.

YY. ICW 90. Mr Mulla Afroz, son of Asraf, stated before the Commission that in 2017, he was jailed for 12 days due to a dispute between Nawab Iqbal and Barq Sahab. Shariq Satha is from his locality, but he has never seen him. Gulam lives 500 meters from his house. He learned from the newspaper that he is accused of killing Ayan and Bilal. On the 17th, he was taken to Kailadevi Police station, where he wrote a note and gave it to Pawan Kumar and Raj kumar, who were challaned under Section 151, to give the note to his family informing them about his arrest at PS. At night, the Police put a pistol on him, made him strip on the road, told him to run, and recorded a video. At 11:00 PM, CO Anuj Chaudhary questioned him. He was taken to a jungle, where another video was recorded because the first was not clear and then he was sent to jail. He does not know where Gulam is. He was in Sambhal on the 19th. In 2017, he supported Iqbal Sahab, but now he does not support anyone because politics got him jailed. He read about the violent incident of 24.11.2024 in the newspaper on 25.11.2024. On 24.11.2024, he did not leave his house after returning from the ADM's house, because the situation was bad. He does not follow religion much and has never prayed at the Jama Masjid in his life. Gaurav Shrivastava, who was inquiring about some cricket related matters and claimed to be a DSP, asked him for money and when he did not give it, he harassed him. When he returned from the ADM's residence, the situation was normal and there was no Police. He has never been charged with vehicle theft and does not know how his name came

up. He is a respected person in society, people listen to him and he resolves locality disputes at home. He heard from people that the Survey on 19.11.2024 happened peacefully. He does not know what happened on 24.11.2024. He learned through newspapers that four people died and two deaths are blamed on him, though their families said in the media that the Police killed them.

ZZ. ICW 91. Mr Sufiyan, son of Tuiya Babu, stated before the Commission that he does painting work on vehicles at Chandausi Road. His house is 1.5–2 km from the Jama Masjid. He offers prayers at the Makka Masjid. During the riot on 24.11.2024, he did not see anything, he was at home.

AAA. ICW 92. Mr Anas, son of Mohammad Hanif, stated before the Commission that between 02 and 05.11.2024, an incident happened in Delhi, and the wealthy party got his elder brother Rahman arrested. His name came up in it and on the night of the 6th, the Police raided his house, but he was not there. They said there was pressure and they would file a minor case and he would be out jail in a month, then arrested him. He was in Sambhal from 19.11.2024 to 24.11.2024. On 24.11.2024, he woke up at 9:30 AM, had breakfast by 9:45 or 10:00 AM and went to a shop 8 km away on Delhi Road. He heard there was a dispute. He acknowledged that the riot was massive, four people died and many were injured.

BBB. ICW 93. Mr Shahbaz alias Sajeb alias Tillan, son of Mohammad Ikram, stated before the Commission that he lives in Mohalla Deepa Sarai and works at a wholesale grocery shop next

to his house, which is 6 km from the Jama Masjid. On 19.11.2024, he was at the shop and learned about the Survey at night. He heard 2–3 days later that the MP gave a speech at the Jama Masjid stairs after prayers on 22.11.2024 at the mosque. On 24.11.2024, violence occurred, a dispute happened, four people died and Police and others were injured, he learned this from the newspaper.

CCC. ICW 94. Mr Gulbuddin Hikmatyar, son of Ikram, stated before the Commission that he lives in Mohalla Saraitareen, 2–2.5 km from the Jama Masjid and works as a driver. On 24.11.2024, during the riot, he was in his locality, Rukdi Sarai. His arrest happened at 3:30 PM on 24.11.2024, while he was going to Nakhasa to eat. The Police were eating samosas and did not let him eat. He asked them to at least give him a samosa, but they arrested him. He knew the riot and stone-throwing happened due to the Survey, but he did not know the riot was specifically because of the Survey. He read in the newspaper that four people died in the riot.

DDD. ICW 95. Mr Sultan Arif, son of Shafeen Akhtar, stated before the Commission that he does tailoring work. His house is 4 km from the Jama Masjid. On 24.11.2024, he took his wife and children to his in-laws' house nearby. He was at home and did not go anywhere. He offered prayers at the mosque and the Police came and arrested him. He was not in the riot and there is no photo or video of him. The Police hit his leg with a baton, and when he bent down, they hit his head. On 19.11.2024, the Survey

happened, but he was at home. He acknowledged that on 24.11.2024, a violent crowd caused unrest near the Jama Masjid, injuring Police and others and four people died.

EEE. ICW 96. Mr Altamash, son of Zakir, stated before the Commission, that he does not know why the riot happened. A Survey took place and he went to the vegetable market to buy supplies for his sister's engagement around 12:30–1:00 PM. He came to know from the newspaper that stone-pelting happened, four people died and many were injured. His house is 2–3 km from Nakhasa Chowraha. He saw a crowd at Hindukhera Chowraha. He was on a bike and stopped when he saw the crowd. The Police came and arrested him. The dispute on 24.11.2024 started during the Survey and he was detained on the 24th.

FFF. ICW 97. Mr Subhaan alias Munna, son of Abdul Jabbar, stated before the Commission that he works at a plywood shop at Babul Khan Sahab's cold storage on Husaini Road. His house is 6 km away from the Jama Masjid and the shop is slightly farther. Around 1:30 PM, he was returning from Dr. Bilal's place in Gairatpura with medicine for his daughter, when the Police arrested him on 25.11.2024. He was in Sambhal from 19.11.2024 to 24.11.2024. There were rumors of a dispute. People leaving the area told him that a crowd had gathered near the Jama Masjid and a dispute was happening.

GGG. ICW 98. Mr Faizan, son of Mahfooz, stated before the Commission that during the riot, he was at his shop. He stated that the incident that happened was wrong.

HHH. ICW 99. Mr Rafiuzzama alias Rafi, son of Kamruzzama, stated before the Commission that his father owns a truck, driven by a driver. His house is 2–2.5 km from the Jama Masjid. On 19.11.2024, he was in Sambhal. He is a professional cricketer and his education was discontinued. He has been offering prayers for 17 years. On Friday, he offered prayers at the Miyan Wali Masjid in front of his house. On the day of the riot, 24.11.2024, he went 200–300 meters from his house to Anjuman Chowraha and returned. There is a photo of him there. Initially, there was nothing, but then he went forward and the crowd started running, so he too ran. He heard a body was kept at Anjuman Chowraha and he thought it might be a friend or acquaintance. He was with Sadib there. He had no knowledge of Section 163 of the BNSS. He acknowledged that if the Survey had not happened, there would not have been a case or riot.

III. ICW 100. Mr Mohammad Akib, son of Mohammad Maroof, stated before the Commission that he works as a carpenter in Gurugram, Haryana. His house is about 2 km from the Jama Masjid. He came to Sambhal for his sister's wedding on 14.12.2024. On the day of the riot, he was at home and heard that a dispute happened at the Jama Masjid on 24.11.2024. The Survey on 19.11.2024 happened peacefully. He did not hear any statement from the MP. On 24.11.2024, he woke up at 10:00 AM and went to Anjuman Chowraha to buy vegetables. The atmosphere was not good, shops were closing and a dispute was taking place. Seeing this, he returned. The sequence of this incident started from the

19th and on the 24th, during the second Survey, a riot occurred, in which four people died and many were injured.

JJJ. ICW 101. Mr Adnan, son of Gufran, stated before the Commission that he is a student pursuing a BA at MGM. Turks and Pathans live harmoniously. On 22.11.2024, he offered Friday prayers at the Wajid Wali Masjid. On the day of the incident, he was at home sleeping and using his mobile. He acknowledged that if the Survey had not started, the riot would not have happened.

KKK. ICW 102. Mr Mohsin alias Mohseen, son of Haji Khurshid, stated before the Commission that he sells slippers. On 24.11.2024, during the riot, he was sleeping at 9:00 AM. He set up his shop at 11:00 AM. When he left home, the riot was taking place. He went to Khaggu Chowraha to buy vegetables and saw a crowd running from Anjuman Chowraha. Some had covered their faces, and some did not. There was no firing, where he was. He saw hundreds of people running. He was in Sambhal from the 19th to the 24th. He only offers Friday prayers at the Nyariyo Wali Masjid. He learned about the Survey on 24.11.2024 after the dispute. Four people died, about 100 were injured and Police were also injured, as he heard in the media.

LLL. ICW 103. Mr Mohammad Hasnain alias Rahman Nawaz, son of Akhtar alias Afsar Ali, stated before the Commission that his house is about 2 kms from the Jama Masjid and the warehouse is 3 kms away. He offered Friday prayers at the nearby mosque. He learned about the riot at the Jama Masjid at 11:00 AM. He was arrested in place of someone else. He stated that the

rioters are absconding and those who did not take part in the riot are in jail. He acknowledged that a riot happened, which he saw in the news.

MMM. ICW 104. Mr Bilal alias Tappar, son of Haji Mashroor, stated before the Commission that he has a hotel in front of Ajmal Madrasa near his house. On 24.11.2024, he was at home. At night, the Police came and took both his brothers to the Police station.

NNN. ICW 105. Mr Rehan, son of Dulha Khan, stated before the Commission that he sells vegetables on a cart in his locality. His house is about 2 kms from the Jama Masjid. During the riot, he was at the market to buy vegetables but did not buy any and returned home. He learned about the Survey on 19.11.2024 from friends. He learned about the riot near the Jama Masjid on 24.11.2024, while at the market. He learned from the newspaper the next day that four people died. His arrest happened on the 26th.

OOO. ICW 106. Mr Suhail, son of Chhote alias Mashhood Hussain, stated before the Commission that he is learning to repair heavy vehicles at Transport Nagar on the Chandausi route. The workplace is 2 km from his house. He learned about the Survey on 19.11.2024 the next morning on 20.11.2024. On 24.11.2024, he was going to work when his mother called him at the post office near the tehsil around 9:30 AM, informed him about the dispute and told him to return. He returned home by 9:30 AM. After the dispute, he left for prayers at 2:30 PM. Four people died and many

were injured by stones in the dispute. He does not know why the dispute happened.

PPP. ICW 107. Mr Nihal, son of Babu alias Dildar, stated before the Commission that his house is about 2 km from the Jama Masjid. He offers prayers at the Kadri Masjid, 40 steps from his house and has never prayed at the Jama Masjid. He was not involved in the incident on the 24th. He was awake until 12:00 AM and woke up at 10:00 AM. He was not in the riot, but heard thousands were involved. He learned about the Survey on 19.11.2024 at the hotel.

QQQ. ICW 108. Mr Warish, son of Farman, stated before the Commission that he does jeans stitching work. He was in Sambhal from 19.11.2024 to 24.11.2024. On 19.11.2024, he was at the factory during the day and learned about the Jama Masjid Survey, the next day through an Instagram reel. On 24.11.2024, four people died in the riot, but he does not know about the injured. That day, he went to the transport at 7:30 AM to buy supplies. There was no crowd near Delhi Darwaza in the morning. He offered prayers at the Nyari Wali Masjid at 6:15 AM and went home. He was at his brother-in-law's house in a room, hearing noises of a dispute and they called him to their house, due to fear of a dispute. He was arrested from his aunt's house in Kerry. The Police said they had his video and photo and accused him of two murders. They placed a gun on him, made five videos, told him to keep walking quietly and said they would let him go, but did not.

RRR. ICW 109. Mr Arshad, son of Akhtar Hussain, stated before the Commission that he does tailoring and labor work. His house is 3 km from the Jama Masjid. He offers prayers at the Nyariyo Wali Masjid. He was in Sambhal on 19.11.2024 and learned about the Survey the next morning at the factory. On 24.11.2024, he learned about the Survey at the Jama Masjid at 12:00 PM at the factory, that a dispute was happening, the factory closed and he went home.

SSS. ICW 110. Mr Mohammad Aamir, son of Mohammad Asif, stated before the Commission that he offers all five prayers at the Samman Saeed Masjid near his house. He was at home on 19.11.2024. On 22.11.2024, he offered Friday prayers at the Kadri Masjid, which was full. On 24.11.2024, he was sleeping at home until 10:00 AM and was not involved in the riot at the Jama Masjid. He was arrested from home.

TTT. ICW 111. Mr Aman, son of Nashid, stated before the Commission that he has been doing glass work in Delhi for 3–4 years. His house is 5–6 kms from the Jama Masjid. He went to his sister's in-laws' house in Hindupurakhera. His photo appeared at the riot location, leading to his arrest by the Police. He was not throwing stones, but others were. Some had covered their faces. His photo is from Hindukhera. On 24.11.2024, stones were thrown and there was a crowd.

UUU. ICW 112. Mr Mohammad Nazir, son of Haji Mohammad Qasim, stated before the Commission that he lives in Hindupura khera and works at Mohammad Badur Pasha's petrol pump,

dispensing fuel. He offers prayers and Friday prayers at the mosque next to the petrol pump. He was working at the petrol pump in Sambhal from 19.11.2024 to 24.11.2024. His arrest happened on 13.02.2025 at 4:00 PM based on a photo showing him with a mask on his face. People do not take petrol in bottles anymore from the pump.

VVV. ICW 113. Mr Samad, son of Mohammad Waseem, stated before the Commission that he lives at Nakhasa Chowraha, 1–1.5 km from the Jama Masjid. He makes hair wigs at a shop in Kerala. He came to Sambhal 2–3 days ago. On 24.11.2024, his photo was taken at Nakhasa Chowraha during the Survey, when a crowd had gathered. He was in the crowd, but he does not know if stones were thrown. He went to Nakhsa Chowraha to see the crowd.

WWW. ICW 114. Mr Mohammad Hasan, son of Shamim Akhtar, stated before the Commission that his house is about 5 kms from the Jama Masjid, and it takes half an hour to reach. He offers prayers at the local mosque and has never prayed at the Jama Masjid. On 24.11.2024, he was in Sambhal, went to Khera, saw a crowd and returned. He acknowledged that the Survey was the root of the dispute.

XXX. ICW 115. Mr Gulam Nabi, son of Mukhtar Ashraf, stated before the Commission that he is from the Turk community. He was arrested due to an old case. He has six cases of bike theft in Delhi, which he claims were falsely filed by the Police. His house is near the former MP's house. His grandfather used to teach at the

mosque and has passed away. His elder brother Mumtaz and younger brother are Imams at a Sambhal mosque. He studied in a madarasa for four years and wanted to become an Imam. There are 12–13 madararas in Deepa Sarai. There is tension between the MP and MLA regarding elections. Haji Suhel also filed a false case against him, which ended 2–3 years back. He does not know Suhel Iqbal and has never met him. Shariq Satha's house is 1 km from his house, but he does not know him, he has heard that he deals in vehicle trading and is from the Turk community. He has never spoken to Shariq Satha on mobile or through the Jangi app. Shariq Satha's wife and about 11–12 children live at home; his wife's name is Roshan, and he is about 50 years old. He cannot confirm if Shariq Satha was involved in this unrest. His mobile does not have a number saved as "Boss", he claims the Police must have saved it. He was not in Sambhal on 19.11.2024 or 24.11.2024, he was in Hyderabad for the last eight months. The Police arrested him from Moradabad, but he did not go to Sambhal. He suggested checking his mobile data to see he was not involved. He learned through the news that the dispute between the Police and public was due to the mosque Survey. He has been to jail three times, including four months in Tihar Jail. His bail in Delhi was arranged by Advocate Imran for 10,000 rupees. His lawyer in Sambhal is Fahim from Moradabad, whom he knows since becoming an accused. Advocate Salman is from his locality, but not his lawyer. He got the FIR copy from Salman via WhatsApp. He does not know about the rumor of digging at the

Jama Masjid. He saw a crowd of about 50,000 in videos, Sambhal has a large population. He is troubled by the cases against him and not involved in any vehicle-cutting incident. There is no photo of him. His mobile was with Sundar Lal and all messages after the 15th are on it. Everyone knows about the four deaths, which were shown on all news channels. On the 19th, he was at his house in Kanthiram Mohalla, Moradabad. His challan was probably issued on the 20th. Two days earlier, he vacated his house in Moradabad and came to Sambhal with his family. His wife's mobile number is 9536111491, her name is Maria Tahreen, and he has two children, an eight-year-old boy and a two-year-old girl.

YYY. ICW 182. Mr Kamran Akmal, son of Mr Ahsan, stated under oath before the Commission via video conferencing that he does not know for what crime he was jailed. On 24.11.2024, when the incident happened, he was at home. The Police arrested him in place of someone else. During the riot, he was at home watching a movie on TV and his family kept him inside. The riot in his area lasted for one to one-and-a-half hours. He does not know about the slogans raised during the riot. One or two vehicles were burned. When the Commission asked if his friends were in the riot and their names, he replied yes, Mohammad Subhan, Nihal and he does not remember the other names. He stated that the riot in Sambhal was wrong. His house is 1–2 km from the Jama Masjid. The Survey on 19.11.2024 happened, but if it had been done peacefully, the riot would not have occurred. The crowd caused the unrest, some had

covered their faces, stones were thrown and arson happened. He saw the unrest on TV but did go there.

ZZZ. ICW 183. Mr Mohammad Kamal, son of Mr Mohammad Ashraf, stated via video conferencing that during the riot, he had gone for labor work. His house is 1–1.5 km from the Jama Masjid. He offers prayers at the Raza Masjid near his house and occasionally at the Jama Masjid. On 24.11.2024, crowd caused unrest near the Jama Masjid and other places in Sambhal. He was at home in Sambhal from 20.11.2024 to 24.11.2024. He stated that the reason for this dispute was the Survey itself.

The thorough examination of the statements of the detained persons reveals that on 24.11.2024 during the Survey of the Jama Masjid, there was a huge crowd opposing Survey and its involvement in violence. The majority of them denied their presence in the crowd, but they have been arrested for unlawful assembly and involvement in the violence, on the basis of identification of their photographs, taken by the media persons as well as video recording through drones.

Chapter-7

POINTS FOR DETERMINATION IN PERSUANCE OF EVIDENCE

After examining testimonies, records/documents, the Commission deems it proper to frame following points for determination before responding to the terms of reference assigned.

- 1. Whether the Survey was completed on 19.11.2024 or not?**
- 2. Whether any meeting of the peace committee was organised by the District Police on 21.11.2024 or not?**
- 3. Whether namazis were called upon to attend and offer prayers of Jumma on 22.11.2024 in large numbers at Jama Masjid, instead of praying at the Masjid of their locality?**

And

Whether the Member of Parliament, Mr Zia-ur-Rahman Barq, after Jumma namaz on 22.11.2024, address namazis and media at the stairs of the Jama Masjid or not?

- 4. Whether the Sadar of Jama Masjid, Advocate Mr Zafar Ali was informed on 23.11.2024 about the exact time of the Survey scheduled for 24.11.2024 by the Survey Commissioner during the course of the day in the court premises or not?**

And

Whether the District Administration additionally inform Sadar of Jama Masjid, Advocate Mr Zafar Ali, in pursuance to notice for remaining Survey by the Court Commissioner in the evening of 23.11. 2024 or not?

5. **Whether water of the Wazukhana (Ablution Tank) drained during the Survey on 24.11.2024, if yes, on whose instructions and by whom?**
6. **Whether any Crowd was gathered on the Dates 19, 22 and 24.11.2024 for any specific purpose and if yes, on whose provocation?**
7. **Whether the incident of violence dated 24.11.2024 was spontaneous or not?**
8. **Evaluation of the evidence of the Members of Intezamia Committee of Jama Masjid, the Hon'ble local MP Mr Zia-ur-Rahman and Suhel Iqbal, son and representative of local MLA.**
9. **Reasons behind the incident of 24.11.2024?**

1. Whether the Survey was completed on 19.11.2024 or not?

Analysis on the basis of the testimonies regarding completion of the Survey on 19.11.2024

ICW 125, Mr. Ramesh Singh Raghav, Advocate Commissioner, Sambhal, stated in his affidavit, before the Commission, and based on the examination of documents submitted by related witnesses, that on 19.11.2024, he sent a letter to the District Magistrate/Superintendent of Police stating that, "During the Survey on 19.11.2024, the local MP and the MLA's son, Mr. Suhel Iqbal, were present inside the mosque along with approximately 200 other individuals. The Survey process was being obstructed,

and threats were made. Therefore, the Survey proceedings will be conducted again in the future, and all parties will be separately informed.” On this point, he further stated, “On 20.11.2024 he requested the DM for re-Survey, but due to the Kundarki by-election, DM refused. On 23.11.2024 he submitted another application to the DM requesting for the Survey, and on his agreement on the same day ie. 23.11.2024, he personally handed over the notice regarding the Survey date and time to advocate Mr. Zafar Ali, President of Jama Masjid, within the court premises and also informed the advocates of other parties. He produced the photocopy of the notice issued by him on 23.11.2024 and submitted, which bears the signature of Mr. Zafar Ali, Advocate, as proof of receipt, which was marked as Exhibit K-96.

Paragraph-7 of his affidavit states that after the completion of the Assembly by-election, he submitted a letter on 23.11.2024 to the Administration to ensure Police arrangements for the remaining Survey proceedings on 24.11.2024 and informed the advocates of the plaintiffs and defendants parties through the same letter.

ICW 144, Dr. Rajendra Pensia, District Magistrate, Sambhal, clarified this point in his affidavit and stated before the Commission that on 20.11.2024, the Advocate Commissioner submitted an application for necessary Police and administrative arrangements for the remaining Survey proceedings, attached as Annexure-5 in his response. SP Sambhal informed through a letter dated 20.11.2024 that due to the by-election in Kundarki Assembly,

Moradabad, where Sambhal Police was deployed, it was not possible to provide Police personnel for the Survey on 20.11.2024, attached as Annexure 6. This information was communicated to the Advocate Commissioner on 20.11.2024, attached as Annexure-7. On 23.11.2024 the Advocate Commissioner submitted another application requesting for the remaining Survey proceedings, attached as Annexure-12. The information in this letter was provided to Mr. Zafar Ali, President of Jama Masjid, on 23.11.2024, with his signature on Annexure-12.

ICW 171, Mr. Krishna Kumar, Superintendent of Police, Sambhal, in his testimony stated that on 19.11.2024 Advocate Commissioner Ramesh Raghav provided a notice after the first day's Survey was completed informing him that the Survey would continue on 20.11.2024. The notice mentioned that the Survey proceedings began at 6:00 PM on 19.11.2024 in the presence of advocates of both the parties and the Advocate Commissioner. During the Survey MP Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr. Suhel Iqbal son of MLA, Mr. Mahmood Iqbal were present inside the mosque along with approximately 200 other individuals. As it was evening and due to the presence of these individuals the Survey could not be conducted smoothly. The public representatives and others repeatedly obstructed the Survey process and issued threats. Therefore the Survey proceedings would be conducted again in the future and all the parties would be informed separately. He requested the authorities to arrange necessary Police and administrative arrangements for the remaining Survey on

20.11.2024, attached as Annexure 8. According to Paragraph-11 of the affidavit, the Advocate Commissioner was informed on 20.11.2024 that due to the Kundarki by-election in Moradabad, where Sambhal Police was deployed, it was not possible to provide Police personnel for the Survey on 20.11.2024, attached as Annexure-9. According to Paragraph-21 the Advocate Commissioner sent a notice on 23.11.2024 regarding the Survey and this information was provided to Mr. Zafar Ali, President of Jama Masjid, on 23.11.2024, attached as Annexure-19.

ICW 199. Mr Vishnu Sharma, Cameraman of Court Commissioner, stated before the Commission that there were approximately 1800-2000 people outside the mosque and about 300-400 inside. Before their arrival, MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, Suhel Iqbal, and members of the Intezamia Committee were present, gathered in a crowd and they were making remarks that he cannot even repeat.

The Survey proceedings lasted approximately 45 minutes to 1 hour and due to the obstructions caused by these individuals, the work could not be conducted properly. The Court Commissioner was also very scared and sloganeering and voices opposing the Survey were coming from all sides of the mosque. The Survey Commissioner stated that either the crowd should be removed, otherwise the Survey proceedings could not be continued. Subsequently it was decided that conducting the Survey properly in such circumstances was not possible and darkness was also setting in. It was further decided that the remaining Survey work

would be completed in future with the cooperation of the Administration/Police.

On the query by the Commission to Mr Zafar Ali, Advocate, Sadar of Jama Masjid, during his testimony as to “whether the Survey proceedings were completed on 19.11.2024”, he responded that the Survey was completed. However on being shown a video clip from Hindustan Channel, wherein Advocate Vishnu Shankar Jain is seen stating that the Survey could not be completed. Mr Zafar clarified that, according to him, the Survey was completed, but the Advocate Commissioner had stated that it might need to be conducted again and he would be informed accordingly.

Mr Mashhood Ali Farooqui, Advocate, Secretary, Jama Masjid also confirms that on 19.11.2024, he knew the Survey was incomplete.

From the examination of the above testimonies of witnesses and documents on record, it is evident that:- Witness Mr. Zafar Ali, Advocate, Sadar of Jama Masjid, stated that the Survey proceedings were completed on 19.11.2024. However, after viewing a video clip from Hindustan Channel, he stated that according to him the Survey was completed, but the Advocate Commissioner had said that it might need to be conducted again and he would be informed accordingly. This clearly indicates that Mr. Zafar Ali was fully aware that the Survey proceedings were incomplete. Additionally, witness Mr. Ramesh Singh Raghav, Survey Commissioner, informed the District Magistrate and Superintendent of Police through a letter dated 19.11.2024 that

during the Survey, the local MP, the MLA's son, and approximately 200 other individuals were present inside the mosque obstructing the Survey process and issuing threats, necessitating a re-Survey with all parties to be separately informed. In addition to this letter on 20.11.2024, the Advocate Commissioner submitted another letter to the DM requesting a re-survey, but it was refused due to the Kundarki by-election. Dr. Rajendra Pensia, District Magistrate, also stated that on 20.11.2024, the Advocate Commissioner submitted an application for necessary Police and Administrative arrangements for the remaining Survey proceedings, but due to the Assembly by-election and unavailability of Police personnel/Force, request was made to fix some other date. Mr. Krishna Kumar, Superintendent of Police, Sambhal, also stated that on 19.11.2024, Advocate Commissioner, Ramesh Raghav provided a notice after the first day's survey, informing him that the Survey would continue on 20.11.2024, but due to the unavailability of Police personnel/force, the the Court Commissioner was informed with request to fix some other date for survey.

This clearly establishes that the Survey Proceedings were not completed on 19.11.2024 and this was also well known to all parties including Mr. Zafar Ali, as reflected in the Advocate Commissioner's letters dated 19.11.2024 and 20.11.2024. Furthermore, Mr. Zafar Ali's own admission that the Advocate Commissioner had stated that the Survey might need to be conducted again and that he would be informed, further clarifies

that he was fully aware that the Survey was not completed on 19.11.2024.

Mr. Mashhood Ali Farooqui, Advocate, secretary, Jama Masjid also confirms and states that he knew that the Survey was incomplete on 19.11.2024.

Mr. Vishnu Shankar Jain, Advocate for the Plaintiffs, had also while addressing the media on 19.11.2024, informed regarding incomplete Survey and fixing of some other date by the Survey Commissioner for further Survey of the Jama Masjid. The said byte was telecast by various channels. Hence, it was known to everyone, especially to the residents of Sambhal that the Survey could not be completed on 19.11. 2024.

The issue of completion of the Survey was examined by the Hon'ble Allahabad High Court in Civil Revision No. 4 of 2025, committee of management, Jami Masjid versus Harishankar Jain and 12 others and vide para 124 it was held that only one Commission had taken place, whose Survey started on 19.11.2024 and was completed on 24.11.2024 at 11am.

2. Whether any meeting of the peace committee was organised by the District Police on 21.11.2023?

As per the testimony of Superintendent of Police, In view of the obstruction and large crowd during the Survey conducted on 19.11.2024 and considering the notice letters dated 19.11.2024 and 20.11.2024 issued by Advocate Commissioner Mr. Ramesh Singh Raghav for a remaining Survey of the Jame Masjid, a

meeting was organized by the Police Administration under the guidance of the Superintendent of Police on 21.11.2024 at Kotwali Sambhal. The meeting included all religious scholars, Members of the Intezamia Committee of Mosque, and the Peace Committee of Sambhal District, to request for maintenance of peace and order. The Sadar of the Jama Masjid, Intezamia Committee, Advocate Mr. Zafar Ali, was urged to make an appeal for peace. It was also informed that Section 163 BNSS is in force in the District, and the compliance of the same is mandatory.

Considering WhatsApp messages on disputed posts urging large gatherings for Friday prayers, the Police force was directed to remain vigilant.

The cameras installed near the disputed religious site were repaired by the Police Administration. Through video messages from the City's Qazi Ala-ud-din, Sadar of Jama Masjid Mr. Zafar Ali, and Khadim of Jama Masjid Mr. Mahshood Ali Farooqui, were disseminated and broadcast to the public, stating that Section 163 BNSS is in force in the District, prohibiting gatherings of more than five people. The public was urged to offer prayers in their respective mosques, avoid paying attention to rumours, refrain from forwarding false messages, and pray for the progress of their city and country. The Shahi Jama Masjid Intezamia Committee assured their cooperation. The entry of the meeting was also recorded in the GD dated 21.11.2024 of Kotwali Sambhal .

Additionally, meetings were held with prominent individuals at Panju Sarai Chowki, Ekta Chowki, and Nakhasa Police Chowki in

the Kotwali area, where they were requested to cooperate in maintaining peace and order.

Thus, it is evident that in the meeting of the Peace Committee held on 21.11.2024, Members of the Peace Committee, Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, the Superintendent of Police, CO, Inspector-in-Charge, Kotwali Sambhal, and others were present. Additionally, apart from Kotwali Sambhal, meetings were organized by the in-charges of Panju Sarai Chowki, Ekta Chowki, and Nakhasa Chowki with prominent individuals to inform them about the actual situation of the Survey and appeal for maintaining peace and order. As a result, the members of the Jama Masjid Intezamia Committee and prominent individuals were fully aware of the remaining Survey, and their cooperation had been sought. Everyone assured in the meeting that they would fully cooperate in maintaining peace and order.

3. Whether Namazis were called upon to attend and offer prayers of Jumma on 22.11.2024 in large numbers at Jama Masjid, instead of praying at the Masjid of their locality?

And

Whether the Member of Parliament, Mr. Zia-ur-Rahman Barq after Jumma namaz on 22. 11 2024 address namazis and media at the stairs of the Jama Masjid?

As per Court Commissioner Mr Ramesh Singh Raghav, during the Survey the Plaintiff and Defendant parties, their

Advocates, Administrative Officials, Local MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, and son/ representative of the Local MLA i.e. Mr Suhel Iqbal, along with two to three hundred supporters, were present inside the Jama Masjid premises, where the Survey was taking place. They repeatedly obstructed the Survey Work. Outside the Jama Masjid premises a crowd of thousands had gathered, which was repeatedly requested by the Administration and Mr Zafar Ali, the Sadar of the Jama Masjid to disperse. Due to darkness inside the Jama Masjid premises, obstructions by political figures, and the Jama Masjid Intezamia Committee's statement that it was time for prayer, the Survey work on 19.11.2024 was halted. The Advocate Commissioner informed the Administrative officials and the Sadar of the Jama Masjid Intezamia Committee that the date and time for the next Survey would be communicated later. This was also recorded in the testimony of Mr Zafar Ali. On the same day i.e. 19.11.2024, the Advocate Commissioner informed the District Magistrate and Superintendent of Police about the obstructions faced during the Survey.

On 21.11.2024 considering the situation that occurred on 19.11.2024, the Superintendent of Police, Sambhal, convened a meeting at the Kotwali Police station with Muslim religious leaders, all Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, and Members of the Peace Committee. They were informed that Section 163 BNSS was in force in the District, which must be complied with, and that incidents like the gathering of a large crowd during the Survey on 19.11.2024 should not recur, as the Survey

was being conducted under the orders of the Hon'ble Court, Cooperation from all was expected. Meetings were also held at the Ekta, Nakhasa, and Panju Sarai Police outposts under the Kotwali Police station, where prominent local individuals were informed of the same.

In the intervening night of 21/22.11.2024, messages were observed on social media, including WhatsApp groups named "Sambhal MP" and "Mannat," calling for people to gather in large numbers at the Jama Masjid for Juma prayers, offer prayers only at the Jama Masjid, and contribute generously to donations.

In response, the Police took preventive action against some identified individuals and circulated videos of Muslim religious leaders and Jama Masjid Intezamia Committee's Members urging people to offer prayers at nearby mosques and not to gather at the Jama Masjid.

However, on 22.11.2024, a larger-than-expected crowd gathered for Juma prayers, resulting in insufficient space inside the Mosque. According to eyewitnesses, people were seen offering prayers on nearby rooftops. The crowd on this day was significantly larger than on other Juma prayer days. Local MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, who usually offered prayers at a Mosque near his residence when in Sambhal, attended the Jama Masjid for prayers on 22.11.2024. After prayers, he addressed the press and the gathered worshippers from the stairs of the Mosque, using words such as, "We will ensure legal protection for our Jama Masjid, and Insha-Allah, whatever is needed to protect the Jama

Masjid, I and everyone will always be there. No one can take the Jama Masjid from us; it was a mosque, it is a mosque, and it will remain a mosque until the Day of Judgment, Insha-Allah.” When interrupted by Mr Zafar Ali, he said, “We are not the ones to be intimidated by the Police, Administration, or government. We are the owners of this country, not servants or slaves.” This address by the MP conveyed a message to the society and the media that the Jama Masjid in Sambhal was under some threat, leading to the Survey and that the Mosque would be taken away with the help of the Police, Administration, and Government.

On 23.11.2024, the Police served a notice under Section 168 BNSS to Mr Barq, citing the apprehension of breach of peace.

4. Whether the Advocate Mr Zafar Ali, Sadar, Jama Masjid, informed on 23.11.2024 about the exact time of the Survey scheduled for 24.11.2024 by the Survey Commissioner during the course of the day in the court premises?

And

Whether the District Administration additionally, inform Advocate Mr Zafar Ali, Sadar, Jama Masjid, in pursuance to notice, for remaining Survey by the court Commissioner in the evening of 23.11.2024.

ICW 125, Mr. Ramesh Singh Raghav, Advocate Commissioner, Sambhal, stated in his testimony that on 20.11.2024, he requested the DM for re-survey, but due to the Kundarki by-election, DM

refused. On 23.11.2024, he submitted another application to the DM requesting the Survey, and on his agreement, on the same day, ie. 23.11.2024, he personally handed over the notice regarding the Survey date and time to Advocate Mr. Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, within the court premises and also informed the Advocates of other parties. He also placed on record the photocopy of the notice issued by him on 23.11.2024, which bears the signature of Mr. Zafar Ali, Advocate, as proof of receipt during the course of recording of his evidence, which was marked as Exhibit K-96.”

Survey Commissioner, Mr Ramesh Singh Raghav, vide another letter on 23.11.2024 requested the Administration to ensure Police arrangements for the remaining inspection.

ICW 144- Dr. Rajendra Pensia, District Magistrate, Sambhal, stated that on 23.11.2024, the Advocate Commissioner submitted another application requesting for the remaining Survey proceedings. The information in this letter was provided to Mr. Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, on 23.11.2024.

ICW 158- Dr. Vandana Mishra, SDM Sambhal, stated before the Commission that on 23.11.2024, when the information regarding Survey on 24.11.2024 was given to Mr. Zafar Ali over the phone and was asked to come and receive the notice issued by Court Commissioner, he refused citing poor health and inability to come. Following instructions from senior officials, she, along with CO Sambhal, visited Mr. Zafar Ali's residence, approximately 300-400 meters away from Jama Masjid, around 6:30 PM and handed him

the notice. He was fully agreeable to the Commission's proceedings mentioned in the notice at that time. She delivered the notice and left his house .

ICW 1- Mr. Anuj Kumar Chaudhary, Circle Officer Sambhal, stated before the Commission on this point that prayers at the mosque are held at 6:00 AM and 1:00 PM. Therefore, after consultation with the Intezamia Committee, the Survey time was fixed at 7:00 AM. He, along with SDM Ms. Vandana Mishra, visited the Sadar of the Intezamia Committee's house after 6:00 PM on 23.11.2024, and in a cordial atmosphere, with the Sadar's consent, the Survey time was finalized at 7:00 AM.

Mr. Zafar Ali himself stated that the CO Sambhal and SDM Sambhal visited his house and handed him a notice stating that the Survey team wanted to conduct the Survey again. Witness Mr. Anuj Kumar Chaudhary, Circle Officer Sambhal, stated that the Survey time was fixed at 7:00 AM after consultation with the Intezamia Committee of Jama Masjid. He and the SDM visited the Sadar of the Intezamia Committee's house in the evening of 23.11.2024. Witness Vandana Mishra, SDM, stated that she reached Zafar Ali's residence around 6:30 PM and handed the notice to him. Mr. Zafar Ali was fully agreeable to the Commission's proceedings mentioned in the notice.

Witness Mr. Ramesh Singh Raghav's statements and documents clearly shows that on 23.11.2024, he personally handed over the notice regarding the Survey date to Advocate Mr. Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, within the court premises and also

informed the Advocates of other parties, the proof of receipt of notice attached and place on record.

Dr. Rajendra Pensia, District Magistrate, Sambhal, and Mr. Krishna Kumar, Superintendent of Police, Sambhal, also stated that the information was provided to Mr. Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, on 23.11.2024.

This indicates that Mr. Ramesh Singh Raghav first handed over the notice to Mr. Zafar Ali within the court premises, which included the Survey date and time. Additionally, under the administrative orders of the DM, Ms. Vandana Mishra, SDM, and Mr. Anuj Kumar Chaudhary, CO, delivered copy of the notice again to Mr. Zafar Ali, Advocate, Sadar of Jama Masjid, at his residence, informing him of the Survey date and time.

Thus it is clear that Mr Zafar Ali was first informed during the course of the day by the Advocate Commissioner within the court premises and again in the evening by the SDM and CO, under the DM's orders with a copy of the notice, containing the date and time of the Scheduled Survey.

This establishes that Mr. Zafar Ali was fully aware and informed of the Survey scheduled for 24.11.2024 through a notice dated 23.11. 2024 in the court premises by the court Commissioner, Mr Ramesh Singh Raghav. Further Commission finds the testimony of Mr Zafar Ali advocate/Sadar of Jama Masjid as false and concocted.

5. Whether water of the Wazukhana (Ablution Tank) drained during the Survey on 24.11.2024 or not? If yes, on whose instructions and by whom and its effect on the gathered crowd?

On the issue of draining water from the Wazukhana (ablution tank) at the Jama Masjid premises, witnesses from the mosque Intezamia committee and the local MP emphasized that when the water was drained, the crowd suspected the tank was being demolished and excavation was taking place, which agitated the crowd, leading to the violent incident on 24.11.2024.

However, statements of eyewitness administrative officers, the members of Intezamia committee including its Sadar, and other members of Survey committee would clarify, who ordered the water to be drained and whether it was being drained in routine also before this incident?

Mr. Zafar Ali, Advocate, Sadar, Jama Masjid, stated, "The SDM instructed to drain the tank, but the DM and SP said its dimensions could be measured with a stick without draining. However, on the SDM's insistence, we drained the tank, causing confusion amongst the gathered crowd that excavation had started."

Mr. Laddan Khan, Nayab Sadar, Intezamia committee stated, "The tank's water was drained on the SDM's orders to measure its depth. The rapid flow caused confusion amongst the public that the

tank was being demolished. He was with the SDM, and his employee drained the water on his instructions.”

Mr. Qasim Jamal, Advocate, Shahi Jama Masjid said, “An administrative officer ordered the water to be drained, but I did not see it being drained.”

Mr. Mashhood Ali Farooqui, Advocate, member, Intezamia committee, Shahi Jama Masjid, stated, “The SDM instructed to drain the tank for measurement, which the president opposed, saying there was no order, but the committee’s employee drained it.”

Mr. Zia-ur-Rahman Barq, Hon’ble MP, who was not present on 24.11.2024, also said, “The drainage of the tank’s water caused confusion that excavation was happening, leading to the situation.”

Administrative officers and other eyewitnesses, such as :- Dr. Vandana Mishra stated, “During the Survey, the Court Commissioner said for measuring a tank, its water necessarily has to be taken out as without draining, neither videography, photography, nor measurement was possible. The Commissioner suggested measuring depth with a stick, but Intezamia Committee President, Zafar Ali and others disagreed. When asked as to when the tank’s water is drained, Zafar Ali said it is drained and cleaned every Friday before prayers. He then agreed to drain it. Zafar Ali left the mosque under the pretext of getting pan masala and went to the backside of the masjid, where a large crowd was gathered, and returned after 30-35 minutes. Advocates Mashhood Ali Farooqui and Qasim Jamal also left and returned after about half

an hour. Upon returning, Zafar Ali addressed the crowd via the mosque's microphone, saying everything was fine. The crowd was shouting and creating a commotion. She requested Zafar Ali, as an important figure, to calm the crowd. He went to the mosque's roof, waved at the crowd, smiled, and returned. After the Survey, Zafar Ali announced via microphone that the Survey was complete and there was no cause for concern, asking people to leave. By then, it was 10:00-10:30 AM. The announcement by Zafar Ali further agitated the crowd, leading to increased stone-pelting, arson, and firing."

Plaintiff's Advocate Mr. Gopal Sharma stated, "During the Survey, he asked Laddan and Zafar Ali, as to whether the tank's water is always kept filled or ever drained. They said it is drained and cleaned every Friday. He further said photography and videography couldn't be done with water present, so they agreed to drain it. Meanwhile, Zafar Ali left and returned after 35 minutes. On announcing via microphone by Mr. Zafar Ali that everything is fine and urging the crowd to calm down, but the crowd became more agitated."

Advocate Commissioner Mr. Ramesh Singh Raghav stated, "During the Survey, Intezamia Committee Members, Zafar Ali, Laddan Khan, and Aftab Warsi said they could drain the tank if needed, and the water was drained accordingly."

ICW 199. Mr Vishnu Sharma, Cameraman of Court Commissioner also stated before the Commission that Advocate Commissioner Mr Ramesh Singh Raghav had requested the Administration to

empty the water tank /Wazukhana, so that its photography could also be done. This request was conveyed to the Intezamia Committee and they began emptying the tank through their workers. The tank was inspected, but due to excessive moss and mud, proper measurements, videography as well as photography could not be done. Whatever videography and photography he could manage was handed over to the Court Commissioner.

The statements of the Witnesses clarify that as per the requirement as well as desire of the Survey Commissioner and with the consent of the Intezamia committee including its Sadar, Advocate Zafar Ali the water of Wazukhana/Water tank was drained. Further as per the statements of the Members of the Intezamia committee of the Jama Masjid, it was regularly drained weekly for cleaning purposes. Thus the claim that the drainage/follow of water caused public confusion about demolition is baseless. During the drainage, Intezamia committee members including its Sadar went out of the Masjid and returned back after about 30–35 minutes and at that moment around the Masjid there was only a crowd, hence it was their moral responsibility to clarify any confusion about the drainage of water from the Wazukhana/Water tank. Zafar Ali's announcement via microphone did not address, why the water was being drained or confirm that the tank was undamaged, The testimonies of entire Members of the Intezamia committee of Jama Masjid including Local Member of Parliament Mr Zia-ur-Rahman Barq , indicating/stating that the crowd got confused on the drainage/follow of water from the

Wazukhana/Water tank and the people only gathered to know why the Survey is being done again and the reason for heavy Police Arrangement, appears to be cooked up story, despite the fact that everyone knew that the Survey proceeding on 19.11.2024 was not complete and District Administration made precautionary arrangements in view of the gathering of a crowd on 19.11.2024. Further none of the detenue stated in his statement of having any confusion with respect to drainage of water. The entire series of acts leads to the conclusion that the crowd had gathered with the intent to disrupt the Survey, resulting in the violent incident on 24.11.2024.

The Commission is of the considered view that the water of the Wazukhana/tank was drained as per the requirement as well as desire of the Survey Commissioner with the consent of the Members Intezamia committee including its Sadar, Advocate Zafar Ali of Jama Masjid.

Further as per the statements of the Members of the Intezamia committee of the Jama Masjid, Wazukhana/Water tank was regularly drained weekly for cleaning purposes.

6. Whether any crowd was gathered on the Dates 19, 22 and 24.11.2024 for any specific purpose and if yes, on whose initiation?

On 19.11.2024, pursuant to the orders of the Hon'ble Court, Civil Judge (Senior Division) for the Survey of Jama Masjid, Advocate Commissioner Ramesh Singh Raghav informed the Counsels for

Plaintiff's, Official Defendants as well as the District Administration and Advocate Zafar Ali, Sadar Jama Masjid. Mr Zafar Ali, Advocate/Sadar Jama Masjid in his testimony stated that he was in his chamber in the Court Premises in Chandausi, when at 5:15 PM, a call from Kotwali Sambhal informed him that the Survey of Jama Masjid was to take place, and he was requested to come to the Mosque. Accompanying him in the vehicle were his son Haider Ali, and two other Advocates, Qasim Jamal and Aftab Ahmad. On the way, they informed Laddan Khan, the Nayab Sadar of the Jama Masjid, Intezamia Committee, regarding Survey of the Mosque and asked him to reach the Mosque. Laddan Khan informed him that he is already present at Jama Masjid. Upon reaching Jama Masjid, Zafar Ali found that the Secretary Mashhood Ali Farooqui, Haji Laddan, and Mahmood Khan (Cashier) were present. Thus it is evident that the information regarding the Survey scheduled for 19.11.2024 reached them from other sources.

Mr. Suhel Iqbal, son of the Local MLA, stated in his evidence that on 19.11.2024, he was in his area. In the afternoon, an Advocate called and informed him about the Survey Order at 5:30 PM, a journalist called and informed him that the DM and SP might visit Jama Masjid for the Survey. At that time, he was present at Jama Masjid for the Maghrib prayer.

Mr. Zia-ur-Rahman Barq, Hon'ble MP, Sambhal, stated in his evidence that on 19.11.2024, he was in Sambhal area. Between 6:30 PM and 7:00 PM, people from the area informed him that Police and Administrative Officials had arrived at Jama Masjid. The

information about the Survey was provided to him by a person named Nadeem, a resident of Kotgarvi.

Thus, from the statements of these witnesses, it is evident that the information about the Survey scheduled for the evening of 19.11.2024 at Jama Masjid had reached the public at large from different sources. The arrival of Mr. Suhel Iqbal and Mr. Zia-ur-Rahman Barq with the crowd indicates that not only the people, but media persons were also aware and the crowd intended to oppose the Survey, as is evident from the slogans raised by the crowd as well as the nature and words used in the slogans outside the Masjid. This is further supported by Administrative Officers and Advocate Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, asking the crowd to disperse through electronic media, as well as the Hon'ble MP and Zafar Ali addressed the crowd and the press, indicates that the crowd's purpose was to obstruct the Survey. This is also reflected in the letters dated 19.11.2024 and 20.11.2024 sent by Mr. Ramesh Singh Raghav, Advocate Commissioner to the District Magistrate and Superintendent of Police.

On 22.11.2024 the day of Juma prayers, a significantly large crowd gathered at Jama Masjid as compared to other Juma days. Through social media and other communication channels, a call was made for gathering in large numbers for the Juma prayer. As per media reports, there was a crowd of about 7,000–8,000 people, whereas on other Juma prayers or special occasions, the crowd typically numbered 3,000–4,000. It appears that the purpose

of this gathering was to strategize against the ongoing Survey at Jama Masjid. After the Juma prayer the act of Local MP of addressing the gathered crowd and press from the stairs of the mosque, and statements suggested to the public that their Jama Masjid was at risk of being taken away and that the Survey committee might cause damage to it.

The LIU report also highlighted the fact that the crowd was mobilized through social media. In light of the crowd gathered on 22.11.2024 and the information provided to them, the sudden gathering of an unexpectedly large crowd at Jama Masjid during the Survey on 24.11.2024 is a significant factor.

On 23.11.2024, Advocate Commissioner Mr. Ramesh Singh Raghav submitted an application to the District Magistrate, which mentioned the date and time of the Survey. After receiving approval/concurrence of District magistrate, Mr. Ramesh Singh Raghav personally handed over the notice to Advocate Zafar Ali, Sadar Jama Masjid within the court premises. Additionally the Administration, through the CO and SDM, ensured that a copy of the notice was again delivered to Mr. Zafar Ali in the evening, thus he was fully aware of the Survey's date and time.

As per statement before the Commission, Mr. Zafar Ali informed the Members of the Jama Masjid Intezamia Committee and the Sambhal MP, Mr. Barq, over the phone.

Mr. Qasim Jamal stated in his evidence before the Commission that on 23.11.2024, at around 12:00 AM, Zafar informed him that the CO and SDM had visited his house and

stated that the Survey might take place on the 24.11.2024 and he was required to be present.

Mr. Mashhood Ali Farooqui stated in his evidence before the Commission that on the night of 23.11.2024, between 10:00 PM and 11:00 PM, Zafar informed him and other committee members about the Survey.

Mr. Suhel Iqbal stated in his evidence before the Commission that on 23.11.2024, around 11:30 PM–12:00 AM, his mother gave him the phone, saying that his father wanted to speak. His father informed him about the Survey scheduled for 24.11.2024 and instructed him to meet the Jama Masjid Intezamia Committee in the morning to ensure cooperation in the Survey. Accordingly, on 24.11.2024, he left for Jama Masjid at 5:30 AM. This clearly indicates that on the night of 23.11.2024, large number of people were informed that the Survey was to take place at Jama Masjid on 24.11.2024.

Evidence also suggests that in the morning, crowds were seen arriving in tractor-trolleys and collecting bricks and stones at one location, which is clear proof that the crowd's intention was to prevent the Survey and cause harm to the Survey team.

As per the testimony of Police Officials, through the LIU and other sources, the Police had anticipated an unexpectedly large crowd might gather to oppose the Survey, for which they remained fully vigilant and set up barricades at various locations. This prevented the crowd from reaching Jama Masjid, leading them to believe that the Police was fully cooperating with the Survey.

Additionally the defeat of the Local MP's supporter in the Kundarki by-election, coupled with the MP's statement that the Police and Administration were responsible for the defeat and were acting on the Government's Orders, led to the perception among the crowd and in particular Muslim community that the Survey at Jama Masjid was also being conducted under Government influence. This created a pre-existing notion in the crowd's mind that the local Police and Administration were not with them and supporting the Survey and this would cause damage to their Jama Masjid. Consequently, the Police positioned themselves between the crowd and the Survey team. The crowd's objective was to harm the Police team, reach Jama Masjid, obstruct the Survey, and cause damage to the Survey team. As a result, several people were injured, and four fatalities occurred.

7. Whether the violence on 24.11.2024 was spontaneous or not?

On 19.11.2024, during the court-ordered Survey of the disputed Jama Masjid site in Sambhal, a crowd of thousands became aware that the Survey was being conducted under a court order. Subsequently extensive publicity was done through social media, WhatsApp, and other means for maximum participation/attendance on Juma prayer ie. 22.11.2024, resulting in an unusually large crowd compared to regular Friday prayers. Eyewitnesses reported that due to lack of space inside the mosque, people prayed on the roofs of neighbouring buildings.

After the prayers, MP Mr. Barq addressed the media and the crowd from the mosque's stairs, stating that the Survey was court-ordered, but "no one can take our Jama Masjid. It is a mosque, was a mosque, and will remain a mosque until doomsday. We are always ready to protect it." This address was widely circulated on social media, informing people across Sambhal and the country about the court-ordered Survey.

The Survey on 19.11.2024 was incomplete, a fact known to the public through social media and TV channels, as Plaintiff's Advocate Mr. Vishnu Shankar Jain stated in a media byte that the Survey was incomplete due to disruptions and would be conducted again. Mr. Zafar Ali, Sadar, Jama Masjid, also stated that the Advocate Commissioner mentioned that a repeat Survey was possible. The Commissioner informed the DM and SP in writing on 19.11.2024, requesting arrangements for a repeat Survey on 20.11.2024, but it was not conducted due to the Kundarki by-election. On 23.11.2024, after the by-election results, the Survey Commissioner requested DM for the Survey on 24.11.2024 from 07:00 to 11:00 AM. The DM while accepting the request of the Survey Commissioner, instructed for Administrative and Police Arrangements. The Commissioner provided a copy of the notice to the Mosque, Sadar Advocate Zafar Ali on 23.11.2024 in the Court Premises, and receipt of the notice was placed by the Survey Commissioner during his testimony before the Commission. The SDM and CO delivered the same notice at the residence of Zafar Ali, Sadar Jama Masjid in the evening of 23.11.2024, which

contains the details of date and time of the Survey. Zafar Ali informed MP Barq and the Members of the Intezamia Committee about the Survey. According to the statement of Superintendent Police, Sambhal, a meeting was held at Suhel Khan's residence around midnight on this issue. Eyewitnesses reported seeing Muslim community members arriving in tractors and trolleys from far-off areas in the morning of 24.11.2024, carrying bricks and stones. After the 19.11.2024 Survey, new faces from the Muslim community were seen in Sambhal, including people from other areas staying at local Madarsas. On the morning of the incident, before the Survey began, Muslim Community members were seen with bricks, stones, country-made pistols, and swords, stating they would not allow the Survey under any circumstances and that the Police could not protect the Survey team.

It is clearly evident that the public including all the concerned were aware of the Court-Ordered Survey since 19.11.2024 and not being satisfied with the Court's order as well as being aggrieved, had been planning with others to oppose the Survey and intending to harm the Survey team in order to prevent Surveys of Mosque's premises as well as send a message to the Courts and Administration to refrain from issuing such orders. By the night of 23.11.2024, the persons of Muslim community had been communicated regarding the scheduled Survey from 07:00 AM on 24.11.2024, leading them to gather bricks, stones, and weapons and arrive at the Mosque by 08:00-08:30 AM to oppose the Survey. There is no evidence that the crowd, including people from outside

Sambhal with weapons and stones, gathered merely to inquire about the Survey. With the support of the Mosque Intezamia Committee and influential Political Figures, the crowd's morale was boosted, leading to the violent incident on 24.11.2024. Thus we conclude that the incident dated 24.11. 2024 was not spontaneous .

8. Evaluation of the Statements of the Members of Intezamia Committee of Jama Masjid, the Hon'ble Local MP and Son and Representative of Local MLA.

ICW-184 Advocate Mr. Zafar Ali, Sadar of Jama Masjid, in his affidavit and statements before the Commission, provided the following contradictory facts:

On 19.11.2024, Qasim Jamal and Advocate Farooqui informed him around 4-5 PM regarding the order of a Survey Commission. Whereas Mr. Qasim Jamal, Advocate Jama Masjid in his testimony stated that on 19 .11, 2024. Zafar Bhai informed him that a case had been filed against the Jama Masjid, so he went to the Court's Office, 3:30 PM – 3:45 PM and tried to read the order from the file, but he had an altercation with the Plaintiff's Advocate present there. Zafar Sahab also informed him at 6 PM that the Survey would take place today and asked him to be present.

Mr. Zafar Ali, during his testimony stated that on 19.11.2024, he was at the Chandausi Court, where people were discussing that a case related to Jama Masjid had been filed. He went to the Court around 4 PM and enquired with the Court Clerk, who informed him

that a case had been filed but did not show him the copy of the plaint. He further stated that Qasim Jamal and Farooqui informed him about the Survey Commission, but did not specify who the Commissioner was. He was in his chamber in Chandausi Court Premises, when at 5:15 PM, he received a call from Kotwali Sambhal informing him that a Survey of Jama Masjid is to take place and he is required to reach the Masjid.

The Survey on 24.11.2024 was not conducted under any Court's order but solely on the orders of the DM (District Magistrate) of Sambhal. Seeing a large presence of Administration and Police around the Jama Masjid, the nearby public gathered to understand why such a heavy force was deployed.

The SDM (Sub-Divisional Magistrate) of Sambhal ordered the draining of the water tank (Hauz) in the mosque premises, which rapidly flowed downward, creating confusion among the public that the tank was being drained for excavation, possibly to take possession of the Jama Masjid.

When the crowd sought clarification from the CO (Circle Officer) of Sambhal, he abused them with foul language and ordered lathi charge, prompting the crowd to throw stones in self-defense. This marked the beginning of the incident. At 9:00 AM, the Police used tear gas and fired in the air; when the crowd did not disperse, the Police fired directly at them, resulting in the deaths of 4-5 people. During the Police firing, he was present at the scene with the DM and SP (Superintendent of Police) of Sambhal and witnessed the entire incident. He stayed for 20-25

minutes, and during this time, there was no firing from the crowd's side. He did not see anyone in the crowd with illegal weapons, country-made pistols, etc.

During a conversation with Mr. Barq, the MP, he informed him that the Survey would take place again the next day, to which he responded, asking why it was happening again when it had already been conducted once. He informed him that the Survey was being conducted on the DM's orders. He then asked him to stop the Survey by speaking to the DM and SP, which he refused, saying he could not stop it.

In the affidavit, it was stated that when the crowd sought clarification from the CO of Sambhal about the water flow, the CO abused them and ordered lathi charge, leading to stone-pelting by the crowd in self-defense. Before the Commission, he clarified that he did not write this based on his own observation, but included it in the affidavit based on what others told him.

In paragraphs 5 and 6 of the affidavit, it was stated that the Police opened direct fire on the crowd, resulting in the deaths of 4-5 people. Before the Commission, he clarified that he is not an eyewitness to this, and after the violence ended, people present at the scene told him regarding happening of the said events. However, in the affidavit, he had written that he was present at the scene with the DM and SP during the Police firing and witnessed the entire incident.

Regarding the draining of the water tank, he stated before the Commission that the SDM instructed to drain the water tank, but

the DM and SP suggested that the tank's length, width, and depth could be measured using a stick without draining it. Despite this, he drained the tank on the SDM's instructions, leading to public confusion that excavation had begun in the mosque. In the affidavit, it was only stated that the SDM of Sambhal had instructed them to drain the water tank of the Mosque.

He was inside the Mosque but stepped out for one or two minutes to buy paan masala. He gave money to a person, and within one or two minutes, he returned, and the person delivered the paan masala inside the Mosque.

If the gathered crowd had succeeded in entering the Mosque, an untoward incident could have occurred.

The court's order dated 19.11.2024 could have been challenged through a writ petition, but he did not do so.

Whereas Mr Vishnu Shankar Jain, Advocate for the Plaintiffs in his testimony before the Commission stated that the case was first taken up at 12:30 PM before Civil Judge on 19 .11. 2024, and during the course of hearing Qasim Jamal Advocate was present on behalf of Jama Masjid, but he did not file his Power/Vakalatnama, Zafar Ali Advocate, who is Sadar of Jama Masjid was also present in the Court. The Hon'ble court after deciding the application of the plaintiffs under section 80 CPC, posted the case at 2 PM for hearing on the Application for Commission and temporary injunction. At the time of hearing at 2 PM, Qasim Jamal and Zafar Ali, along with other Advocates of Masjid were present in the Court and Vishnu Sharma, Advocate on

behalf of ASI, Mr Prince Sharma, DGC (Civil) were present and after orders of the Court on the Application for Commission, the file was sent to the Court Office, who was required to name the Commissioner from the Panel and during this period Qasim Jamal tried to snatch the file and he had altercation with him at Ahalmad Room.

ICW-159 Mr. Laddan Khan, Member of Intezamia Committee, Jama Masjid, in his affidavit and statements before the Commission, provided the following contradictory facts:

According to the affidavit, the water tank was drained by the Administration and the SDM to measure its depth, Due to the strong flow of water, the public outside became confused, believing the tank was being demolished and excavation was taking place, leading to cries and shouts reaching inside the Mosque. Before the Commission, he stated that the ablution (Wazukhana) water was drained on the SDM's instructions, and he was with SDM. His employee opened the water tank under his direction.

He did not see the crowd, then stated that the crowd was not on all sides but only at the back, shouting slogans, but he could not hear what slogans, due to the noise.

ICW-168 Mr. Qasim Jamal, Advocate, Jama Masjid, in his affidavit and statements before the Commission, provided the following contradictory facts:

On 19.11.2024, the Survey was completed. When he sought information from the Advocate Commissioner about the court order for the Survey on 24.11.2024, he was told there was no new order,

but the Survey on 19.11.2024 was incomplete, so it was being conducted again.

As an Advocate for the Mosque Committee, he opposed the Survey without court's permission, but his objection was ignored. After the Survey Commissioner completed the inspection, the Commissioner, the plaintiff, and the Plaintiff's Advocate left the site. He stayed at the Mosque with the Mosque Committee Members and after one or two hours when the situation calmed down, went home with his colleague.

On 23.11.2024 Sadar, Zafar Bhai, informed him that the Survey would take place in the morning, and he is needed to be present. This was told to him around midnight.

On 19.11.2024, Zafar Bhai informed them that a case had been filed against the Jama Masjid, so they went to the Court Office around 3:30-3:45 PM. He tried to read the order from the file, but he had an altercation with the Plaintiff's Advocate present there. Zafar Sahab also informed him at 6:00 PM that the Survey would take place and asked him to be present.

On 19.11.2024, when he reached around 6:00-6:15 PM, the Local MP and MLA's son, Suhel Iqbal, were already present. Other Mosque Management Committee Members were there and around 20-25 worshippers arrived by 8:00 PM.

The Commissioner stated that the Survey was complete, and the Commissioner has the right to prepare a report on-site or inform the Court via post. He can set the next date with the consent of the parties.

On 24.11.2024, during the Survey proceedings, the Plaintiff's Advocate and the Commissioner, along with some others, were noting facts. They were with Administrative Officials. He tried to stop them, but they did not listen. There was noise outside the Mosque of the crowd and sounds of gunfire. He could not go outside, as the Police were stationed there.

The water tank was drained on the instructions of an Administrative Officer, but he did not see it being opened. When he came out of the Mosque, people later told him that the tank's water was opened, causing confusion.

The Survey on 19.11.2024 was reported in newspapers, which informed people about it. On 24.11.2024, hundreds of Police Personnel were deployed around the Mosque, leading to a crowd gathering, as people feared the Mosque's existence was at risk.

ICW-169 Mr. Mashhood Ali Farooqui, Advocate, Jama Masjid, in his affidavit and statements before the Commission, provided the following contradictory facts:

On 19.11.2024, the Jama Masjid President did not inform him about any order of Commission in court. His house is next to the Jama Masjid, where many Journalists and Police Personnel were present. When he inquired, they told him about the Court's order for a Survey having been issued. He reached there around 6:00 PM and saw the DM, SP, and other Administrative Officials approaching the Mosque. Then Sadar informed him that the Survey was to take place that day.

On the night of 23.11.2024, between 10:00-11:00 PM, the Sadar informed him and other Members about the Survey. Zafar Ali also mentioned that the CO and SDM had visited his house and informed him that the Survey might take place on 24.11.2024 between 7:00-8:00 AM.

On 24.11.2024, he looked down from the Mosque's roof and saw 1000-1500 people shouting slogans, including "Allah-hu-Akbar."

The ablution area is near the Mosque's gate, and the tank in the Mosque's center is connected to a water supply tank, cleaned monthly in the first week. The SDM instructed the tank's water to be opened for measurement, but the Sadar opposed it, saying there was no such order. However, the Mosque Committee's employee opened the tank's water.

On 19.11.2024, he knew that the Survey was incomplete, but the Commission officials told the media that the Survey was fully completed.

If a large Police force had not been present and the crowd had entered the Mosque, massive violence could have occurred, and many lives would have been lost.

Making political statements or holding press conferences inside the mosque or at its stairs was inappropriate.

After the Survey on 24.11.2024, he did not file any written objection with the Court or Commission, but Sadar Zafar Sahab did.

ICW-180 Mr. Zia-ur-Rahman Barq, Hon'ble MP, Sambhal, in his statements before the Commission, provided the following contradictory facts:

On 19.11.2024, between 6:30-7:00 PM, people in the area informed him that Police and Administrative officials had arrived at the Jama Masjid in the evening. Nadeem, a resident of Kotgarvi, informed him about the Survey.

When he reached the Mosque, around 300 people were on the road, and 20 were inside the Mosque. He went inside alone and asked for a copy of the Court's Order, but it was not available at the time. When he reached the Mosque on 19.11.2024, Suhel Iqbal was already present. He didn't know how many people were with him.

On 22.11.2024, for Friday prayers, WhatsApp groups were used to call people to gather at the Jama Masjid. The messages clearly indicate that certain individuals urged the public/worshippers to gather in large numbers on 22.11.2024. As far as he remembers, Suhel Iqbal was among the worshippers.

He did not deliver any speech inside or outside the Mosque before or after Friday prayers. He only answered the media's questions, which was necessary because rumors were circulating that the Plaintiff's side had previously claimed other Mosques in the Country and intended to do the same with their Mosque.

He was informed about the Survey on 24.11.2024 by Zafar Sahab, the Sadar of the Intezamia committee on the night of

23.11.2024. He mentioned that another Survey was to take place, but did not specify the date or time. He called him twice that night. When the Commission asked, whether he had told Zafar Sahab and others to ensure that the Survey did not take place under any circumstances and to inform the public to gather at the Mosque in the morning to oppose it, he stated that he never said such a thing, nor did he discuss it over the phone, nor did he want the Survey to be opposed.

On 24.11.2024 an hour after the Survey began, people received the information and they only wanted to know why the Police and Administration had returned to the Mosque, when the Survey had already been conducted once. Instead of a satisfactory response, they were mistreated and faced lathi charge.

The draining of the tank's water caused confusion among people that excavation of the mosque was underway, leading to the situation.

The people did not want to enter the Mosque; they only wanted answers to their questions. However, if they had entered the mosque, an untoward incident could have occurred.

ICW-181 Mr. Suhel Iqbal s/o Mr. Iqbal Mahmood (MLA, Sambhal) in his affidavit and statements before the Commission, provided the following contradictory facts:

On 19.11.2024, in the afternoon a lawyer called and informed him about the Survey Order. Later, at 5:30 PM, a Journalist informed him that the DM and SP might visit the Jama Masjid for the Survey that day.

He went to the mosque alone to offer prayers, where 20-25 worshippers were already present. He spoke to the DM and SP, who informed him that the Survey was being conducted under a court's order. He said that as an MLA representative, he would cooperate.

On 19.11.2024, the Survey proceedings lasted from 8:30-9:30 PM (though the affidavit states until 8:00 PM). The prayer time was extended by an hour due to the Survey. When the DM asked, the Advocate Commissioner nodded, indicating everything was completed.

On 22.11.2024, he did not go to the Jama Masjid for Friday prayers.

He was informed about the Survey on 24.11.2024 by his father on the night of 23.11.2024 at around 11:30 PM. He told him to go to the Mosque in the morning and speak to the Management Committee to ensure cooperation.

On 24.11.2024, he left home at 5:30 AM, reached the Jama Masjid at 6:00 AM and offered prayers. Around 6:30-6:45 AM, when he came out of the Mosque, barricading was being set up around it. He was on his way to inform Mashhood Ali Farooqui, when he met the Additional SP, who told him the Survey was scheduled for that day. He then went to Advocate Farooqui's house, which is about 100 meters from the Jama Masjid, and left around 5:30-6:00 PM. He learned about the incident through TV and mobile.

He stated that if the gathered crowd had entered the Mosque, something untoward could have happened to the Survey team and the officials present there.

The Commission has gone through the testimonies of Advocate Mr Zafar Ali, Sadar, Jama Masjid, Mr Iaddan Khan, Nayab Sadar of Intezamia committee, Jama Masjid, Mr Qasim Jamal Advocate, Jama Masjid Mr Mashhood Ali Farooqui, Advocate, Member, Management Committee, Mr Zia-ur-Rahman Barq, Hon'ble MP, Sambhal and Mr Suhel Iqbal, Son/ Representative of Local MLA, Mr Iqbal Mehmood.

All the above noted witnesses stated that the Survey of Jama Masjid was completed on 19/11/2024 and there was no necessity of Re-Survey on 24/11/2024. All of them further emphasized that the crowd gathered on 24/11/2024 to know as to why the Survey proceedings were being carried again, when the Survey had already been completed on 19/11/2024. They also stated that the incident dated 24/11/2024 had taken place due to confusion amongst the Muslim Community about heavy drainage of water from Wazukhana of the Masjid.

The examination of the evidence of Mr Zafar Ali, shows that there are major contradictions in the statement mentioned in his affidavit and statement before the Commission. In para 5 and 6 of the affidavit, he has stated that the Police opened direct fire on the crowd, resulting in the death of 4 to 5 people, but before the Commission, he has stated that he was not an eyewitness because he was inside the Jama Masjid. On the point of

completion of Survey and drainage of water from the Wazukhana / ablution tank, his evidence is self-contradictory.

Mr Laddan Khan in his affidavit has stated that the Wazukhana was drained by the Administration and SDM to measure its depth, but before Commission he has stated that the water of the Wazukhana/tank was drained on the instruction of SDM and an employee of the Masjid opened the water of ablution tank under his direction. On the point of presence of crowd, first he stated that he did not see the crowd, there after he said that crowd was not on all the sides of the Masjid, but it was at the back of the Masjid. Thus his testimony is also self contradictory.

Qasim Jamal Advocate, a practicing lawyer at Chandausi Civil Court, on the one hand stated that the Survey was completed on 19/11/2024, but on the other hand he stated before the Commission that the Survey was complete and the Commissioner has the right to prepare a report on site or inform the court via post and he can set the next date with the consent of the parties. Thus his statement is also self-contradictory.

The statement of Mr Mashhood Ali Farooqui, Advocate is also self-contradictory on a certain point which has been discussed above, but he admits that on 19.11.2024 Survey could not be completed.

Mr Zia-ur-Rahman Barq, MP Sambhal has admitted that on 19.11.2024 at about 6.30 pm, people in the area informed him that the Police and the officers of the District Administration have arrived at the Jama Masjid in the evening. When he reached the

Mosque, around 300 people were on the road, and 20 were inside the Mosque. He went inside alone in the Jama Masjid and asked for the copy of the court's order, but the same was not available with the authorities at that moment. He further stated that he didn't deliver any speech inside or outside the mosque before or after Friday prayer. But he gave a response to the queries of the media persons. He has also stated that he didn't see the message on WhatsApp group but when he was confronted with the messages exhibit K-146, he admitted the fact of the message, thus he also took somersault at the time of the examination before the Commission , Similarly, with respect to completion of Survey on 19.11.2024.

Mr. Suhel Iqbal's evidence is also self contradictory on several important points of the events dated 19.11.2024 and 24.11.2024.

The Commission on analysing the evidence of all the above witnesses and after due deliberation finds that there are major contradictions in the statements of all these witnesses.

Mr Zafar Ali has stated that Mr Qasim Jamal and advocate Mr Farooqui informed him at around 4 to 5 p.m regarding issuance of Survey Commission, where as Mr Qasim Jamal and Mr Mashhood Ali Advocates have stated that Sadar Mr Zafar Ali Advocate informed them about the Survey to be done on the same day at about 6 pm . As regards completion of the Survey, their statements are also contradictory. Mr Zafar Ali stated that the Survey was completed on 19.11.2024, while Mr Qasim Zamal and Mr

Mashhood Ali have given different statements about the completion of the Survey. Mr Mashhood Ali specifically stated that he knew that the Survey was incomplete on 19.11.2024.

Mr Zia-ur-Rehman, MP stated before the Commission that no conversation took place between him and Mr Zafar Ali, regarding Survey to be conducted on 24.11.2024, while Mr Zafar Ali has categorically stated as to when and how he talked to MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, late in the intervening night of 23/24.11.2024 and Mr Ziaur Rehman Barq directed him to talk to the DM and SP and get the Survey proceedings stayed. On the point of speech and address at the stairs of Jama Masjid on 19.11.2024 and 22.11.2024, his statement is contradictory with the statement of other witnesses and he has tried to save his public address by saying that he was only responding to queries of the media.

Mr Suhel Iqbal stated before the Commission that though he was present in the Jama Masjid at the time of proceedings of the Survey on 19.11.2024, yet he did not interfere in the proceedings, where as other witnesses including Survey Commissioner stated that he and Mr Zia-ur-Rahman were obstructing the process of Survey and indirectly giving threats to the Advocate Commissioner and to the counsel for the plaintiff Mr Vishnu Shankar Jain including their associates. About the incident dated 24.11.24, he said that he remained present at the house of Mr Mashhood Farooqui and was cooperating with the Administration, where as Sub Inspector Mr Rathi and Inspector Mr Anuj Kumar Tomar had

clearly stated that he was provoking the crowd repeatedly, intermingling with them.

Thus the Commission reached the conclusion that the evidence of all these witnesses are unreliable and unbelievable being contradictory and all of them apparently with the prior meeting of minds tried to build up a story of Re-Survey on 24.11.2024 against the fact of incomplete Survey on 19.11.2024 and also to defend the armed unlawful gathering/assembly by justifying their presence that they were there in order to know why Survey of Masjid is being done again, despite the proclamation of 163 BNSS and appeal of District Administration in this regard.

9.Reasons Behind the Incident dated 24.11.2024

The Commission after examining the testimonies of the District Administration including Police Authorities, Plaintiffs, Defendants, and their learned Advocates, Media personnel (Eyewitnesses), Members of the Committee of Management of Jama Masjid, Public Eyewitnesses, Local Member of Parliament and Representative of Local MLA etc. comes to the conclusion that the following circumstances and reasons led to violent dated 24. 11. 2024.

On 19.11.2024 the court of the Hon'ble Civil Judge (Senior Division), Chandausi, Sambhal, in case no. 182/24 (Harishankar Jain & Others vs. Union of India & Others), appointed Mr Ramesh Singh Raghav as Advocate Commissioner to conduct the Survey of the Jama Masjid, Sambhal and Submit report of the Survey by 29.11.2024 to the Hon'ble Court. In compliance with this order, Mr Ramesh Singh Raghav sent a letter to the District Magistrate and Superintendent of Police, Sambhal, requesting necessary cooperation and security. Through another letter he informed them that the Survey would be conducted on the same day. Subsequently, the District Magistrate constituted a three-member committee comprising the SDM Sambhal, CO Sambhal, and the Executive Officer of the Sambhal Municipality to provide assistance. On the evening of 19.11.2024, before commencing the Survey, the Sadar of the Jama Masjid, Mr Zafar Ali, Advocate was

informed of the court's order, and a copy of the order was provided to him.

As per Court Commissioner, Mr Ramesh Singh Raghav, during the Survey, the Plaintiff and Defendant parties, their Advocates, Administrative Officials, Local MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, and Son/ Representative of the Local MLA i.e. Mr Suhel Iqbal, along with two to three hundred supporters, were present inside the Jama Masjid premises, where the Survey was taking place. They repeatedly obstructed the Survey work. Outside the Jama Masjid premises, a crowd of thousands had gathered, which was repeatedly requested by the Administration and Mr Zafar Ali, the Sadar of the Jama Masjid, to disperse. Due to darkness inside the Jama Masjid premises, obstructions by political figures and the Jama Masjid Intezamia Committee's members' statement that it was time for prayers, the Survey work on 19.11.2024 was halted. The Advocate Commissioner informed the Administrative Officials and the Sadar of the Jama Masjid Intezamia Committee that the date and time for the next Survey would be communicated later. This was also recorded in the testimony of Mr Zafar Ali. On the same day ie. 19.11.2024, the Advocate Commissioner informed the District Magistrate and Superintendent of Police about the obstructions faced during the Survey.

On 20.11.2024, the Advocate Commissioner sent another letter to the District Magistrate and Superintendent of Police, requesting cooperation for continuing the Survey. But due to the by-election in the Kundarki Assembly constituency in Moradabad

District, the Superintendent of Police could not provide Police support/ force, and thus, the Survey could not proceed on 20.11.2024.

On 21.11.2024, taking note of the situation that occurred on 19.11.2024, the Superintendent of Police, Sambhal, convened a meeting at the Kotwali Police Station with Muslim religious leaders, all Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, and Members of the Peace Committee. They were informed that Section 163 BNSS was in force in the District, which must be complied with, and that incidents like the gathering of a large crowd during the Survey on 19.11.2024 should not be reoccurred, as the Survey was being conducted under the orders of the Hon'ble Court, cooperation from all was expected. Meetings were also held at the Ekta, Nakhasa, and Panju Sarai Police outposts under the Kotwali Police station, where prominent local individuals were informed of the same.

On 21/22.11.2024, the day of Juma prayers, messages were observed on social media, including WhatsApp groups named "Sambhal MP" and "Mannat," calling the people to gather in large numbers at the Jama Masjid for offering Juma prayer only at the Jama Masjid and contribute generously to donations.

In response, the Police took preventive action against some identified individuals and circulated videos of Muslim religious leaders and Jama Masjid Committee Members urging people to offer prayers at their nearby mosques and not to gather at the Jama Masjid.

However on 22.11.2024, a larger than expected crowd gathered for Juma prayers, resulting in insufficient space inside the mosque. According to eyewitnesses, people were seen offering prayers on nearby rooftops. The crowd on this day was significantly larger than on other Juma prayer days. Local MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, who usually offered prayers at a mosque near his residence when in Sambhal, attended the Jama Masjid for prayers on 22.11.2024. After prayers, he addressed the press and the gathered worshippers from the steps of the mosque, using words such as, “We will ensure legal protection for our Jama Masjid, and Insha-Allah, whatever is needed to protect the Jama Masjid, I and everyone will always be there. No one can take the Jama Masjid from us; it was a mosque, it is a mosque, and it will remain a mosque until the Day of Judgment, Insha-Allah.” When interrupted by Mr Zafar Ali, he said, “We are not the ones to be intimidated by the Police Administration, or Government. We are the owners of this country, not servants or slaves.” This address of the MP conveyed a message to the society and through the media that the Jama Masjid in Sambhal was under some threat, leading to the Survey and that the mosque would be taken away with the help of the Police, Administration, and Government. On 23.11.2024 the Police served a notice under Section 168 BNSS to Mr Barq, citing the apprehension of a breach of peace.

On 23.11.2024, the results of the Kundarki by-election were declared, in which the party supported by the MP lost. The MP held

the Police and Administration responsible for his party's defeat. On the same day the MP left Sambhal District for Bengaluru.

On 23.11.2024, the Advocate Commissioner sent a letter to the District Magistrate and Superintendent of Police, requesting to continue the Survey on 24.11.2024 from 7:00 AM to 11:00 AM. The District Magistrate accepted the request and directed the Superintendent of Police to provide Police support/ force. After receiving permission, the Advocate Commissioner provided a copy of the notice to Advocate Mr Zafar Ali, the Sadar of the Jama Masjid and other concerned Advocates in the court premises during the course of the day. The Administration through the SDM and CO also delivered a copy of the notice to Mr Zafar Ali at his residence. Upon receiving the information about the upcoming Survey, Mr Zafar Ali informed MP Mr Barq over the phone and notified the Members of the Intezamia committee. According to the testimony of the Superintendent of Police, Mr Zafar Ali convened a meeting of the Intezamia Committee at the residence of Mr Suhel Khan (Cashier Jama Masjid, Intezamia Committee) at midnight on 24.11.2024, where directions received from the MP were shared with everyone. SP received this information through his sources. In his testimony, Mr Zafar Ali stated that "the Hon'ble MP told me to speak to the DM and SP to stop the Survey, to which he replied that it would be difficult, and he would not be able to stop it."

As per the testimony of Suhail Iqbal on 24.11.2024 as per directions of his father, Mr Iqbal Mehmood Local MLA, he reached the residence of Mr Mahshood Ali Farooqui, located near the Jama

Masjid, around 6:00 AM informing the instructions to the Members of Intezamia Committee to cooperate in the Survey, but for security reasons, the Administration did not allow him inside the mosque, so he remained at Mr Mahshood Ali Farooqui's residence until approximately 5:30–6:00 PM.

The Commission is of the considered view that the statement of Mr. Suhel Iqbal, reaching at the Jama Masjid early in the morning is a well thought story, as in the days of mobile, why any person will go personally to communicate the instructions received from the local MLA/his father, even otherwise being a local MLA. Mr Iqbal Mehmood could have communicated with the Members of Intezamia Committee through his mobile directly. Further as per the testimony of Sub Inspector Mr Rathi and Inspector Mr Anuj Kumar Tomar, he was provoking the crowd repeatedly by intermingling with them.

On the day of the Survey, eyewitnesses observed that, despite the cold weather, people were arriving from villages in tractor-trolleys as early as 5:00–5:30 AM, collecting bricks and stones from the roads and loading them into the trolleys. The members of muslim community were seen heading toward the Jama Masjid early in the morning, carrying swords, sticks, and pistols, telling themselves that if anyone from the Survey team enters the Mosque, he would not be spared alive, and no one would be able to save them.

The Survey team, along with Administrative/ Police Officials, Members of the Jama Masjid Committee, and Representatives of

the Plaintiff and Defendant parties, entered the Jama Masjid premises around 7:00–7:30 AM to conduct the Survey. As the Survey work began, the crowd at the Jama Masjid started increasing. During this time, when the Survey team requested for photography and videography of the wazukhana/ water tank (Hauz) inside the Mosque Premises, the employee of the Jama Masjid Committee drained the water of the wazukhana/water tank on the instructions of Mr Laddan Khan, Nayab Sadar of the Committee and the water started flowing through drain. Meanwhile Mr Zafar Ali Sadar of the Jama Masjid Committee, left the premises under the pretext of eating paan-masala and returned after about half an hour. Upon returning, he made an announcement from the mosque's microphone, urging the agitated crowd outside to stop making noise and disperse. However, the crowd became more aggressive and began pelting stones at the Police and Administration. Shortly afterwards the Police used tear gas shells in self-defence and to disperse the crowd. The crowd became even more aggressive, resorting to stone-pelting, firing, and setting fire to nearby vehicles, transformers, and electrical wires. The Survey work was completed by around 10:30 AM, Mr Zafar Ali again announced from the microphone that the Survey work had been completed.

Subsequently, the entire crowd gathered near the mosque started targeting the Police and Administration with stone-pelting, firing, and arson, injuring several Police Personnel, who were hit by stones and bullets. Four persons from the crowd also lost their

lives, and according to the postmortem and ballistic reports, their deaths were caused by weapons such as 315 bore, which as per evidence and record were not used by any Police personnel.

According to statements of the Police and other eyewitnesses, during the incident, Mr Suhel Iqbal, who was at Mr Mahshood Ali Farooqui's residence near the Jama Masjid, was repeatedly seen going into the crowd. He also remained in constant contact with people via phone. However, in his testimony, Mr Suhel Iqbal stated, "I neither obstructed nor opposed the Survey work on 19.11.2024. I always cooperated and, at that time, explained to the people in front of the Police to leave, after which the crowd dispersed." However, on 24.11.2024 Mr Suhel Iqbal was present approximately 30 meters away from the Jama Masjid from around 6:00 AM to 6:00 PM, but did not mention any such thing in his testimony, because he did not make any attempt to calm down the crowd on 24.11.2024, despite the fact and on his own statement that the crowd always honoured his instructions. The evidence also indicates that when Mr Zafar Ali made announcements from the mosque's microphone the crowd became more aggressive. While making announcements he was seen waving his hand from the mosque's roof toward the crowd and smiling, which suggested that his demeanour contradicted his statements and it appears that the same was some kind of signal to the crowd to escalate/aggravate their actions.

Mr Zafar Ali admitted leaving the mosque, while the water was being drained from the Wazukhana/tank and sending

someone from the crowd to fetch gutkha. However, no witness testified that shops around the mosque were open during such a tense situation. The person sent to fetch gutkha could also be seen as a messenger.

The statements of the Police, Administrative Officials, and Eyewitnesses including media suggests that when the water was being drained from the Wazukhana/tank, it appeared that a message was conveyed to the crowd, which caused it to become highly agitated.

ICW 199. Mr Vishnu Sharma, Cameraman of Court Commissioner, in his testimony stated before the Commission that there was a huge crowd outside the mosque, as if the entire Sambhal and people from nearby villages had gathered. The Survey Proceedings on 24.11.2024 lasted about 3 hours, during which the crowd intermittently troubled the Administration Officials. The Intezamia Committee members were creating obstacles inside the mosque, while outside, there was heavy sloganeering, arson, and firing from country-made guns.

From the mosque's roof, where SDM Sambhal was also present, he witnessed the entire scene. Many people had covered their faces with cloth, were pelting stones, setting fire to vehicles and bikes, and the atmosphere became extremely tense.

Advocate Commissioner Mr Ramesh Singh Raghav had requested the Administration to get the Wazukhana/ water tank (Hauz) drained so that its photography could also be done. This request was conveyed to the Intezamia Committee, and they

began emptying the tank through their workers. The Wazukhana/tank was inspected, but due to excessive moss and mud, proper measurements, videography or photography could not be done. Whatever videography and photography he managed was handed over to the Court Commissioner.

While the Wazukhana/tank was being emptied, the Intezamia Committee spread rumours that the Mosque was being dug up and demolished. A lawyer and Members of the Intezamia/Committee were moving in and out, likely spreading these rumours. The crowd became very violent and started pelting stones, firing at the Police/Administration, indulged in arson and also became uncontrollable. The Police were trying to control and pacify the crowd and resorted to Lathi charge at several places to push them back. The Police also fired tear gas shells to control the situation and tear gas smoke filled the Mosque, the smoke from burning vehicles was also rising.

Mr. Zia-ur-Rahman Barq, Hon'ble MP, Sambhal in his statement before the Commission as well as in his address to the media after partial Survey of the Jama masjid on 19-11-2024 and after the Friday's Namaj at Jama Masjid on 22-11-2024, while disagreeing with the Hon'ble Court's order dated 19-11-2024 relied and made emphasis on the provisions of the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991.

The commission, taking into consideration the statement of the Smt. Neeti Anil Kumar, Assistant Superintendent Archaeologist, deem it proper to examine the provisions of Ancient monument

Preservation act, 1904 and the agreement executed on 13/19-01-1927 between Mutwalli of Juma Masjid at Sambhal with Collector of Moradabad, acting on behalf of Secretary of State for India, which was registered on 01.03.1927.

The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 was enacted during British Rule with an object for preservation of Ancient Monuments and objects of archaeological, historical, or artistic interest. It provided for preservation of ancient monuments alongwith control over trafficking antiquities and for excavation in certain places and also for protection and acquisition in certain cases of ancient monuments. It came into effect on 18.03.1904.

Section 2(1) defines “ancient monument” which is as under:-

“(1) ancient monument” means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock-sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archeological or artistic interest, or any remains thereof, and includes—

- (a) the site of an ancient monument;*
- (b) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument; and*
- (c) the means of access to and convenient inspection of an ancient monument;”*

Section 3 provides for the “protected monuments”, which is as under:-

“3. Protected monuments.—(1) The Local Government may, by notification in the [Official Gazette], declare an ancient monument to be a protected monument within the meaning of this Act.

(2) A copy of every notification published under sub-section (1) shall be fixed up in a conspicuous place on or near the monument, together with an intimation that any objections to the issue of the notification received by the Local Government within one month from the date when it is so fixed up will be taken into consideration.

(3) On the expiry of the said period of one month, the Local Government, after considering the objections, if any, shall confirm or withdraw the notification.

(4) A notification published under this section shall, unless and until it is withdrawn, be conclusive evidence of the fact that the monument to which it relates is an ancient monument within the meaning of this Act.”

Section 5 provides for “preservation of ancient monument by agreement”, which is as under:-

“5. Preservation of ancient monuments by agreement.—(1) The Collector may, with the previous sanction of Local Government, propose to the owner to enter into an agreement with Local Government for the preservation of any protected monument in his district.

(2) An agreement under this section may provide for the following matters, or for such of them as it may be found expedient to include in the agreement:—

(a) the maintenance of the monument;

- (b) the custody of the monument, and the duties of any person who may be employed to watch it;*
- (c) the restriction of the owner's right to destroy, remove, alter or deface the monument or to build on or near the site of the monument;*
- (d) the facilities of access to be permitted to the public or to any portion of the public and to persons deputed by the owner or the Collector to inspect or maintain the monument;*
- (e) the notice to be given to the Local Government in case the land on which the monument is situated is offered for sale by the owner, and the right to be reserved to Local Government to purchase such land, or any specified portion of such land, at its market-value;*
- (f) the payment of any expenses incurred by the owner or by Local Government in connection with the preservation of the monument;*
- (g) the proprietary or other rights which are to vest in Government in respect of the monument when any expenses are insured by Local Government in connection with the preservation of the monument;*
- (h) the appointment of an authority to decide any dispute arising of the agreement; and*
- (i) any matter connected with the preservation of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and Local Government. [* * *]*

- (1) The terms of an agreement under this section may be altered from time to time with the sanction of the Local Government and with the consent of the owner.*
- (2) With the previous sanction of Local Government the Collector may terminate an agreement under this section on giving six months' notice in writing to the owner.*
- (3) The owner may terminate an agreement under this section on giving six months' notice to the Collector.*
- (4) An agreement under this section shall be binding on any person claiming to be owner of the monument to which it relates, through or under a party by whom or on whose behalf the agreement was executed.*
- (5) Any rights acquired by Local Government in respect of expenses incurred in protecting or preserving a monument shall not be affected by the termination of an agreement under this section.”*

After the enforcement of the Act of 1904, the property in question was declared as a protected monument under Section 3(3) of the Act by Notification No. 1412M dated 18.11.1920 and was published in Part I of United Provinces Gazette. It was on 22nd December 1920, the Lieutenant Governor confirmed the notification and Juma Masjid, District- Moradabad situated at Sambhal became a protected monument under the Act of 1904. A copy of the notification of 1920 and the Agreement dated 13/19.01.1927 has been placed before the Commission by Smt.

Neeti Anil Kumar, Assistant Superintending Archaeologist, of the Archaeological Survey of India.

“The Agreement dt-13/19-01-1927 reads under:-

This indenture made subject to the provision of the Ancient Monuments Preservation Act VII of 1904 the 13th day of January 1927 between the Mutwallis of Juma Masjid Sambhal (hereinafter called the Mutwallis) of the one part and the Collector of Moradabad on behalf of the Secretary of State for India in Council (hereinafter called the Secretary of State) of another part. Whereas the Juma Masjid (hereinafter referred to as the said Masjid) has been duly declared to be a protected monument under the provision of section (3) of the said Act by the notification of the government of the United Provinces of Agra and Oudh, Public Works Department, Buildings and Roads Branch No. dated and whereas the terms of this agreement executed under section V of the said Act have been approved by the government of the United Provinces of Agra and Oudh. Witness as follows, namely:-

1. That the said Masjid shall be maintained in repair by the Archaeological Department acting on behalf of the Secretary of State, provided that it shall be entirely within the discretion of the Archaeological Department to determine what repairs, if any, shall from time to time, be carried out under this condition. The cost of such repairs shall be met out of any endowment that may have been created for the purpose of keeping the said Masjid in repair or for that purpose among others, and additional funds provided by

the Secretary of State only if the endowment funds attached to the said Masjid prove insufficient for the required repairs.

2. That the Mutawallis shall not undertake any repairs to the said Masjid without the permission in writing of the Collector of Moradabad.

3. That the Mutwallis shall not destroy, remove, alter, deface or imperil the said Masjid.

4. That the Mutwallis shall not build on or near the site of the said Masjid without the permission in writing of the Collector, Moradabad.

5. That the Secretary of state shall not interface with or hinder in any way the performance of religious observances according to the tenets of Islam at the said Masjid.

6. That the visitors will have free access to the said Masjid but with due regard to the religious susceptibilities of the Mutwallis and the Muslim public.

7. That the Mutwallis shall permit the Archaeological officers or such other persons as may be deputed by the collector Moradabad to repair or inspect the said Masjid.

8. That the Mutwallis shall be the custodian of the said masjid and shall be responsible for keeping it neat and tidy.

9. That the agreement shall be binding on any person claiming to be Mutwallis of the said Masjid.

10. That the terms of the agreement may be altered from time to time as the occasion arises with the sanction of the Government of

the United Provinces of Agra and Oudh and with the concurrence of the Mutwallis.

11. That the Collector, Moradabad may with the previous sanction of the Government of the United Provinces of Agra and Oudh terminate the agreement on giving six month's notice in writing to the Mutwallis.

12. That similarly the Mutawallis may terminate the agreement on giving six months notice to the Secretary of State, provided that the Mutawallis will have to pay to the Secretary of State, should the Secretary of State so claims all the expenses incurred by the Secretary of State in repairing the building, maintenance and upkeep of the said Masjid during the five years previous to the termination of the said agreement or during such part thereof as the agreement may have been in force.

13. The Commissioner of Rohilkhand Division will be the authority to decide any dispute arising out of the agreement.

14. That the Mutwallis shall give the Collector Moradabad six months' previous notice in writing in case the said Masjid or any portion thereof is offered for sale.

15. That the Secretary of State reserves to himself the right to purchase at its market value the said Masjid or any portion thereof in case it is offered for sale by the Mutwallis to other person than the co-sharer.

N.B. The condition nos. 14 & 15 shall not be necessary in the case of monuments used for religious purpose, as such monuments being the public property cannot be offered for sale.

In witness whereof the Mutwallis have here unto set their hands and the Collector of Moradabad have on behalf of the Secretary of State, here unto set his hand and the seal of his office.

Sd/Md. Faigilur Rahman SD/A.P. Collector, Esqr. I.C.S. Collector Moradabad.

19.1.1927

(Registered on 1st March 1927)"

The agreement provided that the structure would be maintained and repaired by Archaeological Survey of India on behalf of the Secretary of State and it was at the discretion of the Archaeological Department to determine whether any repair is required from time to time or not. The cost of repair was to be borne out by an endowment created for the purpose of keeping the Masjid in repair and if the funds proved insufficient then the State was to provide. The Mutwallis were restrained from undertaking any repair in the said Masjid without permission of the Collector of Moradabad. The third condition attached to the agreement provided restraint to the Mutwallis not to destroy, remove, alter, deface or imperil the said Masjid. No construction work was to be carried out near the site without the permission of the Collector, Moradabad. Further, Condition No. 6 provided that visitors will have free access to the said Masjid but with a due regard to susceptibilities of the Mutwallis. The agreement also permitted the Archaeological Department and its officers to repair and inspect the site. Condition No. 8 provided that Mutwallis will be custodian of the Masjid.

Thus, it clearly culls out from the reading of agreement that Mutwallis will be the custodian of the structure standing therein. The agreement so executed does not define the ownership of the property in question of either of the parties at the time when the agreement was entered into.

Post independence, the Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951 (*hereinafter called as “the Act of 1951”*) was enacted. The Act of 1951 merely declared certain monuments etc. to be of national importance and the Act of 1904 also applied to such monuments.

After the Constitution of India was enforced, the said “ancient and historical monuments, archaeological monuments, archaeological sites and remains” were bifurcated under three heads and find place in the 7th Schedule under the Union List, State List and Concurrent List. Under the Union List, Entry 67 provides ancient and historical monuments and records and archaeological sites and remains declared by or law made by Parliament to be of national importance. Under List II-State List, under Entry 12, ancient and historical monuments and records other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance find place.

Similarly, under List III-Concurrent List, Entry 40 provides for archaeological sites and remains other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance.

The Act of 1904 governs all ancient monuments whether falling under the Central field or State field. The executive power vested in the Central Government.

It appears that a need was felt to legislate a self contained law at the centre which will apply conclusively to ancient monuments of national importance falling under Entry 67 of List-I and to archaeological sites and remains falling under Entry 40, the Concurrent List. Simultaneously, State Governments were to be advised to enact a similar law in respect of ancient monuments falling under Entry 12 in the State List.

The Act No. 24 of 1958 was enacted with this objective and was enforced on 28.08.1958 with Section 39 providing for repeal and saving clauses. The earlier Acts stood repealed while all the things done or omitted to be done pursuant to the Act of 1904 stood saved.

Under the Act of 1958, "ancient monument" was defined in Section 2(a) as under:-

"2(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock-sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

- (i) the remains of an ancient monument,*
- (ii) -xxxxxxx-*

- (iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and*
- (iv) the means of access to, and convenient inspection of, an ancient monument;*

Section 2(i) defines “protected area” which is as under:-

“2(i) “protected area” means any archaeological site and remains which are declared to be of national importance by or under this Act.

Section 3 provides that all ancient and historical monuments and all archaeological sites and remains which have been declared to be of national importance shall be deemed to be ancient and historical monuments. Section 4 provided the power to the Central Government to declare any ancient monument or archaeological site which till date has not been declared can be declared as of national importance. Section 5 provides for the acquisition of rights in a protected monument while Section 6 speaks of preservation of protected monument by agreement. Both Section 5 and 6 are extracted hereasunder:-

“5. Acquisition of rights in a protected monument.—

(1) The Director- General may, with the sanction of the Central Government, purchase, or take a lease of, or accept a gift or bequest of, any protected monument.

(2) *Where a protected monument is without an owner, the Director-General may, by notification in the Official Gazette, assume the guardianship of the monument.*

(3) *The owner of any protected monument may, by written instrument, constitute the Director-General the guardian of the monument, and the Director-General may, with the sanction of the Central Government, accept such guardianship.*

(4) *When the Director-General has accepted the guardianship of a monument under sub-section (3), the owner shall, except as expressly provided in this Act, have the same estate, right, title and interest in and to the monument as if the Director-General had not been constituted a guardian thereof.*

(5) *When the Director-General has accepted the guardianship of a monument under sub-section (3), the provisions of this Act relating to agreements executed under section 6 shall apply to the written to agreements executed under the said sub-section.*

(6) *Nothing in this Section shall affect the use of any protected monument for customary religious observances.*

6. Preservation of protected monument by agreement.-

(1) *The Collector, when so directed by the Central Government, shall propose to the owner of a protected monument to enter into an agreement with the Central Government within a specified period for the maintenance of the monument.*

(2) *An agreement under this section may provide for all or any of the following matters, namely:—*

1. *the maintenance of the monument;*

2. *the custody of the monument and the duties of any person who may be employed to watch it;*
3. *the restriction of the owner's right—
to use the monument for any purpose,
to charge any fee for entry into, or inspection of, the monument,
to destroy, remove, alter or deface the monument, or (iv) to build
on or near the site of the monument;*
4. *the facilities of access to be permitted to the public or any
section thereof or to archaeological officers or to persons deputed
by the owner or any archaeological officer or the Collector to
inspect or maintain the monument;*
5. *the notice to be given to the Central Government in case the
land on which the monument is situated or any adjoining land is
offered for sale by the owner, and the right to be reserved to the
Central Government to purchase such land, or any specified
portion of such land, at its market value;*
6. *the payment of any expenses incurred by the owner or by the
Central Government in connection with the maintenance of the
monument;*
7. *the proprietary or other rights which are to vest in the Central
Government in respect of the monument when any expenses are
incurred by the Central Government in connection with the
maintenance of the monument;*
8. *the appointment of an authority to decide any dispute arising
out of the agreement; and*

9. *Any matter connected with the maintenance of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the Central Government.*

(3) *The Central Government or the owner may, at any time after the expiration of three years from the date of execution of an agreement under this section, terminate it on giving six months' notice in writing to the other party:*

Provided that where the agreement is terminated by the owner, he shall pay to the Central Government the expenses, if any, incurred by it on the maintenance of the monument during the five years.

Immediately preceding the termination of the agreement or, if the agreement has been in force for a shorter period, during the period the agreement was in force.

(4) *An agreement under this section shall be binding on any person claiming to be the owner of the monument to which it relates, from, through or under a party by whom or on whose behalf the agreement was executed.”*

Similarly, Section 18 speaks of the right of access to protected monuments. According to it, the public shall have a right to access any protected monument. Relevant provision is extracted hereasunder:-

“18. Right of access to protected monuments.—Subject to any rules made under this Act, the public shall have a right of access to any protected monument”

The Central Government, thereafter, framed the rules which are called, The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959.

The Rule-3 is relevant and the same is extracted hereasunder:-

“3. Monuments governed by agreement.-(1) Access to protected monuments in respect of which an agreement has been entered into between the owner and the Central Government under section 6, or in respect of which an order has been made by that Government under section 9, shall be governed by the provisions of the agreement or, as the case may be, the order; and nothing in rules 4, 5, 6 or 7 shall be construed as affecting any such agreement or order.

(2) A copy of the relevant provisions of every such agreement or order shall be exhibited in a conspicuous part of the monument concerned.”

From the reading of the Rule-3, it is clear that the agreement executed in respect of a protected monument between the owner and the Central Government under section 6, or any order made by the Government under section 9, shall be governed by the provisions of the agreement, as the case may be. The agreement executed in 1927 *prima facie* reveals that Mutwallis are the custodians of the structure in dispute. The agreement nowhere records the ownership. It is a matter of evidence which is required

to be seen by the trial court in the proceedings of the suit if required.

Thus, from the reading of the Act of 1904, thereafter, the notification of the year 1920 and subsequent agreement of the year 1927 and the Act of 1958, it is clear that the structure in dispute is a protected ancient monument notified in the year 1920. It was post notification that an agreement was executed by then Collector, Moradabad acting on behalf of Secretary of State for India in Council and Mutwallis of Juma Masjid for the protection and preservation

As per the pleadings of the suit no. 182 of 2024, in the instant case, plaintiffs, initially in the month of July, 2024, had given a notice to ASI for right of public access under Section 18 of the Act of 1958. Prayer made in the plaint is for seeking right of access to the disputed structure in view of notification issued under Section 3 in the year 1920 under the Act of 1904 and also seeking declaration that ASI has a complete control over the same.

In the instant case the relief sought is not with respect to conversion of place of worship. The Plaintiffs have only sought right to access to a protected monument declared in the year 1920 under Section 18 of the Act of 1958. It is an admitted position that the structure in question has been declared as a protected monument in 1920, hence it is bound to be governed by the provisions of law which existed when the notification was made and, thereafter, the laws enacted to govern such protected monument.

The Act of 1904 and 1951 were repealed and new law was enacted in the year 1958, saving all the actions which took place earlier. There is no denial to the fact that the status of the standing structure which was declared as a protected monument in 1920 still exists as a protected monument under the Act of 1958.

The Hon'ble Allahabad High Court in Civil Revision No. 4 of 2025, Committee of Management, Jami Masjid versus Harishankar Jain and 12 others, pleased to examine the agreement made subject to the provision of the Ancient Monuments Preservation Act VII of 1904 dated 13.01.1927 *between the Mutwallis of Juma Masjid Sambhal and the Collector of Moradabad on behalf of the Secretary of State for India in Council*, the provisions of Act of 1904, 1958, prayer of the plaintiffs in the suit etc and observed Vide Para No. 98, 117 to 121 as under: –

“98. Thus, it clearly culls out from the reading of alleged agreement that Mutwallis will be the custodian of the structure standing therein. The agreement so executed does not define the ownership of the property in question of either of the parties at the time when the alleged agreement was entered into.”

“117. The entire case set up by revisionists is on the basis of alleged agreement entered between the then Collector, Moradabad and the revisionist in the year 1927. Once revisionist himself admitted to the execution of the alleged agreement which was in pursuance of the Act of 1904, prior to the enforcement of the Act of 1991 and cut off date mentioned therein, he cannot say at this stage that suit is barred by provisions of the Act of 1991.”

“118. This is not a case where any conversion of place of worship is taking place or any religious character of place of worship is being changed. Plaintiffs have only sought right to access to a protected monument declared in the year 1920 under Section 18 of the Act of 1958. Once, it is an admitted position that the structure in question has been declared as a protected monument in 1920 and the same remained unchallenged till date, it is bound to be governed by provisions of law which existed when the notification was made and, thereafter, the laws enacted to govern such protected monument.”

“119. The Act of 1904 and 1951 were repealed and new law was enacted in the year 1958 saving all the actions which took place earlier. There is no denial to the fact that status of the structure standing which was declared as a protected monument in 1920 still exists as a protected monument under the Act of 1958. The alleged agreement as executed in the year 1927, according to revisionist, still holds ground and governs the relationship between the revisionist and the State.”

“120. Once, the revisionist himself has subjected to the Act of 1904 and, thereafter, to 1958, he cannot take shelter of the Act of 1991. There is no claim in the plaint of 2024 seeking conversion of place of worship or changing religious character of any place. Right as accrued to the plaintiffs has been claimed under Section 18 of the Act of 1958.”

“121. In view of the above, I find that the argument advanced by revisionists in respect of the ouster of the suit instituted by

plaintiffs being barred by the Act of 1991 is wholly misplaced, at this stage. It is open to the revisionist/defendant no. 6 to raise such an issue at time of framing of issue, or by moving application under Order VII Rule 11 CPC.”

Further The Hon’ble High Court in its conclusion with respect to allowing application granting leave to institute suit and application for appointment of commissioner for local inspection, pleased to observe Vide Para No. 126 as under: –

“126. Considering the facts and circumstances of the case, I find that no interference is required in the order dated 19. 11. 2024. Passed by the court below, allowing application Paper No. 3C granting leave to institute suit and application 8C for appointment of commissioner for local investigation.”

Based on the statements of the aforementioned witnesses and the record, it is evident that the incident dated 24.11.2024 was the result of a well-planned conspiracy and abetment. The incomplete Survey on 19.11.2024 conducted under the court’s order was known to local Politicians, Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, and the General Public. Between 19.11.2024 and 24.11.2024, Political figures, Criminal Elements, and Members of the Jama Masjid Committee had ample opportunity to prepare and mobilize a crowd in order to establish their dominance driven by political ambitions.

Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr Suhel Iqbal, along with Mr Zafar Ali and Mr Mahshood Ali Farooqui of the Jama Masjid Committee, who sought to maintain their control over the mosque,

conspired to withhold the true nature of the court ordered Survey from the Muslim Community. They incited and mobilized a crowd, in which individuals with criminal tendencies joined, attempting to give the incident a communal colour. This was done with the malicious intent to defame the Government and its machinery not only at the national level but also at the international level. However the Local Police and Administration through their prompt action, succeeded in preventing the same.

Chapter-8

Analysis and Evaluation of Evidence with Reference to Terms of Reference

Now we proceed to examine the terms of reference

(a) and (c) jointly as they are interconnected, which reads as under:-

(a) To inquire the aspects whether the incident was sudden or was well planned and the result of a criminal conspiracy;

(c) To ascertain the reasons and circumstances due to which the said incident took place;

(i) This Judicial Commission in pursuance to the terms of reference is required to examine the aspects of the incident from the point of view as to whether the same was sudden or was well planned and the result of a criminal conspiracy as well as also to ascertain the reasons and circumstances of the incident.

(i)(a) An incident is defined as a situation, event or occurrence, planned or unplanned in a public space and draws attention due to its impact that might be or could lead to, a disruption, loss, emergency, crisis or potential risk to the people or property. The intent or motive, Actus Reus (Guilty Act), Mens Rea (Guilty Mind), Victim or Target, Context or Circumstances are often considered essential factors. It encompasses various aspects which includes the description of incident, date and time, location, parties involved, injuries, or damage, contributing factors, and action taken. Further,

Incident response phases include initial response, assessment and analysis, communication, recovery, post incident activity etc.

(i)(b) In the instant case, the incident in question involves, Gathering Of Crowd (unlawful assembly in violation of section 163BNSS, despite due publicity) with majority of persons hiding their identities with the mask etc., Sloganeering, Stone Pelting, Burning Of Public and Private Properties, including vehicles of the Police, Looting of Police Ammunition, Firing, Injuries to the Persons in Crowd and Police personnel including SDM, Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police, Circle Officer, Constables etc., and death of 4 persons of the crowd.

(i)(c) At this stage, we deem it to spell out and place on record, the function, domain, jurisdiction, methodology and action required to be taken by enquiry commission with regard to to the terms of reference :-

An enquiry commission is typically tasked with investigating matters of public interest and delivering findings based on the evidence it gathers. Unlike Courts, which are bound by strict rules of evidence, commission of enquiry often have more flexible procedures, They are generally required to base their findings on a “preponderance of probability” standards, meaning they assess whether it is more likely than not that a particular fact or conclusion is true, rather than requiring proof beyond a reasonable doubt as in criminal cases. This approach allows commissions to consider a broader range of information, including circumstantial evidence,

hearsay, newspaper reports, unsworn statements or submissions that may not be admissible in a court of law. Further commission is required to prioritise uncovering the truth over technical procedural constraints and to evaluate materials to arrive at a non-binding, but influential findings and recommendations. These findings aim to inform public policy, accountability or further action, without carrying the legal weight of a Court judgement. Hence enquiry commissions operate in an inquisitorial rather than adversarial manner and give findings based on a holistic evaluation of the circumstances, not isolated points.

The Supreme Court, in cases such as **Ram Krishna Dalmia v. Justice S.R. Tendolkar, AIR 1958 SC 538, State of Karnataka v. Union of India, AIR 1978 SC 68, Nagendra Nath Sinha v. Commissioner of Enquiry (2008) 2 SCC 363 and T.T. Antony v. State of Kerala (2001) 6 SCC 181** has consistently held that a commission of inquiry is competent to evaluate the credibility of witnesses and the evidence presented before it. It can accept or reject testimony based on its assessment of reliability, relevance, credibility, consistency or other factors provided it records reasons for doing so and commissions are not bound by the strict rules of evidence applicable to courts. They have the flexibility to adopt procedures that facilitate their fact-finding role, including assessing witness testimony based on probabilities and circumstantial evidence.

Based on the aforesaid principles, the Commission is proceeding with the assigned responsibilities of enquiry of the incident dated 24.11.2024.

(i)(d) The circumstances leading to the incident on 24.11.2024 have been revealed through the examination of evidence presented before the Judicial inquiry Commission, which includes testimonies of Police officers and cops, Administrative officers, Plaintiffs, Defendants as well as their learned Advocates, Media Personnel(Eyewitness), Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, Other Eyewitnesses, FIRs, Medical Reports, Postmortem Reports, Report Of Forensic (FSL), Ballistic, and other record etc.

(i)(e) The thorough examination and analysis of the received evidence and meticulous scrutiny of their veracity, the commission culls out following circumstances leads to the incident dated 24.11.2024.

(ii) On 19.11.2024 the court of the Hon'ble Civil Judge (Senior Division), Chandausi, Sambhal, in Suit No. 182/24 (Harishankar Jain & Others vs. Union of India & Others), appointed Mr Ramesh Singh Raghav as Commissioner to conduct Survey of the Jama Masjid, Sambhal and submit report of the Survey by 29.11.2024. In compliance with the order, Mr Ramesh Singh Raghav sent a letter to the District Magistrate and Superintendent of Police, Sambhal, requesting necessary cooperation and security. The Court Commissioner vide another letter informed the District Authorities for conducting a Survey of the Jama Masjid on the same day.

Consequently, the District Magistrate constituted a three-member committee comprising the SDM Sambhal, CO Sambhal, and the Executive Officer of the Sambhal Municipality to provide assistance. On the evening of 19.11.2024, before commencing the Survey, the Sadar of the Jama Masjid, Mr Zafar Ali, Advocate was informed of the court's order, and a copy of the order was provided to him.

(iii) As per the evidence of Court Commissioner Mr Ramesh Singh Raghav, during the Survey, Advocates of Plaintiffs and Defendants, Administrative Officials, Local MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, and Son/ Representative of the Local MLA i.e. Mr Suhel Iqbal, along with two to three hundred supporters, were present inside the Jama Masjid premises, where the Survey was taking place. Mr. Zia-ur-Rahman Barq, Mr Suhel Iqbal and some other persons of Muslim Community repeatedly obstructed the Survey work. Outside the Jama Masjid premises, a crowd of thousands had gathered, which was repeatedly requested by the Administration and Mr Zafar Ali, Sadar of the Jama Masjid to disperse. Due to darkness inside the Jama Masjid premises, obstructions by Political Figures, and Scheduled time for prayer, the Survey work was halted. The Advocate Commissioner informed the Administrative Officials and the Sadar of the Jama Masjid Intezamia Committee that the date and time for the next Survey would be communicated later. On the same day ie. 19.11.2024, the Advocate Commissioner informed the District

Magistrate and Superintendent of Police about the obstructions faced during the Survey.

(iv) On 20.11.2024, the Advocate Commissioner sent a letter to the District Magistrate and Superintendent of Police, requesting cooperation for continuing the Survey. However, due to a by-election in the Kundarki Assembly constituency in Moradabad District, the Superintendent of Police could not provide Police support/ force, and thus, the Survey could not proceed on 20.11.2024.

(v) On 21.11.2024, considering the situation that occurred on 19.11.2024, the Superintendent of Police, Sambhal, convened a meeting at the Kotwali Police Station with Muslim Religious Leaders, all Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, and Members of the Peace Committee. They were informed that Section 163 BNSS was in force in the District, which must be complied with, and that incidents like the gathering of a large crowd during the Survey on 19.11.2024 should not recur, as the Survey was being conducted under the orders of the Hon'ble Court. Cooperation from all was expected. Meetings were also held at the Ekta, Nakhasa, and Panju Sarai Police outposts under the Kotwali Police station, where prominent local individuals were informed of the same.

(vi) On 21/22.11.2024, the day of Juma prayers, messages were observed on social media, including WhatsApp groups named "Sambhal MP" and "Mannat," calling people to gather in large numbers only at the Jama Masjid for offering Juma prayers and

contributing generously to donations. In response the Police took preventive action against some identified individuals and circulated videos of Muslim Religious Leaders and Jama Masjid Intezamia Committee's Members urging people to offer prayers at nearby mosques and not at the Jama Masjid.

(vii) However, on 22.11.2024 a larger-than-expected crowd gathered for Juma prayers, resulting in insufficient space inside the Mosque. According to eyewitnesses, people were seen offering prayers on nearby rooftops. The crowd on this day was significantly larger than on other days of Juma prayer.

(viii) Local MP Mr Zia-ur-Rahman Barq, who usually offers prayers at Mosque near his residence when in Sambhal, attended the Jama Masjid for offering prayer on 22.11.2024. After prayers, he addressed the press and gathered Namazis from the stairs of the mosque, using words such as, **“We will ensure legal protection for our Jama Masjid, and Insha-Allah, whatever is needed to protect the Jama Masjid, I and everyone will always be there. No one can take the Jama Masjid from us; it was a mosque, it is a mosque, and it will remain a mosque until the Day of Judgment, Insha-Allah.”** When interrupted by Mr Zafar Ali, he said, **“We are not the ones to be scared by the Police, Administration, or Government. We are the owners of this country, not servants or slaves.”** This address by the MP conveyed a message to the society and through media that the Jama Masjid in Sambhal was under some kind of threat, leading to the Survey and the mosque would be taken away with the help of

the Police, Administration, and Government. On 23.11.2024, the Police served a notice under Section 168 BNSS to Mr Barq, citing the apprehension of a breach of peace.

(ix) On 23.11.2024, the results of the Kundarki by-election were declared, in which the party supported by the MP lost. The MP held the Police and Administration responsible for his party's defeat. On the same day, the MP left Sambhal District.

(x) On 23.11.2024, the Advocate Commissioner sent a letter to the District Magistrate and Superintendent of Police, requesting to continue the Survey on 24.11.2024 from 7:00 AM to 11:00 AM. The District Magistrate gave concurrence and directed the Superintendent of Police to provide Police support/ force. After receiving concurrence, the Advocate Commissioner provided a copy of the letter to Mr Zafar Ali, the Sadar of the Jama Masjid and other concerned Advocates in the Court Premises during the course of the day. The Administration, through the SDM and CO, also delivered a copy of the letter to Mr Zafar Ali at his residence. Upon receiving the information about the upcoming Survey, Mr Zafar Ali informed MP Mr Barq over the phone and to the Members of the Intezamia Committee. According to the testimony of the Superintendent of Police, Mr Zafar Ali convened a meeting of the Intezamia Committee at the residence of Mr Suhel Khan (Cashier Jama Masjid Intezamia Committee) at midnight on 23/24.11.2024, where directions received from the MP were shared with everyone. The Superintendent of Police received this information through his sources.

In his testimony Mr Zafar Ali stated that **“the Hon’ble MP asked me to speak to the DM and SP to stop the Survey, to which he replied that it would be difficult, and we would not be able to stop it.”**

On the day of the Survey i.e. 24.11.2024, some of the eyewitnesses observed that, despite the cold weather, people were arriving from villages in tractor-trolleys as early as 5:00–5:30 AM, collecting bricks and stones from the roads and loading them into the trolleys. Muslim community members were seen heading toward the Jama Masjid early morning, carrying swords, sticks, pistols and talking among themselves that if anyone from the Survey Team enters the Mosque, he would not be spared alive, and no one would be able to save them.

(xi) The Survey team, along with Administrative/Police Officials, Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, and Representatives of the Plaintiffs and Defendants Parties entered the Jama Masjid premises around 7:00–7:30 AM to conduct the Survey. As the Survey work began, the crowd at the Jama Masjid started increasing. During this time, when the Survey team requested photography and videography of the Wazukhana/water tank (Hauz) inside the Mosque Premises, the employee of the Jama Masjid Committee opened the water of the wazukhana/water tank on the instructions of Mr Laddan Khan, Nayab Sadar of the Committee and the water started flowing down through drain. Meanwhile, Mr Zafar Ali, the Sadar, Jama Masjid Intezamia Committee, left the premises under the pretext of eating

paan-masala and returned after about half an hour. Upon returning, he made an announcement from the mosque's microphone, urging the agitated crowd outside to stop making noise and disperse. However, the crowd became more aggressive and began pelting stones at the Police and Administration. Shortly afterward the Police used tear gas shells in self-defence and to disperse the crowd. The crowd became even more aggressive, resorting to stone-pelting, firing, and setting fire to nearby vehicles, transformers, and electrical wires etc.

The Survey work was completed by around 10:30 AM. Mr Zafar Ali again announced from the microphone that the Survey work had been completed. Subsequently the entire crowd gathered near the Mosque started targeting the Police and Administration with stone-pelting, firing, and arson, injuring several Police Personnel, who were hit by stones and bullets. Four individuals from the crowd also lost their lives.

(xii) As per testimony of the Superintendent of Police, Mr Krishna Kumar Bishnoi, in order to disperse the crowd, the Police, after obtaining permission from the magistrate, first fired tear gas shells, which were not very effective. Subsequently, chili grenades, stun grenades, and Amit Shyahi shells were used. Additionally, 12-bore pump-action guns were used, and the SHO, Kotwali, fired two aerial shots from his service 9-mm pistol. Throughout the incident, the Police demonstrated prudence and restraint, strictly adhering to the guidelines issued by the Human Rights Commission from time to time. Immediate information was sent to the hospitals through

the control room for the treatment of injured, and they were promptly transported to hospitals via 108 ambulances. He also sustained injuries. Further the death of four persons in the crowd, were the result of a planned conspiracy and shots were fired by the Muslim side using country-made firearms to incite riots. No FIR was lodged by any person from the deceased's side claiming that their kin died due to Police firing.

Mr Shirish Chand, Addl. Superintendent of Police North District Sambhal, stated that due to stone-pelting some Police personnel sustained injuries. The crowd in a planned manner tried to snatch Police weapons. During the incident, Sub-Inspector Sanjeev Kumar's 9mm pistol magazine with 10 cartridges and Constable Kapil Kumar's two boxes with 24 tear smoke gas shells, 5 rubber bullets shells, 25 blank cartridges, 25 plastic, pellets and 15, 12 bore cartridges were looted from Police personnel on duty. A tear smoke shell was fired by Kapil Kumar in the air during the scuffle. Four-wheelers and two-wheelers parked on the road were set at fire by the crowd. The crowd also burnt electrical transformers and cables, and broke CCTV cameras and glasses fitted outside nearby houses. The aggressive crowd pelted stones and fired at Police, injuring Constables Kapil Kumar, Pankaj Kumar, Rajpal Singh, Sher Singh and Sub-Inspector Sanjeev Kumar.

In this incidence of violence 28 Police/Administrative Officers/Staff were injured and Government riot control equipment including 14 cane shields, 21 body protectors, 17 batons, and 19

helmets were damaged by rioters' stone-pelting. Sub-Inspector Sanjeev Kumar lodged an FIR No. 333/24 at Police Station Kotwali Sambhal against Hasan and others.

(xiii) Post-riot the incident site was inspected, and nearby drains were cleaned by a metal detector (HHMD) with the help of municipal workers in the presence of LIU and Field Unit for evidence collection from where a foreign 12-bore shell was recovered and seizure memo was prepared. Notably, provocative, inciting, and misleading statements by public representatives/responsible individuals led miscreants to orchestrate violence on 24.11.2024, joining non-local rioters in arson, firing, and stone-pelting

(xiv) The Details of Firearms used by Police Officers and Personnel during the incident of violence, in Sambhal district on November 24, 2024 as provided to the Commission by the Police Authorities indicates as under:

S.No	Name	Designation	Firearm Used	Details
1	Inspector Anuj Tomar	In-Charge Inspector	09 mm Pistol	02 warning shots fired in the air
2	Constable Vikesh Kumar	Constable	Anti-Riot Gun	10 rounds fired
3	Constable Somvir	Constable	Tear Gas Gun	12 shells fired
4	Constable 506 Amrit Singh	Constable	12 Bore Pump Action Gun	02 warning shots fired
5	Constable 681 Naveen Kumar	Constable	12 Bore Pump Action Gun	04 warning shots fired
6	Constable 743 Sachin Kumar	Constable	12 Bore Pump Action Gun	03 warning shots fired
7	Constable 08 Rajpal	Constable	12 Bore Pump Action Gun	02 warning shots fired in the air
8	Constable Kapil kumar	Constable	Tear Gas Gun	01 shell fired

(xv) Details of the persons who died and the location from where their bodies were recovered in the Riot on 24.11.2024 at Sambhal.

S.No	Name of Deceased	Incident Location	Related Registered Case
1.	Mohd. Kaif s/o Mohd. Hussain	Near Dariyasir	Case No. 306/24, Section 103(1) BNS
2.	Naeem s/o Khurshid Dulha	Behind Jama Masjid	Case No. 338/24, Section 103(1) BNS
3.	Ayaan s/o Hanif	Approximately 100 meters from Jama Masjid	Case No. 339/24, Section 103(1) BNS
4.	Bilal s/o Hanif	Approximately 100 meters from Jama Masjid	Case No. 340/24, Section 103(1) BNS

(xvi) Independent witnesses of the incident dated 24.11.2024, namely ICW 129 Mr. Anurag Gupta, ICW 130 Mr. Aman Puthia, ICW 131 Mr. Abhishek Sharma, ICW 132 Mr. Arjun, ICW 133 Mr. Alok Bharti, ICW 137 Mr. Saurabh Gupta, ICW 140 Mr. Rahul Kumar, ICW 141 Mr. Vicky, ICW 142 Mr. Nitesh Kumar, ICW 145 Mr. Shobhit Kumar, and others, have stated in their accounts that during the time of this incident, there was an increased movement of unfamiliar faces in the Sambhal District. Additionally on the morning of the incident, people from the Muslim community were seen arriving from outside in tractor-trolleys carrying bricks and stones, holding weapons in their hands, and moving towards the Jama Masjid. They were overheard discussing that they would not spare anyone alive who enters the mosque and no one would be able to save them.

Subsequently heavy stone-pelting took place at the Mosque, gunfire was reported, arson occurred, and sloganeering was heard. This was witnessed not only by Police witnesses, but also by independent witnesses, who were present at the scene and carried out reporting and recording. Among them, ICW 172 Mr. Sunny Gupta, ICW 173 Mr. Arun Kumar, ICW 174 Mr. Bhishma Singh Devar, ICW 175 Mr. Omveer Singh, ICW 176 Mr. Abhinav Mathur, ICW 177 Mr. Dharmendra Singh, ICW 178 Mr. Muhammad Muljameel, ICW 179 Mr. Pradeep, ICW 185 Mr. Gaurav Shrivastava, and ICW 186 Mr. Ankit Kumar are significant.

Witness ICW 77 Mrs. Rukayya, who is currently detained in jail, stated that she saw stone-pelting from a house. She was arrested along with another woman named Zikra and the house from where the stone-pelting was occurring belonged to Husna. ICW 78 Mrs. Zikra stated that she threw stones from the roof because her child had been injured, and she only threw two stones. ICW 79 Miss Nazrana stated that Husna Baji, Zikra Baji, Noori Bhabhi, and Mariyam were throwing stones at the Police from the roof. ICW 199 Mr. Vishnu Sharma stated that he witnessed the incident from the roof of the mosque along with the SDM Sahiba, where people in the crowd were engaging in sloganeering, stone-pelting, firing shots from country made guns, and setting vehicles and motorcycles on fire.

(xvii) The testimony of Mr Shrish Chand Addl. Superintendent of Police North District Sambhal, Anuj Chaudhary, CO Sambhal, Inspector Anuj Tomar and Sub inspector Deepak Rathi etc. reveals

that One of the reasons for the incident of 24.11.2024 was the effort of establishing dominance in the area by two groups. The statement of Mr. Srish Chand is very important, and the same is being reproduced here under:-

“राजनीतिक महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप वर्तमान सांसद श्री जिआउर्रहमान बर्क एवं उनके स्व० दादा शफीकुर्रहमान बर्क एवं विधायक श्री इकबाल महमूद के बीच चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता और मुस्लिमों का खैरख्वाँ बनने के लिए बढ़ चढ़कर सक्रीय भागीदारी की जाती है एवं हिंसक घटना वाले दिनांक 24.11.2024 को भी इसी महत्वाकांक्षा के कारण वर्तमान सांसद श्री जिआउर्रहमान बर्क एवं विधायक श्री इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल द्वारा घटना में सक्रिय भूमिका निभाई गयी और लोगों को उद्वेलित किया गया । ”

(xviii) In the District of Sambhal, two groups among the Muslims, Turks and Pathans are active and a violent atmosphere is created for the fight of dominance between them is further fortified and established from the FIR filed by one Naseem on account of the injuries received on 24. 11. 2024 by his nephew Wasim. The injured witness ICW-192 Wasim s/o Naeem, in his statement before the Commission stated that his uncle Naseem lodged an FIR registered on Crime no-342/2024 under sections 109,125,190,191(2),191(3) IPC at Police station Kotwali Sambhal, against unknown Turk community, the same is correct, in which it is written that “दिनांक 24.11.2024 को हमारे घर से कुछ दूर पर स्थित जामा मस्जिद में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सर्वे का काम किया जा रहा था, उसी समय शहर के कुछ शरारती व उपद्रवी लोगों ने जामा मस्जिद के आस-पास इकट्ठा होना शुरू कर दिया जिसमें तुर्क बिरादरी के लोग भी थे

तथा कुछ उपद्रवियों के द्वारा सर्वे कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया गया । जब प्रशासन के लोगों ने पथराव कर रहे लोगों को समझाना चाहा तो पथराव कर रही भीड़ में से कुछ तुर्क बिरादरी के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी । अज्ञात तुर्क बिरादरी के उपद्रवियों द्वारा जान से मारने की नीयत से की जा रही फायरिंग में से एक गोली मेरे भतीजे वसीम जो कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, को लगी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया, हम लोग घायल वसीम को तुरन्त उठाकर डॉक्टर के पास ले गये ।”

(xix) In the incident dated November 24,2024 undisputedly 04 persons died and 28 Police personnel sustained injuries among injured 7 Police personnel sustained gunshot injuries. All the injured have stated to have seen the occurrence and sustained injuries on their persons. The doctors who gave treatment and prepared the medico legal report have verified the same. The Commission doesn't find any inconsistency in the evidence of injured and Doctors. Thus it is proved that 7 Police officer/ cops received gunshot injuries from the fire opened by miscreants.

Doctors who did Autopsy of four deceased persons have opined that they died as a result of gunshot injuries. The testimony of Krishna Kumar Bishnoi, Superintendent Of Police and his Supplementary Affidavit containing the report of FSL Agra, including Ballistic Expert indicates that the entire incident was reconstructed by the FSL Agra ballistic experts through crime scene recreation. The expert team conducted a physical inspection of the site, examined FIRs, postmortem reports of the deceased, injury reports of the injured, site maps, inquest reports, and other

documents, and tested exhibits recovered from the site. Their report indicated that the firearm injury on deceased Ayan's body was likely caused by a close-range shot. The firearm injuries on the bodies of the deceased of Naeem, Kaif and Bilal were from shots fired beyond close range. The injuries on the deceased were caused by bullet cartridges such as 315-bore. The injuries on the Circle Officer, Sambhal, and SI Sanjeev Kumar's legs were likely caused by firearms like 12-bore fired from beyond close range. The locations where the deceased/injured were found and the Police picket locations were not consistent with each other. The ballistic expert report stated that it was not possible for bullets fired from the Police picket locations to reach the locations of the deceased.

Admittedly there is no evidence on record that any Police personnel had any 315 bore weapon in his hand, further as per record the dead bodies of all the 4 persons of an unlawful assembly were recovered from different places.

As per the record the relatives of the 4 deceased persons filed FIRs, the commission deemed it necessary to examine the contents of the same in order to find out the allegations made in the FIRs by the complainants. The contents of the respective FIRs are reproduced hereunder:-

1. In relation to the death of the deceased Kaif, his father Mohd. Hussain filed FIR No. 306/2024 under Section 103(1) BNS, State vs. Unknown, at Nakhasa Police Station, District Sambhal, registered on 25.11.2024. In which he has stated that **“मेरा बेटा कैफ कॉस्मेटिक का सामान बेचता था । दिनांक 24.11.2024 को सुबह करीब**

11.30 बजे घर से सामान लेने के लिये खगूपुरा गया था । कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा दरियासिर के पास उसकी हत्या कर दी है, इस सूचना पर हम मौके पर पहुँचे तो मेरे बेटे कैफ का शव पड़ा हुआ था ।”

On 24.04.2025, Mohd. Hussain appeared before the Commission as ICW 188, who stated in relation to the case registered at the Police station that the First Information Report I had filed is correct.

2. In relation to the death of the deceased Naeem, his brother Mr Tasleem filed FIR No. 338/2024 under Section 103(1) BNS, State vs. Unknown Mob, at Sambhal Police Station, District Sambhal, registered on 25.11.2024. In which he has stated that “मेरा भाई नईम हलवाई की दुकान पर रहकर काम करता था । दिनांक 24.11.2024 को समय करीब 10.30 बजे घर से दुकान की तरफ जा रहा था । अचानक शोर-शराबा सुनकर भीड़ की तरफ देखने चला गया तो अज्ञात भीड़ के द्वारा मेरे भाई नईम को गोली मार दी जिसकी हमें सूचना मिली तो हम मौके पर पहुँचे तो मेरा भाई नईम जमीन पर गिरा हुआ था।”

On 24.04.2025, Mr Tasleem appeared before the Commission as ICW 189. In which he stated that his brother's death occurred on 24.11.2024 during a riot, and in relation to which the case he had registered is correct.

3. In relation to the death of the deceased Ayaan, his brother Mr Kamil filed FIR No. 339/2024 under Sections 125, 103(1) BNS, State vs. Unknown, at Sambhal Police Station, District Sambhal, registered on 26.11.2024. In which he has stated that “मेरा छोटा भाई अयान दिनांक 24.11.2024 को अपने घर से सिलाई का सामान लेने

के लिये बाजार जा रहा था । समय करीब 11.00 बजे दिन में जामा मस्जिद के पीछे कुछ पत्थरबाजों द्वारा पत्थरबाजी एवं फायरिंग की जा रही थी । जिसमें मेरा भाई अयान घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय मेरे भाई ने मुझे घटना की सारी बात बतायी, मेरे भाई अयान की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी ।”

On 24.04.2025, Mr Kamil, as ICW 190, stated before the Commission that my brother's death occurred on 24.11.2024 behind Jama Masjid, where stone-pelters were firing and throwing stones, and he died after being caught in it. Our brother was returning from our sister's house when he got trapped in the riot. In relation to this, the case I have registered is true.

4. In relation to the death of the deceased Bilal, his brother Salman filed FIR No. 340/2024 under Section 103(1) BNS, State vs. Unknown Stone-pelters, at Sambhal Police Station, District Sambhal, registered on 26.11.2024. In which he has stated that “मेरा भाई बिलाल दिनांक 24.11.2024 को समय लगभग 09.30 बजे घर से सम्भल स्थित सुपरमार्केट में अपनी रेडीमेड की दुकान खोलने गया हुआ था । उसी समय अचानक दुकानें बंद देख और शोर-शराबा सुनकर दुकान से वापस चल दिया, पड़ोसी से पूछने पर पता चला कि जामा मस्जिद सम्भल पर विवाद हो गया है । तभी बिलाल घर की ओर चल दिया तो रास्ते में पथराव और फायरिंग हो रही थी, कुछ ही देर में खबर मिली की मेरे भाई को गोली लग गयी है तथा अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी ।”

On 24.04.2025, Mr Salman appeared before the Commission as ICW 187. In which he stated that his brother's death occurred on the day of the incident itself. His brother had said that he had

gone to the shop when he came to know that the situation was deteriorating, and while he was heading towards home, stone-pelting and firing were taking place between the Police and the public, and during that time, he was shot. Mr Salman further stated that the contents of the FIR are his statement.

Thus, in the cases registered by the relatives of all the four deceased, the FIRs have been filed against unknown persons, with the allegations that their deaths occurred due to being caught in the violence perpetrated by stone-pelters and the mob. None of the relatives has mentioned in either the First Information Report or in the statement before the Commission, that his person's death was caused by Police action.

ICW 61 Azeem, in his statement before the Commission has answered that his home is about 20 km from Masjid. He was arrested when he was standing in lane. He has further stated that he sustained one injury of pellet on his thigh and that injury was caused by Police from its gun, when he was standing in the lane. He has admitted that he was present at the Jama Masjid on Friday Namaz and when he was asked about the speech of Mr Zia-ur-Rahman Barq he changed this statement and said that he did not offer Nawaz at Jama Masjid on Friday.

If he had sustained injury on his thigh, certainly he would have been taken to hospital for treatment, Moreover no one could open fire on him after his arrest and if he sustained fire arm injury before his arrest, he could not have stayed there and rush for medical aid. He himself has stated that he is a resident of Asmoli, which is more than 20 kms from Jama Masjid and the reason given by him that he was going to his shop is neither plausible nor acceptable.

Further no record is placed before the commission regarding any FIR lodged by him with respect to gun shot injury and medical report. Azeem has also not stated before the commission regarding any complaint made by him before the magistrate at the time of his remand to judicial custody.

Admittedly Azeem was arrested at the spot of the incident. Thus the Commission after meticulous scrutiny of his evidence comes to the conclusion that the statement of Azeem is not trustworthy regarding guns shot injury said to have been received on his thigh. On the contrary it is proved that he was one of the members of an unlawful assembly who reached there to oppose the Survey on the call of leadership of Muslim community from more than 20 kms away.

ICW 62 Hasan was arrested on the spot. He has stated that he suffered gun shot injury on his hand, the injury was through and through and it was caused by Police from 60 meters away. He denied that he was among the crowd.

Neither injury report has been produced by him, nor any FIR was lodged by him or his kith and kin. Nor any one has sent any statement before the Commission, despite publication of notice under Rule 5(2)b of the Commission of Inquiry UP Rules 1985. Had he received such a gunshot injury on his hand, he ought to have shown it to the Magistrate, who remanded him to Judicial Custody and directions would have been issued by the Magistrate for his medical examination. The above noted circumstances made his statement unbelievable and unreliable.

ICW-192 Wasim also sustained gun shot injury on 24 November 2024 in the incident and he was sent to Moradabad for treatment. His uncle lodged an FIR stating that his nephew suffered gun shot injury and some people belonging to Turk biradari were opening fire on the people belonging to Pathan community. Wasim was examined by the Commission. He in his statement admitted the facts of the FIR.

(xx) A number of Police officers, Administrative officers and other witnesses have also stated that they saw and heard the sound of firing from the crowd. Therefore the statement mentioned in the affidavit of Additional SP Shirish Chand that four persons died due to cross firing between Turk and Pathans can not be ruled out.

(xxi) The commission is mandated to enquire into every aspect of the incident dated 24.11.2024, hence after scrutiny of the testimonies, evidence collected and placed before us, it appears that the death of 4 persons of an unlawful assembly was a result of cross firing by the miscreants present in the crowd ie. Turks and Pathans.

(xxii) Total 12 FIRs have been registered, which includes 07 FIRs by Administrative and Police officers and 05 FIRs have been registered by private persons in which 04 FIRs with respect to death of four persons and 01 with respect to firearm injury sustained by Wasim. It is informed that chargesheets in 07 cases have been filed in the court while the rest of the cases are under investigation.

(xxiii) As per the testimony of Suhail Iqbal before the Commission that on 24.11.2024 following the directions received from his father Mr Iqbal Mehmood, Local MLA, informing the instructions to the Members of Intezamia Committee to cooperate in the Survey, he reached the residence of Mr Mahshood Ali Farooqui, located near the Jama Masjid, around 6:00, but for security reasons, the Administration did not allow him to go inside the Mosque, so he remained at Mr Mahshood Ali Farooqui's residence until approximately 5:30–6:00 PM.

(xxiv) Further, according to statements from the Police and eyewitnesses during the incident, Mr Suhel Iqbal, who was at Mr Mashhood Ali Farooqui's residence near the Jama Masjid, was repeatedly seen going into the crowd. He also remained in constant contact with people via phone. However, in his testimony, Mr Suhel Iqbal stated, "I neither obstructed nor opposed the Survey work on 19.11.2024. I always cooperated and, at that time, explained to the people in front of the Police to leave, after which the crowd dispersed." However, on 24.11.2024, Mr Suhel Iqbal was present approximately 30 meters from the Jama Masjid from around 6:00 AM to 6:00 PM, but did not mention any such thing in his testimony regarding clarifying the position of Survey in compliance of court's order to the gathered crowd, because he made no attempt to calm the crowd that day, despite the fact that the crowd followed his instructions.

(xxv) The Commission is of the considered view that the statement of Mr. Suhel Iqbal, reaching at the Jama Masjid early in the

morning to communicate the instructions of his father/Local MLA, is a well thought story, as in the days of mobile, why any person will go personally to communicate the instructions received from the Local MLA/his father. Even otherwise being a Local MLA, Mr Iqbal Mehmood, could have communicated with the Members of Intezamia Committee, through his mobile directly.

Mashhood Farooqui, being a Syed, has family graves next to the mosque and wants to maintain dominance over the Jama Masjid. To preserve this influence, Mashhood Farooqui allowed Suhel Iqbal to stay at his house, where he began contacting people via phone to incite the crowd.

(xxvi) The evidence also indicates that when Mr Zafar Ali made announcements from the Mosque's microphone, the crowd became more agitated. While making announcements, he was seen waving his hand from the Mosque's roof toward the crowd and smiling, which suggests that his demeanour contradicted his statements and it appears that the same was some kind of signal to the crowd to escalate/ aggravate their actions.

Mr Zafar Ali admitted that he left the mosque while the water was being drained from the tank for sending someone from the crowd to fetch gutkha. However, no witness testified that shops around the Mosque were open during such a tense situation. The person sent to fetch gutkha could also be seen as a messenger, as statements from the Police, Administrative Officials, and Eyewitnesses suggest that when the water was being drained from

the tank, a message was conveyed to the crowd, which caused it to become highly agitated/aggravated.

(xxvii) In preceding paras /chapter, of this report it has been concluded that the theory built up by the Sadar Jama Masjid Mr Zafar Ali, Mr Zia-ur-Rahman Barq, Mr Suhel Iqbal, Mr Qasim Jamal Advocate, Mr Mashhood Ali Farooqui, Advocate and other Members of the Intezamia Committee, that the people of Muslim Community in large number gathered on three sides of the Jama Masjid, wanted to know as to why the Survey was being carried out again on 24.11.2024, when it was completed on 19.11.2024. Secondly, the crowd became violent when water from Wazukhana started draining rapidly from Jama Masjid, which is unbelievable, unreliable *and a cooked up story/ version*.

The issue of completion of the Survey was examined by the Hon'ble Allahabad High Court in civil revision number 4 of 2025, Committee of Management, Jami Masjid versus Harishankar Jain and 12 others and vide para 124 it was held that only one Commission had taken place whose Survey started on 19. 11. 2024 and completed on 24. 11. 2024 at 11am.

The witnesses examined by the Commission, except these 06 witnesses relating to the Intezamia Committee, have narrated that the incident of violence dated 24.11.2024 was pre-planned and a result of conspiracy.

Planning of an illegal act or legal act by illegal means or conspiracy is always hatched secretly, therefore it is very difficult to

prove it by direct evidence and it can be proved by indirect evidence, that is circumstantial evidence.

The circumstances emerge from the evidence on record are as follows -

- a)** Obstruction in the proceedings of Commission dated 19.11.2024 by Mr Zia-ur-Rahman Barq, Mr Suhel Iqbal and other Members of Intezamia Committee including Sadar Jama Masjid, Mr Zafar Ali by raising objection and indirectly threatening Advocate Commissioner for completing the Survey quickly.
- b)** Provocative speech and byte to media persons by Mr Zia-ur-Rahman Barq at the stairs of Jama Masjid on 19.11.2024 just after completion of Survey.
- c)** WhatsApp message to the public belonging to Muslim community for offering the Friday namaz at Jama masjid in huge numbers and to contribute money, on the night of 21.11.2024, despite a call from the Administration to perform Friday Namaz in the Masjid nearby to their residences.
- d)** Assembly of people of Muslim Community in huge numbers and provocative speech as well as byte to media second time by Mr Zia-ur-Rahman Barq at the stairs of Jama Masjid on 22 Nov 2024 after Friday Namaz.
- e)** WhatsApp calls by Mr Zafar Ali to Zia-ur-Rahman Barq and vice versa in the intervening night of 23/24.11.2024.
- f)** Assembly of a huge number of people of Muslim Community of Sambhal and outside of Sambhal, hiding their faces and having

Lathi, Danda, and Lethal Weapons in their hands at 7 to 8 am on 24.11. 2024 in the winters.

g) Stone Pelting, Burning of Public and Private Property, Firing and Raising of Religious Slogans like Allah-hu-Akbar and Gustakhe Nabi ki ek hi saza Sar tan se juda, tan sar se juda etc. by the crowd.

h) Attempt to enter Jama Masjid by the crowd with the intention to harm the Advocate Commissioner, Counsel for the Plaintiffs of Suit no. 182 of 2024, causing injuries to Police Officers and Cops, during the Survey dated 24.11.2024.

i) During the proceedings of the Survey Mr Zafar Ali left the mosque under the pretext of eating paan-masala, heading towards the rear side of the Mosque, where the crowd was gathered and returned after about half an hour to thirty-five minutes. After Mr Zafar Ali left the Mosque, Mr Mashhood Ali and Mr Qasim Jamal, Advocates, also went outside from the left side of the Mosque and returned after about half an hour.

j) Mr Zafar Ali on return from outside addressed the crowd via the Mosque's microphone, stating that everything was proceeding fine. At that time, the crowd was raising slogans, chanting "Nara-e-Takbeer, Allah-hu-Akbar." SDM Smt. Vandana Mishra requested Zafar Ali to calm the crowd. He then went to the rooftop of Jama Masjid, raised his hand towards the crowd, smiled, and returned.

k) On completion of Survey proceedings around 10:00–10:30 AM, Mr Zafar Ali announced via the mosque's microphone that the

Survey was complete and there was no cause for concern and people should leave. However, his address further enraged the crowd, slogans intensified, stone-pelting escalated, and sounds of arson and firing were heard.

I) (xxviii) Before giving any finding on the above noted circumstances, the Commission deems it proper to examine the definition of (i) criminal conspiracy (ii) abetment (iii) unlawful assembly (iv) common intention and (v) common object (vi) rioting. As provided in BNS 2023 which reads as under-

Section 61 – Criminal Conspiracy- When two or more persons agree with a common object to do, or cause to be done, an illegal act, or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is called a criminal conspiracy.

Section 45 – Abetment of a thing: A person abets the doing of a thing who—

- (a) Instigates any person to do that thing, or**
- (b) engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing; or**
- (c) Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.**

Explanation 1: A person who, by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures, or attempts to cause

or procure, a thing to be done, is said to instigate the doing of that thing.

Explanation 2: xxxxxxxxxx

Section 46 – Abettor: A person abets an offence who abets either the Commission of an offence, or the Commission of an act which would be an offence if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abettor.

Explanation (1): The abetment of the illegal omission of an act may amount to an offence, although the abettor may not himself be bound to do that act.

Explanation (2): To constitute the offence of abetment, it is not necessary that the act abetted should be committed, or that the effect requisite to constitute the offence should be caused.

Explanation (3): It is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offence, or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abettor, or any guilty intention or knowledge.

Explanation (4): The abetment of an offence, being an offence, the abetment of such an abetment is also an offence.

Explanation (5): It is not necessary for the offence of abetment by conspiracy that the abettor should concur with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed.

Section 189 BNS- Unlawful assembly: -

An assembly of 5 or more than 5 persons is designated as unlawful assembly, if the common object of persons composing that assembly is-

A. To overawe by criminal force or show of criminal force, the Central Government or any State Government or Parliament for the legislature of any State or any public servant in the exercise of lawful power of such public servant. or

B. To resist the execution of any law or any legal process. Or

C. To come at any mischief or criminal trespass or other offence; or

D. By means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of Bay or of the use of water or any other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right; or

E. By means of criminal force, or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do.

Explanation: - An assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly.

Section 3(5) - Common intention: -

When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable

for that act in the same manner as if it were done by him alone.

Section 190:- Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object: If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence.

Section 191 Rioting - (1) Whenever force or violence is used by an unlawful assembly, or by any member thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting.

(xxix) Before the Commission, none is present to raise any objection or to advance an argument for or against the Members of Intezamia Committee, Mr. Suhel Iqbal, Mr. Zia-ur-Rahman Barq and Rioters. The onus lies on the Commission to examine the testimonies, documentary evidence and record in order to find out as to whether they can be held liable for conspiracy or abetment even while Mr Zia-ur-Rahman Barq was out of station on 24.11.2024 and Mr Qasim Jamal , Mr Mashhood Ali Farooqui, Mr Zafar Ali, etc were not seen amongst the crowd being present in the Masjid along with Survey Team and Mr Suhail Iqbal at the residence of Mr Mashhood Ali Farooqui.

(xxx) It is a settled proposition of law that conspiracy is always hatched in privacy or secretly, it may be proved by circumstantial evidence.

(xxxi) Now questions arise about the absence of Mr Zia-ur-Rahman Barq on 24th November 2024.

It can be said that when he was not present in Sambhal at the time of incident and not participating in riot, how he can be held responsible for conspiracy and similarly others were not the part of the crowd but were in the Masjid along with Survey Team and Mr Suhail Iqbal was at the residence of Mr Mashhood Ali Farooqui, which is 30 yards away from the Jama Masjid. In these circumstances, how they can be held responsible for the incident.

(xxxii) As per testimonies of the person present during the Survey at the Masjid, Mr Zafar Ali Advocate, Sadar Of the Intezamia Committee, Mr Qasim Zamal, Mr Mashhood Ali Farooqui Advocates left the Masjid premises for about half an hour while the water from the Wazukhana was being drained and Mr Suhel Iqbal was repeatedly intermingling with the crowd.

1. The Hon'ble Supreme Court examined the issue of conspiracy in depth vide its judgement in the case of Kehar Singh v. State (Delhi Administration), AIR 1988 SC 1883, observing there in that, when an accused is a party to a criminal conspiracy, which led to the Commission of the offence of murder by his co-accused, it cannot be said that the accused (conspirator) who did not himself participate in the Commission of the offence, could not be sentenced for the main offence of murder, and that he could be

sentenced only for abetment of the offence in the absence of a charge under Section 109 against him. There is a vital difference between the two crimes: (i) abetment in any conspiracy. (ii) criminal conspiracy. The former is defined under the second clause of Section 107 and the latter is under Section 120-A. The gist of the offence of criminal conspiracy created under Section 120-A is a bare agreement to commit an offence which is made punishable under Section 120-B. The offence of abetment created under Section 107 (2) requires that there must be something more than a mere conspiracy. There must be some act or illegal omission in pursuance of that conspiracy. That would be evident by the wording of Section 107 (Secondly): "engages in any conspiracy..... for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy...." The punishments for these two categories of crimes are also quite different. Section 109, IPC, is concerned only with the punishment of abetments for which no express provision is made under the Penal Code. A charge under Section 109 should, therefore, be along with some other substantive offence committed in consequence of abetment. The offence of criminal conspiracy is, on the other hand, an independent offence. It is made punishable under Section 120-B for which a charge under Section 109, IPC, is unnecessary and indeed inappropriate.

2. Hon'ble Supreme Court in NV Subba Rao vs State, 2013 CrLJ 953 (962) (SC) and State vs Nalini AIR 1999 SC 2640 is pleased to observe that Conspiracy is hatched and proving the said offence

substantial, direct evidence may not be possible to be obtained. An offence of criminal conspiracy can also be proved by circumstantial evidence.

3. In the case of state Delhi Administration vs VC Shukla, AIR 1980 SC 1382, Hon'ble Supreme Court has held that to prove criminal conspiracy there must be a meeting of minds. For proof of criminal conspiracy, there must be direct or circumstantial evidence to show that there was an agreement between two or more persons to commit an offense. This clearly envisages that there must be a meeting of minds resulting in an ultimate decision taken by the conspirators regarding the Commission of an offence. True in most cases it would be difficult to get direct evidence of an agreement to conspire but a conspiracy can be inferred, even from circumstances giving rise to a conclusive or irresistible inference of an agreement between two or more persons to commit an offence.

4. Hon'ble Supreme Court while examining the issue of abetment, in the case of Pravin Pradhan vs State of Uttranchal, 2012 AIR SCW 5372 has held that the offence of abetment by instigation depends upon the intention of the person who abets and not upon the act which is done by the person who has abetted. The abetment may be by instigation, conspiracy or intentional aid as provided under section 107 IPC. However the word uttered in a fit of anger or omission without any intention cannot be termed as instigation.

(xxxiii) In the instant case of rioting Mr Zia-ur-Rahman Barq, who is sitting MP Sambhal and a law graduate delivered speeches

three times in the name of reply to the queries of media, to instigate the Muslim Community to come forward for saving the Jama Masjid which is at risk.

(xxxiv) Now the Commission is required to examine as to whether the circumstances shown above are proved by the evidence collected and produced before the Commission.

The facts that MP Sambhal Mr Zia-ur-Rahman Barq reached Jama Masjid on 19.11.2024 during the Survey and Mr Suhel Iqbal was already present before the commencement of the Survey are not disputed. It is proved from the testimonies of Mr Ramesh Raghav Advocate, Mr Vishnu Sharma, videographer/photographer, SP Mr Bishnoi and DM Sambhal that Mr Zia-ur-Rahman Barq was asking to show the order passed by the court. He and Suhel Iqbal were asking the Advocate Commissioner and Officers of the Administration to get the Survey done quickly, otherwise the people gathered outside the Jama Masjid would enter the Jama Masjid and the situation would become uncontrollable. It has also been stated by Mr Ramesh Raghav and other witnesses that due to obstruction and darkness, the Commission could not complete the process of Survey. The way Mr Barq was demanding the order passed by the Court and asking to finish the Survey proceeding soon was nothing but threatening to the Advocate Commissioner and counsel for the Plaintiffs. In the given situation, it can be inferred that the Survey Commissioner was not in a position to start the Survey in the absence of Police and administrative support.

(xxxv) So far as speeches of Mr. Barq are concerned, it has been proved by the evidence of many witnesses and the evidence of media persons(Eyewitness), as well as from the video clips produced by media persons, that Mr Barq delivered a speech in the presence of gathering including media persons present outside the Masjid on 19/11/2024, after the completion of Survey of that day. The transcription of the speech given by him is being reproduced in verbatim:

“इन्होंने अपनी रिपोर्ट सारा सर्वे ए टू जेड जिस तरीके से चाहते थे करा दिया गया है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, यह अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूंगा सरकारो को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसीकी मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला।”

“आदेश दिया गया था, जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी है स्थित वह अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अन्दर किसी प्रकार की छेड़खानी व विवाद नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग प्रदेश व देश में ऐसे है जो देश का माहौल खराब करना चाहते है, हम उनके खिलाफ है, हम नहीं चाहते कि कोई देश का माहौल खराब करे । हम चाहते है कि सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठायें।”

(xxxvi) Whats-App message on the group named as ‘Sansad Sambhal’ was traced out by Police in which one Mr Abdullah posted a message to reach in large numbers at Jama Masjid to offer Friday Namaz and to contribute. It was made viral on the intervening night of 21/22 November 2024. Mr Barq couldn't deny that message, he only stated before the Commission that he had

not seen this message. The Commission after due deliberation has come to the conclusion that due to such messages, 7 to 8 thousand people reached Jama Masjid on Friday. After the Namaz, they stayed on the stairs and around Jama Masjid and heard the speech of MP Mr Zia-ur-Rahman Barq. During recording of the evidence, he admitted that he answered the questions of the media and his intention was not to address the Namazis, but in fact Mr Zia-ur-Rahman Barq addressed the namazis in the name of queries of the media. The transcription of the speech delivered by him is as follows-

"सम्भल का पुलिस प्रशासन इस उत्तर प्रदेश के हुकूमत के अधिकारी पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और एक-दो घण्टे के बाद में यहां पर सर्वे कराने के लिए ले आये, इतनी जल्दी कौन सी थी क्या मजबूरी थी उनके सामने कि इतनी जल्दी सर्वे कराने लाये।"

"हमें अपने धर्म को अपनाने का हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है कि किस प्रकार यहां पर संविधान का गला घोंटा जा रहा है, किस प्रकार सरकार संविधान की धजियाँ उड़ा रही है, लेकिन अभी इस मस्जिद की जंग के लिये हम लोग आगे है, इंशा अल्लाह-ताला हर तरह से जो भी जरूरत होगी हम जामा मस्जिद के लिये पूरी तरह से हिफाजत करने के लिये हमेशा मैं ही नहीं सारे लोग रहेंगे। हम अपने इस प्रदेश व देश के अंदर जो 1947 से पहले की मस्जिद धार्मिक स्थल है किसी को भी छीनने नहीं देंगे।"

"मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशा अल्ला मस्जिद रहेगी कयामत तक।"

"और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे।"

“हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर, गुलाम नहीं हैं।”

ICW-19 Mr Shirish Chandra Additional SP Sambhal and others also stated that Mr. Zia-ur-Rahman Barq had also delivered a speech on 23.11.2024 blaming the Administration on the result of Kundarki assembly by-election, what he had spoken before the media persons is as follows-

“उत्तर प्रदेश में संविधान की हत्या हो गई है, पुलिस और प्रशासन सरकार के साथ मिलकर ऐसा कृत्य कर रही है”

(xxxvii) The above mentioned speeches have not been denied by Mr Barq. He only said that his intention was not to harm anyone. What was his intention behind the above mentioned speeches, can be inferred from the reference and context in which the speeches were delivered. The circumstances in which and the place where these speeches were delivered, clearly indicates that his intention was to abet the people of Muslim Community to unite and save the Shahi Jama Masjid, as its existence is at risk. The speeches delivered by Mr Barq were provocative and incriminating.

(xxxviii) SP Sambhal, Additional SP Sambhal and SHO Sambhal in their evidences have categorically stated that in the intervening night of 23/24.11.2024, conversation between Mr Zafar Ali and Mr Zia-ur-Rahman had taken place on Mobile and for that they have traced out the CDR. Mr Zia-ur-Rahman himself admitted this fact that Mr Zafar Ali had called him, but he had only given information of the Survey which was going to be carried out on 24.11.2024. While Mr. Zafar Ali in his evidence clearly stated that

he informed Mr Zia-ur-Rahman through mobile phone that the Survey was to take place on 24.11.2024. Mr Zia-ur-Rahman asked him to go and meet SP and DM and get the Survey stayed. It has also been mentioned in the affidavit of SP Mr Krishna Kumar Bishnoi that as per the report of LIU, Zafar Ali and other Members of Intezamia Committee organised a meeting in the intervening night of 23/24.11.2024 at the residence of Cashier Suhel Khan of Jama Masjid, where they made a plan to prevent execution of remaining Survey scheduled for 24.11.2024 and keeping in view the report of the LIU and other circumstances, he deployed appropriate force making all arrangements for maintaining peace, law and order. Thus the circumstance also indicates that the Members of Intezamia Committee with the connivance of Mr Zia-ur-Rahman Barq made a strategy to prevent the Survey of 24.11.2024 by hook or by crook.

(xxxix) According to the notice of Mr Ramesh Singh Raghav, Advocate Commissioner, the remaining Survey of Jama Masjid had to take place between 07.00 A.M to 11.00 A.M on 24.11. 2024. It is undisputed that the Survey Commissioner Mr Ramesh Singh Raghav, Videographer/ Photographer Mr Vishnu Sharma, Members of the Intezamia Committee including Sadar Mr Zafar Ali along with DM, SP and other Police and Administrative Officers, reached Jama Masjid on the scheduled time fixed for the Survey.

(xl) The Police personnel deployed outside the Jama Masjid have been examined by the Commission. The media persons who were present there have also been examined by the Commission. They

all in their testimonies have stated that the People of the Muslim Community started coming from 7:30 a.m, and a crowd of thousands of persons gathered on the three sides of the Masjid by 8:30 a.m. It has also been stated by some public witnesses that some of the persons amongst the crowd had never been seen in Sambhal before.

ICW-185 Mr Gaurav Shrivastava Senior Correspondent, Times, Now Bharatvarsh covered the entire incident of 24.11.2024, is also an important eyewitness. In his statement he has stated that during the coverage, he saw a boy showing his I-card and stating that he belongs to the Masjid Committee and nothing wrong is being committed inside the Jama Masjid. You people, please be calm and return back. The witness further stated that some people among the crowd caused injury to him. In the meantime his mother reached there and said that they are not residents of Sambhal. It has also been stated by the witness that some of the rioters were wearing masks on their faces to hide their identity. ICW 160 Mr Jamal s/o Iqballuddin also stated that there were many people in the crowd who were not residents of Sambhal. ICW-150 Sonu son of Rajpal Singh has also stated that on 24.11.2024, he had gone for morning walk at about 5 to 5.30 A.M, where he saw that some people were coming towards Sambhal on tractor trolley and on way, collecting the stones and bricks from the under-construction road and filling the stones in tractor trolley.

The evidence of these witnesses are corroborated by many other eyewitnesses.

(xli) So far as stone pelting, burning of public and private properties, firing, raising provocative religious slogans and arson are concerned, all the witnesses who sustained injuries, Administrative and Police Officers who were present outside the Masjid for law and order duty, media persons who covered the incident dated 24.11.2024, have stated in their evidence that they have seen with their own eyes the entire incident dated 24.11.2024. Some other public and independent eyewitnesses have also stated the entire incident corroborating the evidence of Police and Administrative Persons.

It has also been stated by so many witnesses that the crowd was trying to enter Jama Masjid with an intention to prevent proceedings of the Survey. But due to the promptness/ alertness of the Police Force, rioters could not manage to enter Jama Masjid.

(xlii) On 24.11.2024, when Survey was being carried out by Advocate Commissioner with the help of ICW 199 Mr Vishnu Sharma, Photographer/Videographer, in presence of counsels of both the parties and Officers of Administration-DM Mr Rajendra Pensia, SDM Smt Vandana Mishra, SP Sambhal Mr Krishna Kumar Bishnoi, Advocate Commissioner, asked Members of the Intezamia Committee to drain out the water from Wazukhana for measuring the depth, length and width and to do the Photography and Videography of Wazukhana. SDM Smt Vandana Mishra in her evidence has stated that on the request of Advocate Commissioner, the water from the Wazukhana was drained out. She has further stated that when water of Wazukhana started

flowing rapidly, Zafar Ali had gone to the rear side of Jama Masjid on the pretext to fetch gutka/pan masala and after sometime Advocate Qasim Jamal and Advocate Mashhood Ali Farooqui also left the Masjid for sometime. She has further stated that Mr Zafar Ali came back to the Jama Masjid after 30 to 35 minutes. In the meantime violence escalated. It has also been stated by her that when she heard the sound of firing and saw the smoke from arson, she asked Zafar Ali to go to the rooftop of Masjid and appeal to disperse and to calm down the crowd. She further stated that on her request Mr Zafar Ali went to the rooftop of the Masjid, waved his hand, smiled and came back. After completion of the Survey, Mr Zafar Ali again went to the rooftop of Masjid and made an appeal through microphone that “the Survey is complete and there is no cause for concern”. After this the crowd became more violent. She has stated that the way Mr Zafar Ali was making an appeal to the crowd, indicates that he was abetting the crowd to become more violent. The Commission does not find any contradiction or exaggeration in the evidence of SDM Vandana Mishra. The evidence of SDM Vandana Mishra is also corroborated by other independent eye witnesses.

Thus the circumstances mentioned in the previous para, have been proved.

(xlili) *It appears that on 19.11.2024, MP Zia-ur-Rahman Barq during Survey proceedings reached Jama Masjid and met Zafar Ali, Suhel Iqbal, Qasim Jamal and Mashhood Ali and hatched the conspiracy to prevent remaining Survey and in furtherance of their*

common object at the stairs of Jama Masjid Mr Zia-ur-Rahman Barq delivered a provocative speech, against the order of Survey of Hon'ble Civil Court and against Administration/Police. They requested the Muslim Community to assemble at the Jama Masjid in large numbers to offer Friday Namaz, thus they collected the people at Jama Masjid under the pretext of offering Namaz, but it appears that their real intention was to collect the people for instigating them against Hindu Community and Administration of Sambhal as well as to create such obstruction so that further Survey could not take place.

(xliv) There is cogent evidence before the Commission that after receiving the notice of remaining Survey of 24.11.2024, Zafar Ali had a talk with Mr Zia-ur-Rahman in the intervening night of 23/24.11.2024 and it appears that Zafar Ali was advised by Mr Zia-ur-Rahman to go and talk to DM and SP, in order to get the Survey stayed. The evidence that a meeting of prominent persons of Muslim Community and Members of Intezamia Committee was held in the intervening night of 23/24.11.2024 at the Residence of cashier, Suhel, of Jama Masjid committee is also on record.

(xlv) On 24.11.2024 the order under section 163 BNSS was in force. Section 163 deals with the power of the magistrate to issue an order in urgent cases of nuisance and apprehended danger. This section allows DM, ADM, SDM or specially empowered executive magistrate to issue written orders to prevent or remedy situations that could cause injury, obstructions, danger to life or public disturbance.

The perusal of record goes to show that the order under section 163 BNSS had been issued and promulgated on 1.10.2024 and again it was published on 22.11.2024, after obstruction created by people at Jama Masjid and sloganeering outside Jama Masjid on 19.11.2024 during first phase of Survey.

(xlvi) Gathering of thousands of people on three sides of the Masjid in the early hours of winter season with the majority of persons hiding their identities with the mask etc., having lethal weapons in their hands, stone pelting, firing and damaging of properties, causing injuries to 28 Police personnel including SP Sambhal, despite the call from the Administration and Police to maintain peace and ignoring the order under section 163 BNSS, indicates that they reached there with preparation to create interference with the proceedings of Survey Commission.

(xlvii) All the circumstances discussed above unerringly suggest that the incident of violence dated 24.11.2024 was pre-planned and was a result of conspiracy.

(xlviii) The next question before the Commission is to find out the reasons behind the incident of violence dated 24.11.2024.

At the cost of repetition, the Commission thinks it proper to mention here the short history of Jama Masjid which has already been narrated in the previous chapter. Renowned historians of India on the basis of books, Ain-e-Akbari and Baburnama have mentioned that the disputed monument was built on the ruins of Hari Har Mandir by one Hindubeg in the year 1526 at the order of Babur. It is pertinent to mention here that Baburnama and

Ain-e-Akbari had not been written by any Hindu historian. Baburnama is the autobiography of Babur written by Babur himself and the writer of Ain-e-Akbari is Abul Fazal. This theory finds support from the inspection report of Mr Carleylle prepared by him in the year 1874.

(xlix) The disputed Jama Masjid is a protected monument having been notified on December 22 1920 under section 3(3) ancient monuments preservation act 1904.

(I) The suit No.182 of 2024 was filed in the Court of civil judge Senior Division, Chandausi with the averments that the Jama Masjid was built on the ruins of Hari Har Mandir in the year 1526 by an officer of Babur, at the order of Babur. In the year 1920 it was declared a protected monument and according to section 18 of The ancient monuments and archaeological sites and remains Act 1958-

As per the Act, everyone has a right to access the monument. Intezamia Committee Jama Masjid is arrayed as the main defendant in the suit.

(li) It is evident from the record that during the course of the first phase of Survey on 19.11.2024, MP Mr Zia-ur-Rahman Barq reached Jama Masjid along with a number of supporters. He and other Members of the Intezamia committee, including Suhel Iqbal obstructed the proceedings of the Survey which were being carried out in compliance with the order of the Hon'ble Court. He also threatened the Survey Commissioner and his Associate to finish the Survey soon, otherwise anything can happen, if the crowd

present outside the Masjid enters Jama Masjid. Thereafter the MP delivered a provocative speech in the presence of hundreds of persons.

(lii) What was pricking their minds and why Zia-ur-Rahman Barq became unhappy with the order of the court, is a matter of consideration for the Commission.

(liii) Suit number 182 of 2024 was registered on 19.11.2024, before lunch time. It was again taken up after lunch for hearing on applications for injunction and Commission. The court instead of granting injunction issued notice to the defendants on the application for temporary injunction, but allowed the application for issuance of Survey Commission. Mr Zafar Ali, Mr Qasim Jamal, Mr Masud Ali Farooqui are practicing Advocates of Chandausi Civil Court. Therefore it cannot be accepted/believed that they were not knowing about the institution of suit and appointment of Survey Commissioner. It appears that they knowingly did not appear before the court at the time of hearing of application for Commission , whereas, as per the testimony of Mr Vishnu Shankar Jain, learned advocate of Plaintiffs, the case was first taken up at 12:30 PM before Civil Judge on 19.11.2024, and during the course of hearing Qasim Jamal, Advocate was present on behalf of Jama Masjid, but he did not file his power/Vakaltnama. Zafar Ali Advocate, who is Sadar of Jama Masjid, was also present in the court. The Hon'ble court after deciding the application of the plaintiffs under section 80 CPC posted the case at 2 PM on the applications for Commission and temporary injunction.

(liv) The testimony of Vishnu Shankar Jain further reveals that at the time of hearing at 2 PM, Qasim Jamal and Zafar Ali, along with other advocates of Masjid were present in the court and Vishnu Sharma, advocate on behalf of ASI and Mr Prince Sharma, DGC (Civil) were present and after orders of the court on the application for Commission, the file was sent to the Ahalmad, who was required to name the Commissioner from the panel and during this period Qasim Jamal tried to snatch the file and he had altercation with him at Ahalmad Room

(lv) Gathering of 200 to 300 people outside the Jama Masjid and about 20 persons with Mr Zia-ur-Rahman, raising of religious slogans by the crowd indicates that people of Muslim Community and their leaders were not relishing the interference of non Muslims in Jama Masjid, because they had been enjoying the same exclusively, since long as its owner.

Smt Neeti Anil Kumar, Assistant Superintending Archaeologist, Meerut in her evidence before the Commission has stated that though Jama Masjid is under the control of ASI, yet ASI could not conduct any Inspection till 25.6.2024. She has further stated that after getting permission from DM Sambhal, when she and her subordinates went to Jama Masjid for inspection, few boys misbehaved with them. It goes to show that they do not allow any non-Muslim to enter the Masjid, how so ever big he may be.

(lvi) After completion of the Survey dated 19.11.24, Mr Zia-ur-Rahman Barq delivered the provocative speech in presence of several people. Thereafter he again delivered a lengthy speech

on 22.11.2024 after Friday namaz. Wordings of the speech and answers of Mr Zia-ur-Rahman, on the questions of media before the crowd, is nothing but a message to muslim community to unite and save the Masjid as its existence is at risk due to institution of suit no-182 of 2024 with the support of Administration/Police and Judiciary too.

(Ivii) Gathering of 7000 to 8000 people on Friday against the capacity of 2000 of Masjid and that too despite the appeal of Administration and Sadar Jama Masjid, makes it clear that the crowd which gathered there was the result of calls made on WhatsApp groups and by other means of communication.

(Iviii) There is ample evidence before the Commission that MP Sambhal, Mr Zia-ur-Rahman Barq, remained in Sambhal till 23.11.2024 and reached Bengaluru in the night of 23/24.11.2024 . Mr Zafar Ali admitted in his evidence that Mr Zia-ur-Rahman was emphasizing on phone to get the Survey stayed scheduled for 24.11.2024. According to the report of LIU, a meeting was also held at the house of the cashier, Suhel, of the Intezamia Committee. All these facts indicate that the people of Muslim Community were preparing themselves for preventing the execution of the remaining Survey and in furtherance of their common objective. Crowds assembled with preparation having weapons in their hands, gathered near Jama Masjid and started raising religious slogans. They made all efforts to enter the Masjid and when they failed in their objective, they became violent.

(lix) Presence of Suhel Iqbal from before the commencement of Survey proceedings on 24.11.2024 at the house of Mashhood Farooqui, Advocate/ Member, Intezamia Committee and his statement before the Police officers which was narrated by SI Rathi and SHO Anuj Kumar Tomar in their evidence, is an exhortation to rioters.

(lx) After due diligence, Commission is also of the view that Mr Zia-ur-Rahman Barq is MP Sambhal/ grandson of Late Mr Shafiq-ur-Rahman, who was also MP Sambhal, Mr Suhail Iqbal, son and representative of MLA Sambhal (as he has stated in his evidence). Both of them belong to Samajwadi party, which is in opposition in UP, probably due to political reasons, they made all possible efforts to oppose the Survey to show their power to the public at large.

(lxi) Further based on the testimonies of the various witnesses, it is evident that the incident on 24.11.2024 was the result of a well-planned conspiracy and scheme. The incomplete Survey on 19.11.2024 conducted under the court's order, was known to local Politicians, Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, and the Public. Between 19.11.2024 and 24.11.2024, Political Figures, Criminal Elements, and Members of the Jama Masjid Intezamia Committee had ample opportunity to hatch the conspiracy, prepare and mobilize the people of particular community for assembling in large number on 24.11.2024 to stop the proceedings of Survey at any cost.

(Ixi) It is pertinent to mention here that from the evidence, it is crystal clear that there was a meeting of minds of all the concerned persons prior to incident dated 24.11.2024 and the result is further evident from the gathering of particular community (Muslims) on 22 Nov, 2024 i.e. on Friday's Namaz at Jama Masjid, including Mr Zia-ur-Rahman Barq, who as per his testimony attends prayer at the Masjid near to his residence at Deepa Sarai, while in Sambhal, which is about 2 km away from his residence, and there being no special occasion on 22.11.2025, attended the Friday's prayer at Jama Masjid, in order to address the Namazis gathered in extraordinary numbers and apparently the media had also been called for proper propaganda. MP Mr Zia-ur-Rahman Barq addressed the Namazis at the stairs of Jama Masjid after the Friday's namaz in the name of answers to queries of press/ media.

(Ixii) Further on 24.11.2024 without there being any occasion people of a particular community gathered in thousands on three sides of Jama Masjid in the early hours of winter, cannot be without any motivation/instigation or call from their religious and political leaders.

It appears that to establish dominance driven by political ambitions, Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr Suhel Iqbal acted independently with their followers to oppose the court ordered Survey, where in Mr Zafar Ali collaborated with Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr Mahshood Ali Farooqui of the Jama Masjid Committee, who sought to maintain his control over the Mosque, collaborated with Mr Suhel Iqbal and gone to the extent of

conspiring to withhold the true nature of the order of the Hon'ble court regarding Survey from the Muslim community.

Mr Zia-ur-Rahman Barq MP Sambhal, who is not only a Law graduate, but being a Member of Parliament also falls in the category of law maker, Mr Suhel Iqbal son and representative of MLA Sambhal, Mr Zafar Ali Sadar Jama Masjid Sambhal, Qasim Jamal, Mashhood Ali are Advocates practising in the local Court of Sambhal, also concealed the prayer in the Suit No.182 of 2024, where plaintiffs have sought prayers in sum and substance a decree in the nature of permanent injunction restraining the defendants, their officers, workers and every person acting under them from creating any hurdle or obstacle in entering the Plaintiffs and the Members of the public into the Hari Har Mandir/Jami Masjid situated within Mohalla Kot Purvi Ward No.11, P.S. Kotwali City Sambhal as fully described in para 1 & 2 of the suit in accordance with the terms, conditions and regulations as framed by competent authority to give effect to the provisions of Section 18 of, The Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

And there was no claim/ prayer for declaring the Jama Masjid as Hari Har Mandir, there was neither any threat to the Jama Masjid/ place of Survey in pursuance to the order of Civil Judge (Senior Division) dated 19.11.2024 passed in suit No.182 of 2024, nor Plaintiffs sought any such prayer in the Plaint, further Survey was not going to change the nature of Jama Masjid.

Mr Zia-ur-Rahman Barq MP Sambhal, Mr Suhel Iqbal son and representative, of MLA Sambhal, Mr Zafar Ali, Advocate, Sadar, Jama Masjid Sambhal, Advocate Qasim Jamal, Advocate Mashhood Ali, Mr Laddan Khan etc jointly in order to defend the large gathering on 19.11.2024 and 24.11.2024 stated that the people gathered to know why the Survey of their Masjid is being done again after the Survey of 19.11.202, but instead of satisfying their query, the people were compelled to face lathi charge and their action was in self-defence

(Ixiv) Surprisingly none of the Political Figures of Sambhal as well as Members of the Jamia Masjid Intezamia Committee, ever appealed for maintaining peace, law, and order and honour/ comply with the court's order.

While being Leaders and Members of Intezamia Committee as well as having impact on the society they were duty bound to appeal for maintaining peace and to honour the Order of Survey passed by the Court.

Notably, provocative, inciting, and misleading statements by the public representatives/ responsible individuals led miscreants to orchestrate violence on 24.11.2024, joining non-local rioters in arson, firing, and stone pelting.

There is no evidence that the crowd, including people from outside Sambhal with weapons and stones, gathered merely to inquire about the Survey. With the support of the Mosque Committee and influential Political Figures, the crowd's morale was boosted, leading to the violent incident on 24.11.2024.

The the statements of the detained persons also reveals that on 24.11.2024 during the Survey of the Jama Masjid, there was a huge crowd opposing Survey and its involvement in violence. The majority of them denied their presence in the crowd, but they have been arrested for unlawful assembly and involvement in the violence, on the basis of identification of their photographs, taken by the media persons as well as video recording through drones.

Based on the statements of the witnesses, record, analysis of the facts and circumstances, it is evident that the incident Dated 24.11.2024 was the result of a well-planned conspiracy and abetment. The incomplete Survey on 19.11.2024 conducted under the Court's Order, was known to Local Politicians, Members of the Jama Masjid Intezamia Committee, and the General Public. Between 19.11.2024 to 24.11.2024 Political Figures, Criminal Elements, and Members of the Jama Masjid Committee had ample opportunity to prepare and mobilize crowd in order to establish their dominance driven by political ambitions, Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr Suhel Iqbal, along with Mr Zafar Ali and Mr Mahshood Ali Farooqui of the Jama Masjid Committee, who sought to maintain their control over the Mosque, conspired to withhold the true nature of the Court Ordered Survey from the Muslim Community and they successfully incited and mobilized crowd.

(Ixxv) Further the instigated mobilized crowd with the majority of persons hiding their identities with the mask etc, gathered in violation of the provisions of Section 163 BNSS, in which individuals with criminal antecedents also joined and attempted to

give the incident a communal colour. This was done with the malicious intent to defame the Government and its Machinery at National and International level. However, the local Police and Administration, through their prompt action, succeeded in preventing the same.

(lxvi) In view of the above the Commission is of the considered opinion that the incident of violence dated 24th November 2024 was pre-planned and a result of conspiracy hatched by Mr Zia-ur-Rahman Barq MP Sambhal, Mr Suhel Iqbal son of MLA Sambhal, Mr Zafar Ali, Advocate, Sadar Jama Masjid Sambhal, Advocate Qasim Jamal, Advocate Mashhood Ali, Mr Laddan Khan Nayab Sadar Jama Masjid, and others.

The Terms of Reference (a) and (c) answered accordingly.

The Terms of Reference (b) terms of reference requires the Commission regarding arrangements made by the district authorities for maintaining law and order, etc.

The Terms of Reference (b) reads as under: -

“To inquire into the arrangements made by the District Administration and Police for maintaining law and order during the incident and other aspects related thereto;

1. Having gone through various affidavits submitted by District Magistrate/Superintendent of Police, other subordinate officers, Public and Press, various bytes of electronic channels and coverage by print media, GD entries and relevant records as well

as oral testimonies and spot inspections, the commission deem it proper to first summarize arrangements made by the District Authorities, including Police as below-

2. After the incidents/happenings of Nov 19 and Nov 22, 24 related to the Survey of disputed Jama Masjid, it was expected from the District Administration/Police to make meticulous arrangements for the remaining Survey, to maintain law and order in already communally surcharged Sambhal town. Sambhal has a very long history of communal riots along with loss of lives and is treated as a hypersensitive town of UP. The Govt and local District officials always remain alert and even the smallest incident of communal nature, is given top priority and handled very cautiously. Atmosphere had become very communally surcharged in Sambhal after the announcement of Survey of Jama Masjid/first phase of Survey carried out on 19.11.2024.

3. It is evident from the record that massive Police arrangements were called for on war footing, for the remaining part of the Survey, to maintain communal peace.

Following measures had been initiated by the District Officials for the safety of the Survey Team/ preventing any kind of communal riot and to ensure remaining Survey is carried out without obstruction and for preventing violence as well as maintaining peace-

4. The Court Commissioner wanted to carry out the remaining Survey from the morning of Nov 20th, but S P Sambhal rightly objected to it, as availability of adequate force was not there.

Police had been deployed from District Sambhal also, for the bye election of Kundarki Vidhan Sabha, MBD, which took place on 20.11.2024, Election was necessitated because sitting MLA Zia Ur Rehman had become MP Sambhal and election was held for the vacant seat. Counting was carried out on Nov 23, BJP candidate won with a large margin and SP candidate lost. Force was provided by SP Sambhal for the remaining Survey, to be carried out on Nov 24, after availability of the force in the District. From 19.11.2024 onwards several preventive measures were taken by District Administration/Police to maintain peace, the same is being narrated below :-

5. Peace Committee meetings were held at PS Sambhal and Out-Posts of the PS on 21.11.2024 for maintaining peace and to request the public to extend cooperation in maintaining law and order. Various Dharam Gurus/Members of the Masjid Committee and local reputed people were addressed by SP Sambhal and others. They were exhorted to strengthen the hands of Administration/Police and were told about promulgation of Section 163 of BNSS in Sambhal from Oct 1. All were requested to make the public aware of it and to extend cooperation. Sadar of the Jama Masjid and Shahar Qazi were requested to record videos, making appeal to the Muslim community for maintaining peace and to follow provisions of Sec 163(assembly of more than 5 persons is prohibited as per Section of BNSS). Similar meetings were held at outposts also to seek public cooperation; entry was made in the GD No 52 at PS Sambhal.

6. Report was sent from outpost Sarthal, PS Sambhal U/S 126/135 of BNSS on Nov 20(GD No 49) against 8 persons including Suhel Iqbal, son of MLA Sambhal, Akash Ruhela etc to SDM Sadar for binding them down under heavy sureties for good conduct, in connection with Case No 182/24 filed in the court of Civil Judge, Senior Division, Chandausi related to Survey, Hari Shankar Jain Adv vs union of India and others. Section 163 had been in force at Sambhal from Oct 1 till Nov 30 as per orders of DM.

7. The District Magistrate issued detailed orders on 23.11.2024 for deployment of the Magistrates for joint patrolling and law and order duties with Police officers. Superintendent of Police appointed Police officers with Magistrates with the instructions for extensive patrolling of the area/to attend law and order issues on priority and to report to the Control Room or to senior officers any development worth reporting. A committee of SDM Sadar/CO Sambhal and EO Nagar Palika was formed by the District Magistrate Sambhal to assist Advocate Commissioner in carrying out the Survey work at Jama Masjid.

8. Foot patrolling was done by DM/SP along with Police force on Nov 22(Friday) in the sensitive areas for infusing confidence in public and for area domination. It got wide publicity through extensive coverage in newspapers/electronic channels. They got CCTVs repaired and made them functional around Jama Masjid and in the sensitive area. Wide publicity was got done of the videos recorded by Sadar of Jama Masjid, Shahar Qazi and Adv Mashhood Ali Farooqui of Jama Masjid Committee, appealing to

Muslim community, for maintaining peace and information regarding enforcement of Section 163 of BNSS, which prohibits the assembly of more than 5 persons at one place as well as no crowding near Jama Masjid.

9. Request was made to Namazis through above mentioned Videos to offer Namaz at their local mosques on 22.11.2024 (Friday prayers) and not at Jama Masjid. They were also requested not to pay any heed to the rumors and offer Namaz for peace and progress of the area and the country.

10. Notice U/S 168 of BNSS was served on MP Sambhal on Nov 23 for alleged Press Conference at the stairs of Jama Masjid, after Friday's prayer for violation of Section 163 of BNSS by SHO Sambhal.

11. Notices U/S 126/135 BNSS were served on identified 500 people(Trouble- makers) for being bound down on the instructions of SP Sambhal.

12. Two passages leading to the mosque were closed for movement of the public and sliding road- blocks were placed. It got due publicity in the media. It was done to enhance security of the mosque and in order to control movement of the public.

13. SP Sambhal activated Surveillance cell, SOG/LIU/Cyber cell of the district for maintaining vigil and to keep close watch over social media/communal elements and their activities.

14. SP requested his seniors after making assessment, for providing extra force from time to time . Extra force had been

rightly requested by SP from Moradabad Range/Bareilly Zone, keeping in view the tense atmosphere.

15. DM/SP gave detailed instructions for joint patrolling by Magistrates/Police Officers, for immediate scotching of rumors through Loud Hailers, to promptly handle law and order issues on the spot, to brief crowds and to disperse them so that they don't gather and are not misled.

16. Duty charts were prepared and booklets were made ready. Zonal and Sector Police officers were directed to continuously brief jawans under their command, so that there is no communication gap. Continuous briefing of the force was done at the ground-level and it was ensured that nobody leaves designated duty points. The most sensitive/vulnerable area of Sambhal was divided into 3 zones and 25 sectors.

17. Zone 1- Jama Masjid Inner/Outer cordon(Sectors 1 to 9). CO Sambhal was made in charge of the Zone by SP. 3 SHOs/4 Inspectors/11 SIs/9 HCs/51 Constables armed with riot control equipment/official weapons were deputed. All SHOs had BP Jackets and riot control equipment .

18. Zone 2 - Jama Masjid Inner/Outer cordon consisted of(Sectors 10 to 19). In charge was CO Chandausi, Santosh Kumar Singh, 2 SHOs/3 Inspectors/12 SIs/7 HCs and 44 constables along with weapons and Riot Control equipment were deputed. SHOs had BP jackets and riot control gear.

19. Zone 3- Jama Masjid Inner/Outer cordon(Sector 20 to 25). Ganesh Gupta ,CO Lines, was made in charge with 2 SHOs/6

SIs/18 HCs/18 Constables/4 Mahila Constables and 2 Traffic Constables. SHOs were armed with BP jackets and all had riot control gear.

20. All Zonal and Sector in charge were issued RT sets also for quick communication.

21. Reserve-2 QRTs were placed at OP Choudhary Sarai and PS Kotwali Sambhal after proper briefing. Each QRT had 1 SI and 20 constables.

22. Briefing was done of PAC and deployed at sensitive places along with Civil Police guides.

23. All the Hindu areas were cordoned off and a proper buffer was created so that rioters can't enter the predominantly Hindu localities, to prevent full-fledged communal riot. Layers of barricading had been done with a strong contingent of force. Orders were issued by SP to the force on duty to prevent entry of rioters/stone pelters into Hindu areas at any cost.

24. Special briefing was done of the incharges/forces deployed to not use lethal weapons. Directions were given for minimum use of force and not to use lethal weapons. Resort to be taken for non-lethal weapons only. Instructions were issued by SP to the force to not allow crowds to collect. Public was to be briefed regarding the Survey on the orders of the court to remove misgivings/promulgation of Sec 163 of BNSS. They were to be dispersed after convincing them/Children in the crowd were to be segregated and requests made through loud hailers for safeguarding them. If a crowd is armed with objectionable items, they were to be

challenged with lathis so that they disperse. In case of dire need and life- threatening situation, anti- riot equipment to be used. Only as a last resort, warning shots to be fired to disperse mobs. They were told in turn to brief men under their command and to ensure orders are followed. Orders were issued to obtain prior permission from the concerned Magistrate for use of force, in case of violence. Without permission no use of force and loss of life to be saved is of top priority.

25. SP along with sufficient reserves was himself mobile since 6.00 a.m in the morning to oversee the arrangements and to constantly brief Police. Orders were passed that only those authorized will enter the Jama Masjid, so that there is no obstruction in the Survey work. As soon as the Survey team entered the mosque on the morning of 24.11.2024 for the remaining Survey, crowds started gathering in the backside of the mosque. Orders were issued by SP to disperse them peacefully. When the team was inside, the crowd started raising religious slogans, some of which were highly objectionable and unlawful. Message was passed on RT set that several in the crowd have their faces covered, to hide their identity. Message was passed by CO Sambhal, that the intention of the people in the crowd is disturbing and several of them are also armed with weapons.

26. The commission at this stage deemed it proper to evaluate the deployment done by SP Sambhal to ward off any major law and order situation and whether sufficient arrangements were made by District Administration/Police Officers to diffuse communal

situations. Was extra force asked for by Sambhal SP, keeping in view tensions building up in Sambhal town and neighboring places, in pursuance to the order for Survey of Jama Masjid by Civil Judge on 19.11.2024. Further How was the handling of the situation and whether strong measures were taken to normalise the situation?

27. Taking into consideration the request of the Court Commissioner for Administrative and Police assistance on immediate basis, so that a Survey can be carried out, as any delay may lead to changes at the disputed structure. The District Magistrate took necessary steps, while directing the Superintendent of Police for providing all assistance in order to carry out the orders of Hon'ble court dated 19.11.2024. The deployment was done by the Superintendent of Police keeping in view the sensitivity of the issue. During the survey the tempers were very high amongst Muslims. A large crowd collected around the Masjid and started obstructing the Court Commissioner in carrying out the survey properly. There was slogan shouting, MP himself and Suhail Iqbal, son of MLA Sambhal, Mr Iqbal Mehmood reached along with their supporters inside the mosque. The survey had to be abandoned as it was getting late and dark and it was also time for evening Namaz and Namazis were getting restless.

28. On 22nd Nov, Friday, a lot of Police alertness was there as there was a huge congregation offering Friday prayers at Jama Masjid, to express anger and resentment over the Survey. Police had made arrangements anticipating the same. MP Sambhal addressed the Namazis from the stairs of the mosque after the

Namaz in the name of the queries by the media, resulting in further deterioration of communal amity. It got wide publicity through newspapers/electronic channels etc. which further surcharged the atmosphere. It had become obvious that during the rest of the Survey, a lot of precaution will have to be taken for the security of the Survey team as well as for maintaining communal peace. Deployment of PAC was increased by Sambhal Police, at the time of the remaining Survey on 24.11.2024, as is evident from the examination of duty charts, mentioned below. On 19.11.20024 the force of only Sambhal District had been deployed but for Friday prayers, additional forces had been requested by SP to ADG Zone Bareilly/ DIG Range Moradabad, as is clear from the chart. Four extra Companies of PAC along with one company of RRF, were provided to District Sambhal, in addition to existing two platoons of the District, leading to deployment of Four companies and two platoons of PAC and one company of RRF. In spite of such a massive presence of PAC and RRF along with District Police, there was massive violence around Jama Masjid in Sambhal town on 24.11.2024, leading to loss of lives of four persons from the gathered crowd and serious injuries to numerous Policemen/ Magistrate. There was a serious threat to the life of Mr Vishnu Shankar Jain Adv, who was present along with the Survey team and he was being targeted by Muslim community, for continuously raising contentious Mandir/Masjid issues at Ayodhya/Gyanvapi Varanasi and Mathura in the past. Anger of Muslim community was

directed specially against him for raising the issue of Hari Har Mandir/Jama Masjid and for getting Survey done.

29. After the violence of 24.11.2024, ADG Zone Bareilly and DIG Range Moradabad also rushed to Sambhal and extra company of RAF, along with additional forces from Districts of the zone were provided for Sambhal to normalize the situation and to bring law and order under control as soon as possible. Four extra companies of PAC, in addition to four companies and two platoons, were also provided, keeping in view the serious situation and past history of Sambhal. The record shows Sambhal has witnessed massive communal riots in the past, fifteen in all since Independence and has a long history of violence. Riots of 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 are well known. There was mass violence in the city during the NRC/CAA agitation. Riots have always led to exodus of Hindus from Sambhal town, due to which Hindus now are in a minority in Sambhal town. Special precautions are always taken for Sambhal, which is in the category of hyper- sensitive towns of UP.

SP Sambhal in his affidavit has made specific mention that there have been activities of very well- known terrorist organizations in the town and of organized crime syndicates. Main among them being- Al Qaida, The Indian Subcontinent/Harkat Ul Mujahideen/Students Of AMU/SIMI etc. Arrests had been made of such elements in the past from Sambhal. The American President had designated Maulana Asim Umar urf Sana-ul-Haq of the town as designated terrorist, as per Executive Order of State Dept, SI

No 13224 of June 30, 2016. He is said to have died in a drone attack by the US Army on Sep 23.09.2019 in Afghanistan. NIA/Delhi Police Special Branch/UP ATS have conducted raids in the town from time to time to nab wanted accused. Sambhal always had very active gangs of auto lifters and cutters of vehicles/ Dealers of illicit weapons and narcotics/ Gangs of robbers, belonging to Muslim community. Delhi Police Special Branch and UP ATS have registered cases under UAPA, in which the accused belong to Sambhal. Delhi Police has made special mention in its chargesheet in UAPA case that Sambhal is emerging as a centre of terror activities. Gang leader Shariq Satha, belonging to Sambhal, escaped to Dubai on fake passport and is said to be running the gang from there and financing subversive activities. Stolen vehicles are sold in Nepal/Myanmar etc and in lieu automatic weapons are obtained and sold. There are 54 cases registered against him and his gang members are still present and very active in the town. Several of them have been arrested, post violence by Sambhal Police. He is said to be working for ISI of Pakistan and deals in fake currency also on a big scale. Further such elements owing allegiance to AQIS ,present in Sambhal, trying to establish a network in India/To obtain training from Pakistan and to strengthen the network here.

30. Jama Masjid Sambhal is an Archeological Survey of India protected monument, but they were never allowed entry inside the monument by the Masjid Committee. On the request made by ASI, DM Sambhal passed orders and Police was provided to the ASI

team and mandatory inspection of the monument by the Meerut team was done on June 25.06.2024 by ASI under proper Police protection.

31. Following is the chart of the deployment of Sambhal Police/Force provided by DIG Range Moradabad and ADG Zone Bareilly from their areas/PAC/RRF/RAF etc on different dates. The chart is in detail for Nov 19, Nov 22, Nov 24 and after violence had taken place. After perusing the deployment, it is abundantly clear that deployment increased on the ground as sensitivity increased. For the Survey of Nov 19.11.2024 limited force only from the District was deployed along with two platoons of PAC. DM/SP and other senior officials of the District remained present and kept on passing directions. For Friday prayers, force was increased and four companies of extra PAC and one company of RRF were also provided which remained stationed in the District. During the second part of the Survey carried out on 24.11.2024, deployment was of District Police along with PAC and RRF. After violence, force was provided from the Districts of Zone and four extra companies of PAC and one company of RAF were also provided. Deployment of PAC increased to eight companies and two platoons. Such massive deployment helped to bring normalcy in the District and prevented communal riot. It goes to the credit of the District Administration/Police that for the first time violence in Sambhal didn't lead to communal riot and it was Rioters vs Police only. It was contained quickly. Preventive arrests of 21 stone pelters and rioters was made on 24.11.2024 only to instill fear

among anti-social elements/rioters and to normalize the situation quickly. It was not allowed to spread to rural areas or to neighboring Districts.

Numerical Details of Additional Police Force Deployed to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area during the Survey of Shahi Jama Masjid on 19.11.2024												
S.N o.	District	ASP	CO	SHO/SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	PAC	RRF	
1	Sambhal		2	6	6	25	2	44	4	2 PLT		
Numerical Details of Police Force Deployed from External/District Sources to Ensure Peaceful Conduct of Juma Prayer and Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area after the First Survey of Shahi Jama Masjid on 19.11.2024, on 22.04.2024												
Police Force Deployed for Juma Prayer on 22.11.2024												
S.N .	District	A S P	C O	SH O/S O	IN S	SI	L/S i	HC/ C	L/C	PAC	RA F	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4-Co mpani es 2-PLT	0	1-Comp any
2	Amroha	0	1	3	8	14		60	15	0	0	0
3	Bijnor	1	1	6	4	24		68	5	0	0	0

4	Moradabad	0	1	1	12	10		49	20	0	0	0
5	Rampur	0	1	4	8	25		70	10	0	0	0
6	Shahjahanpur	0	0	1	2	15		35	0	0	0	0
7	Badaun	0	0	2	3	10		35	0	0	0	0
8	Bareilly	0	0	4	6	19		50	0	0	0	0
9	Pilibhit	0	0	2	4	11		33	0	0	0	0
Total		2	8	55	55	162	4	578	60	4 Companies 2 PLT	0	1 Company

Numerical Details of Police Force Deployed to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area during the Survey of Shahi Jama Masjid on 24.11.2024											
S. No.	District	AS P	CO	SHO /SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	PAC	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4 Companies 2 PLT	1 Company

Numerical Details of Police Force Deployed from External and District Sources to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area after Stone Pelting/Riots/Arson during the Survey of Shahi Jama Masjid on 24.11.2024

Police Force Received from External Districts from 24.11.2024 to 30.11.2024 for Maintaining Law and Order

S. No	District	AS P	CO	SHO/SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	QR T	PAC	RAF	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4	2 PLT	0	0
2	Moradabad	1	3										

Numerical Details of Additional Police Force Deployed to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area during the Survey of Shahi Jama Masjid on 19.11.2024

S.No	District	AS P	CO	SHO/SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	PAC	RRF
1	Sambhal		2	6	6	25	2	44	4	2 PLT	

Numerical Details of Police Force Deployed from External/District Sources to Ensure Peaceful Conduct of Juma Prayer and Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area after the First Survey of Shahi Jama Masjid on 19.11.2024, on 22.04.2024

Police Force Deployed for Juma Prayer on 22.11.2024

S. N.	District	A S P	CO	SHO/ SO	INS	SI	L/S i	HC/ C	L/C	PAC	RAF	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4 Companies 2 PLT	0	1 Company
2	Amroha	0	1	3	8	14		60	15	0	0	0
3	Bijnor	1	1	6	4	24		68	5	0	0	0
4	Moradabad	0	1	1	12	10		49	20	0	0	0
5	Rampur	0	1	4	8	25		70	10	0	0	0
6	Shahjahanpur	0	0	1	2	15		35	0	0	0	0
7	Badaun	0	0	2	3	10		35	0	0	0	0
8	Bareilly	0	0	4	6	19		50	0	0	0	0

9	Pilibhit	0	0	2	4	11		33	0	0	0	0
Total		2	8	55	55	162	4	578	60	4 Companies 2 PLT	0	1 Company

Numerical Details of Police Force Deployed to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area during the Survey of Shahi Jama Masjid on 24.11.2024

S. N.	District	ASP	CO	SHO/SO	INS	SI	L/Si	HC/C	L/C	PAC	RRF
1	Sambhal	1	4	8	8	34	4	178	10	4-Companies 2 PLT	1-Company

Numerical Details of Police Force Deployed from External and District Sources to Maintain Law and Order in Sambhal District under Thana Sambhal Area after Stone Pelting/Riots/Arson during the Survey of Shahi Jama Masjid on 24.11.2024

Police Force Received from External Districts from 24.11.2024 to 30.11.2024 for Maintaining Law and Order

S.No.	District	ASP	CO	SHO/SO										

32. Despite the crowd looting Police weapons and launching life-threatening attacks on the Police, the Police exercised restraint and did not use lethal firearms, as confirmed by the FSL Agra ballistic expert team's crime scene reconstruction report. Through the prudence of the Police and Administration, miscreants were prevented from inciting communal riots across the state and country.

33. The thorough examination of the actions/ arrangements made by the District Administration, including Police Authorities from 19.11.2024 to 24.11.2024 and afterwards, prove beyond doubt that due to strict vigil and , organised ,coordinated working as well as personal presence of the District Magistrate, Superintendent Police and other Officials of the District, saved the city of Sambhal not only from communal violence, but also saved the Survey team from any harm by stopping the violent crowd from entering into the Jama Masjid during Survey proceedings on 24.11.2024. The teamwork of District Administration along with Police Administration, deserves appreciation.

The state government warrants the Commission vide terms of reference (d) to give suggestions regarding non-recurrence of such type of incident in future.

The Terms of Reference (d) reads as under: -

“ To give suggestions regarding non-recurrence of such type of incidents in future”.

Suggestions for preventing recurrence of such incidents in future which took place on 24. 11. 2024 at Sambhal.

The Commission examined the issue in depth and the circumstances which led to the violence during Survey of Jama Masjid in pursuance to the Court's Order dated 19.11.2024 passed in suit no. 182 of 2024 & gives following suggestions for kind consideration of the State Government-

1. Whenever there is a possibility of breach of peace at a particular place or its surrounding areas, then roofs of the houses in such locality should be properly surveyed through drones/manual search from some high point, to ensure that bottles, bricks, stones etc. have not been collected there. If it is detected, then such materials should be removed and residents should be warned to desist from such activities. Thorough search should be carried out of such roofs and Police should be firm in dealing with such elements.
2. Checking of surrounding areas through drones should continue and if it is found that such materials have been collected again, then Police should take search along with Mahila Police, of such roofs and get them forcibly removed. Such residents should be bound down under provisions of Sections 126/135 of BNSS. It will have a salutary impact.

3. Deployment of force should be considered on such roofs, along with Mahila constables to keep watch. It will have deterrence.
4. On Nov 24, 2024, there was heavy brick batting on Police Force from certain roofs by ladies, who were later on arrested also by Police and sent to jail. It has been noticed in the past, that ladies have thrown hot oil, water/chilli pepper on Police from roof tops, to stop their advance and to make them redundant. Police presence will prevent it. Several male members of the houses use women and children for such purposes.
5. Lists should be prepared of the houses of History Sheeters/Notorious criminals/Communal agitators/Goondas and above- mentioned precautions should be taken for the houses, inhabited by such elements. Such lists should be ready at PSs/OPs. Are they in jail or at home or missing? Those detained under NSA in the past, should be on the radar of the Police. They should know that they are under watch. Will be very helpful in maintaining peace.
6. Through intelligence collection and by taking help of local peace-abiding citizens, efforts should be made to find out the presence of outsiders in such households. Thorough verification of outsiders should be done/copies of Aadhar cards should be obtained of such visitors. The purpose of their visit should be verified. Such houses should be under Police surveillance.
7. List of houses should be prepared where roof/walls are damaged and broken bricks etc. are freely available and can be

thrown at Policemen as missiles. Deployment on such roofs will be very important in maintaining Law & Order.

8. The district administration should identify people who can create any kind of trouble and appropriate preventive action must be taken against them.

9. Taking help from the members of Peace Committees/Wardens of Civil Defence/ Respected members of civil society in maintaining peace has yielded dividends in the past. Requesting them/Meeting at PSs/Out-Posts, which is addressed and attended by senior officers, makes a lot of difference. At times very valuable inputs are received from these quarters.

10. Physical checking of licensees and their weapons should be carried out. If criminal cases are registered against them, weapons should be deposited at PSs. Through DM, such licenses should be suspended on priority. It will prevent misuse.

11. Physical verification of CCTVs in such areas should be done to ensure that they are in working order. Footages from such cameras can be of immense value. Even district Administration/Police should get some installed at sensitive places.

12. LIU, intelligence units/PSs/OPs should be activated for continuous intelligence collection. Feed- back should be obtained and they should be kept on their toes. The process should continue.

13. All Policemen/Administrative officers carry mobiles with them. There should be instructions to them to do recording as and when required.

14. Professional Videographers/Photographers should be engaged by Police/Administration for recording acts of rioters. They should act only on the directions and dutifully record criminal acts of arson/ communal agitators/stone palters etc. Such recordings will be of immense use later on in identifying the lumpen elements. It has a lot of deterrence value also.

15. Police should make preparations on war footing to prevent and handle unforeseen situations. Riot gear should be available for each Police-man and they should be equipped with helmets, body protectors, cane shields etc. Special squads should be armed with tear gas guns/Pump action guns/Rubber bullets/Chilli bombs etc. so that in case of need, rioters can be dispersed with minimum use of force. If necessary, few front- line squads should be armed with bullet proof jackets also. The intent of the Police will be clear to rioters. Special attention should be paid to it.

16. All Police vehicles should be fitted with loud hailer systems, so that appeal can be made/Crowd can be addressed, and rumour mongering can be scotched.

17. There should be proper arrangements for Firefighting and firemen should be deployed with firefighting equipment and fire tenders, behind Police deployment. They should have full Police protection, so that Fire tenders are not damaged by rioters. Only on orders of senior officers, should they act.

18. At sensitive points, on high rise buildings, Police should be deployed with binoculars and walkie talkie sets so that even in

case of Internet shut down, alternative communication channels are on.

19. Ambulances etc. should be available close by, so that injured Policemen or public can be rushed to nearest hospitals without delay.

20. Proper barricading should be ensured at sensitive points and there should be strong Police presence at such points. Barricading should be ensured at highly communally sensitive spots, so that rioters don't succeed in breaching such points. It is most essential to avoid communal flare up.

21. While putting barricades near the place of survey/event, is a must; equally essential is the barricading of the entry points to the city, so that people from outside restrained from entry in the city/Town and create trouble, if the district administration feels necessary after taking into consideration and evaluating the situation/circumstances, etc.

22. If trouble is being apprehended, it would be prudent to put multi-layer barricades with adequate deployment of force to prevent any large congregation.

23. List of communal agitators/Goondas should be immediately updated and watch should be kept over them. Mobile numbers of most troublesome persons should be on surveillance, so that timely Intel can be received and preventive action taken.

24. Use of Artificial Intelligence may be helpful to screen the earlier incidents in the city and identify the trouble makers with a view to

bounding them down , house-arrest or other appropriate preventive actions.

25. There is a Riot Control Scheme for each town. Its rehearsal should take place with all seriousness in the presence of district Police Chief and other senior officers. Duties should be assigned to all. Such activities of Police are watched closely by rioters, and they will think twice before taking the law in their hands.

26. There should be close watch on social media. Very active WhatsApp groups should be under close scrutiny. Watch should be kept on groups which are instigating people. Action should be taken; at least such persons should be warned.

27. Digital volunteers should be briefed and deployed. They should monitor social media closely and remain in touch with senior officers.

28. Decisions regarding shut down of internet/mobile services should be taken well in time to prevent rumour mongering.

29. Help from print/electronic media should be sought. They can provide valuable visuals/footage/snaps.

30. Duty charts should be made of the force deployed. Controlling officers should be named. It will be the duty of such officers to continuously brief and lead the men from front. Every Jawan should know his place of duty and should not leave it without orders. Their signatures should be obtained on duty charts, so that they know they will be severely punished, if found missing from designated duty point. Policemen at times have a tendency to leave duty and congregate at one place. There should be a big

no-no for it. They should not be busy with mobiles and should concentrate on duty. Every Jawan should know his duty and his role. It should be hammered time and again. Remaining alert on duty point is most essential.

31. Very sensitive/sensitive cities of UP prepared Riot Control Schemes several years back, badly need updating. Communal riots have been a thing of the past in UP for the last several years, hence this valuable and very useful scheme is in disuse. It needs to be updated all over UP very seriously and rehearsals should take place at least twice in a year, so that all Police Officers/subordinate forces should know what will be their role. Rehearsals will prove to be very- beneficial and trouble shooters/ agitators/communal goondas/ history sheeters/ accused detained under Gangsters' Act /NSA will always be under the watchful eye of Police and will be picked up as and when there is need.

SP Sambhal and his team of officers are seriously on the job and they have updated it for the future. While making Police arrangements for the Nov 24, 2024 event, Sambhal Police had already implemented the majority of its relevant provisions. There should be an urgent drive throughout UP to properly update Riot Control Schemes, under close supervision of Senior Officers of District/Range/Zone.

Chapter-9

EPILOGUE

Conclusion on Terms of Reference (a) and (c):

During the inquiry, the Commission visited Sambhal and inspected the disputed place, presently known as Shahi Jama Masjid, prepared the inspection reports, examined 199 witnesses including those who are in jail in connection with criminal cases registered, relating to the incident dated 24 November 2024. Summoned various documents from Police and Administration of Sambhal. Thereafter the Commission carefully deliberated on the evidence, material collected as well as placed before it. On microscopic examination of all the material, the Commission comes to the conclusion as under:-

1. The incident of violence dated 24 November 2024 was pre-planned and primarily the result of abetment by conspiracy hatched between Mr. Zia-ur-Rahman Barq, MP Sambhal, Mr. Suhel Iqbal s/o Sri Iqbal Mahmood MLA Sambhal, Mr. Zafar Ali Sadar Intezamia committee, Jama Masjid Sambhal, Mr. Kasim Jamal Advocate, Mr. Mashhood Ali Farooqui Advocate, secretary in Intezamia committee, Mr. Laddan Khan, Nayab Sadar, Intezamia committee and other members of Intezamia Committee.

2. On the basis of evidence, and material, the reasons culled out behind the incident dated 24 November 2024 are as follows: -

A. Mr. Zia-ur-Rahman Barq MP Sambhal, Suhel Iqbal, who is son of local MLA, Mr. Zafar Ali, Sadar, Jama Masjid and other members of Intezamia Committee were unhappy with the

institution of suit no. 182/2024- Hari Shankar Jain and others v/s Union of India and Others in which it has been stated that Jama Masjid, the disputed place was built by Hindu Beg in the year 1526 to 1529 at the order of Mughal Ruler Babar on the ruins of Hari Har Mandir and on the order passed by Hon'ble Civil Judge (Senior Division) for survey Commission on 19.11.2024, as they did not want interference in their activities at the mosque.

B. An attempt was made to disturb the survey proceedings on 19.11.2024 and after halting, the survey proceedings, Mr Zia-ur-Rahman Barq MP gave provocative speech outside the Jama Masjid to the crowd assembled in the name of addressing to media persons, that “आदेश दिया गया था, जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी है स्थित वह अपनी जगह कायम रहेंगे, उनके अन्दर किसी प्रकार की छेड़खानी व विवाद नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग प्रदेश व देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि कोई देश का माहौल खराब करे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिये आगे कदम उठायें।”

“इन्होंने अपनी रिपोर्ट सारा सर्वे ए टू जेड जिस तरीके से चाहते थे करा दिया गया है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, यह अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूंगा सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, ये देश संविधान से चलेगा कानून से चलेगा, किसीकी मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला।” Similarly on 22.11.2024 after the Friday Namaz at the stairs of the Jama Masjid he addressed the media and Namazi, that “सम्भल का पुलिस प्रशासन इस उत्तर प्रदेश के हुक्मत के अधिकारी पता नहीं ऐसा क्या हो

रहा था, आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और एक- दो घण्टे के बाद में यहां पर सर्वे कराने के लिए ले आये, इतनी जल्दी कौन सी थी क्या मजबूरी थी उनके सामने कि इतनी जल्दी सर्वे कराने लाये ।”

“मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशा-अल्ला मस्जिद रहेगी कयामत तक ।”

“इस मस्जिद की जंग के लिए हम लोग आ गये हैं, हम कानूनी दांव पेच लड़ेंगे और इंशा अल्ला ताला इस जंग को हम हर हाल में जीतेगें और हमारी जामा मस्जिद के लिए हम कानूनी हिफाज़त भी करेंगे और इंश-अल्ला ताला हर तरह से जो भी जरूरत होगी हम जामा मस्जिद के लिए पूरी तरह से हिफाज़त करने के लिए हमेशा मैं ही नहीं सारे लोग रहेगें।”

“हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, अरे हम इस देश के मालिक है नौकर, गुलाम नहीं हैं ।” Thereby Mr. Zia-ur-Rahman Barq created the hostile atmosphere against Hindus, Administrative Officers and Police Officers of Sambhal, misleading the public belonging to Muslim Community, as if the Jama masjid is in imminent danger and Hindus are going to dismantle the same under protection of Police and administration of Sambhal, emphasising that

"Just as our mosque was taken in Ayodhya, we will not let this one be taken".

Further expressing disagreement with the Hon'ble Court's order, with the intent of gaining political advantage, he called for a specific community to unite and gather in large numbers to protect the disputed religious site, which was provocative and turned the sensitive atmosphere into a highly volatile one.

C. Regarding this speech, some anti-social elements circulated a video containing the following excerpt: “It is our duty to follow our religion and protect our religious sites. The way the Constitution is being throttled here, the way the government is shredding the Constitution; we are ready to fight for this mosque. Inshallah, we will always be there to protect the Jama Masjid in every way necessary. We will not let anyone take away the religious sites and mosques that existed before 1947 in our state and country.” This speech led the public to believe that someone was attempting to seize the Jama Masjid through the survey, resulting in violent incidents during the survey on 24.11.2024.

D. Though the disputed structure Jama Masjid has been a protected monument since 1920 and an agreement had also been signed between Mutvalli and District collector Moradabad in 1927, wherein as per clause 6 , it is open to the public. Yet it is being used by Muslim Community exclusively and they didn't allow anybody to enter the Jama Masjid, even to the officers of ASI, who are the controller of the monument. The ASI officials were compelled to seek help from the District Administration and with the help of District Authorities, they could inspect the monument / Jama Masjid on 25.06.2024. As per the statement of Smt. Neeti Anil Kumar ICW 170, she faced strong opposition from the office bearers of Intezamia Committee of Jama Masjid and while returning, she was also confronted by the hostile crowd.

E. Messages to Muslim Community to assemble in huge numbers on 24th November 2024 in the morning with arms and

stones around the Jama Masjid to oppose the proceedings of survey and to cause harm to the Police and administrative officers so that none other than Muslims, can think to enter Masjid in future, as is evident from the testimony of SP Sambhal and witnesses.

F. Concealment of facts by Mr. Zia-ur-Rahman Barq, Suhel Iqbal, Mr. Zafar Ali Advocate Sadar Jama Masjid, Mr. Qasim Jamal Advocate counsel for the Defendant No.6, Mr. Mashhood Ali Farooqui and others regarding relief sought in suit no 182/2024, Muslim Community was misled that Hindus are claiming the Masjid as their own and sought demolition of the present structure of Masjid.

G. The activities of Mr. Suhel Iqbal on 24.11.2024 were that he entered Jama Masjid around 6 AM and came out after about 40-45 minutes and made provocative statements, thereafter went to the house of Mashhood Ali Farooqui, 30 yards away from the Jama Masjid. The presence of Suhel Iqbal in the house of Mashhood Ali Farooqui since 6.30 am till 6 to 6.30 pm on 24.11.2024 during survey and going repeatedly towards the crowd around the Jama Masjid, establishes beyond reasonable doubt regarding abetting the crowd for violence, as is evident from the evidence of Sub Inspector Deepak Rathi and SHO Mr. Anuj Kumar Tomar that, “यह सर्वे क्यों हो रहा है? मैं अपने लोगों को अपने तरीके से बुलाऊंगा। हम इस सर्वे को नहीं होने देंगे। अगर यह जगह आग पकड़ ले या कुछ भी हो जाए, अगर सर्वे हुआ तो अच्छा नहीं होगा।” He further said, “हम बर्क के साथ हैं” and after making these inflammatory remarks, he went to

Mashhood Ali Farooqi's house near the field.

H. Exhortation of crowd to escalate the violence by Sadar Jama Masjid Mr. Zafar Ali and other members of the Intezamia Committee during draining of the water of the Wazukhana.

I. Failure to achieve the common object of the crowd to enter Jama masjid during the survey proceedings with intention to create interference and to cause harm to plaintiff counsel, survey team and officers present there.

Further after announcement through the loudspeaker of the Jama Masjid by Mr Zafar Ali that the survey proceedings were complete and the survey team was leaving. The crowd suddenly emerged from the lanes and joined the already gathered crowd, leading to a sudden qualitative increase in the crowd's size. The crowd became aggressive, engaging in sloganeering, stone-pelting, arson, and firing, resulting in injuries to the Police and administrative personnel.

J. Mr. Zia-ur-Rahman Barq and Suhel Iqbal wanted to maintain the political dominance, power and the grip over the Muslim Community and hence wanted to defame the Government and the District Administration/Police, this is also established from the testimony of Mr. Shrish Chand Additional Superintendent of Police.

(i) As per the testimony of Mr Shrish Chand Addl. Superintendent of Police North District Sambhal, Anuj Chaudhary, CO Sambhal, Inspector Anuj Tomar and Sub-Inspector Deepak Rathi etc.- One of the reasons for the incident of 24.11.2024 was the effort of establishing dominance in the area by the political

figures. The statement of Mr. Shrish Chand is very important and the same is being reproduced here under:-

“राजनीतिक महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप वर्तमान सांसद श्री जिआउर्रहमान बर्क एवं उनके स्व० दादा शफीकुर्रहमान बर्क एवं विधायक श्री इकबाल महमूद के बीच चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता और मुस्लिमों का खैरख्वाँ बनने के लिए बढ़ चढ़कर सक्रीय भागीदारी की जाती है एवं हिंसक घटना वाले दिनांक 24.11.2024 को भी इसी महत्वाकांक्षा के कारण वर्तमान सांसद श्री जिआउर्रहमान बर्क एवं विधायक श्री इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल द्वारा घटना में सक्रिय भूमिका निभाई गयी और लोगों को उद्देलित किया गया ।”

(ii) Apart from aforesaid facts, the following cannot be denied about the possibility of the violent incident dated 24.11.2024.

The town of Sambhal has a population of 80% Muslim and 20% Hindu. This town has a long history of communal riots. Due to the environment and background of riots and violence, Muslim religious extremism has increased in Sambhal town, and elements that promote and provoke religious extremism have also gained strength, creating a fertile ground for religious extremism.

In the district of Sambhal, two groups among the Muslims, Turks and Pathans, are active. A violent atmosphere is created for the fight of dominance between them is further fortified and established from the FIR filed by one Naseem on account of the injuries received on 24.11.2024 by his nephew Wasim. The injured witness ICW-192 Wasim s/o Naeem in his statement before the commission stated that his uncle Naseem has lodged an FIR, which was registered as Crime no-342/2024 under sections 109,

125, 190, 191(2), 191(3) IPC at Police station against unknown Turk community, the same is correct, in which it is written that “दिनांक 24.11.2024 को हमारे घर से कुछ दूर पर स्थित जामा मस्जिद में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सर्वे का काम किया जा रहा था, उसी समय शहर के कुछ शरारती व उपद्रवी लोगों ने जामा मस्जिद के आस-पास इकट्ठा होना शुरू कर दिया जिसमें तुर्क बिरादरी के लोग भी थे तथा कुछ उपद्रवियों के द्वारा सर्वे कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया गया। जब प्रशासन के लोगों ने पथराव कर रहे लोगों के समझाना चाहा तो पथराव कर रही भीड़ में से कुछ तुर्क बिरादरी के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। अज्ञात तुर्क बिरादरी के उपद्रवियों द्वारा जान से मारने की नीयत से की जा रही फायरिंग में से एक गोली मेरे भतीजे वसीम जो कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, को लगी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया, हम लोग घायल वसीम को तुरन्त उठाकर डॉक्टर के पास ले गये।”

From above it appears that the death of 4 persons of an unlawful assembly was a result of cross firing by the miscreants present in the crowd ie. Turks and Pathans.

Mashhood Farooqui, being a Syed, has family graves next to the mosque and wants to maintain dominance over the Jama Masjid. To preserve this influence, Mashhood Farooqui allowed Suhel Iqbal to stay at his house, where he began contacting people via phone, to incite the crowd.

It appears that to establish dominance driven by political ambitions, Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr Suhel Iqbal acted independently with their followers to oppose the court ordered survey, where in Mr Zafar Ali collaborated with Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr Mahshood Ali Farooqi Secretary of the Jama Masjid

Committee, who sought to maintain his control over the mosque, collaborated with Mr Suhel Iqbal and gone to the extent of conspiring to withhold the true nature of the order of the Hon'ble court regarding survey from the Muslim community.

3. Throughout the incident, Sambhal Police's positions could not be breached by the crowd and they were not allowed to enter Hindu-dominated neighbourhoods or markets, preventing the incident from taking a communal turn.

4(i) As per testimony of the SP Mr Krishna Kumar Bishnoi, the death of all four deceased was the result of a planned conspiracy and shots were fired by the Muslim side using country-made firearms to incite riot. No FIR was filed by any person from the deceased's side claiming that their kin died due to Police firing, as confirmed by the FSL, Agra ballistic experts and crime scene reconstruction. To disperse the crowd, the Police, after obtaining permission from the magistrate, first fired tear gas shells, which were not very effective. Subsequently, chili grenades, stun grenades, and Amitsyaahi shells were used. Additionally, 12-bore pump-action guns were used, and the SHO, Kotwali, fired two aerial shots from his 9-mm service pistol.

(ii) Throughout the incident, the Police demonstrated prudence and restraint, strictly adhering to the guidelines issued by the Human Rights Commission from time to time. Immediate notifications were sent to hospitals through the control room for the injured, and they were promptly transported to hospitals via 108 ambulances. SP further stated that he also sustained injuries.

5.(i) Mr Shrish Chand Addl. Superintendent of Police North District Sambhal stated that the stone-pelting injured Police and the crowd in a planned manner tried to snatch Police weapons. During the looting, Sub-Inspector Sanjeev Kumar's 9mm pistol magazine with 10 cartridges and Constable Kapil Kumar's two boxes with 24 tear smoke gas shells, 5 rubber bullets shells, 25 blank cartridges, 25 plastic pellets and 15, 12 bore cartridges were looted from Police personnel on duty. A tear smoke shell from Kapil Kumar's gas gun barrel was fired in the air, during the scuffle.

(ii) The crowd set fire to Police and public four- and two-wheelers parked on the road, burnt electrical transformers and cables, and broke CCTV cameras, glasses outside nearby houses.

(iii) The aggressive crowd pelted stones and fired at Police, injuring Constables Kapil Kumar, Pankaj Kumar, Rajpal Singh, Sher Singh, and Sub-Inspector Sanjeev Kumar. In this incident of violence, 28 Police/ administrative officers/ staff sustained injuries. Further government riot control equipment, including 14 cane shields, 21 body protectors, 17 batons, and 19 helmets, were damaged by rioters' stone-pelting. Sub-Inspector Sanjeev Kumar lodged FIR No. 333/24 at Police Station, Kotwali Sambhal, against Hasan and others.

(iv) Post-riot, the incident site was inspected, and nearby drains were cleaned with a metal detector (HHMD) and municipal worker's help in the presence of LIU and Field Unit for evidence collection, recovering a foreign 12-bore shell marked "Made in USA," with a seizure memo prepared. Notably, provocative,

inciting, and misleading statements by public representatives/responsible individuals led miscreants to orchestrate violence on 24.11.2024, joining non-local rioters in arson, firing, and stone-pelting.

6.(i) Independent witnesses of the incident dated 24.11.2024 including media persons, who have carried out reporting and recording of the same and Vishnu Sharma, photographer/videographer of the court Commissioner stated in their testimonies that there was an increased movement of unfamiliar faces in the Sambhal District. Heavy stone-pelting took place at the mosque, sloganeering and sounds of gun shots were heard, the crowd also indulged in arson. They (Eyewitness) also observed that some persons in the mob, who indulged in the violence had covered their faces, in order to conceal their identities. (The detailed testimony of the eye witnesses had already been narrated in the previous chapter).

(ii) Witness ICW 77 Mrs. Rukayya stated that she saw stone-pelting from the house of Husna. ICW 78 Mrs. Zikra stated that she threw stones from the roof, because her child had been injured. ICW 79 Miss Nazrana stated that Husna Baji, Zikra Baji, Noori Bhabhi, and Mariyam were throwing stones at the Police from the roof. The statements of these witnesses were recorded by the commission through video conferencing, as they were in Judicial Custody.

(iii) The examination of the statements of the detained persons reveals that on 24.11.2024 during the Survey of the Jama Masjid, there was a huge crowd opposing the Survey and its involvement in violence. Though the majority of them denied their presence in the crowd, but they have been arrested for unlawful assembly and involvement in the violence, on the basis of identification of their photographs, taken by the media persons as well as video recording through drones.

7. Despite the crowd looting Police weapons and launching life-threatening attacks on the Police, the Police exercised restraint and did not use lethal weapons, as confirmed by the FSL Agra ballistic expert team's crime scene reconstruction report. On account of the prudence of the Police and administration, miscreants were prevented from inciting communal riots across the state and country.

8. In the incident dated November 24, 2024 undisputedly 4 persons died and 28 Police personnel sustained injuries amongst injured, 7 Police personnel sustained gun shot injuries. All the injured have stated to have seen the occurrence and sustained injuries on their persons. The doctors who gave treatment and prepared the medico legal reports have verified the same. The Commission doesn't find any inconsistency in the evidence of injured and Doctors.

Thus it is established that 7 Police officers/ cops received gunshot injuries from the fire opened by miscreants.

Doctors who did the autopsy of four deceased persons have opined that they died as a result of gunshot injuries. Ballistic reports, which had been filed by SP with his additional affidavit, are also on record which shows that the injuries found on the person of deceased may have been caused by 315 bore weapons.

Admittedly there is no evidence on record that any Police personnel had any 315 bore weapons in their hands.

Further in the cases registered by the relatives of all the four deceased, the FIRs have been filed against unknown persons, with the allegations that their deaths occurred due to being caught in the violence perpetrated by stone-pelters and the mob. None of the relatives has mentioned in either of the First Information Report or in his statement before the Commission that his relative's death was caused by Police action.

9. On thoroughly examining the testimonies of the witnesses as well as the facts and circumstances which led to the violence on 24.11.2024 at Sambhal during the court's ordered survey of Jama Masjid and the role of Advocate Zafar Ali, Sadar, Intezamia committee of Jama Masjid, along with its members, local Member of Parliament, Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr. Suhel Iqbal, representative/son of local MLA, Commission deems it, its duty to place on record certain observations before signing off.

(i) The Constitution of any nation is the system or body of fundamental principles according to which the nation, state or body politic is constituted and governed; it is the action of constituting or establishing. It is, in other words, a set of laws and rules setting up

the mission of the Government of a State and which defines and determines the relations between the different institutions and areas of government, the executive, the legislature and the judiciary. Thus, the Constitution is the creation of a sovereign act.

(ii) The primary function of constitutional law is to ascertain the political Centre of gravity of any given state. It is thus an extraordinary legislation originating or coming out directly from the people acting in a sovereign capacity.

(iii) The constitution of India has an elaborate preamble. The purpose of the preamble is to clarify, who has made the constitution, what is its source, what is the ultimate sanction behind it, what is the nature of the polity, which is sought to be established by the Constitution, and what are its goals and objectives?

(iv) The words in the preamble, “We the people of India... In our constituent assembly... do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution”, propound theory that the ‘Sovereignty’ lies in the people, that the constitution, emanates from them; that the ultimate source for the validity of, and the sanction behind the constitution, is the will of the people; that the constitution has not been imposed on them by any external authority, but is the handiwork of the Indians themselves.

The Institutions set up under the constitution shall seek to give effect to democracy in India which is to be sustained by adult suffrage, fundamental rights and independent judiciary.

The Constitution of India declares certain fundamental rights of the individuals. Some of these can be claimed only by a citizen

of India, while others can equally be claimed by non-citizens and groups also.

(v) A new feature was inserted in the constitution in 1976 by the 42nd amendment in detailing the fundamental duties of the citizens in Part IV A consisting of Article 51A.

Definitely the rights must be balanced and harmonised with the duties. The Constitution of India to be the first to have expressly provided for affirmative action to the extent of reservation. Affirmative action is no more an exception to the fundamental right of equality, but an integral aspect of it. Affirmative action is thus inbuilt and interwoven in our constitutional scheme and does not require any external support.

(vi) Article 51A of the Constitution mandates every citizen of India, (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag, and national anthem; (c) to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending, religious, linguistic and regional, or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women; (i) to safeguard public property and to abjure violence.

Every citizen of India is required to abide by the Constitution and the laws made under it as well as its ideals and the institutions created under the constitutional scheme.

10. After thorough examination of eyewitness statements, forensic reports, and other relevant evidence by the commission leads to an

UNEQUIVOCAL CONCLUSION that the Sambhal violence poses a **GRAVE** and **DEADLY THREAT** to national security and unequivocally attracting the stringent provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita.

11. The orchestrated violence, characterized by widespread destruction and chaos, aims to undermine India's unity, integrity, sovereignty, security, and economic stability, striking terror among the populace. If proven, such egregious acts will warrant severe penalties, including life imprisonment.

12. The Sambhal violence requires a nuanced approach, balancing the need to maintain law and order with the need to protect the fundamental rights of citizens. The government and law enforcement agencies are required to work together to ensure that those responsible for the violence are held accountable and that measures are taken to prevent similar incidents in the future. By doing so, we can promote peace, stability, and security in the region and uphold the rule of law. Moreover, it is essential to address the root causes of the violence and work towards promoting communal harmony and social cohesion.

13. The robust legal framework empowers the government to take decisive action against those who threaten national security and public order. By invoking the provisions of BNS, the culprits will face stringent penalties, including life imprisonment and Justice will be served and in future the nation will be protected from such egregious offenses.

14. In the instant case, Mr. Zia-ur-Rahman Barq, a parliamentarian, Mr Zafar Ali, Sadar, Jama Masjid, Advocate, Mr. Mashhood Farooqui, Advocate., secretary Jama Masjid and other members of the committee of management of Jama Masjid, Mr Suhel Iqbal, son/representative of local MLA Mr Iqbal Massoud, in order to oppose the survey of ASI protected monument/Jama Masjid during the course of survey proceedings hatched a conspiracy by calling upon the Muslim community “to gather at the mosque and oppose the survey by all means.

15. The gathered crowd made all efforts to enter the Jama Masjid and threatened everyone by sloganeering, **“Nara-e-Takbeer”** **“Allah-hu-Akbar,”** and **“Gustakh-e-Nabi ki ek hi saza, sar tan se juda, tan sar se juda”**(The only punishment for the blasphemmer of the Prophet is beheading).

16. No citizen has a right to threaten the other person even if he has committed some fault or guilt. It is a court of law after trial, that has a right and authority to punish a person for his act/ offence in accordance with law.

17. From the testimonies of the witnesses, it is evident that the incident on 24.11.2024, was primarily the outcome of conspiracy by Mr. Zia-ur-Rahman Barq, a Parliamentarian, Mr Zafar Ali, Sadar, Jama Masjid, Advocate, Mr. Mashhood Farooqui, Advocate, Secretary Jama Masjid and other members of the committee of management of Jama Masjid, Mr Suhel Iqbal, son/representative of local MLA in order to establish their dominance driven by political ambitions.

18. Sought to maintain their control over the mosque, in malicious manner even concealing the true nature of the court's ordered survey as well as the prayer in the suit filed by the plaintiffs, wherein they sought directions for maintenance of the protected monument by the ASI and access to the monument by everyone.

19. The entire act of the aforesaid persons of not abiding the orders of the Hon'ble court with respect to survey and trying to obstruct the process of survey by force through a crowd by misleading and not correctly informing the orders of the Hon'ble court with respect to survey alongwith photography/videography, as well as the prayer of the Plaintiffs in the suit filed before the Civil Judge (Senior Division) can only be termed and treated as violation of the provisions of Constitution, wherein a duty is cast upon every citizen of India to abide by the Constitution and the laws made under it as well as its ideals, and the institutions created under the constitutional scheme, are also anti-national. Further their acts attract the statutory provisions of BNS as well, and they deserve to be dealt accordingly.

20. At the end, we conclude with the observation that there was neither any threat to the Jama Masjid/place of survey in execution of the order of Civil Judge (Senior Division) dated 19.11.2024 passed in suit No.182 of 2024, nor Plaintiffs had sought any such prayer in the plaint. Further in sum and substance the Plaintiffs prayed for a decree in the nature of permanent injunction restraining the defendants, their officers, workers and every person acting under them from creating any hurdle or obstacle in entry of

the Plaintiffs and the members of the public into the Hari Har Mandir/Jami Masjid situated within Mohalla Kot Purvi Ward No.11, P.S. Kotwali City Sambhal, as fully described in para 1 & 2 of the Plaint in accordance with the terms, conditions and regulations as framed by competent authority to give effect to the provisions of Section 18 of The Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Act, 1958. Further Jama Masjid is a protected monument since 1920 and relief sought by the Plaintiffs is in consonance with clause 6 of the agreement executed on 13/19-01-1927 between Mutwalli of Juma Masjid at Sambhal with Collector of Moradabad acting on behalf of Secretary of State for India, registered on 01.03.1927, where in, Jama Masjid was made open to public and hence there was no reason/occasion to feel offended and create hurdle in compliance of court's order in the name of threat to the existence of Jama Masjid of any kind.

Further the statements of the witnesses and microscopic analysis of the facts and circumstances leads the commission to form an opinion that the incident dated 24.11.2024 was the result of a well-planned conspiracy and abetment. The incomplete Survey on 19.11.2024, conducted under the court's order, was known to local politicians, members of the Jama Masjid Intezamia Committee, and the general public. Between 19.11.2024 and 24.11.2024, political figures, criminal elements, and members of the Jama Masjid Committee had ample opportunity to prepare and mobilize a crowd in order to establish their dominance driven by political ambitions. Mr Zia-ur-Rahman Barq and Mr Suhel Iqbal,

along with Mr Zafar Ali and Mr Mahshood Ali Farooqui of the Jama Masjid Committee, who sought to maintain their control over the mosque, conspired to withhold the true nature of the court ordered Survey from the Muslim community. They incited and mobilized a crowd, in which individuals with criminal tendencies joined, in violation of the provisions of section 163 BNSS, with the majority of persons hiding their identities with the mask etc. attempting to give the incident a communal colour. This was done with the malicious intent to defame the Government and its machinery not only at the national level but international level as well. However, the local Police and Administration, through their prompt action, succeeded in preventing the same.

Conclusion on Terms of Reference (b)

The terms of reference (b) requires the Commission to inquire regarding arrangements made by the District Administration and Police for maintaining law and order, etc.

The reference (b) reads as under: -

(b) To inquire into the arrangements made by the District Administration and Police for maintaining law and order during the incident and other aspects related thereto;

The thorough examination of the actions/arrangements made by the District Administration, including Police Authorities from 19.11.2024 to 24.11.2024 and afterwards, prove beyond doubt that due to strict vigil and organised,coordinated working as well as personal presence of the District Magistrate, Superintendent Police and other officials of the District, saved the City of Sambhal not only from communal violence, but also saved the survey team from any harm by stopping the violent crowd from entering into the Jama Masjid during survey proceedings on 24.11.2024. The teamwork of District Administration along with Police Administration, deserves appreciation as despite the crowd looting Police weapons and launching life-threatening attacks on the Police, the Police exercised restraint and did not use lethal firearms,as confirmed by the FSL Agra ballistic expert team's crime scene reconstruction report. Through the prudence of the Police and Administration, miscreants were prevented from inciting communal riots across the State and Country.

Conclusion on Terms of Reference (d)

The state government warrants the Commission vide terms of reference (d) to give suggestions regarding non-recurrence of such type of incident in future.

The terms of reference (d) reads as under: -

(d) To give suggestions regarding non-recurrence of such type of incidents in future.

Suggestions for preventing recurrence of such incidents in future, which took place on 24.11.2024 at Sambhal has been discussed in depth/detail while deliberating on this term of reference in chapter-8.

(Arvind Kumar Jain,IPS)

Member

(Amit Mohan Prasad,IAS)

Member

(Dr Justice Devendra Kumar Arora)

Chairman

(Brijesh Kumar)

Former District Judge

Advisor

Conclusion on Terms of Reference (d)

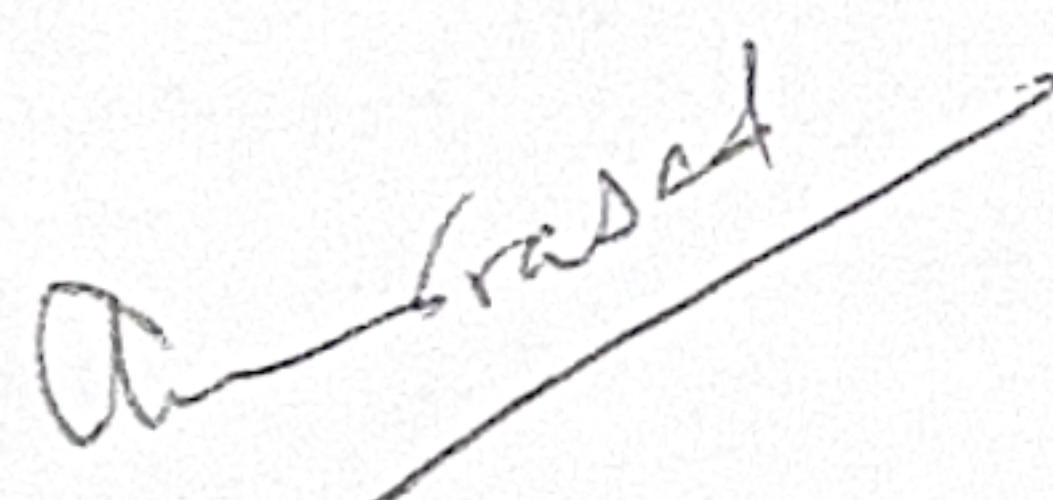
The state government warrants the Commission vide terms of reference (d) to give suggestions regarding non-recurrence of such type of incident in future.

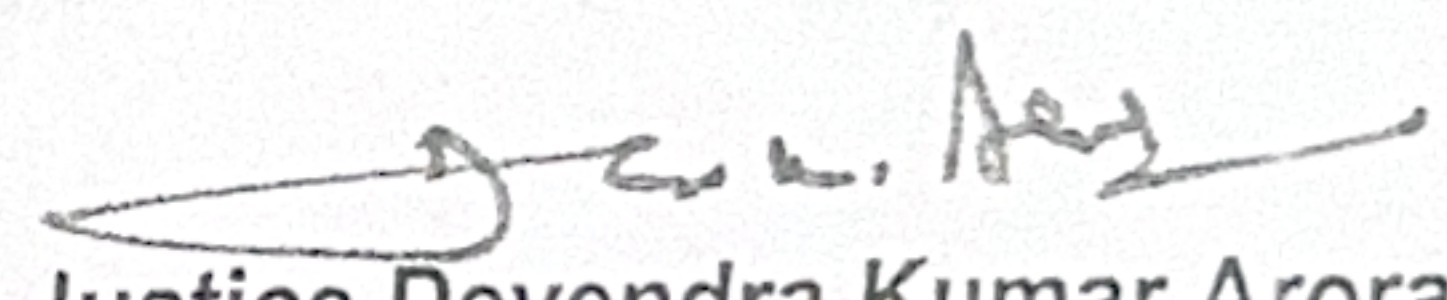
The terms of reference (d) reads as under: -

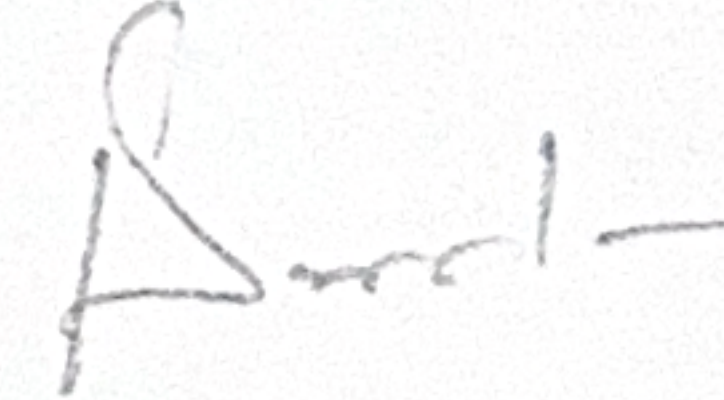
(d) To give suggestions regarding non-recurrence of such type of incidents in future.

Suggestions for preventing recurrence of such incidents in future, which took place on 24.11.2024 at Sambhal has been discussed in depth/detail while deliberating on this term of reference in chapter-8.


(Arvind Kumar Jain, IPS)
Member


(Amit Mohan Prasad, IAS)
(Retd.)
Member


(Dr Justice Devendra Kumar Arora)
Chairman


(Brijesh Kumar)
Former District Judge
Advisor